(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 17

सोमवार,

23 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामप्रसाद लड्ढा (बैर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : अभी शून्य काल में बुलायेंगे आपको।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी सुन लीजिए....

श्री अध्यक्ष : हां-हां, शून्य काल में बुलायेंगे आपको।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हरिजनों का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय---

श्री अध्यक्ष : शून्य काल में बुलायेंगे आपको, बोल देना।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भरतपुर जिले के हरिजन बाहर पड़े हुए हैं मोरोली गांव में अध्यक्ष महोदय और वहां की हालत बहुत खराब है। वहां कल मंत्रीजी गये थे, मैं भी गया था, वहां के हरिजन जला दिये गये हैं, वहां की हालत बहुत खराब है, 17 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं....

श्री अरूण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में अत्याचार हो रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरे, चितोकरी गांव में माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा, बोलना आप। इस पर बोलना आप, बोलिए आप। अभी नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुन लूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, वहां की हालत बहुत खराब है। वहां की जनता भयभीत हो रही है, वहां आज

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हालत खराब है, चितोकरी गांव में सात आदमी इनके संग ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शून्य काल में इसको उठाना ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक आदमी का पेट फाड़ दिया गया है दराख से और चाकुओं से, अध्यक्ष महोदय, मतलब आदमी को गोद दिया गया है और यह वहां की स्थिति है अध्यक्ष महोदय, वहां की यह हालत है····

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द आर्यवीर ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां के हरिजनों का सवाल है अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । इनका अंकित मत करिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

479. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों पर पिछले तीन वर्षों में हुए अत्याचार के मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1990-91 अनुसूचित जाति एवं जन जाति पर अत्याचार में पंजीबद्ध मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वर्ग पर अत्याचार के मामलों में दोषी व्यक्ति दण्डित नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार हरिजनों पर अत्याचार की रोकथाम हेतु अपराधियों को कठोर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

विधि राज्य मंत्री (श्री शांतीलाल चपलोत) : (1) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1989 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अत्याचार के 2343 अभियोग पंजीकृत हुए····

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित मत करिये ।

श्री शांतीलाल चपलोत : वर्ष 1990 में 3260 अभियोग तथा वर्ष 1991 में 5477 अभियोग दर्ज हुए हैं । दर्ज हुए अपराधों के विवरण की तालिका परिशिष्ट "क"····

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का लिखिये आप ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री शांतिलाल चपलोत : सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के 1990 में 3260 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 1706 अभियोगों का चालान हुआ, 1414 अभियोगों में अदम वकू में अन्तिम प्रतिवेदन दिये गये तथा वर्ष के अन्त में 140 अभियोग अन्वेषणाधीन रहे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो तथ्य आपके समक्ष माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं श्रीमान्, मामला काफी गम्भीर मालूम होता है....

श्री अध्यक्ष : शून्य काल में उनको बोलने का मौका दूंगा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप शून्य काल में देंगे, आप मंत्रीजी से भी दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : हां, मंत्रीजी से भी दिलवायेंगे। बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कम से कम इसके फैक्ट्स तो ले लें।

श्री अध्यक्ष : हां, बिल्कुल-बिल्कुल। मंत्रीजी भी कहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दी मैटर इज वेरी सीरियस।

श्री अध्यक्ष : हां-हां, मंत्रीजी भी बोलेंगे, उनको भी बुला दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दस घरों में आग लगा दी, बेघर पड़े हुए हैं लोग....

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बुला दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, बुलवा दूंगा। बैठिये, बैठिये आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब बैठाओ उनको। अब बैठाओ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : × × ×

श्री अरूण सिंह : जनता भयभीत हो रही है वहां।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब विराजिए। आप विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिलाल चपलोत : (1) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1989 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अत्याचार के 2343 अभियोग पंजीकृत हुए, वर्ष 1990 में 3260 अभियोग तथा वर्ष 1991 में 5477 अभियोग दर्ज हुए हैं। दर्ज हुए अपराधों के विवरण की तालिका परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के 1900 में 3260 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 1706 अभियोगों का चालान हुआ, 1414 अभियोगों में अदम वक़ू में अन्तिम प्रतिवेदन दिये गये तथा वर्ष के अन्त में 140 अभियोग अन्वेषणधीन रहे। इसी प्रकार से वर्ष 1991 में उक्त वर्ग पर अत्याचार के 5477 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें से 1801 अभियोगों में चालान दिये गए, 1556 अभियोग झूठे पाये जाने पर अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाकर निस्तारण किया गया तथा 2120 अपराध वर्ष के अन्त में अन्वेषणाधीन रहे। अपराधों की विवरण तालिका परिशिष्ट "ख" संलग्न है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही नहीं है कि अत्याचार के दोषी व्यक्ति दण्डित नहीं होते हैं। अत्याचार के अभियोगों में से अब तक 190 अभियोगों का न्यायालय से निस्तारण हुआ जिनमें से 13 अभियोगों में दोषी व्यक्ति दण्डित हुए तथा 177 अभियोगों में बरी हुए हैं।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 ही पर्याप्त है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जन जाति, हरिजनों के ऊपर अत्याचारों की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। राज्य में अनुसूचित जाति, जन जाति के हरिजनों के केस दर्ज नहीं होते हैं, अध्यक्ष महोदय और उनको धमका कर वहां से भगा दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितने हरिजनों की हत्याएं हुई, उनको राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, यह निस्सन्देह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में सारे ही देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं और राजस्थान उससे अछूता नहीं है....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : राजस्थान में भी पुख्ता बढ़ोतरी हुई है, पार्लियामेन्ट नहीं है यह।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : पहले अत्याचार होते थे, दबा देते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होने देते थे।

श्री शांतीलाल चपलोत : पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन होते थे और हमने पुलिस को

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार का हरिजनों पर अत्याचार होता है उसको दर्ज रजिस्टर किया जाय, इसलिए भी इसकी नफरी बढ़ी है। 1989 में जो एक्ट पास किया गया, 30-1-90 को लागू किया, उसके कारण भी उसमें बढ़ोतरी आई है अध्यक्ष महोदय।

दूसरा जो आपने पूछा है कि तीन वर्षों में कुल कितनी हत्याएं हुई तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1989 में 45 हत्याएं हुई, सन् 1990 में 44 और सन् 1991 में 53 हत्याएं हुई। उसके पूर्व वर्षों में भी कई बढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्यवीर : उनको क्या-क्या सहायता दी गई, यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, इसका ब्रेक-अप तो ला नहीं सका क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं है, पर वैसे दस हजार रुपये प्रति व्यक्ति जो मर जाता है उसको दिये जाते हैं। दस हजार रुपये डिस्एबल परमानेण्ट हो जाता है उसको दिये जाते हैं और उसके अनुरूप करीब-करीब सब को दी गई है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह अपने आप में कोन्ट्रावर्सियल है। जो सूची दी है उससे स्पष्ट है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और हरिजन अत्याचार रोकने के लिये क्या विशेष प्रयास किये हैं कि जो वर्तमान में है वह पर्याप्त है। कानून है वह पर्याप्त है। पर्याप्त होते हुए भी इतने बढ़ रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इस बाबत सरकार और क्या विशेष तौर से प्रयास करेगी जैसे हरिजनों के जो डर के मारे मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, गवाह नहीं मिलते हैं, कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता लम्बे होने की वजह से वह लड़ नहीं पाते हैं और मेरा जो दूसरा स्पेसिफिक प्रश्न था माननीय अध्यक्षजी, कि हरिजन अत्याचार करने वाले दण्डित नहीं होते हैं। अब तक जो भी हरिजन, जो नया कानून आया है उसके तहत जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से मात्र 13 व्यक्तियों को ही दण्ड मिल पाया है। तो इससे स्पष्ट है कि जब हजारों मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें मात्र 13 ही दंडित हों तो इससे साफ है कि इस बाबत सरकार स्पष्ट जवाब दें कि यह हरिजन अत्याचार बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, दंडित नहीं हो पा रहे हैं, यह अपने-आप में जवाब से स्पष्ट है, इस बाबत सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है।

दूसरा मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि जो हरिजन अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति है उनको आर्थिक सहायता....

श्री अध्यक्ष : आप अपने आप को जरा संक्षिप्त करने की आदत डालिये। अब आप दूसरा, तीसरा, आप तीसरी बार दूसरा बोल रहे हैं। तीसरी बार दूसरा बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हरिजन अत्याचार से

(श्री हीरालाल आर्य)

पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। मेरा प्रश्न है कि पिछले जो हरिजन अत्याचार हुए हैं उनमें कितने को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान था उसमें से कितनी वितरित की गई और क्या वह पर्याप्त थी। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के केसेज में एफ. आर. जो लगाई जाती है, क्या एफ. आर. लगाये जाने के बाद में उसको किसी हायर अथोरिटी से चैक किया जाता है क्योंकि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है, मैं स्पेसिफिक एक उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी शायद उसको बता पायेंगे एक एफ. आई. आर. नम्बर 1391 पुलिस थाना कोतवाली बूंदी में....

श्री अध्यक्ष : नहीं, एफ. आई. आर. लगाने की सेंक्शन एस. पी. देता है और सम्बन्धित कोर्ट उसको मानता है तभी एफ. आर. होती है। फाइनल तभी होती है कि जिस कोर्ट में एफ. आई. आर. दर्ज हुई है उस कोर्ट को पेश करनी पड़ती है और एस. पी. उसकी सेंक्शन देता है....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : डी. आई. जी. लेबल पर ऐसा कोई प्रकोष्ठ गठित किया जाय कि क्या सरकार इस मामले में सही मानती है कि डी. आई. जी. लेबल पर उन एफ. आर. को देखा जाय ? स्पेसिफिकल ? नहीं हुआ तो जांच के लिए।

तीसरा मेरा निवेदन है कि 1391 स्पेसिफिक केस है धारा 3 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसमें शिड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति के जमीन के कब्जे के पट्टे में काट-छांट की गयी, केस कूड है इसके बावजूद भी मुजरिम प्रभावशाली, पैसे वाला होने की वजह से उसमें एफ. आर. लगा दी गयी।

तीसरा, मेरा एक छोटा-सा मामला है कि ऐसे केसेज क्या इसलिए होते हैं....

श्री अध्यक्ष : एक सवाल के लिए तीन-तीन पूछोगे तो जवाब क्या देंगे। कोई जवाब नहीं आयेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार एक साल में अनुसूचित जाति/जनजाति के उन अधिकारियों को जैसे एडीशनल एस. पी. आर. ए. एस. के जो प्रमोट होते हैं उनकी एक साथ लिस्ट नहीं निकालने से लोग कम प्रमोट हो पाते हैं और ऐसी की-पोस्ट में कम लोग लगाये जाते हैं और उनको प्रमोशन कम दिया जाता है। इसका कारण भी यह है कि वे लोग सही पोस्टों पर नहीं लगने की वजह से, उनके आदमी अच्छी पोस्टों पर नहीं होने की वजह से भी इनके साथ ज्यादा से ज्यादा अत्याचार होते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि टी.एस. पी. एरिये में जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां भी जनजाति के लोगों पर अत्याचार और इस तरह के मामले आये दिन बढ़ते हैं तो क्या उस क्षेत्र में कोई अलग से जांच के लिए किसी अधिकारी को नोमिनेट करने की कोई मंशा रखते हैं जिससे कि उस क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । सवाल पूछ लिया आपने । श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अत्याचार हरिजनों पर होते हैं साहब, उसके पीछे मानसिकता क्या है ? किन कारणों से होते हैं अत्याचार ? लड़ाई-झगड़े तो प्रदेश में सब जगह, सब कौमों में होते हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर इस तरह के कोई ऐसे स्पेशल झगड़े होते हैं क्या और लोगों की मानसिकता क्या है ? क्या आपने जांच की है कि यह वाकई में शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, इसलिये होते हैं या लोगों की ऐसी मानसिकता है ? यह क्यों होते हैं ? आपने कोई ऐसी जांच कराई है क्या ? जब इतना बड़ा खर्चा आप करते हैं फिर भी दिनों-दिन झगड़े बढ़ते जाते हैं अत्याचार बढ़ते जाते हैं । तो उसके पीछे क्या राज है ? इसकी आपको जानकारी है या नहीं, जांच कराई या नहीं कराई ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अण्डर इन्वेस्टीगेशन जो केसेज हैं, 1989 में 71, 1990 में 140 और 1991 में 2120 । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एकाएक 71 केसों से जाकर के 2120 केसेज आपके अण्डर इन्वेस्टीगेशन हैं, इसके क्या कारण है ? क्या आप यह महसूस करते हैं कि जो बढ़ोतरी हुई है 2 हजार केसेज पेण्डिंग हैं 71 के मुकाबले में, 71 केसेज और 2 वर्ष में 2 हजार हो गये । मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो नये कानून के तहत सर्किल ऑफिसर्स को आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बना रखा है उनके ऊपर प्रेशर ऑफ वर्क एकदम बढ़ गया है तो क्या आप इस हरिजन एट्रोसिटिज एक्ट के तहत हर जिले में, हर सर्किल में उसी स्तर का दूसरा सक्षम अधिकारी नियुक्त करने की सोचते हैं अन्यथा जो यह एक्ट बना है इसकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है । यह आपके फीगर्स दर्शाते हैं इस बात को । यह बताने की कृपा करें । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कांत ।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि एफ. आर. देने के बाद में न्यायालयों से ऐसे कितने केस हैं जो वापस इन्वेस्टीगेशन के लिए पुलिस को सौंपे गये, अगर यह कोई ब्रेक-अप हो तो ? दूसरा यह था कि किन-किन क्षेत्रों में इनका बाहुल्य रहा और दूसरी बात यह है कि बढ़ोतरी का कारण, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं यह पुलिस का ज्यादा संवेदनशील इस मामले में होना कि ज्यादा केसों को दायर किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं इसका जवाब ही तो मांग रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : किसका जवाब मांग रहे हैं आप ? सवाल पूछिये ।

श्री टीकमचन्द कांत : एफ. आर. देने के बाद में कितने ऐसे केसेज हैं....

श्री अध्यक्ष : जब तक सवाल मेरी समझ में नहीं आयेगा, मंत्रीजी की भी समझ में नहीं आयेगा इसलिए पहले मुझे तो समझा दीजिये सवाल क्या है ?

श्री टीकमचन्द कांत : एक तरफ पुलिस में एफ. आर. दे दी । न्यायालय में कितने केस ऐसे हैं जिनको रि-ओपन करने के लिये कहा गया ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया आपका सवाल । यही सवाल था न आपका बिराजिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं, प्लीज । हरेक पर बोलना कोई जरूरी नहीं है आपका ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : एक स्पेसिफिक सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने सात सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा करवा दिये । आप नहीं प्लीज । बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं उसमें लूणी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस मानसिकता के बारे में प्रश्न किया है मैं ऐसा समझता हूं कि उसकी कोई नये रूप से बात कह पाऊंगा, यह सम्भव नहीं है । किस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है, यह सदन के किसी सदस्य से छिपी हुई नहीं है । जिस मानसिकता के आधार पर यह मुकदमें बन रहे थे या हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा था उसी मानसिकता का प्रत्युत्तर देने के लिए इस प्रकार का कानून पार्लियामेण्ट में पास किया और राज्य सरकारें उसको लागू कर रही हैं । जहां तक संख्या का प्रश्न आता है कि यह संख्या ज्यादा बढ़ी हुई है, मैं इतना कह सकता हूं कि संख्या के आधार पर मत जाओ । आप इस आधार पर सोचो कि लोगों में कोंशियसनेस क्रियेट हुई है । पहले अत्याचार होता था, कोई बोलता नहीं था, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता था, कोर्ट में कोई नहीं जाता था । जब से यह कानून बना है और जब से शिक्षा का स्तर थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा है लोग अपने अधिकारों को समझने लगे हैं और यह भी समझने लगे हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया गया तो अमुक प्रकार के कानून के अन्तर्गत हम रिपोर्ट को दर्ज करवाकर उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये जितने केसेज के नम्बर हुए हैं ये कम से कम इस बात के प्रमाण हैं कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट की है या किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है वह केसेज यहां पर रजिस्टर हुए हैं । जहां यह समझें कि केसेज में प्रोसिक्यूशन तो हो गये और प्रोसिक्यूशन के बाद में केसेज में बहुत कम लोगों को सजा हुई है, मैं मोटे रूप से आपको यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं कि मैंने इस सारे प्रकरण का पूरी तरह से आज के 6 महीने पहले अध्ययन किया था। मेरा खुद का विचार था कि इसका स्कोप जिस प्रकार का है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाय जिसके कारण से अत्याचारी किसी भी हालत में बच नहीं सके लेकिन मेरे सामने दो प्रश्न मोटे रूप से आये। एक तो जो गवाह होते हैं वह गवाह कोर्ट में जाते-जाते कई मामलों में होस्टाइल हो जाते हैं और होस्टाइल होने के बाद जो आदमी प्रभावित है और वह होस्टाइल हो गया उस केस का परिणाम उसी प्रकार का निकलता है और दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसे केसेज भी हैं कि जिसमें एक बार केस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, पुलिस पीछा कर रही है कि बयान दो और बयान देते वक्त वह आदमी किसी प्रकार का संकोच कर जाता है उसी कारण से मुकदमों में एफ. आर. लगती है। यह कानून है, यह दुधारी तलवार है। इस दुधारी तलवार का उपयोग किस प्रकार से किया जाय, इसमें जितनी ज्यादा संजीदगी बरती जायेगी उसी आधार के ऊपर ही इन केसेज का प्रोसिक्यूशन होगा और इन केसेज के आधार पर ही लोगों को सजायें मिलेंगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र कानून बनकर के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लोगों में जिस प्रकार की जागरूकता आयी है वह अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है और जहां-जहां जागरूकता आयेगी अपने आप अत्याचारों पर एक नियन्त्रण लगेगा, अत्याचार बन्द हो जायेंगे।

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने मामले एफ. आर. के थे जो वापस कोर्ट ने भेजे हैं? वह आप अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। दूसरा श्री चुन्नीलालजी गरासिया ने पूछा कि अत्याचार क्यों हो रहे हैं? मुझे यह समझ में नहीं आता कि अत्याचा की बातें इन्होंने मंत्रिमण्डल में बैठे थे उस समय तक तो कहीं नहीं और आज सारे अत्याचार उनको दिखने लग गये, यह कौनसा चश्मा है जरा वे ही जानकारी दे दें.... (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह : वह चश्मा आपको जब नजर आयेगा जब यहां से उठकर के यहां आ जाओगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, मैं एक निवेदन और कर दूं, माननीय सदस्य जो नैनवा से आये हैं उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो रही है। आज मैं समझता हूं कि जितनी भी पोस्ट हैं उन सारी पोस्टों को देखेंगे, ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारी वहां बैठे हुए है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था मुख्य मंत्रीजी बहुत चतुराई से उसको टाल गये। आपके पास फीगर्स हैं। आपके जैर तफ्तीश मामले जो हैं उनको 71 थे, कुल 71 थे 1989 में। बढ़कर 2120 हो गये। 300 गुना इजाफा, आपके जैर तफ्तीश पड़े हुए हैं अगर लोगों को समय से न्याय नहीं मिलेगा तो आप इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं इससे तो

(श्री प्रद्य ुम्न सिंह)

आप अवगत करा दें। यही आपकी मशीनरी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको दूं कि पहले केस रजिस्टर नहीं होते थे, लोग इग्नोर करते थे, उनकी उपेक्षा होती थी। 1989 में जब यह कानून बना है उस कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के केसेज रजिस्टर होने लगें हैं। पहले आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, इन लोगों का कौन केस रजिस्टर करता था। तो 71 की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्य ुम्न सिंह : नहीं, 1971 की नहीं कर रहा हूं. मुख्य मंत्रीजी। 1989. देखिये, मेरे प्रश्न को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 71 की बात नहीं कर रहा हूं। 1989 में पैंडिंग इन्वेस्टीगेशन 71 केसेज थे। 1971 नहीं, ओनली 71 केसेज। आज एकदम 91 के अन्दर आ करके, आप यह मत कहिये कि कहीं पाइन्ट स्कोर करने वाली बात हो, इसमें मूल में कारण यह है ···(व्यवधान) इसमें मूल में कारण यह है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी है उनके ऊपर वर्क लोड इतना बढ़ गया है, वह अपनी ड्यूटी को अन्जाम नहीं दे पा रहे हैं हर सर्किल के अन्दर। मान लीजिये चार थाने हैं, तो थानेदार तो इन्वेस्टीगेशन करेगा नहीं। चारों थानों के अन्दर केसेज आ जायेंगे सर्किल आफिसर के पास तो कहां से इतने केसेज का करेगा। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी हैं, दूसरी तफ्तीशें भी हैं। तो यह जो समस्या उठी है इससे छुटकारा पाने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं अन्यथा यह एक्ट पूरा बेमानी हो जायगा, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा कहना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस पर जिस तरह का वर्क लोड है उसमें इन केसेज को जो प्राथमिकता देनी चाहिये उतनी शायद प्राथमिकता नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में आपने जो सुझाव दिया है, सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी और कोई ऐसी व्यवस्था लायेगी कि जिनके कारण इन केसेज के ऊपर प्रायोरिटी के आधार पर इन्वेस्टीगेशन चालू हो और लोगों को रिलीफ मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल सिंह।

ग्राम पंचायत चौमूं पुरोहितान प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति

480. श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) की ग्राम पंचायत चौमूं पुरोहितान के मुख्यालय चौमूं पुरोहितान में सन् 1945 से प्राथमिक शाला चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने हेतु ग्रामवासियों, ग्राम विकास मण्डल ने कई बार राज्य सरकार एवं विभागीय अधिकारियों को

(श्री गोपाल सिंह)

प्रार्थना पत्र भेजकर शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु निवेदन किया है ?

(3) क्या सरकार इस पंचायत मुख्यालय की प्राथमिक शाला को शीघ्र ही माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है ? यदिनहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) सही तथ्य यह है कि ग्राम चौमू पुरोहितान में प्राथमिक शाला सन् 1951 से चल रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्राथमिक शाला को सीधे ही माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जाता व इसे पहले उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जाता है।

श्री गोपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी से मेरा एक सवाल है। प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के जो मापदण्ड हैं, क्या यह पंचायत मुख्यालय की ग्राम पंचायत चौमू पुरोहितान उन मापदण्डों में आती है ? यदि आती है तो यह चालीस पुरानी प्राथमिक शाला अब तक उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत क्यों नही की गयी ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मापदण्डों में आती तो पहले ही हो जाती।

श्री रामसिंह विश्नोई : सीधे प्राथमिक से माध्यमिक में मांग कर ली थी इसलिये नहीं हुआ। आप आइन्दा उच्च प्राथमिक की करो मांग।

श्री गोपाल सिंह : मैंने सीधा सवाल प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में करने का पूछा, आप भी समझ गये होंगे, यह 40 साल पुराना स्कूल है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं, चालीस साल का मतलब आप कालेज की मांग कर लेते। चालीस साल का मतलब यह तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब हो जायगा, आप मांग करेंगे तो।

श्री गोपाल सिंह : मेरा मांग करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें कि आपकी सरकार के जो मापदण्ड हैं प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने में, उन मापदण्डों में प्रथम यह है कि क्या पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता दी जायेगी ? द्वितीय यह कि क्या चालीस साल पुराने या उसके आसपास के जो पुराने स्कूल हैं उनको तो निश्चित रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाना चाहिये ? क्या यह आपका मापदण्ड है ? यदि है तो....

श्री हरिकुमार औदिच्य : मापदण्ड केवल मात्र यह दोनों ही नहीं है। छात्रों की संख्या, वहां की आबादी है, अन्य स्कूलों की दूरी है। सब मापदण्डों में लिया जाताहै।

श्री गोपाल सिंह : इसलिये मेरा सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चौमू पुरोहितान क्या आपकी छात्र संख्या....

श्री अध्यक्ष : आप बैठियेगा। आप अगली बार कंसीडर करें इनका। नैक्स्ट,

श्री सुरेन्द्र गोयल।

नगरपालिका जैतारण की बकाया चुंगी राशि

481. सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण में वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में शराब के ठेकेदारों के ऊपर नगरपालिका जैतारण की कितनी चुंगी की राशि बकाया है?

(2) बकाया चुंगी राशि वसूली के लिये पालिका द्वारा समय-समय पर क्या कार्यवाही की गयी? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक वसूली कर ली जायगी?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री भंवरलाल शर्मा)—(1) जैतारण नगरपालिका का वर्ष 1989–90 व वर्ष 90–91 में शराब के ठेकेदार के ऊपर कुल 22,851·40 पैसा चुंगी कर के बकाया हैं।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिये नगरपालिका जैतारण द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी किये गये थे, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) शराब के ठेकेदार को अन्तिम नोटिस दे दिया गया है। न्यायिक कार्यवाही करने के लिए पालिका मण्डल की आगामी बैठक में अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया 22,851·40 पैसा चुंगी का बकाया है, बकाया राशि के लिये नोटिस देना भी बताया है। माननीय मंत्री महोदय, जो-जो नोटिस दिये उस सम्बन्ध में शराब के ठेकेदार द्वारा आबकारी निरीक्षक को क्या कोई जवाब दिया गया था? अगर जवाब नहीं दिया गया तो ठेकेदार के खिलाफ अदालत में दस गुणा पैनल्टी लगाकर चालान पेश क्यों नहीं किया गया? अब कब तक रकम बसूल कर ली जायगी या चालान पेश कर दिया जायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि विदेशी मदिरा, बीयर व देशी मदिरा के ज्योंही परमिट जारी होते हैं, परमिट जारी होने के बाद ठेकेदार द्वारा गोदाम से माल निकालने से पहले क्या नगरपालिका व ग्राम पंचायत को चुंगी कर चुकाना अनिवार्य है? अगर चुंगी कर जमा कराने की रसीद बताने के बाद ही माल गोदाम से बाहर निकाला जाता है तो यह शराब कैसे बाहर निकली? इस बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, अब आपका हो गया। बाद में पूछना इन से।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सहमत हूं कि यह रुपया वसूल किया जाना चाहिये था। इसमें देरी हुई है और इसलिये जिसका दायित्व है उसके लिये मैंने कार्यवाही के निर्देश दे दिये हैं और नियमों के अन्तर्गत वसूली के भी निर्देश दिये हैं। यह वसूली कानून के हिसाब से जल्द ही कर ली जायेगी।....(व्यवधान) देरी हुई है, मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरा मंत्री महोदय से यही जानना है, जब मंत्री महोदय ने यह बताया कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि गोदाम से माल निकालने से पहले चुंगी कर चुकाना अनिवार्य है....

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं? यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि नहीं है? या आपको पता है कि यह है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : कानून में प्रावधान है, अध्यक्ष महोदय। कानून में ऐसा प्रावधान है कि बिना चुंगी कर चुकाये गोदाम से माल बाहर नहीं निकाल....

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया। वह तो कानून में प्रावधान है तो निकली कैसे शराब। बाहर शराब कैसे निकली, यही तो है?

श्री सुरेन्द्र गोयल : राजस्थान में शराब के ठेकेदार व आबकारी निरीक्षक व नगरपालिका के प्रशासक, तीनों की मिलीभगत से जो चुंगी कर चुकाना होता है वह चुंगी कर नहीं चुकाया जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय यह बतायें, क्या राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों में जो-जो शराब के परमिट जारी किये गये हैं उनकी जांच करके चुंगी जो नहीं चुकायी है उसको वसूली करने का कोई इरादा रखती है?

श्री अध्यक्ष : अब इनका सवाल यही है कि जिन अधिकारियों की मिली-भगत है उनकी जांच करवाइये। सीधी-सी बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने खुद ही कह दिया साहब, मैंने निर्देश दे दिये हैं। इसमें मेरे विभाग के भी हैं और विभागों के भी हैं लेकिन मेरे विभाग के, जो नगरपालिका है उनके लिये मैंने निवेदन किया—

श्री अध्यक्ष : उनकी जांच हो जायेगी सबकी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जांच के लिये निर्देश दे दिये हैं। उनका दायित्व फिक्स करेंगे और वसूली करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : पूरे राजस्थान में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उन सब नगरपालिकाओं की जो परमिट जारी होने के बाद....

श्री अध्यक्ष : आप तो जैतारण की चिन्ता करो। राजस्थान की और करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : जैतारण की तो मानता हूं, मंत्री महोदय ने बता दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

आयुर्वेदिक विभाग में स्थानान्तरण

482. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1990 एवं 1991 में कुल कितने वैद्यों के स्थानान्तरण किये गये एवं इसमें से कितनों के निरस्त किये गये और कितनों के स्थान खाली पड़े हुए हैं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : वर्ष 1990 एवं 1991 में आयुर्वेद चिकित्सकों के किये गये स्थानान्तरण एवं निरस्त किये गये स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष 1990, स्थानान्तरण संख्या 901, निरस्त किये गये 108

वर्ष 1991, स्थानान्तरण संख्या 1319, निरस्त किये गये 63 स्थानान्तरण के कारण 70 आयुर्वेद औषधालय चिकित्सक न होने से रिक्त हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा, आपसे पहले जो मंत्री थे उनके टाइम का यह रिकार्ड है, सारा, आपके आने के बाद तो ट्रांसफर इतने नहीं हुए हैं लेकिन वर्ष 1991–92 में ट्रांसफर हुए हैं, कुल कितना टी. ए., डी. ए. का खर्चा सरकार का इस पर आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है । दूसरा मेरा प्रश्न है कि कोर्ट स्टे के कारण ऐसे कितने औषधालय हैं जहां आज भी दो-दो वैद्यों की नियुक्ति हो रही है दो-दो वैद्य जहां लगे हुए हैं कोर्ट स्टे के कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इसको बतायें कि कितने वैद्य ऐसे हैं जो वहां दो-दो लगे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं कि दो-दो वैद्य लगे हुए हैं । ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक का जहां पोस्टिंग है तो दूसरा कहीं या तो ट्रांजिट में है । थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ है और इस व्यवस्था को एक जून से पूर्व सुधार दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं, टी. ए., डी. ए. में कितना खर्चा हुआ ?

श्री रामसिंह विश्नोई : कितने औषधालय वैद्यों की कमी के कारण खाली पड़े हैं, यह आपने बताया ?

श्रीमती विद्या पाठक : बताया है, 70 औषधालय खाली पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : 70 हैं 70 ।

श्री रामसिंह विश्नोई : वहां पर वैद्य नहीं हैं, वह उपलब्ध नहीं हैं या आप लगा नहीं पा रही हो ?

श्रीमती विद्या पाठक : कुछ उपलब्ध भी नहीं हैं उपलब्ध जहां नहीं हैं उसके अतिरिक्त....

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, राजस्थान में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और उसके अगेंस्ट में कितने वैद्य हैं आपके पास ।

श्रीमती विद्या पाठक : कुल औषधालय पौने चार हजार हैं, जिनमें वैद्यों के स्वीकृत पद 3693 हैं और उनमें से कुछ पद रिक्त हैं। जैसा मैंने अभी बताया 70 पद तो रिक्त हैं वैद्यों के, 33 पद हैं जो सलेक्शन करके नियुक्ति करने के लिए, नयी नियुक्ति के लिये पैण्डिंग हैं और उसके अतिरिक्त कुछ हौम्योपैथिक और यूनानी हैं और उन व्यवस्थाओं के....

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं एक मिनट अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : पहले इनका तो प्रश्न होने दीजिये। प्रश्न करने वाले हैं। इनका दूसरा प्रश्न होने दीजिये। आपके पहले दो नाम और आ चुके हैं। मैं बुला लूंगा आपको। बोलिये, दूसरा प्रश्न पूछिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दो वर्षों में ट्रांसफर हुए हैं, उसमें कुल कितना टी. ए., डी. ए. का खर्चा सरकार का आया है। दूसरा, यह है कि एक ही वर्ष में एक ही वैद्य के 10-10 बार ट्रांसफर हुए हैं, इस प्रकार के जो ट्रांसफर हुए हैं, क्या सरकार की ऐसी नीति है जिसके आधार पर ट्रांसफर किये गये हैं। दो हजार ट्रांसफर वर्ष 1990–91 में हुए हैं, इस प्रकार जो भारी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं और एक ही एक वैद्य के ही स्थान से 10–10 बार जो ट्रान्सफर एक ही वर्ष में हुए हैं, इस प्रकार से सरकार की नीति के विरुद्ध जो काम हुआ है, इसको रोकने के लिए मंत्री महोदया कुछ कर रही हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि टी. ए., डी. ए. में कितना खर्च हुआ ? तो 2 लाख 17 हजार रुपया टी. ए., डी. ए. पर खर्च हुआ और ऐसा कुछ नहीं है कि 10-10 बार ट्रांसफर हुए हों। अधिकांशतः ट्रांसफर तो नीति के अनुरूप ही हुए हैं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया है कि इसमें निरस्त किये गये 108 हैं और टी. ए., डी. ए. का खर्चा 2 लाख 17 हजार रुपये आया है। थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ है, उसके लिये मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक जून तक सुधारलेंगे।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर की क्या नीति है। यह....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। डा. चन्द्रभान। आपके दो सवाल हो गये।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जो नीति अखबारों में पढ़ी है, वही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : हां बिराजिये। डाक्टर चन्द्रभान। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अखबारों में प्रकाशित हुई, सरकार की ट्रांसफर नीति क्या है ? वह प्रकाशित हुई।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी तो पालना नहीं हुई। अब पालना होगी या नहीं, मेरा तो यह प्रश्न है।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से एक आश्वासन लेना चाहूंगा, जानकारी लेना चाहूंगा कि यह जो खाली स्थान पड़े हैं, इनकी पूर्ति आप कब तक कर देंगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । श्री माहिर आजाद । आप बैठिये । एक बार ही पूछ लेना ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक स्थानान्तरण नीति बनायी, उसमें यह प्रावधान था कि एक बार कोई भी स्थानान्तरण कर दिया जायेगा तो 3 महीने से पहले उसको निरस्त नहीं किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह 108 और 60, दो वर्ष में जो स्थानान्तरण निरस्त किये, क्या इसमें स्थानान्तरण नीति की अवहेलना हुई है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और दूसरा एक और साहब....

श्री अध्यक्ष : नहीं दूसरा नहीं, अब एक और पूछ लें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने कहा, वही पूछ रहा हूं कि आपने जो 70 पद रिक्त बताये हैं, क्या इसमें यूनानी चिकित्सकों के पद भी रिक्त हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जिनके 49 पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से आज से चार महीने पहले आवेदन मांगे थे, उसका क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से मुझे एक ही बात कहनी है । जहां पर औषधालय भी हैं और चिकित्सालय भी है, अगर आपके पास वाकई आयुर्वेदिक वैद्यों की कमी हैं तो जहां पर चिकित्सालय है, वहां पर से हटाकर के जहां खाली जगह पड़ी है, वहां आप लगा दीजिये आपकी पूर्ति हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कोटपूतली क्षेत्र में यह डेपूटेशन का रवैया अब भी वैसा का वैसा चालू कर रखा है । क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी, जिसमें कोटपूतली प्रोपर, मोनपुरा और सुकलाबाद के वैद्यों को यहां आपके आफिस में लगा रखा है और वह खाली पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह आया कि स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कितने ट्रांसफर किये ? सन् 1990 में 139 ट्रान्सफर रिलेक्सेशंस देकर किये गये, सन् 1991 में 212 ट्रान्सफर रिलेक्सेशंस देकर किये गये । एक प्रश्न यह भी पूछा है कि जो रिक्त पद बताये हैं, उसमें यूनानी के पद भी हैं तो यह तो इसमें प्रश्न ही नहीं है, आप देख लीजिये । यह सिर्फ

(श्रीमती विद्या पाठक)

वैद्यों के लिए है, यूनानी पदों के लिए नहीं है। खाली जगह पर जैसा अभी बताया डेपूटेशन, तो सरकार निश्चित रूप से सब डेपूटेशन केन्सिल करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के या जिन स्थानों के लिए ओरिजनल पोस्टिंग है, उन्हीं स्थानों पर निश्चित रूप से भेज देंगी और यह सारी व्यवस्था अगला सेशन, एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा, जब बच्चों के इम्तिहान वगैरह खत्म हो चुके होंगे, उससे पूर्व कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी का जो सजेशन था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी ने जो सुझाव दिया, मैं उसमे सहमत हूं कि जहां पर चिकित्सालय है, वहां औषधालय नहीं होने चाहिए। मैं इस सदन का समर्थन चाहूंगा कि यह सदन समर्थन दे दे तो इस प्रकार की व्यवस्था हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अर्जुनदास।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप इसमें एकमत नहीं हैं, आप पूछ लो। आयुर्वेद का इलाज कराना चाहता है, उसको महरूम कर दोगे आप, यह कोई बात है? इसमें कोई एकमत नहीं हो सकते। यह नहीं हो सकता। श्री मदान।

राज्य में उद्योगों का पंजीकरण

483. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत एक वर्ष में कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया तथा कुल कितने उद्योग बंद हो गये ?

(2) बंद हुए उद्योगों में सरकार का कितना पैसा अटका हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना भविष्य के लिए है जिसके अन्तर्गत राज्य में बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू किया जाय ?

उद्योग मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (1) राज्य में उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1990-91 में 4707 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन किया गया। राजस्थान वित्त निगम से सहायता प्राप्त इकाइयों में से वर्ष 1990-91 में 1149 उद्योगों को बंद चिन्हित किया गया तथा रीको द्वारा सहायता प्रदत्त 18 उद्योग बंद रहे।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा बंद चिन्हित किये गये उद्योगों की 31 मार्च, 1991 को कुल संख्या 3796 थी, जिनमें निगम का 100.45 करोड़ रुपया बकाया था। रीको का उपरोक्त 18 इकाइयों में 1851.59 लाख रुपये बकाया हैं तथा 56.53 लाख अंश पूंजी भी इनमें लगी हुई है।

(3) राज्य सरकार ने रूग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए एक नीति बनायी है जिसके तहत रूग्ण उद्योगों को कई सुविधाएं दी जाती हैं जैसे बिक्री कर से 7 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत तक छूट, बिजली की

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

कटौती से 2 वर्ष के लिए छूट, बिजली एवं बिक्री कर के बकाया की आसान किश्तों में वसूली एवं दण्डनीय ब्याज की छूट इत्यादि।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो पंजीयन इन्होंने 4707 इकाइयों का बताया, पंजीयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोविजनल और एक परमानेन्ट। क्या इन 4707 में प्रोविजनल और परमानेंट दोनों शामिल हैं, या प्रोविजनल पहले के सालों के थे, जिनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन 1990-91 में हुआ, या दोनों ही सम्मिलित हैं इसमें पहला प्रश्न मेरा यह है ?

श्री अध्यक्ष : हां बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया है कि 4707 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन किया गया, यह परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, यह प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पूछना चाहते हैं वर्ष 1990–91 का तो अध्यक्ष महोदय, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वह 23,144 थे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री अर्जुनदास मदान : दूसरा प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है कि पिछले प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि····मेरा प्रश्न यह था कि राज्य सरकार की कौनसी ऐसी योजना उसके अन्तर्गत विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत बंद पड़े उद्योगों को पुनः चालू किया जाये। इसमें केवल मात्र सुविधाओं का वर्णन किया गया है, किसी योजना को नहीं दर्शाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं सुविधाओं के बारे में नहीं पूछना चाहता था, मेरा प्रश्न केवल मात्र इतना ही है कि जैसे केन्द्र सरकार ने अभी नरसिहम् कमेटी का गठन किया था, जिसके अन्तर्गत पूरे राष्ट्र में 200 से ज्यादा एस. एस. आई. इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक योजना बनायी गयी है, क्या राज्य सरकार भी इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन रखती है कि रीको के द्वारा पोषित इकाइयां, या आर. एफ. सी. के द्वारा पोषित इकाइयां....

श्री अध्यक्ष : मतलब यह काम योजना बनाकर किया जा रहा है, यही पूछना चाह रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इसी आधार पर राज्य सरकार ने निदेशालय स्तर पर एक अलग-सा प्रकोष्ठ निश्चित किया है और जिला स्तर पर भी इन्हीं बंद इकाइयों को देखने के लिए और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक सब-कमेटी बना दी गई है। उसके अतिरिक्त जो वित्त निगम है और रीको है, उनके यहां भी एक अलग-अलग से रिहेबिलिटेशन सैट बना दिये गये हैं और उच्च अधिकारी उन जगहों पर लगाये गये हैं। यह जो मैंने आपको बताया था, यह तो वह है—

श्री अध्यक्ष : इन योजनाओं को बनाने के लिए बनाये हैं ना सारे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हां साहब ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : योजना का तो हमने पैकेज भेज दिया कि अगर कोई यूनिट हमारे पास बंद है तो बंद को रिवाइज करने के लिए कौन-कौनसे मेजर्स....

श्री अध्यक्ष : नहीं यह चाहते हैं कि यह तो योजनाबद्ध कि हम कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लोरेशन हो, उसके बारे में चर्चा हो और फिर इतनी लिस्ट हम बना रहे और कंसेशंस यह दे रहे हैं, यह पूछ रहे हैं और कुछ नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हां तो योजना बनाई है, योजना बन रही है और यह एक कन्टीन्युअस प्रोसेस है । जब कभी भी कोई प्राब्लम आती है, सामने चीज आती है, उसी आधार को हम अपने आधार में लेकर और हमको लगता है कि यह चीज करना भी जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर । ठीक है साहब ।

श्री केदार नाथ शर्मा : मान्यवर, मेरा....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पहले नाम हैं ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि बहरोड़ और कोटपूतली में कितने सीमेण्ट उद्योगों के आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने विचाराधीन हैं तथा इनमें कुल कितनी रकम निवेश किये जाने की योजना है, तथा इन उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था क्या की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल ।

श्री सांवर लाल (मिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रुग्ण उद्योगों को सरकार वापस शुरू करवाने हेतु विशेष रियायतें देने का विचार रखती है ? तो क्या आपके निदेशालय ने ऐसी कोई व्यवस्था की जिसके कारण रुग्ण उद्योग होने के कारणों का पता लगे कि क्या कारण हैं ? क्या यह उद्योगपति केवल रियायतें लेने के लिये अपने उद्योगों की इस प्रकार की स्थिति रखते हैं या वास्तव में किन्हीं कारणों की वजह से ऐसा होता है ?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ ।

श्री केदार नाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार ने सिक इण्डस्ट्री को दुबारा चलाने के लिये एग्जिट पालिसी बनायी है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेण्ट ने क्या राय दी है ? सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट ने एग्जिट पालिसी (ई.एक्स आई.टी. पालिसी) के बारे में आपसे राय मांगी है तो हमारी सरकार ने क्या राय दी है कि ठीक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा । एक मिनट, ये पूछ रहे हैं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कोई दस साल का थोड़े ही हुआ है । यह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कैसे रुग्ण बतायेंगे। जब प्रश्न ही एक साल का है तो रुग्ण कैसे हो गया। क्यों इतना लम्बा करते हो।

श्री अध्यक्ष : हाथ खड़े कर लेते हैं, या करूं मैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि क्या आपके द्वारा ऐसे आदेशित, निर्देशित होने के बावजूद कि अमुक-अमुक इण्डस्ट्री को बेचा नहीं जायेगा, उसके बाद अखबारों में विज्ञापन दिये गये हैं कि इनकी इण्डस्ट्री को बेच दिया जाय। यह बात गत मई से लेकर अब तक की है। आपने किसी मीटिंग में यह निर्देश दिये थे कि अमुक-अमुक इण्डस्ट्री को दुबारा चालू करवाने के लिए सरकार सहायता करेगी परन्तु सहायता नहीं की गयी ? क्या आपकी जानकारी में है कि उनको बेचने के लिये आपके मना करने के बावजूद उनको बेचने के विज्ञापन अखबारों में आये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक साल में रुग्ण इकाइयां हुयीं उसका कारण यह हैं कि इनको कार्यशील पूंजी की हमने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करवा सके। बैंक ने हमारे डाइरेक्शन को मानने से मना कर दिया ? क्या यह भी सही है कि उनको बिजली आदि समय पर नहीं मिलने के कारण इकाइयां रुग्ण हुयीं ? क्या मंत्री महोदय इस बात का विचार रखते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में रुग्ण क्यों हुयी ? कोई इण्डस्ट्रीज की गलती के कारण या हमारी सरकार की....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया, आप बैठिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सीमेण्ट के उद्योग बहरोड़ में या कोटपूतली में कितने लग रहे हैं यह अलग से प्रश्न है अगर यह जानकारी चाहेंगे तो मैं वह दे दूंगा। इसमें शायद प्रश्न भी आ रहा है। एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इतनी रुग्ण होने के कारण क्या है ? क्या वह उद्योगपति या उद्यमी इसमें साज करके नहीं करते। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, रुग्णता, बन्द होने के कई कारण हैं। वर्किंग केपिटल की कमी भी हो सकती है, मिसमैनेजमेण्ट भी हो सकता है, माल तैयार हो गया, माल तैयार होकर बिका नहीं, वह भी हो सकता है, अनेक कारण हैं जिनका कि हम रिवाइवल के टाइम पर विचार करते हैं और रिवाइवल के समय पर जब माननीय सदस्य कई बार कहते हैं कि आपके यहां पर रिवाइवल पार्टी जाती है आप परवाह नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि हमको स्ट्रिक्टली स्क्रूटाइज करना पड़ता है कि ईमानदारी से बिना इसका दोष हुए यह इकाई रुग्ण हुयी या खुद का दोष है। जब हमको लग जाता है कि यह इकाई इसके कारण से नहीं बल्कि ऐसे कारण जो इसके पक्ष में नहीं थे उनके कारण रुग्ण हुयी है जब हम रिवाइवल

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

या रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं।

तीसरा, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि केवल समाचार पत्रों तक ही, क्षमा करेंगे, मुझे, यह शोर है कि केन्द्रीय सरकार सिक यूनिट्स को रिवाइज करने की कोई बात कर रही है। आज तक जब मैं सदन के सामने कोई बात कह रहा हूं केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी या सुझाव नहीं मांगे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। डा. जितेन्द्रसिंह।

शाही रेलगाड़ी के यात्रियों पर व्यय राशि

484. डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में शाही रेल के द्वारा यात्रियों के पर्यटन का प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

(2) इस शाही रेल के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग को पिछले एक वर्ष में कितना खर्चा करना पड़ा एवं पर्यटन विभाग को इसमे कितनी आमदनी हुई ?

(3) पिछले एक वर्ष की आमदनी व खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) अध्यक्ष महोदय, शाही रेलगाड़ी के यात्रियों के पर्यटन का प्रबन्ध राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। शाही रेलगाड़ी सप्ताह में एक बार जैसलमेर भी जाती है जहां यात्रियों को वहां से पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाता है।

(2) शाही रेलगाड़ी पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पिछले एक वर्ष में 71.41 लाख का व्यय किया गया तथा निगम को 107.42 लाख की आय हुयी।

(3) पिछले एक वर्ष में शाही रेलगाड़ी से कुल 260.45 लाख रुपये की आय हुयी तथा निगम द्वारा 71.41 लाख रुपये का व्यय किया गया। रेल्वे मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय पृथक है, जिसकी सूचना निगम में उपलब्ध नहीं है।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से एक अनुरोध है कि पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर का महत्व निरन्तर बढ़ रहा है और जैसाकि उत्तर दिया गया है शाही रेल नियमित रूप से जैसलमेर आती है और जो पहले हानि में चल रही थी अब लाभ में चल रही है, यह स्पष्ट है इस उत्तर से। इसी प्रकार मेरा मंत्री महोदया से अनुरोध है कि केन्द्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि जैसलमेर के पर्यटन के महत्व को देखते हुए उसको वायुयान सेवा से जोड़ दिया जायेगा परन्तु उसके काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक घोषणा की क्रियान्विति नहीं हुयी है। क्या सरकार और माननीय मंत्री महोदया इस बारे में पर्यटन

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मंत्रीजी की घोषणा की क्रियान्विति करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह आपकी वकालत करेगी जोर से।

सुश्री पुष्पा जैन : जी, हां। 27-28 तारीख को केन्द्रीय पर्यटन मंत्रीजी झालावाड़ आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से वापस उनको इस बात के लिये....

श्री अध्यक्ष : आप तो यह बता दीजिये कि होली पर आपकी शाही रेल जब आयी....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य को भी मैं झालावाड़ के लिये इनवाइट करूंगी और साथ में....

श्री अध्यक्ष : अभी-अभी आपकी शाही रेल आयी उस समय यात्रियों को पर्यटन की सुविधा नहीं दी गयी और उनको टेम्पू में जाना पड़ा, बहुत से लोग वहां गये नहीं, बस वहां नहीं पहुंची। इसकी जांच करवायेंगे आप ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जांच करवा कर रिपोर्ट आपके सामने सब्मिट कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत खादी उद्योग संस्थाएं

485. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में खादी ग्रामोद्योग की कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस-किस संस्था को कितना सालाना अनुदान दिया जाता है ?

(3) इन संस्थाओं को वर्ष 1989-91 तक दिये गये अनुदान एवं उसके व्यय का विवरण संस्थावार सदन की मेज पर रखें।

खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन मेघवाल) : (1) अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग की कुल 5 संस्थायें कार्यरत हैं। नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को सालाना अनुदान देने का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

(3) इन संस्थाओं को वर्ष 1989 से 1991 तक दिये गये अनुदान का विवरण संलग्न है। आयोग के पैटर्न के अनुसार संस्थाओं द्वारा अनुदान की राशि व्यय की जा चुकी है। संस्थावार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं को आप अनुदान देते हैं तो क्या उनकी पहले आडिट रिपोर्ट की जांच कर लेते हैं या उसके मापदण्ड क्या हैं ? दूसरा, चित्तौड़गढ़ जिले में 5 संस्थाएं बताई हैं उसमें से 3 संस्थाओं को आपने अनुदान दिया है,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

क्या अन्य दो संस्थाओं ने आपसे अनुदान मांगा नहीं और मांगा तो आपने क्यों नहीं दिया? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अनुदान का जो मामला है। यह खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रामोद्योगों में ऋण व सहायता की राशि निर्धारित है। इन-इन इकाइयों को आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता और ऋण दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : आडिट का पूछ रहे हैं। आप आडिट करवाते हैं क्या?

श्री मोहन मेघवाल : इनकी बराबर आडिट होती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आडिट रिपोर्ट की जांच होने के बाद अनुदान देते हो या बगैर आडिट के?

श्री अध्यक्ष : आडिट होती है तो जांच भी होती है। दूसरा सवाल पूछिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक सवाल इन्होंने बताया कि पूंजी वृद्धि सहायता और पूंजीगत खाता। तो इनमें क्या अन्तर है? अलग-अलग तरह की सहायता इसमें देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्तर पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पूछने वाले को मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मुझे मालूम होता तो मैं पूछता ही क्यों?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री चम्पालाल बांठिया। (अनुपस्थित)।

(प्र. सं. 486 कृपया आगे देखें।)

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा एक स्थगित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका है क्या, कहां है? नहीं है। आपका तो आगे आयेगा। स्थगन तो उसी क्रम में लगा हुआ है, उसका क्रम बदला नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता। उसी क्रम में आयेगा। जो पहले जिस क्रम में था उसी क्रम में लगाया हुआ है। क्रम बदला नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा।

खातेदारी भूमि में खनन लीज की स्वीकृति

487. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खातेदारी की भूमि पर विभाग द्वारा लीज स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो किस-किस खनिज के लिये किन-किन जिलों में? बाकी जिलों के लिये क्या प्रावधान है?

(2) क्या सैन्डस्टोन के खनन हेतु भी खातेदारी भूमि पर लीज स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(3) क्या सैन्डस्टोन के खनन पट्टों/लीजों बाबत खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या बूंदी तथा भीलवाड़ा जिलों में खातेदारी की भूमि पर माइनिंग लीज स्वीकृत करने सम्बन्धी किसी तरह की पाबंदी लगी हुयी है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

(5) क्या सरकार उक्त दोनों जिलों में खातेदारी की भूमि पर सैन्डस्टोन की लीजें स्वीकृत की जाने में आ रही दिक्कतों का निराकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खनिज राज्य मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) जी हां। खातेदारी भूमि में वर्तमान में सैन्डस्टोन के मामले, जिसमें उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, को छोड़ कर नियमानुसार खनन पट्टे दिये जा सकते हैं।

(2) वर्तमान में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने से खनिज सैन्डस्टोन के खनन पट्टे पूरे प्राप्त में खातेदारी भूमि पर आवंटन नहीं किये जाते हैं।

(3) खातेदारी भूमि में नियमानुसार सेन्डस्टोन के खनन पट्टे/लीजें देने बाबत सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से वर्तमान में स्थगन आदेश है।

(4) प्रश्न के खण्ड-3 के उत्तर में अंकितानुसार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है।

(5) मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्षजी, क्या यह सही है कि आपके सम्बन्धित विभाग के माइनिंग इंजीनियर ने बूंदी जिले में और भीलवाड़ा जिले में माइनिंग फौरमैनों से और आपके सर्वेयर से मिलकर के खातेदारी की जमीनों को बिना खातेदारी की जमीन बताकर लीज दे रखी है ? क्या इस सम्बन्ध में आप जांच करायेंगे और जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : नम्बर एक ही। नम्बर दो बाद में।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.ई. बूंदी और एम.ई. बिजोलिया के लिए कहा कि खातेदारी को गैर खातेदारी की जमीन बताकर पट्टे दिये। ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं है। अगर माननीय सदस्य बता दें तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं ग्राम थड़ी और तराना, बूंदी जिले का स्पेसिफिक नाम बताता हूं। वहां बहुत कम लीजें हैं। मैं छोटा उदाहरण देता हूं। यदि वहां साबित हो जाये कि एस. सी. की जमीनों में जैसे प्रभुलाल गुर्जर को दी हुई है वह एस. सी. की जमीन है, बच्ची भाई को दी

(श्री रामनारायण वर्मा)

गयी है वह भी एस. सी. की जमीन है। ऐसी कितनी मार्निंग के लिए लीजें दे रखी हैं। क्या जांच कराकर ऐसे लोगों को दण्डित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जांच करा लेंगे। आपने नोट करा दिया। अब आप दूसरा सवाल पूछें।

श्री रामनारायण वर्मा : और इसके बारे में क्या मुझे भी सूचित करेंगे ? दूसरा मेरा यह निवेदन है कि क्या खातेदारी की जमीन इसलिए बतायी गयी है और उनमें जो लीजें दी गयी हैं उसके पीछे क्या यह कोई कारण है कि उसका डेड रेण्ट पांच गुना है। इसलिए वो खातेदारी की नहीं बतायी है।

श्री अध्यक्ष : वो समझे नहीं, आप फिर से पूछ लीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : डेड रेण्ट चूंकि पांच गुना देना पड़ता है खातेदारी की जमीन में पहले माइनिंग लीजें नहीं थी, जब भी दी। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आने के बाद भी दी और चूंकि स्थगन आदेश की आप बात कर रहे हैं। स्थगन आदेश में विभिन्न न्यायालयों में आपके विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने मिलकर न्यायालय में ढंग से पैरवी नहीं करने से आपके केसेज में इण्टरिम आदेश, फैसले की बात नहीं कर रहा हूं, इण्टरिम आर्डर्स लेकर एक-एक माइनिंग लीज पर काफी पैसे लेकर और इस तरह के स्थगन आदेश लेकर और विभाग के हितों के खिलाफ और देश की धरोहर है उसको इललीगल तरीके से माइनिंग करा रहे हैं और हैं तो ऐसे कितने केसेज हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गूर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह पूछा कि खातेदारी भूमि में पांच गुना डेड रेण्ट लेने का प्रावधान रखा है, ऐसा नहीं है। खातेदारी भूमि में सैण्ड स्टोन में जो पट्टे देने की नीति बनाई है उसमें चार गुना डेड रेण्ट का प्रावधान रखा था और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। आपने कहा कि उसमें पैरवी नहीं हो रही है और अवैध खनन के चलते विभाग के अधिकारी इसको सैटल नहीं होने दे रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से रिट हुई है इसमें पांच-पांच, दस-दस दिन की पेशी ली जा रही है, पैरवी-सुनवाई हो रही है, 10 दिन तक लगातार सुनवाई हुई, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि पर्यावरण पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में कमेटी गठित कर दी और उसको रिपोर्ट देने का आदेश दिया और रिपोर्ट आने के बाद उस पर निर्णय करेंगे। इसलिए बराबर केस को देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गूर्जर।

श्री फूलचन्द गूर्जर : मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ी लीजें हैं उसके अन्तर्गत जिन खातेदारों की जमीन आ रही है उसको

(श्री फूलचन्द गूर्जर)

मुक्त करने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या उनको खनन अधिकार दिया जा सकता है ?

श्री कालूलाल गूर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी बड़ी लीजेज हैं और किसी खातेदार की भूमि उसमें है तो इसमें नियम यह है कि खातेदार की सहमति से ही पट्टेदार काम करेगा और यदि किसी ने सहमति नही दी है तो लीज बड़ी है तो रिन्युवल के समय उसको हम छोटी करके उसको मुक्त कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सालिगराम····। (अनुपस्थित प्रश्न संख्या 488 कृपया आगे देखें)'

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर····(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीलाल ।

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

489. श्री लक्ष्मीलाल (गुलाबपुरा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायलयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध कब से लम्बित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभागीय जांच लम्बित होने के कारण ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति का मामला रुका हुआ है ? क्या ऐसे भी मामले हैं जिनके विरूद्ध जांच विचाराधीन होते हुए भी पदोन्नति हुई ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

विधि राज्य मंत्री (श्री शांतिलाल चपलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको स्थगित करने के लिए निवेदन किया था ।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां से सूचना नहीं आयी थी। स्थगित करता हूं। बाद में ले लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ····अनुपस्थित (प्रश्न संख्या 490, कृपया आगे देखें)

श्री शिवजीराम व श्री रामसिंह विश्नोई ।

अध्यापकों का पदस्थापन

491. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) व **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के कारण की जाती है वे नियुक्ति पा जाने के दो-तीन माह बाद ही ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में अथवा शहरी क्षेत्र के समीप पदस्थापन करा लेते हैं ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में ग्रामीण

(श्री रामसिंह विश्नोई)

क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की क्या नीति तय की है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सत्र समाप्त होने के समय अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है जबकि वर्ष भर विद्यार्थियों की पढ़ाई अध्यापकों की नियुक्ति के अभाव में नहीं होती ? यदि हां, तो सत्र प्रारम्भ होने के समय से ही अध्यापकों की नियुक्ति करने की क्या नीति तय की गयी है ?

(4) क्या सरकार उन्हीं अध्यापकों को पदोन्नति देने का मानस रखती है जिन्हें दस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापन का अनुभव हो तथा जिसमें से तीन वर्ष तक लगातार ग्रामीण क्षेत्र में रहना आवश्यक हो ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिकुमार औदिच्य) : (1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की सूचनानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की माध्यमिक/सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का सन् 1991 की उत्तीर्णता निम्नानुसार है—

शहरी क्षेत्र

कक्षा	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
सैकेण्डरी	1,12,379	68,714	54·03
हा.सैकेण्डरी	93,636	56,661	60·51

ग्रामीण क्षेत्र

कक्षा	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
सैकेण्डरी	1,29,168	60,038	46·47
हा.सैकेण्डरी	35,185	20,083	57·08

(2) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों के पद अधिकांशतः भरे हुए हैं।

(3) जी नहीं। शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही रिक्तियों के आधार पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।

(4) जी नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : डिस्टर्बेन्स बहुत होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया शांति से सुने।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का औचित्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है। सलेक्शन तो ग्रामीण क्षेत्र के नाम से होता है और पोस्टिंग आप शहरी क्षेत्र में या आसपास करते हैं और वह जगह ज्यों की त्यों खाली रहती है। शहरों में जहां 25–30 मास्टर लगे हुए हैं वहां ग्रामीण क्षेत्र में 2–3 अध्यापकों से स्कूल चल रहे हैं। एक जगह नहीं अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर 15–20 प्रतिशत स्कूलें हैं जिसमें यह व्यवस्था चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले जगह भरने के बाद ही पोस्टिंग करें, ऐसी नीति बनायी है क्या या जो अध्यापकों के प्रमोशन होते हैं उसमें लाजमी करें कि पांच-दस साल का ग्रामीण शिक्षा का अनुभव नहीं होगा तो उसको प्रमोशन नहीं देंगे। जब तक इस तरह की नीति कायम नहीं करेंगे, नियम या कायदा नहीं बनायेंगे तब तक अध्यापक गांवों में नहीं जायेंगे। 25–30 साल से यह काम चल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

रहा है। चाहे हमारी सरकार आयी, चाहे आपकी सरकारी आयी। इसमें रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। गांवों में आपको मालूम है। कोई नकल मारकर पास हो ग्या हो। उसका तो मैं कहता नहीं बाकी तिशत को शहर से कम है। आप सारा मामला देख लें। आप जवाब देने के लिए जवाब नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब की जरूरत नहीं, यह बात वह ध्यान में रखें।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप शिक्षा मंत्री होने के नाते भी आपका फर्ज है। आप अधिकारियों से मिलकर बात करें, कौन-कौन सी पंचायत समिति के अन्दर ऐसे स्कूल हैं। आप उन पदों को किस प्रकार भरेंगे और 20–25 साल से शहर के स्कूल में बैठा है, गांवों में जाता नहीं है तो ऐसी नीति बनायें कि 10 साल से ज्यादा शहर में है तो उसको लाजमी तौर पर गांव में रहना पड़ेगा तब ही उसको प्रमोशन देंगे। नहीं तो वह जायेगा नहीं। यही मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आप ध्यान दें। आपने कहा उसकी जांच करा लेंगे। अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

श्री रामसिंह विश्नोई : साहब इसका जवाब तो आने दें। आपको चिन्ता नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो आपने कहा है, उसी के हिसाब से सारी जांच कर लेंगे। आपके सजेशन मान लेंगे। आपके सजेशन ऐसे हैं जिसमें जवाब की गुंजाइश नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरा प्रश्न आपसे भी ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिए ही कह रहा हूं कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं, उसके ऊपर काम चाहिए। वह हो जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय कुछ कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो भावनायें व्यक्त की है उसका कोई विरोध नहीं हैं। व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है आपके सुझावानुसार हम भी विचार करेंगे और शीघ्र ही आप सुनेंगे कि इसमें कोई परमानेण्ट व्यवस्था हम ने कर दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां। इनका एक सवाल और आ जाय।

श्री अमीन खां : प्रश्न संख्या 492।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं एक बात और कह रहा हूं। और आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, फिर होगा। टाइम दो मिनिट का ही रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है। यहां शहर के अन्दर जो सुविधाएं दे रखी हैं। शहरों में हाउस रेण्ट अलाउन्स का है और 20 तरह की सुविधाएं दे रखी है। यह सब आप ग्रामीण क्षेत्रों में दे, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में कोई अट्रेक्शन पैदा नहीं करोगे, फैसेलिटी शहरों से ज्यादा नहीं देंगे और इस बाबत कोई नीति-नियम नहीं बनाओगे या प्रमोशन की नीति में बदलाव नहीं करोगे तब तक यह नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

बाड़मेर व जैसलमेर में पेयजल योजना

492. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बाड़मेर व जैसलमेर में क्षेत्रीय पेयजल योजनाएं काफी तादाद में असफल हो रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय जलयोजना गिराब खडीन के ग्राम सेतराई, गागरीया, खारीयाकलां, तामलीकलां में पानी नहीं जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले की गिराव खडीन विस्तार योजना के ग्राम सुजालकापार, खडीन, जाखड़ी का तला सवाड़ा, खारची मांगोली, लसूवा में पानी नहीं जाता है ?

(4) क्या साउथ गिराव सालारीया योजना के गांव सालारिया, सेरेकासली, हिण्डीआ, सेलाउ, गरठीआ, सूरानी, जालीला मेकरनवाला, नांगेकापार, सज्जन-का पार, मोहम्मद का पार, लधे का पार गांवों में पानी नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उण्डू कूम्पलिया योजना के ग्राम कसूरबला, हरचन्द कसूरबला चारणान, कसूरबला सरदारसिंह में एक साल से पानी बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) कानासर आरंग योजना बिल्कुल ठप्प क्यों पड़ी है ?

(7) क्या जैसलमेर जिले की योजना रामाकपूरीया भी एक साल से बन्द है ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) योजनाओं में जन-संख्या एवं पशु पेयजल मांग के अनुरूप स्थापित जल स्रोतों की उत्पादन क्षमता कम होने, विद्युत आपूर्ति अनियमित होने, लम्बी पाइप लाइनों के संधारण में कठिनाई होने तथा पम्प मशीनरी खराब होने इत्यादि कारणों से योजनाओं के अन्तिम छोर पर स्थित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध न होने अथवा कम मात्रा में पहुंचने की समस्या रहती है।

(2) ग्राम सेतराऊ में क्षेत्रीय योजना से सप्ताह में एक बार तथा स्थानीय कुएं से प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है। ग्राम गागरिया में सप्ताह में तीन बार तथा छारियाकला में सप्ताह में एक बार जल वितरण हो रहा है। ग्राम तामलियार में स्थानीय कुओं से प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है।

(3) ग्राम सुजावल का पार, सुवाड़ा व खारची में सप्ताह में तीन बार तथा ग्राम खडीन जाखडो का तला व लसूवा में स्थानीय खुले कुओं से प्रतिदिन जल वितरण किया जा रहा है। गांव मझोली में पानी नहीं पहुंच रहा है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(4) वर्तमान में ग्राम जालीला में सप्ताह में पांच दिन, ग्राम मोहम्मद का पार व लधे का पार में सप्ताह में चार दिन तथा ग्राम सुराली, साजन का पार एवं लगे का पार में सप्ताह में तीन दिन पेयजल वितरित हो रहा है। ग्राम मेकरनवाला, सेलाऊ एवं गरेडिया में सप्ताह में दो दिन; तथा ग्राम शेरे का तला का व हिण्डीया में सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम सालारिया में जलापूर्ति की जानी सम्भव नहीं हो रही है। उपरोक्त जलापूर्ति क्षेत्रीय योजना के स्रोत ग्राम खानियानी में स्थित 16 नलकूपों में से 8 असफल होने, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने तथा बार-बार पम्प मशीनरी खराब होने के कारण है।

(5) उल्लेखित तीन ग्रामों में तीन दिन में एक बार जलापूर्ति की जा रही है।

(6) संदर्भित योजना से लम्बी अवधि तक पेयजल उपलब्ध न होने के कारण हैंण्डपम्प व सौर ऊर्जा चलित पम्प लगाये जाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है।

(7) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रामा-सितोलाई से लाभान्वित ग्रामों को लगभग नियमित जलापूर्ति हो रही है।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में जो मंत्रीजी ने उत्तर दिया है यह बिल्कुल असत्य है। अब सत्य कौन बोलता है और असत्य कौन बोलता है इसके लिए मंत्री जी जो शर्त रखें मैं मानने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आप गहराई से देखें सारी पाइप लाइनों का खराबी होना, पम्प सैट खराब होना, गांव दूर स्थित होना और समय पर सम्भाल न होना, इस उत्तर से यह साबित होता है कि यह खुद मानते हैं कि गांव में पानी नहीं जा रहा है। ग्राम सेतराऊ में कतई पानी नहीं जाता है, आपका विभाग जवाब गलत देता है। नं. (3) ग्राम सुजावल का पार में आज तक पानी एक दिन भी नहीं गया है, मंत्री महोदय, अगर सच्चाई का पता आप लगा दो तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा और अगर आपके विभाग ने असत्य जवाब दिया है तो आप क्या करना चाहते हैं?

नं. (4) में जालीला ग्राम में हफ्ते में एक दिन भी पानी नहीं जाता है। मोहम्मद का पार, सज्जन का पार, लधे का पार, मेकरनवाला और नांगे के पार में 6 महीने में एक बार भी पानी नहीं गया है।

नं. (5) में आपने कहा है कि हफ्ते में तीन दिन पानी जाता है, हफ्ते में एक दिन भी नहीं जाता है।

मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मुझे लिखित जवाब मिला है और उसमें माना है कि इन गांवों में पानी नहीं जाता है और आज हफ्ते में एक दिन और तीन दिन बता रहे हैं। इसी प्रकार कानासर योजना सन् 77 की बनी हुई है। सन् 77 से आज दिन तक उस हौजी में पानी एक बूंद भी नहीं गया है और एक रसूड़िया गांव उसके पास जहां हैण्ड पम्प लगाया वह भी खराब है और विभाग बिल्कुल गलत जवाब देता है। इसी प्रकार जैसलमेर जिले के खण्ड (7) में रामासितोलाई योजना

(श्री अमीन खां)

में लामान्वित ग्रामों में नियमित रूप से पानी जा रहा है यह जवाब भी बिल्कुल गलत है इसमें पानी नहीं जा रहा है। आपके असिस्टेंट इंजीनियर का राजस्थान पत्रिका में स्टेटमेंट आया है उसने खुद ने माना है कि नटबोल्ट तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, पाइप नहीं है और रिपेयर का कोई सामान हमारे पास नहीं है, पानी गांव में नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 108 गांवों में इनकी रेगिस्तानी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। माननीय मंत्रीजी के जवाब से हमें सन्तोष नहीं है और आप बिल्कुल असत्य जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे सूचना मिली है वह मैंने आपके सामने निवेदन किया है। आपका यह मानना है कि विभाग ने सूचना ठीक नहीं दी है, असत्य दी है। आज ही आपसे बैठकर चर्चा करता हूं, मेरे अधिकारी भी आये हुए हैं अगर यह सूचना गलत आई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी और इन व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा। पहले व्यवस्था सुन लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जिला बाड़मेर की परियोजनाओं में पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक

486. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समस्त बाड़मेर जिले में चल रही परियोजनाओं में सभी कनिष्ठ लिपिक दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं और इनकी फरवरी, 1991 से वेतन श्रृंखला दी जा रही है लेकिन अन्य सुविधायें (जैसे मकान किराया, बोनस आदि) नहीं दिये जा रहे? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार परियोजना में ~~कार्यरत दैनिक वेतन पर कार्यरत सभी कर्म-~~चारी (जैसे कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक, च. श्रे. कर्म. रात्रि चौकीदार आदि) को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) परियोजनाओं में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं और उन्हें पूर्ण सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार समस्त दैनिक वेतन के कर्मचारियों को लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कुल कार्यरत 15 कनिष्ठ लिपिकों में से 1 कनिष्ठ लिपिक

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित है। शेष 14 दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। दैनिक वेतन पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13-2-91 के अनुसार कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम प्रतिमाह रुपये 950/– एवं उस पर नियमानुसार मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार ही इन्हें अन्य सुविधाएं जैसे मकान किराया, बोनस आदि का भुगतान देय नहीं है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमों में स्थाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) परियोजनाओं में दैनिक वेतन पर निम्नानुसार कर्मचारी कार्यरत हैं :—

क्र. सं.	नाम पद	कार्यरत की संख्या	वि. वि.
1.	कनिष्ठ लिपिक	51	(कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13-2-91 के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।)
2.	वाहन चालक	20	
3.	च. श्रे. कर्मचारी	31	
4.	चौकीदार	131	

राज्य सरकार द्वारा वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार आदि दैनिक वेतन कर्मचारियों को लाभ देने के कोई आदेश नहीं हैं।

पंचायती संस्थाओं में नियुक्त प्रशासक

488. श्री सालिगराम (बयाना) व **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या ग्रामीण विकास एव पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर रखें हैं ?

(2) यदि हां, तो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई पंचायती संस्थाओं को भंग करने व नियमानुसार उनके चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन कराया जाकर ही चुनाव करायें जायें। अतः पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्ण होने पर इन संस्थाओं के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जाने के बारे में उचित निर्णय लिया जायेगा।

जयपुर में पंजीकृत क्लब

490. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में कितने क्लब पंजीकृत हैं ?

(2) क्या इन क्लबों में ताश का जुआ व अन्य खेल खेलने की अनुमति नियमों के तहत दी गई है ? इन क्लबों की

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

नियमावली व संविधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन क्लबों का कब-कब आकस्मिक निरीक्षण सरकार द्वारा गत एक वर्ष में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन क्लबों में कोई अनैतिक कार्य न हो इसके लिए निगरानी की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 5 क्लब ही पंजीकृत हैं।

(2) इन क्लबों में इनकी नियमावली/संविधान के अनुसार जुआ एवं अन्य खेल जो कानून के अन्तर्गत वर्जित हैं, खेलने की अनुमति नहीं है। नियमावली/संविधान की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) सभी क्लबों का संबंधित सर्किल आफिसर और प्रभारी थानाधिकारियों द्वारा गश्त के दौरान आकस्मिक निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। ऐसी चैकिंग का एवं निरीक्षण का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता।

(4) सभी क्यों क्लबो को गश्त के दौरान चैकिंग किया जाता है एवं समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण निरीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा बराबर किया जाता है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका सोजत का बजट

704. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका सोजत का वार्षिक बजट कितना है ? जनवरी, 1991 से आज तक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नगरपालिका को कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कब-कब आवंटित की की गई ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवंटित राशि में से नगरपालिका सोजत ने किन-किन योजनाओं के तहत कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य करवाये ? कितने कार्य अपूर्ण है ? कार्यवाही सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका द्वारा जनवरी, 1991 से आज तक शहर में सड़क, नाली व रोडलाइट पर कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सोजत का वार्षिक बजट वर्ष 1991-92 का 54,76,000/- रु. स्वीकृत है। जनवरी, 1991 से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 11,12,213/- राशि आवंटित की गई सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आवंटित राशि में नगरपालिका द्वारा जिन योजनाओं पर राशि व्यय की गई एवं जो-जो कार्य करवाये गये हैं वह

(स्वायत्त शासन मंत्री)

भी प्रश्न के भाग एक में प्रस्तुत विवरण में दर्ज कर दिया गया है।

(3) नगरपालिका द्वारा रोड, नाली पर किये गये व्यय राशि का विवरण प्रश्न संख्या एक के साथ प्रस्तुत विवरण में अंकित है। रोड़ लाईट पर कुल व्यय 3,42,365,58 पैसे व्यय किये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

इन्दिरा नगर कालोनी (झुंझुनूं) में भू-खण्डों की नीलामी

705. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या झुंझुनूं नगरपालिका द्वारा इन्दिरा नगर कालोनी में वर्ष 1991-92 में भू-खण्डों की नीलामी की गई हैं? यदि हां, तो कब-कब और किन-किन भू-खण्डों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय कालोनी के भू-खण्ड संख्या जी-10 की नीलामी कब की गई तथा कितनी राशि में किसके नाम बोली छूटी? बोलीदाताओं के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन्दिरा नगर कालोनी के भू-खण्ड जो विगत वर्षों में नीलामी में छूटे थे के क्षेत्रफल व सीमाओं में परिवर्तन किया गया हैं? यदि हां, तो क्यों तथा प्लाट सं. डी-13 व डी-के क्षेत्र परिवर्तन का निर्णय किस कारण लिया गया?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 12-2-1992 से 13-2-1992 तक कुल दस भूखण्डों की नीलामी की गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भूखण्ड सं. 10 की नीलामी दिनांक 11-5-77 को रुपये 365/ में श्री इकबाल हुस्सेन पुत्र सुलेमान के नाम रही। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, क्योंकि उक्त भूखण्डों पास के अतिरिक्त भूमि थी। प्लाट नं. डी-14 व डी-13 के क्षेत्र परिवर्तन का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका सेवा अधिकारियों की वेतन शृंखलाओं में विसंगतियां

706. श्री हरिश चन्द्र (नांवा) : क्या क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार नगर पालिका सेवा के अधिकारियों को नगरपालिका अधीनस्थ सेवा से न्यूनतम वेतन शृंखलाएं देकर एवं अधीनस्थ सेवा के कर्मियों की वेतन शृंखलाएं बार-बार बढ़ा कर अधिकारियों क वेतन शृंखलाओं में विसंगतियों पैदा कर रही हैं?

(श्री हरिशचन्द्र)

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में नगरपालिका सेवा के अधिकारियों के वेतनमान राज्य सेवा के जिन अधिकारियों समकक्ष थे अब राज्य सेवा के अधिकारियों से न्यून रह गये हैं ?

(3) क्या यह विसंगतियां केवल इस कारण से होती हैं कि नगरपालिका अधिकारियों को राज्य सेवा के किन अधिकारियों के समकक्ष माना जावे, सरकार ने घोषित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार अब इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ।

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका / परिषदों में कार्यरत राजस्व अधिकारी (द्वितीय) की वेतन श्रृंखला पूर्व में राज्य सरकार के तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समकक्ष थी ? यदि हां तो वर्तमान में राजस्व अधिकारी को इनसे न्यून वेतनमान देने का क्या कारण है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1960 से उक्त अधिकारियों के वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण-सदन-मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि राजस्व अधिकारी (द्वितीय) व अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) की वेतन श्रृंखलाएं समान हैं । यदि हां, तो फिर सरकार की नीति राजस्व अधिकारी को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिकाओं में अधिशाषी अधिकारी लगाने की क्यों है ? क्या राज्य सरकार उक्त नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर पालिका सेवा के कुछ अधिकारियों एवं नगरपालिका अधिनस्थ सेवा के कुछ कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला में विसंगतियां है ।

(2) यह सही है कि नगरपालिका सेवा के अधिकारियों एवं राज्य सेवा के अधिकारियों के कुछ वेतनमान जो पूर्व में बराबर थे, उनमें समय-समय पर अन्तर होकर कम हो गये है ।

(3) नगरपालिका अधिकारियों को राज्य सेवा के समकक्ष नहीं माना गया है । दोनों सेवाएं पृथक-पृथक है । यह विषय विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं । वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(5) जी हां । राजस्व अधिकारी द्वितीय को अधिशाषी अधिकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद के विरुद्ध प्रशासनिक कारण से लगाया जाता है । यह स्थायी अथवा नीतिगत व्यवस्था नहीं है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिका परिषदों अधिशाषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच

707. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में नगरपालिका/परिषदों में कार्यरत अधिशाषी अधिकारी एवं आयुक्तों में से किन-किन अधिकारियों के

(श्री जीतमल जैन)

विरुद्ध जांच किस तिथि से एवं किन कारणों से लम्बित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन जांचों का निस्तारण किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान की नगरपालिका/परिषदों में कार्यरत अधिशासी अधिकारियों एवं आयुक्तों के विरुद्ध जांच मय तिथि, कारण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र निस्तारण किया जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका सिवाना एवं समदड़ी के सरप्लस कर्मी

708. **श्री हुकमाराम मेघवाल** (सांगरिया) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भंग नगरपालिका सिवाना एवं समदड़ी के सरप्लस सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी गई है ? यदि हां तो कहां-कहां ? नहीं तो क्यों ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों का 9 माह से वेतन बकाया था तथा इनको सरप्लस कर दिये जाने के उपरान्त भी बकाया वेतन नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो कब तक बकाया वेतन दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की है ? यदि हां, तो किस-किस ने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भंग नगरपालिका सिवाना एवं समदडी के सरप्लस सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दे दी गई है। नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बकाया वेतन भुगतान शीघ्र किये जाने की कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नगरपालिका भीनमाल की दुकान का ट्रान्सफर सम्बन्धी प्रकरण

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने यह स्वीकार किया था कि गुलाब चन्द पुत्र श्री केसरामल अग्रवाल ने भीनमाल नगरपालिका रिकार्ड में चार दुकानें बना कर विमला देवी नाम तथा दो दुकानें भंवरलाल के नाम ट्रान्सफर करवाई ?

(श्री अब्दुल हादी)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा में प्रश्न संख्या 3/स्वा./अता. के द्वारा स्वीकार किया था कि उक्त ट्रान्सफर की जांच करवायी जायेगी ? क्या जांच हो चुकी ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या 16-7-1991 को उप निदेशक, स्थानीय निकाय, जोधपुर ने जो जांच रिपोर्ट पेश की उसमें यह कहा है कि भीनमाल नगरपालिका रिकार्ड में उक्त सम्पत्ति गुलाब चन्द ने अपने पुत्र व पत्नी के नाम करवाई ? परन्तु रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(4) क्या उक्त ट्रांसफर नियम विरुद्ध हुआ है ? इसमें किस अधिकारी की गलती है ? क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच की गई ? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त नियम विरुद्ध कार्यवाही के लिए कोई मामला बनता है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुलाबचन्द के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और उक्त ट्रान्सफर को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । प्रारम्भिक जांच हो चुकी है । प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां प्रारम्भिक जांच से श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर अधिशाषी अधिकारी, भीनमाल की प्रथम दृष्टया तौर पर गलती पाई गई है । प्रारम्भिक जांच की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(5) मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश होने के कारण इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

नगरपालिका मण्डल बगरू में सफाई कर्मचारियों के पद

710. श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका मण्डल बगरू, जिला जयपुर में कितने पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सफाई कर्मचारियों के पद पर हरिजन जाति के व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो कब-कब तथा किस-किस व्यक्ति को ? नाम, पिता का नाम तथा जाति सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त नियुक्तियों में हरिजन जाति के व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जाकर अन्य जाति के व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है ? यदि हां तो किस- व्यक्ति को ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

38

(श्री मदनलाल सैनी)

उत्तर

(1) नगरपालिका बगरू में कुल 15 पद सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। 14 हरिजन जाति तथा एक रैंगर जाति के व्यक्ति को जो दैनिक वेतन पर कार्यरत थे, को समायोजित किया गया है। नाम व पिता/पति के नाम व जाति सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्रीमती प्रभातीदेवी रैंगर पत्नी स्वर्गीय श्री रामचन्द्र रैंगर को नियुक्ति दी गई है। जो वर्ष 1983 से दैनिक वेतन पर सफाई कर्मचारी थी, इसलिये समायोजन किया गया। ऐसी स्थिति में किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्माण सम्बन्धी गड़बड़ियां

711. **श्री ईश्वर लाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माह सितम्बर, 1991 में जयपुर विकास प्राधिकरण के सहायक लेखाधिकारी ने गत दो वर्षों में निर्माण कार्यों सबंधी गड़बड़ियों, अनियमितताओं एवं घोटालों की विभिन्न पत्रावलियों पर उनके द्वारा दी गयी टिप्पणियों की जानकारी आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को दी थी ?

(2) यदि हां, तो उस पर की गयी जांच के परिणाम एवं आक्षेप यदि सही थे, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विपरीत की गयी कार्यवाही से एवं प्रत्येक आक्षेप पर प्राधिकरण द्वारा दी गयी टिप्पणी से भी अवगत करावें ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सहायक लेखाधिकारी द्वारा घोटालों को उजागर करने के फलस्वरूप, उन्हें प्राधिकरण से निकाला गया, जबकि उत्तरदायी अधिकारियों का अन्य स्थान पर स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी कई महीनों तक उन्हें प्राधिकरण में रखने का प्रयास किया गया ?

(4) क्या सरकार अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्थानीय निधी अंकेक्षण विभाग द्वारा स्पेशल ओडिट पार्टी गठित कर ओडिट करवाई जा चुकी है। आडिट द्वारा रिर्पोर्ट दिया जाना अपेक्षित है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी नहीं।

(4) अंकेक्षण रिपोर्ट आने आने पर ही कोई कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित चित्रकूट योजना

712. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मदनलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित चित्रकूट योजना पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है ? यदि हां तो इसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी निकाले जाने की कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी ? क्या उक्त लाटरी समय पर नहीं निकाली गई ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण रहे ?

(3) भविष्य में उक्त लाटरी कब तक निकाले जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी, हाँ जिन न्यायालयों में मामले विवादित हैं उनमें तत्परता से पैरवी की जा रही हैं ।

(2) पूर्व में कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी । अब 16 अप्रेल, 1992 लाटरी निकालने की तिथि निश्चित कर दी गई है ।

(3) सूचना प्रत्युत्तर के बिन्दु 2 में अंकित है ।

सूरसागर तालाब (बीकानेर) की गन्दगी से उत्पन्न स्थिति

713. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर में पर्यटन के महत्व के जूनागढ़ किले के ठीक सामने शहरी आबादी के बीच में सूरसागर तालाब की गन्दगी के कारण वहां के आस-पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पर रहा है ?

(2) क्या इससे पर्यटकों खास कर विदेशी पर्यटकों के मन में भारत की छवि धूमिल होती है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूर सागर के आगे स्केप चैनल की सफाई का कार्य मशीन द्वारा द्रुत गति से कराया जा रहा है एवं सफाई कार्य रात-दिन हो रहा है इसलिये वर्तमान में गंदगी के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पडने जैसी बात नहीं है ।

(2) सफाई कार्य लगातार रात-दिन द्रुतगति से होता रहा है । ऐसी स्थिति में पर्यटकों के मन में भारत की छवि धूमिल होना भी सही नहीं है । सूरसागर की सफाई का कार्य जारी है भविष्य में गंदा पानी यहां न आवे इससे लिये जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा योजना बनाई जा रही है ।

मानसरोवर, जयपुर की सामान्य पंजीकरण योजना में पंजीकृत आवेदक

714. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामनारायण वर्मा)

(1) वर्ष 1979 में मानसरोवर योजना, जयपुर में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत जी-1/ किराया क्रय पद्धति/मध्यम आय वर्ग "अ" में जिन आवेदकों को अभी तक आवास आवंटित नहीं किये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आय वर्ग में वरीयता क्रम संख्या 2612 से 2617 तक के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उनके साथ संलग्न प्रपत्रों यथा चालान की प्रति उनके द्वारा आय वर्गों में किये गये परिवर्तन सम्बन्धी प्रपत्रों व जमा करायी गई राशियों के चालानों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1979 में मानसरोवर योजना, जयपुर में सामान्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत जी-/1 किराया क्रय पद्धति-मध्यम आय वर्ग "अ" में जिन आवेदकों को अभी तक आवास आवंटित नहीं किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) उक्त आय वर्ग में वरीयत क्रम संख्या 2613 द्वारा अपना पंजीकरण पारिजात योजना में स्थानान्तरित करवाया जा चुका है। शेष वरीयता क्रम संख्या 2612, 2614 से 2617 के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उनके साथ संलग्न प्रपत्रों यथा चालान की प्रति उनके द्वारा आय वर्ग में किये गये परिवर्तन संबंधी प्रपत्रों व जमा करायी गयी राशियों के चालानों की प्रतियां परिशिष्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सूरजपोल अनाज मण्डी, जयपुर के दक्षिण भाग की सफाई व्यवस्था

715. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सूरजपोल अनाज मण्डी के दक्षिण भाग में नगर-परिषद् जयपुर द्वारा पिछले वर्ष सफाई की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि दिल्ली बाई-पास के नीचे बना नाला जो सूरजपोल दरवाजे से उसमें जाता है उसमें गन्दगी भरी है तथा नगर परिषद् को सूचित करने पर भी अब तक नाले की सफाई की गई है।

(3) क्या यह सही है कि प्रशासन को ध्यान दिलाने पर ही इस नाले की सफाई सफाई व्यवस्था हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार अब उक्त पक्की आवासीय कालोनी में नियमित कर्मचारी नियुक्त करने एवं नियमित कचरा उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री कालीचरण सराफ)

(5) क्या इस वर्ष की सफाई बरसात से पहले हो जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित बड़े नालों की वर्ष में एक बार वर्षा से पूर्व सफाई कराई जा चुकी है ।

(2) यह नाला बरसात के समय नेशनल हाइवे के पानी के निकास के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है तथा यह नाला बरसाती है तथा रोड के पानी के निकास के लिये हैं पिछले वर्ष इस नाले की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सफाई की गई थी इस वर्ष बरसात से पूर्व सफाई कराई जायेगी ।

(3) बरसाती नालों की जयपुर में प्रति दिन सफाई नहीं की जाती है वर्ष में एक बार सफाई की जाती है या नाले के ब्लाक हो जाने पर समय-समय पर गेंग भेजकर नाले को साफ किया जाता है ।

(4) इस क्षेत्र में नगर परिषद् द्वारा नियमित कर्मचारी नहीं लगा रखा है । सप्ताह में एक बार गेंग भेजकर सफाई कराई जाती है तथा कचरा उठाया जाता है यह क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के पास है तथा नियमित रूप से विकसित नहीं है वहां फिलहाल गेंग भेजकर सफाई कराई जाती है ।

(5) जी हां ।

आसीन्द क्षेत्र के हैण्ड पम्प्स

716. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कुल कितने हैण्ड पम्प लगवाये गये ? उनमें से कितने हैण्डपम्प्स चालू हैं ?

(2) मेजर खराबी के कारण, किस-किस गांव में हैण्डपम्प्स खराब पड़े हैं ? खराबी का उल्लेख करते हुये सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार खराबी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(4) इस क्षेत्र के फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? पानी के अभाव वाले आसीन्द क्षेत्र के गांवों में इस वर्ष कितने हैण्डपम्प्स नये लगवाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में कुल स्थापित 895 हैण्डम्पों में से 801 हैण्डपम्प कार्यरत हैं ।

(2) बड़ी खराबी वाले 81 हैण्पम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट 'क'' पर संलग्न है ।

(3) वर्तमान में प्रगतिरत अठ्ठारवें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान जो 31 मार्च

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तक चलेगा, में सभी मरम्मत योग्य हैण्ड-पम्पों को चालू करना लक्षित है।

(4) क्षेत्र में फ्लोराइड से प्रभावित 72 गांवों में से 8 ग्रामों को वैकल्पिक पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष 64 ग्रामों हेतु विस्तृत योजना बनाना प्रस्तावित हैं। आसीन्द क्षेत्र में इस वर्ष 20 हैण्डपम्प लगाये जाने लक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

जन स्वास्थ्य विभाग खण्ड डीग में वर्क चार्ज पर नियुक्त कर्मचारी

717. अरुण सिंह (डीग) एवं
श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) डीग खण्ड में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 31 जनवरी, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में कितने लोगों को वर्क चार्ज पर नियुक्ति किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डीग खण्ड के जिले से बाहर के लोगों को भी नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) डीग खण्ड में सन्दर्भित अवधि में निम्नलिखित 5 व्यक्तियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया :—

क.सं	नाम	पिता का नाम
1.	श्री प्रेम नारायण	श्री भजनलाल
2.	श्री मांगेलाल	श्री कल्याण सहाय
3.	बृज मेहन	श्री बालगोविन्द
4.	भजन लाल	श्री मोहर सिंह
5.	श्री मुकेश	श्री धर्मपाल

(2) उपरोक्त में से जिले से बाहर के 2 व्यक्तियों को लगाया गया है।

अजमेर शहर की जल वितरण व्यवस्था में सुधार

718. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निश्चित मानदण्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिये? वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर में प्रति व्यक्ति कितने गैलन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है?

(2) क्या सरकार अजमेर शहर की जल वितरण योजना में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, एवं उसमें कितनी राशि व्यय करने का विचार रखती है? इसमें क्या-क्या कार्य कराने की योजना है?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर शहर में बहुत ज्यादा संख्या में बस्तियों व कालोनियों में पेयजल हेतु नल योजना नहीं है? उन बस्तियों के नाम सदन की मेज

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

पर रखें तथा क्या भविष्य में राज्य सरकार इन कालोनियों में नल योजना से पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अजमेर शहर की जल वितरण योजना में सुधार हेतु 400.20 लाख रुपये की राशि के एक पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य धन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृति के अनुसार 21.83 किलोमीटर लम्बी मुख्य लाइनें, भूतल स्वच्छ जलाशय एवं चार उच्च जलाशय तथा पम्प मशीनरी इत्यादि कार्य करायें जाने प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां। नगर की 82 बस्तियों में, जो नगर सुधार न्यास व नगर परिषद् के अधीन हैं, नल योजना नहीं है। वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। अधिकृत कालोनियों में आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर नल योजनाएं क्रियान्वित करना सम्भव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

सुजानगढ़ (चूरू) की जल प्रदाय व्यवस्था

719. श्री भंवरलाल शर्मा (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुराने समय में बनी जल प्रदाय योजनाएं जो 40 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी प्रदाय करने के लिये बनाई गयी थीं, को पुनः पुनर्गठित कर 70 लीटर के हिसाब से करने के आदेश काफी वर्षों से दिये जा चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सब डिवीजन सुजानगढ़ (चूरू) की समस्त योजनाएं जो बहुत पुरानी हैं तथा अस्त-व्यस्त चल रही हैं फिर भी 40 लीटर से 70 लीटर में पुनर्गठित नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसी योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सब डिवीजन सुजानगढ़ की समस्त पुरानी योजनाओं को 40 लीटर से 70 लीटर में पुनर्गठित करने की योजना कब तक बना दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। योजनाएं बनाई जा रही हैं। वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) परिशिष्ट 'क' में दी गई सूची में से तीन योजनाएं बनाई जानी शेष हैं, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में बनाया जाना लक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

सोजत (पाली) में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत अस्थायी कर्मचारी

720 श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सोजत, खण्ड में कितने अस्थाई कर्मचारी, कब-कब से, कहां-कहां पर कार्यरत है ? सूची कर्मचारियों के नाम, दिनांक सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियां विभाग द्वारा कब-कब की गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित खण्ड में कार्यरत 259 अस्थाई कर्मचारियों का वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या 4 व 6 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पश्चिमी राजस्थान के पशुओं के लिए पेयजल योजना

721. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा पशु हैं वहां पर विशेष जल योजनाएं बनाने के लिए विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ?

उत्तर

अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्र में भू-जल समुचित मात्रा में तथा वांछित गुणवत्ता का उपलब्ध न होने के कारण, दीर्घकालीन उपायों की दृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर स्रोत से योजनाएं बनाई जानी लक्षित हैं। परन्तु इनके क्रियान्वयन हेतु अधिक समय एवं बड़ी राशि की आवश्यकता है। इनमें से कुछ योजनाएं बनाई जा कर आवश्यक धन प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम बलवन (बून्दी) की पेयजल समस्या

722. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के बलवन ग्राम में पेयजल की भारी समस्या रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां पर हैण्ड पम्प एण्ड टैंक योजना लागू किये जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बलवन में हैण्ड पम्प एण्ड टैंक योजना लागू करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम में 6 हैण्ड पम्प लगे हुए है, जिनमें 4 कार्यरत हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) फिलहाल इस ग्राम में पम्प एण्ड टैंक योजना प्रस्तावित नहीं है ।

पेयजल (मनुष्य एवं पशुधन) हेतु सर्वेक्षण सम्बन्धी निर्देश

723. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने राजस्थान में मनुष्यों एवं पशुधन के लिए पेयजल के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो निर्देशों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान सरकार ने इन निर्देशों की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा इन निर्देशों की पालना में सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । अभी तक किये गये सर्वेक्षण का आंकलन किया जा रहा है ।

(प्रति पुस्तक के रूप में होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 724

(स्थगित)

रेवदर में हैण्डपम्प्स की मरम्मत व्यवस्था

725. **श्री टीकमचन्द कांत** (रेवदर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 60% से 70% तक हैण्ड पम्प्स खराब पड़े हैं ? उक्त स्थिति में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे तो हैण्ड पम्प्स की मरम्मत का उत्तरदायित्व किस पर है ?

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प्स को ठीक करने का कार्य न तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है और न ही यह उत्तरदायित्व पंचायत समिति निर्वहन कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रगतिरत अठारहवें हैण्ड पम्पों की संख्या का आंकलन किया जा रहा है । अधिकांश जिलों में हैण्डपम्पों का संधारण पंचायतों के अधीन है, परन्तु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा भी समय-समय पर मरम्मत अभियान चलाये जाकर खराब हैण्ड पम्पों को ठीक किये जाने की व्यवस्था की जाती है ।

(2) सन्दर्भित क्षेत्र में वर्तमान में 18 वां हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत 7 मार्च तक 126 हैण्ड-पम्प ठीक किये जा चुके है एवं मरम्मत योग्य शेष सभी हैण्डपम्पों को ठीक किया जा रहा है ।

ब्यावर के ग्रामों की पेयजल समस्या

726. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालय कोटड़ा राजियावास, बराखन, बड़ाखेड़ा, तारागढ़, सूरजपुरा, लोटियाना की ग्राम पंचायतों की आबादी 4-5 हजार के लगभग है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाएं अब तक लागू क्यों नहीं की गयीं ? क्या आगामी बजट वर्ष में इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अजमेर जिले के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उक्त ग्रामों में पेयजल की कोई योजना बनाकर राज्य अथवा भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कब ? उन प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्रामों की 1981 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) ग्राम राजियावास में पम्प व टैंक योजना तथा ग्राम बराखन में परम्परागत स्रोत योजना संधारण में है। शेष ग्राम हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभान्वित है। सामान्यतः निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भू-जल उपलब्ध होने पर कम जनसंख्या वाले ग्रामों को हैण्डपम्प योजनाओं से ही लाभान्वित किया जाता है।

(3) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर द्वारा एक बड़ी योजना का प्रारूप 24-2-92 को बनाकर भेजा गया है जिसमें तारागढ़, सूरजपुरा, राजियावास, लोटियाना व कोटड़ा ग्राम सम्मिलित है। प्रस्ताव अभी तक प्रारम्भिक स्थिति में है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

बीकानेर स्थित सूरसागर की समस्या

727 श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरसागर बीकानेर की समस्या का समस्या का समाधान करने के लिए विभाग ने गत दो वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या सूरसागर समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सूरसागर की समस्या को समाप्त करने के लिए अब तक जिन समितियों का गठन किया गया, उन समितियों के प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सूरसागर की समस्या का समाधान उक्त समितियों की सिफारिशों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आधार पर किया जा रहा है अथवा राज्य सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक बिना विशेषज्ञों की राय के अल्पकालिक योजना क्रियान्वित कर रही है ?

(4) इस समस्या के समाधान के लिए कितनी राशि किस-किस विभाग द्वारा व्यय की जायेगी और इस समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में स्थित सूरसागर की समस्या का समाधान करने हेतु गठित एक समिति द्वारा वर्ष 1990 के मूल्यों पर आधारित 11.366 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि का एक दीर्घकालीन प्रस्ताव क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया था। इससे सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'क" पर संलग्न है। इसके क्रियान्वयन की दिशा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बाईपास चैनल बनाने हेतु 34 लाख रुपये के अनुमान की स्वीकृति दी जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) वर्ष 1983 व 1987 में गठित दो समितियों के प्रतिवेदन क्रमशः परिशिष्ट "ख" तथा "क" पर संलग्न है।

(3) समाधान 1987 में गठित समिति द्वारा अनुशंसित रिपोर्ट के आधार पर ही प्रस्तावित है। व्यय में कमी किये जाने की दृष्टि से प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन किया गया है।

(4) वांछित विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। कार्य धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र रेवदर (सिरोही) की पेयजल योजनाएं

728. श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र के लिए पेयजल की कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं और वे किस स्थिति में हैं ? सिरोही प्रस्तावित पेयजल योजना का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निम्बज, केसुआ मटाणा आदि पेयजल योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन का कार्य हो रहा है वह कार्य किस स्तर पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) सिरोही जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये पेयजल योजनाओं हेतु कितना बजट पिछले दो वर्षों में आवंटित था और उसमें से इस वर्ग की बस्तियों में कितना खर्च हुआ एवं कितनी बस्तियां लाभान्वित हुयीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में सन्दर्भित क्षेत्र की कोई योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सिरोही शहर की पुनर्गठन योजना का प्रस्तावित अनुमान परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) सन्दर्भित 3 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है । तकनीकी स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ।

(3) संदर्भित जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु पेयजल योजनाओं पर 1990-91 में 4.00 लाख रुपये का आवंटन कर पूर्ण राशि व्यय की गई । 1991–92 में 2.00 लाख रुपये के आवंटन के विरुद्ध 1.05 लाख रुपये की राशि व्यय की जाकर 8 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है । सूची प्रपत्र "ख" संलग्न है ।

(विवरण एवं सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें ।)

बीसलपुर योजना से ब्यावर (अजमेर) को पेयजल की आपूर्ति

729. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर योजना से ब्यावर शहर को कितना पानी दिया जाना निर्धारित किया गया है तथा उसमें से श्री सीमेन्ट ब्यावर व अन्य औद्योगिक इकाइयों को कितना-कितना पानी दिया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बीसलपुर बांध के पानी बाबत किसी औद्योगिक इकाई द्वारा या विभाग की ओर से न्यायालय में कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा किस आधार पर एवं किस न्यायालय में ?

उत्तर

(1) बीसलपुर योजना के प्रथम चरण में ब्यावर शहर को 160 लाख लीटर पानी प्रतिदिन दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें बड़ी व मुख्य औद्योगिक इकाइयों के लिये 25 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रावधान सम्मिलित है । इस योजना से ब्यावर को अभी पेयजल प्राप्त होना आरम्भ नहीं हुआ है ।

(3) जी हां । मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, ब्यावर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार से 5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु याचिका प्रस्तुत की गई थी ।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के हैण्ड हम्पस्

730. श्री प्रभूलाल मीणा (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने हैण्ड पम्प्स लगा दिये गये हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प्स पानी दे रहे हैं तथा कितने सूखे व खराब पड़े हुए हैं ?

(श्री प्रभूलाल मीणा)

(3) क्या सरकार सूखे व खराब हैण्ड-पम्प्स की जगह दूसरे हैण्ड पम्प्स लगाने या अन्य कोई योजना से पानी उपलब्ध कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में अब तक स्थापित 724 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनकी सूची "क" पर संलग्न है ।

(2) उपरक्त संख्या में से 527 हैण्ड-पम्प कार्यरत, 120 परित्यक्त तथा 77 सूखे हैं ।

(3) नये हैण्ड पम्प लगाना अथवा वैकल्पिक योजनाएं धन उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जा सकेंगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम आभानेरी की नल योजना

731. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अपना काम अपनी योजना के तहत दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति के ग्राम आभानेरी के ग्रामवासियों ने नल योजना के लिये निर्धारित राशि जमा कराई है ? यदि हां, तो कितनी राशि एवं किस तिथि को जमा कराई ?

(2) उक्त योजना के तहत ग्राम आभानेरी में कब तक नल योजना का कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विभाग में कोई राशि जमा नहीं कराई गई है ?

(2) वर्तमान में योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जिला चित्तौड़गढ़ की पेयजल योजना

732. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पेयजल की कौन-कौन सी योजनाएं कहां-कहां चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस गांव में नल योजना या पनघट हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार के पास इनमें से किस-किस गांव की नल या पनघट योजना स्वीकृत के लिये पड़ी है तथा इन्हें सरकार कब तक जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उपरोक्त में से संवर्धन/पुनर्गठन पनघट योजना मांगरोल एवं निकम स्वीकृति हेतु विचाराधीन है जिन्हें धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण एवं सूची के लिये परिशिष्ट 15 देखें।)

लूणकरणसर तहसील के ग्राम शेरपुरा के घरेलू पानी के कनेक्शन

733. **श्री मनीराम** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के ग्राम शेरपुरा (पंचायत शेरपुरा) ग्रामीण पेयजल योजना से कौन से वर्ष में जुड़ा तथा 1971 की आबादी क्या थी और अब वर्तमान में आबादी (जनसंख्या) क्या है ?

(2) सरकार ग्रामीण क्षेत्र के कितनी आबादी वाले ग्राम में पानी के घरेलू कनेक्शन जारी करती है इसका मानदण्ड क्या है तथा यह किस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है ?

(3) क्या शेरपुरा ग्राम में पीने के पानी के घरेलू कनेक्शन जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो कितने मीटर की लाइनें कौन-कौन से मोहल्लों में डाल रखी हैं तथा किस-किस नाम से पानी के कनेक्शन जारी किये गये हैं ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्राम में पेयजल योजना का वर्ष 1979–80 में संधारण प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1971 में जन संख्या 1379 थी तथा वर्तमान में लगभग 3100 अनुमानित है।

(2) सामान्य परिस्थितियों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में घरेलू जल सम्बन्ध स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। 1/2 इंच के जल सम्बन्ध सहायक अभियन्ता व 1 इंच के जल सम्बन्ध स्वीकृत करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सक्षम है।

(3) जी नहीं, ग्राम में गृह जल संबंध स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

बून्दी जिले के कापरेन कस्बे में टंक एवं पाइप लाइन हेतु स्वीकृत राशि

734. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की लाखेरी, केशवराय पाटन एवं कापरेन कस्बों में जलदाय योजनाएं कब एवं किस स्तर की बनायी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन नगरों की पेयजल आपूर्ति में साधारणतः अवरोध आये दिन होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त तीनों ही नगरों की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए योजना को परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने कापरेन में टैंक निर्माण एवं पाइप लाइन हेतु राशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

उत्तर

(1) संदर्भित योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट 'क" पर संलग्न है।

(2) पेयजल आपूर्ति सामान्यत नियमित है।

(3) कापरेन नगर हेतु संवर्धन योजना के प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में हैं, जिसकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी। शेष दो कस्बों हेतु अभी योजनाएं प्रस्तावित नहीं हैं।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता का तदर्थ वेतन देने की स्वीकृति

735. श्री हरीसिंह (महुआ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में करीब 250 कनिष्ठ अभियन्ताओं को कई वर्षों से कार्यकारी व्यवस्था पर सहायक अभियन्ता पद पर पदस्थापित किया हुआ है, जबकि उन्हें वेतन कनिष्ठ अभियन्ता का दिया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था को नियमानुसार व न्याय संगत मानती है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन अभियन्ताओं को कार्य ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता का तदर्थ वेतन देने एवं शीघ्र नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, 258 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यकारी व्यवस्था में सहायक अभियन्ता के पद के विरुद्ध बिना पदोन्नति दिये ही पदस्थापित हैं एवं उन्हें कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन दिया जा रहा है।

(2) कनिष्ट अभियन्ताओं की वरिष्ठता विभिन्न न्यायालयों में लम्बित होने के कारण, राज्य कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठता को न्यायालयों के निर्णयानुसार अन्तिम रूप दिया जाकर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ?

तहसील लालसोट के ग्राम खटवा की जल प्रदाय योजना

736. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादी लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के गांव खटवा में जल प्रदाय योजना के कुए के बोरिंग का जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण ग्रामवासियों को जल सुलभ होने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुए के बोरिंग को पुनः गहरा कराकर जल स्तर बढ़ाने हेतु कदम उठाना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार का इस गांव की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए इस गांव में एक अन्य स्थान पर दूसरा बोरिंग करा कर जल सप्लाई करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्रामवासियों को पेयजल हमेशा के लिए सुलभ कराने हेतु यहां पानी की टंकी का निर्माण कराकर घरों में वाटर कनेक्शन देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित नलकूप में जल स्तर नीचे गिरा है, परन्तु विद्युत आपूर्ति में व्यवधान एवं कम वोल्टेज के कारण वांछित मात्रा में जल उत्पादन सम्भव नहीं हो रहा है। योजना के अन्तर्गत एक और नलकूप धन उपलब्धता के अनुसार बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) धन उपलब्धतानुसार योजना का पुनर्गठन प्रस्तावित है। ग्राम में पम्प व टैंक योजना होने के कारण घरेलू जल सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

तहसील कुम्हेर के विभिन्न ग्रामों की पेयजल योजना

737. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर क्षेत्र के ग्राम कुरबारा, लाकी, बताई, उसरानी, जया आदि को जाटोली थून पर बोरिंग करके पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार कब तक उक्त योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक प्रक्रिया में है।

कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति में विलम्ब

738. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वा- अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

पद पर 20 वर्ष या अधिक की सेवा होने पर भी कई डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रथम पदोन्नति भी नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति का लाभ देने हेतु सरकार ने 12 जनवरी, 1989 को 86 तथा 13 सितम्बर, 1990 को 61 पद सहायक अभियन्ता के पद में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो 20 वर्ष से अधिक की सेवा के कितने डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति दी गई ? उक्त पद पदोन्नति द्वारा ही भरे जाने हैं अथवा नहीं ?

(3) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग में इस समय सहायक अभिन्यता के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं ? इन पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया ? तथा सरकार इन्हें अब कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अभी तक केवल 86 क्रमोन्नत पदों के विरूद्ध ही कार्यकारी व्यवस्था में पदस्थापित किया गया है जिनमें से 20 वर्ष से अधिक की सेवा के 52 डिप्लोमाधारी हैं। नियमित पदोन्नति किया जाना शेष है जो नियमानुसार की जावेगी।

(3) वर्तमान में विभाग में 356 सहायक अभियन्ता के पद रिक्त है। इन रिक्त पदों के विरूद्ध 258 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यकारी व्यवस्था में कार्यरत हैं। उक्त पदों को नियमित रूप से भरने हेतु प्रक्रिया चालू हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सुजानगढ़ (चूरू) के ग्रामों को जल आपूर्ति

739. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू की तहसील सुजानगढ़ में कितने सब डिविजन जलदाय विभाग के हैं तथा इन सब डिविजनों में कुल कितने गांव कमीशंड (पानी से जुड़े हुए) हैं तथा कितने गांव आज भी ऐसे हैं जो कमीशंड नहीं हैं ? कमीशंड तथा उन कमीशंड गांवों की सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या तहसील सुजानगढ़ के कमीशंड गांवों में नियमित रूप से पानी रोजाना सप्लाई किया जाता है ?

(3) क्या कई गांवों में पानी की सप्लाई नियमित नहीं है तथा पानी कभी जाता ही नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील के ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जो कमीशंड तो हैं किन्तु उनमें पानी पीने योग्य नहीं है तथा खारा है ? सरकार इन

(श्री भंवरलाल)

खारे पानी के गांवों के लिए कौनसी व कहां से तथा क्या योजना बना रही है ? तथा कब तक योजना बनाकर तहसील के कमीशंड खारे पानी के गांवों को मीठे पानी से जोड़ दिया जावेगा ?

(5) तहसील के बड़े गांव जैसे बड़ावर, हरासर, राजियासर, मीणा, चक, खारा राजियासर, रणधीसर, धातरी, वोथियावास आदि कई गांव हैं जो कमीशंड तो हैं किन्तु पानी पीने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति के इन गांवों के लिए क्या कोई नई स्कीम राज्य सरकार बनवाकर, स्वीकृत कर इन गांवों को पीने का पानी मुहैया कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन गांवों की योजना कहां से बनायी जावेगी ? तथा कब तक बनाकर इन गांवों को पानी सुलभ करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित तहसील में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दो उप-खण्ड स्थापित हैं। इन उपखण्डों में समस्त 153 ग्राम केवल योजनाओं से लाभान्वित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) योजनाओं में सामान्यतः नियमित आपूर्ति की व्यवस्था है, परन्तु यदा-कदा विद्युत व्यवधान एवं अन्य तकनीकी कारणों से आपूर्ति में व्यवधान होता है।

(3) अन्तिम छोर पर स्थित कुछ ग्रामों में आंशिक रूप से ही जल वितरण सम्भव हो पाता है।

(4) तहसील के लाभान्वित ग्राम जिनमें खारे पानी की समस्या है, उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। इन ग्रामों हेतु स्रोत का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा योजना बनाई जानी प्रस्तावित है।

(5) उल्लेखित ग्रामों हेतु स्रोत बीदासर एवं लाडनूं क्षेत्र से लिया जाकर योजनाएं बनाई जाकर धन उपलब्धतानुसार क्रियान्वित की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाणगंगा (हलैना) से कुम्हेर की पेयजल व्यवस्था

740 श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग खारा है और पेयजल की विकट समस्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने हलैना से बाणगंगा से कुम्हेर क्षेत्र के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ ग्रामों में स्वच्छ पेयजल स्रोत नहीं है।

(जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) हलेना के पास बाणगंगा से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के कुछ ग्रामों हेतु उपयुक्त स्रोत हेतु अन्वेषण किया जा रहा है।

(3) योजना के प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्योग

741. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में सहकारिता क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत से लगाये जायेंगे तथा उनसे कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

(2) गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में किन-किन उद्योगों को लगाने का प्रयास किया और उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में सहकारिता क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में प्रस्तावित उद्योगों के स्थान, लागत एवं रोजगार सम्बन्धी विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सकार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में जिन-जिन उद्योगों को लगाने के प्रयास किये गये व उनके परिणाम सम्बन्धी विवरण की सूची "ख" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों के लिए स्वीकृत ऋण

742. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितने उद्योगों के लिए ऋण स्वीकृत किये हैं ? क्या स्वीकृत ऋणों का वितरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम की ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया जटिल है ? यदि हां, तो क्या इसके सरलीकरण का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में कुल 20,224 औद्योगिक इकाइयों को 501·77 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। जी नहीं, स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध 312·36 करोड़ रुपये का ही वितरण किया जा चुका है एवं शेष का वितरण उद्यमी द्वारा आवश्यक शर्तों की पूर्ति करने पर दिया जाएगा।

(2) जी नहीं।

राज्य की पुरातत्व महत्व की इमारतें

743, श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में पुरातत्व महत्व की कुल कितनी इमारतें हैं ? केन्द्र अथवा राज्य की देख-रेख में कौन-कौन से स्थल हैं ? पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इमारत अथवा भवन आदि स्कूल, अदालत, अस्पताल, प्रशासनिक/न्यायिक अधिकारियों के निवास इत्यादि के रूप में उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत किन-किन भवनों के मौलिक स्वरूप को आंशिक अथवा पूर्णतः बदल दिया गया है ? इसके लिए किस को दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, क्यों ?

(3) अब इनका अतिक्रमण सरकारी स्तर पर अथवा व्यक्तिगत स्तर पर कब से बन्द कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

(4) प्रांत में पर्यटन स्थल एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों का चयन किस नियम एवं प्राथमिकता से किया जाता है ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में कुल 45 स्मारक/प्राचीन स्थल संरक्षित घोषित है। इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा 22 व राज्य सरकार द्वारा 23 स्मारक/प्राचीन स्थल संरक्षित हैं। इनकी पृथक्-पृथक् सूची सलग्न हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित घोषित करने से पूर्व ही 6 भवनों में चिकित्सालय, कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, छात्रावास व पुलिस चौकी आदि विद्यमान थे। राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इन स्मारकों में कोई भी स्कूल/कार्यालय आदि चलाये जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इन स्मारकों को संरक्षित घोषित करने के पूर्व ही सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा कतिपय भवनों में परिवर्तन/संवर्द्धन किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भरतपुर जिले के संरक्षित स्मारकों में से 4 स्मारकों में राजस्थान सरकार के कार्यालय न्यायिक अधिकारियों के आवास एवं न्यायालय तथा एक स्मारक के पास स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के भवन का निर्माण किया गया है।

(3) उक्त कार्यालय अतिक्रमण से नहीं है।

(4) राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होने पर भारत सरकार के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानानुसार स्मारकों को संरक्षित घोषित किया जाता है और ऐतिहासिक, स्थापत्य व कलात्मक महत्व के होने पर राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थल तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के प्रावधानुसार राज्य स्तर पर स्मारकों को संरक्षित घोषित किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

झालावाड़ जिले में पर्यटन विकास योजनाएं

744. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पर्यटन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पर्यटन विकास की क्या-क्या योजनायें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में गागारोन का किला, रेनबसेरा कोलवी की गुफायें पर्यटन विकास के लिये चयनित की गई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक कितनी राशि इन पर खर्च की तथा इनके विकास हेतु भविष्य में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में पर्यटन विकास की निम्न योजनायें हैं:—

1. मरू त्रिकोण जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिले सम्मिलित हैं, को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ मैसर्स फरग्यूशन एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रुपये 274.58 करोड़ की बनाई गई है।

2. मेवाड़ काम्पलेक्स नाम से 0.68 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी गई है।

3. हाड़ौती व शेखावाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिये देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ की राय लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

4. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जहां पर पर्यटकों को सूचना के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सुविधायें जैसे आरक्षण, बैंकिंग, आपातकालीन आवास आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जायेंगी। भविष्य में कोटा, माउन्ट आबू, उदयपुर में भी इसी प्रकार के केन्द्र स्थापित करना विचाराधीन है।

5. राज्य सरकार पर्यटन साहित्य का मुद्रण, फिल्मों के माध्यम से तथा मेले-त्यौहारों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने का योजनाबद्ध कार्य करती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के लिये पेइंग गेस्ट डाईरेक्ट्री प्रकाशित की गई है। इसी प्रकार निजी स्वामित्व के किलों व गढ़ों की एक डाईरेक्ट्री प्रकाशित की जा रही है, जिन्हें होटल के रूप में काम लिया जा रहा है।

6. देश-विदेश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन अभियान के माध्यम से पर्यटन विकास को गति देने का कार्य किया जाता है, साथ ही स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में जन सामान्य को पर्यटन के बारे में शिक्षित व संवेदनशील बनाने के लिये विज्ञापन अभियान जारी किया जाता है।

(2) पर्यटन विकास के लिये वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में गागरोन किले

(पर्यटन विकास मंत्री)

का चयन किया गया है। इस हेतु 10·00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। रेन बसेरा सिंचाई विभाग के अधीन है। तथा कोलवी गुफाएं भारत सरकार के पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। इन पर व्यय किए जाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजतालाब बांसवाड़ा का विकास कार्य

745. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में राजतालाब साम्प्रदायिक सद्भावना का केन्द्र है ?

(2) क्या उक्त स्थान पर सभी धर्मों के त्यौहार आदि के कार्यक्रम होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान का विकास करने की कोई योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजतालाब का सौन्दर्यकरण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक इसकी क्रियान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) शायद होते हो।

(2) वर्तमान में इस स्थल के विकास की कोई योजना नहीं है।

(3) सर्वे करवाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

संगीत नाटक अकादमी में कार्यरत स्टाफ के सेवा नियम

746 **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के लिए अब तक कौन से सेवा नियम कब-कब से से लागू हैं ? अगर राज्य सेवा नियम लागू है तो क्या उसी अनुपालना में वेतन व भत्ते दिये जा रहे हैं।

(2) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में पदोन्नतियां भी क्या राजकीय नियमों के तहत दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) अकादमी के लिए अलग सेवा नियम नहीं होने के कारण फिलहाल राजस्थान सेवा नियम ही लागू हैं। वेतन मंहगाई भत्ता एवं मकान किराया आदि राज्य सरकार के नियमानुसार एवं अन्य भत्ते अकादमी को सामान्य सभा के निर्णयानुसार देय है।

(2) विभागीय पदोन्नतियां दी जाती है।

कैलादेवी मन्दिर (करौली) के समीप स्थित शराब की दुकानें

747. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्द सहाय)

(1) क्या यह सही है कि मन्दिरों के एरिये में शराब की दुकान लगाना वर्जित है? यदि हां, तो क्या कैलादेवी मन्दिर (करौली) के एरिये में देशी शराब व अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं? यदि हां, तो सरकार उनको कब तक हटाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कैलादेवी के मेले में शराब के कारण प्रतिवर्ष झगड़े होते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर की 200 मीटर परिधि में शराब की दुकान लगाना वर्जित है। आबाकारी विभाग द्वारा स्वीकृत करोली की देशी मदिरा की दुकान कैलादेवी मन्दिर से 200 मीटर की परिधि से बाहर है, जो नियमानुसार है। कैलादेवी आबादी क्षेत्र में कोई अंग्रेजी शराब की दुकान स्वीकृत नहीं है। न ही लगी हुई है। अतः दुकान हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) आबकारी विभाग में इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सोडाला (जयपुर) के कृषकों द्वारा भांग उत्पादन प्रकरण

748. श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर के सोड़ाला क्षेत्र के सिवेज फार्म में सब्जी आदि उगाने वाले किसानों पर विभाग की ओर से आरोप लगाया गया था कि किसान लोग अपनी जमीन में भांग उगाने का कार्य कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो उक्त जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई तथा किस-किस किसान को उक्त क्षेत्र में अवैध भांग उगाने का दोषी पाया गया? सूची किसान वार, जमीन के क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सूचना आबकारी अधिकारियों ने प्रेस के लिए प्रसारित की थी, यदि हां, तो उक्त समाचार पत्रों के लिए प्रसारित विज्ञप्ति मय आधार के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समाचार को कई समाचार पत्रों ने निराधार आरोप कहकर छापा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर में अवैध भांग की बिक्री की शिकायत होने पर जांच एवं खोजबीन में जयपुर शहर के सोडाला क्षेत्र में अवैध भांग की खेती होने की सूचना पर दिनांक 31.5.89 को विशेष धावे इस क्षेत्र में डाले गये तो जयपुर नगर के सोडाला क्षेत्र के सीवरेज फार्म क्षेत्र में 21 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 31.5.89 से 3.6.89 तक की जांच में भांग की खेती किया जाना पाया गया। इन 21 व्यक्तियों से कुल 1752 भांग के पौधे एवं 18 बोरी भांग पत्ती सूखी बरामद की जाकर 11 अभियोग

(आबकारी मंत्री)

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54 के तहत दर्ज किये गये। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर के पत्र सं. प. 6 (बी-2401/जय/आबपरि/89/16535 दिनांक 21·5·89 की राय के अनुसार एन. डी. पी. एस. एक्ट 1985 की धारा 8(20)29 के तहत उक्त सभी 11 अभियोगों को आगामी अन्वेषण हेतु पुलिस थाना सोडाला को स्थानान्तरित किये गये जहां मुकदमा नं. 78/91 से 88/91 दिनांक 16/17 धारा 8 (20) 29 एन. डी. पी. एस. एक्ट के दर्ज किये गये। भांग की अवैध खेती सम्बन्धी जांच का कार्य सर्वश्री संजयसिंह राठौड़, श्री के. के. शर्मा, चन्द्रशेखर विजय, गोपीकृष्ण भट्ट व घीसालाल मीणा आबकारी निरीक्षकों एवं श्री नेनूराम चौधरी प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल जयपुर द्वारा किया गया और जो व्यक्ति भांग की खेती में लिप्त पाये गये उन सभी के विरुद्ध अभियोग दर्ज किये गये। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस विभाग में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार इस विभाग द्वारा कोई प्रेस वक्तव्य जारी नहीं किया गया।

(3) उक्त समाचार का किस समाचार पत्र द्वारा निराधार आरोप कह कर छापा इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है। सोडाला क्षेत्र में सीवरेज फार्म पर भांग की अवैध खेती होना पाये जाने पर उक्त खेती में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज दिये गये थे। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अधिकारियों द्वारा नियमानुसार किये गये कृत्य पर कार्यवाही किया जाना वांछनीय नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—19 देखें)

श्रीगंगानगर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

749. श्री हेतराम बेनीवाल (सांगरिया): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में आयुर्वेद विभाग की कितनी डिस्पेंसरीज और कितने औषधालय हैं तथा कितने वैद्य व कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) राज्य सरकार ने इनडिस्पेन्सरीज और औषधालयों के लिए कितने भवनों का निर्माण किया है, स्टाफ के रहने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भवन उपलब्ध नहीं है वहां विभाग द्वारा वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का इरादा है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(4) क्या ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों व डिस्पेन्सरीज में ग्रामीण लोगों द्वारा भवन बनाये गये या उपलब्ध करवाये गये हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा स्वयं मकान किराये पर लिए गए हैं ?

(5) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालयों में 1991 में प्रत्येक माह में औसतन कितने रोगी इलाज हेतु आये ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

(6) औषधालय में रोगियों के रिकार्ड के आधार पर कितनी राशि की दवाई राज्य सरकार की ओर से रोगियों को प्रतिमाह औसतन दी गई ?

(7) यदि ग्रामीण रोगियों को औषधियां औषधालय में नहीं दी जाती तो उन्हें औषधि उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में विभाग के 171 आयुर्वेद, 3 होम्योपैथिक, एक यूनानी व एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय/औषधालय स्वीकृत हैं।

इनमें 168 चिकित्सक, 160 नर्स/कम्पाउण्डर तथा 164 परिचारक कार्यरत हैं।

(2) श्रीगंगानगर जिले में 32 औषधालय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा निर्मित/उपलब्ध कराये गये भवनों में तथा 17 औषधालय / चिकित्सालय राजकीय भवनों में संचालित हैं। 3 स्थानों के भवन किराये पर लिये हुए हैं, शेष औषधालय भवन ग्रामवासियों या पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये हुए हैं। किसी भी औषधालय के साथ आवासीय सुविधा नहीं है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विभागीय स्तर पर औषधालय भवनों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामवासियों/पंचायत द्वारा ही औषधालय भवनों की व्यवस्था की जाती है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में भवन किराये पर कम ही उपलब्ध होते हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां औषधालय राज्य सरकार स्वीकृत किये हुए हैं या स्वीकृत किये जाते हैं वहां यदि निःशुल्क भवन व्यवस्था किसी भी स्तर से उपलब्ध नहीं होती है तो भवन किराये पर लेकर भी औषधालय आरम्भ किये जाते हैं।

(5) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में संचालित औषधालयों की औसत रोगी संख्या विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(6) ऐसी कोई सूचना विभागीय स्तर पर तैयार नहीं की जाती है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रतिमाह औसतन कितने मूल्य की औषधियां मरीजों को दी गई हैं।

(7) जो औषधियां औषधालयों में उपलब्ध होती है वे औषधियां मरीजों को उपलब्ध करा दी जाती है। शेष औषधियां बाजार से क्रय करने हेतु कहा जाता है, जो कि आस पास के बड़े ग्राम, कस्बे या शहर में उपलब्ध हो जाती हैं। घरेलू नुस्खों, पंसारियों के यहां उपलब्ध घटक द्रव्यों का भी उपयोग कर चिकित्सा की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—20 देखें)

बाड़मेर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

750. चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बाड़मेर जिले में वर्तमान में कितने एवं किस-किस श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय हैं। सूची सदन की मेज पर रखें। गत दो वर्षों में कौन-कौन से नये औषधालय खोले गये एवं कहां-कहां पर क्रमोन्नत किये गये ?

उत्तर

सूची (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची (परिशिष्ट-2) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

आयुर्वेद विभाग में विभिन्न रिक्त पद

751. श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण)–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दिनांक 3 मार्च, 1990 तक आयुर्वेद विभाग में वैद्यों, हकीमों, होम्योपैथिक चिकित्सकों, नर्सेज/कम्पाउडर्स तथा परिचारकों के कितने पद रिक्त थे ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त पदों पर कितने लोगों की भर्ती की गई ?

(3) वर्तमान में कितने पद रिक्त है ?

(4) राज्य सरकार इन पदों पर नियुक्ति कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1,2एवं3) वांछित विवरण (परिशिष्ट-1) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) माह जून 1-1992 तक

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

कम्पाउण्डर्स की पदोन्नति प्रकरण

752. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)–क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30 जुलाई, 1986 को आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कम्पाण्उडर्स के पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो पदोन्नत कम्पाउण्डर्स की सूची सदन की मेज पर

(2) क्या यह भी सही है कि श्री किस्तूरचन्द बैरवा कम्पाउण्डर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कल्लाबास (लालसोट) से कनिष्ट कम्पाउर्ण्स के पदोन्नति आदेश दिये गये परन्तु श्री बैरवा को पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जी हां। श्री किस्तूरचन्द द्वारा प्रथम बार दिनांक 20-6-89 को ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रमाण पत्र एवं सूचना के अभाव में पूर्व में पदोन्नत नहीं किया गया। नियमानुसार इनकी पदोन्नति के प्रकरण में अतिशीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

सम्पादक के पद हेतु विज्ञापन

753. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) एवं **श्री हजारी लाल** (खेतड़ी)-क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 में विभाग में सम्पादक के पद हेतु विज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो आवेदकों की सूची एवं योग्यता विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि इस पद को संविदा के आधार पर भरा गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(3) क्या यह सही है कि संविदा के आधार पर भरे गए अभ्यर्थी इस पद हेतु निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं? यदि हां, तो अभ्यर्थियों की योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां आवेदकों की सूची संलग्न है।

(2) यह पद संविदा के आधार पर भरने के लिए सृजित किया गया था एवं संविदा के आधार पर भरा गया है। जन सम्पर्क सेवा नियमों में ऐसा कोई पद उल्लेखित नहीं है।

(3) जी हां, योग्यता विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

ग्राम नाभावाला (जयपुर) के बुनकर

754. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल)-क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील रामगढ़ जिला जयपुर के ग्राम नाभावाला के अनुसूचित जाति के बुनकरों (कोलियों) की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान बुनकर पंचायत द्वारा गृह एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री को दिनांक 6-10-1991 को एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान बुनकर पंचायत के उक्त आवेदन-पत्र पर गृह एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री ने दिनांक 6-10-1991 को ही पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) के नाम आदेश किये थे? यदि हां, तो दिनांक 6-10-1991 को प्रस्तुत ज्ञापन व आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

(3) क्या यह सही है कि आदेश हो जाने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(4) सरकार अब दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है तो उस पर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बांसवाड़ा में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु बैठकें

755. श्री बहादुर सिंह (दानपुर)– क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बांसवाड़ा जिले में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक हुई है, यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कब-कब बैठकें हुई ?

(2) जिला प्रशासन बांसवाड़ा ने दो वर्षों में 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम के तहत कौन-कौन से कार्य किये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) गत दो वर्षों में बांसवाड़ा जिले में अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत किन-किन व्यक्तियों को दो वर्षों में लाभ पहुंचाया गया ? लाभान्वित व्यक्तियों के नाम, निवास के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) बांसवाड़ा में अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक किन-किन समाज सेवी व्यक्तियों ने भाग लिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अल्प संख्यकों की बैठक 1 जनवरी, 90 से 31 दिसम्बर, 91 तक निम्न रही:– 15-1-90, 19-2-90, 20-3-90, 24-4-90, 22-5-90, 14-6-90, 19-7-90, 28-8-90, 26-9-90, 31-10-90, 15-12-90, 15-1-91, 15-2-91, 15-3-91, 15-4-91, 14-5-91, 14-6-91, 17-7-91, 27-8-91, 6-12-91

(2) राज्य सरकार के निर्देशानुसार संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की जाकर 15 सूत्री बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया गया तथा प्रत्येक बैठक में उसके बारे में रिव्यू किया गया । गत दो वर्षों में कार्य किये उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ के बारे में निम्नानुसार है :–

1. 15 सूत्री के बिन्दु एक से 7 तक साम्प्रदायिक झगडों के बारे में है । जो व्यक्तिगत लाभ न होकर सामुहिक लाभ

(गृह मंत्री)

का है। जो समय अनुसार उनको लाभ पहुंचाया जाता है।

2. बिन्दु नं. 8 के अनुसार पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा ने निम्नांकित अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाया है :—

श्री फजले मोहम्मद पुत्र न्याज मोहम्मद सल्लोपाट।

श्री वाहीदअली पुत्र श्री फ़रमानअली, बांसवाड़ा।

श्री मुजीबुद्धीन शेख पुत्र श्री के. डी. गोरी, बांसवाड़ा।

श्री शाहीदअहमद पिता अल्लेदादखान, बांसवाड़ा।

जिला रोजगार अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा :—

श्री मेहबुल्ला खां पिता रहमगुल्ला खां, मु. पो. भुगड़ा।

श्री मोहम्मद युनुस पिता मोहम्मदहन फिरवा, बांसवाड़ा।

श्री जहीरहुसैन पिता करीमुद्धीन शेख, बांसवाड़ा।

श्री आबीदगुलखान पिता हबीबगुलखान, बांसवाड़ा।

श्री दाउद अली पिता फजलेहुसैन जेताजी वाला सेफी मस्जिद के पास बांसवाड़ा।

श्रीमती नाजमीन पति श्री रहीम बेग बांसवाड़ा

कुमारी स्टेला/सेम्यूल द्वारा इब्राहीमजी रतलाम रोड बांसवाड़ा

श्रीमती सुमति/सेमसन मिशन कॉलोनी, बांसवाड़ा

कुमारी रजना जोर्ज पुत्री के. टी. जोर्ज द्वारा डा. जैन. नेत्र चिकि. बांसवाड़ा।

कुमारी डेली मोरगेट पुत्री मंगलसिह मिशन कम्पाउंड बांसवाड़ा.

अकलाक दल्ला खां पिता श्री अमीर दुल्ला खां भुगडा

रसीद मोहम्मद/मिरमोहम्मद ग्राम नेगरेड़ पो. खेरवा, जिला बांसवाड़ा

श्रीमती शबीना नासवीन पति मोहम्मद असलम 4/5 सिविल लाईन बांसवाड़ा

जावेद अख्तर खान इसाइखान मदार कालोनी बांसवाड़ा।

मोहम्मद रजाक खां/शमसेरखांजी गोरखइमली पृथ्वीगज बांसवाड़ा

मोहम्मद अकील/शाहकारखान पठान भूजल विभाग के पीछे

सुश्री सलबा बी शेख/शेख अब्दुल हमीद मकरानीवाडा सालिया रोड बांसवाड़ा

सादिक खान अफगानी महेरखांजी पृथ्वीगज बांसवाड़ा

(गृह मंत्री)

रजाक मोहम्मद/शकुर मोहम्मद खादु कालोनी, बांसवाड़ा

जावेदअखतर खान/इसाकखां मदार कालोनी, बांसवाड़ा

श्रीमती खबीना याश्बीन/मोहम्मद इसलम 4/5 सिविल बांसवाड़ा

अब्दुल लतीफ शेख/द्वाराअहयदनुर अन्सारी रा. सी. उ. मा. वि. बांसवाड़ा

मोहम्मद सलीम बाबर/मोहम्मद इब्राहम पृथ्वीगज बांसवाड़ा

अजीज खां पठान/बशीर खां मोटा गांव बांसवाड़ा

मोहम्मद हनीफ अंसारी/मोहम्मद शफीक अंसारी कादर मंजिल कंघारवाडी बांसवाड़ा

रजाक मोहम्मद पिता शकुर मोहम्मद खादूकालोनी बांसवाड़ा

इकबाल खान बेलिम पिता अहमद खां पृथ्वीगज बांसवाड़ा

श्रीमती सग्रेसी पी. जे./जोसफ रेडक्रास होस्टल बांसवाड़ा

सुश्री मरियम्मा/हलुजी द्वारा नर्सिग होस्टल बांसवाड़ा

3. बिन्दु नं. 9-10 केन्द्रीय सरकार से संबंधित है।

4. बिन्दु नं. 11 राज्य सरकार द्वारा कोई भी कोचिंग क्लासें या योजना नहीं खोली गई है। जो लाभ नहीं पहुंचाया गया।

5. बिन्दु नं. 12 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा निम्नांकित अल्प संख्यको को लाभ पहुंचाया गया है :—

श्री शाकीर खान पुत्र हेटमदखान बेडर क्वा. नं. एस. टी. 355 माहीडेम

श्री नययुमएहमद पुत्र जान मोहम्मद, ड्राफ्टसमैन सिविल शेर विलास के नीचे राजतालाब बांसवाड़ा

श्री अपताक हुसैन पुत्र इख्सयार हुसैन अंग्रेजी स्टेनो नई आबादी बांसवाडा

श्री मजहरएहम्मद पुत्र जीयाएहमद स्टेनो कुम्हारवाडा सूरजपोल, बांसवाड़ा

श्री फिरोजखान पुत्र अहमद खान अंग्रेजी स्टेनो क्वा. नं. 7/10 माहीडेम

श्री शहिदहुसैन पुत्र मेहमुदहुसैन, फिटर क्वा. नं. एससी 346 माहीडेम

श्री सुखवीरसिंह पुत्र सरवर्नसिंह मिठान, विद्युत 261, शोपिंग सेन्टर काय

श्री मोहम्मद हुसैन/मोहम्मद इस्माइल, विद्युत मार्फत सहायक अभियन्ता डीलिंग खण्ड बांसवाड़ा.

बिन्दु 12 के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा अल्प संख्यको को निम्नांकित लाभ पहुंचाया गया है :—

(गृह मंत्री)

नाबार्ड योजना में ऋण उपलब्ध कराया

स्वरोजगार योजना में ऋण उपलब्ध कराया

राज्य-वित्त निगम से ऋण उपलब्ध कराया

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान उपलब्ध कराया

बिक्री कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित किया गया उपरोक्त योजनाओं के तहत अल्प संख्यकों को लाभ पहुंचाया जिसकी सूची संलग्न है।—(परिशिष्ट "क")

6. बिन्दु नं. 13 द्वारा जिला विकास अभिकरण (डी. आर. ए.) द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्प संख्यकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है पृथक से सूचना संकलन नहीं की जाती।

7. बिन्दु नं. 14 के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इस संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित विभाग को तुरन्त प्रभाव से अल्प संख्यकों को लाभ पहुंचाने निर्देशित किया जाता है।

8. बिन्दु नं. 15 में अल्प संख्यको के यदि कोई सामुहिक समस्या आ जाती है तुरन्त प्रभाव से निपटाने हेतु कार्यवाही की जाती है यदि वह समस्या जिले की न होकर राज्य की होती है तो उसको निपटाने हेतु गृह विभाग को एवं संबंधित उच्च विभाग को निपटाने हेतु निवेदन किया जाता है।

(4) 1 जनवरी, 90 से 31 दिसम्बर, 91 तक निम्न समाजसेवी व्यक्तियों ने भाग लिया :—

1. मुस्लिम समाज
   (अ) शहर काजी सा.
   (ब) सदर अन्जूमन सा.
2. अमीन सा. बोहरा समाज
3. क्रिश्चन समाज में जे. बी. जेम्स सा.
4. सिख समाज शमसेर सिंह जी सरदारजी

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करणपुर में डाकुओं द्वारा फिरौती

756. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर)–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि करणपुर में दो महाजनों के लड़कों को 15-16 अक्टूबर, 1991 को डकैतों ने पकड़ा था? यदि हां तो उन्हें पुलिस द्वारा कितने दिनों बाद मुक्त करवाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उन दोनों

(श्री गोविन्द सहाय)

लड़कों को दो-दो लाख रुपये फिरौती लेकर डकैतों द्वारा छोड़ा गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि फिरौती देने की बात पुलिस की जानकारी में थी ? यदि हां, तो पुलिस ने डकैतों से फिरौती वापिस दिलवाने हेतु क्या प्रयास किये ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना पुलिस में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

सीमावर्ती जिलों में पुलिस कांस्टेबल्स की शैक्षिणक योग्यता

757. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों में पुलिस कान्स्टेबल्स की भर्ती के लिए योग्यता दसवीं पास के स्थान पर आठवीं पास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान नियमों में पुलिस कान्स्टेबल के पद पर भर्ती के लिए सिविल पुलिस में कम से कम 10 वीं कक्षा पास व आर. ए. सी. में आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बंधी प्रावधान है। नवीं कक्षा उत्तीरण का नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। कान्स्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये शैक्षणिक योग्यता का न तो नियमों में कोई अलग प्रावधान है न अलग से कोई प्रावधान करने का राज्य सरकार का कोई विचार है।

राज्य में सड़क दुर्घटनायें

758. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रान्त में पिछले तीन वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई तथा उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए, कितनों की मृत्यु हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले तीन वर्षों में कुल 31095 दुर्घटनाएं हुई व 34785 हताहत हुए व 10224 की मृत्यु हुई। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आम जनता व वाहन चालकों को नियमों से अवगत कराने हेतु समय-समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। मुख्य सड़कों पर स्पीड ब्रेकर व विभाजक बनाये जाकर ट्रैफिक नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाता है। वाहनों पर नियमानुसार निर्धारित लाईटों का प्रयोग एवं अनावश्यक लाईटें हटाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयराजमार्गों पर हाईवे पैट्रोलिंग की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में अतिरिक्त पदों का सृजन, गाडियों व अन्य आवश्यक उप-

(श्री हीरालाल आर्य)

करणों की खरीद हेतु 26 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष में व्यय करने की स्वीकृति दी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

ग्राम नटाटा (जयपुर) के राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर अतिक्रमण

759. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है गत एक वर्ष में ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ़ पुलिस थाना आमेर, जिला जयपुर के निवासियों/सामाजिक संगठनों द्वारा ग्राम के राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं 8 से ग्राम को आने वाले रास्ते पर जबरन अतिक्रमण करने की विभिन्न शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम रास्ते पर अतिक्रमण से उक्त ग्राम में भय व आतंक व्याप्त है ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में उक्त रास्ते के सम्बन्ध में हुई अशान्ति/झगड़े के समय कब-कब, कितना-कितना पुलिस बल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कम पुलिस बल भेजने का कारण थाने की नफरी कम होना है ? यदि हां, तो उक्त थाने की नफरी कब तक बढ़ा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? थाने का क्षेत्र, व उसमें तैनात स्टाफ की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 12-8-91 को नवयुवक मण्डल नटाटा की ओर से अध्यक्ष एवं 9 अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षरशुदा एक प्रार्थना पत्र थाना आमेर पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि श्री रामेश्वरलाल सराफ, नि. जयपुर ने ग्राम से दिल्ली रोड को जोड़ते हुए ग्राम रास्ते पर पक्की दीवार बनाकर रास्ता अवरूद्ध किया व अतिक्रमण किया है। पुलिस द्वारा शिकायत की जांच कर दिनांक 16-8-91 को श्री रामेश्वर-लाल सराफ के विरुद्ध आम रोकने एवं वातावरण अशांत करना प्रमाणित मानते हुए धारा 133 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत न्यायालय एस. डी. एम. आमेर में इस्तगासा प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। रास्ता अवरूद्ध करने से गांव में भय एवं आतंक जैसी कोई स्थिति नहीं है। अतः झगड़ा शान्त करने हेतु पुलिस बल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पुलिस थाना आमेर पर एक पुलिस निरीक्षक, 2 सहायक उप निरीक्षक, 5 हैड कानिस्टेबल एवं 35 कानिस्टेबल की स्वीकृत नफरी है जिसके अनुसार पूर्ण अधिकारी/कर्मचारी लगाये हुए हैं। अतः थाने की नफरी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पुलिस थाना आमेर के क्षेत्राधिकार के गांवों का मानचित्र एवं थाने पर वर्तमान में पद स्थापित स्टाफ की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(सूची एवं मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फागी में टाडा एक्ट के तहत बन्दी

760. श्री प्रकाश बैरवा (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि फागी निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों को टाडा एक्ट में बन्द कर रखा है ? यदि हां, तो इनके विरूद्ध क्या आरोप लगाया गया है ? आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार इनको छोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हाँ, यह सत्य है कि फागी निर्वाचन के थाना चाकसू के सर्व श्री (1) अयूब खाँ पुत्र कल्लू खाँ निवासी रसूलपुर (2) अलीशेर पुत्र दीनशाह निवासी रसूलपुर (3) मुश्ताक अली पुत्र श्री शेरखाँ निवासी रसूलपुर (4) हकीम पुत्र श्री सुलेमान फकीर निवासी कस्बा चाकसू को अपराध संख्या 339/90 धारा 5 टी. ए. डी. ? एक्ट में बन्द है । इन चारों मुल्जिमान पर अवैध बारूद रखने एवं विस्फोट करने का आरोप है । सभी मुल्जिमान के विरूद्ध दिनांक 9-8-91 को चालान डेजिग्नेटेड कोर्ट में पेश कर दिया गया है । सभी मुल्जिमान अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं । आरोप पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ।

(प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुजरात से चुराई गई जीप की पुलिस थाना सिवाना द्वारा बरामदगी

761. श्री हुकमाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना सिवाना के ग्राम गुड़ानाल के तोगाराम को गुजरात से चोरी की गयी जीप एवं चालक सहित समदड़ी फाटक के पास पकड़ा गया था तथा उसको गिरफ्तार कर पुलिस थाना सिवाना लाया गया था ? क्या उसने अपराध करना कबूल किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति से 40 गाड़ियां तथा 20 इंजन जिसमें पिजोड़, महेन्द्रा, एम्बेसडर कार, कमाण्डर इत्यादि प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार इन्हें वापस वाहन मालिकों को देने का विचार रखती है, या इन्हें नीलाम किया जायेगा ? बरामद सामान की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गिरोह में पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के नाम सदन की मेज पर रखें । इस सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उक्त प्रकरण में अब तक की गई जांच कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हाँ। पुलिस थाना सिवाना के गुड़ानाल के श्री तेगाराम को गुजरात से चोरी गई जीप सहित समदड़ी रेल्वे फाटक के पास पकड़ा गया था। मुल्जिम स्वयं जीप चला रहा था अन्य कोई चालक नहीं था। मुल्जिम तोगाराम ने अपराध करना कबूल कर लिया था।

(2) तोगाराम स्वयं के पास से एक महेन्द्रा कमाण्डो जीप बरामद हुई थी। उसकी इत्तिला पर भिन्न-भिन्न जगह से दो एम्बेसेडर कार, एक कार की बोड़ी, दस महेन्द्रा जीपें व चार इंजन क्रमशः बी. एम. सी., इंग्लैण्ड मेटाडोर, इन्टर जीप व पीजोड़ के बरामद हुऐ थे। इस प्रकार कुल 14 वाहन व 4 इंजिन बरामद हुए हैं, जिनमें से 7 जीपें, एक एम्बेसेडर कार, मालिकान को अदालत द्वारा सुपुर्दगी नामे पर सुपुर्द की चुकी है। थाना पर अब 4 जीपें, एक एम्बेसेडर कार एवं एम्बेसेडर कार की बोडी तथा 4 इंजिन जमा हैं जिसमें से दो जीपों के मालिकों ने अपने वाहन की शिनाख्त की है परन्तु अदालत द्वारा सुपुर्द करने आदेश प्रदान नहीं होने से अब तक नहीं दी जा सकी है। शेष दो जीपों व एक कार बोडी के चैसिस व इंजिन नम्बर घिसे हुए व नये के नम्बर पंच किए होने से मालिकों का पता नहीं चला है उनके बारे में अन्य राज्यों, नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो व स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरों को सूचना की जा चुकी है जहाँ से जानकारी प्राप्त होने के बाद अदालत से निस्तारण की कार्यवाही कराई जाएगी, बरामदशुदा वाहनों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। कर्मचारियों के नाम की सूची संलग्न है। पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।

(4) प्रकरण में अब तक 9 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और 14 वाहन तथा 4 इंजिन बरामद कर लिए गए हैं। प्रकरण का मुख्य अभियुक्त गुमानसिंह पुत्र अमरा जाति पुरोहित निवासी गुड़ानाल फरार है। जिसकी तलाश हेतु विशेष पुलिस दल पालनपुर अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर में भेजे हुए हैं। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

विजयनगर-दौलतपुरा बस किराया

762. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या अजमेर-विजयनगर मार्ग पर निजी बस सेवा स्वीकृत है ?

(2) क्या इस मार्ग पर विजयनगर-दौलतपुरा 12 कि. मी. दूरी का किराया तीन रुपये वसूल किये जा रहे हैं ?

(3) क्या उक्त किराया, किराया तालिका में स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या बस मालिकों के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) ग्रामीणों द्वारा की गयी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ट्यूब क्रय आदेश

763. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 45 लाख रुपयों की ट्यूब खरीदने के आदेश दिये गये थे, और उन आदेशों को सात दिन में ही निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या झुन्झुनू व सीकर बस स्टैण्ड की बिल्डिंग निर्माण में मुख्य अभियंता श्री लोरिया जो निगम के सहायक भी थे द्वारा भुगतान पर बार-बार रोक लगाने के बाद भी 10 लाख रुपयों का अधिक भुगतान किया गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 45 लाख रुपये की ट्यूब खरीदने के कोई आदेश नहीं दिये गये। परन्तु क्रय मण्डल के निर्णय दिनांक 17-6-89 के अनुसरण में 10,100 ट्यूब क्रय करने का आदेश दिनांक 4-7-89 को दिया गया था, जो रुपये 26 लाख 26 हजार का था (कर इत्यादि अलग)। क्रय मण्डल द्वारा दिनांक 12-7-89 को उक्त आदेश निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुसरण में क्रमांक 2583 दिनांक 12-7-89 से उक्त आदेश को निरस्त किया गया।

(2) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि सीकर बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु निगम मण्डल ने निर्णय संख्या 12/85 दिनांक 23-1-85 के द्वारा 19.50 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी थी। इस निर्णय के तहत बिल्डिंग कार्य के टेण्डर आमन्त्रित कर श्री सुभाषचन्द्र ठेकेदार को 14.70 लाख रुपयों का कार्यादेश दिनांक 20-7-85 को जारी किया गया। इस कार्य में ठेकेदार को 2.66 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ। इस प्रकरण में श्री ओ. पी. पुरोहित, अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निगम द्वारा पत्र क्रमांक 163 दिनांक 18-3-88 द्वारा राज्य सरकार को प्रारूप दोषारोपण पत्र भेजा गया। शासन उप सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने पत्र संख्या 158 दिनांक 13-8-91 द्वारा श्री पुरोहित के निमित निर्धारित प्रपत्र में प्रारूप दोषारोपण पत्र चाहे जाने पर निगम द्वारा अपने पत्र मुख्या/कार्मिक / 1/92 /258 दिनांक 16-3-92 द्वारा प्रेषित किया गया।

झुन्झुनू बस स्टेण्ड के कार्य पर कोई भी अधिक भुगतान नहीं हुआ है, न ही श्री पी. के. लोरिया, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई टिप्पणी ही दी गई है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माउण्ट आबू को पर्वतारोहण हेतु आवंटित राशि

764 श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदेश क्रमांक शिविरा/बजट / बी–5/25442/ 91–92 दिनांक 14-1-1992 द्वारा पर्वतारोहण सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के नाम से 6 जिलों को 3,75,000/- एवं 50,000/- रुपये अन्य आदेश से प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माउन्टआबू को आवंटित कर दिये गये हैं।

(2) क्या उक्त जिलों में प्रशिक्षित पर्वतारोही कर्मचारी उपलब्ध हैं ?

(3) क्या बजट आवंटन प्रशिक्षित एवं अनुभवी पर्वतारोही की योजना के अनुसार किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा तैयार की गई है, उक्त कर्मचारी ने पर्वतारोहण वाटर व स्नो स्केटिंग में भारत सरकार के अधीन किस पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है ? यदि नहीं, तो उक्त संस्थानों से प्रशिक्षित कर्मचारी शिक्षा विभाग में उपलब्ध होते हुए भी उक्त कर्मचारियों से योजना अनुरूप पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं करवाया गया ?

(4) वर्ष 1984 से 1991 तक श्री भागचन्द सोनी पर्वतारोही एवं अन्य पर्वतारोही से क्या-क्या योजनाएं तैयार करवाई गई ? उक्त योजनाओं पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार राजस्थान गुरु नानक भवन संस्थान, जयपुर द्वारा पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इस बजट में से प्रधानाचार्य, रा. सी. उ. मा. वि, माउन्ट आबू को केवल 25000/- रु. की राशि आवंटित की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। 3.75 लाख रु. का बजट सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण योजना हेतु आवंटित किया गया था। इस योजना के निर्माण हेतु प्रशिक्षित पर्वतारोही की सेवाओं की जरूरत नहीं थी।

(4) पर्वतारोहण साहसिक अभियान भारत एवं राजस्थान सरकार के पैटर्न के अनुसार विद्यालयी छात्रों के लिये लागू करने का कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम की योजना निर्माण अभियान एवं उपकरण की खरीद में प्रशिक्षण एवं अनुभवी पर्वतारोहियों की सेवायें ली गई। पूर्व में विभाग में इस विषय के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं थे। उस समय श्री भागचन्द सोनी की सहायता ली गई थी। पर्वतारोहण साहसिक अभियान के अन्तर्गत 5 कर्मचारियों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कराया गया है। जिनके

(शिक्षा मंत्री)

मार्गदर्शन में पर्वतारोहण अभियान कार्यक्रम चलाये जाते हैं ।

(5) वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

जयपुर के जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण

765. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम, जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनके अधीन कितने-कितने विद्यालय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी को वर्ष में एक निश्चित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण करना होता है ? यदि हां, तो बस्सी विधान सभा क्षेत्र की शालाओं से सम्बन्धित तीनों जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले दो वर्षों में कितनी शालाओं का निरीक्षण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों का पिछले दो वर्षों से निरीक्षण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के अधीन 77, जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर द्वितीय के अधीन 139 तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रारम्भिक शिक्षा) के अन्तर्गत 660 विद्यालय हैं ।

(2) जी हां, बस्सी क्षेत्र से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा किये गये निरीक्षणों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा बस्सी क्षेत्र में विद्यालयों के निरीक्षण नहीं किये गये ।

(3) जी हां । जयपुर में कार्य का आधिक्य होने के कारण मानदण्डानुसार निरीक्षण नहीं किये जा सके ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–27 देखें ।)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निवाणा (जयपुर) में कार्यरत स्टाफ के लम्बित बिल

766. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निवाणा (जयपुर) के अध्यापकों/लिपिकों के वेतन एवं यात्रा भत्तों के बिल वर्ष 1983 से अब तक लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस-किस के एवं कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त बिलों का भुगतान करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमानुसार यात्रा बिल के आक्षेपों की पूर्ति करने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-28 देखें।)

तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अध्यापन नियम

767. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को अध्यापन नहीं करा सकते ?

(2) यदि हां, तो अलवर जिले में किन-किन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी के अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं ? पूर्ण विवरण मय विद्यालय एवं अध्यापक के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनियमित कार्यवाही के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विषय अध्यापक के अभाव में संस्था प्रधान छात्र हित में योग्य तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक का वैकल्पिक रूप से विषय शिक्षण हेतु उपयोग करते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 768

(स्थगित)

अदीब की डिग्री को सैकण्डरी के समकक्ष मान्यता

769. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अदीब डिग्री (उर्दू) को दसवीं कक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की पालना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में 1965 के पश्चात् किस व्यक्ति को उक्त लाभ दिया गया ?

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

(3) श्री अब्दुल अजीज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर को अदीब (उर्दू) और अनिवार्य अंग्रेजी (माध्यमिक परीक्षा) पास होने के बावजूद भी कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे ? अब कब तक सरकार उक्त कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जामियां उर्दू, अलीगढ़ की अदीब (उर्दू) परीक्षा को उर्दू स्तर के लिये हाई स्कूल के समकक्ष माना गया है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) श्री अब्दुल अजीज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक पद के लिये निर्धारित योग्यता तथा पात्रता नहीं रखते हैं। अतः कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, छीपाबड़ोद में प्राचार्य का रिक्त पद

770. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के प्रिंसीपल का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ? अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार छबड़ा व छीपाबड़ोद के कन्या माध्यमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। क्योंकि वर्ष 1991-92 के लक्ष्यों की पूर्ति हो चुकी है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रिडी (चूरू) द्वारा बकाया का भुगतान

771. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्रीगंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू को पत्र इनवर्ड क्रमांक 656 दिनांक 15-8-1988 को प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिडी (चूरू) के संदर्भ में 10 बिन्दुओं पर कार्यवाही करने व बकाया यात्रा विपत्र क्रमांक 13 दिनांक 13-7-1988 कोषालय चूरू का रजिस्टर्ड पत्रांक 1921 दिनांक 5-9-1988 द्वारा प्रेषित रु. 1380/- का भुगतान करने हेतु आपको व उप-निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग चूरू को लिखा गया था ? यदि हां, तो उक्त चार पेज के पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर आज

(श्री केदारनाथ शर्मा) :

तक क्या-क्या कार्यवाही की एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या आदेश प्रसारित किये गये ?

(2) क्या उक्त पत्र में वर्णित भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रिडी, (चूरू) द्वारा किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू के कार्यालय में प्राप्त पत्र इनवर्ड क्रमांक 656 दिनांक 15-10-88 10 बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु आपको (माननीय शिक्षा मंत्री महोदय) उप निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग चूरू को नहीं लिखा गया था, अतः उसमें लिखे गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(2) जी नहीं। प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रिडी (चूरू) को वर्णित कालातीत यात्रा व्यय विपत्रों की नियमानुसार पूर्ति करवाकर सम्बन्धित कर्मचारी को भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

इस प्रकरण में विलम्ब की जांच करवाई जा रही है। निष्कर्ष प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

बांसवाड़ा की पंचायतों में शिक्षाकर्मी योजना प्रकरण

772. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति बागीडोरा, गढ़ी और आनन्दपुरी के ग्रामों में शिक्षाकर्मी योजना लागू की गई ? यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम व ग्रामों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले की गढ़ी और आनन्दपुरी पंचायत समिति में शिक्षाकर्मी योजना लागू की गई है। बागीडोरा पंचायत समिति में लागू नहीं की गई है। पंचायत समिति गढ़ी एवं आनन्दपुरी के जिन गांवों में शिक्षाकर्मी योजना लागू की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–29 देखें।)

उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर क्रय प्रकरण

773. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में वर्ष 1990-91 में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए कितनी राशि फर्नीचर मद में आवंटित की गई ? प्रत्येक विद्यालय का

(श्री जीतमल जैन)

नाम एवं आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वस्तुओं के क्रय से पूर्व विभागाध्यक्ष से क्रय प्रस्तावों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों के प्रधानों ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये क्रय कार्यवाही की? सूची मय विद्यालय के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्रय के सम्बन्ध में अनियमितता बरतने वाले किन-किन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों? क्या सरकार अब दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्ष 1990-91 में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल 10.8 लाख रुपये फर्नीचर क्रय हेतु आवंटित किये गये थे। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जिन विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये क्रय किया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 20 शालाओं के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों से इस क्रय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-30 देखें।)

कोटा शहर में प्रतिनियुक्त अध्यापिकाएं

774. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा डिवीजन की कितनी अध्यापिकाएं कोटा शहर में प्रतिनियुक्ति पर हैं और वेतन बाहर से उठा रही हैं? अध्यापिकाओं के नाम, ग्रेड, विषय, किस स्कूल में कार्यरत हैं तथा कहां से व कब से वेतन उठा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अध्यापिकाएं किसके आदेश से कोटा शहर में कार्यरत हैं? जिस अधिकारी ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) कोटा शहर में 27 अध्यापिकाएं प्रतिनियुक्ति पर हैं विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति के आदेश सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त

(शिक्षा मंत्री)

कर आवश्यक होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-31 देखें।)

जोधपुर के तदर्थ अनुदानित विद्यालय

775. श्रीमती सूर्यकान्ता (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में जिला जोधपुर के कितने स्कूलों को तदर्थ अनुदान दिया है ? स्कूल का नाम, तदर्थ अनुदान की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस तदर्थ अनुदान के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) जोधपुर के कितने स्कूलों द्वारा तदर्थ अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर को वर्ष 1990-91 में 45,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पैंतालिस हजार) का तदर्थ अनुदान दिया गया है।

(2) तदर्थ अनुदान स्वीकृत करते समय संस्था की आर्थिक स्थिति, अनुदान की उपयोगिता, परीक्षा परिणाम व अन्य तथ्य मुख्यत: ध्यान में रखे जाते हैं।

(3) जोधपुर जिले की संस्थाओं के तदर्थ अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची (परिशिष्ट "अ") संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-32 देखें।)

कोटा-बारां जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

776. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व बारां जिले की माध्यमिक शालाओं में कितने पद रिक्त हैं ? उनमें से प्रधानाध्यापक के कितने पद और कहां-कहां रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रधानाध्यापक हाई स्कूल व व्याख्याता दोनों के पद समान हैं ? यदि हां, तो इस विसंगति को कब तक दूर करके हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद को प्रभावी बनाया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटा व बारां जिले की माध्यमिक शालाओं में रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :—

पद	जिला कोटा	जिला बारां
1. प्रधानाध्यापक	5	22
2. वरिष्ठ अध्यापक	2	2
3. अध्यापक	1	14
4. शारीरिक शिक्षक	5	16

(शिक्षा मंत्री)

5. पुस्तकालयाध्यक्ष	4	24
6. प्रयोगशाला सहायक	10	6
7. वरिष्ठ लिपिक	—	7
8 कनिष्ठ-लिपिक	12	30
9. प्रयोगशाला सेवक	7	31
10. च. श्रेणी कर्मचारी	9	14

रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालयों के पद समान होने की विसंगति का प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद के प्रभाव से सम्बन्धित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर शहर की अनुदानित शिक्षण संस्थाएं

777. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं? इन संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से कितनी प्रतिशत सहायता मिलती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के अन्तर्गत निर्धारण किस तिथि से किया गया है?

(3) राज्य सरकार ने उक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के अनुसार बकाया का भुगतान शिक्षण संस्थाओं को किस तिथि से किया और कितनी-कितनी राशि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन शिक्षण संस्थाओं ने 1 जनवरी, 1989 से उक्त कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण से अब तक का बकाया भुगतान कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या शिक्षण संस्थाओं के संस्थापकों ने उक्त बकाया अपने पास रख ली है? यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों व शिक्षकों को वेतन का उक्त बकाया कब तक दिला देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं द्वारा शिक्षकों को नियमित वेतनमान नहीं दिये जा रहे हैं? क्या सरकार ने इसकी चांज करवाई है?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 169 अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं इन संस्थाओं के नाम व अनुदान प्रतिशत की सूची (परिशिष्ट "अ") सलग्न है।

(2) इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में वेतन निर्धारण 1-9-88 से किया गया है जिन कर्मचारियों द्वारा

(शिक्षा मंत्री)

1-9-88 के बाद का विकल्प प्रस्तुत किया गया है उनका वेतन निर्धारण उस तिथि से किया गया है/जावेगा।

(3) पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 की बकाया का भुगतान कर्मचारी द्वारा विकल्प देने की तिथि से वेतन निर्धारण उपरान्त किया जाना होता है। संस्थाओं को भुगतान की गई राशि का विवरण (परिशिष्ट "ब") संलग्न है।

(4) जी हां। ऐसी तिथि प्रत्येक मामले में पृथक्-पृथक् हो सकती है। वेतन स्थिरीकरण के बाद संस्थाओं द्वारा व्यय कर पुनर्भरण चाहे जाने पर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

(5) जी नहीं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित शिक्षण संस्था के प्रबन्धकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान अनुदान नियमों में है। जिसकी पालना सुनिश्चित की जाती है।

(6) अनुदान नियमों में अनुदानित पदों पर वेतनमानों के सम्बन्धों में स्पष्ट प्रावधान है जिसकी पालना न करने की शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही संस्थाओं के विरुद्ध की जाती है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

खादी बोर्ड, जयपुर, की कर्मचारी यूनियन

778. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी बोर्ड में कितनी कर्मचारी यूनियनें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तकनीकी कर्मचारी संघ खादी बोर्ड, जयपुर के नाम से यूनियन पंजीकृत है ? यदि हां, तो इसके कब-कब चुनाव हुए व इसकी सदस्य संख्या कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत 3 कर्मचारी यूनियनें हैं।

(2) जी हां। तकनीकी कर्मचारी संघ के चुनाव दिनांक 11-9-86, 6-12-89 व 15-2-92 को सम्पन्न हुए हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ की सदस्यता का मामला विवादास्पद है, जिसकी जांच की जा रही है।

पंचायत समिति अटरू में खादी ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का रिक्त पद

779. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति अटरू में खादी ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद कब से

(श्री मदन दिलावर)

रिक्त है ? इस पद को कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) पिछले दो वर्षों में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से अटरू पंचायत समिति के गांवों में कौन-कौन से उद्योग लगाये गये ? सूची नाम व ग्राम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अटरू पंचायत समिति में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद दिनांक 10-10-1990 से रिक्त है। ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण सम्बन्धी शक्तियां निदेशक, ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग में निहित है। अतः पदस्थापन की कार्यवाही हेतु उन्हें 6-3-92 को लिख दिया गया है।

(2) पिछले दो वर्षों में 1989-90 व 1990-91) खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से अटरू पंचायत समिति में लगाये गये उद्योगों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–33 देखें।)

पंचायत समति वैर के भूतपूर्व सरपंच द्वारा सरकारी आवास का दुरुपयोग

780. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच लखनपुर पंचायत समिति वैर (भरतपुर) द्वारा चुनाव हारने के पश्चात् अभी तक भी चार्ज नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सरपंच द्वारा व ग्राम सेवक लखनपुर द्वारा सरकारी क्वार्टर का निजी उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्धूम चूल्हे हेतु काम में आने वाले गैस पाइप उक्त सरपंच के निवास स्थान पर रखे हुए हैं जिन्हें उसके द्वारा निजी स्तर पर विक्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच द्वारा रायपुर व गोठरा पाठशाला के निर्माण के नाम मिली राशि का फर्जी मस्टरोल पूर्ति कर गबन किया गया है ? क्या उसके विरुद्ध जांच की गयी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि खेर्रा में खरंजा बिछाने हेतु 6600 रु. एवं पोखर मरम्मत के लिए अपने सगे भाइयों एवं विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के फर्जी नाम मस्टरोल में भरकर 9944/- रुपये की राशि का गबन किया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि हैण्ड-पम्प्स की मरम्मत हेतु 1-2-1991 से 22-2-1991 तक उक्त सरपंच द्वारा फर्जी वाउचर पेश किये गये ? यदि हां, तो क्या

(श्री मदनलाल सैनी)

उसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त भूतपूर्व सरपंच ने लखनपुर ग्राम के दक्षिण में 4 कि.मी. बरसाती नाले की एक बोरिंग मशीन की गाड़ी के गुजरने से हुई क्षति के मुग्रावजे के रूप में मिली राशि को फर्जी वाउचर बना कर राशि हड़प ली गई ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि ग्रुप सचिव द्वारा उच्चाधिकारियों के नोटिस में लाने के पश्चात् भी उक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(8) क्या उक्त प्रकरणों/मामलों में राज्य सरकार द्वारा जांच कर भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक जांच की जाकर एफ. आई. आर. दर्ज करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । पूर्व सरपंच द्वारा सामान का चार्ज अभी तक नहीं दिया गया है जिसके लिए तहसीलदार, वैर द्वारा कार्यवाही की जा रही है । पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम सेवक क्वार्टर का निजी उपयोग भी किया जा रहा था जिसको अब खाली करा लिया गया है ।

(2) जी हां । निर्धूम चूल्हों हेतु काम में आने वाली गैस पाइप स्थानाभाव के कारण ग्राम सेवक द्वारा पूर्व सरपंच के घर पर रख दिये गये थे, वे टूटी-फूटी अवस्था में हैं जिनको हटाने के निर्देश ग्राम सेवक को दे दिये गये हैं । गैस पाइप विक्रय की भी जांच की जा रही है ।

(3) जी हां । शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच उप जिला कलक्टर, बयाना से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी ।

(4) फर्जी मस्टरोलों की जांच उप जिला कलक्टर, बयाना से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी ।

(5) जी नहीं । हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु 1-2-91 से 22-2-91 तक उक्त पूर्व सरपंच को कोई राशि नहीं दी गई और न ही कोई भुगतान किया गया । इसलिए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) जी नहीं ।

(7) जी नहीं ।

(8) जी नहीं । उक्त प्रकरणों की जांच कराई जा रही है । आगे की कार्यवाही जांच रिपोर्ट पर निर्भर करती है ।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर के कर्मचारियों के स्थायीकरण एवं वरिष्ठता का निर्धारण

781. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदार शहर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा अपने विभागीय आदेश संख्या–एफ. 17(ई) 61/प्रशा/77/1533 दिनांक 27-3-1979 के अनुसार ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर की वरिष्ठता सूची अलग से जारी करने का परिपत्र जारी किया गया है ? राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियमों तथा अधीनस्थ मन्त्रालयिक कर्मचारी सेवा नियमों में कर्म-कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियुक्ति व वरिष्ठता निर्धारण हेतु कब-कब संशोधन जारी किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियमों में संशोधन किये बगैर पंचायती राज विभाग द्वारा परिपत्र 27-3-1979 को जारी किया गया है ? यदि हां, तो उसकी वैधानिक मान्यता को कायम रखने हेतु क्या राज्य सरकार नये नियम बनाने का मानस रखती है ?

(3) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर के अधिशेष घोषित किये जाने के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में किन-किन कर्मचारियों ने चैलेन्ज किया है क्या उन्हें वेतन व भत्तों का भुगतान किया जा रहा है तथा उनसे किन-किन कार्यालयों में कार्य लिया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के किन-किन कर्मचारियों के मामले कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग व पंचायत राज विभाग में लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति निदेशक प्रशिक्षण द्वारा की गई थी जिन्हें विभागाध्यक्ष का उक्त पद समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अलग से जारी करने का निर्णय लिया था जो नियम 27 (ग ग) के प्रावधानानुसार है एवं नियमों में अन्य संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।

(2) उपरोक्तानुसार संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(3) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मंडोर के अधिशेष घोषित किये जाने के आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय में सर्वश्री नखतसिंह पम्प सहायक, मोतीदान एवं श्री रतन लाल, क. लि. ने चैलेन्ज किया है, जिसमें सर्वश्री नखत सिंह व मोतीदान की रिटों में निर्णय सरकार के पक्ष में रहे तथा श्री रतन लाल की रिट अभी मा. उच्च न्यायायय में विचाराधीन है। उक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का भुगतान किया जा रहा है तथा श्री नखतसिंह व मोतीदान से ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर पर सामान्य कार्य लिया जा रहा है एवं श्री रतनलाल क. लि. से जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर में कार्य लिया जा रहा है।

(4) प्रशिक्षण केन्द्र में जिन-जिन कर्मचारियों के मामले जहां-जहां लम्बित हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(पंचायतराज राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम व पद	विवरण
1.	श्री नख्तसिंह, पम्प सहायक	सामान्य प्रशासन विभाग में अधिशेष स्वीकार करने हेतु विचाराधीन है।
2.	श्री मोतीदान, गोपालक	,,
3.	श्री रतन लाल,	मा. उच्च न्यायालय में यथास्थिति के आदेश के कारण विचाराधीन है।
4.	श्रीमती हीर कंवर, क. लि.	जिला कलक्टर, जोधपुर के पास अधिशेष स्वीकार करने हेतु विचाराधीन है।

जिला परिषद् टोंक के कर्मचारियों का पदस्थापन

782. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद् टोंक की पंचायत समिति निवाई एवं पंचायत समिति टोंक से वेतन प्राप्त करने वाले कौन-कौन कर्मचारी, इन्स्पेक्टर, अध्यापक, ग्राम सेवक इत्यादि वर्तमान में किस-किस कार्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु कहां-कहां पर कब-कब से पदस्थापित है तथा इनमें से दिनांक 1-4-1989 से किस-किस को कहां-कहां स्थानांतरित किया गया अथवा प्रति नियुक्ति पर भेजा गया है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किस-किस के विरुद्ध वर्तमान में पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं राज्य सरकार स्तर पर शिकायत अथवा जांच किस-किस आधार पर विचाराधीन है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद्, टोंक की पंचायत समिति, निवाई एवं पंचायत समिति, टोंक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछे गये विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में कार्यरत पंचायत समिति, निवाई एवं पंचायत समिति टोंक के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत एवं जांच तथा उसके आधार का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला परिषद् डूंगरपुर द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति

783. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डूंगरपुर जिला परिषद् द्वारा गत वित्त वर्ष 1991-92 में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो

(श्री बहादुर सिंह)

किस आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिला परिषद् द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियों में डूंगरपुर जिले के (मूल) कितने प्रार्थियों को नियुक्तियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डूंगरपुर जिला परिषद् से प्रशिक्षित अध्यापक के और कितने पद रिक्त हैं एवं इन्हें कब तक भरे जावेंगे ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1991–92 में किसी भी शिक्षक की नियुक्तियों नहीं की गई है।

(2) किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है।

(3) वर्तमान में जिले में शिक्षकों के 75 पद रिक्त हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 3117/91 सुरेश चन्द्र आदि विरुद्ध राज्य सरकार तथा अन्य में दिनांक 5-7-91 को पारित स्थगन आदेश के कारण अभी नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने पर ही नियुक्तियां की जा सकेगी।

जिला परिषद् नागौर की पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

784. गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला परिषद् नागौर द्वारा वर्ष 1991 में विभिन्न पाठशालाओं में रिक्त अध्यापकों के पद भरने हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यार्थियों ने आवेदन किया ?

(2) उक्त पदों की कुल संख्या क्या थी ? उक्त पदों को अलग-अलग वर्गों के लिये किस सिद्धांत के आधार पर आरक्षित किया गया ? सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी सिद्धान्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें ? क्या यह सही है कि आधे से अधिक पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) उक्त पदों को भरने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या कोई विशेष चयन बोर्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो सदस्यों के नाम सूची सदन की मेज पर रखें। चयन में देरी के क्या कारण हैं ?

(4) क्या चयन करने हेतु सरकार ने कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञापन में निर्धारित अन्तिम तिथि तक कुल 11953 अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(2) उक्त पदों की कुल संख्या 1043 थी। उक्त पदों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वर्गों के लिए राज्य सरकार के

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

नियमों के अनुसार वैकलाग आधार पर आरक्षित किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित सिद्धान्तों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। जी हां। श्याम पट्ट योजनान्तर्गत चयनित विद्यालय में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दो अध्यापकों में से एक अध्यापक महिला होना अनिवार्य है।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करके कम्प्यूटर द्वारा सूचियां तैयार कराई जा रही थी परन्तु डी. बी. सिविल रिट सं. 6490/91 प्रेमराज गोदारा विरुद्ध राज्य सरकार तथा अन्य में दिनांक 5-7-1991 को पारित स्थगन आदेश जिसे दिनांक 10-4-1992 तक बढ़ा दिया गया है, के कारण नियुक्तियां के कार्य को रोक देना पड़ा। इस चयन प्रक्रिया में कोई विशेष चयन बोर्ड नहीं बनाया गया।

(4) जी हां। चयन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तथा मापदण्ड के सम्बन्ध में प्रसारित आदेश क्रमांक 476 दिनांक 26-2-1991 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

माईनिंग कार्यालय राजसमन्द द्वारा खनन लीज

785. **श्री शान्ति लाल** (राजसमन्द): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माईनिंग कार्यालय राजसमन्द द्वारा दिनांक 1-10-1990 से 24-2-1992 तक किन-किन व्यक्तियों को खनन लीज स्वीकृत की गई ? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन लीज किस-किस श्रेणी की भूमि एवं कहां-कहां पर स्वीकृत की गई है ? आराजी नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय द्वारा इसी अवधि में किन-किन व्यक्तियों द्वारा किन-किन पट्टाधारियों से खनन लीज अपने नाम पर स्थानान्तरित कराई गई ? सूची पते सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता, राजसमन्द कार्यालय, द्वारा दिनांक 1-10-1990 से 24-2-1992 तक खनन लीज हेतु जारी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) उक्त खनन लीज के भूमि की किस्म व स्थान का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित कर दिया गया है।

(3) उक्त अवधि में जिन पट्टेधारियों को खनन लीज हस्तान्तरण हुई, का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील सोजत के चूने-पत्थर के पट्टाधारियों से अधिशुल्क

786. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत तहसील के किन-किन चूने के पत्थर के पट्टाधारियों के अधिशुल्क का निर्धारण वर्ष 1991 में अपना अभिलेख पेश नहीं करने के अभाव में किस-किस तारीख को किया गया ? नियम 38 (4) का नोटिस कब दिया व नियम 38(5) की पालना कब की गई ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई सूची में पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न फार्म 11 ए के अनुसार निर्धारित वर्ष में कितना उत्पादन बताया गया, कितना माल का निर्गम किया गया व कितना स्टाक बताया गया ? पूर्ण वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण से पूर्व नियम 39 के अनुसार निर्धारण किया ? यदि हां, तो कब व कितना ?

(4) क्या यह सही है कि अभिलेख के अभाव में निर्धारण अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य को नेकनियति से न करते हुए पट्टाधारियों को नाजायज सहयोग नियमों के विरुद्ध देकर राज्य की आय को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है ?

(5) क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा ऐसे पट्टाधारियों का निर्धारण पुनः नियम 41 के अनुसार करायेगी व नियम 38(6) के अनुसार कार्यवाही भी करेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले की सोजत तहसील में खनिज चूना-पत्थर के पट्टाधारी श्री अब्दुल गनी निवासी ग्राम बोयल द्वारा वर्ष 90-91 (दिनांक 7-3-90 से 6-3-91) का वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण हेतु रेकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण मासिक आंकड़ों के आधार पर प्रोविजनल अधिशुल्क निर्धारण दिनांक 12-9-91 को एवं अन्तिमतया निर्धारण दिनांक 20-1-92 को किया गया। उक्त पट्टेधारी को वार्षिक रेकार्ड प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 13-3-91 एवं 15-5-91 को पत्र लिखा गया जिसकी पालना में पट्टाधारी द्वारा रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उक्त अनुसार पट्टाधारी श्री अब्दुल गनी द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न फार्म 11 (ए) के अनुसार अधिशुल्क निर्धारण अवधि दिनांक 7-3-90 से 6-3-91 में बताया गया उत्पादन 2531 मै. टन, निर्गम 2463 मै. टन व स्टाक 68 मै. टन है, जिसकी माहवारी सूची संलग्न है।

(3) निर्धारण अधिकारी द्वारा नियम 39 के अन्तर्गत प्रोविजनल अधिशुल्क निर्धारण दिनांक 12-9-1991 को रुपये 1,32,925/- अधिक अधिशुल्क पर व अन्तिमतया निर्धारण दिनांक 20-1-1992 मृतकमटक पर किया गया।

(खनिज राज्य मंत्री)

(4) नहीं। यह सही नहीं है, क्योंकि जो निर्धारण किया गया है व नियमानुसार किया गया है। श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक खान-II उदयपुर के आदेश दि. 20-12-91 की पालना एवं पूर्ण रेकार्ड, क्षेत्रीय स्थिति तथा पट्टेधारी द्वारा एतराज प्रतिवेदन के बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए अतिमतया निर्धारण किया गया है।

(5) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 से 4 के प्रत्युत्तर अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारण किया गया है। अतः इसमें निर्धारण अधिकारी दोषी नहीं है। नियम 41 एवं 38(6) के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–34 देखें।)

तहसील कोटपूतली के अजीतपुरा एवं मैसलाना में लाईमस्टोन का पट्टा

787. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजीतपुरा, मैसलाना तहसील कोटपूतली में लाइमस्टोन का पट्टा मैसर्स नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी प्रा. लिमिटेड को सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए दिया गया था?

(2) क्या यह सीमेंट उद्योग स्थापित हुआ? यदि नहीं, तो सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस लीज को निरस्त कर इसके पूर्ववर्ती लीज होल्डर को पुनः लीज पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। खनन पट्टा श्री रामेश्वर प्रसाद बजाज को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि पट्टाधारी योजलाना संयन्त्र की स्थापना करेगा। तत्पश्चात् खनन पट्टे का हस्तांतरण सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी प्राइवेट लि. के पक्ष में किया गया।

(2) जी नहीं। पट्टाधारी द्वारा एक प्लाण्ट की स्थापना की गई, जिससे हाइड्रेटेड लाइम का उत्पादन हो रहा है। इस सम्बन्ध में पट्टाधारी को चेतना पत्र दिया गया, जिसके विरुद्ध पट्टाधारी ने न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। पार्टी ने योजलाना प्लांट के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया है, उस पर विचार किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

खनिज अभियन्ता रामगंज मण्डी (कोटा) की आय के लक्ष्य

788. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जीतमल जैन)

(1) खनिज अभियन्ता रामगंज मण्डी जिला कोटा का आय लक्ष्य वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 का किस आदेश नम्बर एवं किस दिनांक से निर्धारित किया गया था एवं यह आदेश किस के द्वारा दिया गया था ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) बजट आवंटन के समय लेजर में खनिज लाइम स्टोन की रायल्टी दर कितनी थी व माइनर मिनरल में लाइम स्टोन, सैण्ड स्टोन, मशीनरी स्टोन एवं बजरी की रायल्टी की दर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के अन्तर्गत कितनी थी ? विगत वर्षों के दौरान रायल्टी की दर में सरकार के किस नोटिफिकेशन आदेश से वृद्धि की गई व उपरोक्त खनिजों की कितनी की गई ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 का आय लक्ष्य पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखे ।

(4) क्या यह सही है कि खनिज कार्यालय रामगंज मण्डी का आय लक्ष्य पूरा नहीं हुआ व उपरोक्त वर्षों का आय लक्ष्य लोन एवं एडवान्स लेकर पूरा करना बताया गया ? प्रत्येक वर्ष में यह अग्रिम राशि किन-किन पार्टियों से कितनी-कितनी ली गयी ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 जिसमें रायल्टी की दरों में भी वृद्धि हो गई थी, आय लक्ष्य पूरा न करने का कारण रायल्टी की अप्रत्याशित रूप में चोरी किया जाना रहा है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) रॉयल्टी की दरों में संशोधन होने की दिनांक से वर्ष 1990–91 में खनिज वार कितना डिस्प्रेस हुआ, जिसकी कितनी रॉयल्टी बनी व यह डिस्प्रेस वर्ष 1989-90 की तुलना में खनिज वार कितना अधिक था ? प्रत्येक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता, रामगंज मण्डी का आय लक्ष्य वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 निदेशक, खान विभाग, उदयपुर के पत्रांक निदे/प-13/ग्रुप-1/आय लक्ष्य/90-91/29 दिनांक 1-7-89 एवं 649 दिनांक 3-7-90 से निर्धारित किया था । आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 संलग्न है ।

(2) आय का लक्ष्य निर्धारित करते समय (दिनांक 1-7-1989 व 3-7-1990) उसके बाद दिनांक 23-1-1991 व दिनांक 11-3-1991 को उक्त खनिजों पर रायल्टी की दरें निम्नानुसार हैं :—

(खनिज राज्य मंत्री)

	खनिज का नाम	1-7-1989 को लागू रायल्टी की दरें	3-7-90 को लागू रायल्टी की दरें	23-1-91 को लागू रायल्टी की दरें	11-3-91 से लागू दर
	मेजर मिनरल :				
1.	लाइम स्टोन	10.00	10.00	10.00	10.00
	माइनर मिनरल :				
1.	लाइम स्टोन (फर्सी)	25.00	25.00	25.00	35.00
2.	लाइम स्टोन (बर्निंग)	12.50	12.50	12.50	12.50
3.	सैण्ड स्टोन	15.00	15.00	25.00	25.00
4.	मेसनरी स्टोन	2.50	2.50	2.50	2.50
5.	बजरी	2.50	2.50	2.50	2.50

राज्य सरकार द्वारा खनिज रायल्टी में किये गये संशोधन की प्रति संलग्न परिशिष्ट 3 एवं 4 है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। कार्यालय रामगंज मण्डी का उपरोक्त वर्षों का निर्धारित आय लक्ष्य पूरा हुआ। कार्यालय द्वारा आय लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी पार्टी से एडवांस नहीं लिया गया। बल्कि खनिज निर्गमन हेतु जारी किये रवन्ना के विरुद्ध राशि वसूल की गई।

(5) जी नहीं। वर्ष 1989-90 में रायल्टी की दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ, वर्ष 1990–91 में वर्ष के अन्तिम तिमाही (दिनांक 23-1-1991 व 11-3-1991) में कुछ खनिजों पर रायल्टी में वृद्धि हुई लेकिन रामगंज मण्डी क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्पादित खनिज लाइम स्टोन व सैण्ड स्टोन में मांग कम होने से निर्गमन में गिरावट भी आयी। इसलिए रायल्टी की दर में वृद्धि होने से आय में उल्लेखित वृद्धि नहीं हुई।

(6) वर्ष 1990–91 में रायल्टी की दरों में संशोधन दिनांक 23-1-1991 व 11-3-1991 से हुआ। इस अवधि का वर्ष 1989–90 व 1990–91 का खनिज वार तुलनात्मक विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–5)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अलवर जिले की खान एवं वन विभाग की भूमि के विचाराधीन प्रकरण

789. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री सम्पतसिंह)

अलवर जिले की खान एवं वन विभाग की कितनी-कितनी भूमि के विवाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है ? राज्य सरकार ने इनमें पैरवी के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायाधीश एम. एल. जैन कमेटी द्वारा अभी तक वन क्षेत्र की सीमाओं का पूर्ण रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में इस विवाद से कितना क्षेत्र विवादग्रस्त है, बताया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों की पैरवी हेतु एडवोकेट ऑन रेकार्ड नियुक्त है। जो मामलों की पैरवी करते हैं।

माण्डलगढ़-बिजौलिया में खनिज पदार्थ

790. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा जिले के ऊपर माल क्षेत्र माण्डलगढ़- बिजौलिया में राजस्थान और मध्य भारत के बीच खनिज पदार्थ निकालने को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में समय-समय पर, कब-कब माइनिंग, राजस्व अधिकारियों को लेकर मध्य भारत के सरकारी अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और वार्ता के नतीजे क्या रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले के ऊपरमाल क्षेत्र माण्डलगढ़-बिजौलिया राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच विवाद के मामले में माईनिंग के अधिकारियों व मध्यप्रदेश के अधिकारियों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई।

लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों द्वारा वादों का निस्तारण

791. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के कार्यभार में किस प्रकार के वाद निस्तारण हेतु दिये जाते हैं जिन्हें राज्यहित में पैरवी करने के लिए ये अधिकृत हैं ?

(2) क्या फौजदारी व दीवानी दोनों ही मामलों में पैरवी एक ही लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक पदनाम व्यक्ति से कराई जाती हैं, यदि हां, तो क्यों ? व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए दोनों ही विषयों में अलग-अलग पैरवी करने वाले को ये मामले दिये जाने में क्या आपत्ति है ?

(3) क्या यह सही है कि मामलात के अधिभार के कारण मामलात के निपटारे में निरर्थक देर होती है ? क्या सरकार दोनों मामलातों में अलग-अलग अभियोजक (अर्थात् दीवानी एवं फौजदारी के) रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उत्तर

(1) लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक सैशन न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से सैशन प्रकरणों, फौजदारी अपीलों एवं अन्य फौजदारी मामलों में पैरवी करते हैं। लोक अभियोजक जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय में तथा अपर लोक अभियोजक अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय में फौजदारी मामलों की पैरवी करते हैं। इसके अलावा वे राजकीय अभिभाषक की हैसियत से न्यायालय मुंसिफ/अपर मुंसिफ, न्यायालय सिविल न्यायाधीश/ अपर सिविल न्यायाधीश अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश के न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से दीवानी मामलों में भी पैरवी करने के लिए अधिकृत हैं।

(2) अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं उदयपुर में एक-एक पद अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (सिविल) का है जिसके द्वारा केवल दीवानी मामलों में राज्य सरकार की ओर से इन स्थानों पर कार्यरत न्यायालयों में पैरवी की जाती हैं। अन्य लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक जो राजकीय अभिभाषक के रूप में भी नियुक्त हैं के द्वारा फौजदारी एवं दीवानी दोनों ही प्रकार के मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी की जाती हैं। चूंकि जिला एवं सैशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सैशन न्यायालय के द्वारा फौजदारी मामलों के साथ-साथ दीवानी मामलों की भी सुनवाई की जाती हैं इसलिए एक ही व्यक्ति लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक से दोनों प्रकार के मामलों की पैरवी करवाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उचित है। अलग-अलग दो अभिभाषकों से पैरवी करवाने से राज्यकोष पर अनावश्यक भार पड़ता है।

(4) राज्य सरकार फौजदारी एवं दीवानी मामलातों में अलग-अलग अभियोजक नियुक्त करने का विचार नहीं रखती क्योंकि इससे राज्यकोष पर अनावश्यक भार पड़ेगा। यह सही नहीं है कि लोक अभियोजक के पास जो कार्य हैं उसकी वजह से मामलात के निपटारे में निरर्थक देर होती है। मामलात का निपटारा न्यायालय द्वारा किया जाता है, न कि लोक अभियोजक द्वारा।

प्रदेश के खेतीहर मजदूरों हेतु विधेयक

792. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खेतीहर मजदूरों को संगठित करने हेतु सरकार विधेयक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

भारत सरकार से प्राप्त ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बांसवाड़ा जिले के बाल विकास एवं आंगन बाड़ी केन्द्र

793. श्री नवनीतलाल नीमामा (घाटोल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बांसवाड़ा जिले में कितने बाल विकास परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में कितने बालक व गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ियों द्वारा सुबह का नाश्ता दिया जाता है ? बाल विकास परियोजना व आंगनबाड़ी वार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा के गांव जेथलिया, मजरा चिकली तथा पीपलखूंट के उगमणापाड़ा व पावटी पावटीपाड़ा में आंगनबाडियां चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक आंगनबाड़ी में कितने बालक व गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किस समय पर, कितना-कितना, किसके द्वारा दिया जाता है ? संचालिका के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में 8 बाल विकास परियोजनाओं में 1120 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परियोजनावार विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आ. बा. केन्द्रों की संख्या
1.	बाल विकास परियोजना गढी,	217
2.	,, ,, तलवाड़ा,	124
3.	,, ,, आनन्दपुरी	100
4.	,, ,, बागीदौरा	166
5.	,, ,, सज्जनगढ़	124
6.	,, ,, कुशलगढ़	121
7.	,, ,, घाटोल	125
8.	,, ,, पीपलखूंट	143
	योग :	1120

(2) जिला बांसवाड़ा में 8 बाल विकास परियोजनाओं बालक 60427 गर्भवती महिलाएं 4933 को सुबह का पूरक पोषाहार वितरित किया जाता है। बाल विकास परियोजना वार व आंगनवाड़ी वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, जेथलिया, मजरा चीकली तथा पीपलखूंट के उगमणा पाड़ा व पावटीपावटीपाड़ा में आंगनबाडी केन्द्र कार्यरत है। इन केन्द्रों पर 250 बालक बालिकाओं व 13 गर्भवती महिलाओं को सुबह 9.00 बजे से 1.00 बजे के बीच में पूरक पोषाहार निम्नानुसार वितरित किया जाता हैं। प्रत्येक गर्भवती महिला–130 ग्राम एस. एफ. बी. डब्ल्यू 16 ग्राम–16 ग्राम एस. ऑयल। 6 मास से 6 वर्ष के प्रत्येक बालक बालिका 65 ग्राम एस. एस. बी. ग्राम डब्ल्यू–8. एस. ऑयल। उक्त केन्द्रों

(श्री नवनीतलाल नीमामा)

की संचालिकाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

तहसील जमवा रामगढ़ को डार्क जोन घोषित किये जाने का आधार

794. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): क्या भूजल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले की जमवा रामगढ़ तहसील को डार्क जोन घोषित किये जाने का क्या आधार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पुनः उक्त क्षेत्र को डार्क जोन से निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) किसी क्षेत्र विशेष में भू-जल की जितनी मात्रा दोहन योग्य उपलब्ध होती है उसका यदि 65%तक दोहन किया जाता है तो उसे व्हाइट जोन, 65 से 85% तक को ग्रे जोन और 85% से ऊपर डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता है। जमयारामगढ़ तहसील को 5 जोनों में बांटा हुआ है इनमें से 1 व्हाइट, 2 ग्रे और 2 डार्क जोन में भू-जल निकास के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

भू-जल धारक इकाई (जोंस) व क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.		फोरमेशन	भू-जल आवक (रिचार्ज) एम. सी. एम.	भू-जल निकासी (ड्राफ्ट) एम. सी. एम.	शेष भू-जल (बेलेन्स) एम. सी. एम	भू-जल विकास की स्थिति प्रतिशत	श्रेणी
"ए"	577.81	एल्यूवियम	50.4934	31-6184	18.8750	62.61	व्हाइट
"बी"	96.85	क्वार्टजाइट	2.8638	3.8960	(–) 1.0322	136.04	डार्क
"बी"	78.95	क्वार्टजाइट	1.4038	3.1668	(-) 1.7630	225.58	डार्क
"सी"	13601	सिष्ट	4.6167	3.6554	0.9613	79:17	ग्रे
'डी"	72 25	ग्रेनाइट	2.4201	1.7312	0.6889	71.53	ग्रे
कुल	961.87		61.7918	44.0678	17.7300	71.30	

(2) भू-जल विभाग के सर्वे एवं अनुसंधान विंग के द्वारा राज. के सभी क्षेत्रों का भू-जल उपलब्धि पुन मूल्यांकन किया जा रहा है। इस पुनः मूल्यांकन के आधार पर यदि स्थिति में परिवर्तन आयेगा तो परिवर्तित स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण किया जायेगा।

जयपुर स्थित गुर्जर छात्रावास में झगड़ा

795. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मोती डूंगरी स्थित जयपुर स्थित गुर्जर छात्रावास में कुछ समय पूर्व झगड़ा हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए, कितनी का डाक्टरी मुआयना करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त झगड़े की आशंका पुलिस को पूर्व में ही हो गई थी ? यदि हां, तो समय पूर्व अपेक्षित कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

(3) उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ? किन-किन को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां मोतीडूंगरी गूर्जर छात्रावास में दिनांक 31-3-91 को दो गुटों में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा 8 व्यक्ति घायल हुए। जिन सभी का डाक्टरी मुआयना करवाया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी, हाँ। थाना मोती डूंगरी द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए जाप्ता मौके पर भिजवाया गया था तथा मौके पर पुलिस ने ही बीच बचाव किया था।

(3) अपराध संख्या 70/91 थाना मोतीडूंगरी, जयपुर शहर में अभियुक्त सर्व श्री विजय हाड़ा, दिलीपमाथुर धर्मेन्द्र उर्फ देवेन्द्र, महेन्द्र सिंह, अनिल शर्मा, राजेन्द्र, उर्फ नरेन्द्र सोमेन्द्र, अजय सिंह, रणजीत सिंह, रामसिंह, राजवीर सिंह को दोषी पाया गया व राम सिंह तथा राजवीर सिंह के अनुसंधान के दौरान उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष अभियुक्तों का चालान दिनांक 28-6-91 व 16-1-92 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा रामसिंह व राजवीर सिंह के उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके खिलाफ धारा 82, 83 जाब्ता फोजदारी कार्यवाही की जावेगी तथा शेष अन्य अभियुक्तों के बारे में प्रकरण का अनुसंधान धारा 173 (8) जाप्ता फोजदारी में जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-35 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-1992)

बीकानेर जिले के पंचायत विभाग के अधीन विद्यालय एवं अध्यापक

300. श्री मनीराम (लूणकरणसर): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं ?

(2) सन् 1989 से अब तक इस जिले में कितनी नई प्राइमरी स्कूलें सरकार द्वारा खोली गई हैं ?

(3) उक्त जिले में वर्तमान में कितनी स्कूलें चालू हैं तथा कितनी स्कूलें अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं ?

(श्री मनीराम सियाग)

(4) किस-किस स्कूल में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा किस-किस स्कूल में कितने अध्यापक अगेन्स्ट पोस्ट लगे हुए हैं?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 580 प्राइमरी स्कूलें हैं।

(2) सन् 1989 से बीकानेर जिले में 108 नई प्राइमरी स्कूलें सरकार द्वारा खोली गई हैं। वर्ष 1992-93 में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय बजट प्रावधान व औचित्य के आधार पर किया जायेगा।

(3) बीकानेर जिले में सभी स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय चालू हैं।

(4) बीकानेर जिले में स्वीकृत 580 विद्यालयों में कुल 1454 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं जिनके विरूद्ध वर्तमान में 1033 अध्यापक कार्यरत हैं तथा 421 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। स्कूलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 372
(स्थगित)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री भवंरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा बनवायी गई शिल्पी शालाओं का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री लक्ष्मीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले के शिमला ग्राम में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के वर्ष 1985-86, 1986-87, व 1987-88 के अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान न करने से मजदूरों में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

(4) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा शहर के गांधी नगर क्षेत्र में प्रतापनगर थाने के इंचार्ज द्वारा कथित लाठीचार्ज करने से जनता में व्याप्त भय के संबंध में।

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके में स्थित डाक-तार विभाग की कालोनी में रविवार दिनांक 22 मार्च, 1992 को 8 सदस्यों के पूरे परिवार के जल कर मर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में भी सूचना प्राप्त हुई है :–

(6) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान का रावी-व्यास नदियों में पानी का हिस्सा 1955 में निर्धारित होने के उपरान्त भी पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में इसे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री चन्दनमल बैद व चार अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से 8 मार्च, 1992 को दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी, जिला सवाई माधोपुर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां स्वागत कक्ष के निर्माण का शिलान्यास करवाने के कार्यक्रम की हो रही तैयारी के समय शामियाने को क्षति पहुंचाने तथा वहां पूजा हेतु रखे भगवान महावीर के चित्र को गड्ढे में फेंकने तथा पूजा अर्चना की सामग्री को फेंक देने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : (8) डा. चन्द्रभान और श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से होली के अवसर पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की कथित निष्क्रियता के कारण साम्प्रदायिक एवं जातीय दंगे भड़कने पर भारी संख्या में लोगों के हताहत होने, सम्पत्ति का नुकसान होने तथा दंगों के कारण फैली हिंसा से शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को गृह विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये सभी प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) डा. चन्द्रभान व श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 9 मार्च, 1992 को भीलवाड़ा नगर में मनाये गये शहीद दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के आचरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री परसादीलाल, मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली में दिनांक 20 मार्च, 1991 को रामगणेश मीणा की कथित हत्या की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

प्रस्तावक माननीय सदस्य गृह विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोल सकेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में भयंकर अकालग्रस्त घोषित होने के बावजूद भी राजस्व वसूली में किसानों को तंग किये जाने के संबंध में।

(4) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिला बाड़मेर की तहसील शिव की सब तहसील गडरारोड के समस्त ग्राम गत 4 वर्ष से अकालग्रस्त होने के कारण खाद्यान्न व चारे के बढ़ते भावों से भुखमरी, जानवरों के मर जाने व पलायन की उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रामप्रसाद एवं 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के कतिपय गांवों में भयंकर अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को आवास एवं सरकारी सहायता दिलवाने के संबंध में।

प्रस्तावक मा. सदस्यों को अकाल के संबंध में सदन में होने वाली चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

(6) श्री भंवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ के सब ग्रिड स्टेशन सालासर पर जिला सीकर के गांवों का विद्युत लोड पड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ के ग्राम बम्बू के जी. एस. एल. से 100 कि. मी. लम्बी लाइन डालकर गांवों को बिजली देने से आखरी छोर के गांव में सही वोल्टेज नहीं होने की वजह से उत्पन्न कठिनाई के संबंध में।

(8) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर की तहसील लक्ष्मणगढ़ के गांवों में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के प्रस्तावक माननीय सदस्यों को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक आय-व्ययक अनुमान पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये सभी प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को आज गृह विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी :–

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील में पुलिस की कथित निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्री रामनारायण वर्मा, एवं श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में हो रही संगीन चोरियों एवं लूटपाट के मामलों में मुलजिमान को पकड़ने व माल बरामद करने में हो रही असफलता से निपटने हेतु समुचित उपाय किये जाने के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री लक्ष्मीलाल एवं दो अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री रामनारायण पुत्र श्री प्रभुलाल गुर्जर निवासी गांव करजूना तहसील अटरू जिला बारां की हत्या के सम्बन्ध में,

(4) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिरला हायर सैकण्डरी स्कूल, झुंझुनूं में कार्यरत अध्यापक श्री ऋषिराज शर्मा के पिलानी से लापता होने की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में,

(5) प्रो. केदार नाथ शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर राजऋषि कालेज में 10 मार्च को वार्ड प्रिंसिपल श्री रघुवर दयाल पारीक पर कथित हमले से अलवर की सब शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है। ये अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी :–

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल (सी ए.डी.). सिंचाई के फील्ड मशीनरी डिवीजन, कोटा में व्याप्त निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र के विकास के फील्ड मशीनरी डिवीजन में निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है और न ही मशीनों के डीजल बेचने के सम्बन्ध में कोई शिकायत विभाग के ध्यान में आयी है या लायी गयी है। अगर इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक शिकायत प्राप्त होगी तो जांच कर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मशीनें उपलब्ध कार्य के अनुरूप ही कार्य करती हैं तथा यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ये मशीनें बहुत पुरानी हैं, अतः इनकी कार्यकुशलता नयी मशीनों की अपेक्षा कम होना स्वाभाविक है।

(2) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से गवर्नमेण्ट प्रेस, बीकानेर में अलवर, भरतपुर, तथा राजस्थान के बाहर के वासियों को बीकानेर का निवासी बनाकर अप्रेण्टिस के पदों पर प्रशिक्षण गैरकानूनी तरीके से देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में राजकीय मुद्रणालय नहीं हैं और न ही प्रत्येक सम्भाग में ये मुद्रणालय हैं। अतः प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिलेवार किया जाना न तो नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है और न ही सम्भव है। ऐसी प्रक्रिया अपनाना कई कारणों से उचित भी नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए दिये गये विज्ञापन के आधार पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया उनमें केवल तीन को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों द्वारा अपना पता बीकानेर का ही अंकित किया गया है। अतः स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव में जो तथ्य अंकित किये गये हैं वे वस्तुस्थिति से परे हैं।

(3) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में राशन की दुकानों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की मात्रा में कमी करने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि बीकानेर के नागरिकों को गेहूं की मात्रा 10 किलो प्रति यूनिट प्रति माह से घटा कर पांच किलो कर दी गयी, यह सही है। बीकानेर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक दस किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह दिया जा रहा था किन्तु जनवरी, 1992 से जिला अकाल ग्रस्त होने व खुले बाजार में गेहूं एवं मोटे अनाजों के भाव बढ़ जाने से उपभोक्ताओं की मांग बढ़ जाने से 10 किलो गेहूं प्रति यूनिट वितरण किया जाना सम्भव नहीं होने से इस मात्रा को घटाकर शहरी एवं ग्रामीण सभी क्षेत्रों में पांच किलो प्रति यूनिट जनवरी, 1992 से वितरण करवाया जा रहा है। राज्य सरकार राज्य के लिए गेहूं का कोटा बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से निरन्तर प्रयास कर रही है किन्तु केन्द्र सरकार से मात्र पांच हजार मैट्रिक टन का कोटा राज्य के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में जो कुछ आवंटन प्राप्त हो रहा है उसे ही मांग एवं उपलब्धि के आधार पर वितरित किया जा रहा है। वितरित करायी जा रही मात्रा में वृद्धि तभी सम्भव है जब केन्द्र सरकार से गेहूं का अधिक आवंटन प्राप्त हो। उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं का वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिस गुणवत्ता का गेहूं दिया जाता है उसी के अनुरूप किया जाता है। दो उचित मूल्य की दुकानों पर खराब गेहूं पहुंचने की जानकारी अवश्य प्राप्त हुई थी, जिसका निराकरण तुरन्त किया गया।

(4) डा. हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तीस जिले तीस काम योजना के तहत जयपुर की 21 स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की स्वीकृति निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा तीस जिले तीस काम योजना में 13 शाला भवन जिला शिक्षा अधिकारी, द्वितीय से सम्बन्धित कुल 21 शाला भवन स्वीकृत किये गये थे। जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर, द्वितीय से सम्बन्धित कुल 21 शाला भवनों में से दो शाला भवनों की स्वीकृति स्थानाभाव व कार्य शुरू नहीं होने के कारण निरस्त की गयी। शेष बचे 19 शाला भवनों में से चार कार्य तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत स्वीकृत हैं एवं 15 शालाओं का निर्माण अल्प बचत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के अन्तर्गत सेवाड़ी व लाठाड़ा जंगलात में अवैध लकड़ी की कटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के हाड़ौती ग्राम में हाड़ौती से कैला देवी वाया सपोटरा सड़क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,

(4) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के सम्बन्ध में,

(5) श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में,

(6) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर के ग्राम सुनावढ़ के पटवार ट्रेनिंग सेण्टर को हटा कर गजसिंहपुर ले जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में,

(7) श्री चुन्नीलाल गरासिया, सदस्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य आर्किटैक्ट का पद होते हुए भी राजस्थान हाउस, दिल्ली का कार्य एक निजी आर्किटैक्ट को दिये जाने से राज्य सरकार को हुए नुकसान के सम्बन्ध में,

(8) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में भेड़ पालकों पर हो रहे कुठाराघात तथा भेड़ व्यवसायियों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में,

(9) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी में कुछ समाजकण्टकों द्वारा श्री महावीर स्वामी के चित्र का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में,

(10) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले की सड़कों एवं रपटों के खस्ता हाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(11) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में,

(12) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अंग्रेज सरकार के द्वारा देशभक्त श्री भगतसिंह को बलिवेदी पर चढ़ाये जाने से उनकी स्मृति कृतज्ञ राज्य राष्ट्रधारा कार्यक्रम लिये जाने के सम्बन्ध में,

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि 242 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें से 177 के राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गये हैं, 43 के उत्तर आना शेष हैं। इनमें से केवल 17 सूचीबद्ध हो सके हैं। ऐसी स्थिति में सभी ऐसे प्रस्तावों को सदन की बैठकों के दौरान सूचीबद्ध करना सम्भव

(श्री अध्यक्ष)

प्रतीत नहीं होता। अतः इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि आज पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय पुलिस विभाग से सम्बन्धित निम्नांकित 23 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के प्रस्तावक पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय इन पर बोल सकेंगे, जिसके लिए उनको विशेष अनुमति होगी। माननीय सम्बन्धित मंत्री जी एक एक का अलग से जवाब देंगे। जवाब की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को दे दी गयी है।

1. श्री लक्ष्मीनारायण दवे व 6 अन्य द्वारा
2. श्रीमती तारा भण्डारी व श्री मनीराम सियाग
3. श्री रामस्वरूप मीणा व 4 अन्य
4. श्री गोपीराम जाट व श्री मदनलाल सैनी
5. श्री बालचन्द आर्यवीर व 3 अन्य
6. श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर व 6 अन्य
7. श्री श्रीचन्द कृपलानी
8. श्री रामस्वरूप मीणा व 2 अन्य
9. श्री राजेन्द्र पारीक
10. श्री हरिसिंह (महुआ) व 3 अन्य
11. श्री हरिसिंह (महुआ)
12. श्री मोहनलाल चौहान व 2 अन्य
13. श्री टीकमचन्द कान्त
14. श्री हेमराज मीणा
15. श्री गुलाम मुस्तुफा
16. श्री कन्हैयालाल मीणा
17. श्री किशन कोगटा व 12 अन्य
18. श्री विरधाराम चौधरी
19. श्री कन्हैयालाल व 4 अन्य
20. श्री अर्जुनदास मदान
21. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता
22. श्री रामसिंह विश्नोई, एवं
23. श्री फूलचन्द गुर्जर एवं 8 अन्य।

श्री यदुनाथ सिंह जी।....(व्यवधान).... मैं एक-एक को बुला रहा हूं, आप ही के हिसाब से बुला रहा हूं। यदुनाथ सिंह जी बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : नहीं, अध्यक्ष महोदय। आप तो उनको बुलाएंगे, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि होली के अवसर पर इतने जातीय और साम्प्रदायिक....

श्री अध्यक्ष : यह भी बुला रहा हूं, आपको बुला रहा हूं। आप बैठिये। आपने व्यवस्था सुनी नहीं। श्री यदुनाथ सिंह जी बोलें पहले।

श्री रामप्रसाद (वैर) : भरतपुर के मामले के ऊपर मंत्री जी स्टेटमैण्ट दें, उससे पहले....

श्री अध्यक्ष : आपको भी बुलाऊंगा।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): टोडारायसिंह में होली के ऊपर झगड़े हो गये....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कोई रिक्वेस्ट की है आपको।

श्री अध्यक्ष : मैं बुला रहा हूं आपको। एक-एक को बुला रहा हूं। एक साथ तो कोई सुनेगा नहीं।....(व्यवधान)....मैं एक एक को बुला रहा हूं, बैठिये।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री रामप्रसाद : हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, बुलायेंगे। श्री यदुनाथ सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं जिससे राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है। पिछली 17 तारीख को पंजाब के मुख्य मंत्री ने विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों की चण्डीगढ़ में एक बैठक की। उस बैठक के कुछ समाचार, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उनमें उन्होंने रावी-व्यास नदियों के जल के वितरण के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का संकेत दिया है। उस मीटिंग की रिपोर्ट छपी है। उसमें यह भी दर्शाया गया है कि उनकी इस सम्बन्ध में भारत सरकार से और प्रधान मंत्रीजी से बात-चीत हुई है और शीघ्र ही एक पंजाब पैकेज के रूप में केन्द्रीय सरकार कुछ घोषणा करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे उससे पहले भी यह चर्चा चली थी कि पंजाब के तुष्टिकरण के लिए फिर से रावी-व्यास नदियों के जल विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाय।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इन नदियों के जल वितरण के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। 1955 में हमारा समझौता हो गया, हमारा हिस्सा तय किया गया। पंजाब-री-आर्गेनाइजेशन एक्ट 1 नवम्बर, 1966 को लागू हुआ। पंजाब और हरियाणा का झगड़ा चलता रहा। 1967 में हरियाणा ने 4.8 मिलियन एकड़ फीट 7.2 में से मांगा। उनके बीच में यह विवाद चलता रहा। कमेटी बनी, कमेटी के सुझाव आये। वितरण के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1976 को सैन्ट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला, तब भी राजस्थान को कहीं घसीटा नहीं गया था लेकिन 1981 में राजस्थान को नाहक फिर से इसमें पार्टी बनाया गया और उस दिन से आज दिन तक लगातार राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1955 के समझौते में राजस्थान का हिस्सा 52.696 के हिसाब से हमारा हिस्सा 8.7 मिलियन एकड़ फीट होना चाहिए था लेकिन हमारा हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट कर दिया गया और बाकी का पानी हरियाणा और पंजाब को दे दिया गया। इसके साथ ही 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग आज पंजाब लगातार निर्विवादित रूप से करता चला जा रहा है। हालांकि राजस्थान ने अपनी कैपेसिटी पूरी कर ली है। उसके बाद, 1984 में समझौता हुआ, रोपड़ का समझौता उसमें हमारे पानी का सवाल, बिजली का सवाल लटका कर पटक दिया गया और आज तक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं किया गया। 1985 में राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ उसमें नाहक राजस्थान को पार्टी बनाया गया और हमारा जो अतिरिक्त पानी 1.85 मिलियन एकड़ फीट उसमें राजस्थान के हिस्से को नकार दिया गया और अब पुनः पंजाब के तुष्टिकरण के लिए फिर से इस तरह का वातावरण बन रहा है। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी की पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से वार्ता हुई है, हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्रीजी से वार्ता

(श्री यदुनाथ सिंह)

हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित तौर पर इस बारे में कोई बातचीत की होगी इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी पूरे सदन को इस मसले पर कान्फिडेंस में लें और इस प्रकार का हो, चाहे उस प्रकार का प्रश्न हो, इस प्रकार की कोई चर्चा यहां पर होनी चाहिए कि हमारे इस समझौते को फिर से री-ओपन किया जाय, राजस्थान का जो पोर्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं सौंपा जाय। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी नाम है, सब को बुलाऊंगा जिन-जिन ने मुझे लिखकर दिया है.... (व्यवधान) ...आप बोल रहे हैं?

श्री महावीरजी (सवाई माधोपुर) में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न स्थिति

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज आपके सामने महावीरजी के अन्दर भगवान महावीर जी के धार्मिक स्थान पर असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई है उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न न मानकर मैं सोचता हूं कि उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम + + + कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : यह मेरी मजबूरी है। क्योंकि आपके हाउस की परम्पराएं यही हैं कि एडजोर्नमेंट मोशन कभी भी स्वीकार नहीं होता है। आप परम्पराएं देख लीजिए....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के जैन समाज का सबसे बड़ा मन्दिर आज महावीरजी में है—

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं आपको बुलवा रहा हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हिन्दुस्तान भर के जैन समाज की मान्यता है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की 8 मार्च को घटना हुई, राज्यपाल महोदय स्वयं वहां मौजूद हों, नेत्र चिकित्सा शिविर जहां पर लगा हुआ हो, 4998 रोगी वहां पर भरती हों, उनका इलाज चल रहा हो और उस समय निरीक्षण के बाद भगवान महावीरजी की अर्चना और पूजा करने के बाद उस स्थान पर जहां उन्हें शिलान्यास करना था उसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर काफी चोटें आई हैं, जिसके फोटोग्राफ्स भी मैं आपको पेश कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पूजा का स्थान था वहां पर दीप जला हुआ था, बाकायदा पूजा का सामान पड़ा हुआ था, भगवान महावीरजी की मूर्ति रखी हुई थी उसको लोगों ने ठोकरें मार-मार कर खड्डे में डाल दिया। मैं सोचता हूं कि

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

यह केवल जैन समाज का ही मामला नहीं है चाहे किसी भी समाज और धर्म के मानने वाले लोग हों, उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हों, सरकार को और जिला प्रशासन को प्रोग्राम की पहले से जानकारी हो और वहां पर स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रहे और सारी घटना घट जाय, उस घटना के अन्दर डीवाई. एस. पी. के भी चोटें आई हैं तब भी पुलिस दर्शक के रूप में खड़ी रही लेकिन ऐसी घटना घट जाने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, उनको पकड़ा नहीं गया, गिरफ्तार नहीं किया है। एफ. आई. आर. दर्ज की उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर के कम से कम 15 हजार महिलाएं और आदमी मौन जुलूस बनाकर विधान सभा की ओर आ रहे हैं, वह कोई नारे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जैन समाज शान्तिप्रिय समाज है, इन्होंने कभी भी उपद्रव नहीं किया, कभी कहीं इस प्रकार की घटना नहीं की, इस प्रकार से शान्तिप्रिय समाज रहा हो उनके धर्म के साथ इस प्रकार की ठेस पहुंचाई जाय और अब तक सरकार द्वारा किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाय, कोई एक्शन नहीं लिया जाय मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी यहां स्वयं मौजूद हैं, गृह मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, क्या 8 तारीख के बाद से अब तक पुलिस को यह भी समय नहीं मिला कि कौन से असामाजिक तत्व थे और किस लिए यह घटना घटी है। जिस धर्म के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर धर्म को मानने वाले लोग हों, गुर्जर समुदाय इस धर्म को मानता है, बड़ा मेला भरता है, मीणा समाज का मेला भरता है और बल्कि जब रथयात्रा निकलती है, अध्यक्ष महोदय, उस समय एस. डी. एम. अगर कोई मुसलमान भी हो तो वह रथ में अग्रणीय व्यक्ति के रूप में बैठता है, एक बार जब हिण्डौन में अनुसूचित जाति के एस. डी. एम. थे तो वह रथ में बैठे थे। जो धर्म इस प्रकार की मान्यता रखने वाला हो और वहां के विकास की दृष्टि से सड़कों का निर्माण करवा रहा हो, जहाँ स्कूलें चला रखी हों, जहां पर हॉस्पिटल चला रखा हो, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो और जहां पर हिन्दुस्तान भर के जैन समाज के लोग आते हों वहां पर अगर राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में यह घटना घट जाय तो उन पर क्या बीतेगी, उनकी सुरक्षा की क्या गारन्टी होगी ? जिस जैन समाज की हिन्दुस्तान में मान्यता हो, उस मन्दिर में लोग आते हों और उनके साथ यह घटना घट जाय और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे उनकी सुरक्षा की गारन्टी क्या हो सकती है ? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष: और भी बोलने वाले हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सरकार को तुरन्त इस सम्बन्ध में जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद। ये बोल रहे हैं इसी पर।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, विगत 8 मार्च को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री महावीरजी में देश भर से आने वाले धर्मावलम्बियों और यात्रियों की सुविधा के लिए निर्मित करवाये जा रहे सूचना कार्यालय का शिलान्यास करने के लिए गये, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय वहां पर शिलान्यास करने गये, वहां पर आपरेशन शिविर आयोजित किया गया था और अभी करौली से आने वाले माननीय सदस्य जो पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि अहिंसा के पुजारी के यहां जिस तरह की हिंसा श्री गजानन्द डेरोलिया के नेतृत्व में, जो जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनके अनुयायियों ने तोड़-फोड़ की और न सिर्फ शिलान्यास स्थल पर तोड़-फोड़ की....(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : समाज और धर्म के मुकाबले में अगर कोई कांग्रेसी भी हो तो....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने क्या उनको कांग्रेस से निकाला? मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आज वह महामंत्री नहीं हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप जिन्हें असामाजिक तत्व कह रहे हैं आप आज प्रदेश के महामंत्री हैं और वह जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं इसलिए पहले तो आपको उन्हें कांग्रेस से निकालना चाहिए था।

श्री परसादीलाल मीणा : वह है ही नहीं महामंत्री।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कांग्रेस में नहीं हैं क्या?

श्री परसादीलाल मीणा : पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : हम निंदा कर रहे हैं और कांग्रेस के मेम्बर कह रहे हैं। वह महामंत्री नहीं हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हों लेकिन उनका जो कंडक्ट था, जो आचरण था वह आचरण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था, उन्होंने भगवान महावीर की मूर्ति का अनादर किया, अपमान किया और उस स्थान पर तोड़-फोड़ की।

अध्यक्ष महोदय, इसका एक मात्र कारण यह था कि श्री डेरोलिया स्वयं पहले इस श्री महावीर जी की कमेटी के कर्मचारी रह चुके हैं, उन्होंने आज भी एक दुकान मन्दिर की किराये पर ली हुई है और उसे सबलेट की हुई है। स्थिति यह थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम उनके घर पर चाय-पानी पर जाने का भी था लेकिन जिला-प्रशासन और स्थानीय लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय का

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आप एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर जा रहे हैं जिसका काम अराजकता फैलाना, अपने स्वार्थपूर्ति करना है, अराजक स्थिति पैदा करना है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनके यहां पर चाय-पान का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, चाय पर न जाने का प्रोग्राम रद्द करना राज्यपाल महोदय का था उसमें भगवान महावीर और उस कार्यक्रम की क्या गलती है जिससे कि वहां पर इस प्रकार की तोड़-फोड़ की गई, उत्पात किया, माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज दिन तक इतने दिनों के बाद भी, 8 मार्च से 23 मार्च आ गई कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे राजस्थान भर के जैन धर्मावलम्बियों में नहीं अन्य दूसरे लोग जो अहिंसा के पुजारी हैं उनमें बड़ा भारी रोष व्याप्त है। आज प्रदेश के हजारों नर-नारी शान्तिपूर्ण जुलूस लेकर इस पवित्र सदन के समक्ष अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो आज राजस्थान के लोगों में इस तरह का आक्रोष है मगर समय रहते स्थिति नहीं सम्भाली गई तो इन्दौर, उज्जैन और देश के दूसरे भागों मे भी जो यह भावना लोगों तक पहुंचेगी कि वहां पर भगवान महावीर जी की मूर्ति के साथ तोड़-फोड़ की यह स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी सदन को आश्वस्त करें और सदन के माध्यम से राजस्थान के उन लाखों लोगों में समाचार पहुंचे कि इस सम्बन्ध में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह किसी भी दल या किसी भी जाति से सम्बन्धित हो उसने जो दुर्व्यवहार किया है उसे कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। बोलिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को जिन लोगों ने यह कृत्य किया, निश्चित रूप से हमारे लिये कलंक की बात है। गजानन्द डेरोलिया और उसके कुछ साथी, यह + + + बात इसलिये ज्यादा होती है कि वह वहां की राजनीति में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बीच में आपसे कहूंगा कि (व्यवधान) जब गजानन्द डेरोलिया की बात कर रहे हैं तो किरोड़ीलाल मीणा का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों उनके साथ चले गये? जब यहां असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं तो अननेसेसरिली मामले को राजनैतिक कलर क्यों दे रहे हैं? (व्यवधान) किरोड़ीलाल मीणा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इस सवाल को किसी तरह से राजनैतिक मत करिये (व्यवधान)

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कालीचरण सराफ : मुझे बोलने तो दीजिये।

मेरे कहने का मतलब यह है कि वह वहां पर अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग करके एक तो उसने वहां पर दुकान जबरदस्ती ले रखी है और उसको सबलेट कर रखा है। राज्यपाल महोदय के पास वे गये और कहा कि मैं यहां का नेता हूं, मेरे पास चाय पर आइये। राज्यपाल महोदय ने मना कर दिया क्योंकि लोगों ने बताया कि यह गलत आदमी है। उसके बाद उसने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जहां पर शिलान्यास होना था वहां पर जले हुए दीपकों को उसने गिरा दिया, नींव के लिये जो खड्डा खोदा गया था, महावीर स्वामी का चित्र था उसको पैरों तले रौंद करके उसके अन्दर डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी। और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर भी हमला किया और एक डी. एस. पी. को भी चोट आई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, मैं यहां पर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, परन्तु इससे आज निश्चित रूप से राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की जैन समाज के लोगों में, और अन्य समाज के लोगों में, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, उन लोगों में इस बात को लेकर के रोष है। और आज विधान सभा के सामने हजारों लोग, महिलायें और पुरुष, इस बात को लेकर के मौन प्रदर्शन कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा विधान सभा में कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस मामले को गम्भीरता से देखें और साम्प्रदायों के बीच जो सौहार्द पूर्ण वातावरण राजस्थान प्रदेश में मुख्य मंत्री के आने के बाद बना हुआ है, कुछ लोग इस प्रकार के कृत्यों से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके इस प्रकार के कृत्यों से वह साम्प्रदाय सौहार्द न बिगड़ने पाये, इसके लिये तुरन्त कार्यवाही हो जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कुछ फोटोग्राफ हैं जो सदन की मेज पर रखना चाहता हूं आपकी स्वीकृति से....

श्री अध्यक्ष : मैं बोल दूंगा, इनको मेज पर रखने की क्या जरूरत थी?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं आपकी विशेष अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : पहले जिनके नोटिस आये हुए हैं, उनको बोलने दिया जायेगा। आपका नोटिस नहीं है मेरे पास।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस घटना की चर्चा हो रही है, निश्चित तौर से राजस्थान में जो पिछले दो साल से वातावरण सुधरा है, उसमें दो तीन महीनों से गिरावट आई है और दो तीन महीने से हम देख रहे हैं कि चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम सम्प्रदाय हों, चाहे हिन्दुओं में ही एक आस्था वाले और दूसरी आस्था वाले लोग हों, हमने पिछले 15, 20 दिनों में देखा कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाटव, गैर जाटव, जाट और हरिजन, इस तरह की जो घटनायें हुईं उसका जबर्दस्त री-एक्शन पूरे समाज पर हो गया।

महावीरजी का पवित्र स्थल सारे देश में पूजनीय है। विश्व में जितने जैन रहते हैं वे महावीरजी शहर को जानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उस शहर में यह घटना हो, मुझे एक ही चिन्ता है, उसमें हमारी जो इन्टेलीजेन्स है, जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उसका क्या रोल रहा। क्या इन्टेलीजेन्स को पहले पता नहीं लगा कि यह श्रीमान्जी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं? मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वह एक पार्टी का हो सकता है, और हो सकता है दूसरे पार्टी भी साथ ले ले, उन्होंने राज्यपाल महोदय को बुलवाने की कोशिश की कि राज्यपाल महोदय उनके यहां आवें, पहले से ही प्रोग्राम था। राज्यपाल महोदय का प्रोग्राम जैन समाज ने बनाया था, जैन समाज के ही प्रतीक्षालय का उद्घाटन करने गये थे वे, उनके अस्पताल को देखने गये वे, तो उनके पैरेलल वहां पर बुलवा दिया। और यह इन्वीटेशन उन तक पहुंच गया। इन्वीटेशन पहुंचने के बाद उनको नाराजगी हुई। लोग इकट्ठे हुए, एक आदमी ने नहीं किया कि कोई एक आदमी ने जाकर वहां पुलिस वाले को मार दिया, यह बात तो नहीं हुई कि अकेला भीड़ में से निकला और अकेला मार दिया। कोई दो-चार सौ आदमी इकट्ठे हुए। जब दो-चार सौ आदमी इकट्ठे किये और उसका पता नहीं लगा पुलिस को, तो यह तो पुलिस की व्यवस्था की कोई न कोई कमजोरी है। या फिर उनके अन्दर भी कोई फेथ के मामले में, विश्वास के मामले में बटवारा है। क्या वजह है कि इस तरह की घटना होने के बाद हमको पता लगे? इतना सारे समाज पर असर पड़ा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसा तरीका अपनायें जिससे यह जो टेन्शन है, वह डिफ्यूज हो सके। हम इस बात को छोड़कर कि किसकी गलती थी किसकी नहीं, ऐसे मामलों में जिनमें जनता की भावनायें उभर आयें, उनको डिफ्यूज करने का प्रोग्राम बनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि आज हाउस में उन लोगों का आदर करते हुए, जो यहां आये हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, जो अपनी भावनायें लेकर आये हैं, यह एक ऐसा जुलूस है जो बिना बोले आ रहा है, नहीं तो गाली निकालते आते हैं, उनका स्वागत करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं, मेरा निवेदन यह है कि गत 8 मार्च को महावीर जी में जो घटना हुई, महामहिम राज्यपाल महोदय और हमारे गृह राज्य मंत्री महोदय की उपस्थिति में वहां पर पुलिस का डी. आई. जी., एस. पी., डी वाई. एस. पी. सारे लोग उपस्थित थे। ऐसी परिस्थितियों में वहां पर जो घटना हुई वह एक ऐसी घटना है जिसको नजर-अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल एक समाज का सवाल नहीं है। महावीर जी केवल एक समाज की श्रद्धा का सवाल नहीं है। वहां पर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गुर्जर, मीणे, बैरवा, सारी जाति के लोग बिना भेदभाव के उस मन्दिर में जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, श्रद्धा का एक केन्द्र है। वहां 8 तारीख के बाद आज तक कार्यवाही नहीं करने के कारण जैन समाज में ही नहीं, सारे समाजों में रोष है।

आज जयपुर के कुछ लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल यह राजस्थान और जयपुर का सवाल नहीं है, सारे देश के लोगों में भयंकर आक्रोष है। यदि कानून के शिकजे में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को नहीं लिया गया, यदि वह इस प्रकार घूमते रहे और उनको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं हुई कानून की, कानून का भय व्याप्त नहीं हुआ तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल जयपुर नहीं सारे हिन्दुस्तान में इस प्रकार के जन आन्दोलन खड़े होंगे और अगर आवश्यकता हुई तो सारे हिन्दुस्तान भर के लोग यहां पर आयेंगे। इस प्रकार की संवेदनशील सरकार में ऐसी घटनाएं हों वह शर्मनाक घटनाएं हैं, उन पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, महावीर जी में जो कुछ हुआ उससे ज्यादा दुःख + + + की बात कुछ हो नहीं सकती श्रीमान् क्योंकि मैं इस समाज से आता हूं। सारे पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दुस्तान में जैन धर्म से सम्बन्धित जो पत्र-पत्रिकाएं हैं सब में इस विषय को लेकर चर्चा हुई। 8 मार्च और आज 23 तारीख हो गई। करीब 16 दिन हो गये और 16 दिन के अन्दर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होना भी अपने आप में एक चिन्ता की बात है। मैं कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता श्रीमान् आज जैन समाज के स्त्री और पुरुष दोनों बहुत बड़ी तादाद में यहां आये और अध्यक्ष महोदय, जैन समाज की महिलाएं आज सड़क पर आ गई यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका यह दुख और जो उन्हें चिन्ता है वह आप देखिए कितनी बड़ी है। आज वह हो-हुल्लड़ के अन्दर, कहीं हिंसा में विश्वास नहीं करते, मौन जुलूस लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजनीति डालने की कोशिश की गई। हमारे पास भी तथ्य हैं। ऐसा नहीं था और लोग भी इसमें शरीक थे। मैं तो कहता हूं चाहे किसी भी दल के लोग हों, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे बी. जे. पी. के हों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा मानना है। श्रीमन् राज्यपाल महोदय वहां पर गये, राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्रीजी को क्या कहा, आकर मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त की होगी। तो मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि यह मामला अधिक तूल न पकड़े। तो यह निश्चित है कि आज जो जयपुर में

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हो रहा ह, आज तो लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं इसकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान में निश्चित रूप से होगी। एक करोड़ से ऊपर की आबादी है जैन धर्मावलम्बियों की हिन्दुस्तान के अन्दर और उसके परिणाम आप जानते हैं। एक शांतिप्रिय धर्म के मानने वाले लोगों को आप सड़क पर आने के लिए मजबूर न करें। अब इसमें जो भी आपको कार्यवाही करनी है, करें। आपने काफी समय निकाल दिया यह आपकी ढील रही, इस मामले में किन कारणों से ढील रही, यह तो सरकार ही जाने।

मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि वहां अगर आपने कार्यवाही नहीं की तो जिन लोगों ने इस किस्म की हरकत की है वह लोग इस हरकत की पुनरावृत्ति करेंगे और यह मानकर करेंगे कि हमारे ऊपर प्रशासन का वरद हस्त है।

मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपको बुला रहा हूं, देखिए एडजोर्नमेंट मोशन में मेरे यहां जो देने वाला होता है उसी का नाम लिखा रहता है और उसी को बोलने दिया जाता है। परन्तु यह विशेष मामला है जो बोलने चाहेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं वैसे ही नहीं बोल रही हूं मेरा तो नाम है।

श्री अध्यक्ष : है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नाम बहुत लोगों का है, सबको नहीं बुलाया जाता, प्रमुख को ही बुलाया जाता है। यह मामला दूसरा है इसलिए आपको बोलने के लिए मना कहां कर रहा हूं मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं जैन धर्म को मानने वाली नहीं हूं इसलिए मुझे बोलने का भी अवसर नहीं देंगे आप।

श्री अध्यक्ष : किसने कहां नहीं देंगे, आप अपने आप ही सब बातें सोच लें उसका तो मेरे पास इलाज ही नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, भगवान महावीर का जो दर्शन था वह किसी विशेष समाज के लिए नहीं होकर पूरे विश्व की कल्याण की बात थी और इसी विश्व कल्याण की भावना से यह जो प्रबन्ध कमेटी थी वह काम करती थी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या जिले की विकलांगता का सवाल हो, भगवान महावीर की प्रबन्ध कमेटी में हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है, इस प्रकार की गतिविधियों का एप्रीशिएशन होना चाहिए, उन्हें सहयोग मिलना चाहिए, 8 मार्च की घटना ने सभी के दिलों में एक गहरा दुख पैदा कर दिया है। भगवान महावीर की फोटो को पैरों से कुचलना, वहां तोड़-फोड़ करना और पूजा स्थल में जिस प्रकार की तबाही मचाकर जो किया गया यह निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर दुख का विषय है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

इसे केवल राजस्थान ही नहीं, हमारे राजस्थान के दूसरे प्रदेशों में भी बहुत गम्भीरता से लिया है। मैं परसों बम्बई में थी वहां भी जैन समाज के कई लोग मुझ से मिले और उन्होंने यह सवाल किए कि इस प्रकार की घटनाएं आपके राजस्थान में क्यों होती हैं ? अध्यक्ष महोदय, यही घटना सन् 1978 में सिरोही जिले में हुई थी और वहां के जैन साधु को, वहां के जैन समाज के ट्रस्टियों को पीटा गया, धर्मशाला तोडी गई, आग लगाई गई इस प्रकार की यह घटना दुबारा महावीर जी में हुई है, अध्यक्ष महोदय, इसे बडी गम्भीरता से लेना होगा।

आज हजारों नर-नारियां, करीब दस हजार तो महिलाएं हैं जो मौन रूप से आ रही हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन के माध्यम निवेदन करना चाहूंगी कि जुलूस विधान सभा के दरवाजे पर आ गया है वे उनसे जाकर बात करें और उचित आश्वासन दें, उन समाज कंटकों की गिरफ्तारी करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, "अहिंसा परमो धर्म" मानकर जो समाज चलता है जिस पवित्र स्थान पर सारे भारत के लोग आते हैं और उस दिन जिस दिन राज्यपाल महोदय का भी वहां पर आगमन हो और नेत्र दान जैसा पवित्र काम किया जा रहा हो ऐसे मौके पर यदि कहीं असामाजिक तत्व कुछ कर दें और अपमान करें महावीर स्वामी की मूर्ति का, उनको पैरों तले रौंदे और उनको इस बात का ख्याल न हो कि राज्यपाल महोदय की उपस्थिति भी आज महावीर जी में है और उसके बाद भी सरकार कान में तेल डालकर पन्द्रह दिन तक बैठीं रहे और कुछ न करे, किसी को पकड़े नहीं, धकड़े नहीं, किसी के खिलाफ कुछ कार्यवाही करे नहीं, तो मैं समझती हूं कि सरकार की अकर्मण्यता का और अक्षमता का कोई इससे बढ़कर नमूना हो नहीं सकता।

आज पुलिस विभाग की डिमाण्ड है उससे पहले ही हम सरकार को अपने विश्लेषणों से अलंकृत कर रहे हैं। इससे बढ़कर +++ बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है कि हम मांग-पर विचार से पूर्व ही सरकार के लिए यह कहें। इसलिए मैं यह चाहूंगी कि यह जो कुछ हादसा हुआ है इसे गम्भीरता से लें। क्योंकि धर्म सम्प्रदाय इन पर जब कभी कहीं दूसरे लोग किसी भी प्रकार की चोट करते हैं तो साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता है और इसी से फिर साम्प्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं इसलिए ऐसा मौका न आने दें और उससे पहले ही सरकार सावचेत होकर इस सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत परमार।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जुलूस से आया हूं, मैं भी था, इस प्रकार जो हादसा हुआ है, महावीरजी में इस प्रकार का हादसा कभी हुआ है। इनती बड़ी संख्या के अन्दर विधान सभा के सामने जुलूस अभी तक आया नहीं है। कई पार्टियों ने यहां पर कार्यक्रम किए। पर जिस प्रकार इस बार यह जैन समाज इतने बड़े समूह में यहां आया है वास्तव में सोचने विचार करने का प्रश्न है और वह भी मौन जुलूस है। इतना बड़ा हादसा हो जाए महावीर जी के अन्दर एक मूर्ति का अनावरण होने बाद जोड़ता और पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही न करना, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा जाना, यह एक बड़ी विडम्बना की बात है। माननीय गवर्नर साहब वहां पर पधारे थे और उनकी उपस्थिति में इस प्रकार की घटना होना यह भी सरकार के लिए एक + + + की बात है। अतः मेरी मांग है कि ऐसे जो बदमाश तत्व हैं चाहे किसी भी जाति का हो, गुण्डे की कोई जाति नहीं होती है, कोई जात का सवाल नहीं, कोई पांत का सवाल नहीं, पर जिन्होंने यह हादसा किया है उनकी अविलम्ब गिरफ्तारी होती चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। जो इस प्रकार अत्याचार जैन समाज के अन्दर साधुओं के ऊपर, गांवों के अन्दर होता है, उनको पीटा जाता है, उनके घुटने पर नारियल फोड़े जाते हैं और इस प्रकार की घटना के लिए फिर भी उनको पकड़ा नहीं जाता है। हमारे पाली क्षेत्र और सुमेरपुर क्षेत्र के अन्दर भी इस प्रकार के लोग जो यहीं काम करते हैं जैसे एक मण्डल है वह वहां काम करता है, जैन समाज में, वहां बदमाशियां होती हैं। अभी तक भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार गांवों के अन्दर ऐसा हादसा होता है, यहां बदमाशी करते हैं जो भी लोग हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी को वहां जाकर उनकी बात को सुनना चाहिए और अविलम्ब कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी वेदना और पीड़ा है इस बात की कि करोड़ों लोगों के अपाध्य देव की फोटो को इस तरीके से अपमानिक किया गया, उसको फाड़ा गया और उसको अपवित्र किया गया और इससे ज्यादा पीड़ा और वेदना मुझे इस बात की है कि इतना सब होने बाद भी एक ऐसा समाज जो शान्ति और अहिंसा में विश्वास रखता है जो इस बात पर विश्वास करता है कि हम सरकार के भरोसे पर हैं, सरकार हमारी रक्षा करेगी और सरकार उनकी रक्षा करने के लिये आगे नहीं आये इससे बढ़ कर पीड़ा और वेदना कोई हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, इतना सब होने के बावजूद भी इस बात को आप देखिये 20-25 हजार नर नारी शान्ति के साथ बिना कोई नारा लगाते आपके सामने आ रहे हैं, क्या यह शान्ति और अहिंसा का द्योतक नहीं

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

है ? हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, सरकार को यह समझना चाहिए कि ऐसे शान्ति ग्रौर ग्रहिंसा के मानने वाले को जबरदस्ती सड़क पर नहीं लायें। जयपुर की बात नहीं है यह बात सारे हिन्दुस्तान में हो सकती है क्योंकि जैन धर्मावली सारे हिन्दुस्तान में है। मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मांग है कि जो ग्रसामाजिक तत्व हैं वह चाहे किसी जाति के हों, ग्रगर वह जैनी भी थे या किसी भी राजनैतिक पार्टी के मानने वाले हों उन राजनैतिक पार्टियों को यह चाहिए कि वह उनको छोड़ दें कि वह हमारे नहीं है क्योंकि हमारे जो बेसिक कन्सेप्ट हैं, हमारे संविधान के उन पर कुठाराघात करने वाली कोई जाति नहीं, कोई राजनीति नहीं है वह ग्रसामाजिक तत्व, मैं ग्रपनी वेदना ग्रौर पीड़ा के साथ ग्रापके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं भी बहुत इज्जत करता हूं ग्रौर मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि वह इस बारे में कारगर कदम उठायेंगे ग्रौर जो ग्राज तक उनके गृह मंत्री जी ने देरी की है, भूल की है उसको सुधारेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माननीय सदस्यों ने जो वेदना प्रकट की है मेरी भी उसी प्रकार की वेदना है। मैं ऐसा समझता हूं कि महावीजी जैसे पवित्र स्थल पर कुछ ग्रसामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की घटना घटित की जाये इसका न तो कोई समर्थन कर सकता है ग्रौर न ही जिन लोगों ने यह घटना की है ग्रौर जिनका उत्तरदायित्व है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोई भी सरकार संकोच नहीं होगा। मैं सदन को इतना ही ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो जिस व्यक्ति ने भी इस घटना में शामिल होकर भगवान महावीर का ग्रपमान किया है निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रदर्शनकारी यहां ग्राये हैं इस सदन के माध्यम से मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने प्रदर्शन कर ग्रपना विरोध प्रकट किया यह स्वभाविक था। यह इस घटना के बाद एक्स पेक्सपेक्टेड भी था कि इस प्रकार का प्रदर्शन होगा इतना ही नहीं कई स्थानों से लगातार इस सम्बन्ध में तार, चिट्ठियां भी ग्रा रही हैं। मैं ग्राज से दो दिन पहले बम्बई गया था वहां भी इनका प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला था ग्रौर ऐसी स्थिति में तीन-तीन मामले रजिस्टर हुये हैं जिनमें एक मामले में गिरफ्तारी हुई, काबिल जमानत जुर्म होने के कारण से जमानत हो गई। दो मामले ग्रनुसंधान में चल रहे हैं। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखी जायेगी ग्रौर इस सारे मामले की जांच के लिए मैं ग्राज एक ग्राई. जी. की नियुक्ति करता हूं ताकि तुरन्त सारे मामले में ग्रनुसंधान कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करे। जो प्रदर्शनकारी ग्राये हैं मैं उनकी वेदना के साथ ग्रपने ग्राप को शामिल करता हूं। उनको ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। इससे ज्यादा मेरे लिये कहना अनुचित होगा। क्योंकि मामला अनुसंधान में है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसी लाल।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुझे मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना है कि जो प्रदर्शनकारी आये हैं उनके डेलीगेशन से बात करके उनको आश्वस्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी जा रहा हूं। मैं आपका ही इन्तजार कर रहा था कि आप छुट्टी दें तो मैं जाऊं।

श्री अध्यक्ष : भरोसी लालजी नहीं बोल रहे हैं। आप बोलिये चन्द्रभानजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय इम्पारटेन्ट मसला चल रहा था इसलिए बीच में नहीं बोला। मेरे दो स्थगन प्रस्तावों पर आपने आज व्यवस्था दी थी गेहूं के बारे कि 10 किलो से पांच किलो गेहूं कर दिया, सरकार ने भी स्वीकार किया है। पूर्व में सदन की ऐसी परम्परा रही है कि एडजोर्नमेंट मोशन यदि अस्वीकार कर दिया जाता है तो दो मिनिट का समय हमेशा कर दिया जाता रहा है और स्वीकार किया जाता है तो वक्तव्य आ जाता है। मेरे यह अलवर का है, 51 आदमी गलत एड्रेस देकर वहां पर प्रिन्टिग प्रेस में, अनिला ज्वेलर्स दुकान में कोई रहता है। 21 के 21 आदमियों को यह कह कर कि आपके अलवर या जयपुर में नोकरी दे दी जायेगी उनसे 20-20 हजार रुपये रिश्वत लेकर डायरेक्टर प्रिन्टिग प्रेस ने इन लोगों को बीकानेर में अप्रेन्टिस की ट्रेनिंग में रख दिया। ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर यदि आप दो मिनिट नहीं बोलने देंगे तो हम अपने, एक तरह से क्षेत्र के लोगों की बात यहां कैसे रख पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेहरबानी करके इन इश्यूज के ऊपर दो-दो मिनिट का समय दे दें तो मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : या तो आप मेरी व्यवस्था सुन लें। मेरे प्रिडिसीसर ने बिल्कुल बन्द कर दी थी। भरतपुर के मोरोली एवं चित्तोकरी गांव में दो समुदायों में झगड़ा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं की थी। भरतपुर के मोरोली एवं चितोकरी गांव में समुदायों झगडा।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे को सुनिये। बीच में मत बोलिये। मेरे पास डाइरेक्शन है। इसलिए कर दी थी कि स्पेशल मेन्शन का कोई प्रोवीजन बना दिया था। स्पेशल मेन्शन का प्रोवीजन 295 का इसीलिए बनाया था कि दो-दो मिनिट की प्रथा बन्द की जाये। मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये जिस मामले में बोलना उचित समझता हूं उसमें बुलाता हूं। आप रिवर्ट करना चाहें तो उसके तरीके और है। सरकार ने तो स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमारे पास जितना गेहूं है उतना गेहूं हम पांच किलो के हिसाब से दे रहे हैं उससे ज्यादा जब तक केन्द्र सरकार नहीं देगी हम नहीं दे सकते हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा उनके पास कहने के लिये कुछ नहीं था। जहां तक नौकरी का सवाल है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 21 में से

(श्री अध्यक्ष)

19 को लगा दिया है और दो आदमियों को निरस्त किया, जिसके कारण भी स्पष्ट कर दिये हैं। वह भी डिबेट का विषय नहीं रहा। इसके बावजूद भी आप पाइन्ट ऑफ आर्डर के नाम पर दो मिनिट तो बोल ही चुके हैं।

डॉ. चन्द्रभान।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने जो आसन से व्यवस्था दी सरकार की तरफ से जवाब चला गया है इससे सन्तुष्ट होंगे। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक आदमी दो साल से लापता है, पता नहीं है जिन्दगी है अथवा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आज देंगे जवाब। आप जब इस पर बोलेंगी तो जवाब देंगे। आज मैंने होम मिनिस्टर महोदय से यह निवेदन किया कि काल अटेन्शन एवं एडजोर्नमेंट मोशन के जो इश्युज आप अपने भाषण में उठायेंगे उनका स्पेसिफिकली जवाब तो अलग से मिलेगा ही, वह अपने भाषण में देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पांच-पांच मिनिट बोलने का समय दोगे उसमें हम इसे मेन्शन करेंगे कि कोई जनरल बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे बस की बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो काम नहीं चलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूर्व अध्यक्ष के वक्त में भी यही था।

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट का विषय नहीं है।

(1.00 मध्याह्न)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये थे और माननीय रामप्रसाद जी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी बहनों के अधिकार की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं आप अध्यक्ष महोदय। हमारा कहने का ही तो अधिकार है। आप हमारे रक्षक हैं अध्यक्ष महोदय। आप रक्षा क्यों नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : बाई एक्सीडेंट या को-इंसीडेंस, आप यह समझिये कि आज होम डिपार्टमेंट पर बहस हो रही है। आपके सारे स्थगन प्रस्ताव होम डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामप्रसाद जी लढ्ढा और अन्य सदस्यों ने भी मोरोली में जो जातीय संघर्ष हुआ, होली के अवसर पर जो दंगे हुए, मैं उसी के सन्दर्भ में....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। उनको बोलने दें। पहले उनको बोलने दीजिये।

डा. चन्द्रभान : हमारा आपसे निवेदन है कि हमें इसमें बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्हीं को दूंगा। वो बोलेंगे। रामप्रसाद जी क्या बोल रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप आप क्या उनको अकेले को देंगे और आपने अभी हमको कहा कि सबको देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तो बोलेंगे ही बाद में सब।....देखिये, आप आपका नाम आ चुका है लिस्ट में। मैंने सचेतक महोदय से निवेदन किया था, सबके नाम आ चुके हैं, जिन-जिन के काल अटेंशन हैं, एडजोर्नमेंट मोशन है, उन सबके नाम आ चुके हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह तो पुलिस की डिमाण्ड पर है। वह तो अलग है। वह तो हमारी पार्टी का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामप्रसाद जी लढ्ढा बोल रहे हैं। आप उनको नहीं बोलने देंगे?

डा. चन्द्रभान : इसमें हमारा आपसे निवेदन है कि वहां पर हरिजन लोग बेघर-बार हो गए हैं, क्या यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये बोल रहे हैं ना।

डा. चन्द्रभान : आप इसमें गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट नहीं दिलवा सकते?

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट तो देना ही है। आज गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देने वाले हैं।

डा. चन्द्रभान : पुलिस की डिमाण्ड को तो और किसी से ही कनेक्ट कर सकते थे आप। आपने महावीरजी के बारे में स्टेटमेंट दिलवा दिया लेकिन हरिजनों के बारे में नहीं दिलवाया। उनका भी तो कुछ सम्मान है। महावीरजी के मसले को....

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान आप बिराजिये। आप बहुत समझदार आदमी हैं। आज होम मिनिस्टर ही बोलने वाले हैं और उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ये सवाल सब होम मिनिस्टर से कन्सर्न रखने वाले हैं। तो उनका स्टेटमेंट तो आने ही वाला है। जिन-जिन बातों की तरफ आप उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, उन पर विशेष रूप से उनको बोलना ही पड़ेगा। अब आप उसको डुप्लीकेट कैसे कर रहे हैं? वे आज भी बोले, कल भी बोले, रोज होम ही होम चलता रहे, यह तो नहीं हो सकता ना, इसलिए जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था में सहयोग करिये। माननीय रामप्रसाद जी लढ्ढा।

श्री भरोसी लाल : आपने पहले मेरा नाम पुकारा था अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने भूल चैक कर ली है। उनको बुलाया था मुझे।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय अध्यक्ष, मैं भरतपुर जिले की समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में तारीख 19 को धुलण्डी के दिन जो घटना घटी है, उसको सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रजातन्त्र को 40 हो गये। माननीय,

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

गृह मंत्रीजी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। गृह मंत्रीजी नहीं है श्रौर मुख्य मंत्रीजी भी नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हरिजनों का मामला है श्रौर हरिजनों के मामले को श्राप इस तरह से ले रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : हरिजनों का मामला है श्रौर गृह मंत्रीजी है नहीं··· (व्यवधान)

श्री श्रध्यक्ष : गृह मंत्रीजी सदन में ही खड़े हैं, सदन में ही है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कहां खड़े हैं ?

श्री श्रध्यक्ष : वह खड़े हैं। श्राप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सदन में खड़े हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : श्रध्यक्ष महोदय, 40 साल के शासन में ये सारे लोग श्रौर सदन में बैठे हुए लोग यह मानते हैं कि यह प्रजातन्त्र है लेकिन महोदय, यह प्रजातंत्र कैसा, यह स्वतन्त्रता कैसी। यहां एस. सी. के लोगों के साथ श्रत्याचार होता है। सरे-श्राम छोटी-छोटी बातों पर इस तरह की घटना घटती है। श्रध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले के मोरोली गांव में होली के दिन, एक जाटव जा रहा था, श्रौर उसने कुत्ते पर पत्थर मारा, उसके बाद झगड़ा हुश्रा श्रध्यक्ष महोदय। कुत्ते पर····

श्री श्ररूण सिंह : माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं। हम गृह मंत्री का बयान चाहते हैं।

श्री श्रध्यक्ष : श्राप बिराजिये। श्राप बिराजिये। श्राप इनको बोलने दीजिये। लेट हिम कम्प्लीट। इस सदन में तो यह दृश्य उपस्थित मत करिये। उनको श्रपनी बात कहने दीजिये।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : श्रध्यक्ष महोदय, कुत्ते के ऊपर जो घटना घटी मतलब यह कोई छोटी-मोटी घटना हुई थी। श्रासपास के गांवों के लोग बढ़कर श्राए, श्रौर वहां का सरपंच, जो मौजूदा सरपंच था, वह एस. सी. का था। श्रध्यक्ष महोदय, सरपंच महोदय वहां भरतपुर भागे। वहां के लोग जब चढ़कर श्राए, भरतपुर कोतवाल को उन्होंने रिपोर्ट की, कोतवाल 5–6 श्रादमी लेकर के वहां मौके पर पहुंचा। कोतवाल से जब व्यवस्था नहीं हुई तो वायरलैस से एस. पी. को बुलाया गया। श्रध्यक्ष महोदय, 3000 श्रादमियों के ऊपर के ऊपर, वहां के जाटवों के साथ श्रत्याचार हुश्रा। कुछ मनचले लोगों ने चढ़ करके, मनचले लोगों ने इस तरह से मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहां पर 17 व्यक्तियों की लिस्ट थी श्रौर मैं मौके पर कल-परसों के दिन श्रस्पताल में गया था। वहां पर लोग भर्ती हैं, वहां की हालत बहुत खराब है श्रौर जो कलक्टर साहब ने सहायता दी है, वह केवल 2–2 हजार दी है। वहां के लोगों का कम से कम लाखों रुपयों का नुकसान हुश्रा है, उनके जेवरों को लूट ले गये, उनके टी. वीज. को लूट ले गये, उनके बरतनों को लूट ले गये, उनके कपड़ों में श्राग लगा दी गई, उनकी मशीनें तोड़ दी गई, उनकी दीवारें तोड़ दी श्रौर उनके मकानों को गिरा दिया। उनमें श्राग लगा दी गई। श्रध्यक्ष महोदय, श्राज इस तरह की वहां की पोजीशन है।

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

आप हमको कहते हैं कि यहां प्रजातन्त्र हैं, स्वतन्त्रता है। स्वतन्त्र किस तरह मान लें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय खुद मौके पर स्वयं देखकर जाय, कल मेरे साथ में सिंघल साहब गये थे और मौके पर खुद देखकर आए और सिंघल साहब जो हमारे भरतपुर से स्टेट मिनिस्टर है कांमा से आने वाले, वे यह देखकर आए हैं कि वास्तव में एस. पी. के लोगों के साथ, हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अत्याचार हमेशा हमारे ही लोगों पर क्यों होते हैं ? इस तरह की, सरकार की तरफ से, कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब सरकार यह कहती है कि कैसे हमको सरकार एस. सी. के लोगों के लिए यह कर रही है, वह कर रही है, जवाब में भी ये कहते हैं कि यह कर रहे हैं लेकिन सरकार के पास करने-धरने को कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा चित्तोकरी गांव में एक औरत हरा चारा लेने के लिए गई थी पशुओं के लिए। उस बात के लिए उसके लिए उसके ऊपर चोरी का नाम लगा दिया और वहां 7 आदमी घायल हैं। 7 आदमी को चोटें आई हैं, एक आदमी का पेट फाड़ दिया दरात से। उन लोगों की हालत बहुत खराब है। कल कलक्टर साहब ने भरतपुर टेलीफोन किया चिकित्सा अधिकारी को जो केवल उनकी व्यवस्था के लिए किया है। वहां की स्थिति इस तरह की है अध्यक्ष महोदय, ये 20 तारीख की घटना है, हमारे एस. सी. के लोगों के साथ अत्याचार होता रहेगा, सरकार सुनती नहीं, सरकार सोती रहेगी तो हमारी किस तरह से व्यवस्था होगी अध्यक्ष महोदय। हम हमेशा, हर साल हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, हमारी कोई बारातों को चढ़ने नहीं देता, हमारे साथ कहीं किसी तरह की कोई घटना हो जाती है। हम को इस देश में रहने का अधिकार, एस. सी. के लोगों को है या नहीं है ? मैं निवेदन कर रहा था गृह मंत्रीजी हमको, एस. सी. के लोगों को इस देश के नागरिक मानते हैं या नहीं। हम कैसे अपने गांवों में रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एस. सी. लोग गांवों में रह सकते हैं, हमारा कोई दूसरा इलाका बना दिया जाय जिससे हम लोग बच्चों को पाल सके, सुरक्षा कर सकें। खेतों के ऊपर हमको जाने नहीं देते रास्ते हमारे लिए रोक देते हैं, अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। इस तरह की घटना हमारे साथ होती है, अध्यक्ष महोदय। मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं है, मुख्य मंत्रीजी को मौके पर जाना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी ने एक जैन धर्म का मामला अभी-अभी यहां उठाया था। हमारे कांग्रेस के लोगों ने उस पर तो हाथ की हाथ स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन जो हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ, हरिजनों के साथ यह हुआ, मुख्य मंत्रीजी आज उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। वहां के लोगों को जला दिया गया। मुख्य मंत्रीजी उठकर चले गये। हरिजनों की बात ही नहीं सुनना चाहते अध्यक्ष महोदय। गृह मंत्रीजी क्या जवाब देंगे। मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है, मुख्य मंत्रीजी इस बात का जवाब दें और वहां के लोगों की व्यवस्था की जाय। मैं तो

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

इस बात के पक्ष में हूं अध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैं आपके सामने भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी आकर के या तो यह व्यवस्था दें और मुख्य मंत्रीजी खुद जवाब दें इस बात का कि आज हरिजनों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है—

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। इस सम्बन्ध में और बोलने वाले हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह रहा हूं, वहां पर चिकित्सा सुविधा कम है। वहां उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाय, उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाय, उनको मकान बनाने के लिए 30,000 रुपये की घोषणा की है। 30,000 रुपये बहुत कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनको सहायता दी जाय। मकान जैसे टूटे हैं, उन्हें आग लगा दी हैं, वे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको मकान बनाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरोली की घटना 18 तारीख को हुई थी।

(1·08 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

गृह मंत्रीजी के पास, जिला प्रशासन की रिपोर्ट आई है और गृह मंत्रीजी के पास सी. आई. डी. जोन इन्टेलिजेंस की रिपोर्ट आई हुई है। सी. आई. डी. जोन इन्टेलिजेंस की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि भजनलाल ब्राह्मण के घर में शराब पीकर सी. आर. पी. का एक जवान जाटव घुसा और बदतमीजी की। यह अत्याचार और झगड़े का मामला है। ताली दोनों हाथों से बजती है। जाटवों की मेजोरिटी है उस गांव में, ब्राह्मण माइनोरिटी में है। 4 घर ब्राह्मणों के थे और जाटव मेजोरिटी में थे, तो अत्याचार का यह उल्टा मामला है। सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है। 151 का मामला दर्ज हुआ पर एक ही वर्ग को पकड़ा गया। 151 में दोनों वर्गों को पकड़ना चाहिए था। मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 151 में एक वर्ग को ही क्यों बन्द किया और दूसरा वर्ग खुले आम घूम रहा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। माननीय श्री अमृतलाल परमार।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में झगड़ा हो गया, साम्प्रदायिक झगड़ा हो गया और हमने बोलने के लिए लिखकर दिया था, निवेदन किया था, हमें इजाजत दी जाय।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री घासीलाल चौपड़ा : वहां बीसों दुकानें जला दी गई हैं, एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे लोग खुले आम घूम रहे हैं। (व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को निवेदन

(श्री घासीलाल चोपड़ा)

करना चाहता हूं कि वहां जो दुकानों का नुकसान हुआ है, जो निर्दोष पकड़े गए हैं उनको छोड़ा जाय और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय नत्थी सिंह जी क्या कह रहे हैं। माननीय नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मोरोली गांव में जो कुछ हुआ है वह बहुत ही दुःखद है। मैं स्वयं उस गांव में गया, एक-एक घर को देखा, जो अस्पताल में हैं उनसे भी मिला, जो जेल में बन्द हैं उनसे भी मिला। ऐसी बात नहीं है कि उस गांव में कोई वर्ग संघर्ष हो रहा है, वे बड़े प्यार से हैं। दो मोरोली हैं। एक मोरोली में जाटव बाहुल्य में हैं, 4 ब्राह्मणों के घर हैं, एक जाट का घर है। दूसरे मोरोली में जाट-जाटव बराबर हैं लेकिन सरपंच ही वहां जाटव है। उसको जाटों ने ही समर्थन दिया है, ब्राह्मणों ने भी दिया है, दूसरों ने भी दिया है। लेकिन यह जो दुर्घटना हुई है उसमें यह निश्चित बात है कि, यह झगड़ा जो हुआ है उसमें इस सदन में इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि अमुक वर्ग के हितैषी हम हैं और अमुक वर्ग के हितैषी हम हैं। हम सबके हितैषी हैं और वे सब हमारे आदमी हैं एवं यह जो घटना हुई है यह बहुत बुरी हुई है। यह सही बात है कि घटना ने उग्र रूप ले लिया। पहले दिन जो घटना हुई है वह जैसा डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फौज में भर्ती एक आदमी ने एक ब्राह्मण के साथ बदतमीजी की। "कुत्ता" की जो बात कही है यह बात सही है। उस ब्राह्मण का कुत्ता भौंक रहा था और जब कुत्ता भौंक रहा था तो वह शराब के नशे में आया और कहा कि "कैसा कुत्ता" "तुम भी कुत्ते हो", इस तरह की बात कही। वो रजाई लपेटे हुए थे, उसकी रजाई उघाड़ी, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। बात आई-गई हो गई लोगों ने बीच-बचाव कर दिया। दूसरे दिन होली पर फिर ऐसा हुआ और जब यह हुआ तो ब्राह्मण वहां से दूसरे गांव भागकर चला गया। वहां बहुत लोग धुलण्डी करते हैं वहां जाकर उन्होंने यह कह दिया कि हमारे साथ बड़ी बेइज्जती की है, हमारी लड़कियों के साथ बेइज्जती की है, हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, ऐसी भावना भर दी। बहुत लोग वहां आ गए और उसके बाद निश्चित रूप से जाटवों को चोटें भी बहुत आई और उनके घरों को नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। अत्याचार हुआ है लेकिन वह बाद में हुआ है। अब दूसरा स्वरूप बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने काम नहीं किया। पुलिस ने 43 सवर्णों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और जेल में है। 151 में जमानतें हुई और उन पर डकैती, चोरी और 436 के केस सब बने हैं, वो जेल में हैं। अब कल वहां सवर्णों की एक बड़ी पंचायत हुई। मेरे पास भी टेलीफोन आया, मेरे घर पर भी सैंकड़ों आदमी आ गए कि यह क्या हो रहा है। जिसने यह शुरूआत कि उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है हमें ही क्यों पकड़ा जा रहा है। आज वे कोई प्रदर्शन करने वाले थे। मैंने उनको कहा कि नहीं,

(श्री नत्थी सिंह)

आप कोई प्रदर्शन मत करिए। आखिर इसी गांव में सबको रहना है, हमें मिल-जुलकर रहना है और किसी के साथ अन्याय हुआ है, छोटे लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ, तो हमें एकता कायम करनी है वैर-भाव नहीं बढ़ाना है।

इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आज उनकी डिमाण्ड है। कल कृषि की डिमाण्ड है। परसों वहां चलें मौके पर और जिनका नुकसान हुआ है उनको निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इलाज की सही व्यवस्था हो रही है। मैं गया हूं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन चाहे किसी ने भी गड़बड़ी की चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं इसको तो छूट है उसको नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस भावना से यह विग्रह बढ़े नहीं, शांत हो, और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनको मुआवजा मिले, उनको राहत मिले और जो कोई बदमाशी करने वाले हैं उनको भी दण्ड मिले ताकि आइन्दा इस तरह की घटना रिपीट नहीं हो। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंह जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में दो घटनाएं हुई हैं वे बहुत दर्दनाक हैं और मैं हमारे नेता महोदय से इतफाक करता हूं कि इसको वर्ग संघर्ष का रूप नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। किसी ने भी कसूर किया है उसको सजा मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, 18 तारीख की रात को मोरोली खुर्द के जैवार जाटव मोरोली कलां गांव में जाकर आधी रात को किसी के साथ बदतमीजी करे और जिस तरह की भाषा का वहां उपयोग हुआ, मेन-हैण्डलिंग हुई, भजनलाल जी ब्राह्मण के साथ, वो उत्तेजना का मुख्य कारण बनी। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे दिन सुबह भजनलाल ब्राह्मण की दुकान पर झगड़ा किया और उसमें आग लगा दी, उसको जला दिया गया। उसके बाद जो घटना हुई वह हम सबके सामने है। इसलिए वहां तनाव का मुख्य कारण यह भी है कि जिसके कारण से यह घटना घटित हुई उन मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया, दूसरे मुलजिमों को पकड़ लिया गया है।

दूसरी घटना हुई संवेरे थाने की। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि किसी के खेत में से फसल काटकर कोई ले आये, वहां उस पर कहासुनी हुई, तनाव हुआ लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, वहां मारपीट हुई, झगड़ा हुआ लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत। यह क्या बात हुई कि मैं किसी के खेत को काट लाऊं, किसी के डकैती करूं, चोरी करूं, लेकिन मुकदमा दर्ज हो इस धारा का तो यह इस धारा का दुरुपयोग है। इस धारा के पीछे जो भावना है उससे इस भावना को समाप्त करने की बात

(श्री यदुनाथ सिंह)

होगी। इसलिए इस धारा का उपयोग भी बहुत सोच-समझकर किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज देख रहे हैं कि इस धारा को एक मजाक का रूप बना दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि हरिजनों के खिलाफ अत्याचार नहीं होते। होते हैं और उनको रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने यह कानून बनाया है लेकिन इस तरह के झूठे मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं जिससे कि इस धारा की भावना समाप्त हो रही है। इसलिए इस पर भी हमें गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह है कि घटनाओं की शुरूआत जिन कारणों से हुई उन कारणों को पैदा करने वालों को दण्डित करने का काम आप नहीं करेंगे तो वहां तनाव बढ़ेगा। जगह-जगह पंचायतें हो रही हैं। लोगों में बड़ा आक्रोश है। पिछले साल जो मथुरा जिले में घटना हुई थी, 2 हरिजनों को काट दिया था वो 40 किलोमीटर दूर है। आगरा नजदीक है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक मार्च को श्री रामविलास पासवान जब जयपुर आये थे, तब जिस तरह का भाषण उन्होंने वहां दिया, वह वहां तनाव का कारण बना और वहां जगह-जगह पिछले 15 दिन में आप देखेंगे···

डा. चन्द्रभान : वो तो अपने दल के हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं अपने दल के खिलाफ भी, यदि कोई मेरा नेता गड़बड़ करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखता हूं। कोई राज-समाज में तनाव पैदा करे, मेरे दल के हैं तो क्या हुआ। रोहताश कुमार जी, उनकी जो भाषा आप सुनेंगे, वहां जाकर उन्होंने इतनी तनाव और उत्तेजना की भाषा का उपयोग करते हैं। इसलिए नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जाय। पासवान जी का फिर कार्यक्रम बन रहा है, फिर जायेंगे, रोहताश जी फिर जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें माहिर आजाद जी।

श्री यदुनाथ सिंह : इसलिए वहां इन नेताओं की किसी भी सूरत में मौके पर नहीं आने देना चाहिए। वहां इससे तनाव और बढ़ेगा। मेरा आपसे इस मामले में यही कहना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जनरल तो नहीं बुलाया जा सकता। आप में से कोई एक बोल सकता है, ओनली वन पर्सन। प्लीज। इसमें क्या है कि सब तरफ से बोल चुके हैं, 4–5 आदमी बोल गए हैं। या तो घासीलाल जी को कह दीजिए या जुबेर खां जी बोल लें।

श्री घासीलाल चौपड़ा : मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्षेत्र तो बहुत दूर है। यह मैटर नहीं है। प्लीज।

श्री घासीलाल चौपड़ा : टोडारायसिंह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : टोडारायसिंह का हमारे पास कोई दिया हुआ नहीं है।

श्री घासीलाल चौपड़ा : लिखकर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : जनरल अलाउ नहीं किया जा सकता ।

श्री जुबेर खां : लिखकर कैसे नहीं दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं । उनके क्षेत्र में घटना घटी है उनको बोलने दिया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव ।

माननीय श्री अमृतलाल परमार । (अनुपस्थित)

माननीय श्री प्रभुलाल पटेल (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो मिनट के लिए टोंडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए ।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सरासर तानाशाही है और उसके खिलाफ हम बहिष्कार करते हैं अगर आप ...
(व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : हरिजनों के ऊपर अन्याय हो रहा है, कृपया दो-दो मिनट तो बोलने दें....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष, महोदय, आपने कहा था कि एक को बोलने देंगे । (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : हरिजनों के ऊपर इस तरह की ज्यादती की जा रही है और आप सुनने को तैयार नहीं हैं । हम अपनी बात कहने का भी यहां पर अधिकार नहीं रखते हैं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, एक सैकण्ड, कृपया बिराजिए । एक सैकण्ड

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि एक को बोलने देंगे, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने दें ।

डा चन्द्रभान : पाइन्ट आफ आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सहयोग कीजिए । क्या आप बोल रहे हैं गृह मंत्रीजी ? माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं । सहयोग कीजिए चन्द्रमान जी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इनको बोलने तो दीजिए ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने व्यवस्था दी थी कि इधर से एक आदमी बोल ले । तो आप एक आदमी को अलाऊ करें । आप ने ही कहा था ।

एक माननीय सदस्य : आप गृह मंत्रीजी का जवाब आने दो ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने भरतपुर वाले के लिए कहा था । इसके लिए नहीं ।

श्री घासीलाल चौपड़ा : आपने कहा था कि एक आदमी बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नया इश्यू हमारे पास नहीं है यह। प्लीज, हरिसिंहजी, बिराजिए। कृपया बिराजिए। प्लीज, बैरवा साहब। ना-ना, बिराजिए आप। हां, माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : टोडा के अन्दर तुरन्त ही किसी में झगड़ा हुआ है वहां स्थिति तनावपूर्ण है। बोलना चाहिए सदस्य को, हमारे सदस्य बोलेंगे, उन्होंने पहले लिख कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री दिग्विजय सिंह : पहले सुन तो लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नियम है यहां बोलने के लिए। कोई ऐसा नोटिस नहीं है, हरेक को कैसे अलाऊ करूंगा।

श्री घासीलाल चौपड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है।

श्री जुबेर खां : आज सुबह अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, बना हुआ है, नियमावली है।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, हमने लिखित में उनको दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जुबेर खां : हमने लिखित में दिया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष महोदय की जगह आप आ जायें तो आसन की व्यवस्थाएं बदल जाय।

श्री महोम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय को नोटिस दिया था आज सबह। आपकी टेबल पर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री जुबेर खां : हमने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं आपको मौका दूंगा और आप आते ही बैठ कर कहते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोले आप ?

श्री जुबेर खां : हमारी पीड़ा है, हम कहना चाहते हैं जो वह करते हैं— (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, विषय तो गम्भीर ले रहे हैं। प्लीज, विषय की गम्भीरता को देखते हैं ...

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और नहीं है। आप सुन कर तो देखिये कि गम्भीर है या नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, क्या आज ही होगा, कल नहीं आयेगा क्या, कल नहीं आ रहा है क्या ?

श्री जुबेर खां : आप सुनने की बात तक तैयार नहीं होते हैं। वहां तनाव चल रहा है....

श्री घासीलाल चौपड़ा : तनाव चल रहा है, प्रोपर्टी जलाई गई है।

श्री जुबेर खां : तीस लाख रुपये की प्रोपर्टी जलाई गई है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। हां, नन्दकिशोरजी।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया। सदन के नियम बने हुए हैं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने, दोनों ने अध्यक्ष महोदय को आज सुबह नोटिस दिया था और वह आपके पास टेबल पर रखा हुआ है। आप कृपया अपने पास जो कागज रखे हैं उनको देखें। उनमें हमारा नोटिस है। आपने कह दिया कि कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नियम बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, एक सैकण्ड, श्री माहिर आजाद जी। आज गृह मंत्रालय की मांग है इसलिए आज इस विषय पर डिस्कशन चलेगा, आप अपनी इस बात को जब चाहें तब उठा सकते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नोटिस की बात है। नोटिस दिया है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अभी मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। इस प्रकार का नोटिस नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नोटिस दिया है उपाध्यक्ष महोदय, बात तो यही है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का नोटिस है तो भी उनको डालने के लिए मांग के ऊपर अलाऊ किया हुआ है। इसीलिए कृपया सहयोग कीजिए। जिस भी बात को कहना चाहें बड़ी गम्भीरता से कहिये लेकिन समयानुसार कहिये।

श्री जुबेर खां : लेकिन हमें एक मिनट का तो मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय अलाऊ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का फैसला हो जाय।

श्री घासीलाल चौपड़ा : मैंने निवेदन किया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नोटिस दिया है श्रीमन्। जुबेर खां जी और मैंने, दोनों ने नोटिस दिया है। नोटिस आपके पास रखा है और मना कर रहे हैं कि नोटिस दिया ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माहिर आजाद जी, कॉ-आपरेट करिये। हां, आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट, प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुनूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य टोडारायसिंह के मामले के अन्दर बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं और वहां की स्थिति विस्फोटक है। आप सुन लें पहले। भरतपुर के मामले में अध्यक्षजी ने दो-दो मिनट अलाऊ कर दिया, टोडा के बारे में अखबार रंगे पड़े हुए हैं। हम लोग बहस के अन्दर इतना समय खराब कर रहे हैं, अगर दो-दो मिनट, दो माननीय सदस्य हैं—जुबेर खां जी और वासीलाल जी हैं, दो-दो मिनट अगर आप दे देंगे तो heavens are not going to fall, sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतकजी, कैसे अलाऊ किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सुबह नोटिस दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन को....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप देखिये। नोटिस अध्यक्ष महोदय को सुबह दिया है आज, सवाल तो यही है।

श्री उपाध्यक्ष : जिस-जिस के नोटिस हैं सब को बुलाया गया है। There is no notice at all नोटिस ही नहीं आया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रामगढ़ से आने वाले सदस्य के और मेरे, दोनों के दस्तखतों का नोटिस है। आप कागज देखें आसन पर, आपके पास रखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नोटिस है, दिया गया है, आप दिखवा लें। आप देखिये, नोटिस है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नोटिस दिया गया है, लिखित में नोटिस दिया है, आप कागज तो देखें। आप देख ही नहीं रहे हैं कागजों को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप देखें, नोटिस है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख चुका हूं पहले। जब व्यवस्था दी जा रही थी मैं वहीं बैठा था।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नोटिस दिया है तभी हम यह बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नियमों की जानकारी हमें भी है, बिना नोटिस दिये हम हमारी मांग पर बहस नहीं करते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, हम लोग आसन को सहयोग करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन अगर आसन इतना बड़ा रूख अपनायेगा तो आप समय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बचाना चाहते हैं वह समय बचने वाला नहीं है उपाध्यक्ष महोदया यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : On a point of information.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन ही है क्या।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, क्यों पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन करते हैं इसको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन सुन लें। देखिये, आपके आदेश भी व्यावहारिक होने चाहिए। जहां सदन के माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हों तो एकोमोडेट करने में आसन को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे समय बचेगा आपका....

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन माननीय सदस्य, नियमों का तो पालन करना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नियम विरूद हम कहां बोल रहे हैं। हम नियम विरूद्ध नहीं बोल रहे हैं श्रीमन्।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप फिर नियमों की बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष जी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : नियम विरूद्ध तो एक शब्द इस सदन में ना आज दिन तक बोला, न बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बात यह है कि आपकी संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिमाण्ड के समय इनको बोलने का मौका दिया जायेगा। डिमाण्ड के समय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, शून्य काल में....

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड के समय दिया जा रहा है। उसमें समय दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मेरी बात तो सुनिये। आप बात तो सुनना नहीं चाहते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जीरो ऑवर का महत्व जो है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रद्युम्नसिंहजी की सुन ली, आप वरिष्ठ लोगों की बात सुनते हैं हम जो नये आये हैं, हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं अभी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लें। हम आपको सहयोग कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप क्या कह रहे हैं अभी। कृपया सहयोग कीजिय

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको डिमाण्ड के समय बोलने का अवसर दिया जायेगा। जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उस समय अवसर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा–नोटिस नहीं दिया गया है। डिमाण्ड पर क्यों बोलेंगे, शून्य काल में बोलने का नोटिस रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने, दोनों ने अध्यक्ष महोदय को दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, को-आपरेट करिये। इनको मना नहीं किया है। आज डिमाण्ड है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप उसको तलाश तो करवाइये। आज हमने जो नोटिस दिया है उसको आप तलाश तो करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नन्दकिशोरजी शर्मा।

श्री घासीलाल चौपड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह का मामला है, वहां तनावपूर्ण स्थिति है, मेरा आपसे निबेदन है, मेरे क्षेत्र की बात सदन के अन्दर नहीं कह सकता, वहां जो तनाव है दो सम्प्रदायों में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंटऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड के समय अवसर दिया जायेगा। कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सहयोग कीजिए।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्षजी, मेरा भी 295 का लगा हुआ था, मैं अभी....

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : ना, There is no end to these arguments, please. सहयोग कीजिए। मैं व्यवस्था चाहता हूं, आप कृपया सहयोग कीजिए माननीय नन्दकिशोर जी शर्मा।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामले की गम्भीरता को समाप्त कर रहे हैं। इसमें मूल प्रस्ताव मेरा था। आप गृह मंत्रीजी से जवाब दिलवायें इसका। गृह मंत्रीजी अभी बोल रहे थे, आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सहयोग कीजिए। बिराजिए आप।

डा. चन्द्रभान : नहीं, यह कोई तरीका नहीं है। आप हमको नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री घासीलाल चौपड़ा : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री जुबेर खां : × × ×

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मोरोली का तो दे रहा हूं, कोई सुने तो सही।

डा. चन्द्रभान : हां, यही तो हम चाह रहे हैं। अब गृह मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहां बैठ रहे हैं। प्लीज, व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय. एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : क्या, हर आदमी उठेगा यों तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों का जो आप हवाला दे रहे हैं, परम्परा और नियम दो बराबर महत्वपूर्ण है....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, शर्मा साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और यह परम्परा रही है इस सदन की कि किसी के निर्वाचन क्षेत्र में अगर कोई घटना हो तो अवश्य उसको बोलने दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मना नहीं किया है, आज वह बोल रहे हैं। आज ही बोल रहे हैं। यो घंटे बाद में बोल रहे हैं। घंटे, आधे घंटे तो थोड़ा-बहुत आपको सब्र करना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट की डिबेट जनरल डिबेट होगी, यह स्पेसिफिक मोशन है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी, एक मिनट, प्लीज। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जितने भी काल अटेन्शन मोशन लोगों के लगे हुए हैं, स्थगन प्रस्ताव, आज उन सब को बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था पहले दे दी है कि जिन लोगों के सवाल हैं वह आज बोल सकेंगे। उन्होंने विशेष रूप से सूची में उनके नाम भी लिखवाये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय घासीलालजी चौपड़ा टोडारायसिंह से आते हैं. आज टोडारायसिंह के अन्दर एस. पी., कलक्टर, डी. आई. जी. और डिवीजनल कमिश्नर....

श्री उपाध्यक्ष : व्यासजी, मना नहीं किया जा रहा है। आप बिराजिए। आपको उन से ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब वहां बैठे हुए हैं। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप मुझे, let me complete my sentence. राज्य सरकार खुद इसको गंभीरतापूर्वक ले रही है कि स्थिति वहां विस्फोटक है, कि

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डी. आई. जी. और कमिश्नर भी वहां बैठे हुए हैं, कलक्टर और एस. पी. वहां आज चार रोज से बैठे हुए हैं, और उपाध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा नहीं करने दें और टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य हैं उनको नहीं बोलने दिया जाय, यह बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है। आप दो मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय गृह मंत्रीजी क्या कह रहे हैं, आपकी बात ही कह रहे हैं। बिराजिए अब आप। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य सदस्यों ने भरतपुर के अन्दर जो दो काण्ड हुए हैं मोरोली और चितोकरी, दोनों का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन करना है, माननीय नत्थी सिंहजी ने जैसी बात कही और माननीय रामप्रसादजी लढ्ढा ने भी बात कही कि दो समुदायों के बीच में किसी विवाद को लेकर इस प्रकार की घटन घटी। निश्चित रूप से घटना, मैं समझता हूं, बहुत दुखद थी, गत वर्ष भी हिण्डौन में इस प्रकार का काण्ड हुआ था। और उसमें हमने कोशिश की और उस वर्ष में स्वयं गया था हिण्डौन और यहां के दोनों समुदायों के बीच वापस सद्भाव का वातावरण बनाया और इस वर्ष दोनों समुदायों में हिण्डौन में अच्छी तरह से होली मनाई और कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई। इस प्रकरण में माननीय सदस्यों ने दो तरह के विचार व्यक्त किये हैं। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है हम किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को उसमें नहीं फसायेंगे और इसके लिए कल शाम को ही मुख्य मंत्रीजी के निवास स्थान पर एक बैठक बुलाई गयी थी और....(व्यवधान)....अब आप सुन तो लो। आप कहते हो बोले नहीं और बोलते हैं तो आप बीच में टोकने लग जाती हो। हमने माननीय रिलीफ मंत्री मेघवाल साहब और कमिश्नर. जयपुर डिवीजन और आईजी, सी. आई. डी. क्राइम इन तीनों को कल रात को ही रवाना कर दिया कि वे सारे तथ्यों और हालत को हिण्डौन में देखेंगे और देखने के बाद में उस गांव में भी जायेंगे जहां यह घटनायें हुई हैं और सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जिन जाटवों के घर नष्ट हुए हैं उनको समुचित मुआवजा और उनकी घरों की मरम्मत कराने के लिए एक कमेटी भी बना दी गयी है जो कि उनका निर्माण कार्य आज से शुरू कर देगी। फिर भी और आवश्यकता हुई धनराशि उनको देने की तो निश्चित रूप से राज्य सरकार देगी और इसके सम्बन्ध में जो भी प्रकरण में दोषी पाये जायेंगे, आई. जी वहां मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं वे निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और नत्थी सिंहजी ने कहा कि मैं भी चलूं, तो मैं जाने को तैयार हूं। सदन की डिमाण्ड्स के बाद में हम दोनों भी वहां पर चले जायेंगे।

श्री जुबेर खां : टोडारायसिंह के लिए गृह मंत्रीजी, कुछ बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । एक मिनट बिराजिये (व्यवधान)....

श्री घासीलाल चौपड़ा : वहां की स्थिति हम आपको पेश करें साहब (व्यवधान).... वहां की जानकारी तो हम आपको पेश करें....

श्री नत्थी सिंह : इनको कहने दो और फिर यह कह देंगे । शान्त हो जाय मामला । दो मिनट में यह अपनी बात कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजिये आप.... (व्यवधान)....

श्री घासीलाल चौपड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को धुलण्डी के दूसरे दिन टोडारायसिंह में एक भाटाराड का आयोजन अलग से होता है । पिछले सालों में भाटाराड तो इस प्रशासन ने बंद करवा दी लेकिन इसका दो जुलूसों के रूप सम्मेलन का प्रोग्राम होता है । जिस जगह से एक जुलूस निकलता है वहां 12 बजे वह जुलूस वहां से प्रस्थान करता है । उसके ठीक 50 कदम आगे जामा मस्जिद है । 20 तारीख को जुम्मा का दिन था और रोजे की नवाज थी तो जो 12 बजे जुलूस चलने वाला था, 12 बजे के बजाय वहां से पौने 12 बजे स्टार्ट किया गया । प्रशासन वहां खड़ा था । प्रशासन को यह साफ मालूम था कि 2 बजे नवाज का टाइम फिक्स होता है । जुलूस को पहले निकाल देते तो शायद यह झगड़ा नहीं होता । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्योंही जुलूस वहां पहुंचा जुलूस की तरफ से पत्थर मस्जिद की तरफ चले और नवाजी अन्दर थे । जोश आया और अगर वहां प्रशासन सतर्कता बरतता तो मस्जिद के किवाड़ नहीं खुलते और आपस में पत्थरबाजी नहीं होती । हल्की-सी पत्थरबाजी दोनों तरफ से वहां हुई और जुलूस आगे बढ़ गया । बाजार में बढ़ने के बाद विशेष समुदाय के.... (व्यवधान)....दुकानें जलाई गयीं, लूटी गयीं, जिसमें कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, चूड़ियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, सिलाई की मशीनें हैं, गोटे की दुकानें हैं । 7 दुकानें तो एक समुदाय की और 2 दुकानें एक समुदाय की जलाई गयीं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में जिन लोगों की दुकानें जलाई गयी हैं उनके नाम हैं :– गोपालदास शर्मा, कमल कुमार जैन, मोहम्मद शरीफ, सम्राट टेलर, जमाल खां सुलतान खां, गनी खां, रहीम बख्श, शहाबुद्दीन टेलर्स, न्यू लाइट टेलर्स, मालिक अब्दुल वाहिद और अब्दुल कईम अंसारी टेलर्स और रहीम मणीहारी, यह लोग जो वहां पहुंचे एफ. आई. आर. दर्ज करवाने इनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी और वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया । एफ. आई. आर. दर्ज कर लेते, दोषी थे तो गिरफ्तार करने में कोई एतराज नहीं था लेकिन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, यह क्यों हुआ ?

पिछले समय दशहरे के ऊपर एक माननीय दामोदर प्रसादजी शर्मा, जो सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, देवली में हिन्दी के व्याख्याता हैं, वे जब पधारे और उस दिन भी झगड़ा हुआ था । उन्होंने खुलेआम....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रंजिश के कारण हुआ था....(व्यवधान)....

श्री घासीलाल चौपड़ा : सुनने की क्षमता रखी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुन लीजिए आप। उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : हिम्मत है तो बाहर निकल कर देख लें, यहां क्या बहस करते हो....(व्यवधान).... + + + आनी चाहिए आपको..(व्यवधान).... + + + (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : इनकी आदत को ठीक कीजिए....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : आप बात नहीं कहने देना चाहते। यहां हमें पता है कि....(व्यवधान)....बी. जे. पी. के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भी 21 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खांजी, आप क्या कर रहे हैं, बिराजिये आप (व्यवधान). जब मैंने-स्टेटमेण्ट के लिए....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : और यह + + + करते हैं....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, उनको तो बैठाइये आप....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : उनको बैठाइये आप..(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : वे बैठ जायेंगे। यह क्यों बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : टोंक जिले का मामला है और यह सवाई माधोपुर ....(व्यवधान)....दहशत फैलाना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : महावीरजी प्लीज....(व्यवधान)....जुबेर खांजी....(व्यवधान).... टोंक जिले का बोल लेना आप। आप से बुलवा दूंगा। क्यों खड़े हो रहे हैं अब आप, बिराजिये आप....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक का इतिहास है....(व्यवधान)....कोई भी हिन्दू अगर दंगा, झगड़ा....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, प्लीज बिराजिये आप। प्लीज दिलावरजी।

श्री घासीलाल चौपड़ा : जो लोग एफ. आई. आर. दर्ज करवाने....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : दंगा करवा कर बांरा थानेदार....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खांजी, क्या चाहे हैं आप....

श्री घासीलाल चौपड़ा : जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनकी दुकानें जलाई गयीं (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : + + +

श्री अमृतलाल परमार : आप + + + हो जाओ। खुद झगड़ा करवाते हो ...

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमृतलालजी, प्लीज.....(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : अगर कोई माननीय सदस्य बात कहते हैं उसको कहने नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खां जी, मैं आपको अलौऊ नहीं करूंगा। आप खुद व्यवधान पैदा कर रहे हो....(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : माननीय सदस्य बात कहते हैं तो....

श्री अमृतलाल परमार : आपको उन + + + को....(व्यवधान) क्या आप बोल सकते हैं हम नहीं बोल सकते क्या.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, शिष्टता का प्रयोग कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनको पता नहीं टोडारायसिंह कहां पर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमृतलालजी (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : आप इनको बिठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी सारी नाराजगी हम पर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय की गम्भीरता नहीं ले रहे हैं ऐसा लग रहा है....

श्री जुबेर खां : सत्ता पक्ष नहीं ले रहा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये।

श्री घासीलाल : जो लोग एफ. आई. आर. दर्ज करवाने गये, जिनकी

(1.40 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

दुकानें जलीं उन लोगों को वहां गिरफ्तार कर लिया। अगर दोषी थे तो गिरफ्तार करने में हमें कोई तकलीफ नहीं थी। एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की इनकी और दूसरे जो लोग थे और जिन लोगों के चोटें आयी थीं, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार करें, इसमें हमें कतई तकलीफ नहीं है लेकिन एक समुदाय के सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है दूसरे समुदाय के जिन लोगों ने आगजनी की, दुकानें लूटीं उनकी तरफ से प्रशासन मौन है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दामोदर प्रसादजी, शर्मा, जो सीनियर टीचर हैं....

श्री अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लीजिए। पुरानी बात मत कीजिए। आपकी जो घटना घटी है इस वक्त केवल उसी तक सीमित रहिये आप। 10 साल तक ही चले जाओगे, कभी दामोदरजी कभी, सत्यनारायणजी, इस से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो घटना हुई है, आप वहां के विधायक हैं उसको सूचित करा दीजिए जवाब माननीय गृह मंत्रीजी देंगे।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री घासीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हादसा हुआ बहुत दुखद है और वहां का प्रशासन एक तरफ से देख रहा है, एक आंख से देख रहा है। जो झगड़े हुए, फौजदारियां भी हुई, इन्जर्ड भी हैं वहां लेकिन एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक पक्ष के लोगों को रात में ले जाकर बैठाया गया जिसको वहां के कुछ प्रभावशाली लोगों ने छुड़ा दिया। एक बात, और जिन लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जो कहीं भी साम्प्रदायिकता में नहीं आते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को जो स्कूल पढ़ने आ रहे थे, जो अपराधी थे, जिन्होंने दुकानें जलाई, जिन्होंने लूट खसोट की उनको पुलिस उठाकर ले गयी और गिरफ्तार कर लिया वे खुले घूम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन वहां बैठा है, मैं खुद डी. आई. जी साहब से एस. पी. साहब बैठे हैं, कलक्टर साहब बैठे हैं, कल कमिश्नर साहब भी अजमेर से आयी थीं, उन सब को कहा। परसों के दिन शान्ति कमेटी की मीटिंग बुलाई गयी थी जिसमें सब समुदाय के लोग थे। वहां, अब नाम लेना पड़ेगा साहब, वहां माननीय दामोदर प्रसादजी शर्मा, जो देवली के रहने वाले हैं खुली मीटिंग में, शान्ति मीटिंग में उन्होंने कहा कि यह टोडारायसिंह वाले + + + हैं और इनमें निपटने की ताकत नहीं है मैं निपटने की ताकत रखता हूं। ऐसे उत्साहित भाषण देकर के वहां और भी उसको उत्साहित किया है। वे खुले घूम रहे हैं। प्रशासन को चाहिए पहले उनको गिरफ्तार करे जो वहां झगड़ा भड़काना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस बारे में भाषण चाहे वहां बाहर दें और चाहे यहां दें, दृश्य तो वही उपस्थित हो जाता है।

श्री घासीलाल : मेरा निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष : अभी भी आप देख रहे हैं, मैं सुन रहा था, कि आप बोलते-बोलते यहीं भिड़ जाते। यानि या तो निष्पक्ष बात हो वह कहिये। आखिर जांच करने की जिम्मेदारी सरकार की है तो कोई दामोदर शर्मा हो और चाहे खुदा हो, यदि वह दोषी पाया जायेगा तो उसको कोई छोड़ेंगे नहीं।

श्री घासीलाल : ध्यान में तो लाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान में ला रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान में ले आये ना आप। बार-बार उसको आग्रह करोगे फिर दो आदमी दूसरा नाम बतायेंगे। क्या मतलब हुआ उसका।

श्री घासीलाल : माननीय अध्यक्षजी, वह जो मीटिंग में एक बात हुई ना....

श्री अध्यक्ष : हो गयी आपकी बात पूरी। अब बैठिये आप। माननीय गृह मंत्रीजी।

(व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये आप।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जुबेर खां : जो चर्चा यहां हुई....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आप बैठिये ना। दोनों बोलेंगे एक साथ। श्री जुबेर खां का अंकित नहीं करें...।

श्री घासीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जिन्होंने दुकानें जलायीं, जिन्होंने लूट खसोट की उनको गिरफ्तार किया जाय। जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाया जाय। जो दोषी व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाय और जो निर्दोषों को पकड़ा है उनको छोड़ा जाय। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, अमन बनाया जाय, शांति बनायी जाय और वहां का बाजार खुलवाया जाय। मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री अमृतलाल परमार। आप इसका जवाब देंगे अपने जवाब में अभी नहीं, बाद में देंगे आपका स्पेशल मेन्शन है कि नहीं? नहीं नहीं बोलना है आपको? बैठिये आप। श्री प्रभुलाल पटेल। नहीं हैं, अनुपस्थित। है क्या आपका? तो फिर देरी क्यों कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो आप?

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

सेवाड़ा व सायडा के जंगल की अवैध कटाई

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली के अन्तर्गत सेवाडी व सायडा जंगलात में अवैध लकड़ी रेन्जर केराराम, बनपाल, परबतसिंह लाठाडा, किशनसिंह तथा सेवाडी के किशनसिंह उनके संरक्षक चन्द्रवीर सिंह द्वारा लगातार तीन साल से जंगलात की भयंकर कटाई करवायी जा रही है। जिनकी शिकायत मैंने मंत्री महोदयजी एवं मैन आफिस उदयपुर व पाली में कर चुका हूं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे पूरा जंगलात साफ हो रहा है। बीस-बीस रुपये लेकर पूरी लकड़ी की गाड़ी, छकड़े भराये जाते हैं व बेचाये जाते हैं जिसमें यह चारों मुखिया हैं। मैंने फोटो भी खींचे हैं, स्वयं ने मौका देखा है। आप स्वयं चाहें तो मौका देख सकते हैं। इनमें से चन्द्रवीर सिंह, डी. एफ. ओ. दस साल से जमे हुए हैं। सायडा के अन्दर केराराम दस साल से बैठा हुआ है। परबतसिंह पांच साल से

(1.45 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बैठा हुआ है। जिनको मैंने डेढ़ साल पहले भी पकड़ा है व वार्निंग भी दे दी थी। इसी प्रकार केराराम रेन्जर जो सायडा में है, जिसका एरिया मेरे ज्यादा लगता है उनको भी मैंने वार्निंग दी थी। मेवाडी मुंशी को, वनपाल को भी मैंने वार्निंग दी थी परन्तु उनकी आदतों में कोई फर्क नहीं आया। गरीब राईका जाति को तंग करना व पैसे मांगना तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सरकार तो जापान की सहायता से वनों की रक्षा व हरा भरा करने की योजना बना रही है, यह चारों लोग हरे भरे पेड़ काटकर पूरा जंगल ही साफ कर रहे हैं। चन्द्रवीर का तो ट्रांसफर हो गया था तीन महीने पहले, परन्तु वापस किस

(श्री अमृतलाल परमार)

प्रकार स्थानान्तरण रद्द किया गया, यह मैं आपको पूछना चाहता हूं। ऐसी मंत्रीजी की क्या मजबूरी थी? अध्यक्ष महोदयजी, आपसे निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अविलम्ब हटाकर जांच करावें। जनता में असन्तोष फैल रहा है उसे मिटा दिया जाय। वन की रक्षा करने के लिये जनता में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो सके। इसी प्रकार हमारे वाली का रेन्जर ताराचन्दजी दस साल से बैठे हुए हैं। इस प्रकार सारे मिल कर वहां एक कार्यक्रम कर रहे हैं। जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। हमारी सरकार जंगल के लिये पूरा सहयोग कर रही है और जंगल को अच्छा करने के लिये प्रयत्न कर रही है। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को अवलिम्ब हटाया जाय, यह मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री प्रभुलाल पटेल। (अनुपस्थित)

छबड़ा में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 295 के तहत छबड़ा में महाविद्यालय खोलने बाबत।

निवेदन है कि छबड़ा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय है जो पिछड़ा क्षेत्र है। बारां महाविद्यालय से 65 से 100 किलोमीटर दूर है। बहुत गरीब व पिछड़ा क्षेत्र है। सन् 1950 से ही उपेक्षित रहा है। सन् 1980 से हम मांग करते आ रहे हैं। उपखण्ड की जनसंख्या चार से पांच लाख है। निम्न व्यवस्था जो वहां है उनको देखते हुए छबड़ा क्षेत्र में महाविद्यालय या कृषि महाविद्यालय खोला जाना अति आवश्यक है। निम्न प्रकार है:

(1) छबड़ा क्षेत्र में 21 हाई स्कूल हैं।

(2) छबड़ा क्षेत्र में चार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं।

(3) दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में करीब ढाई हजार छात्र पढ़ते हैं।

(4) छबड़ा हाईस्कूल 1953 का है। जब बारां में भी केवल हाई स्कूल था तब छबड़ा में भी हाई स्कूल था।

(5) छबड़ा की आबादी बीस हजार के करीब है।

(6) छबड़ा में सन् 1907 से नगरपालिका है।

(7) छबड़ा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के पास के खेल के मैदान भवन, कृषि भूमि सौ बीघा करीब मौजूदा है। खेल का मैदान बहुत विशाल है।

(8) छबड़ा में मुन्सिफ कोर्ट, ए डी. जे कोर्ट एवं बिजली, पी. डब्ल्यू डी, पेयजल, सिंचाई, भू सर्वेक्षण, सहायक अभियन्ताओं के कार्यालय हैं। जहां सहायक निदेशक कृषि विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी विकास परियोजना अधिकारी, विकलांग शिक्षा सहायता कार्यालय जैसे अनेक कार्यालय हैं।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

(9) छबड़ा नगर कोटा बीना रेल्वे लाइन पर बारां जिले से कोटा झालावाड़ सड़कों से जुड़ा है।

(10) छबड़ा क्षेत्र की जनता गरीब होते हुए भी कालेज भवन निर्माण आदि कार्यों के लिये दस लाख रुपये लगाकर भवन व बाउण्ड्री बना रही है।

(11) छबड़ा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में दो कुएं पानी की मोटर से बने और लगे हैं।

उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए छबड़ा क्षेत्र के साथ वहां की जनता के साथ वहां के गरीब पिछड़े मीणा, भील, गुर्जर, लोधा जाति के बालकों को शिक्षा दिलाने के लिये छबड़ा में महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक है। यह विधान सभा क्षेत्र छबड़ा माननीय श्री भैरोंसिहजी शेखावत साहब की विधान सभा क्षेत्र रहा है तथा 1952 में माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे श्री वेदपालजी त्यागी की भी क्षेत्र रहा है। वर्षों से पिछड़ा क्षेत्र रहा है। उसको शिक्षा और न्याय दिलाने की दृष्टि से वहां महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक है, खोलने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में सुविधा के सम्बन्ध में

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले नागरिकों की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में जिन बस्तियों में सन् 1971 और 81 में सर्वे हुआ, अभी तक भी उन व्यक्तियों को भूखण्ड नहीं दिये गये और उसके बावजूद वहां नये-नये लोग बस गये। उदाहरण के लिये एक बस्ती में 1300 परिवारों को सर्वेधारी घोषित किया गया, एक हजार परिवारों को भूखण्ड दिये गये, 300 परिवार आज भी बिना भूखण्ड के इधर-उधर भटक रहे हैं और जो हमारे दूसरे उपयोग की जगह हैं चाहे वह पार्कों की जगह हो, चाहे विद्यालय की जगह हो उसमें बैठे हैं। इसलिये बस्ती का विकास वहीं रुका पड़ा है। कई बस्तियों में सर्वे तो हो गया परन्तु सर्वे के समय अनुपस्थित रहे परिवारों को आज तक सर्वेधारी घोषित नहीं किया गया जब कि वह सर्वेधारी हैं, अधिकारी हैं, तत्काल उन्हें सर्वेधारी घोषित करें। कई बस्तियों में सर्वे हो गया उतने ही परिवार हैं परन्तु विडम्बना यह है कि गोपीचन्द की जगह रामनारायण को और रामनारायण की जगह गोपीचन्द को बैठा दिया गया है। केवल एक नम्बर स्थानान्तरित करने का मामला है। यह समस्या नम्बर के उलझन से निकाल दी जाय तो वह गरीब आसानी से वहां बस सकते हैं अन्यथा उसको अपने मकान का मलवा उठाने के लिये भी हजारों का खर्च करना पड़ेगा, जो गरीब के लिये उचित नहीं है। इस तरह से

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

विकास के काम भी हो रहे हैं, सड़क भी बन रही है, नाली भी बन रही है परन्तु ऐसी विडम्बना है, सड़क बनाते समय किसी की भी एक झोंपड़ी बीच में आ गयी तो सड़क का काम वहीं रुक जाता है। नाली बन रही है, किसी का घर थोड़ा सा एक कोना निकला हुआ है तो नाली भी वहीं पर रोक दी जाती है। बिजली की लाइन जाती है परन्तु उसमें रोड लाइन नहीं है। जो घरों के लाईट जाती है उसी में से लाइट जलती है। उसका वोल्टेज भी ना के बराबर रहता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि ऐसा समस्या को भी बारीकी से देखना चाहिये। जिन बस्तियों में 81 के बाद सर्वे नहीं हुआ है, मैं यह चाहूंगा कि उनका तत्काल सर्वे करवाया जाय और एक बार सर्वे करने के बाद इसी प्रकार अन्य जो कब्जे कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों से एक बार सख्ती से निपटा जाय तो ऐसी कच्ची बस्तियों का फिर से नया निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। माननीय मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा कि समस्या का समाधान इस प्रकार से क्या आप टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर करेंगे, क्या प्रक्रिया उनकी होगी, बताने का कष्ट करें। यदि शीघ्र ही यह नहीं हुआ तो हमारे शहरों के विकास के आंकड़े भी गड़बड़ायेंगे। न लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गंदगी के कारण, न आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे, न शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जब बैठने, रहने की जगह ही नहीं होगी तो बालक कैसे पढ़ सकेंगे ? फिर शेष जीवन के विकास की बात सोचना तो बहुतदूर की बात होगी। मैं माननीय मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा कि यह कब तक आप पूरा कर सकेंगे, बताने की कृपा करें। जिन बस्तियों को अधिकृत नहीं किया गया है, उनको अधिकृत घोषित करें। उनमें भी विकास के काम विधिवत हो सकें अन्यथा यह कह-कर टालना उचित नहीं होगा कि बस्ती जब तक अधिकृत नहीं होती, कुछ नहीं होगा। कई बस्तियों से लीज भी लेते हैं और हाउस टैक्स भी लेते हैं, परन्तु विडम्बना यह है कि इन बस्तियों को अभी भी प्राइवेट बस्ती माना जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की, सरकार की उलझन वाली प्रक्रिया से इन बस्तियों को मुक्ति दिलावें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से इसके निराकरण की बात अवश्य चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, यह जयपुर शहर में ही नहीं राजस्थान के अनेक भागों में कच्ची बस्ती और गंदी बस्ती की समस्या सरकार के सामने है। इसका समाधान करने में जिस प्रकार की दिक्कतें आती हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये हीरालाल जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप जयपुर से कन्सर्न हैं, इसीलिए जयपुर की बात करते हैं।

डा. चन्द्रभान : सभी 295 के आप जवाब दिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतः उत्तर दिया जाता है। आप बोलिये। उत्तर देना चाहे, दे सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं माननीय सदस्यों का सहयोग मांग रहा हूं। इस समस्या के समाधान के लिए यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो सरकार का यह निश्चय है कि आगे आने वाला जो वर्ष है अप्रेल के बाद इस पूरे वर्ष में, कच्ची बस्तियों के विकास के लिए हम योजना बना रहे हैं और कच्ची बस्ती काया-कल्प के नाम से एक योजना चलाकर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते आपका सहयोग मिलता रहे। मैं केवल सहयोग मांगने के लिए खडा हूं और सहयोग मांग रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सहयोग तो पूरा-पूरा है। आप बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी जनतांत्रिक सरकार का पहला कर्तव्य है कि वह रोजगार प्राप्त करने के अधिकाधिक साधन पैदा करे जिससे बेरोजगारी का अंत हो सके किन्तु हमारे प्रदेश में राज्य सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय ले रखे हैं जिसके कारण बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है लेकिन रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं में भी भेदभाव बरता जा रहा है जिसके कारण प्रशिक्षणार्थियों में हीन भावना तो उत्पन्न हो रही है, हजारों प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भी बेरोजगार हैं एवं नियुक्ति की निर्धारित आयु सीमा भी पार कर गये हैं तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर हुआ हजारों रुपयों का व्यय भी व्यर्थ हो गया है। यह यह सब शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों के साथ हो रहा है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा में सुधार तथा सुव्यवस्थित शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रदेश में कई स्थानों पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एस. टी. सी. खोल रखे हैं एवं प्रति वर्ष पी. ई. टी. परीक्षा आयोजित कर बी. एड. में प्रवेश दिये जाते हैं। एस. टी. सी. कोर्स दो वर्ष तथा बी. एड. कोर्स एक वर्ष का होता है, जिस पर प्रशिक्षणार्थी हजारों रुपये खर्च करते हैं। जिला परिषदों और शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक पदों के लिए इन प्रशिक्षण प्राप्त लोगों में से नियुक्ति देते हैं, किन्तु इस पद के लिए जब आवेदन मांगे जाते हैं, तब ही मेरिट बनाकर उन पदों के विरुद्ध नियुक्तियां दी जाती हैं। शेष बचे आशार्थियों के अवसर समाप्त हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया हर बार अपनायी जाती है। इस कारण से शेष बचे आशार्थी, जिनके मेरिट में प्राप्तांक कम थे, बिना नियुक्ति के रह जाते हैं। अगले वर्ष जब

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

अन्य प्रशिक्षणार्थी, जिनके प्राप्तांक इन आशार्थियों से अधिक होते हैं, वे नियुक्ति पा जाते हैं और कम प्राप्तांक वाले ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। इस प्रकार बाद में प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं को नियुक्तियां मिलती रहती हैं। इस प्रक्रिया के कारण कई आशार्थी आयु सीमा भी पार कर जाते हैं।

दूसरी दुविधापूर्ण प्रक्रिया इन नियुक्तियों के संबंध में जिला स्तर पर आवेदन पत्र मांगते समय अपनाई जाती है जिसके अनुसार जिस जिले के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, प्रार्थी को उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के कारण भी कई बार कम प्राप्तांक प्राप्त आशार्थियों की नियुक्ति हो जाती है और अन्य जिलों के आशार्थी अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने के बावजूद भी नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वह उस जिले का निवासी नहीं होता, जिस जिले में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस कारण से प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों के साथ कई प्रकार के भेदभाव किये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर राज्य सरकार से न्याय की मांग करता हूं:—मेरा पहला सवाल है, क्या सरकार सारे प्रदेश में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु सम्पूर्ण राज्य में एक साथ आवेदन पत्र आमंत्रित कर शिक्षक चयनित करने का विचार रखती है जिससे काफी हद तक समस्या का समाधान किया जा सकता है।

दूसरा निवेदन है, क्या सरकार उक्त प्रकार के प्रशिक्षण के वर्ष को वरिष्ठता को आधार मानकर उसके अनुसार क्रमशः नियुक्तयां देने का विचार रखती है, जिससे पूर्व के प्रशिक्षणार्थी, निर्धारित आयु सीमा पार नहीं कर सकें और उससे पूर्व ही उनकी नियुक्तियां संभव हो सके।

तीसरा निवेदन है, जिन प्रशिक्षार्थियों ने निर्धारित आयु सीमा पार नहीं कर ली है, क्या सरकार उन्हें आयु सीमा में रियायत देना चाहती है? चौथा निवेदन, क्या पूर्व में स्थाई मेरिट की सूचियां बनाई जाती थी? अब पुनः आशार्थियों की स्थाई मेरिट की सूचियां बनाई जावे जिससे भी काफी हद तक उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा।

पांचवां निवेदन, एक अंतिम सुझाव मेरा राज्य सरकार को यह है कि नियुक्तियों में होने वाले भेदभाव तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आयोग गठित किया जाये जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राज्य के शिक्षा प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित कर सम्पूर्ण राज्य में एक समान अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर मैं चर्चा करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

गर्जसिंहपुर से पटवार ट्रेनिंग सेण्टर को चुनावढ़ पुनः लाने के सम्बन्ध में।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं अपनी बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने पटवार ट्रेनिंग सेण्टर बनाने का निर्णय लिया और पटवार ट्रेनिंग सेण्टर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुनावढ़ को चुना गया। चुनावढ़ ग्राम जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर पदमपुर रोड पर स्थित है, यहां से जिला प्रशासन ट्रेनिंग का कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। व्याख्याता भी आसानी से वहां पहुंच सकते हैं ट्रेनिंग सेण्टर हेतु ग्रामवासियों ने चार बीघा जमीन भी दे दी तथा चार दीवारी भी बनाने की जिम्मेदारी ग्रामवासियों ने ली। कार्य एक वर्ष पूर्व शुरू कर दिया गया।

महोदय, सब कार्य शुरू होने के बाद भी राजनीतिक कारणों से इस सेण्टर को सचिवालय द्वारा चुनावढ़ से गर्जसिंहपुर बदला जा रहा है। जिला कलक्टर के बार-बार यह आग्रह करने के बाद भी कि ग्राम चुनावढ़ ट्रेनिंग सेण्टर के हिसाब से उपयुक्त स्थान है, लेकिन इसके बाद भी सचिवालय से स्थानांतरण संबंधी आदेश बार-बार जाते रहते हैं। गर्जसिंहपुर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से गर्जसिंहपुर उपयुक्त स्थान नहीं है।

अतः पटवार ट्रेनिंग सेण्टर का स्थानांतरण ग्राम चुनावढ़ से गर्जसिंहपुर नहीं किया जाना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया। (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला।

(2.00 म. प.)

भेड़ पालकों पर कुठाराघात होने के बारे में।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी होने के कारण यहां भेड़ एवं ऊन व्यवसाय का विशेष महत्व है। वर्ष 1988 में प्रदेश में करीब एक करोड़ भेड़ें थीं जिससे राज्य में 150 से 160 लाख किलोग्राम ऊन का वार्षिक उत्पादन होता था। राज्य सरकार न्यूजीलैंड से ऊन के आयात की अनुमति दे रही है जिससे स्थानीय विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के भेड़ पालकों पर कुठाराघात होगा, क्योंकि इससे स्थानीय ऊन के दाम गिर जायेंगे तथा गरीब भेड़ पालक और गरीब हो जायेगा।

पशुपालन विभाग में तकनीकी निदेशक का पद तो है लेकिन भेड़ व ऊन विभाग में तकनीकी निदेशक का पद नहीं है।

कब तक तकनीकी निदेशक को लगाकर विभाग में सुधार किया जावेगा ? भेड़ कृषि जीन्स तथा फेमिन कोड में नहीं है।

ऊन मण्डी से प्राप्त कर को भेड़ व्यवसाय में वृद्धि के लिये तथा भेड़पालकों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के उत्थान के लिये खर्च करना चाहिये। भेड़ पालकों को ऊन के दाम बहुत ही कम दर पर दिये जाते हैं, जिससे भेड़ व्यवसाय काफी पिछड़ रहा है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 1991 को बीकानेर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के विज्ञापन संख्या क्रमांक एफ-2/ग्रा. वि. प/स. राज./91/993, जयपुर दिनांक 18-12-1991 में पशुपालन विभाग वेटेरीनरी असिस्टेण्ट सर्जन, जिनका वेतनमान 2000-3500 है तथा वेतनमान नम्बर 15 है, वे तो विकास अधिकारी के पद हेतु योग्य हैं जबकि उसी वेतनमान व वेतन नम्बर-15 के भेड़ व ऊन विभाग में कार्यरत भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी बी. डी. ओ. पद के लिये योग्य नहीं है, जबकि उनके पास भी पशुपालन विभाग के वी. ए. एस. की तरह बी. वी. एसी व ए. एच की उपाधि है। भेड़ व ऊन विभाग के प्रमोटी भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, जिनका वेतनमान उनसे कम है (2000-3200) तथा वेतनमान नम्बर भी 14 है तथा उनके पास बी. वी. ए. एस. एण्ड ए. एच. की उपाधि भी नहीं है फिर भी वे विकास अधिकारी के लिये पात्र हैं। ऐसी विसंगति क्यों है ?

भेड़ पालन व्यवसाय पर हो रहे कुठाराघात के कारण राजस्थान के भेड़ पालकों में भारी रोष व्याप्त है।

सरकार स्थानीय भेड़ों के संरक्षण संवर्धन हेतु कार्य नहीं कर रही है जिसके कारण भेड़ों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है। मादा भेड़ों को काट कर उनका मांस निर्यात किया जा रहा है जिससे भी ऊन का उत्पादन कम हो रहा है। क्या राज्य सरकार भेड़ों के मांस के निर्यात को बंद करने का विचार रखती है ? भेड़ एवं ऊन विभाग द्वारा भेड़ों में शिपपोक्स वेक्सीनेशन व फड़किया वेक्सीनेशन 2.4 सेन्टीग्रेट टैम्परेचर पर रखा जाना चाहिये। जब किसी भी भेड़ व ऊन प्रसारण केन्द्र पर रेफ्रीजरेटर नहीं है तब इन्हें कैसे रखा जाता है ? गर्मियों में उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं तापक्रम 45 डिग्री फेहरनहिट को पार कर जाता है तब भी वही वेक्सीन भेड़ों के लगाये जाते हैं। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता ?

चिकित्सा विभाग में सिविल चिकित्सा सहायक की जगह कम्पाउण्डर नहीं आ सकता। कम्पाउण्डर की पदोन्नति सी. ए. एस. के डाक्टर के रूप में नहीं होती। पशुपालन विभाग में भी स्टाक मैन वी. ए. तक बन सकता है परन्तु भेड़ एवं ऊन विभाग में भेड़ एवं ऊन प्रसार अधिकारी जिनके पास बी. वी. ए. एस एण्ड ए. एच. की डिग्री है, के स्थान पर स्टाक मैन से पदोन्नति लेकर बना भेड़ एवं ऊन प्रसार अधिकारी, जिनके पास मैट्रिक से लेकर बी. एस. सी. तक डिग्री होती है, की नियुक्ति भेड़ एवं ऊन प्रसार अधिकारी की जगह हो जाती है जबकि इण्डियन वेटेनरी काउन्सिल एक्ट, 1984 तथा दी राजस्थान वेटेनरी काउन्सिल रूल्स, 1988 में साफ लिखा है कि जो तकनीकी डिग्री प्राप्त व्यक्ति होता है वही विधि संगत तरीके से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

फिजिशियन एवं सर्जन के रूप में कार्यरत रह सकता है। अन्य कोई नहीं।

आशा है कि विभाग इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर प्रभावी कार्यवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ (अनुपस्थित)

श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले की सड़कों एवं रपटों को ठीक कराने के सम्बन्ध में।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले की सड़कों एवं रपटों के खस्ता हाल के संबंध में मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। मान्यवर, सड़कों एवं रपटों के मामले में सिरोही जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ और विशेष तौर से सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार एवं डामरीकरण से हमेशा वंचित रहा है परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि नई सरकार की आने के बाद भी क्षेत्र वांछित विकास से महरूम रह गया है राज्य सरकार की पूर्व योजना के अनुसार सन् 1971 में जिन गांवों की आबादी 1500 थी उन गांवों तथा पंचायत मुख्यालयों को सड़कों जोड़ दिया जाना चाहिये था। पिछली सरकार इस कार्यक्रम में विफल रही है तथा 259 गांव जो इस योजना में आते थे वे जुड़ने से वंचित रह गये। इसी योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र के दो पंचायत मुख्यालय जोयला एवं जोगापुरा आते हैं जिनकी आबादी सन् 1971 में 1500 से अधिक थी और यह दोनों गांव पूरे जिले में दो ही हैं। नई सरकार आने के बाद यह आशा बनी थी कि पूर्व सरकारों की भूल सुधार कर मेरे जिले में केवल यह दो गांव जो इस योजना के अन्तर्गत सड़कों से जुड़ने से वंचित रह गये थे, जोड़ दिये जायेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ तथा अभियन्ताओं की गलत रिपोर्ट के आधार पर इन्हें जुड़ा हुआ मानते हुये छोड़ दिया गया जो कि हमारे जिले के साथ सरासर अन्याय है। ग्राम जोयला तथा जोगापुरा को डामर सड़कों से जोड़ने पर इनके साथ लगी हुयी आल्पा पंचायत तथा सेवाड़ा पंचायत एवं उसके आसपास के गांव मोचाल, वाडका, बूडेरी, लखमवास छोटा, लखमावास बड़ा तथा केराल आदि गांवों को भी शिवगंज सिरोही तथा सुमेरपुर पहुंचने की सुविधा मिलती हैं। इन दोनों गांवों पर केवल मिट्टी डालकर मार्ग बनाया हुआ है, किसी भी प्रकार सड़क नहीं है तथा रास्ते में बड़े-बड़े खड्डे होने से वर्षा ऋतु में पूर्णतया मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः इन दोनों पंचायत मुख्यालय से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना अपेक्षित है।

इसके अलावा मेरीबेज की पंचायत, खाम्बल, नवारा फूगाणी, राजपुरावाण, रोवाड़ा, आड़ा आल्पा, तेलपीखेड़ा आदि पंचायत मुख्यालय भी डामर सड़क से जोड़ें नहीं गये हैं। इनमें से कुछ पंचायतों की दूरी तो मात्र 2 किलोमीटर के लगभग है। इन्हें शीघ्र ही जोड़ा जाय।

सिरोही जिला कला पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की दृष्टि से भी विश्व में बेजोड़ है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

इतिहास एवं पुरातत्व की दृष्टि से भी हमारा जिला बहुत ही महत्पूर्ण है। सिरोही से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति जैन मन्दिर मीरपुर कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं तथा लगभग 1200 वर्ष पूर्व का बना हुआ है। इस मन्दिर तक की जो एप्रोच रोड है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी जिसका नवीनीकरण करना अतिआवश्यक है। इसी प्रकार मौहब्बत नगर पंचायत से जुड़ा हुआ गोडी पार्श्वनाथ का मन्दिर अति प्राचीन है। प्रति वर्ष यहां पर लाखों यात्री एवं प्रवासी राजस्थानी आते हैं तथा यहां पर बहुत बड़ा मेला होता है। यह मन्दिर गांव से मात्र एक किलोमीटर दूर है तथा यहां सडक बनाना बहुत ही आवश्यक है। कृष्णगंज से स्वरुपगंज के मार्ग पर पंचायत मुख्यालय केर में श्री मुनि बाबा की समाधि स्थल है तथा गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा की समाधि पर दर्शनार्थ आते हैं। यह गांव सडक से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है तथा इसी गांव से लगता हुआ गांव दियाणा है, भगवान महावीर के जीवत में बनवायी गयी भव्य मूर्ति एवं प्राचीन जैन मन्दिर है। मन्दिर के साथ धर्मशाला इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था के साथ-साथ अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर यह स्थान है परन्तु सडकों के अभाव में पर्यटकों का यहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने तथा इस प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी ईसरा से केर व दियाणा को जोड़ा जाना परम आवश्यक है।

शिवगंज तहसील में पाली जिले से लगता हुआ काम्बेश्वर महादेव का बहुत ही प्राचीन स्थान है तथा प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है परन्तु डामर की सड़क नहीं होने से वर्षा ऋतु में आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है तथा इससे लगते हुए अन्य गांव बादला, गोडाना वगैरह की जनता का आवागमन भी बंद हो जाता है। यह स्थान केसरपुरा से लगभग 12 कि. मी. तक कच्चा मार्ग पर स्थिति है। इसे पक्के डामर रोड पर जोडने से शिवगंज पिण्डवाड़ा तथा आबूरोड मार्ग भी शॉर्ट पड़ता है। शिवगंज से पिण्डवाड़ा वाया सिरोही वाला रोड राष्ट्रीय राज्य मार्ग होने से अति व्यस्त, पिण्डवाड़ा की दूरी भी घटती है तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग का आवागमन भी कम होता है। अतः इस प्राचीन धार्मिक स्थान काम्लेश्वर को डामर रोड से जोड़ा जावे। ग्राम डोड़आ से करीब आधा कि. मी. दूर भुवनेश्वर महादेव का अति प्राचीन एवं भव्य मंदिर है। इसके कच्चे मार्ग को भी डामर सड़क से जोडना अति आवश्यक है।

उपरोक्त सड़कों के अलावा ग्राम पंचायत पाडीव पर जो रपट बनी हुई है वह प्रति वर्ष नदी के वेग के कारण बह जाती है तथा लगभग चार महीने बसों का आवागमन अवरूद्ध रहता है। इस गांव में सैकेण्डरी स्कूल तथा रोजगार का कोई साधन नहीं होने से यहां के लोग प्रतिदिन पढ़ने एवं मजदूरी करने सिरोही आते हैं। वर्षा ऋतु में गांव के दोनों तरफ नदियां होने के कारण गांव टापू सा बन जाता है। अतः इस मार्ग पर बहने वाली कमेरी नदी पर पुल बनाया जाना अति आवश्यक है।

(147)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सिरोही में कालन्द्री सड़क वाया रामपुरा पालड़ी, पाडीव से कालन्द्री, गोल से मोरली आदि सड़कों में रपटों का पूरा अभाव है तथा इन रपटों को बनाना बहुत ही जरूरी है। पूर्व में ग्राम गोल से गांडवा होकर सिरोही तक तथा अन्दोर से मेव तक जो सड़कें बनायी गयीं थीं, ये दोनों सड़कें मेटल की कुटाई करने के बाद छोड़ दी गयी हैं। उन सड़कों पर डामर नहीं होने से राहगीरों का चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन पर शीघ्र ही डामर रोड बनाया जावे।

महोदय, मैं आपके एवं सदन के माध्यम से उपरोक्त आवश्यकताओं की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान दिलाते हुए यह आग्रह करती हूं कि मेरे जिले के उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देकर समस्या का समाधान करें। साथ ही साथ ही 1971 में 1500 की आबादी वाले उपरोक्त गांव जोगपुर एवं जायल को जोड़कर हमारे जिले के इस योजना के अन्दर लक्ष्य पूरा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाली माननीय विधायिका ने सिरोही जिले की कुछ सड़कों की समस्यायें उठायी हैं। हमारी पहली वरीयता है 1971 की जनसंख्या के अनुसार 1500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ना। दो गांवों का जिक्र उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में किया है। मेरे पास जानकारी है कि वह गांव ग्रेवल से जुड़े हुए हैं। पहले ऐसे गांवों को सड़को जुड़ा हुआ माना जाता था पर इस बार जो हम ले रहे हैं उसमें डामर से जोड़ रहे हैं। जब यह बन जायेगी तो निश्चित रूप से ग्रेवल की सड़कों को डामर में परिवर्तित करने का काम कर दिया जायेगा।

दूसरा कुछ धार्मिक स्थानों का जिक्र किया। जिनको सड़कों से जोड़ना सरकार की वरीयता है। कुछ नाम ध्यान में लायी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे-जैसे हमारे पास बजट उपलब्ध होगा, इन स्थानों को जोड़ने की निश्चित रूप से हम प्रक्रिया करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर विवाद नहीं होगा। माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्रीमती तारा भण्डारी : मंत्री महोदय आप निरीक्षण कर लें कि यह गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं या नहीं।

टोंक जिले में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोंक जिले में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैंने दिनांक 27-2-92 को टोंक जिले में अध्यापकों के पद भरने हेतु माननीय

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। उसके जवाब में दिनांक 4-3-1992 को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का भी पत्र भी मिला, जिसमें बताया गया था कि जिला परिषद् टौंक द्वारा विज्ञापन संख्या 1/91 के अनुसार 136 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भरने हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे परन्तु अब जिले में पदोन्नति, स्थानान्तरण व सेवानिवृत्ति आदि के कारण कुल 266 पद रिक्त हैं। यह तो सही है कि जिला परिषद् टौंक द्वारा उक्त पदों को भरने की गति बड़ी धीमी रही है तथा रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टौंक ने दिनांक 26-2-1992 को विभाग से यह निर्देश चाहे हैं कि क्या विज्ञापन संख्या 1/91 से ही उक्त समस्त पद भरने की कार्यवाही कर दी जावे परन्तु यह कथन सही नहीं है कि राज्यादेशों के अभाव में यह चयन रुका हुआ है। इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 22-2-92 में ही राज्य सरकार द्वारा उक्त पद शीघ्र भरने हेतु निर्देश दे दिये गये थे, फिर भी जिला परिषद्, टौंक द्वारा इस बिन्दु पर दिनांक 26-2-92 को विभाग से निर्देश चाहे गये हैं। उक्त पद की फोटो प्रति राज्य सरकार को दिनांक 27-2-92 को ही प्राप्त हुई है फिर भी उन्हें पुनः दिनांक 3-3-1992 को निर्देश दे दिये गये हैं।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु निर्देश दिये जाते रहे हैं तथा अब पुनः स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि वे नियमानुसार शीघ्र ही उक्त पदों को विज्ञापन संख्या 1/91 से प्राप्त आवेदकों में से मेरिट लिस्ट के अनुसार भर लें।

किन्तु यह पद अभी तक नहीं भरे गये एवं दिनांक 11-3-92 को दूसरा आदेश निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा दिया जिसमें स्वीकृत 306 पदों को ही महिलाओं से भरने के आदेश दिये गये हैं जबकि विज्ञप्ति 1/91 सामान्य अध्यापकों की है। टौंक जिला परिषदों को भारत सरकार द्वारा श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत 198 विद्यालय स्वीकृत किये गये थे जिसमें नियमानुसार यह स्पष्ट था कि इन विद्यालयों हेतु नव-चयनित अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी।

इस प्रकार श्याम पट्ट योजना के अन्तर्गत कुल 306 पद स्वीकृत हुए वर्तमान टौंक जिला परिषद् में श्यामपट्ट योजना तथा सामान्य अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. श्याम पट्ट योजनान्तर्गत अब तक स्वीकृत कुल पद 396
2. भरे गये पदः पुरुष-198, महिला-78
3. शेष बचे कुल पद 120
   कुल पद 198 पुरुष 198 महिला
   श्याम पट्ट योजना के अन्तर्गत बेकलॉग 120

4. विज्ञप्ति 1/91 के अनुसार सामान्य अध्यापकों के स्वीकृत पद-306 है लेकिन राज्य सरकार ने इन समस्त 306 पदों को महिलाओं से ही भरने का आदेश

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देकर नियमों का उल्लंघन किया है तथा हजारों बेरोजगार शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया है। यदि इस विज्ञप्ति को खारिज करके सभी पद महिलाओं को दे दिये जावेंगे तो कई ओवर-ऐज बेरोजगारों का अवसर मारा जायेगा। कुछ विचाराधीन बिन्दु इस प्रकार हैं:—

1. श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत क्या सभी पद महिलाओं से भरे जाते हैं जबकि अन्य जिला परिषदों ने इस योजनान्तर्गत पुरुष अध्यापक व महिला अध्यापकों का चयन किया है? देखिए-जिला परिषद् बारां का विज्ञापन 1/92 व जिला परिषद् चूरू का विज्ञापन-5/91

2. जिला परिषद् टोंक ने विज्ञापन संख्या 1/91. सामान्य अध्यापक/ अध्यापिकाओं की विज्ञप्ति निकाली है। फिर इसका उल्लंघन करते हुए सभी पद महिलाओं से भरने के आदेश क्यों दिये गये?

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हजारों बेरोजगार शिक्षकों एवं बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त हस्तक्षेप कर इन पदों को मैरिट लिस्ट के अनुसार भर दिये जाने के आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री चतुर्भुज वर्मा (पंचायत राज राज्य मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है महिलाओं के लिए बेकलोग 120 का है फिर भी रिक्त 306 पद महिलाओं से भरे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड में महिलाओं को ही लिया जाता है। कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है, तो अभी पता करके इसको दुरुस्त कर देंगे और यदि सही है तो सही ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

शहीद भगत सिंह की स्मृति मनाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से क्रूर अंग्रेज सरकार के द्वारा परम देशभक्त नवयुवा भगतसिंह को बलिवेदी पर चढ़ाये जाने से कृतज्ञ राज्य व राष्ट्र द्वारा उनकी स्मृति में कार्यक्रम लिये जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, आज के दिन 23 मार्च को आजादी के दीवाने स्व. भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल के सींखचों से निकालकर फांसी के फंदों पर चढ़ा कर क्रूरता से जान ले ली गई थी, उन्हें हम नमन करते हैं आजादी की सांस जो हम आज ले रहे हैं, अहिंसा और क्रांति की मिली-जुली देन है। आज भी आजादी के इन नींव के पत्थरों को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि मां मेरा रंग दे बसन्ती चोला कहते-कहते फांसी पर चढ़ गये। ये वह लोग थे जो असीम साहसी थे और अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, जान दे दी। जिन्हें जान से भी ज्यादा भारत माता की आजादी प्यारी थी। आज भी हमारी सरकार जो दिल्ली में है और राजस्थान में है, उन्हें युवक-युवतियों को देशधर्म पर

150

(श्रीमती उजला अरोडा)

जान न्योछावर करने के लिए प्रेरणा देने हेतु इनकी स्मृति में यह दिन भगतसिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेकर उसकी क्रियान्विति किया जाना जरूरी है, ऐसी मेरी मान्यता है। स्कूलों में आफिसेज में तथा सामान्य जनता में आज का दिन एक स्फूर्ति भर सके एतदर्थ कुछ कार्यक्रम अपनाने चाहिये। मेरा सरकार से आग्रह है कि वीरता पुरस्कारों में सरदार भगतसिंह के नाम से पुरस्कारों की योजना व घोषणा सरकार को करनी चाहिये। पाठ्यक्रम में उक्त बलिदान सम्बन्धी पाठ और उसकी क्रियान्वित के पाठ जोड़े जाने चाहिये। मान्यवर, हम सदैव अपने देश की आन-बान-शान के लिए समर्पण की प्रेरणा लेकर द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में तन-मन-धन के समर्पण से भी नहीं चूकें और अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरा कर सकें, ऐसी प्रेरणा हमें उनके व्यक्तित्व कृतित्व से ही मिल सकती है।

मेरा आग्रह है और आप भी कहें तो उचित होगा, माननीय सदन के नेता अब इस समय यहां नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि यहां होंगे तो इसलिए मैंने उनका नाम जोड़ते हुए यह बात लिखी थी, माननीय सदन के नेता यह आश्वस्त करें कि ऐसा ही वह कुछ करने जा रहे हैं।

मैं इसी के साथ अपनी ओर से, समस्त राजस्थान की ओर से तथा आप सब की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा उनकी स्मृतियां चिरस्मरणीय करने के रूप में सरकार संकल्प ले, यह आग्रह करना चाहती हूं। मैं कहना चाहूंगी कि आज का दिन शहीद भगतसिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस संबंध मैं यहां घोषणा करें अमर स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू तथा उनके समान उन सभी शहीदों को, जिनके नाम मैं नहीं जानती, जो नींव के पत्थर के रूप में रहे, उन सभी को मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं मुझे आशा है कि कम से कम वह तो यहां घोषणा कर देंगे और मुख्य मंत्री जी जहां मेरी बात सुन रहे होंगे, आने के बाद यहां इस संबंध मैं आज के दिन को मनाये जाने के रूप में बात करेंगे। धन्यवाद।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह दस बजे एक नोटिस दिया है, नियम 236....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य: मैं बोलता लेकिन वह खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: क्या शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री हरिकुमार औदिच्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव काफी अच्छा है। पाठ्यक्रम तय करने की एक समिति बनी हुई है। मैं इस सुझाव को वहां भेजकर इसको दिखवा लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा: केवल वह समिति राय रखे और वह इनको न ले।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आज तो केवल तीन चार नाम हमारे सामने हैं। सरदार बल्लभ भाई पटेल का नाम हमारे सामने नहीं है, लाला हरदयाल का नाम हमारे सामने नहीं है, लाला लाजपत राय का नाम हमारे सामने नहीं है। तो मैं बड़ी चिन्तित होकर यह बात कह रही हूं कि इस समय नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर इस समय हो जायेगा तो हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आश्वासन दिया है।

माननीय मुख्य सचेतक जी, आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 236 के अन्तर्गत मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना दी है। उसके अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि पूर्व में मेरे और अन्य दस माननीय विधायकों द्वारा, माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र व्यास के विरुद्ध रखे गये, विशेषाधिकार हनन के विषय में विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2.27 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

प्रतिवेदन पर विचार करना न्याय संगत होगा। अतः मेरा प्रस्ताव है कि प्रतिवेदन पर विचार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : इस पर कन्सीडरेशन के लिए, वाद विवाद करने के लिए समय तय करना पड़ेगा। आगे डेट तय करें कि कन्सीडरेशन में लेना है कि नहीं लेना है; इस पर डिबेट होगी....

श्री नत्थीसिंह : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो अपने को तय करना है....

श्री मदनलाल सैनी : इस पर समय तय किया जाना अति आवश्यक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसमें कौनसी मुसीबत हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी प्रक्रिया यह होगी कि कन्सीडरेशन के लिए डेट तय होगी कन्सीडरेशन में लेना है कि नहीं लेना है, इस पर डिबेट होगी। इस पर डिबेट होने के बाद इसको कन्सीडरेशन में लेने की बात होगी, उसके बाद फिर अंतिम निर्णय होगा कल रख लें ?

श्री नत्थीसिंह : इसको बजट पास हो जाने के बाद रखिये। 1 तारीख के बाद रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : फाईनल डिबेट बाद में रख लेंगे, कन्सीडरेशन की डेट पहले रख लेते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बजट पास होने के बाद रख लें।

श्री अध्यक्ष : कन्सीडरेशन में लेने की डिबेट पहले रख लेते हैं। फाइनल डेट तो बाद में रख लेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : डिबेट में भी तो कुछ समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : बजट की मांगों का ही तो करटेलमेंट होगा....

श्री अध्यक्ष : खैर, मैं इसमें डेट तय कर दूंगा।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसमें आधे घंटे की डिबेट रख ली जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें डेट फिक्स कर दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, डेढ महीने से आज सदन चल रहा है, शुक्रवार के दिन प्राइवेट-मैम्बर्स-डे पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई और जो हमको यहां बिजनेस मिला है।

श्री अध्यक्ष : अगले शुक्रवार को रख रहे हैं। जो बिजिनेस आपके सामने आया है उसमें अमेडमैंट करेंगे और अगले शुक्रवार को प्राइवेट-मेम्बर्स-डे रखेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने इस बार आश्वस्त किया था कि हर शुक्रवार को नान-आफिशियल-डे होगा।

श्री अध्यक्ष : हर शुक्रवार को नहीं, अब तीसरे शुक्रवार का है लेकिन अब हम फर्स्ट वीक में रख रहे हैं फर्स्ट वीक में जो शुक्रवार आ रहा है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : पहली विधान सभा से लेकर पांचवीं विधान सभा तक लगातार हर शुक्रवार को नान-आफिशियल डे रखा जाता था। अब यह इन्हीं दो तीन विधान सभाओं में यह परम्परा टूटी है वरना पहले यह पहली विधान सभा से पांचवी विधान सभा तक तो हमेशा रहता था।

श्री अध्यक्ष : इस बार ग्रांट की वजह से नहीं रख पाये क्योंकि ग्रांट पास करनी थी। 1 तारीख के बाद जो शुक्रवार आ रहा है वह शुक्रवार प्राईवेट मेम्बर्स-डे होगा।

विशेषाधिकार प्रस्ताव की ग्राह्यता कृषि विश्व विद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध

नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने कृषि विश्व विद्यालय के उपकुलपति के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था, आपने कहा था कि इस पर जल्दी व्यवस्था देंगे और वह जल्दी लम्बी होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल जल्दी होगी। इस बारे में मैंने आज सारी यूनिवर्सटीज के एक्ट मंगा लिये हैं और उस यूनिवर्सटीज एक्ट में जो गवर्नमेंट को अधिकार हैं उस हद तक हम यहां पर डिबेट करायेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : जो डिबेट रख रहे हैं, वह 127 के नोटिसेज अलग हैं, प्रिवेलेज के नोटिस अलग हैं। प्रेस कान्फ्रेन्स करके जिस प्रकार की भाषा 17 एम. एल. एज के लिए बोली....

श्री अध्यक्ष : वह नोटिस तो गया, वह नोटिस हमने ग्रालरेडी दे दिया है.....

श्री नत्थीसिंह : यहां तो ग्रायेगा, श्रीमान्.....

श्री अध्यक्ष : ग्रायेगा। अभी तो हमने पत्र को नोटिस दिया है कि उसने क्यों छापा ? वह जब डिस्क्लोज करेगा कि किस के कहने से छापा है तब हम नोटिस देंगे। अब प्रिवेलेज बन जायेगा तब हाउस के सामने, आपका उस समय मूव कर देंगे। आप मूव करेंगे, बाक़ायदा प्रिविलेज मूव होगा। मूव होकर आप चाहें तो प्रिविलेज कमेटी को भेजें या हाउस चाहे तो हाउस खुद डिसाइड करे। यह बाद में आप निर्णय करेंगे। अभी उनका जवाब आ जाय, पहले रेस्पांसिबिलिटी फिक्स-अप करनी है, किस पर करें ? अभी तो अखबार है, अखबार की नकल आपने पेश की है। तो हमने अखबार को नोटिस दे दिया है। अखबार यदि सारी रेस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है तो अखबार पर जाएगा। यदि वह किसी और को बताता है, उसके लिये प्रमाण देगा तो उस हिसाब से रेस्पांसिबिलिटी शिफ्ट होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द आर्यवीर।

ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव

राजोपा से ढीपरी-दौलतपुरा मार्ग के निर्माण में देरी

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राजोपा से ढीपरी से दौलतपुरा मार्ग पर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं हो रहा है उस बाबत और नयी स्वीकृति जारी करने हेतु माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अन्तर्गत इटावा से आने वाले माननीय विधायक और श्रीमान् हीरालाल जी आर्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उस विषय में विवरण निम्न प्रकार है :—

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में इन्द्रगढ़ से ढीपरी राजोपा राज मार्ग संख्या 19 को 38 किलोमीटर का मिसिंग लिंक है एवं वर्तमान में इन्द्रगढ़ से 5·5 किलोमीटर डामर, 4·5 किलोमीटर मैटल, 7 किलोमीटर ग्रेवल और शेष चम्बल नदी, 21 से 20 किलोमीटर तक मिट्टी का कार्य किया हुआ है। ढीपरी से राजोपा सड़क कुल लम्बाई 18 किलोमीटर है। राजोपा से 10·6 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य टुकड़ों टुकड़ों में तथा दो किलोमीटर में डामर का कार्य किया हुआ है। शेष सनमानपुरा ग्राम तक 5·5 किलोमीटर का कार्य संवेदक को आवंटित है। राजोपा से ढीपरी सड़क पर वर्ष 1978–79 में कोई कार्य नहीं हुआ है।

इस राज्य मार्ग के राजोपा से ढीपरी सड़क 18 किलोमीटर के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में 27 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

एफ 2/54/पी. डब्ल्यू. एस./84 दिनांक 14·6·1984 द्वारा जारी की गयी थी। इस 27 लाख की स्वीकृति के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राजोपा से सनमानपुरा ग्राम 7·5 किलोमीटर तक डामर की सड़क का निर्माण किया जाना था। राज्य सरकार से वर्ष 1984 में स्वीकृति प्राप्त होने पर सरकार की नीति निर्देश (लेबर इण्टेंसिव प्रोग्राम) के अनुसार मिट्टी का व अन्य कार्य वर्ष 1984 से 1989 तक विभागीय स्तर पर सम्पादित करवाया गया। इस पर रुपए 11·89 लाख व्यय किया गया तथा दो किलोमीटर का डामर का कार्य पूर्ण किया गया। दिनांक 24·8·1989 को निविदाएं प्राप्त कर राजोपा से दो किलोमीटर डामर के कार्य को छोड़कर सनमानपुरा तक 5·5 किलोमीटर डामर की सड़क बनाने का कार्य संवेदक को 11·89 लाख रुपए का दिनांक 23·11·1989 को आवंटित किया गया व अनुबन्ध के अनुसार यह कार्य 8·12·1989 को शुरू कर 7·12·1990 को पूर्ण करना था।

विभागीय स्तर पर कार्य कराने में जो बाधाएं तथा अड़चनें सामने आयीं, वे निम्न प्रकार हैं :—

मिट्टी का कार्य—भूमि अनुपलब्धता के कारण निरन्तर मिट्टी का कार्य नहीं करवाया जा सका। भूमि मालिकों ने फसल खड़ी होने के कारण व भूमि अवाप्ति की पूर्ण कार्यवाही के बिना मिट्टी का कार्य नहीं करने दिया व कुछ स्थानों पर स्टे आर्डर भी प्राप्त किये गये। अतः राजोपा से ढीपरी तक मिट्टी का कार्य करवाने में बाधाओं के कारण विलम्ब स्वाभाविक था। राजोपा से ढीपरी 18 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 14 किलोमीटर सिंचित क्षेत्र आता है व शेष ढीपरी तक चार किलोमीटर में चम्बल बीहड़ है। सिंचित क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल रिसाव के कारण नहर बन्दी के समय को छोड़कर पानी का फैलाव रहता है जिसके कारण सामान के परिवहन व मिट्टी के कार्य में कठिनाई आयी तथा कार्य में विलम्ब हुआ।

नहरी क्षेत्र होने के कारण श्रमिक वर्ग बहुत कम उपलब्ध हुए। अतः लेबर इण्टेंसिव प्रोग्राम के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध नहीं हो सके।

इस परिप्रेक्ष्य में शेष कार्य को संवेदक द्वारा करवाने का विभाग ने निर्णय लिया तथा उक्त सड़क का निर्माण कार्य राजोपा से सनमानपुरा तक संवेदक जब यह कार्य प्रगति पर है लेकिन गति धीमी है। अनुबन्ध की लागत 11·89 लाख रुपए के अन्तर्गत 7·41 लाख रुपए का ही निर्माण कार्य कर सका है। इस कार्य को तत्परता से पूर्ण करवाने हेतु अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है। धीमी गति को देखते हुए संवेदन पर अन्तरिम क्षतिपूर्ति, कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु पारित की गयी। संवेदक द्वारा फिर भी कार्य को गति न देने पर अन्ततः कार्य को निरस्त करने हेतु अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति पर है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कोटा, बारां तथा मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को कमलेश्वर महादेव मन्दिर तीर्थ स्थान पर पहुंचने हेतु इन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त सीधी सुविधा हेतु राज्य मार्ग 19 के मिसिंग लिंक सनमानपुरा से ढीपरी दौलतपुरा 22 किलोमीटर तक निर्माण कार्य व चम्बल नदी पर रपट निर्माण आवश्यक होगा। इस मिसिंग लिंक को पूरा करने की अनुमानित लागत लगभग 170·00 लाख रुपए आएगी। वर्तमान योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं, निर्धारित मापदण्डों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में यह कार्य स्वीकृत करना सम्भव नहीं होगा।

जहां तक कमलेश्वर महादेव जो कि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है को सड़क से जोड़ने का प्रश्न है पिछले विधान सभा सत्र में मैंने कहा था कि कोई भी मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जहां विभिन्न प्रकार के मेले भरने पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हों, ऐसे धार्मिक महत्व के स्थानों को वरीयता के अनुसार निश्चित रूप से सड़कों से जोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। इसी क्रम में कमलेश्वर महादेव के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 1991–92 में राज्य सरकार ने पत्र संख्या एफ. 2/54/पी. डब्ल्यू. ए. एस./91/डी-1258 दिनांक 21·1·1992 द्वारा 8 किलोमीटर सड़क बनाने हेतु 24 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है इस स्वीकृति के अन्तर्गत दौलतपुरा जो कि पहले से ही इन्द्रगढ़ रेल्वे स्टेशन से पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, से कमलेश्वर महादेव तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की योजना है। इस कार्य की निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं एवं कार्य जून, 1993 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस सम्पर्क सड़क के बनने से कमलेश्वर महादेव का मन्दिर पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इन्द्रगढ़ रेल्वे स्टेशन जो कि बम्बई-दिल्ली मार्ग पर स्थित है, से पक्की सड़क द्वारा जुड़ जाएगा।

राजोपा से सनमानपुरा तक सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत वर्तमान संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर विभाग द्वारा शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं आपका सन्तोष हो गया। कोटा के अलावा राजस्थान में धार्मिक स्थान और भी बहुत हैं। मुझे पता है, कोटा के अलावा और भी बहुत हैं धार्मिक स्थान।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : जहां लाखों नहीं, लाखों से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपका काम हो गया। नहीं, अब कुछ नहीं बचा।

नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा। सन्तुष्ट कर दिया। आपका हो गया काम।

श्री हीरालाल आर्य : कहां हो गया, अध्यक्ष महोदय ? 10 साल में सड़क नहीं बना पाये····

श्री अध्यक्ष : आपका काम हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : कहां हो गया ? 10 साल में सड़क नहीं बन पायी पांच किलोमीटर और आप कहते हैं हो गया।

श्री अध्यक्ष : आपकी योजना बन चुकी।

श्री हीरालाल आर्य : कहां हुआ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : योजना बन चुकी, अभी कोई सड़क मिलेगी नहीं आपको।

श्री हीरालाल आर्य : 2-3 प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 2 नवम्बर को····

श्री हीरालाल आर्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप। हो गया इनका। नहीं, नहीं, बैठिये। हीरालाल जी का अंकित मत करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : 2 नवम्बर, 1991 को लालसोट कृषि उपज मण्डी के नवीन····

श्री हीरालाल आर्य : ××××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बोलिये आप।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : I say sit down.

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं आपको अलाउ नहीं करता।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

हीरालाल जी का अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप केवल ध्यान आकर्षित कर दीजिये।

माननीय मंत्री जी।

कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट के नवीन मण्डी यार्ड में दुकानों का अनियमित आवंटन

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट के नवीन मण्डी यार्ड में दुकानों के अनियमित आवंटन के सम्बन्ध में

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

माननीय विधान सभा सदस्यगण सर्वश्री परसादी लाल मीणा व श्री प्रभुलाल पटेल द्वारा विधान सभा कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको बैठाये। मैं आपका नाम लूंगा। आप बैठ जाइये।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं नियमानुसार ही आपको आदेश दे रहा हूं कि आप नहीं बोल सकते। आपका काम हो गया। जो आप चाहते थे, वह सड़क मिल गई आपको।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकगण श्री परसादी लाल मीणा व श्री प्रभुलाल पटेल द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट में दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार, अनियमितता का आरोप लगाते हुए मेरा ध्यान इस बिन्दु पर आकर्षित किया गया है। आरोप मुख्य रूप से यह है कि जिन फर्मों ने मण्डी समिति को मण्डी शुल्क के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया तथा अपने लाइसेंस तहसील कार्यालय व वाणिज्यिक कर अधिकारी को समर्पित कर दिये एवं जिन्होंने व्यापार करना बन्द कर दिया, उन्हें भी अनियमित तरीके से दुकानों का आवंटन किया गया एवं दूसरी ओर उन व्यापारियों को दुकानों का आवंटन नहीं किया गया जो राज्य सरकार को नियमित रूप से मण्डी शुल्क देते आ रहे हैं।

माननीय सदस्यगण द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध के विस्तृत जांच करवाई गई है। मण्डी समिति, लालसोट में कुल 62 दुकानों का निर्माण करवाया गया है जिनमें से 12 फुटकर दुकानें हैं। आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिये जारी विज्ञप्ति दिनांक 2.2.1991 के अनुसरण में दिनांक 5.3.1991 तक कुल 79 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। अतः मण्डी समिति को राज्य सरकार द्वारा यह अनुमति दी गई थी कि

(2.45 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बड़ी दुकानों के अलावा अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों को आवश्यकतानुसार फुटकर दुकानें व प्लेटफार्म पर भी स्थान आवंटित कर दिया जावे ताकि नवीन मण्डी प्रांगण में व्यापार स्थानांतरण हो सके।

कृषि उपज मण्डी समिति में निमित में निर्मित दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों को उनके द्वारा पिछले 3 वर्षों व आवंटन की दिनांक तक के चालू वर्ष

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

के महीनों में दिये गये औसत मण्डी शुल्क, व्यापार आवृत (टर्नओवर) व अनुज्ञापत्र की अवधि के आधार पर अंक दिये जाकर अनुज्ञापत्रधारी का पात्रता व वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु वरीयता अंक तालिका तैयार कर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है एवं आवंटन कमेटी जिसमें मण्डी समिति के प्रशासक, जिलाधीश के प्रतिनिधि, कृषि विपणन निदेशक के प्रतिनिधि, व्यापार संघ के अध्यक्ष एवं सचिव मण्डल समिति के होते हैं, के द्वारा आवंटन किया जाता है ।

प्रस्तुत मामले में अभी तक हुई जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया है कि फर्म मैसर्स गोविन्द इण्टरप्राइजेज, मैसर्स राजेन्द्र कुमार रमेश चन्द एवं मैसर्स राधेश्याम सुरेशकुमार को 2 नवम्बर, 1991 को किये गये आवंटन में अनियमितता हुई हैं। उपरोक्त फर्मों के आवंटन के बारे में राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 39 के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् नियमानुसार आदेश प्रसारित किये जावेंगे । मण्डी समिति के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है ।

माननीय सदस्यगण ने मैसर्स प्रभुलाल गोविन्दनारायण, हेमराज एण्ड कम्पनी एवं भगवान सहाय कैलाशचन्द की ऐसी फर्मों की दुकानों के आवंटन से जान-बूझकर वंचित रखा जाना बताया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि फर्म प्रभूलाल गोविन्द नारायण को वरीयता में 35 अंक प्राप्त हुए थे जिसे वरीयतानुसार फुटकर दुकान नं. 3 आवंटित की गई है एवं मैसर्स हेमराज एण्ड कम्पनी व भगवानसहाय कैलाशचन्द द्वारा मण्डी समिति के आवंटन अभिलेख के अनुसार दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि 5·3·1991 तक को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । अतः उक्त फर्मों को दुकानों के आवंटन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं था ।

माननीय सदस्यगण ने दुकानों के नंबर गलत डालने के बारे में भी आरोप लगाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आवंटन से पूर्व दुकानों पर नम्बर आवंटन समिति द्वारा वरीयता सूची बनाने के पूर्व डाले जाते हैं। आवंटन समिति ने प्रस्तुत मामले में दुकानों के नम्बर बांये से दाये डाले हैं एवं प्रत्येक ब्लाक के प्रारम्भिक नम्बर बांये से शुरू होकर दांयी तरफ जाते हैं एवं हर ब्लाक में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। तीन व्यापारियों को 95.95 अंक प्राप्त हुए थे एवं कृषि विपणन निदेशालय के परिपत्र दिनांक 29-6-88 के अनुसार समान अक प्राप्त करने की स्थिति में वरीयता निर्धारित करने के लिए निर्देश है कि अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि के आधार पर वरीयता निश्चित की जावे। यदि ऐसे आवंटियों की अनुज्ञापत्र जारी करने की भी एक ही तिथि हो तो मण्डी शुल्क भुगतान की राशि के आधार पर वरीयता निश्चित की जावेगी एवं दुकानों का आवंटन वरीयता सूची के आधार पर किया जावेगा । इसी के अनुसार कार्यवाही की गई है ।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्यगण ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ व्यापारियों के न्यायालय में जाने के कारण मण्डी समिति व किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर खण्ड पीठ में मैसर्स प्रभुदयाल रामजीलाल, मैसर्स हेमराज एण्ड कम्पनी; मै. राधामोहन राजेन्द्र कुमार एवं मै. भगवान सहाय कैलाश चन्द ने रिट याचिकाएं प्रस्तुत की थीं। इनमें से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8-1-1992 एवं 17-1-1992 को मण्डी समिति को निर्देश दिये गये कि इनके सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाकर निर्णय दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मण्डी सचिव द्वारा मैसर्स प्रभुदयाल रामजीलाल को दुबारा सुनवाई का अवसर दिया जाकर दि. 13.3.1992 को यह निर्णय दिया गया कि इस फर्म को प्लेटफार्म अलाटमेंट करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। अतः पूर्व के प्लेटफार्म के आवंटन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। मै. हेमराज एण्ड कम्पनी के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.1.1992 को पुनर्विचार करके निरस्त करवाने के लिये मण्डी समिति की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है क्योंकि मै. हेमराज एण्ड कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिये गये थे। हेमराज एण्ड कम्पनी द्वारा वास्तव में प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि यानी 5.3.1991 तक कोई प्रार्थना पत्र मण्डी समिति में दुकानों के आवंटन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य दो फर्मों की रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी समिति की दुकानों के आवंटन में जो अनियमितता हुई, जो हमने शिकायत की, उनकी इन्होंने जांच करवाई और अपने जवाब में, यह बताया कि तीन लोगों को गलत दुकानें आवंटित हुई हैं। मैं कृषि मंत्रीजी, आपको यह कहना चाहूंगा कि तीन नहीं, सारे लोगों को ही गलत, नियमों के विरुद्ध दुकानें आवंटित की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीन साल का वार्षिक टर्नओवर निकाल कर और उसमें चालू महीने का भी जोड़कर औसत वार्षिक टर्नओवर पर नम्बर दिये जाते हैं। आपने वार्षिक टर्नओवर पर नम्बर नहीं देकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर बताया है, "अंक निम्न प्रकार से प्रदान किये जावेंगे : एक करोड़ से अधिक टर्नओवर हेतु 40 अंक"। इन्होंने एक साल का टर्नओवर नहीं निकाला, 22 महीने का टर्नओवर निकाला। तीन साल का औसत का इन्होंने एक साल का उससे निकाला। तीन साल के टर्नओवर को विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व जो साल के महीने थे, उसमें एक साल में 10 महीने

(श्री परसादीलाल मीणा)

जोड़कर 22 महीने का जो टर्नश्रोवर जोड़ा है, वह नियमों के विरुद्ध है।

मैं, कृषि मंत्री महोदय, श्रापको बताना चाहूंगा कि जो गोविन्द इण्टरप्राइजेज है, जिसका 1989 में लाइसेंस बना था, 26-10-1989 को, उसने श्रपने टर्न श्रोवर में 1,80,31,922 का दर्शाया है। माननीय कृषि मंत्रीजी जब 1989 में इसका लाइसेंस बना तो इसका टर्न श्रोवर इतना कहां से हो गया? मैं श्रापको बताना चाहूंगा कि जो श्रापके सचिव हैं उन्होंने पैसे लेकर इसको दुकान श्रावंटन करने के लिए इसका टर्न श्रोवर केवल 1989–90 में इसने बताया कि 85,17.084 रुपये जबकि वाणिज्य कर श्रधिकारी, दौसा के यहां से जांच हुई तो इसका टर्न श्रोवर बताया था 9,47,930 रुपये। श्रापने एक फर्म का श्रलाटमेंट कैंसिल करने की बात कही। मैं माननीय कृषि मंत्री जी श्रापको बताना चाहूंगा कि यह टर्न श्रोवर के श्रांकड़े श्रौर जो मण्डी शुल्क के श्रांकड़े दिये हैं वह लोगों ने श्रौर श्रापके सैक्रेटरी ने लोगों से मिलकर गलत पेश किये हैं, दो बार जोड़ लिये गये हैं, 22 महीनों के श्रांकड़े दिये जा रहे हैं। 1989–90 का इसने जो श्रांकड़े पेश किये हैं 1 करोड़ 85 लाख उस साल का 95 लाख श्रौर चालू साल का इन्होंने टर्न श्रोवर बताया है, गोविन्द एन्टर प्राइजेज ने। माननीय कृषि मंत्रीजी यह तो बतायें कि क्या इसने श्रापको कागजात पेश कर दिये हैं? यह सारे + + + श्रांकड़े श्रापके सैक्रेटरी बनाये हैं।

इसका इतना टर्न श्रोवर ही नहीं है, इसने मण्डी में श्राज तक बिजनैस ही नहीं किया, न श्रापको किताबें पेश कीं, न श्रापके पास श्रांकड़े हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि श्रापके सैक्रेटरी ने इसका टर्न श्रोवर 1 करोड़ 85 लाख कैसे मान लिया? श्राप पहले तो सैक्रेटरी के खिलाफ कार्यवाही करें या श्राप यह कहें कि जो सैक्रेटरी ने टर्न श्रोवर बताया है वह बिलकुल ठीक है। श्रब यह यदि ठीक नहीं है तो श्रापके सैक्रेटरी ने लिस्टें बनाई हैं इनको फिर हम क्या मानेंगे? इसमें बताया है कि गोविन्द एन्टर प्राइजेज का 1,80,31,922 रुपये का। इसका ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का टर्न श्रोवर नहीं है दो साल में। श्रापके सैक्रेटरी ने सारी फर्मों को, जिन फर्मों को फायदा देना था उन फर्मों से पैसे लेकर कार्यवाही की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए लोग न्यायालय में गये हैं। इन्होंने 3 दुकानें श्रावंटन की थीं उनकी पर्टीकुलर शिकायत की थी। उनको इन्होंने कह दिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं। पर श्राप सैक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिसने इस तरह से + + + श्रांकड़े बनाये हैं एक-एक दुकान के लिए 10-10 हजार रुपये लिये? जो श्रापके डाइरेक्टर वहां पर गये थे उन्हें गुमराह किया है। सारे श्रावंटन की लिस्टें श्रौर सारा काम उन्होंने पहले से सैट कर रखा था। वहां पर व्यापार मण्डल

+ + + शब्द माननीय श्रध्यक्ष के श्रादेशानुसार श्रपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

का + + + जो अध्यक्ष है उसको ए-14 जो दुकान दी गई है उसने सारी + + + कार्यवाही मण्डी सैक्रेटरी और डाइरेक्टर की + + + की और यह सारा सौदा किया है।

मैं कृषि मंत्रीजी आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस सारे मामले को भ्रष्टाचार विभाग को दे दें अगर आप में हिम्मत है भ्रष्टाचार को दूर करने की। गृह मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, मैंने तत्कालीन कृषि मंत्री जी को लिखित में शिकायत की थी कि आप इसकी जांच करवा लें। क्या आपके विभाग ने जांच करवा ली ? सारे आंकड़े + + + बनाये गये हैं। 3 साल का औसत क्या है, आप अलग-अलग बतायें कि फला फर्म का वार्षिक औसत यह है और चालू साल का यह है। मैंने यह मण्डी सैक्रेटरी से सूची ली है, इसमें कुछ नहीं है। गोल-माल है। जिसको अच्छी दुकानें देनी चाहिये थीं उन्हें नहीं दी गई। किताबों में नम्बरिंग नहीं है। आप गोविन्द एन्टरप्राइजेज की किताबों की जांच करवा लीजिये। आप जवाब दे रहे हैं पर मेरे पास तथ्यात्मक टिप्पणी है। उसमें कागजात ही पेश नहीं किये गये हैं। जब कागजात ही पेश नहीं किये गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो इसको दुकान आवंटित कैसे कर दी गई ? और सैक्रेटरी ने 1.85 लाख टर्न ओवर कैसे मान लिया ? मैं कहना चाहूंगा कि टर्न ओवर के संबंध में विभागीय निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है।

आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं की गई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नम्बरिंग इन्होंने एक ओम अशोक फर्म है 67 उसके अंक है, यह मण्डी का नक्शा है। कृषि मंत्रीजी, आप देख लीजिये नक्शा, यह मेन रोड है ए ब्लाक यहां और बी ब्लाक में नम्बर यह पर डाले गये हैं। बी ब्लाक में नम्बर यहां डाले हैं—ए-1 और इसमें बी ब्लाक में। नम्बर यहां डाला है। जो 67 नम्बर बैठता था उससे 20 हजार रुपये लेकर आपके सैक्रेटरी ने यहां पर ए-14 नम्बर की दुकान मैन रोड पर 95 अंक वाली दुकान होती है वह अलाट कर दी और आप कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो आप दे दीजिये जांच हो जायेगी जो आपने आंकड़े पेश किये हैं इन सब की जांच भ्रष्टाचार विभाग में हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि निष्पक्ष आवंटन होता तो मंडी नवम्बर में वहां पर चालू हो जाती। आज वहां पर किसानों को माल रखने में परेशानी आ रही है मगर इनके डाइरेक्टर और सैक्रेटरी ने मिल कर यह सारी कारस्तानी की है।

मैं कहना चाहूंगा, कृषि मंत्रीजी, जो आपने आंकड़े दिये हैं 3 साल के, उनकी औसत क्या है और चालू वित्तीय वर्ष में इसकी क्या है ? यह सूचना आप मुझे दें और आप इसकी जांच भ्रष्टाचार विभाग से कराने के लिये सारे मामले को उसे सौंप दीजिये। भ्रष्ट सैक्रेटरी को वहां से हटवाइये। हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। कृषि मंत्रीजी, मुझे तो पता नहीं है पर मुझे वहां के व्यापारियों ने जानकारी दी है कि ग्राप वहां पर हेलीकाप्टर से गये थे। वह सरकारी था या किराये पर ले गये थे मगर मण्डी सैक्रेटरी ने 60 हजार रुपये सारे दुकानदारों से हेलीकाप्टर के नाम पर लिये हैं। वहां पर स्थगन ग्रादेश था लेकिन वहां पर उद्घाटन जल्दी करवाया। कृषि मंत्री जी ग्रौर गृह मंत्रीजी को इन्होंने गुमराह किया। कृषि मंत्रीजी ने वहां पर कहा कि मुझे पता होता कि इस पर कोर्ट का स्टे है तो मैं उद्घाटन करने नहीं ग्राता। इन्होंने इस बात को मंजूर किया। सैक्रेटरी ने लीपापोती करने के लिए, उनके काले कारनामें उजागर नहीं जो जायं, इनके डाइरेक्टर ने कहा कि ग्रगर जल्दी उद्घाटन नहीं हुग्रा ग्रौर बाद में इसकी जांच हो गई तो सारी पोल खुल जायेगी। हमारी ग्रौर मामला भ्रष्टाचार विभाग में चला जायेगा। इसलिए जल्दबाजी में उसका उद्घाटन करवा दिया, ग्रपने कारनामों को छिपाने की सारी कार्यवाही की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहूंगा कि ग्राप इस मण्डी की 3 दुकानें कैंसिल करने की बात कह रहे हैं। ग्रापने इसमें मंजूर किया है कि सैक्रेटरी ने गलती की है। उसने गोविन्द एन्टरप्राइजेज से 20 हजार रुपये दुकान देने के लिये हैं इससे इस प्रकार के गलत ग्रांकड़े पेश करके बता दिये। ग्राप यह कह दें कि ग्रांकड़े सही है तो सैक्रेटरी को रहने दीजिये या ग्राप यह कहें कि सैक्रेटरी ने गलत ग्रांकड़े इस गोविन्द एन्टरप्राइजेज ग्रौर दूसरी फर्मों के दिये हैं तो उस सैक्रेटरी को तत्काल वहां से हटवाएं। नहीं तो जब तक वह × × × सैक्रेटरी वहां रहेगा वहां के व्यापारियों में भारी जनाक्रोष है। वह यह धमकी देते हैं कि किसी व्यापारी ने एम. एल. ए. को शिकायत करने की कोशिश की, मंत्रीजी को शिकायत करने की कोशिश की तो मैं उनके खिलाफ मुकदमें बनाऊंगा, उनको धन्धा नहीं करने दूंगा, उनके लाइसेन्स कैंसिल कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्रापने हेलीकाप्टर किराये से लिया या सरकारी था पर मुझे वहां के व्यापारियों ने बताया है कि सैक्रेटरी ने 60 हजार रुपया 60 दुकानों से इकट्ठा किया है, 1-1 हजार रुपया दुकानों से लिया है। वह हलफनामा देने को तैयार है लेकिन सारी जांच तभी होगी जब वहां से उस सैक्रेटरी को निलम्बित किया जाय। ग्राप एक ही फर्म की जांच करवा लें, एक की ही हमने शिकायत की है। बाकी दुकानें छोड़ दीजिए। ग्राप सारी दुकानों के टर्न ग्रोवर की वाणिज्यिक कर ग्रधिकारी, दौसा के यहां से ग्रांकड़े ले लीजिये ग्रौर ग्राप खुद सन्तुष्ट हो जायेंगे कि यह सारे + + + ग्रांकड़े हैं, सारे लोगों से पैसे ले लेकर ग्रच्छी-ग्रच्छी दुकानें दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग वहां से

+ + +ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

मण्डी में दलाली का काम करते थे उनको दुकानें नहीं दी गई हैं और उन लोगों को दुकानें दी गई हैं जिन्होंने अपने लाइसेन्स तहसीलदार और बी. डी. को सरेण्डर कर दिये थे। 3 साल पहले मण्डी से जो लोग बाहर निकल गये थे, मण्डी में बिजनैस नहीं करते थे ऐसे लोगों से सैक्रेटरी ने मिलकर दुकानें आवंटित की हैं ताकि वह धन्धा नहीं करेंगे तो अच्छी इन्कम इन दुकानों से मिलेगी, इनको अच्छा किराया दूसरे दुकानदारों से ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मेरी पहली मांग तो यह है कि इस तरह सारे मामले को स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को दीजिए, दूसरा वाणिज्यिक कर अधिकारी, दौसा के यहां से सब पम्पों की और गोविन्द एन्टरप्राइजेज की जिस तरह से मंगवाये हैं, उसी तरह से आप आंकड़े मंगवायें और सैक्रेटरी ने जो वार्षिक टर्न ओवर के आंकड़े दिये हैं, और हाई कोर्ट ने माना है, हेमराज एण्ड कम्पनी के लिये कह रहे हैं कि इसको कोई दुकान नहीं दी जाती। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि 71 अंक इसके बनते हैं, बी–14 67 के होते हैं, इसको मिलने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि इस मामले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं। जो मण्डी आज से तीन महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी, उसकी जड़ आपका डाइरेक्टर और सचिव है इन दोनों ही ने बोर्ड में फर्जीगिरी की है, बोर्ड के आफिस में बैठकर आंकड़े बताए हैं व्यापार मण्डल के तथाकथित अध्यक्ष ने और इन्होंने मिलकर। कम से कम दस लाख रुपये इन्होंने व्यापारियों से लिए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और उस सचिव को तत्काल वहां से हटाकर दूसरा सचिव लगाकर आप उसकी जांच करके उस मण्डी को इस सीजन में चालू करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

(3.00 म. प.)

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल सही है कि माननीय सदस्य ने यह जो आरोप लगाये हैं कि मण्डी दुकानों के आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया जांच से यह साबित भी हुआ है कि एक दो व्यापारी और खास तौर से जिनका अभी माननीय सदस्य ने नाम लिया फर्म गोविन्द एण्टरप्राइजेज, उन्होंने बिल्कुल गलत टर्न ओवर बताये और गलत टर्न ओवर बताकर के फर्म का अलाटमेंट लिया उसके लिए सैक्शन 39 आफ दी राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट एक्ट के तहत में डाइरेक्टर के द्वारा कार्यवाही चालू कर दी गई है और The Director is the authority who can cancel the allotment orders.

अलाटमेंट की एक प्रक्रिया है। प्रशासक वहां पर एस. डी. एम. लगे हुए हैं। कलक्टर के नोमिनी जाते हैं और व्यापार संघ के अध्यक्ष वहां बैठते हैं। चार आदमियों की

(श्री रामनारायण विश्नोई)

कमेटी बनने के बाद आवंटन प्रक्रिया शुरू होती है। आवंटन हेतु 36 व्यापारियों के आवेदन पत्र आये और 36 व्यापारियों को ही आवंटन किया गया है। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि इस आवंटन के अन्दर कुछ अनियमितताएं हुई हैं और हमारे विभाग द्वारा जांच करने से यह पाया गया है कि उन अनियमितताओं को दूर करके जिन-जिन व्यापारियों को गलत आवंटन किया गया है उनकी दुकानें निरस्त कर दी जायेंगी। हम ज्यादातर चिन्तित इस बात के लिए हैं कि किसी भी प्रकार से नई मण्डी जो हमने बनाई है करोड़ों रुपये खर्च करके वहां पर जल्दी आवंटन करके मण्डी का कार्य शुरू किया जाए। कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि इस मण्डी के अन्दर व्यापार शुरू नहीं हो और उसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने अनियमितताएं करवाने के अन्दर अपना हिस्सा लिया हो। इसके अन्दर जैसा मैंने निवेदन किया कि सचिव जो वहां पर है उस सचिव के खिलाफ में विभागीय जांच प्रस्तावित है....

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री महोदय, आप सचिव को वहां से हटाइये वरना वहां जांच ही नहीं हो सकती जब तक वह वहां रहेंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन सचिव महोदय को एक दो दिन के अन्दर वहां से स्थानान्तरण का आदेश कर दिया जाएगा और उनकी गैर हाजिरी के अन्दर जांच करवाई जाएगी और जांच के अन्दर अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं झुन्झुनू जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोले जाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री हीरालाल देवपुरा (सदस्य, जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जनलेखा समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) जनलेखा समिति, 1974-75 के नवें प्रतिवेदन (पांचवीं विधान सभा), में कारागार, पुलिस, राजस्व, वाणिज्यिक कर, स्थानीय निधि अंकेक्षण, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण एवं शिक्षा विभाग सम्बन्धी समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक समिति का 52वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1985-86 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रति-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 3.14, 5.5 व 7.1 पर समिति का 53वां प्रतिवेदन।

(3) विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 (सिविल) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 2.4 एवं वर्ष 1985-86 के अनुच्छेद संख्या 3.11 एवं 3.12 व 3.14 पर समिति का 54वां प्रतिवेदन।

(4) वर्ष 1984-85 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 6.3 पर समिति का 55वां प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 1977-78 से 1980-81 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 56वां प्रतिवेदन।

(6) वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट मोटर गैराज विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 57वां प्रतिवेदन।

(7) जनलेखा समिति, 1983-84 के बारहवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में आबकारी विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक समिति का 58वां प्रतिवेदन।

(8) जनलेखा समिति, 1986-87 के सोलहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में यातायात (मोटर वाहन पर कर) विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक समिति का 59वां प्रतिवेदन।

(9) वर्ष 1979-80 से 1983-84 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 60वां प्रतिवेदन।

(10) वर्ष 1983-84 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 61वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह जी कौशल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित समिति का 28वां प्रतिवेदन,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1967-68 राजकीय उपक्रम समिति, 1970-71 (चतुर्थ विधान सभा) के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित इक्कीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 29वां प्रतिवेदन,

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1985-86 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 30वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की कार्यवाही विषयक समिति का 31वां प्रतिवेदन,

(5) राजस्थान वित्त निगम, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1971-72 के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 32वां प्रतिवेदन एवम्

(6) राजस्थान लघु उद्योग निगम राजकीय उपक्रम समिति, 1975-76 के 31वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 33वां प्रतिवेदन।

आय-व्ययक (बजट) 1992-93

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

मांग संख्या–16 पुलिस

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,15,06,21,000/- (दो अरब पन्द्रह करोड़ छह लाख इक्कीस हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या-17 (कारागार)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीवराम कटारा।

श्री जीवराम कटारा (कारागार मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,79,43,000/– (ग्यारह करोड़ उन्यासी लाख तियालीस हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री अमीन खां (शिव) :

1. जिला बाड़मेर, जैसलमेर में तलाशी के दौरान या तस्करी विरोधी अभियान में जिन-जिन असामाजिक तत्वों से अवैध हथियार व कारतूस पकड़े गये उनकी हिस्ट्री सीट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. सीमावर्ती क्षेत्र में रोजाना होने वाले तस्करी रूट के ग्राम बिजावाद्राभा, जैसिन्धर में पुलिस चौकियां कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. सीमावर्ती जिलों में जैलों में बन्द लोगों के खिलाफ तस्करी के मुकदमें बनाये जानें से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडामीम) :

4. राजस्थान में पुलिस व्यवस्था में सुधार एवं साधन बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

5. सवाई माधोपुर जिले में असामाजिक गतिविधियों को रोकने में पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) :

6. पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) :

7. बाड़मेर, जैसलमेर बोर्डर का इलाका सील होने से पैदल एवं घोड़ों पर सवार होकर पाकिस्तान से सांचौर से लगाता रणखार के रास्ता से तस्कर एवं आतंककारियों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. जालौर जिले के सांचोर उप अधीक्षक कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जुर्म ज्यादा होने व बढ़ती गुण्डा गर्दी पर नियन्त्रण हेतु अधिक स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. सांचौर में चार रास्ता पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

10. राज्य पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को को खत्म करने और पुलिस बल को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

11. राज्य में पुलिस विभाग के जवानों को यात्रा भत्ता पूरा देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

12. पुलिस थाना पाटन (कुशलगढ़) में वाहन उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

13. कुशलगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में मध्यप्रदेश व गुजरात के डाकुओं के

(श्री फतेह सिंह)

प्रवेश पर नियन्त्रण करने व उक्त क्षेत्र की जनता को सुरक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

14. पुलिस भर्ती में पक्षपात व अनियमितताओं पर रोक लगाने व गरीब परिवारों को नियुक्तियां देने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

15. पुलिस प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

16. पुलिस की निष्क्रियता के कारण खण्डार में चतुर्भुज भगवान के मन्दिर का चोरी गया सामान अब तक भी बरामद न होने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये ।

17. सवाई माधोपुर में मन्दिर में चोरियां, हत्याएं, डकैती, आगजनी आदि के सम्बन्ध में एवं शेरपुर जैन मन्दिर में चोरी का माल बरामद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. पुलिस अधीक्षक कार्यालय सवाई-माधोपुर के कई लिपिकों द्वारा फर्जी मेडिकल बिल का भुगतान उठाकर सरकार को लगभग 8 लाख का आर्थिक नुकसान पहुंचाने एवं कई कर्मचारियों के जी. पी. एफ. खाते में से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर राशि निकालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

19. पुलिस थाना खैरवाड़ा को जीप दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. मेवाड़ भील कोर, खैरवाड़ा में आवश्यक कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. पुलिस थाना पहाड़ा को जीप एलाट करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

22. मेवाड़ भील कोर खैरवाड़ा में कर्मचारियों की संख्या बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

23. पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

24. जिला बीकानेर में पुलिस कर्मियों की संख्या, उपकरणों एवं जीपों की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

25. प्रदेश के थानों में मृत्यु हो जाने एवं बढ़ते हुए भाई भतीजावाद एवं कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

26. प्रदेश में बढ़ते अपराधों को रोकने में विफलता चोरियां, तस्करी, बलात्कार,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

भूमि अतिक्रमण एवं बाल अपराधों को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

27. बारां के सदर थाने के कर्मचारियों के क्वार्टर्स निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. बारां जिले में सिपाहियों की कमी की पूर्ति के लिये फिलहाल होमगार्ड्स की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

29. प्रदेश में पुलिस थाने मुख्य सड़क पर नहीं होने से जनता को हो रही भारी परेशानी पर एवं बिलाड़ा स्थित थाना को शहर से हटाकर जोधपुर, जयपुर, मुख्य सड़क पर बनाने, लूणी विधान सभा क्षेत्र में धूधाड़ा शहर में कस्बों में माजा पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर की जिला सीमा पर स्थित है नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने पर चर्चा के लिये

30. पुलिस थानों में आधुनिक शस्त्र व वाहन के अभाव में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) :

31. राजस्थान में पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

32. बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में पुलिस अव्यवस्था एवं निष्क्रियता से लूट, आतंक व राहजनी आदि अपराधों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. बांसवाड़ा जिले में पुलिस की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण डकैतों के बढ़ते आतंक पर चर्चा के लिये।

34. बांसवाड़ा जिले में सरहदी गांवों में पुलिस चौकियां व थाने न होने के कारण डकैतों के बेरोक-टोक गांवों में प्रवेश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

35. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, थानों में मौतों के बढ़ने एवं अपराधों में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

36. डूंगरपुर जिले में पुलिस की मनमानी से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

37. डूंगरपुर जिले में पुलिस की अव्यवस्था से उत्पन्न जनता की परेशानी की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(170)

श्री निर्भयलाल (रूपवास) :

38. भरतपुर जिले में चोरी, हत्या, बलात्कार आदि घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस की पर्याप्त संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

39. भीलवाड़ा नगर व जिले के ग्रामीण क्षेत्र को विभाजित कर अलग-अलग पुलिस अधीक्षक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. भीलवाड़ा नगर के उप अधीक्षक के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र को अलग करते हुए नया पद सृजित कर उसके अधीन ग्रामीण क्षेत्र को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. भीलवाड़ा नगर के पुलिस चौकी, सदर थाना, सांगानेर व भीमगंज पुलिस चौकी में टेलीफोन या मिनि वायरलैस सेट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. भीलवाड़ा नगर सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुर ग्राम में पुलिस के नये थाने बनाने व तेजाजी का चौक सांगानेर गौ-शाला कॉलोनी बड़ी हरणी महादेव, राधाकृष्ण का सजय कॉलोनी में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. भीलवाड़ा तहसील व जिले के पुलिस थानों व पुलिस चौकियों के भवनों में सुधार कर उनका विस्तार करने एवं भवन रहित चौकियों के लिये नये भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) :

44. सड़क यातायात के प्रभावी नियन्त्रण के अभाव में सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) :

45. हिण्डौन तहसील के ग्राम झिरना, खरेटा, पौछड़ी, भंगो, आरेनी, गूजर, जेवर बाढ़, अटंक आदि गांवों को सूरोठ थाने से हटाकर हिण्डौन थाने में लगाये जाने एवं हिण्डौन में आये दिन चोरी, डकैती, कत्ल, जुआ आदि अपराधों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (नोखा) :

46. राज्य में पुलिस लाइनों व थानों में मेस की सही ढंग से सुविधा उपलब्ध करवाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

47. नए थानों के भवन बनाने में व मरम्मत करवाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

48. बीकानेर जिले के ग्राम जसरासर तहसील नोखा व रियातरा तहसील कोलायत के सीमावर्ती इलाकों में नये

(171)

(श्री चुन्नीलाल)

थाने खोलने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

49. राज्य में आए दिन घटित आपराधिक घटनाओं की संख्या कम करने व रोकने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

50. राज्य में बलात्कार, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि के झूठे मुकदमें बनाकर जनता में व्याप्त भय व आतंक को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) :

51. पुलिस कर्मियों को ओवर टाइम या अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

52. दहेज हत्या तथा महिलाओं को जलाकर मरने अथवा मारने के मामलों में पुलिस द्वारा कार्यवाही की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

53. पुलिस थानों को जीप तथा आधुनिकतम उपकरण मुहैया कराने पर चर्चा के लिये।

54. पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

55. अपराधों की संख्या में बढ़ती वृद्धि पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

56. अयाना (कोटा) में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. पीपल्दा (कोटा) तथा कमलेश्वर (बूंदी) में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. पुलिस थानों पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. हरिजनों पर अत्याचारों को रोकने में पुलिस की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

61. प्रदेश के थानों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शराब पिये रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) :

62. प्रदेश में पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन कर पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश के प्रत्येक थाने पर टेलीफोन, वायरलेस तथा जीप की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(172)

(श्री लक्ष्मी लाल)

64. पुलिस प्रशासन में कार्य कुशलता व ईमानदारी से कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

65. बालोतरा के औद्योगिक कस्बे में यातायात एवं अन्य व्यवस्था हेतु वर्तमान सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पचपदरा एवं जसोल में थाना एवं औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. पुलिस थाना गिड़ा की सीमा को देखते हुए जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. गिड़ा (बाड़मेर) पुलिस थाने में जमा बालू रेत को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. बालोतरा में निरीक्षक श्रेणी का थाना प्रभारी लगाने में हो रहे अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

70. मोती डूंगरी थाने में दर्ज देवनारायण मन्दिर की घटना के जनवरी, 91 से 30 अप्रेल, 1991 तक के पुलिस रिकार्ड में हेरा-फेरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. एडीशनल एस. पी. जयपुर द्वारा 31 मार्च, 1991 को कातिलाना हमले के रिकार्ड में हेरा-फेरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. 31 मार्च, 1991 से जयपुर में गुर्जर छात्रावास में हुये दंगे में दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

73. सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली) :

74. बूंदी जिले में पुलिस बल की ओर सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) :

75. पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. झुन्झुनूं जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं व अपराधिक प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए पुलिस को अधिक आधुनिक सुविधायें दी जाकर पुलिस बल की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय चिड़ावा में उप पुलिस अधीक्षक

(श्री मदनलाल सैनी)

कार्यालय खेतड़ी, चिड़ावा, नवलगढ़ एवं उदयपुरवाटी के थानों को क्रमोन्नत कर सी आई कार्यालय में परिवर्तित करने मुकदगढ़, सुलताना, मण्ड्रेला एवं बगड़ की पुलिस चौकियों को थानों में परिवर्तित करने तथा बेजावा, चवेरा, पौख, चनाणा, रमकौर आदि स्थानों पर पुलिस चौकियां स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) :

78. पुलिस थानों में वर्तमान पुलिस संख्या को बढ़ाकर ज्यादा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. तहसील सुजानगढ़ (चूरू) के ग्राम सालासर में पुलिस थाना खोलने एवं तहसील हैडक्वार्टर सुजानगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के थाना सांडवा व छापर में जीप आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

81. ब्यावर क्षेत्र में अवैध शराब की भट्टियां पनपाने में पुलिस की मिली भगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. अजमेर जिले के सभी पुलिस थानों में पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विजयनगर (अजमेर) में 1991 में हुई सर्राफ व्यापारी के चोरी में चोर को पकड़ने के बाद भी चोरी गये माल को बरामद नहीं करने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

84. अजमेर जिले में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

85. विजयनगर (अजमेर) पुलिस थाने में आवंटित जीप थाने को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज) :

86. बारां जिले में पुलिस के स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. किशनगंज व शाहबाद, मध्य प्रदेश सीमा से लगा होने से आतंकवादी एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के प्रवेश को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

88. 16-17 अगस्त, 88 को अरविन्द की हत्या होने एवं, रेल्वे रिकार्ड में उस दिन कोई घटना नहीं होने के उपरांत भी कोटवाड़ा पुलिस द्वारा 174 की कार्यवाही की जाने पर चर्चा के लिये।

(174)

(श्री रामकरण सिंह)

89. झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में 17-18 अगस्त, 1991 को हुई श्री अरविन्द की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 174 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही पर पुलिस द्वारा कथित रूप से डराकर उसके पिता के हस्ताक्षर करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

90. आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा अत्याचार को पुलिस द्वारा नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. चिखली (सीमलवाड़ा पंचायतों में) ग्राम में थाना कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. पुलिस कर्मियों में मानवीय दृष्टिकोण तथा ईमानदारी विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

93. मकराना थाना के अन्तर्गत बोरा बोरम्बड ग्राम में एक स्थाई पुलिस चौकी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र गुणाबती ग्राम में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. परबतसर तहसील में थाना गच्छीपुरा को जीप उपलब्ध नहीं होने से पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में होने वाली देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. मकराना में यातायात को नियन्त्रित रखने के लिए एक स्थाई यातायात पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

96. उप पुलिस अधीक्षक दौसा के आचरण से क्षेत्र में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

97. जयपुर शहर के थाना झोटवाड़ा में दर्ज मु. नं. 259/88 की जांच सी. आई. डी. (सी. बी.) से होने तथा महानिरीक्षक पुलिस द्वारा चालान के आदेश देने के बाद भी मामले को दबाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. दौसा जिले के थाना मानपुर के मु. नं. 44/91 की जांच सी. आई. डी. से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. गृह मंत्री द्वारा थाना अधिकारी करौली को आदेश देने के बाद भी 28 मार्च, 1991 को हुई हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर) :

100. जिला सवाई माधोपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री मोतीलाल)

101. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के गांव भाड़ोती, मलारना डूंगर मोड़ तथा खिलचीपुरा-श्यामपुरा सड़क व ग्राम सूरवाल-मगवलगढ़ सड़क सूरवाल में आर. ए. सी. पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश के प्रत्येक थाने व पुलिस चौकी पर पैट्रोल की जीप उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. राजस्थान पुलिस के जवान ए. एस. आई./एस. आई. जो अन्यत्र ड्यूटी देते हैं उनको पिछले सत्र की आज तक जो भी भुगतान नहीं हुआ है उसे किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. जिला सवाई माधोपुर में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें होने पर भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

105. जिला पुलिस पाली को आधुनिक उपकरण एव हथियार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. रास जिला पाली की पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. पुलिस थाना आनन्तपुर कालू जिला पाली में जीप उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

108. जैतारण में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की अनधिकृत दुकानों के खिलाफ कार्यवाही करने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

109. जोधपुर के उदय मन्दिर पुलिस थाने में देवाराम कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

110. पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों में राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली भेदभाव एवं पक्षपात पूर्ण नीति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. पुलिस अभिरक्षा में प्रदेश के विभिन्न थानों में हुई मौतों की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. पुलिस व्यवहार के बारे में जनमानस में व्याप्त अविश्वास को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

113. उदयपुर नगर में श्री जगदीश सोमानी के हत्यारों का पता नहीं लगाने से

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

जनता में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

114. उदयपुर नगर में सुश्री किरण जाखनी, श्री सत्यप्रकाश भटनागर शराब की तस्करी व हत्याओं में लिप्त होने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. उदयपुर नगर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था तथा पुलिस कर्मचारियों की कमी होने से कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. उदयपुर नगर में सज्जन निवास बाग (गुलाब बाग) में एक अवैध मजार पर एक फकीर के सहयोग से अवांच्छित तथा समाज कंटकों के द्वारा फैलाये जा रहे उत्पात को रोक पाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुख राय चौधरी (फतेहपुर) :

117. ग्राम गौडू तहसील कोलायत थाना पुलिस बरजू में दो हरिजन नाबालिग बच्चों की हत्या के हत्यारों को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ पाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (जायल) :

118. थाना पुलिस बरजू जिला बीकानेर के ग्राम गौडू में दो नाबालिग बच्चों की हत्या के मुलजिमों को छोड़ दिये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

119. कुम्हेर पुलिस थाना के मुकदमा नम्बर 61/39 दिनांक 27·5·89 की मुलजिम 78 वर्षीय हृदय व कैंसर रोग से पीड़ित महिलाओं की पुलिस विभाग द्वारा न्याय दिलाने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

120. पुलिस थाना कुम्हेर जिला अलवर द्वारा 78 वर्षीय कैंसर व हृदय रोग से पीड़ित महिला के विरुद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर 61/89 दिनांक 27·5·89 में की जा रही जांच में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर) :

121. मुकदमा नम्बर 61/89 दिनांक 27·5·89 पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर के पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जांच में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) :

122. प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने एवं वर्तमान कार्यरत सभी थाना मुख्यालयों पर जीप आवश्यक यन्त्र एवं अन्य सुविधायें प्राथमिकता से उपलब्ध

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. केशवरायपाटन एवं कापरेन पुलिस थानों के भवन आवश्यक रूप से शीघ्र बनवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. केशवरायपाटन क्षेत्र के दइखेड़ा एवं जैथल गांवों में जन हित में नागरिक सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. केशवरायपाटन क्षेत्र में लाखेरी गेन्डोली, कापरेन एवं केशवराय-पाटन पुलिस थाना क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हत्याकाण्ड चोरियाँ, जुआ, एवं गुण्डा गर्दी की सख्ती से रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. पुलिस विभाग में राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का आरक्षित कोटा पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

127. राज्य में तस्तकरी की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. राज्य में आंतकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. पुलिस थानों में हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. राज्य में दहेज हत्याकाण्ड रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

131. राज्य में (एट्रोसिटी एक्ट) में झूठे मुकदमें बनाकर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

132. कमजोर वर्गों की महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

133. जालोर जिले के मुख्यालय पर एन्टीकरपशन डिपार्टमेन्ट स्थापित कर उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. पश्चिमी राजस्थान के थानों में आधुनिक हथियार दूर संचार साधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. भीनमाल पुलिस थाना भवन, स्टेडियम के सामने थाने हेतु आरक्षित भूखण्ड पर निर्माण करने हेतु राशि आवंटित कराने हेतु

178

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. जालौर जिले के बागोडा पुलिस स्टेशन भवन के खण्डित व जीर्ण-शीर्ण भवन को आधुनिक सुविधा युक्त बनाने में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

137. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के थानों में जनसंख्या के आधार पर पुलिस संख्या बढ़ाये जाकर दूर दराज के थानों में जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

138. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव पाली व सारथल में नये थाने कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

139. पुलिस को समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. सीमावर्ती छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में मवेशियों की होने वाली चोरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु मध्यप्रदेश की सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव बापचा के थाने का नया भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

142. जिला बांसवाड़ा के सरहदी इलाकों में पुलिस चौकिया स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

143. जिला बांसवाड़ा के थानों व चौकियों में पुलिस कास्टेबलों की कमी होने से सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे व्यवधान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

144. पुलिस थाना लूणकरणसर में चोरी जुआ एवं सट्टा रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

145. बीकानेर की पुलिस द्वारा नाका चैक के नाम पर आवागमन के दौरान वाहन चालाक चालकों से भारी रिश्वत लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

146. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खाजूवाल, पूगल तथा छतरगढ़ में पुलिस द्वारा धन कमाने की नीयत से शरीफ लोगों को तंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

147. थाना क्षेत्र लूणकरणसर महाजन में पुलिस कर्मियों द्वारा शराब पीकर ड्यूटी पर रहने से असामाजिक

(श्री मनीराम सियाग)

तत्वों द्वारा आपराधिक कार्यवाहियां करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

148. जिला बीकानेर के पुंगल थाने के थानाधिकारी द्वारा मुकदमों की जांच के दौरान भारी रिश्वत लेने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

149. पुलिस कर्मियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. सीमा क्षेत्र पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. पुलिस थानों में थाना अधिकारी व पुलिस कर्मचारियों को शिष्ट व्यवहार करने एवं उन्हें शराब के वातावरण से दूर रखने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

152. बाकरा रोड़ (थाना बागरा) जिला जालौर में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (मेड़ता)

153. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

154. पुलिस विभाग में उप अधीक्षकों एवं वृताधिकारियों के स्थानान्तरण, भेदभाव, पक्षपातपूर्ण तरीके से करने से पुलिसकर्मियों में उत्पन्न भयंकर रोष की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

155. पुलिस थाना खमेरा जिला बांसवाड़ा से सम्बन्धित पुलिस चौकी घाटोल में कान्सटेबल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

156. पुलिस थाना लोहारीया जिला बांसवाड़ा के सम्बन्धित पुलिस चौकी जयपुर में कान्सटेबलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

157. पुलिस थाना लोहारीया जिला बांसवाड़ा के सम्बन्धित गांव मोरड़ी नीचाली में पुलिस चौकी की स्थापना कर स्थानीय जनता को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. गांव कुरानीया, ममखोड़, अमरथूम, गोज, जाम्बोई, नजला आदि गांवों को जगमेर पहाड़ की वजह से आवागमन की असुविधा को देखते हुवे थाना माही डेम बांसवाड़ा से हटा कर पुलिस थाना खमेरा में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

159. बेगूं थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा दुगार निवासी श्री अमरसिंह की बेरहमी से पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

160. बेगूं बस स्टेण्ड पर यातायात नियंत्रण हेतु अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

161 बेगूं तहसील में बढ़ती हुई चोरियों से आम जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

162. पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के समय शराब नहीं पीने और जनता से सद्व्यवहार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृत लाल (बाली)

163. पुलिस डिपार्टमेन्ट में भयंकर अत्याचार व मनमाने ढंग से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)

164. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निवाई में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. पुलिस थाना कोलवा के क्षेत्राधिकार की विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

166. पुलिस थाना कोलवा में जीप व टेलीफोन न होने से कार्य में हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

167. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पुलिस विभाग से पृथक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

168. महिलाओं पर अत्याचार रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।

169. अवैध हथियारों एवं तस्करी के रोकथाम किये जाने के विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

170. आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये राज्य में विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशनाराम नाई (श्री डूंगरगढ़)

171. डूंगरगढ़ क्षेत्र की चौकियों में स्टाफ की कमी पूर्ति तथा थानों में जीप व अन्य साधनों की कमी-पूर्ति पर चर्चा के लिये ।

172. 24 अक्टूबर, 90 को भारत बन्द के दौरान धारा 307 लगाकर कार्यकर्ताओं पर बनाये गये झूठे मुकदमें वापस लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

173. रतनगढ़ निवासी एक नाबालिग लड़की के अपहरण में पुलिस की भूमिका पर चर्चा के लिये ।

174. ग्राम पंचायत उदरासर तहसील डूंगरगढ़ के सरपंच द्वारा अनियमित

(श्री किशनाराम नाई)

भूमि आवंटन एवं गबन सम्बन्धी मु. नं. 118 दिनांक 2-12-86 में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

175. थाना छापर के अभियोग संख्या 111/91 (धारा 457/354 भा. द. स. अभियोग) की तफतीश में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

176. पुलिस विभाग एवं शराब के ठेकदारों की मिली भगत के कारण सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, विद्यालयों, अनुसूचित जाति के मोहल्लों आदि निषेध स्थानों पर चल रही शराब की अवैध दुकानों को हटाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

177. मेस का उपयोग करने वाले पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को मेस भत्ता नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

178. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा खनिज विभाग बून्दी के कर्मचारियों के खिलाफ लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

179. पुलिस कर्मियों को मेस भत्ता व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. राजस्थान में पुलिस संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. थाना पीलवा जिला नागौर में टेलीफोन व जीप सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

182. अजमेर जिले में विगत वर्षों में हुई चोरियां बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

183. पुलिस कॉन्सटेबिलों की संख्या थानों में बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. पुलिस थानों में प्रथम सूचना रोजनामचे में तत्काल दर्ज नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

185. पुलिस थानों में जनता के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

186. पुलिस थानों में वाहनों, स्टेशनरी की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम)

187. राज्य में मांग व जन संख्या के अनुपात में वृद्धि के बाद भी नये

(182)

(श्री हरीश भामनानी)

थानों की स्थापना न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

188. प्रत्येक थानों में आवश्यकता के अनुरुप फोर्स न बढ़ाकर अधिकारियों के नये पद सृजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

189. राज्य में पुलिस विभाग के पुनः गंठन की अत्यन्त आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

190. पुलिस कर्मियों के निवास हेतु क्वार्टर बनाने में विभागीय पहल न होने से उत्पन्न परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

191. पुलिस संवेदनशील बने, गरीबों व दीन-हीन व्यक्तियों को पुलिस की मदद सरलता से उपलब्ध कराये जाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर):

192. प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर (अनुपात से) पुलिस बल का अभाव होने तथा बड़े शहरों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ न बनाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

193. जोधपुर शहर के सिवांची गेट चौकी को क्रमोन्नत करके पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

194. राज्य के प्रत्येक थाने में पुलिस को आधुनिक उपकरण एवं जीप उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

195. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में उप अधीक्षक पुलिस (सर्कल आफिसर) का एक पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

196. बाई जी महाराज आश्रम, जोधपुर शहर के पास सन्त अजानेश्वर मार्ग, (बकरा मण्डी) में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

197. सिरोही जिले के कृष्ण गंज गांव तथा कैलाश नगर गांव की चौकियों के लिये सरकारी भवन बनाने में विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

198. थाना बस्सी, जवाहरनगर थाना चाकसू में 1991 व 1992 में हुई एक भी चोरी बरामद नहीं होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

199. प्रथम सूचना रिपोर्ट 259/88 दिनांक 22-12-88 थाना झोटवाड़ा जिला जयपुर में हत्या को आत्म हत्या में बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

200. मुकदमा नम्बर 255/90 थाना बस्सी द्वारा जांच के बाद भी मृतक के परिवार के विरूद्ध गलत तरीके से झूठा मुकदमा बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. थाना जमवारामगढ़ के ग्राम भावनी अध्यापक के पत्नी के हाथ पैर काटकर की गयी हत्या के मुलजिम नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (सगरिया) :

202. संगरिया के डी. एस. पी. द्वारा हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार व अत्याचार के मुकदमों को दबाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

203. संगरिया सादुलशहर के थानों में सभी ए. एस. आई. तब्दील कर नया स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. पुलिस के सिपाहियों को मिलने वाली अपर्याप्त सुविधायें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. थाना में गरीब हरिजनों को बिना मुकदमा दर्ज किये परेशान किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

206. राज्य में मूर्ति चोरियों को रोकने एवं चोरी गई मूर्तियों की बरामदगी में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

207. 8 मार्च, 1992 को श्री महावीरजी (चान्दनपुर) जिला सवाई माधोपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ करने के उपरान्त असामाजिक तत्वों को कानून के शिकंजे में नहीं लेने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

208. संवेदनशील टौंक जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. प्रदेश में हो रही चोरियों, डकैतियों एवं घृणित अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. सीमावर्ती जिलों में बढ़ रही अराजकता, तस्करी को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

211. मेवाड़ भील कोर में सिपाहियों की भर्ती में आदिवासियों की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) :

212. कोटा जिले के कस्बा सांगोद में लगातार चोरियां एवं अपराध बढ़ने, कानून एवं व्यवस्था की

(श्री बृजराज मीणा)

स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

213. कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे संवेदनशील सांगोद कस्बे में उप-अधीक्षक कार्यालय सृजित किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

214. कोटा जिले में थाना कनवास का क्षेत्र काफी बड़ा होने से कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवां पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

215. कोटा जिले में थाना सीमल्या पुलिस थाने को जीप उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम काथाना) :

216. नीम का थाना नगर में कानून व्यवस्था सही न होने तथा आर. ए. सी. की एक टुकड़ी तैनात न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

217. पुलिस चौकी किशोरपुरा थाना (थोई) का भवन उपलब्ध न होने से हो रहे जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

218. पुलिस थाना पाटन (सीकर) में जीप न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

219. भीलवाड़ा जिले के थाना मांडल के थाना प्रभारी के कार्यकाल 1990 में भीमड़ियावास की एक महिला की हत्या के केस में हत्यारों को बचाने व उक्त केस में एफ. आर. लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद (वैर)

220. जिला भरतपुर में जुआ-सट्टा बन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

221. भरतपुर जिले की तहसील रूपवास के गांव खानुआ एवं नगर में डकैती होने पर पुलिस द्वारा विशेष कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

222. होली के पर्व पर भरतपुर जिले के भीरोली खुर्द गांव में दो जातियों के बीच हुए झगड़े एवं बीस घरों से अधिक जला दिये जाने तथा चौदह-पन्द्रह लोगों से भी अधिक व्यक्तियों को चोटें आने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

1. राजस्थान में जेलों से लगातार अपराधियों के भागने पर भी सरकार द्वारा कोई कारगर उपाय न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (साँचौर) :

2. जेल में बन्दियों को पेरोल पर भेजने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर) :

3. कारागृहों में कैदियों को नियमानुसार सुविधाऐं उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

4. राज्य की जेलों की दुर्दशा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. बीकानेर शहर के मध्य स्थित केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर ले जाने हेतु लम्बे समय से भूमि आवंटित कराने एवं जेल को शिफ्ट करने में सरकार की विफलता के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

6. राज्य में स्थित जिला कारागारों में सुव्यवस्था एवं कैदियों की दयनीय स्थिति से सुधार करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

7. बिलाड़ा शहर में पिछले दो वर्ष से उप जिला कारागार भवन का उपयोग नहीं किये जाने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

8. राज्य की विभिन्न जेलों एवं बन्दी गृहों में मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुये भवनों में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. राज्य की विभिन्न जेलों में बन्दियों के लिये भोजन मात्रा व ईंधन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. राज्य के जेल कर्मियों के लिये रहवास की दृष्टि से पर्याप्त भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. भीलवाड़ा बन्दीगृह में शौचालयों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. भीलवाड़ा जेल में महिला बन्दियों के लिये महिला सिपाही रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) :

13. हिण्डौन कारागार को अन्य जगह स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) :

14. बीकानेर जेल में कैदियों को राज्य सरकार अच्छा भोजन व कपड़ा देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

15. राज्य की अधिकांश जेलों में कैदियों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

को नियमानुसार सामग्री नहीं दी जा रही है पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) :

16. राज्य की जेलों में दिये जाने वाले भोजन के निम्न स्तर पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

17. कोटा में सेंट्रल जेल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

18. बालोतरा के वर्तमान उपकरागृह को शहर के बीच से शहर के एक कोने पर ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. बालोतरा के उपकरागृह को क्रमोन्नत कर कारागृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुपुर) :

20. कारागृह हनुमानगढ़ के कैदियों को समुचित चिकित्सा नहीं दिये जाने से कैदियों में फैल रही बीमारी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री **किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) :

21. राज्य के सभी कारावासों में पर्याप्त सफाई नहीं रहने से कैदियों में फैल रहे चर्म रोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

22. ब्यावर (अजमेर) के उपकारावास में पानी की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

23. राज्य के कारावासों में कैदियों की खुराक का स्तर सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

24. अजमेर स्थित केन्द्रीय कारावास में कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री **बहादुरसिंह** (दानपुर) :

25. जिला बांसवाड़ा के केन्द्रीय जेल में कैदियों के समय पर इलाज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

26. बांसवाड़ा-डूंगरपुर के कारागृहों में कैदियों को स्वच्छ भोजन देने व उनके स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

27. राज्य सरकार कारागार में रखे कैदियों को दिये जाने वाले भोजन की राशि 8/ रुपये के बजाय 10/- रुपये करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :

28. जेल मेन्युअल के अनुसार साधारण कैदियों को समुचित खुराक न मिलने व स्वास्थ्य के बारे में चर्चा के लिये ।

29. कैदियों को सुधार के अवसर प्रदान कर प्रशिक्षण के जरिये रोजगार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री लक्ष्मी लाल)

30. साधारण बन्दियों को आदतन व खूंखार अपराधियों से अलग रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

31. राजस्थान की जेलों में लम्बित कैदियों को भर पेट खाना दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पकड़े गये निरापराध लोग जो अभी केन्द्रीय कारागृह में है, उनकी सही जांच करके छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

33. चूरू स्थित केन्द्रीय कारागृह के अधूरे भवन को पूरा करवाने व वर्तमान जेल को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) एवं

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

34. पूर्व महानिरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु नियुक्त श्रीवास्तव समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. जेलों में कैदियों को नशीली चीजों का आदी होने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. साम्प्रदायिक दंगों के दौरान गिरफ्तार कर जेलों में रखे गये व्यक्तियों को पूरा भोजन न दिये जाने, उनकी पिटाई किये जाने व बीमारी की हालात में इलाज न कराये जाने की जांच नहीं कराने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

37. कैदियों के व्यक्तिगत रिकार्ड में विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट को आवश्यक रूप से न चढ़ाये जाने तथा इसके लिये भी रिश्वतखोरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

38. जेल मैन्युअल पर पुनः विचार कर सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

39. जैतारण (पाली) में उप कारागृह भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. जैतारण (पाली) के उपकारागृह में कार्यरत जेलर के विरुद्ध ड्यूटी पर शराब पीकर कार्य करने एवं ग्रामीणों द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

41. प्रदेश के कारागारों में बढ़ रहे अवैध एवं अनैतिक कृत्यों को सख्ती से रोका जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विभाग द्वारा विज्ञाप्ति जेल प्रहरियों के पदों पर (महिला एवं पुरुष) नियुक्ति शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. कारागार विभाग में राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जन-जाति का आरक्षित कोटा पूरा करने एवं बेकलाग अति शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. कारागारों में बन्द कैदियों के स्वास्थ्य हेतु विशेष बजट एवं सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश के जिला स्तरीय कारागारों में राजनैतिक बन्दियों (सत्याग्रहियों) को वांछित सुविधाएं प्राथमिकता से मुहैया करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

46. कोटपूतली क्षेत्र में कारागार भवन बनाने में विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. राजस्थान में कैदियों को स्थानाभाव के बाद भी जेल में भरने की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. कारागार में कैदियों को डाक्टर, दवाइयां एवं दूध-फल आदि नियमित उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश के जिन कारागार में स्नानगृह और शौचालय टूटे-फूटे और खराब पड़े हैं उन्हें ठीक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में कारागारों में कैदियों को मनोरंजन, खेल, अखबार आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

51. कारागार विभाग द्वारा कैदियों को प्रतिदिन रुपये 8/– भोजन राशि के मापदण्ड में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. भीनमाल नगर की घनी आबादी में स्थित कारागार भवनों को, घनी आबादी में मुजरिमों के फरार होकर घुसने से असुरक्षा के कारणों को मध्य नजर रखते हुए शहर से बाहर नया भवन बनाकर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. भीनमाल शहर से बाहर आधुनिक भवन, मय सुविधाओं के बनने पर नगर की घनी आबादी में स्थित कारागार भवन को नीलाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा)

54. कारागृह के भोजन के स्तर की जांच एवं चिकित्सा की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. कारागार में कैदियों से व्यवहार में सुधार कर अपराध प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

56. बीकानेर में बनी पुरानी जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था की जेल भवन को शहर से बाहर स्थान परिवर्तित करके नये मोडल का भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. अपराध प्रवृत्ति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बीकानेर जेल को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. राजस्थान के कारावासों में शिक्षा, चिकित्सा तथा भोजन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

59. मेड़ता सिटी में कारागार का नया भवन करीब दो वर्षों से बनकर तैयार होते हुए भी अभी तक इसे विभाग को न देने व रोजाना बंदियों को नागौर लाने-ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

60. कारागार विभाग के अधिकारियों की डी. पी. सी. लम्बे समय से नहीं होने से सारे कारागार प्रशासन में फैले व्यापक असन्तोष पर चर्चा के लिये।

61. कैदियों को पूरा खाना न दिये जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

62. जयपुर जेल में कैदियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. जेल अधीक्षक, जेलर के रिक्त पदों को भरने तथा पर्याप्त सिपाहियों के पद सृजित करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

64. कारागार विभाग में लगाये गये अधिकारियों की प्रशासनिक विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल निनामा (घाटोल)

65. बांसवाड़ा जिले के कारागृहों में कैदियों को रोजगार का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. बांसवाड़ा जिला कारागार में रहने वाले मुल्जिमानों को पढ़ाई की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में न्यायायिक मुन्सिफ कोर्ट के पास

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

कारागार भवन का निर्माण कराने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)

68. सब जेल बांदीकुई का नया भवन शहर से बाहर कोलाना की बीड़ में बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सब जेल बांदीकुई के भवन के उचित रख रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. सब जेल बांदीकुई में कैदियों को दी जा रही खाद्य सामग्री की घटिया किस्म से कैदियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

71. सब जेल बांदीकुई माधोगंज मण्डी में स्थित होने से कैदियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. सब जेल बांदीकुई में कैदियों के साथ उचित व्यवहार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

73. कारागार विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर ठोस कार्यवाही न किये जाने एवं जांच कार्यों के निपटारे में हो रही देरी से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

74. कारागार विभाग के कर्मियों को पुलिस विभाग के समान सुविधायें नहीं मिलने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

75. बूंदी जिला जेल को वाहन उपलब्ध करवाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

76. बूंदी कारागार भवन के हिस्से को शिक्षा विभाग के हिस्से वापिस कारागार विभाग के कब्जे में लेने तथा कारागार का दर्जा बढ़ाये जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

77. नैनवा जेल में कार्यवाही कर्मियों के आवास भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल (परबतसर) :

78. जेल बन्दियों को समुचित राशन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. उपखण्ड मुख्यालय परबतसर पर ए. डी. जे. कोर्ट का केम्प कोर्ट होने के कारण सब जेल परबतसर का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्री किशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) :

80. कारागारों में कैदियों हेतु बैरकों, चिकित्सा एवं आवश्यक सुविधाओं

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)-

के अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कैदियों की आपराधिक मनोवृत्ति को परिवर्तित करने हेतु मनोवैज्ञानिक उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. कारागार में आदतन अपराधियों को साधारण अपराधियों से अलग रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. कारागार में कैदियों के लिए स्व-रोजगार, प्रशिक्षण के समुचित साधन जुटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. कैदियों की भोजन व्यवस्था पर वर्तमान में किये जा रहे अपर्याप्त व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम):

85. अजमेर शहर में नव निर्मित बाल कारागार में समुचित व्यवस्थाओं की आवश्यकता के लिये।

86. अजमेर शहर में महिलाओं का कारागार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. राज्य में कारागारों में कैदियों को पूर्ण व स्वच्छ भोजन न प्राप्त होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. राज्य में कारागारों की अव्यवस्था से कैदियों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी):

89. कारागार विभाग जयपुर में कारागार अधिकारी के खिलाफ हुई जांच पर अग्रेत्तर कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया):

90. हनुमानगढ़ की नई जेल को प्रारम्भ कर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. गंगानगर व हनुमानगढ़ की जेल में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. वर्तमान के सन्दर्भ में वास्तविक जेल सुधारों को ध्यान में रखकर जेल मेन्युअल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. श्री गगानगर जेल में राशन में चोरी और कैदियों के मुलाकात में रिश्वत खोरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

94. जेलों में विभिन्न अनियमितताओं पर सार्थक कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

95. राज्य में स्थिति जेलों में सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

96. उप कारागार नीमका थाना (सीकर) में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (बैर) :

97. बयाना में कारागृह का नया भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत (अनुपस्थित)।

माननीय श्री गुलाम मुस्तफा खान।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे दल से किसी दूसरे व्यक्ति को अवसर दे दें, उपाध्यक्ष महोदय यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : देने में कुछ नहीं है। नाम पुकार लिया है। उसके बाद बुलवा दूंगा। जस्ट इनके बाद बुलवा दूंगा।

श्री गुलाम मुस्तफा खान (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों के अन्दर नागौर में कुछ घटनाएं घटी हैं और इस सम्बन्ध में वैसे नियमों के अन्दर भी नोटिस दिया था इसलिए पहले मैं उस विषय पर बोलना चाहूंगा। जहां तक पिछले दिनों की घटनाओं का सवाल है दिनांक 8·3·1992 को एक मस्जिद के सामने से माली समाज की बारात निकल रही थी उसके बारे में कुछ छुट-पुट घटना हुई जिसको लेकर यह सब तनाव हुआ। उस घटना को प्रशासन ने अगर ढंग से कण्ट्रोल कर लिया होता तो मेरे ख्याल से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बाद में नहीं घटतीं।

दिनांक 13·3· की रात्रि के करीब 9·30 पर माननीय गृह मन्त्रीजी मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि हम जब सरकार के अन्दर हैं और आपके साथ है आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नागरिकों के जान और माल की रक्षा करें। और अगर किसी अधिकारी ने कोई गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। न कि उसे हम सेफ गार्ड करें। दिनांक 13·3· को जो घटना हुई, तब मैंने पुलिस अधिकारियों से नागौर में सम्पर्क किया तो सबसे पहले मुझे बताया गया कि वहां पर कोई गोली तक नहीं चली, कोई फायर नहीं हुआ। फिर जब घण्टे भर बाद मैंने और फोन किये तो पता चला कि हवाई फायर हुए हैं, 14·3· को सुबह मैं 9·00-9·30 बजे नागौर पहुंचा उस वक्त मुझे बताया गया कि अलाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति की छुरा घोंपने से मृत्यु हुई हैं और यह बात मुझे वहां के डीवाई. एस. पी. ने बताई। मैं अस्पताल के अन्दर गया जहां पर अलाउद्दीन की लाश रखी हुई थी। मैंने पुलिस अधिकारियों से यह कहा कि जिस किसी से भी इसकी मौत हुई हो, एक मेडिकल बोर्ड बिठा दिया जाए, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। मेडिकल

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी। जिसमें साफ अंकित है कि अलाउद्दीन की कमर के पीछे गोली लगी और सामने सीने में से पार हुई है। यह रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड ने दी।

उसके बाद में घटनाक्रम इस तरह चेंज हुआ कि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर लाश को उसके घर पर ले जाने नहीं दिया। लाश को शांति व्यवस्था के साथ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझा कर हास्पिटल से सीधे शांति के साथ कब्रिस्तान ले गये और दफना दिया।

अफसोस की बात तो यह है कि घटना घटी गांधी चौक और तहसील चौक उससे करीब डेढ़ सौ मीटर दूर कसाइयों के मौहल्ले के अन्दर यह फायरिंग की घटना हुई। 13 तारीख को जो बरात निकली वह शाहजानी मस्जिद के सामने से बिल्कुल शांति से निकली हालांकि प्रशासन ने जो इजाजत दी वह गलत थी, क्योंकि जब तरावी का वक्त था। 8 तारीख की घटना भी उसी वक्त हुई थी फिर भी प्रशासन ने उस बरात को उसी जगह से निकलने की इजाजत दी। यह भी नहीं देखा कि इसमें थोड़ा समय चेंज किया जा सकता था। तरावी के अगर घंटे भर बाद बरात निकलती तो मेरे ख्याल से यह घटना नहीं घटती। फिर भी प्रशासन ने इजाजत दी, मुसलमानों ने उसको बरदाश्त किया उसके बाद मस्जिद के सामने से बाइज्जत बरात निकल गयी। हालांकि इस बरात के साथ करीब सौ डेढ़ सौ सिपाही थे। बरात भी बिल्कुल अनियमित, अननेचुरल थी। एक हजार आदमी बरात के अन्दर शामिल थे जो नागौर शहर के अन्दर उस जगह से आज तक ऐसी कोई बरात नहीं निकली फिर भी लोगों ने बरदाश्त किया और बरात चली गई। गांधी चौक पार कर गई, गांधी चौक से आगे हाथी पोल है जिसमें बस्ती मौहल्ला है उसमें से बरात को जाना चाहिए था। आधी बरात जब पार कर गई उसके बाद में एक गाय जो थी उसके भड़कने से माहौल गर्म हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज पहले किया। उससे सारी अव्यवस्था हुई। उसके बाद में पुलिस के सामने वहां पर दो दुकानों को बरातियों में से किसी के द्वारा आग लगाई गई। पुलिस अधिकारी, एस. पी. वगैरह सब मौजूद थे लेकिन वहां पर फायरिंग नहीं की गई जहां करनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने आर्सनिंग हो रही है और पुलिस गोली ना चलाये तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जस्ट उसके रिवर्स वहां से करीब, जहां पर आगजनी हुई उससे करीब चार सौ, पांच सौ मीटर दूर गांधी चौक के अलग एक गली जाती है, गली के अन्दर डेढ़ सौ मीटर अन्दर वहां मुसलमानों का पीछा करके उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने के अलावा वहां गोली चलाई गई। मैंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आपने वहां लाठी क्यों चलाई, वहां पर फायरिंग क्यों की उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां पर यह गोली चली वहां पर पत्थरबाजी वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी मैंने खुद ने आंखों से देखा। 14 और 15 की रात को पुलिस ने अपने बचाव के लिए वहां पर रात के साढ़े तीन बजे पत्थर लाकर जीपों से डाले। एक जीप

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

में पत्थर रखे यह बताने के लिए कि हमारे पर पत्थरबाजी हुई थी इसलिए हमने डिफेन्स में गोली चलाई। यह आश्चर्य की बात है और उसके बाद में उसकी वीडियो रिकार्डिंग रात को की गई, 14 तारीख को और बताया यह गया कि हमने 13 तारीख को रिकार्डिंग की थी। जबकि 13 और 14 को जब मैं वहां पहुंचा तो 14 की सुबह तक वहां कोई पत्थर वगैरह नहीं थे। पुलिस अधिकारी स्वयं मौजूद थे। मैंने उन्हें बताया कि अगर यहां पत्थरबाजी हुई थी तो पत्थर तो यहां दिख नहीं रहे हैं। मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा इस तरह की जो बातें हैं उनका आपको खास तौर से इन्वेस्टीगेशन कराना पड़ेगा, एक जुडीशियल इन्क्वायरी करवानी पड़ेगी क्योंकि जिस आदमी ने भी यह काम किया है प्योर मर्डर है। किसी तरह की डिफेन्स वगैरह की कार्यवाही कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जब तक जुडीशियल इन्क्वायरी इस बात की नहीं होगी, एक नागरिक की प्रशासन के कर्मचारी ने हत्या की है तो उसके लिए हम खुद दोषी हैं और उसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। जुडीशियल इन्क्वायरी जब तक इस बात की नहीं होगी, हमें सन्तोष नहीं होगा।

इसके अलावा बाद में जो घटनायें घटी 4–5 जगहों पर आगजनी वगैरह हुई, माननीय गृह मंत्रीजी और राज्य सरकार ने उन लोगों को अवश्य 50 प्रतिशत मुआवजा दिया जो राजस्थान के अन्दर आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजस्थान में आज तक जितने भी दंगे वगैरह हुए हैं उसमें 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत इससे ज्यादा किसी को मुआवजा नहीं मिला लेकिन नागौर में पहली बार राजस्थान सरकार ने 50 प्रतिशत तक का मुआवजा दिया है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि उस घटना की जुडीशियल इन्क्वायरी करवायी जाय तो उससे साबित हो जायेगा कि कौन दोषी है। तेजाराम नाम का एक ए. एस. आई. है जिसके लिए पूरा नागौर कह रहा है कि इसने गोली चलाई, जबकि प्रशासन ने जो कागजात तैयार किये हैं वह हैं, एस. डी. एम. ने बाद में जो आर्डर वगैरह दिया है गोली चलाने का उसमें प्रहलाद, हरिराम सिपाही का नाम दिया गया है जबकि गोली तेजाराम द्वारा चलाई गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि तेजाराम के खिलाफ 302 का मुकदमा बनाया जाये और आज ही उसे वहां से हटाया जाये।

पुलिस के बारे में वैसे तो मैं खुद बहुत दुखी हूं। फिर भी कुछ बातें और कहना चाहता हूं। घटना से दुखी हूं।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : शांति समिति की मीटिंग थी वहां उपस्थित थे····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद का विषय नहीं है। माननीय कुमावत साहब।

श्री हरिशचन्द्र कुमावत : वहां कोई एडीशनल एस. पी. है····(व्यवधान) उन्होंने गोली का आदेश दिया।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद का विषय नहीं है। आप भी बोल लेना।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति समिति की मीटिंग में मैं उपस्थित था और जो मैंने आज बात कही है वही बात मैंने वहां कही थी। स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रशासन की गलती से यह घटना घटी है। प्रशासन सचेत होता तो घटना नहीं घटती। यह मेटर आफ इन्क्वायरी है। इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी करवानी चाहिए बात स्पष्ट हो जायेगी।

माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो तनाव का वातावरण है, यह बात खास तौर से कहूंगा कि जोधपुर में दंगे देखे, नागौर में कर्फ्यू देखा, जयपुर में कर्फ्यू देखा। एक बात खास तौर से प्रशासन के द्वारा की जाती है कि मुस्लिम मौहल्लों को कोरडन्ड किया जाता है और उनकी तरफ जो कर्फ्यू होता है बड़ी सख्ती से उसका पालन किया जाता है। दूसरे मौहल्लों में छूट दी जाती है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की प्रोपर्टी, दूसरी जगह होती है उसे नुकसान होता है। खास तौर से ऐसी कोई व्यवस्था की जावे कि इस प्रकार की एक तरफा जो कार्यवाही होती है वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्साफ का तकाजा यह है कि सबके साथ बराबरी का सलूक हो और हर नागरिक चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो उसकी सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा फर्ज है। उसकी सम्पत्ति चाहे कहीं भी हो, कर्फ्यू लगाये पूरे शहर में लगाये, यह अच्छा नहीं है कि एक मौहल्ले में लगा दे और दूसरे मौहल्ले में नहीं लगायें। उससे क्या होता है कि भेदभाव होता है और दूसरे मौहल्लों के अन्दर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की जो सम्पत्ति होती है उसे नुकसान होता है।

एक निवेदन और करूंगा पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन के अन्दर भी साम्प्रदायिकता आ गई है मैं साफ बात कह रहा हूं। हमारी सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जहां तक ट्रेनिंग वगैरह का सवाल पुलिस की, ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाये ताकि जो प्रशासन में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है यह पता नहीं आगे जा कर कौनसा रूख अख्तियार करेगी। यह हमारी राष्ट्रीयता और अखण्डता के लिए भी हो सकता है कि कुछ और रिजल्ट लावे इसलिए हमें ठण्डे दिल से सोच समझ कर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रशासन के अन्दर जो साम्प्रदायिकता बढ़ रही है इसे हर सूरत में रोकें।

दूसरा निवेदन यह है कि पुलिस और प्रासीक्यूशन यह जो दो डिपार्टमेंट हैं इनका 1973 से पहले एक काम्बिनेशन था और वह काम्बिनेशन टूटने के बाद में जो हमारा सजा अवधि का स्तर है और कोर्ट्स में क्रिमीनल केसेज फेल हो रहे हैं वह बिल्कुल गिर रहे हैं इसलिए उस विषय में वापस सोचना चाहिए कि प्रासीक्यूशन डिपार्टमेंट है वह पुलिस के साथ रहे इसके अलावा बड़े केसेज सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में है, वहां हमारे प्राइवेट वकील जो होते हैं वह कण्डक्ट करते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोअर कोर्ट्स के अन्दर जो प्रासीक्यूशन होता है वह गवर्नमेंट के आफीसर्स होते हैं उनके खिलाफ 16 और 17 सी. सी.

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान).

की कार्यवाही की जा सकती है लेकिन जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अन्दर प्राइवेट वकील होते हैं जो साल दो साल के लिए लगे रहते हैं उनके खिलाफ ना तो इस तरह कोई 16 और 17 सी. सी. की कार्यवाही होती है, जबकि 302 और इससे ज्यादा भारी जुर्म होते हैं उनका वह प्रासीक्यूशन करते हैं और उनके खिलाफ जब आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ कर ऐसा कोई फैसला किया जावे कि लोअर कोर्ट से लगा कर हाई कोर्ट तक कम से कम क्रिमीनल केसेज को कण्डक्ट गवर्नमेंट आफीसर्स करें । प्रासीक्यूशन डिपार्टमेंट बनाये, राजस्थान के अन्दर इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे विभाग हैं और ऐसी व्यवस्था है तो हमें भी चाहिए कि दूसरे राज्यों की तरह ऐसी व्यवस्था करें । कम से कम इतने भारी और हीनियस क्राइम हैं उनकी देख-रेख करने वाले हमारे ऐसे होने चाहिए जिनके खिलाफ हम विभागीय कार्यवाही कर सके । यही मैं कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खां ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान माइन्योरिटी सेल के अध्यक्ष हैं । आपने राजस्थान के चीफ जस्टिस को को पत्र लिखा जिसमें यह कहा कि टाडा के मुल्जिमों के साथ ऐसा अत्याचार राजस्थान में हो रहा है जैसा कि अमेरिका में कालों के संग होता है, इजरायल में फिलिस्तिनियों के संग हो रहा है और मेरे इस पत्र को ही रिट याचिका मान लीजिए और इस पर कार्यवाही करिये । आप राजस्थान माइन्योरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री पद का स्तर आपको मिला हुआ है । और यहां भाषण दे रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए वरना आपका""डिब्बा गोल हो जायेगा नागौर में""(व्यवधान)""

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज । आर्डर प्लीज । हां, क्या कह रहे हैं ?

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी, आप कम से कम उस पत्र की डेट तो देखते कि मैंने वो पत्र कब लिखा था । उसमें जो तथ्य हैं, बिल्कुल सही हैं, ऐसा हुआ है । कोटा और झालावाड़ के अन्दर""

श्री प्रद्युम्न सिंह : कब लिखा था ? मैं मंत्री बन गया, मैं अध्यक्ष बन गया, सब कुछ बन गया""(व्यवधान)""।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपने कह तो दिया""(व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं निवेदन कर रहा हूं इस बात के लिए कि कोटा और झालावाड़ में जो दंगे हुए थे, उसमें झालावाड़ के अन्दर करीब 26 आदमी ऐसे थे जिनको मस्जिद के ऊपर से "अल्लाह हो अकबर" के नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया था । इसलिए मैं नहीं कहता कि "अल्लाह हो अकबर" के नारे लगाना कोई गुनाह है किसी आई. पी. सी. के अन्दर, किसी टाडा के अन्दर ? तो वह जो बात

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

मैंने लिखी थी, वह बिल्कुल सही है और आज भी मैं उसे सही मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय श्री जुबेर खां।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के संबंध में सदन के माध्यम से कुछ बातें सरकार से कहना चाहता हूं....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो अभी 20 तारीख को बहुत खुशी की बात है, होली का त्यौहार सारे लोग मनाते हैं, कहीं-कहीं होली से अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है और कहीं भाटा-राड़ भी की जाती है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य लाना चाहूंगा कि टोडारायसिंह में 20 तारीख को जो वाकया हुआ, उसके सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय, वाकये तो होते रहते हैं लेकिन जो वाकये को जानबूझ कर इस तरह से राजनीति की ढाल बनाने की कोशिश में है कि लोगों को साम्प्रदायिकता के नाम पर, जाति के नाम पर झोंक दिया जाय क्योंकि किसी को राजनीति की कुर्सी को खतरा है या राजनैतिक अस्तित्व का किसी खतरा है तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिन्ता का विषय है और इसमें अगर सरकार मूक दर्शक बनी देखती है और उचित कार्यवाही नहीं करती है तो इन्डाइरेक्टली सरकार यह इंस्टिगेट करती है, या प्रोत्साहित करती है लोगों को कि जातिवाद के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर दंगे हों।

उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को टोडारायसिंह में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले जुलूस बड़ा अखाडा से निकला करता था और उसके रास्ते के बीच में कहीं भी मस्जिद नहीं आती थी लेकिन पिछले दो साल से इसका रूट चेंज कर दिया गया और रूट चेंज करने में, मैं किसी सम्प्रदाय विशेष की बात नहीं कहना चाहता लेकिन हर सम्प्रदाय या समुदाय में कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि किसी न किसी दो सम्प्रदाय के लोग सद्भावना से नहीं रहें। लोगों ने जानबूझकर रूट चेंज कराया और इसको महल स्कूल ग्राउण्ड से शुरू कराया गया ताकि मस्जिद रास्ते में आये। उपाध्यक्ष महोदय, जब भीड़ जाती है तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तरह-तरह के नारे लगा देते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं....

श्री मदन दिलावर : जैसे कि.... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : वह आप अच्छी तरह जानते हैं, आप रहने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब 20 तारीख को यह जुलूस निकलता है। हर साल हमेशा 12 बजे से जुलूस निकलता था और मस्जिद के सामने से एक-डेढ़ बजे तक निकल जाता था। जब प्रशासन को अच्छी तरह पता था कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जुम्मे की नमाज में भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। एक तरफ 400-500 आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हों। और 1000-2000 की टोली का दूसरा ही माहौल होता है। हर तरह के लोग होते हैं। कुछ दारू पीकर भी शुरू हो जाते होंगे।

(श्री जुबेर खां)

इस तरह के लोगों को अगर प्रशासन अवाइड करने की कोशिश करता तो यह बात नहीं होती। वहां नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, फिर दोनों तरफ से हुआ और उसके बाद में जो बात हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, दुकानें जलाई गई....

श्री मदन दिलावर : सही तो बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप उधर के लोगों पर लगाम नहीं डाल सकते तो आपको इधर भी कहनेका हक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात को कहिये।

श्री जुबेर खां : मैं अपनी बात बड़ी शालीनता से कह रहा हूं और यह इस बात का द्योतक है कि बी. जे. पी. में बैठने वाले लोग किस तरह के विचार रखते हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं और अगर आपको मेरे बोलने पर कोई आपत्ति है, उपाध्यक्ष महोदय, तो आप मुझे कह दीजिये, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्य, आप दो जाति के लोगों को भड़काते हैं, आप अपने विषय पर आइये। आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं ?.... (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : ....इस तरह से उत्तेजना फैलती है। यहां ये बात बात बोलते हैं तो वहां भी ऐसी बात बोलते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसका यह अर्थ नहीं है कि टोडारायसिंह कहां है।

श्री मदन दिलावर : आपसे ज्यादा देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी प्लीज....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि ईद के त्यौहार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए खुशी का त्यौहार होता है। साल भर में एक बार ज्यादातर लोग कपड़े बनवाते हैं और ज्यादातर दर्जियों की दुकानों में आग लगाई गई। जितने भी कपड़े थे वह सब जला दिये गये, मशीनें लोगों की जल गई, भारी नुकसान हुआ और आज तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि एक मनिहार की दुकान में एक लाख 75 हजार रुपये का नुकसान हुआ। सरकार उसको क्या मुआवजा देने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुख की बात तो यह है कि झगड़े के पीछे कहानी क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, वहां की नगरपालिका में बी. जे. पी. के अध्यक्ष महोदय हैं। अब अध्यक्ष महोदय सबके काम तो कर नहीं सकते, 13 में से 9 आदमी बी. जे. पी. के सदस्य हैं और एक बार पहले भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और वह किसी तरह से टल गया। 21 तारीख

(श्री जुबेर खां)

को इसकी मीटिंग होने वाली थी और इसमें चर्चा होने वाली थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय यह बात टालने के लिये कि 21 तारीख को मीटिंग नहीं हो, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ जाय इसके लिये लोगों को साम्प्रदायिक दंगों में झोंकने की बात करते हैं तो यह किस तरह की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है कि जहां लोग शासन कर रहे हैं, जो लोग आज राज में बैठे हैं, अगर उनकी ही नीयत यह हो गई, यह उद्देश्य हो गया कि किस तरह से, क्योंकि कोई काम-धाम तो इनको करना नहीं और जब यह देखते हैं कि दो साल से शान्ति रही है प्रदेश में, अब-फिर पिछले एक महीने से साम्प्रदायिक दंगों की तरह-तरह से शुरूआत होने लगी है, कहीं जाति के नाम पर होने लगे, कहीं हरिजन और ब्राह्मण के नाम पर होने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि गृह मंत्रीजी यहां मौजूद हैं। आप जानते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से जांच करा लीजिये कि जो लोग सरकारी कर्मचारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा और जो इस दंगे के पीछे हैं और आज तक भी टोंडारायसिंह में बैठ कर दंगों के पीछे आग भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। गृह मंत्रीजी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस व्यक्ति के खिलाफ, जो दामोदर शर्मा टीचर है सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में, इसके खिलाफ नीचे से इंक्वायरी आई हुई है और राज्य सरकार से परमिशन ली गई है कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी चलाकर सस्पेण्ड करना चाहते हैं। तथ्य आपकी नजर के सामने हैं, इस व्यक्ति का जो आचरण रहा है और आज तक आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अगर सरकारी कर्मचारी चाहे पुलिस अधिकारी हों चाहे राजनैतिक जमात से जुड़े हुए लोग हों, अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगायेंगे तो खाली पुलिस या प्रशासन से आप साम्प्रदायिक दंगों को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि एक तरफ जो लोग इन दंगों को कराना चाहते हैं, अगर उन लोगों पर कोई रोक नहीं होगी, कोई अंकुश नहीं होगा, हम राजनीति के आधार पर या पार्टी के आधार पर उनको हम संरक्षण देंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश में शान्ति रहे और सद्भावपूर्ण वातावरण रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सर्वे करवा लीजिये। आपके पास सारी मशीनरी है। ईद के मुश्किल से 10–12 दिन है। जिन लोगों के कपड़े जल गये हैं, गरीब लोग किस तरह से कपड़े सिलवाते हैं, जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार मुआवजा देने की व्यवस्था करावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि गृह मंत्रीजी आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है कि आर.ए.सी. की फोर्स है, जैसा माहोल बनता जा रहा है, चाहे वह किसी तरह का बन रहा हो, आर. ए. सी. का प्रारूप बनता जा रहा है कि उसकी तुलना धीरे-धीरे पी. ए. सी. से की जाने लगेगी और लोगों के

(श्री जुबेर खां)

मन में यह धारणा बन रही है कि........ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये पुलिस का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी, आप बिराज नहीं सकते। प्लीज सिट डाउन। बैठ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिये। प्लीज।

श्री जुबेर खां : गृह मंत्रीजी आपमें हिम्मत है और आप उस खानदान से सम्बन्धित हैं, जिस खानदान का एक इतिहास रहा है, तो अटरु से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ. जहां-जहां जितने भी बम काण्ड हुए हैं, आपके तमाम अधिकारीगण बैठे हुए हैं, सी.. आई. डी. से जांच करा लीजिये, अगर यह व्यक्ति बम-कांड में लिप्त नहीं मिले, इसके द्वारा प्लांड बम कांड नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाये गये हैं, उनकी निष्पक्ष जांच करा लीजिये आप.... (व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : जो आदमी 12–12 थानेदारों को बदलवादे....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं। आप विराजें।

श्री अमृतलाल परमार : आपको मालूम है, टाडा में क्या हो रहा है। उसमें कौन है? उसमें आप खुद हीरो हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब सुनना होगा आपको। मेरे खिलाफ इन्होंने चार्ज लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद में आपको मौका दिया जायेगा। एक मिनट बिराजिये आप। प्लीज इनको बैठाइये। इनको बैठाइये। एक बार मौका देंगे इनको।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे खिलाफ इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मदन जी बैठिये। इनको मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। कृपया इनको बैठाइये। माननीय दिलावर जी। मैं आपको बाद में मौका दूंगा, बैठिये आप।

डा चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों का ऐसा व्यवहार होगा तो कैसे वाद-विवाद चलेगा? ऐसी कौनसी इन्होंने बात कह दी जिससे ये सब खड़े हो गये। आप हाउस को आर्डर में लाइये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी, कृपया आप इनको बैठाइये। मैं बोलने का मौका दूंगा। (व्यवधान)....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर। जिस प्रकार की चर्चा चल रही है यह गम्भीर चर्चा है, विस्तृत रूप से इस विषय का चिन्तन होना चाहिये लेकिन जिस प्रकार से ग्रभी उधर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने इधर के माननीय सदस्य पर नाम लेकर यह कह करके कि इसमें इनका हाथ है, इसमें ये शामिल हैं यह ग्रापत्तिजनक है। मैं समझता हूं इसको एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे माइनोरिटी का सवाल हो, चाहे उर्दू का सवाल हो ये बीच में खड़े हो करके डिस्टबेन्स करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको बाद में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मौका दे दीजिए, क्या दिक्कत है।

श्री अमृतलाल परमार : इनको तकलीफ क्यों होती है, इनके पेट मे दर्द क्यों हो रहा है?

श्री मदन दिलावर : इन्होंने ऐसा करके सदन का अपमान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बार-बार निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष विराजिये ग्राप।

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं हो सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, सहयोग कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सहयोग कर रहा हूं। (व्यवधान)....

श्री अमृतलाल परमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी बात सुनें। हमारे बाली क्षेत्र में क्या हुआ, बाली में कभी ये आये, इनको पूछो। बाली में क्या हो रहा है यह इनको मालूम है? (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं ग्रा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वाले को मैं डिस्पोज ग्राफ कर चुका हूं। इन्होंने सेकण्ड रेज किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरे को सुन तो लीजिये। एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं ग्रा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात वो कह चुके हैं, एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं ग्रा सकते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था दी हुई है कि एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं ग्रा सकते। यह अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था दी हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष : वो क्या पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहता हूं कि कोई भी पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर एक साथ दो नहीं ग्रा सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको सुन रहा हूं ग्रभी, कौनसा ग्रलाउ किया है । वे कुछ भी नहीं बोले हैं । वे क्या कह रहे हैं यह सुनने तो दीजिये ग्राप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर तब रेज किया जाता है जब नियम का उल्लंघन होता है या संविधान का उल्लंघन होता है या प्रक्रिया का उल्लंघन होता है । इसलिए पूर्व ग्रध्यक्षों ने इस बात के बारे में समय-समय पर निर्णय दिये हैं कि एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज नहीं हो सकते । ग्रभी उद्योग मंत्रीजी ने एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज किया है उसको ग्रापने डिस्पोज ग्राफ किया है, कोई कार्यवाही चली नहीं है ग्रागे ग्रौर दूसरा पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर ग्रा गया । इसलिए मेरा ग्रापसे विनम्र ग्रनुरोध है कि....

श्री उपाध्यक्ष : वो रेज कर सकते हैं ग्राप बिराजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं कर सकते एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : हमारी व्यवस्था है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं कर सकते एक साथ दो पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता : ग्राप कौनसे नियम में बोल रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर कर सकते हैं तो मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । मैं भी एक बात कहना चाहता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप उनको बोलने दीजिए ।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : इस सदन में जब भी उर्दू की, वक्फ की । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको बोलने दीजिये । विराजिये ग्राप । (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : जब भी ग्रल्प-संख्यकों का कोई सवाल ग्राता है तो यह क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, सहयोगकीजिये । ग्राप बोलिये, क्या कह रहे हैं ?

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता : मेरा निवेदन यह है कि इस ग्रासन से कई ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं, हमारे नियम भी हैं ग्रौर ग्रासन के कई ऐसे निर्णय भी हैं कि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई भी बात बोली जाय तो उसके पहले नोटिस दिया जाना चाहिये । हम एक-दूसरे पर ग्रारोप लगा देते हैं ग्रौर इस प्रकार के ग्रारोप बिल्कुल नियमों के विरुद्ध लगाये जाते हैं, नियमों का उल्लंघन होता है कोई भी इस प्रकार ग्रारोप लगाने से पूर्व एक नोटिस दिया जाना चाहिये । क्योंकि इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार के ग्रारोप लगाये गये हैं उनको एक्सपंज किया जाय ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सामने लगाया गया है नोटिस की क्या जरूरत है ? वे स्पष्टीकरण दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में यदि मेम्बर प्रजेन्ट होता है तो इस प्रकार की अनुमति होती है । मेम्बर हाजिर है इसीलिए उनको बोलने दिया गया है वे अपने आप इसका उत्तर देंगे ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री मदन दिलावर : वे आरोप लगा रहे हैं उनको मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इनका स्पष्टीकरण आ जायेगा माननीय मुख्य सचेतक जी । स्पष्टीकरण देने के लिये इनको मौका दूंगा, टाईम दूंगा । माननीय जुबेर खां जी ।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को बम काण्ड में लिप्त होना बताया गया है । यह अन्याय है, मेरा अपमान किया जा रहा है इस सदन में इस प्रकार से....(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत तरीका है । आप हाउस की कार्यवाही चलने ही नहीं देना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी प्लीज । माननीय दिलावर जी, आपको मौका दूंगा । बैठिये आप । आप अपनी बात को ढंग से कहिये....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : ये दंगे करने वाले लोग, टोडारायसिंह में दंगे भड़काने वाले लोग और जगह दंगे भड़काने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं—(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात ढंग से कहिये । (व्यवधान)... कृपया सहयोग कीजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवधान का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रश्न है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिये तो सही, आप व्यवस्था दे देना ।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इतनी देर से खड़ा हूं आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ये अव्यवस्था के प्रश्न हो रहे हैं ।

श्री हीरालाल आर्य : पहले मेरे को सुनिये कृपया ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे व्यवस्था के प्रश्न जो सदन के कार्य संचालन में बाधा पहुंचाते हों वे व्यवस्था के प्रश्न न होकर व्यवधान पैदा करने वाले होते हैं । इसलिए हर माननीय सदस्य पाइण्ट आफ आर्डर कह रहा है । यह क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ? मैं जब कह रहा हूं, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, कृपया सदन को चलाने में सहयोग कीजिये ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले बात सुनेंगे उसके बाद तो कहेंगे। आपने बात ही नहीं सुनी मेरी और अपनी व्यवस्था दे दी। फैसले के बाद अपील का अधिकार होता है पहले काहे की अपील कर रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को चलाना माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हां, सही है, हम सहयोग कर रहे हैं हमारी भी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं सदन की कार्यवाही सुचारु नहीं चले....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिये एक मिनट में। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं मेरी बात तो सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन में जब भी कभी वक्फ की जायदादों से सम्बन्धित, उर्दू अध्यापकों से सम्बन्धित, टाडा में बंदियों से संबंधित या अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित कोई भी चर्चा चाहे कांग्रेस से आने वाले सदस्य करते हों चाहे जनता दल से आने वाले सदस्य करते हों, निश्चित 5-7 मेम्बर ऐसे हैं कि उनके पेट में दर्द होने लगता है वे अव्यवस्था पैदा करते हैं। इसका कारण क्या है ? आखिर यह स्थिति क्यों पैदा होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है, माहिर आजाद जी। आई डिस-अलाउड। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। बिराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : व्यवस्था हाउस को चलाने से सम्बन्धित, हाउस को आर्डर में लाने से सम्बन्धित है इसलिये यह व्यवस्था का सम्बन्ध रखता है। हम अपनी बात कहते हैं दूसरे अपनी बात कह दें। इनको क्या परेशानी हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। श्री जुबेर खां। प्लीज बिराजिये।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर एक समय एक ही आ सकता है, एक साथ दो नहीं आ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : पहला डिस्पोज आफ कर दिया, इनको आगे बोलने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय हमेशा कोट किया जायेगा और पूर्व में अध्यक्षों ने ऐसे निर्णय दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खां।

श्री बुलाकीदास कल्ला : या तो आप अपने निर्णय को स्थगित करें। एक साथ दो पाइण्ट आफ आर्डर नहीं हो सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत बड़ी कारीगरी है कि दो एक साथ ही डिस्पोज आफ कर दिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह कारीगरी तो महंगी पड़ेगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इसे आप कहां इश्यू बना रहे हैं।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है, मैं बड़ी शालीनता से अपनी बात कह रहा हूं। मैं भी इन्सान हूं और रिएक्शन आना स्वाभाविक है और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अल्पसंख्यक का होते हुए भी बहुसंख्यक हूं। हम जहां रहते हैं वहां मेव रहते हैं, मेवात इलाका है, मेवाती भाषा है। यह चार-चार, छह-छह खड़े हैं, इन से जुबेर खां डरने वाला नहीं है। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, मैं बड़ी शालीनता से आपसे निवेदन कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये।

श्री जुबेर खां : किसी माननीय सदस्य को क्यों पेट में दर्द होता है। जो अगर सही बात नहीं सुनना चाहते तो बाहर चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये ना।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे एक पीड़ा बताना चाहता हूं कि जो लोगों में एक भ्रांति आती जा रही है कि आर. ए. सी. तो एक पर्टीकुलर समुदाय का फेवर करती है तो मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जो भी कोई इसमें उपाय हो सके कि आप यह, क्योंकि अपने यहां की फोर्स सौभाग्य से बहुत अच्छी रही है अब तक, हम दूसरी स्टेट्स से अगर कम्पेयर करें कुछ नजदीक से, लेकिन अब जो पिछले डेढ़-दो साल से एक बनता जा रहा है, लोगों के मन में एक शंका आती जा रही है, आज लोग कहते हैं, जैसे जहां भी लोग आते हैं, दंगे होते हैं, कि सी. आर. पी. एफ. लगाई है, इसलिए कोई न कोई बात तो है, तो आप इसको दिखवायें कि क्या ऐसी है कि पुलिस में इस तरह की बात नहीं हो और उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन और है गृह मंत्री जी से, देखिये, अगर आपको स्वच्छ प्रशासन की बात करनी है, आपको साम्प्रदायिक सद्भाव की बात करनी है तो यह दो "पी" हैं—पुलिस और पालिटिक्स, इनको अलग-अलग आपको रखना होगा। अगर आप मेरे कहने से मेरे यहां थानेदार लगायेंगे, आप उम्मीद करेंगे, थानेदार तो वही करेगा जो मैं कहूंगा। वह भी नौकरी करते हैं, उनकी भी कुछ सीमायें होती हैं। आज आप एम. एल. ए. के कहने से, पार्टी के आधार पर एस. एच. ओ. लगा देते हैं तो फिर आप निष्पक्ष, न्याय की और निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद नहीं रख सकते और यही बातें सामने आती है। हर जगह चाहे नागौर की बात आई हो, चाहे अभी टोडारायसिंह की बात आई हो, सब लोग कहते हैं कि फलां-फलां अधिकारी का तो बहुत अच्छा रोल था, और फलां-फलां अधिकारी का उसमें गलत निकला क्योंकि वह आदमी लोकल लोगों में इन्फ्लुएंस होता है। और जब अधिकारी को यह पता चल जायेगा कि मेरी पोस्टिंग, सस्पेंशन और मेरे कार्य का वह एम. एल. ए. से अगर निर्धारित होगा तो यह बहुत गलत बात है।

दूसरा मेरा एक निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो बहुत से केसेज में ऐसा होता है कि पुलिस ही गिरफ्तार बहुत

(श्री जुबेर खां)

कम कर पाती है और पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो जो लोग साधन-सम्पन्न हैं, प्रभाव वाले हैं वह कोर्ट से जमानत ले आते हैं, अग्रिम जमानत ले आते हैं. जब तक इस व्यवस्था में यह बात लोगों के मन में नहीं होगी कि कहीं कुछ प्रशासन है, कहीं पुलिस है, कहीं कानून-कायदे हैं तब तक इसी तरह का मखौल उड़ाया जायेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो शायद राजस्थान में पहली बार हुआ है— हमारे अलवर की तहसीलें और भरतपुर की कुछ तहसीलें मिलती हैं वहां तो ट्रेक्टर और ट्रोलियां चोरी होने लग गई। अभी एक बड़ौदा मेव से, तहसील लक्ष्मणगढ़ में गांव है, एक ट्रेक्टर चोरी हो गया, यहां डीग की तरफ कोई मेवों के गांव में और मालूम चला कि सत्तर हजार रुपये की फिरौती देकर उसको ट्रेक्टर छुड़ाना पड़ा जबकि ट्रेक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पुलिस बरामद नहीं कर सके। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पुलिस को थोड़ा यह करिये। थानेदार मिल-मिला कर कराते हैं। डाकुओं से, चोरों से थानेदार मिल जाते हैं तो यह बहुत गम्भीर विषय है। अगर किसान आदमी को ट्रेक्टर-ट्रोली की भी हिफाजत के लिए उसके ताला लगाना पड़े या चौकीदार बैठाना पड़े तो यह बहुत गलत परम्परा डलने जा रही है। उधर कुछ गांव ऐसे हैं, जो चोरियां करते हैं और फिरौतियां ले-लेकर माल को लौटाते है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप शीघ्र पूरा कीजिये।

श्री जुबेर खां : कि जहां हम बात करते हैं. पुलिस के भ्रष्टाचार की भी बात कर लें, बहुत आसान है कि काफी हद तक करते भी हैं बहुत से लोग. लेकिन जब तक हम पुलिस को वह सुविधाएं नहीं देंगे कि जो सुविधाएं उनके लिए पर्याप्त हों, उनके परिवार के लिए पर्याप्त हों कि वह अपना जीवन-निर्वाह कर सकें तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते। आज हम चाहे ऊपर राजनीति में देख लें, चाहे बड़े अधिकारियों को देख लें, चाहे किसी को भी देख लें, हर आदमी पहले बेइमानी का रास्ता देखता है तो फिर हम यह कैसे उम्मीद कर ले कि यह पुलिस वाले बेइमानी का रास्ता नहीं देखेंगे। हम 24 घंटे उनकी सर्विस लेते हैं, बारह सौ-तेरह सौ रुपये एक सिपाही को देते हैं, अगर हम उनसे उम्मीद करें कि वह निष्पक्ष होकर बारह घंटे चौराहे पर भी खड़ा रहे, सोते-सोते भी एक चोरी हो गई, वहां चला जाय, इसके लिए सुविधाएं देनी होगी और सुविधाएं देंगे तभी हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह सही कार्यवाही करेंगे, नहीं तो जिस तरह से आज माहौल होता जा रहा है, लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, इसको आपको रोकना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब आप।

श्री जुबेर खां : एक मेरा निवेदन और है उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस. सी., एस. टी. एट्रोसिटीज एक्ट है यह बहुत अच्छी भावनाओं से बनाने वालों ने बनाया है, चाहे केन्द्र सरकार ने बनाया हो और स्टेट की सरकारें इसको लागू कर रही हो, लेकिन इसमें कहीं-कहीं क्या होता है कि जैसे दो

(श्री जुबेर खां)

आदमियों का झगड़ा है तो वह अपने किसी साथी एस. सी., एस. टी. को इन्स्टीगेट करके उसके खिलाफ इस्तगासा पेश करा देंगे और इसमें कहीं-कहीं बहुत प्रतिष्ठित और जिम्मेदार व्यक्ति भी लपेट में आ जाते हैं बिना बात तो इसमें आप इस तरह की व्यवस्था करें कि इसकी जांच-पड़ताल है वह इस आधार पर हो कि अगर हकीकत में हुआ है, किसी के साथ अत्याचार हुआ है, किसी के साथ मार-पीट हुई है एस. सी., एस. टी. के साथ, तो सजा मिलनी चाहिये लेकिन आज गांव में यह होता है कि दो मुखियाओं की लड़ाई है तो एक मुखिया अपने मोहल्ले के, अपनी पार्टी के हरिजन से अत्याचार का मुकदमा करा देगा और पुलिस को कुछ पैसा देकर और फिर पुलिस जिस तरह से यातनाएं देती है, प्रतिष्ठित व्यक्ति को पकड़ कर ले जाती है, जमानत तक नहीं होती और सर्किल आफिसर से नीचे इसकी जांच-पड़ताल नहीं करा सकते, इसके लिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिये आप पुलिस आफिसर्स को नियुक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। माननीय जुबेर खां जी, प्लीज। आपको बीस मिनट हो गये हैं।

श्री जुबेर खां : अन्त में मेरा आपसे निवेदन है, टाडा के बारे में आप लोगों से काफी निवेदन किया है, काफी डेलीगेशन भी मिले हैं और आप लोगों ने कहा है कि हम मानवता के व्यवहार से इसको दिखवायेंगे। अब तो केन्द्र सरकार ने भी यह क्लियर कह दिया है कि टाडा को अनावश्यक रूप से नहीं लगाया जाय, जहां जरूरत हो वहीं लगाया जाय। मेरा आपसे निवेदन है कि टाडा के जो बंदी लोग हैं उनको जिस तरह से भी आप चाहें, इन्क्वायरी करा कर या जांच-पड़ताल कराकर— जो लोग बूढ़े हो गये हैं, सब कुछ हो गया है, मेरा निवेदन है कि ईद का त्यौहार आने वाला है, आप प्रक्रिया को तेज करके अगर ईद से पहले उन लोगों को, जो छूट सकते हैं, जो सीमाओं से बाहर है, उनको अगर छोड़ देंगे तो आपका यह उपहार होगा उन लोगों के प्रति, जो पिछले दो साल से जेलों में सड़ रहे हैं और आपको भी मालूम है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है।

यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पुलिस के ऊपर है, किसी को भी पकड़ कर ले गई और उससे साइन करा लिये स्टेटमेंट पर और उसको टाडा एक्ट में बन्द कर दिया कि इसके पास हथियार बरामद हुए। अच्छे-अच्छे, मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पुलिस को मना करके आ जाय कि मैंने यह चोरी नहीं की या मेरे पास यह हथियार नहीं है। अगर कोई मना करता है तो कोर्ट में मना करता है और कोर्ट में टाडा के बंदियों को आपने मौका नहीं दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप शीघ्रातिशीघ्र दिखवायें, आपसे काफी डेलीगेशन मिले हैं, यहां भी और दिल्ली में, आपने कहा है कि हम इसको जल्दी करायेंगे, आप ईद से पहले करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यही चंद बातें मैं कहना चाहता था। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप । माननीय मदन दिलावर। स्पष्टीकरण देंगे आप, उत्तेजित नहीं होंगे, संयत भाषा में बोलिये ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । प्लीज, फूलचन्दजी, बिराजिए आप । पहले उनको बोलने दीजिए ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : व्यवस्था का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए । पहले उनको बोलने दीजिए ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं कह रहा हूं श्रीमन् कि पाइंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, फूलचन्दजी, सहयोग कीजिए । मदन दिलावरजी ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा व्यवस्था का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्लीज । पहले उनको बोलने दीजिए ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : श्रीमान्, पाइंट ऑफ ऑर्डर है । अध्यक्ष महोदय ने आज व्यवस्था दी थी कि जब भी पुलिस की डिमाण्ड आयेगी जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है नियम 131 के, वह भी साथ-साथ लिये जायेंगे लेकिन जिनके जवाब नहीं आये और गृह मंत्रीजी उनका जवाब देंगे नहीं, वह भी साथ ले रखे हैं उन पर क्या व्यवस्था....

श्री यदुनाथ सिंह : देंगे, देंगे ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जिनके जवाब आये नहीं, जैसे मेरा नाम था आज, एक पुलिस का नियम 131 का, जिसका जवाज आया नही और मेरा नाम दे रखा है कि आप उस पर व्यवस्था ले सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सभी प्रकार के जो जवाब नहीं आये हैं उन सबके जवाब देंगे आज ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : लेकिन जवाब नहीं आया है श्रीमन्, अब तक जवाब नहीं आया है । इस नियम 131 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जो कुछ भी जवाब मिलना है या नहीं मिलना है, पर जो भी सवाल आपने उठा रखे हैं उनका आपको जवाब मिल जायेगा...

श्री यदुनाथ सिंह : जवाब तो मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए अब आप ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : जब जवाब नहीं आया है तो जवाब क्या देंगे श्रीमान् ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप । माननीय श्री मदन दिलावरजी ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री मदन दिलावर ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं बम काण्ड में लिप्त हूं, कई बम काण्डों में, ठीक है, माननीय सदस्य को इस

(श्री मदन दिलावर)

प्रकार की जानकारी होगी इसीलिए कुछ सोच कर उन्होंने लगाया है लेकिन मैं भी सदन के समक्ष एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी केस या शंकाएं या और कहीं से भी शिकायत आती है मेरे खिलाफ तो सारी की सारी जांच करवाई जाय और कठोर से कठोर दण्ड मुझे दिया जाय और थोड़ा सा मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बम काण्ड की बात आई है तो मेरे क्षेत्र में और जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगे भड़के हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। लगभग साल भर पहले मेरे अटरू कस्बे में बम काण्ड में पांच लोग मारे गये। पांच लोग, और बम फेंके गये, वह बम फेंकने वाले टाडा में बंद हैं दो लोग, तीन लोग अभी फरार हैं, पकड़े नहीं गये हैं और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जिन माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया जुबेरखांजी ने, उनके घर पर वह आते-जाते हैं।

श्री जुबेर खां : पुलिस बैठी है ना, भेज दो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, उनके मैं नाम बता सकता हूं। वल्लू खां....

श्री जुबेर खां : 6/5 विधायक नगर है, अभी भेज दो पुलिस को।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, जुबेर खांजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शालीनता से मेरी बात रख रहा हूं। जो भी उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जांच करवा लीजिए, फांसी भी मिलेगी तो मैं तैयार हूं। इसी प्रकार से अभी लगभग एक महीने पहले मेरे अटरू के अन्दर बम काण्ड हुआ। एक लड़का लगभग उन्नीस साल का लैट्रिन के लिए गया था.... शौच कर रहा था वहीं पर वह बम फट गया। पास में ही जिस समाज से माननीय सदस्य आते हैं उस समाज का गांव है और उन लोगों ने, शायद मुझे पता भी चला है आवश्यकता पड़ी तो उसकी जानकारी दूंगा, वहां से 4 बम आये हैं (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ तथ्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप स्पष्टीकरण दीजिए। उन तथ्यों में मत जाइये जो यहां पर नहीं हैं। आपके खिलाफ जो बातें कही गयी हैं उनका उत्तर दे दीजिए बस।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उन बातों से मेरा अपमान हुआ है और मैं जानकारी दे रहा हूं जिस प्रकार के लोग हैं, कोटा में इतना बड़ा दंगा होता है। कब्रिस्तानों में बम मिलते हैं हथियार मिलते हैं और वे लोग हमारे को बम काण्ड में लिप्त होना बताते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं, यह पुलिस के पास सारे तथ्य हैं, जांच में आये हैं कि कब्रिस्तान में किस प्रकार का असला मिला है। यह रिकार्ड में है।

(श्री मदन दिलावर)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस, प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि आर. ए. सी. साम्प्रदायिक हो गयी है, (व्यवधान) .. आर. ए. सी. के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना शर्मनाक है। हमारा जो रक्षा कवच है, जिसने प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है उसके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना ...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण क्या है? आर. ए. सी. का स्पष्टीकरण मंत्रीजी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पूछ रहा हूं। माननीय दिलावर जी बिराजिये अब आप

श्री मदन दिलावर : यह माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप हैं, जितनी भी शिकायतें हैं उन सबकी जांच करवाई जाय। मैं दोषी हूं तो मेरे को जितना बड़ा दण्ड दिया जा सकता है उतना दिया जाना चाहिए। मैं इस के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंहजी।

श्री जुबेर खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री जुबेर खां : एक आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगाया है। हर बात की वकालत करना जरूरी है क्या आपको? (व्यवधान)....कोई आरोप नहीं है। क्या आरोप लगाया है? (व्यवधान).... कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऑन ए पाइण्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं। (व्यवधान)... इन्होंने आरोप लगाया है। (व्यवधान)...अपनी बात कह देंगे। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, प्लीज। क्या आरोप लगाया है? इन्होंने बोल कर कह दिया। इन्होंने बोल कर उसी समय कह दिया। हर बात को आप तूल देते हो माननीय कल्ला साहब।

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, अगर नहीं लगाया है तो आप एक्सपन्ज करवाइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो एक तरफा कार्यवाही हो जायेगी।

श्री जुबेर खां : या तो एक्सपन्ज करवाइये वरना मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, कोई एक्सपन्ज नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं?

श्री जुबेर खां : मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई 3 बंदे, मैं तो कतई नहीं जानता इन्होंने कहा है कि मेरे घर पर हैं। पुलिस यहां बैठी है जाकर के जांच

(श्री जुबेर खां)

करा लें कभी भी और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से, आपके बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, मेरे सारे जीवन के इतिहास की इंक्वायरी करवा लीजिए और इनका करवा लीजिए जिसको आप दोषी मानें उससे कह देना कि राजनीति बहुत कर ली घर बैठ जाओ क्योंकि हमारा इतिहास यह नहीं रहा है मुख्य मंत्रीजी आप जानते हैं। आप ऐसे लोगों पर लगाम लगाइये कि मेव जाति जैसे लोग जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उनके लिए आप अनर्गल बातें करते हैं। आपके बैठे होते हुए। आप जांच करा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप स्पष्टीकरण दे चुके ठीक है। माननीय श्री जगजीत सिंह।

श्री जुबेर खां : आप सी. आई. डी. की जांच मंगवा लीजिए पता चल जायेगा किस ने बम काण्ड करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंह।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 16, पुलिस पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जिस तरह हमारे मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह शेखावत की स्वच्छ छवि है ठीक उसी तरह से.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कहा वही तो बोल रहे हैं यह।

श्री किशनाराम : कह रहे हैं कि वह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनारामजी बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों फिकर कर रहे हो मेरी तारीफ हो रही है होने दो।....(व्यवधान)....

श्री जगजीत सिंह : ठीक उसी तरह इस सरकार में बैठे मंत्री व विधायकगण को भी अपने कार्य-कलापों का, जो आज हम कर रहे हैं उसमें भी हमें को स्वच्छ रहना है। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसी वर्ष 26 फरवरी को मेरा एक तारांकित प्रश्न था। मैंने गृह मंत्रीजी से यह सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल प्रशासन किशनगढ़ ने लैक्चरर्स कॉलोनी के लिए नगर परिषद द्वारा विक्रय की गयी भूमि से अनाधिकृत अतिक्रमण किया? दूसरा, क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, अजमेर व उप जिलाधीश, किशनगढ़ ने अपनी-अपनी जांच रिपोर्ट में इसे अतिक्रमण माना है? यदि हां, तो उपरोक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

इस तरह के मैंने 4-5 प्रश्न पूछे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खेद होता है कि जिस तरह पुलिस डण्डे के जोर पर मुजरिमों से अपने माफिक बयान दिलाती है ठीक उसी तरह से हमारे गृह मंत्रीजी को धमका कर के इस सदन में

(श्री जगजीत सिंह)

गलत बयानी करवाई है। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा। आप गृह मंत्रीजी की सुरक्षा करें। मैंने जानकारी मांगी थी, कि कलक्टर एस. डी. ओ. और नगर परिषद की क्या रिपोर्ट थी। इन सब तथ्यों को, जो रिपोर्ट के जो कागज इस सदन में उपलब्ध हुए हैं मुझे, शायद इनको गृह मंत्रीजी ने पढ़ा नहीं होगा मगर पुलिस से भयभीत होकर के इन्होंने पहले सवाल का तो यह जवाब दिया, सन् 1950 से पी. टी. एस. का भौतिक कब्जा है। मेरा दूसरा सवाल था कि हमारे यहां एक सार्वजनिक तालाब ग्राऊण्ड है उस तालाब ग्राऊण्ड पर भी पुलिस ने अतिक्रमण कर लिया है। उसका जवाब था कि इस पर प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फोटो खेंच कर लाया हूं वहां से, पूरे तालाब में पानी भरा हुआ है। इनके दो थम्बे गढ़े हुए हैं और एक मात्र यह कहते हैं कि साहब, हमारा प्रशिक्षण कार्य शुरू है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन-सी नयी तकनीक लगाई है पुलिस विभाग ने जो पानी के ऊपर प्रशिक्षण करवा रहे हैं? मैं तो गृह मंत्रीजी आप से यह उम्मीद करता था कि, मैं माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदीजी का आभारी हूं जब मैंने यहां सड़कों का प्रश्न उठाया था तो उन्होंने यह कहा था कि माननीय सदस्य के साथ जाकर के मैं स्वयं मौका देखूंगा अगर वहां पर सड़क नहीं मिली तो अधिकारियों को दण्डित करूंगा, आपका भी यही जवाब होना चाहिए था। माननीय गृह मंत्रीजी, आपको तो अच्छी तरह से याद होगा, कि हमारे यहां गणगोर के मेले हुआ करते थे और वहां पर पोलो खेला करते थे, आपभी खेला करते थे। क्या उस वक्त पी. टी. एस. था?

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को, जो स्पेसिफिक चर्चा कर रहे हैं उन्हें कह ही दूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, वह मैं नहीं जानता पर आप स्वयं मुझे से मिले हो। मैंने खुद ने आपसे कहा है कि मैं जानता हूं सारी परिस्थितियां और इस मामले को भी। इसको दुबारा निश्चित रूप से देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे पर इस बात के लिए विश्वास रखें। आगे का पुलिस का सुझाव हो तो ठीक है....

श्री उपाध्यक्ष: फिर से आपके किशनगढ़ की पुरानी यादगार को ताजा कर रहे हैं।

श्री जगजीत सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने मुझ से यह जरूर कहा था कि मैं पत्रावली मंगवा रहा हूं। अब आपकी पत्रावली किस एजेंसी से मंगवाई जायेगी? पुलिस नहीं देगी तो क्या कर लेंगे? पुलिस ने जिस तरह आप से यह गलत बयानी करवा दी, अब मैं छोड़ता हूं, गृह मंत्रीजी ने जो कहा मैं उसको स्वीकारता हूं मगर मैं यह चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को गलत सूचना जिन अधिकारियों ने गृह मंत्रीजी से दिलवाई है मैं समझता हूं कि सदन की अवमानना है, मैं इस सदन का प्रोटेक्शन चाहूंगा, साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी प्रोटेक्शन चाहूंगा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है नगर परिषद संशोधन अध्यादेश के तहत,

(श्री जगजीत सिंह)

उन लोगों को 3 महीने की सजा होनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

अनेक माननीय सदस्य : हम आपके साथ हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्कुल साथ हैं।

(4.00 म. प.)

श्री जगजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 1990 में एक प्रश्न उठाया था इसी लेक्चरर कालोनी का। किस्सा, झगड़ा यहां से शुरू होता है, सन् 67-68 के अन्दर नगरपालिका ने तहसील से 32 बीघा 15 बिस्वा जमीन के लिये एक लेक्चरार कालोनी बनाने के लिये एस डी. ओ किशनगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। एस. डी. ओ किशनगढ़ ने तहसीलदार को आदेश देते हुए कहा, 32 बीघा 15 बिस्वा जमीन नगरपालिका को उपलब्ध करायी जाय लगान का बीस गुणा जमा करा कर। उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका ने लगान का बीस गुणा जो बनता है 220 रुपया, जमा कराकर, जिसकी रसीद भी इसके अन्दर है इसके साथ है, 220 रुपये जमा करा कर उनके नाम नामान्तरकरण खुला। नामन्तरकरण खुलने के बाद नगर नियोजन ने इस कालोनी को काटा। फिर 67 से लेकर 71 तक यह कार्यवाही चलती रही। अगर पी. टी. एस. का कब्जा होता तो कभी कभी कहीं दरख्वास्त तो देते यह। मैंने 1990 में एक प्रश्न उठाया था, क्या यह सही है कि नगरपरिषद किशनगढ़ द्वारा यज्ञ भवन के आसपास आवासीय भूखण्ड बेचे गये थे ? यदि हां तो कितने व्यक्तियों को ? इसमें यह लिखा है, यह सही है कि नगरपरिषद् किशनगढ़ द्वारा यज्ञ भवन के आसपास 47 लोगों को आवासीय भूखण्ड वर्ष 66-70 के बीच नीलामी द्वारा विक्रय किये गये थे, जिनके पट्टे भी जारी कर दिये गये हैं। विक्रय किये गये भूखण्डों का वर्ष, राशि व क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है था, क्या यह भी सही है कि बेची गई गयी भूमि पर पी. टी. एस. द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो नाजायज अतिक्रमण को नगरपरिषद् क्यों नहीं हटा रही है ?

इसका जवाब था, नगरपालिका द्वारा इस विक्रय की गयी भूमि पर वर्ष 1986 के आसपास पी. टी. एस ने तारंदार कांटों की बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर ने कुछ भूखण्ड क्रेताओं द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना पर उन्होंने दिनांक 5-5-90 को उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को हटाने के आदेश दिये हैं। कलक्टर ने अतिक्रमी माना। एस. डी. ओ. यह कहते हैं, मैं दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं, कलक्टर ने एस. डी. ओ. से रिपोर्ट मांगी तो एस. डी. ओ. ने यह रिपोर्ट दी....

श्री उपाध्यक्ष : आप माइक के पास रहिये बहुत दूर हैं, माइक के पास रहिये।

श्री जगजीत सिंह : उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़, कलक्टर को जवाब देते हैं कि उक्त भूमि पर इनका कब्जा कभी भी नहीं था। इनके द्वारा बदनीयतीपूर्ण धीरे-धीरे कब्जा किया गया। बदनीयतीपूर्ण। इनका कहना है कि हम सन् 50 से काबिज हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर यह 50 से काबिज थे तो इन्होंने कहीं कोई प्रार्थना पत्र दिया एस. डी. ओ किशनगढ़ को, जिलाधीश अजमेर को कि हमको यह जमीन दी जाय। जिस दिन मैंने प्रश्न लगाया 1990 में, उस दिन एक प्रार्थना पत्र जाता है कि हमको भूमि उपलब्ध करायी जाय। तो कलक्टर ने कह दिया कि यह तो आलरेडी बिक चुकी है, हम इसको उपलब्ध नहीं करा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यह 47 लोगों का सवाल है। कुछ फोटोज मैं और लेकर आया हूं घ्रुपद विलास, यह कोठी स्वर्गीय महाराजा साहब ने पी. टी. एस. को दी थी जिसकी पक्की चारदीवारी बनी हुई है। उसके आगे भी कांटों की बाढ़ लगादी। इस तरह करके तत्कालीन आई जी, ट्रेनिंग शंकर शरण और तत्कालीन कमाण्डेंट रामजीलाल शर्मा, इन दोनों ने जो भूखण्ड-धारी थे उनसे सौदे शुरू कर दिये कि अगर यह हटवाना है अतिक्रमण तो पैसे ले आओ। फिर मैंने यह प्रश्न उठाया। अब मेरे को समझ में नहीं आता, गृह मंत्रीजी भी इस बात को मानते हैं कि यह अतिक्रमण है, एस. डी ओ. भी मानता है कि यह अतिक्रमण है, किशनगढ़ की जनता भी यह मानती है कि यह अतिक्रमण है। मैंने एक कटमोशन लगा रखा है, गृह मंत्रीजी, आप इसका जवाब देंगे। अगर आपने कोई कार्यवाही नहीं की तो मजबूरन मुझे किशनगढ़ की जनता का सहयोग लेना पड़ेगा और मैं उस अतिक्रमण को हटाऊंगा। वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति अगर खराब हो गयी तो उसके जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे, आपका डी जी ट्रेनिंग होगा, कमाण्डेंट पी. टी. एस. होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात भी समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह फोटोज सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रासिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-16 पर यह सदन विचार कर रहा है। केवल अकेले पुलिस के ऊपर करीब दो सौ करोड़, दो सौ करोड़ से कुछ थोड़ा सा ही कम है, इतनी राशि की मांग की जा रही है। इस बात से सारा सदन परिचित है कि जिस देश और प्रदेश में अमन और चैन नहीं होगा वह देश और प्रदेश न आर्थिक प्रगति कर सकता है और न वह देश किसी भी क्षेत्र के अन्दर अपने नये आयाम ही स्थापित कर सकता है। इसलिये नितान्त आवश्यकता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाय। पुलिस विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट बड़ी निराशाजनक है। यद्यपि कहने को राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है और पुलिस विभाग ने भी जो अपनी प्रगति रिपोर्ट दी है उसमें उसने स्वीकार किया है, कहा है

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कि-हमारा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रहा और यह स्थिति संतोषजनक रही है। लेकिन जो आंकड़े दिये गये हैं पुलिस विभाग के द्वारा, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट आंकड़ों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि 1990 में जहां एक लाख तीन हजार 228 अभियोग दर्ज हुए थे, वहां 1991 में बढ़कर एक लाख 13 हजार 670 अभियोग दर्ज हुए हैं। कहने को तो दस पर्सेण्ट की बढ़ोतरी है लेकिन कितने ही मुकदमें तो ऐसे होते हैं जहां एफ. आई. आर. लोग लाज कराने के लिये जाते हैं लेकिन एफ. आई. आर. लाज होती नहीं है थाने वाले करते नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नजीरें दूंगी जहां एफ. आई. आर. दो-दो महीने बाद या तो गृह मंत्रीजी की दखलंदाजी से लाज हुई है या एस. पी. की दखलंदाजी से एफ. आई. आर. लाज हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलवा हो, चाहे नकबजनी हो, चाहे चोरी हो, चाहे बलात्कार हो, जितने भी अपराध हैं उन सब अपराधों के अन्दर 1990 से लेकर 1991 तक लूट में 18.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार के अन्दर 10.82% की बढ़ोतरी हुई है, दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जितने भी अपराध हैं, सब अपराधों के अन्दर बढ़ोतरी हुई है। यह क्या इंगित करता है, किस बात का संकेत देता है, इसके जरिये मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

पुलिस विभाग ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर बड़ा सन्तोष जाहिर किया इस बात पर कि कुल मिला कर 21 करोड़ 26 लाख की कुल सम्पत्ति की चोरी हुई थी उसमें से 14 करोड़ 49 लाख 21 हजार रुपये की चोरी को बरामद कर लिया गया है। सात डकैतों को मार गिराया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सात डकैत मार दिये गये एक साल के अन्दर और पुलिस विभाग बड़े जोर शोर से इसका ढिंढोरा पीटे हमने डकैत मार गिराये। तो यही यदि उपलब्धि है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहती हूं, जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, इसमें 27 केसेज ऐसे हैं जिसके अन्दर पुलिस ने लिखा है। यह जयपुर शहर में मोती डूंगरी थाने के ऊपर धारा 457, 380 का मुकदमा दर्ज हुआ उसमें पुलिस ने क्या किया ? अमुक जगह क्या किया ? राजस्थान तो बहुत बड़ा है। एक लाख 13 हजार अभियोग जहां दर्ज हुए हैं वहां 27 केसेज को बड़ा चढ़ा कर आप यह कह दो बैंक-डकैती हुई और बैंक डकैती में या पैट्रोल पम्प लूटने गये थे, हमने दो अभियुक्तों को पकड़ लिया, यह तो मैं समझती हूं, कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हरिजन महिलाओं से बलात्कार की संख्या बढ़ी है आपकी खुद की रिपोर्ट के मुताबिक। हरिजनों के साथ होने वाले अभियोग में चालान तो जरूर हुए हैं.... आगे उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या प्रगति हुई, यह भी बहुत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ निश्चित तौर से आकृष्ट करना

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

चाहूंगी कि दहेज के मामले में जो हत्याएं होती हैं और उन हत्याओं के ऊपर इतने लम्बे समय तक कुछ नहीं होता है तो एक प्रश्नचिह लग जाता है पुलिस के ऊपर। गृह विभाग पर भी लग जाता है। मैंने उठाया था यहां पर जोधपुर के सूरसागर का जिसमें जांच एक के बाद चार-चार बार बदल दी गई। इसका स्पष्ट मतलब है कि वह परिवार पहले भी एक महिला को, अपने घर की एक महिला को पहले मार चुका है। मारने के बाद इस केस के अन्दर चार बार जांच बदलवाने का मतलब यह है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके खिलाफ जांच होने जा रही है, रिपोर्ट उनके खिलाफ दी जायेगी, तभी जाकर के वह किसी न किसी से मिल मिलाकर और चार बार अपने इस केस की जांच को चेंज करवा लिया। तो मैं चाहूंगी कि इन मामलों के एक निश्चित अवधि होनी चाहिए कि जिस निश्चित अवधि के अन्दर इन केसेज के निपटा हो, तभी यह दहेज से होने वाली हत्याएं और आत्महत्या, दहेज से चाहे हत्या हो, चाहे आत्महत्या हो, कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। हत्या आप स्वयं करते हो, आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाता है परिवारजन परेशान करते है तभी जाकर लड़की आत्महत्या करती है। तो इन मामलों के अन्दर एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने अपनी इस प्रगति विवरणिका में कहा है हमने टूर्नामेंट करवाये, हमने अमुक खेलों में भाग लिया, यहां भी टूर्नामैण्ट कराये, भई कितने मैडल जीतकर लाये, कहीं विजेता भी रहे क्या? यह तो मेंशन किया नहीं, तो पैसा खर्च कर दिया उससे तो कोई मतलब नहीं निकलता, आप कोई कीर्तिमान स्थापित करिये। कहीं जाकर आप मैडल लाइये, कहीं जाकर आप विजेता होइये, तब तो कोई मतलब निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन निश्चित तौर से करना चाहूंगी, गृह मंत्रीजी आप थोड़ा ध्यान दें। इस समय यह व्यवस्था है पुलिस में जो लोग मुठभेड़ में, या किसी के साथ संघर्ष करते हुए जो लोग मारे जाते हैं, चाहे डाकुओं के साथ मुठभेड़ हो, चाहे कोई आन्दोलन के अन्दर, मुठभेड़ के अन्दर मारा जाये, पुलिसकर्मी जो मारे जाते हैं, उसके वारिस को, उसके घरवालों को सहायता कोष से आप 15 हजार रुपया देते हैं। मैं समझती हूं कि अपनी ड्यूटी में तैनात आदमी को यदि डाकुओं के साथ, या इस तरह से संघर्ष में मारा जाता है तो 15 हजार रुपया बहुत कम है, इस अमाउण्ट को तो आपको निश्चित तौर से बढ़ाकर एक लाख रुपये करना ही चाहिए। ड्यूटी के दौरान, वह चूंकि ड्यूटी फुल है, अपनी ड्यूटी के दौरान मारा जाता है, इस 15 हजार रुपये से कुछ नहीं होता है। इसके साथ ही साथ अब मैं कुछ नजीर आपको निवेदन करना चाहूंगी, मैं चाहती तो नहीं थी कि कुछ ऐसे केसेज के अन्दर इस मंच का उपयोग करूं लेकिन जब कुछ होता नहीं है तो निश्चित तौर से करना पड़ता है। 1990 के अन्दर पिलानी में एक ऋषिराम नामक अध्यापक को 2 जून, 1990 को कोई सीताराम हैं जो उनके जान पहचान के हैं,

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

उन्होंने निम्बाहेड़ा बुलाया. कोई उनका आपस का लेनदेन था कि भई यह मेरे 20 हजार रुपये दो, उन्होंने कहा कि आप यहां आ जाओ मैं आपको रुपये दे दूंगा। 2 जून को वह वहां से गये। जब वह लौटकर 9 जुलाई तक नहीं आये तो अध्यापक थे, 7 जुलाई, को स्कूल खुले। उन्होंने कहा, 8 जुलाई को नहीं आये तो, उनके भाई सूरजगढ़ पंचायत समिति के दूधवा ग्राम पंचायत सरपंच हैं। पिलानी निर्वाचन क्षेत्र से दूधवा एक पंचायत है, उसके सरपंच हैं तो वह निम्बाहेड़ा गये और 9 जुलाई को निम्बाहेड़ा गये, वहां जा कर उन्होंने 10 जुलाई को केस रजिस्टर करवाया कि इस तरीके से मेरा भाई यहां आया था। सीताराम से पूछा कि भई वह कहां है तो सीताराम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरे यहां से तो वह नीमच चले गये थे, यहां चले गये, मुझे नहीं पता कहां गये, तो उन्होंने केस रजिस्टर कराया कि मेरा भाई इनसे मिलने के लिए आया था और उसके बाद मेरे भाई का कोई पता नहीं है। निम्बाहेड़ा के थाने में उन्होंने केस की रिपोर्ट दर्ज करायी। एस. पी. से मिले, डी. आई. जी. से मिले आई. जी. से मिले और डी. आई. जी. से भी मिले और अंत में उस समय के तत्कालीन जो गृहमंत्री थे उनसे मिले। जब कुछ नहीं हुआ तो यह विभाग आ गया मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्रीजी को जाकर भी गुहार की कि इस तरह से मेरा भाई लापता है, आज दिन तक कोई पता नहीं, भई संतोष कर लें यदि यह पता लग जाये कि मर गया तो वैसे संतोष कर लें। न तो यह पता लग पाता है कि वह कहां है और न ही यह पता लग पाता है कि वह मर गया, लापता है, तो आप जानते हो कि लापता होने पर घरवालों को कितनी चिन्ता होती है, इस बात की। मैंने वर्तमान में जो गृहमंत्रीजी हैं, जब वह लोग मेरे पास आये तो मैंने आपको चिट्ठी लिखी, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है, गृहमंत्रीजी मुझसे नाराज तो अवश्य होंगे, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि मेरी चिट्ठी को इन्होंने एक्नोलेज ही नहीं किया। मुझे कम से कम यह तो लिखते कि इस संबंध में आपकी चिट्ठी प्राप्त हुई है, मैं कुछ कार्यवाही करूंगा, तो मैं यह समझती कि जन प्रतिनिधि के नाते मैंने अपना जो कर्तव्य किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया, लेकिन मेरी चिट्ठी को एक्नोलेज ही नहीं किया, क्या कार्यवाही की ? दो साल से लापता है और उधर पुलिस विभाग यह कहे कि अपराधों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी है, जनसंख्या की बढ़ोतरी है, कुछ आजकल के सामाजिक मूल्यों की वजह से है और इसमें 10 प्रतिशत अपराध बढ़ गये, मैं समझती हूं यह कहना मानवीय दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नहीं है। इसी तरीके से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, चिड़ावा के अन्दर एक सीताराम सोमानी ने अपने मकान की देखरेख के लिए प्रहलाद राय सैनी को नियुक्त कर रखा था. सीताराम सोमानी तो जयपुर में रहते हैं और जयपुर आ गये। उन्होंने वहां अपने मकान की देखरेख के लिए नियत किया था। 30.10.91 को उन्होंने कहा कि हम आपके यहां काम नहीं करेंगे, इस

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

लिए पांच रुपये के स्टाम्प के ऊपर उन्होंने लिखकर दे दिया कि मेरा हिसाब-किताब कर दिया और अब आप इस काम के लिए किसी और को नियुक्त कर दीजिए। मैं जा रहा हूं और यह कहकर लिखकर लिखा पढ़ी करा ली और सब कुछ हो गया। सीताराम सोमानी जयपुर आ गये, तो पीछे से वही पहलाद राय सैनी और उसका लड़का संजय सैनी, दोनों ने जाकर उस मकान का ताला तोड़कर मकान से सामान गायब कर दिया और मकान पर कब्जा कर लिया। जिस आदमी के पास सीताराम सोमानी की पावर आफ एटार्नी थी, वह गये, उन्होंने कहा यह क्या, मुझे यह मकान संभालना है, देखना है क्या सामान है? क्या नहीं है? उन्होंने कहा आप कुछ नहीं हैं। वह थाने में रिपोर्ट में दर्ज करवाने के लिए, थानेदार चिड़ावा ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। गृह मंत्रीजी इन सब बातों को आप नोट करो। चिड़ावा के थानेदार ने एफ. आई. आर. लोज नहीं की, उन्होंने कहा सीताराम सोमानी, जिसका मकान है वह जब आयेगा, तब ही हम एफ. आई. आर. लॉज करेंगे। सीताराम सोमानी यहां से गये, उन्होंने वहां जा कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी सबको मालूम है संजय सैनी और प्रहलाद राय सैनी उस मकान में बैठे हुए हैं। सामान गायब कर दिया, तीन कमरों के ताले तोड़ लिये लेकिन यह पुलिस उस मालिक को, न तो चोरों को बुलाया, न उनसे तफ्तीश की, न कोई माल बरामद किया और कुछ नहीं किया। क्या समझा जाये इससे। मैं एक और निवेदन आपसे कर देना चाहती हूं कि यह उदाहरण आखिर इस तरह से क्या हमें सोचने को मजबूर करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी जयपुर के अन्दर एक म्यूचूअल हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी है ग्राम नांगल जैसा बोहरा नामक ग्राम में। गुलाब कंवर पत्नी हनुमानसिंह से खसरा नम्बर 830, 831 और 832 1975 में 105 सदस्यों ने एक म्युचुअल हाउसिंग कोपरेटिव सोसाइटी के जरिये जमीन खरीदी थी। वह जमीन जो थी उन्होंने 1982 को जरिये अकाऊंट पेई चैकों के पूरा भुगतान करके बेचाननामा और कब्जानामा नोटेरी पब्लिक से तसदीक करा कर उन सदस्यों ने ले ली। दस सदस्यों ने तो मकानात बना लिये और बाकी 35 लोगों ने उस जमीन के ऊपर अपने पुख्ता डंडे बना लिये। मार्च 82 में नियमानुसार इन लोगों ने कनवर्शन चार्जेज जमा करा दिये और रूपांतरण अधिकारी जयपुर के यहां रुपये जमा होने पर रूपांतरण अधिकारी ने 24-6-85 को तहसीलदार तो कृषि भूमि रूपांतरणकरण जयपुर था, उन्होंने इस भूमि का उनको कब्जा दे दिया। इसी आधार पर जे. डी. ए. जयपुर ने भूमि का नक्शा पास कर दिया और वहां पर एक 100 फीट चौड़ी कोलतार की सड़क का निर्माण कर दिया लेकिन 29-10-91 को एक माफिया ग्रुप क्या काम करता हैं यहां पर? उस माफिया ग्रुप ने 27 लोगों के डंडे तोड़ दिये और जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पत्थर इकट्ठे कर लिये, इसकी सूचना दी गई थाने में, 30-10-91 को संबंधित थाने

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

में इसको रिपोर्ट दर्ज करवायी लेकिन जिन लोगों के डंडे तोड़े थे आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। वह लोगों आपस में मिले और उन्होंने वापस पत्थरगढ़ी करवायी और पत्थरगढ़ी करवाकर 10, जिन लोगों के डंडे टूटे थे 12 लोगों ने वापस उस जमीन पर अपने डंडे बना लिये। यह....

श्री दिग्विजय सिंह (गृहमंत्री): कौन-सा थाना, थाने का नाम क्या है ?

एक माननीय सदस्य : चिड़ावा ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अभी बता देती हूं। चिड़ावा नहीं है, जयपुर है, जयपुर है। जयपुर की बात है। थाना भी बताती हूं। तसल्ली से सुनो, थाना भी बता रही हूं। पुलिस स्टेशन बता रही हूं ना। जब 30-10-1991 को संबंधित थाने में दर्ज रिपोर्ट करायी, जिन लोगों के डण्डे तोड़े गये थे उन लोगों ने डण्डें अपने बनवाने के लिये पत्थरगढ़ी करायी और 10-12 लोगों ने अपने डण्डें वापस बना लिये। 25-12-1991 को यह माफिया ग्रुप आया बन्दुकों से लैस होकर के, जान से मारने की धमकी देकर के और यह कहा कि यह कहा कि यह जमीन हमारी है, हमने इसे लिया है। यह जमीन हमारी है यह कहने वाले कौन लोग है एक का नाम राजेन्द्र सिंह राठौड़ और एक का नाम हैं सुरेन्द्र सिंह राठौड़। यह दोनों जाकर के वहां पर उन्होंने उस जमीन के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया।

एक माननीय सदस्य : राजेन्द्र सिंह राठौड यहां वाले क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्रीमती सुमित्रासिंह : वह लोग, मेम्बर लोग तो बताते हैं कि यही राजेन्द्र सिंह राठौड हैं लेकिन मैं सोचती हूं यदि वह होंगे तो कह दें कि मेरी कोई जमीन नहीं है या मैं नहीं हूं।....(व्यवधान).... उन्होंने तो यही बताया लेकिन मैं सोचती हूं कि यदि वह यहां होते तो वह कहते कि मैं राजेन्द्र सिंह राठौड़ नहीं हूं कोई और राजेन्द्र सिंह राठौड होगा। इसलिये मैंने उनके नाम के साथ उप सचेतक नहीं कहा हैं।

एक माननीय सदस्य : वह अपने कक्ष में होंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी आवाज सभी कमरों में जा रही है इसलिये यदि वह चिन्तित हैं कि वह बदनाम न हो तो कहीं से भी आ सकते हैं और आकर स्पष्टीकरण दे सकते हैं अपना।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह देंगे कभी भी आकर।....

श्रीमती सुमित्रासिंह : हां, कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई संबंध नहीं है न उन्होंने इंगित किया है, आप क्यों सम्मिलित कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सुरेन्द्र सिंह राठौड है,

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

यह अपने आपको देवीसिंहजी भाटी के निजी सहायक बताते हैं। मुझे नहीं मालूम वह है कि नहीं लेकिन सोसाइटी के लोगों ने यह कहा है। उन सोसाइटी वालों को जब डराते हैं तो कहते है क्या समझते हो मैं देवीसिंह भाटी का निजी सहायक हूं, यह कह कर डराते हैं। यह जमीन ज्यादातर उन लोगों की है वह या तो व्यापारी वर्ग के हैं या कुछ सैनी बन्धुओं की है जो उन बन्दुकों को देखते ही भाग जाते हैं वहां से। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रही थी कि 3-1-1992 को इस माफिया ग्रुप ने बने हुये डण्डे दुबारा तोड दिये, दुबारा तोड दिये, पहली बार नहीं दुबारा तोड दिये और इसकी रिपोर्ट 6-1-1992 को दर्ज करायी लेकिन कोई कार्यवाही आज दिन तक नहीं हुयी।

इस जमीन के ऊपर एक करणीसिंह राठौड है जो वी. के. आई थाने में इन्चार्ज है। उन्होंने इसी जमीन के ऊपर प्लाट नम्बर एक और प्लाट नम्बर दो, दोनों के डण्डे को ऊंचा करके क्वार्टर बना लिया और उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुयी और थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस केस के अन्दर एफ. आर. लगाने की सिफारिश की गयी क्योंकि वह थानेदार है। लेकिन सिफारिश जो की गयी आज दिन तक कोर्ट ने उसे कबूल नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं खत्म कर रही हूं आप चिन्ता न करें। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना....

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री): थाने का नाम भी बता दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : थाने का नाम तो वी. के. आई है, विश्वकर्मा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : आप जो चाहते हैं वह थाना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वी. के. आई. विश्व कर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, थाना है। इसलिये जहां हम कहते है, अब तक तो हम यही सुनते थे कि "सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का"। जब खुद ही उसका कोतवाल है तो कोतवाल को डर किस बात का होना चाहिये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही मेरी बात कहती हुई कि पुलिस विभाग को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जनता के अन्दर विश्वास जगाने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व डी. जी. यही कहते थे कि इन थानों को मन्दिर बनवाऊंगा मैं। उनका सपना तो अधूरा रह गया। मन्दिर के बजाय यह तो रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। इसलिये मुझे डी. जी. साहब से तो नहीं लेकिन गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना है कि गृह मंत्रीजी 200 करोड़ रुपया आप अकेले पुलिस के लिये मांग रहे है आपके कारागार के विषय में तो मैं बोल ही नहीं पायी। तो 200 करोड़ रुपया केवल आप गृह विभाग के पुलिस के मद में हमसे ले रहे हो और 200 करोड़ रुपया लेकर राजस्थान की जनता की जान-माल को सुरक्षित

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

नहीं रख सकते तो मैं क्या बताऊं। मैं तो इस मंच का उपयोग मेरे लिये नहीं करना चाहती, थाने की नाक के नीचे मेरे घर के सामने से मेरे घर मेरी जीप चोरी चली गयी और आज दिन तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा कि कहां गयी, क्या हुआ कुछ पता नहीं लगा। थाने के सामने से जीप गई और थाने ने F.R. लगा दी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बीमा आदि का मिल गया....

श्रीमती सुमित्रासिंह : बीमा का अभी तक कुछ नहीं लिया। तो थाने के सामने मेरे घर के अन्दर से मेरी जीप चोरी चली गयी। यह तो हाल प्रिवेलेज्ड पर्सन्स का है।....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब का तो स्कूटर चला गया।

एक माननीय सदस्य : आपकी चोरी क्या हुई, चन्दनमल जी बैद की चोरी करवादी इन्होंने तो।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि जब प्रिवेलेज्ड पर्सन्स का यह हाल है, एम. एल. ए. तो प्रिवेलेज्ड पर्सन्स में से है, उपाध्यक्ष महोदय। जब प्रिवेलेज्ड पर्सन्स का यह हाल है तो राजस्थान की आम जनता का तो भगवान ही मालिक है। इस पुलिस और इस गृह विभाग के जरिये राजस्थान की जनता अमन और चैन से नहीं रह सकती इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीचन्दजी मेहता।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के संबंध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं और एक जेल के संबंध में, सभी का एक साथ में, मैं पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने बार्डर के कुछ इलाके को सील कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से और ऐसा पाइंट जो मेरे इलाके का है, मेरी तहसील का है जहां पर गुजरात की सीमा पाकिस्तान की सीमा और जालौर जिले में सांचौर तहसील की सीमा लगती है और उस सीमा की तरफ से असामाजिक तत्वों का आजकल आना जाना शुरू हो गया है। आज दिन राजस्थान की पुलिस ने इस बात की चेष्टा नहीं की कि इस जगह को भी सुरक्षित रखा जाय। मैं गृह सचिव जी जो हमारे जिलाधीश भी रहे हुये हैं, उन्होंने इस पाइंट को देखा है मगर जब बाड़मेर और जैसलमेर का प्रश्न आता था उस वक्त में सांचौर के प्रश्न को गौण कर दिया जाता था मगर आजकल जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वह इस इलाके के होने से ज्यादा सम्भव है। अगर समय रहते हुए इस इलाके की तरफ नहीं देखा गया तो निकट भविष्य में क्योंकि यह इलाका ऐसा है, पैदल आदमी आ जा सकता है, दलदल का इलाका है, घोड़ों से आदमी आ जा सकता है। तस्करी की मैं एक मोटी बात बताऊं, 490 बिस्कट की तस्करी सांचौर में चार रास्ते पर पकड़ी गयी। जिस जगह पर पुलिस चौकी लगाना चाहते हैं, चार रास्ता वह है। एक तो डिफेन्स रोड, नेशनल हाई वे नम्बर-15

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

जो बाड़मेर से गुजरात को जाती है, एक सांचौर से रानीवाड़ा को क्रोस करती है। वह चार रास्ता ऐसी जगह पर है जहां पर शराब का अड्डा भी है और तस्कर लोग आये दिन वारदातें करते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने ताजा रखना चाहता हूं। विदेशी पर्यटकों ने आजकल जैसलमेर से आबू रोड़ जाने के लिये बाडमेर होकर सांचौर रोड जाने का रास्ता पकड लिया है। एक विदेशी पर्यटक कपल के साथ था, दिन के चार बजे का समय था और उस औरत के साथ में असामाजिक तत्वों ने, जिनको पुलिस ने गुण्डा एक्ट के तहत जिले से बाहर करने के आदेश कराये मगर क्या मालूम जिले से बाहर क्यों नहीं हुऐं। इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता। मगर मैं आपको इस प्रकार से विदेशी पर्यटकों के साथ में इस प्रकार की घटना घटे और उस हाल में हमारी सरकार तो क्या हमारा देश भी बदनाम होगा कि जहां इस प्रकार कपल की सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित चाहता हूं। इसके भी कारण हैं। आज जो पुलिस के पास प्रशासन चलाने के लिये व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक तरफ तो आबादी बढ़ी, जुर्म बढ़े, चोरियां बढ़ी, असामाजिक तत्वों की गुण्डा गर्दी बढ़ी, आना जाना बढ़ा और उस नफरी को ध्यान में रखते हुऐं पुलिस ने अपना वही पुराने केडर के अनुसार व्यवस्था कर रखी है। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह अपने केडर को बढ़ायें, स्टाफ को बढायें। आज स्टाफ आपके पास वही और वारदातें दिनों दिन बढती जा रही हैं मेरे इलाके के अन्दर कोई महीना ऐसा खाली नहीं गया हो जिसमें 4-5 कत्ल नहीं हुये हों। कभी कत्ल भी धारण कर लें, कभी पुलिस वाले उस आदमी की आत्म हत्या बता देते हैं। इस प्रकार से नफरी पूरी न होने के कारण इस प्रकार की वारदातें बढती हैं।....

मैं यह चाहता हूं कि चार रास्ते पर क्योंकि चार रास्ते से पुलिस स्टेशन एक किलोमीटर दूर है। कोई भी घटना घटे और सूचना देना चाहे तो। किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस को सूचना दे सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जालौर जिले के पुलिस अधीक्षक और कलक्टर ने लिखा है कि चार रास्ते पर पुलिस चौकी होनी अति आवश्यक है। माननीय डी. जी. साहब ने पहले यह स्वीकार किया था कि हम चौकी लगायेंगे। मगर क्या परिस्थिति वश एक प्रश्न के जवाब में मुझे कहा कि हम पुनः सर्वेक्षण कराते हैं। डी. आई. जी ने इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं भेजी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चार रास्ते पर पुलिस की चौकी लगायें क्योंकि जितना आवागमन बसों का होता है, पैदल लोग उतरते हैं, शाम को उतरते हैं तो घर जाना मुश्किल हो जाता हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं हैं। इसलिए वहां पर पुलिस की चौकी लगायेंगे।

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

तीसरा, अनुसंधान में देरी होती है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आपके यहां पर आई. जी. बड़ा है या एडीशनल एस. पी. बड़ा है। एक अनुसंधान सी. आर. नं. 35, 36, 37, 36 जो 88 की घटना है, सांचौर पुलिस स्टेशन की लाखों रुपये के गबन का मामला दर्ज हुआ। मुकदमे का अनुसंधान हुआ। उसमें विधान सभा के अन्दर 28-3-90 को राजस्थान के गृह मंत्री ने विश्वास दिया कि दो महीने के अन्दर इसका रिजल्ट दे दिया जायेगा। इन्वेस्टीगेशन शुरू हुआ। फाइल वापस सी. आई. डी. ने मंगवा ली। उसने इन्वेस्टीगेशन कराया। उस समय आई. जी. थानवी साहब थे उन्होंने इन्वेस्टीगेशन करके चालान का आर्डर किया। चुनाव के दिन आये पुनः फ़ाइल मंगवा ली गयी। फाइल मंगवाने के बाद चार महीने गड्ढे में पड़ी रही। फिर वापस मघोक साहब ने इन्वेस्टीगेशन करके चालान के आर्डर दिये। इमीजियेट चालान पेश किया जाय चालान पेश करने के लिए कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट से वारण्ट जारी हो गये। चार्ज शीट तैयार हो गयी। उसके बाद अदम तामील वारण्ट पेश हुए और दुबारा फाइल मंगवाकर एडीशनल एस. पी. को तफ्तीश के लिए दे दिया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब दो-दो आई. जी. ने चालान के आदेश दे दिये, कोर्ट ने चालान के वारण्ट ले लिये, उसके पश्चात् फाइल मंगाकर एडीशनल एस. पी. को दे दी। वह बड़ा है या आई. जी. बड़ा है। इस बात पर आपको विचार करना पड़ेगा। आई. जी. के आॅर्डर होते हुए चालान नहीं हो रहा है।

मैंने आपको स्टाफ की बढ़ोतरी के लिए निवेदन किया मैं माननीय गृह मंत्रीजी से और आई. जी. से अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं उस स्थल पर जाकर देखियेगा। जहां पर पाकिस्तान और सांचौर का इलाका मिलता है वहां आपकी चैक पोस्ट नहीं है। चैक पोस्ट लगाने लायक नहीं है लेकिन कुछ दूरी पर व्यवस्था करके वह लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब लोगों ने रास्ता बदल लिया है और इधर से आना जाना शुरू हो गया है इसलिए आपकी चैकिंग ज़बरदस्त नहीं होगी तो यह और बढ़ेगी। इसके लिए आपको थानों में व्हिकल देने पड़ेंगे और स्टाफ भी बढ़ाना होगा। इतना पैसा आप बजट में मांगते हैं हम बजट को तो स्वीकार करते हैं और सहमति प्रकट करते हैं पर साथ ही साथ सुझाव देते हैं कि आप इस व्यवस्था को सुधारें और पुलिस को सशक्त बनायें अच्छे अफसरों को बॉर्डर पर रखा जाय।

जेलों के बारे में भी सुझाव देना चाहता हूं। जेल के बारे में भी मेरा कट मोशन है। जेलों के अन्दर जो कैदी हैं उनको समय पर पे-रोल नहीं मिलता है जो उनका राइट है, अधिकार है, जिलाधीश महोदय, अपनी इच्छानुसार 6–10 महीने में कमेटी करते हैं तो यह व्यवस्था गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। जो पे-रोल लेने का हकदार है उन्हें यदि समय पर पे-रोल मिल जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था जेल विभाग को करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

न लेते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सी. ग्रार. नम्बर 35, 36, 37, 38 पर जल्दी से जल्दी चालान करायें या यह कहिये कि ग्राई. जी. इण्टेलीजेंस सी. ग्राई. डी. इन कोम्पीटेण्ट है फिर ए. एस. पी. से इन्वेस्टीगेशन कराते हैं तो मुझे ग्रापत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैयालाल मीणा.... (ग्रनुपस्थित)

माननीय डाक्टर चन्द्रभान.... (ग्रनुपस्थित)।

माननीय कालीचरण सराफ (व्यवधान)

मेरा क्रम टूट जाता है। ग्रा जायेगा, ग्रा रहा है इसके बाद ग्रापका ग्रा रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : डाक्टर चन्द्रभान नहीं है तो प्रोफेसर केदार साहब बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सदन में मांग संख्या–16 पुलिस के ऊपर जो चर्चा हो रही है उस पर मैं ग्रपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह बात निश्चित रूप से सबको माननी होगी कि देश के ग्रन्य प्रान्तों की तुलना में राजस्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था निश्चित रूप से सन्तोषजनक रही है। ग्राज यदि हम बिहार, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब इनकी कानून व्यवस्था से यदि राजस्थान की कानून व्यवस्था की तुलना करें तो निश्चित ही हमको लगेगा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बहुत ग्रच्छी ग्रौर सन्तोषजनक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रगति विवरण में बताया गया कि जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 की ग्रवधि में जितने मुकदमे प्रदेश में दर्ज हुए उसमें से 80.85 प्रतिशत मुकदमों में चालान कोर्ट में पेश कर दिये गये हैं। इसी प्रकार से चोरी के मामलों में जितने मुकदमे दर्ज हुए यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसमें 69.09 प्रतिशत मामलों में सम्पत्ति बरामद कर ली गयी। निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस्यु उन्मूलन में भी प्रदेश में पुलिस ने बड़ी सक्रियता से कार्य किया ग्रौर उसका परिणाम है कि डकैतों से 11 मुठभेड़ हुई। 7 डकैतों को मार दिया गया ग्रौर 105 को गिरफ्तार किया गया ग्रौर काफी मात्रा में हथियार ग्रौर गोली बारूद बरामद किया गया।

इसी प्रकार से ग्रवैध हथियारों के मामले में निश्चित रूप से पुलिस ने जो कार्य किया वह प्रशंसनीय है। 571 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया 583 हथियार बरामद हुए ग्रौर 1266 कारतूस जिसमें से 574 कारतूस विदेशी थे को पुलिस ने बरामद किया। यह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। राजस्थान में पिछले एक साल में साम्प्रदायिक सौहार्द भी बहुत ग्रच्छा रहा, ग्रच्छे तरीके से कायम रहा। माननीय

(श्री कालीचरण सराफ)

उपाध्यक्ष महोदय, भारत पाक सीमा पर अपराधिक गतिविधियों पर भी इस नयी सरकार के आने के बाद प्रभावी अंकुश लगा है। 691 व्यक्तियों को भारत से पाकिस्तान जाते हुए और 189 व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारत आते हुए पकड़ा गया 22 मुठभेड़ें हुई। 57 व्यक्ति मारे गये, 36 करोड़ 33 लाख का तस्करी का सामान पुलिस के अधिकारियों ने बरामद किया। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार और पुलिस के अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आतंककारी गतिविधियों पर भी प्रभावी रूप से अंकुश लगाया गया। 80 खतरनाक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। 23 मारे गये। निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही से आज जो आतंककारी सीमा पार करते थे और हथियारों की सप्लाई करते थे उसमें निश्चित रूप से गिरावट आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आज यदि हम पुलिस के वेतनमानों की बात करें तो हम देखेंगे कि सरकार के जो अन्य कर्मचारी हैं एल. डी. सी., यू. डी. सी. आदि उनसे यदि पुलिस के कर्मचारियों के वेतन की तुलना करें तो निश्चित रूप से पुलिस के वेतनमान बहुत कम है। आज राज्य के अन्य कर्मचारी संगठित होकर आन्दोलन करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं परन्तु पुलिस चूंकि एक अनुशासित विभाग है, इसके कर्मचारी आन्दोलन नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जिसके ऊपर प्रदेश की कानून और व्यवस्था का जिम्मा है उसके बारे में सरकार को उदारतापूर्वक सोचना चाहिये और उनके वेतनमानों में वृद्धि करनी चाहिये।

इसी प्रकार से आप किसी भी थाने में चले जायें वहां यदि पुलिस की मैस में जो खाना बनता है उसको हम देख लें, मुझे अनुभव है एक बार मैं बजाज नगर थाने में एक काम से गया था, तो वहां पुलिस के दो-तीन कर्मचारी खाना खा रहे थे, तो वह खाना यदि आप देख लें तो अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। तो वह पुलिस कर्मी उस प्रकार का खाना खाते हैं इसके बारे में भी सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये। अच्छे खाने से पुलिस कर्मियों की तन्दुरुस्ती बढ़े इस बारे में सरकार को सोचना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के थानों में सामग्री का बड़ा अभाव रहता है। कोई व्यक्ति अगर एफ. आई. आर. दर्ज करवाने जाता है तो वहां कागज नहीं रहते, तो पुलिस के कर्मचारी कहते हैं कि भैया जरा पांच कागज ले आना, तो मैं आपकी एफ. आई. आर. दर्ज करूं। रजिस्टर नहीं रहते। कम से कम इतने महत्वपूर्ण महकमे के लिए मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, थानों में सामग्री की समुचित व्यवस्था रहे, इस बारे में सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से चुनकर आया हूं, इसलिए जयपुर के बारे में दो-तीन सुझाव आपके माध्यम से राज्य सरकार को देना चाहूंगा। जयपुर शहर की जिस तरीके से जनसंख्या

(श्री कालीचरण सराफ)

बढ़ रही है और जिस तरीके से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आज मालवीयनगर, मानसरोवर, जवाहर नगर, विद्याधर नगर आदि कालोनीज आपर जयपुर से दस-दस, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर हैं परन्तु आज थानों की कमी होने के कारण, सर्किल पर्याप्त नहीं होने के कारण यहां पर अपराधिक गतिविधियां बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में कम से कम दस नये थाने और पांच सर्किल इस वर्ष और खोले जायें तो निश्चित रूप से जयपुर के थानों की व्यवस्था में सुधार आ सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है यहां पर वी. आई. पीज. आते रहते हैं। कभी प्रधान मंत्री आते हैं, कभी राष्ट्रपति आते हैं, कभी गवर्नर कहीं दौरे पर जाते हैं तो मैंने यह देखा है कि जब भी कोई वी. आई. पी. जयपुर में आते हैं तो पुलिस के एस. पी., एडीशनल एस.पी. डिप्टी और इन्चार्जेज यह सारे उनकी ड्यूटी में लग जाते हैं। सब थाने खाली हो जाते हैं और उस पीरियड में यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो मेरा यहां पर एक स्पेशल वी. आई. पी. सिक्योरिटी स्क्वैड राज्य सरकार को बनानी चाहिये जिससे जब भी कोई वी. आई. पी. आये तो थानों की व्यवस्था में कोई दिक्कत न हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा, आज जयपुर शहर की दस लाख से ज्यादा आबादी है। आज हिन्दुस्तान के बड़े शहरों की तरफ यदि हम देखें तो जहां भी दस लाख से ज्यादा आबादी है वहां पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था है। वहां पर पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू है। परन्तु जयपुर शहर में यह व्यवस्था लागू नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी इस प्रणाली को लागू करने का सुझाव केन्द्र और राज्य सरकारों को दिया है। आज कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस के अधिकारियों को मैजिस्ट्रीयल पावर मिल जायेगी, जनता के प्रति उनकी जवाबदारी होगी। सैक्शन 107, 109 और 110 के छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला करने का अधिकार पुलिस के अधिकारियों को मिल जायेगा। आज कोई आदतन अपराधी है, कोई गुण्डा तत्व है, यदि शहर में कमिश्नर व्यवस्था लागू होती है, तो उनको शहर से निकालने का या उनको गिरफ्तार करने की पावर पुलिस अधिकारियों को मिल जायेगी, यह दोहरी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। आज कहीं पुलिस किसी को पकड़ना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेस से उसकी पावर लेनी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

होती है। आज अगर कमिश्नर व्यवस्था यहां पर लागू हो तो निश्चित रूप से जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बढ़ेगी और प्रभावी रूप से अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाने पर कामयाब होगी। आज हिन्दुस्तान में जहां-जहां भी कमिश्नर की व्यवस्था है चाहे वह दिल्ली है, चाहे कलकत्ता है, चाहे बम्बई है वहां पर यह व्यवस्था बड़ी सफलता पूर्वक और सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से, राज्य

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि वह अपने जवाब में यह बतायें कि जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था करने का विचार राज्य सरकार रखती है या नहीं रखती है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्रभान जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 व 17 पर विचार और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति से मांग संख्या 16 व 17 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 16 व 17 के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

डा. चन्द्रभान जी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और जेल की मांगों पर विचार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह करूंगा और सुझाव देना चाहूंगा कि पुलिस जो एक अनुशासित फोर्स है उसकी विश्वसनीयता बहुत तेज गति से घटी है और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पुलिस को संवेदनशील बनाया जाये और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया जाये। राजस्थान चूंकि एक सीमावर्ती राज्य है और यहां पर आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ रही है इसलिए भी पुलिस का पुनर्गठन और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। इस बार बजट में 11 करोड़ रुपया री-आर्गेनाइजेशन के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए रखा गया है। मेरी राय में यह बहुत कम है। गांवों के पुलिस थानों के लिए 80 अतिरिक्त जीपों की व्यवस्था की गई है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां तीन थाने हैं और एक थाना मण्डावा तो सबसे पुराना थाना है जो सन् 1950 से है। तीनों ही थानों में पुलिस की जीप की कोई व्यवस्था नहीं है। तो 80 जीपों से पूरे राजस्थान भर में पुलिस थानों को और पुलिस फोर्स को सुदृढ़ किया जाना सम्भव नहीं है, अपर्याप्त है। जो प्रगति विवरण मुझे मिला है उसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है। गृह मंत्रीजी, आपने जो केसेस का नम्बर बताया है कि दस प्रतिशत केसेस ज्यादा रजिस्टर हुए हैं जिसकी वजह आपने आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन भी बताया है और ज्यादा पंजीयन भी होते हैं और आपने यह भी कहा कि पुलिस बहुत सक्रिय है—लेकिन 1991 में 1,13,617 और फिर 1991 में 1,03,228 दर्शाया है। मुझे यह प्रिन्टिंग त्रुटि दिखती है लेकिन इस तरह के आप प्रतिवेदन भेजें तो करेक्ट करके भेजने चाहिये। पुलिस के बारे में वैसे भी राय अच्छी नहीं है। अब यह दस प्रतिशत केसेस बढ़े हैं। इसको तो

(डा. चन्द्रभान)

मंत्रीजी मानते ही नहीं हैं, यह तो आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के कारण बढ़े हैं या पुलिस बहुत सक्रिय और संवेदनशील है। ऐसी बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश में पिछले एक साल में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। चाहे हत्याओं का सवाल हो, चाहे चोरियों का सवाल हो, लूटपाट की घटनाओं का सवाल हो, डकैतियों का सवाल हो, चाहे वह सड़क दुर्घटनाओं का सवाल हो या दहेज हत्याओं का सवाल हो, महिला अत्याचार का सवाल हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पर अत्याचार का सवाल हो।

जयपुर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा दो ही ऐसे मामले हैं जिनकी नज़ीर काफी होगी, गृह मंत्रीजी आपकी पुलिस और आपके विभाग की असफलता के लिए। पंकज सिंघवी हत्याकाण्ड और कृष्णा यादव हत्याकाण्ड। 6 महीने और 5 महीने का समय हो गया, आप कहेंगे, आप इसको रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि राजधानी में इस तरह के मुकदमों की आप ढंग से तफ्तीश नहीं कर पाये। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाये हैं। मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में, मैंने यहां पर एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था आपने उसका जवाब भी दे दिया, 1 मार्च को विक्रमसिंह की हत्या हुई और आज 23 मार्च हो गई, कोई भी उस हत्या में गिरफ्तार नहीं हुआ है जबकि तीनों हत्यारे नामजद हैं।

(4.50 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। यह केवल झुन्झुनू जिले की चर्चा नहीं, राजस्थान भर की यही स्थिति है। कुल मिला कर कानून और व्यवस्था बिगड़ी है। थानों तक में मौतें हुई हैं। देवाराम की मौत हुई जोधपुर में और उस मामले में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का सवाल है मैं आपके सामने स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जब नागौर के दंगों की यहां चर्चा हुई थी, आपने समूचे सदन को आश्वस्त किया था कि होली का त्यौहार अमन-चैन के साथ मनेगा, पूरी पुलिस फोर्स को, प्रशासन को सक्रिय कर दिया जाएगा। इसके बावजूद, सभापति महोदय, राजस्थान के एक तिहाई जिलों में साम्प्रदायिक हिंसा चली, जातीय संघर्ष बढ़ा, लूटपाट हुई, आगजनी हुई, लोगों की सम्पत्ति नष्ट की गयी और 142 लोग घायल हुए। अभी भी टोडारायसिंह और मोरोली, भरतपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैंने नागौर के समय भी माननीय गृह मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस में उच्च स्तर पर न केवल निष्क्रियता है बल्कि अनुशासनहीनता बढ़ रही है और पुलिस का कम्युनलाइजेशन हो रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा था। उस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि पुलिस की डिमाण्ड हो तभी मैं मेरी बात कहूं।

(डा. चन्द्रभान)

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 12 मार्च, 1991 को भीलवाड़ा में गोलीकाण्ड हुआ। रतनलाल सैन और सुरेश जैन उस गोलीकाण्ड में मारे गये। आप स्वयं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि वहां पर उस परिस्थिति में गोली चलाना आवश्यक था और पुलिस प्रशासन का कदम सही था। यह आपका इस सदन में कथन है। उस गोली काण्ड में 37 लोगों के खिलाफ न केवल मुकदमे बने बल्कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 31 लोगों को कोर्ट से जमानत पर छोड़ा गया। छः लड़कों की, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, पुलिस थाने में जमानत हुई। रामबल्लभ शर्मा उस समय एस. पी. थे, उनको राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अब मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 12 मार्च, 1992 को वहां पर एक शहीदी सम्मेलन हुआ, जिसमें लोग तो सौ-डेढ़ सौ ही थे—भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आर. एस. एस. के लोग थे, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग थे और बजरंग दल के लोग थे। उन्होंने एक शहीदी पार्क का अनावरण कर दिया....

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : आप पहले क्यों आये मन्त्रिमण्डल में जब आपको मालूम था कि आर. एस. एस. वाले बदमाश होते हैं ?

डा. चन्द्रभान : हम मन्त्रिमण्डल में आये थे तो वह जनता का फैसला था। क्यों आये क्यों हटे, यह बात कई बार यहां डिस्कस हो चुकी है। हम इसलिए आये थे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल....

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपका कोई पता बताओ कि कौनसे दल में हो आज ?

डा. चन्द्रभान : हम तो जनता दल में हैं। यह फैसला सभापति महोदय करेंगे, अध्यक्ष महोदय करेंगे। माननीय मंत्रीजी इण्टरवीन कर रहे हैं, सभापति महोदय, आपका इससे क्या मतलब है ? यह तो बहुत पुरानी बात हो गयी। अब मैं किसके दल में हूं या नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी बात जो सही है कहने दीजिए आप।

श्री सभापति : डाक्टर साहब, आप चालू रखिये।

डा. चन्द्रभान : आप सत्ता पक्ष के सदस्यों को कहिये। सही-सही, खरी-खरी बातों पर जब मैं आ रहा हूं तो आप बीच में ही। जरा रुकिये, जरा सुनिये तो सही। आपकी सरकार के चलते पुलिस प्रशासन में क्या हो रहा है, जरा उसकी जानकारी तो पूरी रखिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : पहले पता नहीं था।

डा. चन्द्रभान : जानकारी तो मुझे पहले भी थी। ऐसी क्या बात है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने तो कल ही एक थानेदार से पैसे वापस लौटवाये हैं।

डा. चन्द्रभान : कैसी आपकी पुलिस है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सारी बातें अखबार में पढ़ते हो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अखबार में नहीं, मेरे पास लोग भी आते हैं। मैंने चुनाव भी लड़ा था वहां से।

डा. चन्द्रभान : यह समय काउण्ट नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं भीलवाड़ा के सम्बन्ध में कह रहा था आपको। 12 मार्च, 1992 को शहीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। जिन चार संगठनों की मैंने चर्चा की वे रतनलाल सैन और सुरेश जैन को शहीद मान सकते हैं। और मैंने भी, सभापति महोदय, 15 मार्च, 1991 को जब भीलवाड़ा गोली काण्ड पर चर्चा हुई थी, कहा था कि पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। मैंने उसकी निन्दा की थी, विरोध किया था। इस सदन में दो सदस्य थे, जिनमें से मैं एक था। लेकिन मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि पुलिस का गोली चलाना जायज था, सही था। इसके बावजूद 12 मार्च को जो शहीदी सम्मेलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद, आर. एस. एस. और बजरंग दल के लोग उसमें शामिल हों। उन्होंने चाहे गलत ही किसी पार्क का या स्थल का नाम शहीदी पार्क या शहीदी स्थल रख दिया, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन आब्जेक्शनेबल बात यह है कि भीलवाड़ा का वर्तमान पुलिस अधीक्षक अनिल खन्ना वहां पर न केवल कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए मौजूद था बल्कि अनिल खन्ना मंच के ऊपर एक वक्ता के रूप में भी मौजूद था। सभापति महोदय, उन्होंने सुरेश जैन और रतनलाल सैन के चित्र के ऊपर माल्यार्पण कर उनको शहीद कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा उस सम्मेलन को सम्बोधित किया। सम्बोधन में यह कहा कि 12 मार्च, 1991 को भीलवाड़ा में जो गोली काण्ड हुआ था वह गलत था, वह नहीं होना चाहिए था। जो लोग निर्दोष हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, मैंने फाइल मंगवा ली है मैं उनका चालान नहीं करूंगा। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि वह गोली काण्ड सही था, गोली चलाना जरूरी था और आज भीलवाड़ा का पुलिस अधीक्षक अनिल खन्ना वहां पर बाकायदा मंच पर सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है, जिसको भीलवाड़ा के एक हजार से ज्यादा लोगों ने सुना है, जो अखबारों में छपा है। माननीय गृह मंत्रीजी के पास बाकायदा सी. आई. डी., इण्टेलिजेंस से टेलेक्स आया है 13–14 मार्च को और उन्होंने मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब भी दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का एक सीनियर आफिसर, जिले का एस. पी. जब महिमामण्डित करेगा, उस समय के एस. पी. ने जो गोली चलाई थी उसको गलत साबित करेगा और कहता है कि मैं इनके खिलाफ चालान पेश नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, 6 मार्च, 1992 को भीलवाड़ा के कोतवाल ने एस. पी. से परमिशन ली और 37 लोगों को कोर्ट में बाकायदा पेश करने के खिलाफ चालान पेश करने की बात कही। लेकिन एस. पी. ने पहले साइन किये हैं, अनडेटेड

(डा. चन्द्रभान)

हैं वे साइन और आज तक उनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया गया है। सभापति महोदय, जब पुलिस के एस. पी. रैंक के आफ़िसर इस तरह किसी दल विशेष के साथ जुड़ जाते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अनुशासनहीनता बरतते हैं और पुराने एस. पी. के समय जो गोली काण्ड किया गया, जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम एफ. आई. आर. में हैं और जिनके खिलाफ भीलवाड़ा की पुलिस कोतवाल चालान पेश कर रहा है उनको बचाने का काम कर रहे हैं, उस पुलिस से आप कैसी उम्मीद रखेंगे ? कि उस पुलिस के चलते यहां का साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहेगा ? यहां के जातीय दंगे नहीं बढ़ेंगे ? यहां अमन-चैन और शान्ति बनी रहेगी ? यही वजह है कि होली के ऊपर भरतपुर में सवर्ण और जाटों का झगड़ा हुआ। गृह मंत्रीजी, आपको मालूम होना चाहिए कि मोरोली खुर्द में घटना दो दिन पुरानी है और चितकोरी में घटना दो दिन बाद की है। दोनों की दूरी भरतपुर से 15 किलोमीटर से भी कम है। दो बार दो दिन के अन्दर 15 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुर में, जहां पर डी. आई. जी. रैंक का आफिसर बैठता है, जहां पर एस. पी. पुलिस बैठता है, जहां पर कलक्टर बैठता है और सब अधिकारी रहते हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है। टोंक में दंगा हुआ होली के दूसरे दिन और फिर एक दिन बाद टोडारायसिंह में दंगा हो जाता है। सब कुछ पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण, लापरवाही के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, पुलिस का भाजपाईकरण होने के कारण, सम्प्रदायीकरण होने के कारण हो रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए, मैं केवल इस सरकार के लिए नहीं कहना चाहता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि इस तरह से पुलिस का उपयोग किसी दल विशेष के लिए किया जाता है और पुलिस के सीनियर आफिसर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, यह बहुत आब्जेक्शनेबल बात है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप जवाब दें तब स्पष्ट कीजिए, यदि अनिल खन्ना ने ऐसा किया है तो आपके पास क्या जवाब है ? मेरे पास स्पष्ट तथ्य हैं।.......(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)...... आपको अनिल खन्ना, चाहे वह कितना ही बड़ा आई. पी. एस. आफिसर हो, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, उसको सस्पैण्ड करना चाहिए और उसको तत्काल भीलवाड़ा से हटाना चाहिए।

इसी के साथ, समय का भी अभाव है, मैं आपके समक्ष इतना निवेदन और करना चाहूंगा पुलिस के सन्दर्भ में कि पुलिस का जितना बजट रखा गया है उसका 90 प्रतिशत तो अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर ही खर्च हो जाता है। केवल 10 प्रतिशत बजट बचता है उसमें शिक्षण का काम, प्रशिक्षण का काम, आधुनिकीकरण का काम, वाहनों की मेण्टिनेंस का काम और हथियार। एके-47 का मुकाबला कैसे करें ? इसके लिए बजट में अतिरिक्त संसाधन जुटाने चाहिएं। केवल वेतन-भत्तों पर पूरा पैसा खर्च हो जाता है, दूसरे सुधार कार्यक्रमों पर खर्च नहीं होता। गरीब कर्मचारी लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर माननीय गृह मंत्रीजी से कि

(डा. चन्द्रभान)

पुलिस के सिपाहियों के मैस भत्ते वगैरह में इस महंगाई के समय में आपको जरूर वृद्धि करनी चाहिए। उनकी वर्दी वगैरह में भी आपको मदद करनी चाहिए।

अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे वह आतंकवाद हो चाहे वह साम्प्रदायिक दंगे हों चाहे वह जातीय संघर्ष हो, आपको बड़ा सक्रिय रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए। यदि इस तरह की बीमारी प्रदेश में फैली तो यह पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जेल के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा काम आप एक ही कर दीजिए कि जेल में भोजन सामग्री में जो भ्रष्टाचार है उसको आप स्वयं जाकर देख लीजिए और दूर करा दीजिए। जेल जो शहरों के भीतर हैं इनको आप बाहर कर दीजिए। इसमें आपको कोई आर्थिक रूप से भी नुकसान नहीं होगा। जैसे बीकानेर की जेल है, इसको आपको बेच देना चाहिए। उसके बदले में दूसरी जमीन बाहर लेकर वहां पर जेल बनवा सकते हैं। जेल मैनुअल बहुत पुराना हो गया है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। और अन्त में, सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां दो साल पुरानी सैंक्शन है बिसाऊ थाने की बिल्डिंग, लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, वह होना चाहिये। तीन थाने हैं, तीनों में से एक पर भी पुलिस जीप की व्यवस्था नहीं है, जीप की व्यवस्था होनी चाहिये।

झुन्झुनू जिले में भी अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसलिये झुन्झुनू में एक एडीशनल एस. पी का आफिस भी होना चाहिये, नया पद आपको सृजित करना चाहिये। इसके साथ ही मैं पुनः आपको....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आपके एम. एल. ए. बनने के बाद में बढ़े होंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके सरकार में शामिल होने के बाद।

डा. चन्द्रभान : मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो भीलवाड़ा का मामला उठाया है, आप इसको गम्भीरता से लीजिये, कितना ही बड़ा पुलिस अधिकारी हो, आपको उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल।

श्री जीतमल जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं इसी से सम्बन्धित और कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा....(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये, मुझे डाक्टर साहब से कोई नाराजगी नहीं, इस मामले में मुझे और कुछ नहीं, (व्यवधान) पुलिस अधीक्षक श्री अनिल खन्ना वक्ता के रूप में मंच पर थे, उन्होंने गुण दोष की बात कही, उन्होंने कहा निर्दोषों को नहीं पकड़ा जायेगा। इससे अधिक कुछ नहीं कहा।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे पास वीडियो कैसेट है....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 6 मार्च को जब चालान पेश नहीं किये और 37 मुल्जिमों को हाजिर कर दिया कोर्ट में कोतवाल ने।

श्री जीतमल जैन : आप गुण दोष के आधार पर पकड़ें, मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन एस. पी. के बारे में जो कह रहे हैं बढ़ा-चढ़ा कर....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उसका तो पूरा वीडियो कैसेट गृह मंत्रीजी के पास आ गया। मैं कह रहा हूं कि 37 लोगों को चालान के लिये कोर्ट में पेश कर दिया 6 मार्च को, फिर 12 मार्च को क्यों फाइल मंगाने की बात करते हैं ? (व्यवधान) ... अनडेटेड सिग्नेचर्स हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज कानून व्यवस्था और प्रदेश में पुलिस का काम-काज किस तरह का रहा, इस पर चर्चा हो रही है। पहले तो मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे, विशेष तौर से उनके बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो, जैसी अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है, उसका भी आप जवाब दें।

सभापति महोदय, 28 मार्च, 1991 को करौली में कैलाश हरिचन्द महाजन के मकान में कुछ छात्र रहते थे। उनमें से एक छात्र राम गणेश मीणा भी उस मकान में रहता था और दो-तीन उसके साथी रहते थे। किसी बात को लेकर मकान मालिक और उनके बीच आपस में कुछ कहा सुनी हो गई और उल्टी सीधी बातें हो गई। उसको लेकर मकान मालिक कैलाशचन्द, हरिचन्द और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी वगैरह ने मिलकर 28 तारीख की सुबह रामगणेश को पीट-पीट कर मार डाला। वहां पर जो छात्र रहते थे, उन्होंने उसको बचाने की भरपूर कोशिश की। छात्र का पिता भी वहां पर रुका हुआ था, उसने हरिचन्द और कैलाश के पैरों में अपनी पगड़ी भी डाल दी कि इसको मत मारो, आप इसको छोड़ दें, यह मकान खाली कर देगा और दोबारा आपके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं होगी जिससे कि आपको कभी नीचा देखना पड़े।

सभापति महोदय, उस मकान में जो उसके साथी लड़के रहते थे (व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें न करेंगे माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : उन्होंने और मृतक के भाई ने थाना करौली में उसकी रिपोर्ट की परन्तु चार-पांच दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, केवल रिपोर्ट पर 174 की कार्यवाही करने के लिये थानेदार ने लिख दिया।

उसके बाद वे लोग जयपुर आये, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रभुलाल पटेल भी उनके साथ थे, मैं भी उनके साथ था हम माननीय गृह मंत्री

(श्री परसादीलाल मीणा)

के पास गये और सारी घटना उनको बताई। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद डी. आई. जी. भरतपुर को एक आदेश दिया :

यह एक गम्भीर मामला है और आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज न करना भी एक गम्भीर विषय है। आप तत्काल इस केस को दर्ज करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और थाना अधिकारी करौली से जवाब तलब किया जाये कि उसने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। कृपया इस पर तत्परता से कार्यवाही की जाकर वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करायें।

यह आदेश माननीय गृह मंत्रीजी का हैं 5 अप्रेल का। उसके बाद डी. आई. जी. भरतपुर ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : वह कागज ही दबा दिये।

श्री परसादीलाल मीणा : उसके बाद डी. आई. जी. भरतपुर ने, वह बहुत पैसे वाली पार्टी है, पता नहीं कितना पैसा दिया, लोग तो कहते हैं कि दस-बीस लाख के बीच में सौदा हुआ। अब गृह मंत्री के इतना स्पष्ट लिखने के बाद, अगर गृह मंत्रीजी चाहेंगे आपकी याद के लिये, तो मैं यह कागज भी उनको दे दूंगा क्योंकि यह आपके हाथ का लिखा हुआ है, वह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उनके साथ जो छात्र रहते थे, उन्होंने एम. जे. एम. करौली के यहां जाकर बयान करवाये, इस्तगासा पेश किया। एक छात्र, प्रकाशचन्द, जो उनके साथ रहता था, उसका बयान मैं गृह मंत्रीजी की जानकारी के लिये पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"28-3-1991 को मैं सुबह 5 बजे सो कर उठा था तो मैंने नीचे से रामगणेश की रोने चिल्लाने की आवाज सुनी। जिस पर मैं, वासुदेव और हरसहाय नीचे गये तो हमने देखा कि गीता व लक्ष्मी रामगणेश को चप्पलों से मार रही थी। जब हमने मारने का कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि मीना के छोरे ज्यादा बदमाश हो गए हैं। क्योंकि रामगणेश ने हरि की छोरी को एक पत्र लिखा था। फिर हमने कहा कि इससे मकान खाली करा लो। तब लक्ष्मी, गीता ने हमसे कहा कि हम तो इसे जान से मारेंगे। फिर लक्ष्मी और गीता दोनों रामगणेश को मारते हुए बाहर ले आये फिर कैलाश व लक्ष्मी ने रामगणेश को खम्भे से बांध दिया तथा कैलाश रामगणेश को पीटता रहा। हमने मना किया पर नहीं माने फिर थोड़ी देर बाद भी हरि मुनीम जी मौके पर आ गए। जिसको रामगणेश द्वारा लिखा पत्र कैलाश ने दिया। जिस पर हरि भी रामगणेश को मारने लग गया। फिर हमने गिर्राज से कहा कि रामगणेश को छुड़वाओ। हमने कैलाश व हरि से भी पीटने को मना किया तो उन्होंने यह कहा कि हम तो इसको जान से मारेंगे। फिर गिर्राज रुंडी वाले ने हरि और कैलाश के पैरों में अपनी पगड़ी डाल दी। फिर केवल मैंने छुरा कर देखा तो कैलाश लक्ष्मी,

(श्री परसादीलाल मीणा)

को कह रहा था कि कागज पेन लाओ तो रामगणेश से कुछ लिखवा लेते हैं। फिर हरि और कैलाश उसे घसीटते हुए कमरे में ले गये फिर हम अपने कमरे में आ गए। फिर घण्टे-डेढ़ घण्टे बाद हमें लक्ष्मी ने बताया कि रामगणेश मर चुका है। फिर हमने लक्ष्मी से मरने की बाबत पूछा तो उसने कहा कि अगर तुम ने किसी से कहा तो हम तुम्हारी भी यही हालत कर देंगे।"

उपरोक्त तरह के बयान तीनों छात्रों ने जो उसके साथ रहते थे, वासुदेव, गिरांज वगैरह ने एक जैसे बयान दिए हैं। उसके बाद भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए।

सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने इतनी कठोरता से डी. आई. जी. भरतपुर को लिखा फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? चाहे उसमें एफ. आर. दी जाती, चाहे निर्णय कुछ भी होता। एक तरफ सरकार कहती है कि थाने में जो भी आयेगा हम मुकदमा दर्ज करेंगे और हम तफ्तीश करेंगे। क्या इस सम्बन्ध में तफ्तीश हुई? जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो तफ्तीश कहां से होगी? यह पैसे वाले लोगों की हालत है। सभापति महोदय, उसके बाद गृह मंत्रीजी से हम 2–3 बार फिर मिले। इन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही हो रही है, मुकदमा दर्ज हो जायेगा, सब कुछ हो जायेगा। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मामले में आपकी पुलिस, आपका डी. आई. जी. इन्वाल्व है, उन्होंने बहुत पैसा भ्रष्टाचार के रूप में खाया है। डी. आई. जी. भरतपुर ने, उनको तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच कार्यवाही की जानी चाहिए कि मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? थानेदार का मामला नहीं है, डी. आई. जी. लेवल का मामला है। आप थानेदार की बात कह रहे थे कि थानेदार ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? डी. आई. जी. जब तक नहीं कहेंगे, तब तक मुकदमा दर्ज कैसे करेंगे? माननीय गृह मंत्रीजी ने डी. आई. जी. को सीधे आदेश दिए थे कि मुकदमा दर्ज करवायें। आप इस सम्बन्ध में डी. आई. जी. से लेकर नीचे एस. पी. और एस. एच. ओ. सबकी जांच करवायें और मेहरबानी करके इस मामले को सी. आई. डी. को रैफर करें जिससे लोगों में जो इस तरह की भावनाएं पैदा हो गई हैं कि सेठ ने पैसे देकर रामगणेश की हत्या के मामले को दबवाया है। मेहरबानी करके आप इस पर गौर करें आपके लिखे हुए आदेशों पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो राजस्थान के गृह मंत्री की क्या हैसियत रह जाती है। चपरासी, कान्स्टेबल के बराबर हैसियत नहीं रहती है। राजस्थान के गृह मंत्रीजी की यदि इस सम्बन्ध में आपने कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा आपसे निवेदन है गृह मंत्रीजी कि मेहरबानी करके सी. बी. आई. को आप यह मामला रैफर कर दें जिससे लोगों में पुलिस और प्रशासन के प्रति जो शंका पैदा हो गई है कि इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ, वह दूर हो।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी कान्स्टीट्यूएंसी के मामलों के सम्बन्ध

(श्री परसादी लाल मीणा)

मैं मेरे एक-दो एडजोर्नमेंट मोशन थे-कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में। आपने कह दिया कि चोरियों के माल की इतनी बरामदगी हो रही है, 1991 में इतनी चोरियों का माल बरामद हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी आपने इसी हाउस में कहा था कि लालसोट के जैन मन्दिर में जो चोरियां होती हैं उस पर हम रोक लगायेंगे और चोरी गई मूर्तियां बरामद करायेंगे। आपके कहने के बाद आज तक 4 या 5 बार जैन मन्दिर लालसोट में मूर्तियों की चोरी और जेवरातों की चोरियां हुई हैं। परन्तु आपने अपने प्रगति विवरण में कहीं भी यह नहीं बताया है कि यह बरामद हुई हैं। यह सारी राजस्थान की हालत है चाहे टोंक हो चाहे दूसरी जगह कहीं भी हो, सारी जगहों पर मन्दिरों में चोरियां हुई हैं उनमें आपने कितनी की बरामदगी अब तक की, कितने लोगों का चालान किया? कितने लोगों से बरामदगी की मूर्तियों की? आपने कह दिया कि चोरी का माल इतना हमने बरामद किया। मैं पूछना चहता हूं कि क्या आपने मूर्तियों की बरामदगी की? आज लोगों में मन्दिर की असुरक्षा की भावनाएं पैदा हो गई हैं। उसका कारण यह है कि आपका पुलिस प्रशासन रात को गश्त नहीं देता है, न इस तरह के लोगों की जानकारी रखता है, न इस तरह की इन्टेलिजेन्सी है, न आपको इस प्रकार के चोरी करने वाले गिरोह कौनसे है, कहां से यह लोग आते हैं इसकी जानकारी है। डकैत तकदीर से आपके हाथ लग जायं तो आप उनको पकड़ सकते हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, मानपुर थाने के मुकद्मा नम्बर 44/91 की ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस मुकद्मे में वहां के तत्कालीन सी. ओ. ने एफ. आर. दे दी है और एफ. आर. भी बहुत अच्छी दी है, कि इतना सख्त लिखा है कि आगे आकर कोई उस एफ. आर. को ओपन नहीं कर सके इसका पुख्ता इन्तजाम वह करके गए हैं। मैं आपको उस एफ आर. की अन्तिम लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा। "शकुन्तला की मौत अप्राकृतिक मौत है जैसा कि गवाहान कहते हैं कि गोहरा खाने से मरी है। फिर भी राख व हड्डियां वास्ते विष जांच एफ. एस. एल. भेजी गई है। एफ. एस. एल. से पोजिटिव रिजल्ट के बाद भी जुर्म बनना नहीं पाया जा सकता एफ. एस. एल. रिपोर्ट यदि पोजिटिव आ जायेगी जबकि इनके वृत्तअधिकारी कह रहे हैं फिर भी मुकद्मा नहीं बनेगा। जो डी. वाई. एस. पी. हैं इनके बारे में आपको कई बार कह चुका हूं। ऐसे कई मामलों में आप थाना लालसोट का मुकद्मा नम्बर 44/91 देख लीजिए, 43/91 देख लें, 109/91 देख लें और दूसरे जो 169 और या रामपुरा के मामले के सम्बन्ध में मैं आपसे मिला था, उसकी हत्या का मामला था उसको दुर्घटना का मामला दर्ज कर उस मामले को दबाने की कोशिश की और फिर जब हम लोग आपसे मिलने आये जब गांव के लोग पहले थानेदार के पास गए तो उन्होंने कहा कि गांव में इस तरह की पंचायत हुई है और यह कबूल कर लिया है कि साहब मैंने और मेरे लड़के ने मारा हैं उसके बाद में भी थानेदार उस पर कार्य-वाही नहीं करे, लोगों को राजधानी में

(श्री परसादीलाल मीणा)

आना पड़े और आपको हस्तक्षेप करना पड़े। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे सी. ओ. के चरित्र की जांच करवाएं कि ऐसे कितने मुकद्मों में अन्याय किया है जिनमें एफ. आर. लगा दी है कि एफ. एस एल. रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद भी इसमें मामला नहीं बनता है। और जब पोजिटिव रिपोर्ट आ जायेगी तो कैसे नहीं बनेगा ? उन्होंने जो इस प्रकार की एफ. आर. दी है उस सम्बन्ध में जिलाधीश दौसा को शिकायत की मृतका के पिता ने तो उसकी ए. सी. एम. बांदीकुई से जांच करवाई गई। उसमें यह पाया गया कि मौत विष खाने या गोहरा खाने से नहीं हुई है और ना ही किसी ने यह बताया है कि गोहरा फलां जगह खाया है, गवाहान ने यह बताया है। यह पूरी ए. सी. एम. बांदीकुई की रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें कहीं ऐसा नहीं बताया गया है और उसको रातों रात जला देना, जहर खाने या गोहरा खाने के बाद गांव वालों को बुलाते हैं, पीहर वालों को भी बुलवाते हैं, यों ही रात में जला नहीं देते हैं। आपके डी. वाई. एस. पी. जैसा कहते हैं वैसा ही आप मान लेते हैं।

सभापति महोदय, इस तरह के जघन्य अपराधों को दबाने के लिए पुलिस के अधिकारी अपनी ओर से पैसा खा कर और भ्रष्टाचार करके कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के मामलों में आप किस तरह से मानेंगे कि किसी मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है।

मैं आपके ध्यान में मुकद्मा नम्बर 259/88 थाना झोटवाड़ा लाना चाहता हूं। इस मामले में अनिल कुमार का लड़का था। उसका एक मित्र था। दोनों ही पार्टनरशिप में स्कूल खोलना चाहते थे, दोनों घूमने के लिए निकले। स्कूल का जब पैसा आया तो अरविन्द की हत्या करके रेलवे पटरी के पास डाल दिया गया। सभापति महोदय, दुर्घटना का मामला दर्ज हो गया। उस दिन ना तो रेलवे में किसी प्रकार की दुर्घटना की सूचना है, ना तो किसी प्रकार का उसका अंग-भंग हुआ। उसको केवल चोटें मारने से मौत हुई थी। उसकी जांच सी. आई. डी. सी. बी. से करवाई गई। सी. आई. डी. सी. बी. ने दुर्घटना का मुकद्मा नम्बर 174 में दर्ज किया गया 11/88 उसको तबदील करके मुकद्मा नम्बर 259/88 मुकर्रर किया गया। इसके जांच अधिकारी थे श्री जैनसिंह पुलिस निरीक्षक पुलिस सतर्कता जयपुर ने 20-12-88 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई उसमें उन्होंने एफ. आई. आर. में स्पष्ट रूप से माना है कि फलां लोग 302 में मर्डर के दोषी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाय और गिरफ्तारी के आदेश सी. आई. डी. सी. बी. के डाइरेक्टर जनरल थे उन्होंने आदेश दे दिए। आदेश देने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और उसको गिरफ्तार करके ले आये। गिरफ्तारी के बाद कागजों की, वहां पर राजस्थान लेवल के पुलिस अधिकारी का उस पर हाथ था, उसको गिरफ्तारी के आदेशों के कागजातों को रफा-दफा कर दिया गया। उस एफ आई. आर. के कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप समाप्त कीजिए।

श्री परसादीलाल मीणा : उपरोक्त तथ्यों में जुर्म धारा 303, 201 आई. पी. सी. को गठित होना पाया जाता है अतः नियमानुसार पुलिस थाना झोटवाड़ा में मुकद्मा दर्ज करवाये जाने के निर्देश प्रदान कराये। यह आपका जो इन्वेस्टिगेशन आफिसर था उसने आपको रिपोर्ट दी है। गृह मंत्रीजी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मुकदमें में क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? क्या किसी पुलिस के बड़े आफिसर का रिश्तेदार हो या उनका चहेता हो वह बच सकता है? पर आपको तो इन बातों का पता नहीं है. इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं है कि ऐसे मुकद्मों में क्या हालत हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सी. आई डी. सी. बी. आई. को यह मामला सौंपना चाहिए, क्योंकि यहां तो राजस्थान लेवल के पुलिस अधिकारी हैं वह कभी भी जांच होने नहीं देंगे। इस मामले में नामजद रिपोर्ट है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप समाप्त करें। 15 मिनट हो गए हैं।

श्री रामकरणसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, बहुत सीरियस मैटर है।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, बहुत सिरीयस मामला है। आप सुन तो लीजिए एक मिनट। माननीय गृह मंत्रीजी सुन रहे हैं, उनसे मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि इस मामले में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह दुर्घटना का मामला न होकर हत्या का है। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख लीजिए। आप सी. आई. डी., सी. बी. के इन्स्पेक्टर की एफ. आर. आई. देख लीजिए आपने एफ. आई. आर दर्ज करवा दी उसके बाद आज तक वह मुलजिमान क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? माननीय गृह मंत्रीजी जब आप अपना जवाब दें तब मुझे बतायें कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है। सभापति महोदय, इस तरह की राजस्थान पुलिस में जो आपा धापी, जो भ्रष्टाचार, जो इस तरह का भाई भतीजावाद, रिश्तेदारवाद इस तरह से पनप रहा है वह राजस्थान के लोगों की जान की रक्षा नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उसका पिता मेरे से मिला है। जो वर्तमान में इन्वेस्टीगेशन आफिसर है उसने उसकी पत्नी को जाकर धमकी दी है या तो अपने कागजात वापिस समेट लो, अपने बयान सही ढंग से कर दो नहीं तो इसके नतीजे उल्टे होंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि उस परिवार की रक्षा के लिए माननीय गृह मंत्री जी आप कोई पुख्ता इन्तजाम करें नहीं तो उस परिवार को जान से मारने का खतरा है।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब गृह मंत्री जी जवाब दें तो इन बातों को जो मेरे कट मोशन थे उनको स्पष्ट करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राठोड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति जी, मैं इस सदन में नहीं था पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने मेरा स्पेसिफिक नाम लेकर....

श्री यदुनाथ सिंह : आप थे नहीं,.... (व्यवधान) आपको सदन में रहना चाहिए, क्यों नहीं थे आप ....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मुझ पर यह आरोप लगाया है कि म्यूचुअल हाउसिंग सोसाइटी के बारे में मेरा नाम लिया है.... (व्यवधान)....स्पेसिफिक नाम लिया है.... मैं स्पष्टीकरण दूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप उनके सामने बोलना। नैतिकता का तकाजा है कि आप उनके सामने दें। सभापति जी, असल में उनको स्पष्टीकरण उनके सामने देना चाहिए ....(व्यवधान)....

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक)

श्री यदुनाथ सिंह : इनका नाम लिया ही नहीं था। समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय सभापति जी, इस सदन की वरिष्ठ सदस्या माननीय सुमित्रा सिंह जी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने म्यूचुअल हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर कब्जा करने में मदद की है। बड़ी पुरानी सदस्या हैं उनको आरोप लगाने से पहले जरा तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। अगर उनका यह आरोप सही है तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। या वह इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएं। जिस आदमी के साथ मेरा नाम जोड़ा है, जिस सुरेन्द्र सिंह के साथ मेरा नाम जोड़ा है उनसे, सभापति जी, मेरा 36 का आंकडा है। आप दूसरों के दामन पर छींटे लगाने से पहले आपको खुद का अपना दामन देखना चाहिए और सभापति जी, वन विभाग की अवैध जमीन पर खनन करने का काम माननीय सदस्या के लड़के करते हैं वह तो इनको नजर में नहीं आया और बेबुनियाद आधार पर इन्होंने आरोप लगाया कि मैंने जमीन का कब्जा करने में अवैध रूप से साझेदारी की है। इसलिए सभापति जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो कार्यवाही के अन्दर शब्द अंकित हैं इनको एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, बिराजिए।

माननीय श्री सांवरमल (अनुपस्थित)

माननीय श्री मदनलाल सैनी।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : सभापति महोदय, जब यह सरकार आई उस समय ऐसा लगा कि एक इस प्रकार की शांति और व्यवस्था को निगलने के लिए सुरसा की जो स्थिति बनी है एक नासूर इस प्रदेश में खड़ा हो गया, पुलिस प्रशासन ने उस नासूर को किस प्रकार से काटकर फेंका इसका ताजा उदाहरण पुरोहित जी के कटले में उस बम काण्ड को ब्लास्ट होने से पहले पकड़ कर पुलिस अधिकारियों ने जो सराहनीय कार्य किया। माननीय पिलानी से आने वाली सदस्या को मैं बताना चाहता हूं कि, एक कीर्तिमान स्थापित किया है इस सरकार के पुलिस के अधिकारियों ने कि जिस बम के ब्लास्ट हो जाने से दस हजार मकान क्षतिग्रस्त होते, हजारों लोग

(श्री मदनलाल सैनी)

मारे जाते, लाखों करोड़ों की सम्पत्ति तबाह हो जाती, इस प्रकार का काम करने वाले पुलिस अधिकारियों को और माननीय गृह मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जन-धन की रक्षा की।

सभापति महोदय, इसी प्रकार का कर्म काण्ड करने वाले लोगों को बम ब्लास्ट होता इससे पहले कोटा में पकड़ा गया, हनुमानगढ़ में पकड़ा गया, जैसलमेर के और क्षेत्रों में इस प्रकार की तस्करी का काम करने वाले लोगों को जिस प्रकार से पकड़ा गया उसके लिए पुलिस के लोग धन्यवाद के पात्र हैं ... (व्यवधान) .... बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। आपके विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको भी मौका मिलेगा पूरा, खूब बोलिये।

सभापति महोदय, नागौर के दंगे की बात हो रही थी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने पूरी सावधानी बरती उसमें बारातें थी, बारातों की कोई गलती नहीं थी और वहां पर स्वीकृति लेकर पुलिस के लोगों के साथ वहां बैण्ड चल रहा था। सौभाग्य की बात तो यह है कि साम्प्रदायिकता के आरोप लगाने वाले लोग पहले यह पता करते कि बैंड किन का था, जो बैण्ड था वह भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का था और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, वह भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने, वास्तव में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि वहां पर यह घटना, यह आदेश देना आवश्यक हो गया था। इस कारण से दिया गया। किसी भी समुदाय के मन में एक इस प्रकार का षडयन्त्र या पूर्व योजना बनाने की बात नहीं थी। शादी की व्यवस्था, शादी का मूहूर्त पहले से ही तय हो गया था। इस प्रकार का आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि पुलिस पर एक गलती है। हमारे मुस्तफा जी और हरीश जी कुमावत विधायक के प्रयासों से वहां शांति व्यवस्था बनी है।

सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि बदमाश लोगों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। इस प्रकार के लोग जो कार्यवाही करते हैं उनकी निन्दा करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जो सावधानी बरती उसके लिए पुलिस का धन्यवाद भी करना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले समय में राजस्थान की पुलिस ने जो कार्यवाही की है 36,33,09,342/- रुपए का जो तस्करी का सामान पकड़ा है, क्या पुलिस इसके लिए धन्यवाद की पात्र नहीं है? आतंकवादी और खालीस्तान का झण्डा फहराने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस ने सराहनीय काम नहीं किया? भीलवाड़ा में पेट्रोल पम्प लूटने वाले, कोटा में और जयपुर में जिन लोगों को पकड़ा और सराहनीय काम किया पुलिस ने। सभापति महोदय, गुरुद्वारों से हथियारों को बरामद किया गया। जो हथियार किसी की जान ले सकते थे इस प्रकार का काम पुलिस ने किया उसके लिए भी पुलिस बधाई की पात्र है और आतंककारी पकड़े।

मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने पुलिस के लोगों के खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई उनके खिलाफ कार्यवाही की, 132 लोगों को दण्डित किया गया, 42 लोगों को चेतावनी दी गई और 77 लोगों को वेतन वृद्धि से वंचित किया गया,

(श्री मदनलाल सैनी)

299 लोगों के विरुद्ध आज भी कार्यवाही चल रही है। पुलिस प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है।

आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पुलिस अच्छी से अच्छी सेवा कर सके, अपराधियों को पकड़ सके। इस काम के लिए 1584 लोगों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया और प्रमोशन क्षेत्र के कोर्स में 1205 लोगों को दिया गया, रिफ्रेसिंग कोर्स में 53 लोगों को दिया गया, विशिष्ट प्रशिक्षण 471 लोगों को दिया गया। राज्य के बाहर भी 193 लोगों को भेजा गया और इस प्रकार से विदेशों में इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर यहां नई टेक्नालोजी, नया तरीका वह लाए इसके लिए श्री राम जीवन मीणा, उप पुलिस महा निरीक्षक को इंग्लैण्ड भेजा गया। मान्यवर कमाण्डो का प्रशिक्षण देने के लिए भी 94 लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। 1992 की योजना में तीन हजार पुलिस आरक्षक दलों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण करने की योजना है, 1400 लोगों का आर. ए. सी. बटालियन के लोगों का है। इस प्रकार से 145 सीधी भर्ती वाले लोगों को भी प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है वह योजना बहुत उत्तम योजना है। जो नई जीपें खरीदकर थानों को दिये जाने की योजना बनाई गई है। वास्तव में जीपें बहुत कम हैं यह पर्याप्त नहीं हैं। इनको बढ़ाने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। नए वायर लैस सैट जो प्रभावी सैट हो, जो दूर तक समाचार दे सकते हों इस प्रकार के सैटों की आवश्यकता भी है।

सभापति महोदय, पुलिस को अधिक सक्रिय बनाने के लिए मेरे कुछ सुझाव भी हैं कि वर्तमान भवनों की मरम्मत करनी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। पुलिस कर्मियों की आवास की व्यवस्था के लिए नए आवासीय भवन बनाए जाने चाहिए। क्वार्टर्स बनाये जाने चाहिए। पुलिस काम कर सके इसके लिए ओवर टाइम या प्रोत्साहन राशि उनको देनी चाहिए। पुलिस थानों का पुर्नसीमांकन होना चाहिए। आज के जो पुलिस थाने हैं हैं उनके पुर्नसीमांकन की आवश्यकता है। सस्ती वर्दी के स्थान पर आज वास्तव में सूती कपड़ा पहनना सामान्य रूप से कम हो रहा है, वहां पर टेरीकोट की वर्दी पुलिस के लोगों को देनी चाहिए।

भ्रष्टाचार और पुलिस विभाग जो एक साथ विभाग हैं इन दोनों विभागों में चुस्ती लाने के लिए इनको अलग-अलग डिपार्टमेंट करना चाहिए। दो अलग विभागों में इसको बांटना चाहिए। स्टेशनरी की जो कमी है वह भी पूरी करनी चाहिए। पुलिस बल की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। नई प्रभावी योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सड़क दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं इसमें पुलिस कण्ट्रोल का दखल होना चाहिए। वास्तव में पुलिस आइडिल के रूप में इसको प्रयोग कर रही है। सावधानियां, चुस्ती और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काफी लम्बा ट्रफिक जाम हो जाता है। पुलिस

(श्री मदनलाल सैनी)

का आदमी वहां नहीं होता, ऐसे कानर्स तय हैं जहां ट्रफिक जाम होता है लेकिन पुलिस की वहां व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती। सड़कों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण से एक्सीडेंट रुके।

मान्यवर थानों में मुकदमें तुरन्त दर्ज होने की प्रथा समाप्त होती जा रही है। शायद इन्तजार किया जाता है किसी गर्भित कारण से समय निकालकर इन्तजार होता है कि पुलिस कब जाकर मुकदमा दर्ज होता है आज सी. आई. डी. दूसरे मामले हैं जो माननीय गृह मंत्री या दूसरे अधिकारी जांच के लिए आदेश करते हैं ऊपर के अधिकारी उस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं करते। न जाने शायद पक्षपात चलता है या क्या चलता है लेकिन आज आम शिकायत जनता की बनती जा रही है। वह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं नवलगढ़ के बारे में बात कहना चाहता हूं कि वहां पर मुकदमें दर्ज हुए 30, 31 नंबर के। वहां के सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट की कि मत पेटी लेकर व्यक्ति भाग रहा था लेकिन उसकी कार्यवाही नहीं हुई और उसको जात से बाहर निकाल दिया। यह राजनैतिक हस्तक्षेप जो होता है यह हस्तक्षेप गलत है सारी जगह यह बात आई है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार और भी मामले हैं। हरिजनों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इसके बारे में पुलिस की संवेदनशीलता की जो आज स्थिति है उससे और संवेदनशीलता पुलिस की बढ़नी चाहिए। सामान्य रिपोर्ट जो आज आ रही है, शिकायतें जो आती है. एक रवैया बन गया कि पुलिस अपने लेबल पर मुकदमों का या शिकायतों का निपटारा नहीं करती वास्तव में पुलिस को चाहिए कि वह लोगों से बातचीत करे। दोनों पक्षों से बात चीत करने के बाद उस मुकद्मे में चालान करने की नौबत सामान्य मामलों में नहीं आनी चाहिए। छोटे-छोटे विषय है, और पुलिस उसको मुकद्मा बना कर चालान पेश करती है यह भी स्थिति ठीक नहीं है। मान्यवर, व्यवहार आज बन गया, मुहावरा बन गया कोई भी आदमी अकड़ता है तो बोलते हैं कि तू मेरी जान को थानेदार मत बन" यही कि एक थानेदार बनना एक गाली का प्रतीक हो गया है। इस प्रकार की गाली का प्रयोग जो बन रहा है. वह सारी स्थिति है। पुलिस का जो व्यवहार है वह व्यवहार, जनता की जो अपेक्षा है निश्चित रूप से उसके अनुरूप वह व्यवहार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो स्थिति बन रही है उसमें मैं झुन्झुनू जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी झुन्झुनू जिले में पिछले समय जो पुलिस ने कीर्तिमान स्थापित किया है मैं वह बताना चाहता हूं। पंजाब के आतंकवादी वहां है। जीप को और ड्राइवर की जीप, और मारुति कार पर कब्जा किया, उसको खड्डे में डाल दिया हाथ पैर बांध कर, गांव के लोगों ने उसको छुड़ाया कार लेकर भाग गये और उसको जाकर झुन्झुनू के पुलिस के अधिकारियों ने पकड़ा। वास्तव में सराहनीय काम था। वह जगदीश सिंह विश्नोई

(श्री मदनलाल सैनी)

आतंकवादी था उसका बाप या बेटा जेल में आज भी है। नवलगढ़ के थाने में डेढ़ लाख रुपया जो आंखों में मिर्ची डाल कर जो लोग भाग रहे थे उनको पकड़ा और दो को पकड़ लिया यह सराहनीय काम है। उदयपुर वाटी में डकैतों को पकड़ा, यह कई ऐसे काम हैं जो पुलिस ने विशेष काम किये हैं उसके लिए भी पुलिस धन्यवाद की पात्र है। वहीं पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस इस बात के आरोप से भी अछूती नहीं है कि नवलगढ़ में नानगराम की मृत्यु का सुराग आज तक नहीं लग पाया और पुलिस उसको एक एक्सीडेंन्टल केस मान कर अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, उसमें पुलिस के अधिकारी इन्वाल्व है इस प्रकार से मृत्यु में मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति आई कि पुलिस के अधिकारी जाकर उसके ताले तुड़वाते हैं अटैचियों के और वहां से पैसे लेते हैं। पुलिस के खिलाफ कोई आदमी बयान नहीं दे सकता, इस प्रकार की कार्यवाही में कोई बयान देगा, वास्तव में मेरा यह आरोप है कि वहां के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने साथ जाकर पैसे उससे वसूल किये हैं। मुकदमे को बिगाड़ा है। छोटूराम वर्मा एस. ई. का, गिरधरपुरा का आज तक उसके केस में कार्यवाही नहीं होना यह भी इस बात का प्रतीक है कि पुलिस अपेक्षा को पूरा नहीं कह पा रही है।

मान्यवर, मनालणा डूंगर में एक फरियानी, नाम की महिला जिस पर आरोप था कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस चालान पेश किया पकड़ कर उसको और उसमें पुलिस के थानेदार ने कहा कि मेरे पर हमला हो सकता है मेरी जान को खतरा है। पुलिस के अधिकारियों से उसने कहा कि मेरी रक्षा करो। पुलिस बल अतिरिक्त भेजो। अदालत में भी उस फरियानी के ससुराल वाले लोगों ने हमला किया। पुलिस के लोगों से छुड़ा कर उस महिला को ले गये आज क्या यह बात उचित कही जा सकती है कि पुलिस का एक अधिकारी सहायता मांगे और पुलिस के व्यक्ति उसको सहायता नहीं दें। इस प्रकार की घटना यह सवाई माधोपुर में हुई है।

सभापति महोदय, जयपुर के अरविन्द शर्मा का मामला 17-8-88 से पेण्डिंग पड़ा है। कैसे मरा, किन परिस्थितियों में मरा आज यह प्रश्न चिन्ह पुलिस की सतर्कता पर है। पुलिस की ईमानदारी पर, पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह बन कर खड़ा है। इस बात को हम भुला नहीं सकते। इस केस पर भी देखना चाहिए कि मामला कहां है। झुन्झुनू जिले में आज बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुये इस प्रकार की आवश्यकता है। यह अकेला मात्र जिला है जहां एडीशनल एस. पी. का कार्यालय नहीं है। उस एडीशनल एस. पी. कार्यालय में गृह मंत्री महोदय आज जब जवाब दें उस समय यह घोषणा करें कि झुन्झुनू जिला जो अकेला इस प्रकार का जिला है जहां एडीशनल एस. पी. का कार्यालय नहीं है वहां अभी से एडीशनल एस. पी. का कार्यालय होगा। न ही केवल ऐडीशनल एस. पी. का कार्यालय होगा अपितु डी. वाई. एस. पी. चिड़ावा में भी डी. वाई. एस. पी. की पोस्ट होनी चाहिए। नवलगढ़ में

(श्री मदनलाल सैनी)

उदयपुर वाटी क्षेत्र में और चिड़ावा के जो थाने हैं उनको क्रमोन्नत करना चाहिए और मुकुनगढ़, नवलगढ़, मण्डेला, सुल्ताना की जो पुलिस चौकियां हैं उनको थानों में तबदील करना चाहिए और गुढ़ा, चनाणा, सन्तूर और पंचोली के थानों और चौकियों को, वहां पर नई पुलिस चौकी बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार की आवश्यकता भी है।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरी बात अधूरी रहेगी यदि मैं वह बात नहीं बोलूंगा, जो पुलिस के कर्मियों को आज काम करने में बाधा खड़ी होती है, उनके मन में टीस होती है उस समय जब उनके जीवन के बारे में सुरक्षा नहीं होती। आज जो उनकी सामूहिक बीमा योजना इस सरकार ने चालू की है 16-5-91 से यह सरकार आने के बाद एक नई योजना पुलिस के लोगों को दी इस योजना का जो पैसा है वह बढ़ना चाहिए। योजना अच्छी है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा लेकिन यह पैसा बढ़ना चाहिए। राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फण्ड की जो स्थापना की गई है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है इस पैसे की भी राशि बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि जो है, दूसरे कार्मिक कल्याण प्रन्यास जो है इसके बारे में भी सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि यह जो व्यवस्थायें की है यह व्यवस्थायें आज की परिस्थितियों को देखते हुये पर्याप्त नहीं है इनमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा आज एस. आई. टी. डिपार्टमेंट खुला है वहां पर और यह चल रहा है और इस प्रकार के इम्मोरेल एक्ट पर अंकुश होना चाहिए। समाज में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है, खर्च हम दे रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, अधिकारी हम दे रहे हैं लेकिन आज पावर नहीं है। आज उनको किसी भी केस को पकड़ने के लिए उनको कहना पड़ेगा डी. वाई. एस. पी. को और डी. वाई. एस. पी. जायेगा उसके आफिस में जायेगा उस समय तक क्या इम्मोरेल एक्ट, क्या हम पकड़ा सकेंगे उनको। इस दरमियान देरी हो जायेगी। उस समय तक हम जिनको पकड़ना चाहते हैं वहां से दूर हो जायेंगे। हमारी रेन्ज के पार हो जायेंगे या वहां से चले जायेंगे इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के इन्सपेक्टर को इस प्रकार का पावर दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं उनको पकड़ सके वहीं पर ताकि इस प्रकार के जो अपराध हैं उन पर रोक हो सके। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया लिए इसके मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेतराम बेनीवाल।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण–श्रीमती सुमित्रा सिंह

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहती हूं।.....(व्यवधान) जो कुछ शुरू से आने वाले सदस्य ने कहा उसके बारे में। मेरे खिलाफ यदि कोई बात कही जाती है तो मुझे अधिकार है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उसमें कैसे स्पष्टीकरण चलेगा साहब। सबका नम्बर आने वाला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, पुलिस की गृह विभाग की मांग पर बोलते समय मैंने जयपुर म्यूच्यूअल कोआपरेटिव सोसाइटी की जमीन के ऊपर जिन्होंने कन्वर्सन चार्जेज जमा कराये जिन्होंने बकायदा जमीन खरीदने, बेचान के इकरार-नामे, तथा टाइलट होने के उपरांत भी किस प्रकार माफिया गिरोह ने डण्डे तोड़ कर कब्जा करने के लिए डरा धमका कर गये उसमें राजेन्द्र सिंह राठौड़ का नाम लिया। मैं चाहती थी, मैंने उस समय भी कहा कि मैं चाहती हूं कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ यहां हो और वह खड़े होकर कहे कि मैं राजेन्द्र सिंह राठौड़ नहीं हूं। मैंने उस समय अपने भाषण में भी यही बात कही। वह बाद में आये।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : पहले ही तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करते हो। बिना आधार पर आरोप लगाते हो। मैं फिर कहता हूं सभापति महोदय, जिस प्रकरण पर आप चर्चा कर रही हैं, सुमित्रा सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्या हैं, प्रशासन अनुभव है भी आपके पास है। आप उसकी जांच करायें। मैं पवित्र सदन में आपको जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं और आप जांच के बाद सदन में आकर कह देना कि इसमें मैं लिप्त हूं तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।····(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ख्वाहमख्वाह उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था, मैं फिर दोहरा रही हूं मैंने कहा था कि उसके अन्दर राजेन्द्र सिंह राठौड़, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, करणी सिंह राठौड़ यह तीन व्यक्ति थे।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : एक ही राठौड़ दिखता है आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं चूरू से आने वाले वाले माननीय सदस्य से निवेदन करती हूं कि वह पहले मेरी बात सुन लें फिर अपना जवाब दें। इस तरह से बीच में क्यों बोलते हैं। राजेन्द्र सिंह राठौड़ नाम के अकेले व्यक्ति आप राजस्थान में है क्या? क्या कोई और नहीं हो सकता राजस्थान का राजेन्द्रसिंह राठौड़, मैंने यही कहा था कि उसके अन्दर राजेन्द्रसिंह राठौड़, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, करणी सिंह राठौड़ थे। मैंने कहा था मैं चाहती हूं कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ हों और वह आकर कहें··· (व्यवधान) मैं राजेन्द्र सिंह राठौड़ नहीं हूं···

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बिराजिये ·· (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी :····आपने स्पष्ट कहा है, जिस पर आरोप लगा है, वह कौन है····(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल ठीक कह रही हूं, उसमें राजेन्द्र सिंह राठौड़ है, ये राजेन्द्र सिंह राठौड़ नहीं होंगे लेकिन राजेन्द्र सिंह राठौड़ नाम का व्यक्ति है उसके अन्दर। मैं फिर कह रही हूं यह बात····मैंने नहीं कहा····(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : राजेन्द्र सिंह राठौड़ की पूरी बात बताइये। उसके घर वाले होंगे, उसका पता होगा। ऐसे राजेन्द्र सिंह राठौड़ नाम लगा दिया····(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस जयपुर शहर के अन्दर एक और सुमित्रा सिंह है, यह क्या बात हुई कि कोई दूसरा व्यक्ति इस नाम का नहीं हो सकता।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको उसका एड्रेस मालूम होना चाहिये कि कौनसा राजेन्द्र सिंह राठौड़ है, उसका पता मालूम होना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उत्तेजना के वशीभूत होकर के कह रहे हैं, उनका यह कहना ही पर्याप्त था कि मैं नहीं हूं, वहां कोई और राजेन्द्र सिंह राठौड़ होगा यदि मैं हूं····(व्यवधान) चर्चा कहां समाप्त हो गई। मेरे ऊपर आरोप लगा दिये। चर्चा कैसे समाप्त हुई है? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि वे उत्तेजना वश होकर मेरे पुत्र के बारे में कह गये। मैं आपसे फिर से कहती हूं एक बात कि मेरे पुत्र के नाम से कोई खान नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सांडकोटरा में किसकी माइन्स है। आपने वहां पर बिजली का ट्रान्सफार्मर और लगवा दिया। आप अपने आपको बहुत कुछ समझती हैं···· (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये आप। मैं फिर आपसे कह रही हूं कि मेरे पुत्र के नाम पर कोई खान वहां पर आंधी में नहीं है और मेरा पुत्र कोई अवैध खनन करता है मेरा पुत्र तो सरकार आपकी है, आप क्यों करने देते हो उसको, आप उसको मत करने दीजिये। दूसरी बात, मैं आपसे और कहना चाहती हूं कि मेरे पुत्र के नाम से कोई खान नहीं है लेकिन मेरा पुत्र जिसके साथ काम करता है····(व्यवधान) हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए वह खनन करता है, खनन का काम करता है। मेरे पुत्र के नाम से कोई खान नहीं है। फिर दोहरा रही हूं और यदि मेरे पुत्र के नाम से कोई खान हो तो जैसा आप कह रहे हैं, आप तो क्या पता इस्तीफा दोगे या नहीं, लेकिन यदि मेरे पुत्र के नाम से कोई खान है यहां तो मैं राजस्थान विधान सभा ही नहीं, राजनैतिक जीवन से संन्यास ले लूंगी।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : मेरा नाम है, यही तो तकलीफ है ना और आपने और नाथूराम जी ने इतना पुख्ता इंतजाम किया है कि बेनामी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये कहां की बात कर रहे हैं कि मेरा पुत्र अवैध खनन करता है।

श्री किशनाराम नाई : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। ये बतावें कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ ही वही है।

श्री सभापति : माननीय हेतराम जी बेनीवाल। माननीय सदस्य विराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सभापति महोदय....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब राजेन्द्रसिंह राठौड़ की वल्दियत भी ला दूंगी........(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय सदस्या, आप मेरी वल्दियत जानती है तो फिर आपको आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिये। इस सदन के अन्दर इस तरह की + + + बातें....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे को वल्दियत का मालूम नहीं है कि राजेन्द्र सिंह राठौड़ की वल्दियत क्या है लेकिन मैंने नहीं कहा, मैं फिर आपको कह रही हूं। मैं चाहती हूं कि वो राजेन्द्र सिंह राठौड़ यहां हो और वो ना करे।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें आपसे अनेकों उम्मीद थी कि आप वरिष्ठ सदस्या हैं, आपसे कुछ सीखें, आप इस सदन का समय ऐसी + + + आरोपों में नष्ट कर रही हैं। इस तरह के बेनामी आरोपों से सदन का समय नष्ट कर रही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : हम तो चाहते हैं कि आप हमें कुछ बतायेंगी, हम कुछ सीखेंगे आप वरिष्ठ सदस्या हैं और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, आज यहां पुलिस की मांग चल रही है। उसमें मेरी समझ में यह प्रकरण आना ही था। इस तरह की बातें होने की वजह यह है कि हाउस में दोनों तरफ के सदस्य बोलें चाहे किसी ने पुलिस की तारीफ अगर की है तो होम मिनिस्टर साहब का चेहरा देखकर की है, बाद में शिकायत यही की कि बहुत गड़बड़ी है अभी माननीय सैनीजी बोल रहे थे तारीफ बहुत की, बाद में कहने लगे कि मेरे यहां यह गड़बड़ी हो गई, मेरे यहां वो चोरी हो गया, मेरे यहां वो पुलिस वाले हैं। इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस को हमने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ढाल लिया और विशेष तौर से पुलिस के अन्दर सिर्फ इसके जो तीन भाग है पुलिस के, मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि सबसे अहम पुलिस का जो इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट है, सी. आई. डी. को हमने मजबूत नहीं किया, उसको इतना कमजोर कर दिया कि आज उसमें वही अधिकारी है, जिनको सजा दी जाती है, जिनको दूसरे विभाग से सिविल विभाग से उपयोगी नहीं समझ करके सी.आई.डी. को किया जाता है

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और वे खीझ की वजह से सब मुकदमों में यह स्थिति पैदा करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के जिले, जिस जिले के बारे में बहुत तारीफ की है कि हमने उग्रवादियों पर काबू पा लिया, हमने उग्रवाद पर फतह पा ली। मेरा जिला इस स्थिति में है कि हमारे चारों तरफ 10-10 किलोमीटर पर चौकियां है। पुलिस की एक तरह से छावनी सारा जिला बना हुआ है और उसके होते हुये भी हमारे यहां स्थिति यह है कि कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी के बच्चे उठा लिये जाते हैं और बच्चे उठाने के बाद पुलिस जिस तरह का आचरण करती है, मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान सरकार अगर पुलिस के इस तरह के आचरण को प्रोटेक्शन देगी तो हमारी स्थिति भी वहीं होगी, हमारी पुलिस की वहीं स्थिति होगी जो पंजाब पुलिस की है माननीय गृह मंत्रीजी। आज पंजाब में पुलिस कार्यवाही तो करती है, आज पंजाब की सरकार को मजबूरन उनके पीछे चल कर उन पर मोहर लगानी पड़ती है। आपने गोलूवाला अपहरण कांड सुना होगा। गोलूवाला अपहरण कांड में जिन बच्चों को रखा गया, मेरे सादुलशहर से 7-8 किलोमीटर दूर 12 दिन तक लगातार रखा गया। माननीय सभापति महोदय, 12 दिन तक दो बच्चे रखे जाय, 6-7 आदमी उनको रखने वाले हो, रोज वे सब्जी लाये, बाजार जाये और आसपास के चारों तरफ आबादी हो और उस आबादी के बीच में उनको रखें, उन्होंने सिर्फ उन बच्चों को ही नहीं रखा, दो आदमियों को और उन्होंने कैद करके रखा, जो वहां के लोकल थे। उन आदमियों को भी अपने साथ रखा और 12 दिन बाद पुलिस यह कहती है कि हमें एक आदमी ने सूचना दी कि वहां पर दो संदिग्ध आदमी है, जिसने यह सूचना दी, वो उनके 12 दिन रहा और 12 दिन रहने वाला वाला आदमी यह सूचना नहीं दे कि आंख बंद करके दो लड़के रखे हुए हैं, उसको सूचना यह क्या दे? असल में बात यह थी कि पुलिस से उनका सौदा हो गया। पैसे उन्हें पेमेंट कर दिये। सभापति महोदय मैं इस सदन में, इस विधान सभा में कहना चाहता हूं कि उनको 5 लाख रुपये देने के बाद छोड़ा गया, उनको जब छोड़ दिया गया तो शाम के 6 बजे पुलिस पहुंचती है और 6 बजे शाम को पुलिस पहुंच कर और पुलिस वाले पता है क्या ले जाते हैं, एक जिप्सी और उस पर एल. एम. जी. फिट, कोई बंदूक नहीं, कोई पिस्तौल नहीं।

मैं दूसरे दिन वहां सुबह पहुंच गया, वहां बताते हैं कि, मुझे हवलदार कहता है कि हम गोली कहां से चलावें, वहां तो बंदूक ही नहीं थी, वे सामने से गोली चलाते हुए भाग गये। उस वक्त 6.15 बजे सारे वायरलेस सैट पर सूचना दे दी गई कि उग्रवादी यहां से चले गये, क्यों नहीं पकड़ा गया, वे उग्रवादी वहां से भाग गये और पुलिस, सारी की सारी फोर्सेज वहां बैठी रही, ढूंढती रही। यह असल में वास्तव में आपको धोखा दे रहे हैं नहीं तो पुलिस ने उनका पीछा क्यों नहीं किया? यह तो पहले ही तय हो चुका था, 5 लाख रुपये उनको पेमेण्ट कर दिये पंजाब में और उसके बाद वे लड़के छोड़े गये। मैं यह निवेदन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कर रहा था, इसी तरह से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस हैं वह बहुत कमजोर है। यह चाहे हमारी कोई दुर्घटना हो, जैसे जैन मन्दिर वाली घटना हुई, इसमें भी हमें सूचना नहीं, हमारी पुलिस को नहीं। गवर्नर जाता है और हमारे गवर्नर के प्रोग्राम के समय भी हमें सूचना नहीं थी कि करीब 1000 आदमी तैयारी कर रहे हैं वहां गड़बड़ी करने के लिए, उन्होंने गड़बड़ी कर दी वहां, उन्होंने मूर्ति तोड़ दी, लट्ठ बजा दिये. हजारों आदमी इकट्ठे हो गये। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में हमारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल कमजोर हो गया है धीरे-धीरे और राजनैतिक पक्षपात करके हमारे सिविल पुलिस में भी ऐसे आदमी लगा रखे हैं, जिस वजह से सारा का सारा राजस्थान का इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट पंगु हो गया है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो कि आपका एक अंग है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट। कभी ऐसा वक्त था कि राजस्थान में एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट के आफिसर का मतलब यह था कि वह ईमानदार है, कोई अंगुली नहीं उठा सकता था, एंटीकरप्शन विभाग की तरफ। आज यह स्थिति है माननीय गृह मंत्रीजी, एन्टीकरप्शन विभाग का मतलब है कि वह जरूर ही रिश्वत लेता है और कुछ नहीं करता हो चाहे। मैं निवेदन करूं कि जितने मुकदमें, आपने यहां यह नहीं बताया, आपके यहां पर जो मुकदमें, जो रेड हैण्डेड केसेज हैं, जिसमें मुझे ताज्जुब होगा, मैंने आज तक नहीं सुना कि रेड हैण्डेड पकड़े जायें, जिसके हाथ धुलाये जाये, पैसा पास में पकड़ा जाय, वह भी छूट जाय। उसका केस आप वापस ले लें।

मेरे यहां एक एम. डी. पकड़ा गया 1990 में, एम. डी. को सस्पैण्ड किया गया, एम. डी. हैं मिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता, कोपरेटिव बैंक में एम.डी. हैं, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, मुकदमा उनका चला, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सस्पैण्ड होने के बाद एन्टीकरप्शन विभाग ने पूरा केस तैयार कर लिया, उसके बाद राज्य सरकार ने केस को वापस ले लिया। किस बात पर वापस ले लिया, क्या दवाब था कि वापस ले लिया।

मेरे यहां एक केस दर्ज हुआ अधिशाषी अभियन्ता सरावगी के खिलाफ और ओ. पी. जाट, अधीक्षण अभियन्ता के खिलाफ। जाट अब अधीक्षण अभियन्ता है, पहले अधिशाषी अभियन्ता था। एफ. आई. आर. 156/89 है, मुकदमें की पूरी जांच हो गई, एफ. एस. एल. की रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि उसका डाक्यूमेंट फर्जी है, सारा-का सारा केस मेच्योर हो गया, मुकदमा चालान के लिए तैयार हुआ, आपने केस वापस ले लिया। मैं एक के लिये नहीं कह रहा हूं, मेरे पास दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि रेड हैण्डेड पकड़े हुए लोग, जिनको सरे आम लोगों के सामने पकड़ते हैं और आप उनको केस वापस ले लेते हैं तो आपका विभाग क्या काम करता है ?

क्या इम्प्रेशन होगा आपका उन डिपार्टमेंट्स पर और क्या आपकी जनता के अंदर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तस्वीर उभरेगी। माननीय गृह मंत्रीजी, यह सारा का सारा काम, आज माननीय उप सचेतक जी बड़े चौड़े हों करके कह रहे थे कि साबित करो। निश्चित रूप से करप्शन को साबित करना बहुत मुश्किल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो गुप्ता का केस वापस हुआ है यहां हमारी केबिनेट में एक माननीय मंत्री ने उस पर दबाव दिया है इसीलिए केस वापस हुआ है नहीं तो कोई एक्जाम्पल बताओ कि इस तरह का केस वापस हो।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, मैं आरोप लगाता हूं कि माननीय सदस्य माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं बता दूंगा, मैं नाम भी बता दूंगा, सुन लो अभी। माननीय चतुर्भुज वर्मा जी क्या वजह थी, किसलिये वापस हुआ ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : (व्यवधान) उस आदमी पर कोई मामला नहीं बनता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि रेड हैण्डेड पकड़ा हुआ केस, राज्य सरकार का कानून है, आपको पावर है, अगर पावर्स का यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं....

श्री चतुर्भुज वर्मा : कानून किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। आपको मालूम ही नहीं है। यहां आप गुण्डों की पैरवी करते हो, चोरों की पैरवी करते हो, बेइमानों की पैरवी कर रहे हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर आप पावर्स का यूज करते हो और मिसयूज करते हो, जनता के हितों का ख्याल नहीं करते....

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य, कहने से कुछ नहीं होगा, + + + माफिया गिरोहों की पैरवी कर रहे हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह एम. डी. बड़ा ईमानदार था इसीलिए रेड हैण्डेड पकड़ा गया था। हजार रुपये उसके पास, एन्टीकरप्शन का केस किया....

श्री चतुर्भुज वर्मा : इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो एम. डी. हैं फिक्स्ड डिपोजिट जमा कराते थे और आरोप उस आदमी के ऊपर लगाये कि यह हाथ से निकल जायेगा और इन्हें खाने का मौका मिल जायेगा— (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पाइण्ट आफ आर्डर। (व्यवधान) सभापति महोदय, हम विपक्ष के लोग अपनी बात कहते हैं ...

श्री चतुर्भुज वर्मा : चन्द्रभान जी, कहने का एक रोग पैदा हो गया। यह माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं फिर कह रहा हूं एन्टीकरप्शन का (व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : रिकार्ड में बता दीजिये आप कोई आरोप नहीं लगा सकते।

श्री हेतराम बेनीवाल : रिकार्ड आपका है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्य ने तो किसी मंत्री का नाम लिया था इससे कम से कम सदन को मालुम हुआ कि किस मंत्री ने यह काम किया है। इसके लिए धन्यवाद।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय गहलोत साहब, जो भी कह रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। इनके आदमी फिक्स्ड डिपोजिट से कमाते थे उसको उसने रोका और रेड हैण्डेड नहीं पकड़ा बल्कि धारूहेड़ा से वहां एक आदमी जा करके उन पर आरोप लगा दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। आप बिराजें। पाइण्ट आफ आर्डर आ गया है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह तो रोग हो गया, आरोप लगा दिया। आरोप सही हो तो खाल उतार सकते हैं आप हमारी।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके खिलाफ नहीं है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य तो फिर बोला नहीं करते।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके लिए तो इतने मामले हैं कि इस सदन में गिनती होना भी मुश्किल हो जायेगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : हमें डर किस बात का ? मेरे भाई या भतीजे का आप कोई नाम बताइये, कहने से काम नहीं चलेगा।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, माननीय चतुर्भुज जी वर्मा वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको कोई भी कष्ट हो सकता है वो अपना जवाब दे दें लेकिन हम विपक्ष के लोग बोलते हैं तो कृपया उनको शान्त रहना चाहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मंत्री जी, मैं आरोप फिर दोहरा रहा हूं। वह एडिशनल एस. पी. ने पकड़ा, एडिशनल एस. पी. ने केस पकड़ाया, एडिशनल एस. पी. ने केस मेच्योर करके राजस्थान सरकार को चालान के लिए दे दिया। राज्य सरकार ने लास्ट स्टेज पर उस केस को विथ ड्रा किया, वो चालान ऑर्डर सभी पड़े हैं, आपने उस केस को विथड्रा कर लिया, आप क्यों उलझ रहे हैं ? क्यों विथड्रा कर लिया, क्या इंटरेस्ट था आपका उस एम. डी. में, क्या वजह थी ? आप इन्वेस्टीगेशन कराते। आप किसी एस. पी. से इन्वेस्टीगेशन कराते, किसी डी. आई. जी से इन्वेस्टीगेशन कराते। आपने बिना इन्वेस्टीगेशन कराये वापस ले लिया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं स्पष्ट करता हूं कि माननीय सदस्य बिल्कुल असत्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, इसी तरह से हमारे राजस्थान में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पुलिस प्रशासन के जो तीनों अंग हैं, उसमें हमारी सरकार ने एक अंग को मजबूत करने में ताकत लगा रखी है। वो है सिविल पुलिस। उसी को गाड़ियां, उसी को मकान, उसी के पास सारे साधन और उसी को ताकतवर बनाने के कारण दोनों अंग कमजोर हैं। कोई भी पुलिस आफिसर, कोई भी पुलिस कर्मचारी ही वह यह कोशिश करता है दबाव दे करके कि मुझे सिविल पुलिस में कोई अच्छे थाने में लगा दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने सन् 1989 में सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स में अमेण्डमेंट करके यह तय कर दिया कि ये सारी पोस्टें ए. सी. डी. की, आर्म पुलिस की और सिविल पुलिस की ट्रांसफरेबल हैं। ये आपस में ट्रान्सफर होती हैं। सिर्फ दो महीने की ट्रेनिंग दे करके और कोई भी इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। आपने इस पालिसी को अख्तियार नहीं किया, दो महीने की ट्रेनिंग के लिए छूट नहीं दी। यदि आप इस प्रकार की छूट देकर ट्रान्सफर करते, आप उन लोगों को तब्दील करते तो निश्चित रूप से मैं मानता कि आपने पक्षपात नहीं किया लेकिन आपने अपने चहेतों को उसमें दो-चार आदमी छांटकर एक सिविल पुलिस में ले आये, एक आर्म पुलिस के आदमी को ले आये, ए सी डी. के आदमी को ले आये। नाम बताऊं, मेरे पास नाम भी हैं। (व्यवधान) पंडित जी ये नाम हैं इतने ही हुए हैं और नहीं हुए ट्रांसफर। चाहिये यह था कि पालिसी बनाकर उनको दो महीने की ट्रेनिंग देते चाहे कोई भी योग्य होता उनमें से आ जाता। परन्तु योग्य होने की बजाय आपने मनमर्जी से छांट लिया क्या यह पक्षपात नहीं है? क्या इससे हमारे सर्विसेज में या पुलिस में डिमोरलाइजेशन नहीं आयेगा? आपने तीन आदमी किये हैं। एक, महेन्द्र सिंह जी, एक जीवन सिंह जी, एक प्रतापराम मीणा। तीन के सिवाय एक भी आदमी नहीं है। जिसको आपने ट्रांसफर किया हो या कोई एक्जामिनेशन लिया हो। इन तीनों का भी कोई एक्जामिनेशन नहीं लिया, न इनको ट्रेनिंग दी। इन लोगों के ऊपर मेहरबानी करके आपने लोक कर दिया।

इस तरह से मेरा कहना है, मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन के अन्दर मजबूती आये, मोरल रहे तो निश्चित रूप से हमको सोचना चाहिये। इसमें मेहरबानी करके पोलिटिक्स और अपने राजनीतिक उद्देश्यों को अलग रखिये नहीं तो निश्चित रूप से पुलिस का यह हाल होगा। 4–4, 5–5 महीने तक आप लिस्ट बनाकर रखते हैं। सी. ओ. की लिस्ट तीन महीने तक पड़ी रही कैबिनेट में। कैबिनेट जूता लेकर आपस में लड़ती रही सी. ओज्. के लिए। 292 सी. ओ. हैं उनमें से आपने 131 का ट्रान्सफर किया और 131 के ट्रान्सफर के लिए सारी कैबिनेट तीन महीने तक उस पर विचार करती रही। क्या विचार था आप मैरिट्स तय करते। आप उनके जो अधिकारी है, जो उनका कण्डक्ट है उनको देख कर ट्रांसफर करते तो वाकई महसूस होता। सारे राजस्थान को पता लग गया कि बंदरबांट है आपस में मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरा यह सी. ओ. जाना चाहिए. वो मिनिस्टर कहे यह सी. ओ. मेरे यहां जाना चाहिए और जो हमारे जैसे रह गये उनको आपने वो भर दिये जो सबसे निकम्मे थे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और उसका नतीजा है कि आज मेरे इलाके में वो स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस मामले में राजस्थान सरकार को रेस्ट्रेंट लेना चाहिए। हमारी पुलिस का जो मोरल है उसको ऊंचा करने के 2-3 और सुझाव देना चाहूंगा। आप चाहते हैं हमारी पुलिस का मोरल ऊंचा रहे तो उनके मकान के लिए आपने सिर्फ दो करोड़ रुपये रखे हैं। क्या दो करोड़ रु. में मकान बन सकते हैं?

क्या राजस्थान में जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, हमारे पुलिस कान्स्टेबल हैं वो उस तरह से रहें जिस तरह से भेड़-बकरी रहती हैं। पूरी बैरक के अन्दर 50-50 आदमियों को आप रखें और उनसे उम्मीद करें कि 24 घण्टे आप सर्विस करेंगे। 24 घण्टे करे तो भी किसी को ओवर टाइम नहीं। 36 घण्टे काम करे तो किसी को ओवर टाइम नहीं। हमारे यहां असेम्बली में ही जो बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी है ये इतने बदकिस्मत हैं कि इनको ओवर टाइम नहीं मिलता। बाकी सबको मिलता है यानि पुलिस के साथ आप इस तरह का रवैया रखेंगे। निश्चित तौर से पुलिस का मोरल ऊंचा करना है तो उनका वेतन ठीक करें उनको सुविधाएं दें और सुविधाएं देने के बाद उसके अन्दर पक्षपात बन्द करें तो निश्चित रूप से स्थिति में सुधार आयेगा। अभी कह रहे थे कि हम पंजाब से अच्छे हैं, कश्मीर से अच्छे हैं। मैं यह मानता हूं कि हम और प्रदेशों से भी ठीक हैं। हम बिहार से भी अच्छे हैं, हम हो सकता है हरियाणा से भी अच्छे हों। इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। (व्यवधान) बंगाल से अच्छे इसलिए नहीं, जब दुबारा चुनाव लड़ोगे तो पता लग जायेगा कि बंगाल से कितने अच्छे हैं। अब भंवरलाल जी जब मैदान में फंसोगे तब पता चलेगा कि आपने इसमें क्या कुछ किया है। मेरा निवेदन यह करना है कि निश्चित तौर से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे ऑफिसर्स गुम हुए हैं एक रतनसिंह है, एक्जीक्यूटिव आफिसर है, 6 महीने से गुम हो गया उसकी कोई खोज-खबर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो राजस्थान से गुम हुआ है क्या?

श्री हेतराम बेनीवाल : वो गुम तो हरियाणा से हुआ है। हमारा आफिसर था और उसकी ड्यूटी पार्लियामेंट इलेक्शन में लगी हुई थी। उसके बाद मैं समझता हूं कि इसी तरह से हमारे यहां एक बी.डी.ओ. में है। असल में बात यह है कि इसीलिए मुझे दर्द है कि सी. आई. डी. में मामला जाने के बाद उसकी खोज रखनी चाहिये, उसका पता लगाना चाहिये और उसकी सही तस्वीर सामने आनी चाहिए। होता यह है कि सी. आई. डी. में जाने का मतलब है डूबना। सब यह समझते हैं कि सी. आई. डी. में करवा लो वहां हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस तरह के जो केसेज हैं उसमें राजस्थान सरकार को चाहिये वह दिलचस्पी ले करके करे। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की पुलिस को ये सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है साम्प्रदायिकता की, जिस तरह से सेंस्टे-

(श्री हेतराम बेनीवाल)

टिव ने सारे समाज में और सब जगह इस छोटी सी बात से पूरा का पूरा समाज चाहे कोई किसी वर्ग का है वो पूरा आन्दोलित हो जाता है। इसको नियन्त्रण करने में माननीय गृह मंत्री जी और ज्यादा अच्छे ईमानदार आफिसर्स की जरूरत है।

माननीय गृह मंत्री जी, बहुत ज्यादा अच्छे, ईमानदार अफसरों की जरूरत है और इस मामले में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह हमको करना चाहिए। हमारी प्राइम ड्यूटी यह है, डवलपमेंट से पहले यह जरूरी है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरीश झामनानी।

(6.00 सायं)

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम): मान्यवर सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लेते हुए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य की पुलिस का दायित्व राज्य की जनता की कानून-व्यवस्था सम्भाल रखना और सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य की पुलिस इस ओर अग्रसर है। काम करते हुए इनको विभिन्न प्रकार की परेशानियां महसूस हो रही हैं उनकी ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम लगभग 16–17 वर्ष पूर्व 72 से 74 के बीच में पुलिस का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद इतने अन्तराल के बाद में अब तक राज्य में विधिवत तरीके से पुनर्गठन नहीं किया गया है इसके कारण से पुलिस फोर्स में जो कमी रही है, राजस्थान में शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जनसंख्या का बढ़ाव हुआ है, क्षेत्रों में जहां विकास हुआ है, कालोनियां नई-नई बढ़ी हैं, उसके अनुपात में पुलिस फोर्स, पुलिसकर्मी नहीं के बराबर बढ़े हैं। जहां-जहां राज्य में कहीं आवश्यकता पड़ी है तो अस्थायी रूप से या स्थाई रूप से कुछ संख्या का बढ़ाव हुआ है परन्तु स्थाई रूप से पुनर्गठन करने की जो आवश्यकता है उस तरफ पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, कि कृपया इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दें।

एक और बात है, राज्य में कभी-कभी बंद का, हड़ताल का आव्हान होता है उस समय पुलिसकर्मियो की कमी के कारण से जो कानून और व्यवस्था को सम्भालने की आवश्यकता होती है वह बहुत निर्बल सी होती है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां पुलिसकर्मियों को बढ़ाने की आवश्यकता है वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि जनसंख्या का बढ़ावा देखते हुए, क्षेत्र का विकास देखते हुए, शहरी क्षेत्र का बढ़ावा देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हुए थानों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक सम्भागीय क्षेत्र से डी. आई. जी. के अपने-अपने क्षेत्रों में थानों का पुनर्गठन होना चाहिए, थाने बढ़ने चाहिये, इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा हुआ है परन्तु दुःख है कि उस पर पुनर्विचार नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं

(श्री हरीश कामवानी)

कि माननीय गृह मंत्रीजी आज इस बात के लिए घोषणा करें कि थानों के पुनर्गठन की व्यवस्था होनी चाहिए और थाने बढ़ने चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि अजमेर में आनासागर क्षेत्र में जो चौकी है वह कृष्णगंज थाने से बहुत दूर है और वहां का क्षेत्र बहुत बढ़ा हुआ है इसलिए पुनर्गठन करते हुए अजमेर में आनासागर चौकी को थाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि थानों के बढ़ने के साथ-साथ जहां पुलिसकर्मियों को आधुनिक सामान जीपें, वायरलैस का अभाव रहता है, यह नितान्त आवश्यक है। राज्य में यदि हम चाहते हैं कि पुलिसकर्मी ठीक ढंग से काम करें, अधिकारी ठीक ढंग से काम करें तो उनको आधुनिक सामान, जो अत्यन्त आवश्यक मानते हैं उनसे उनको सुशोभित करना पड़ेगा, इसके सिवाय काम नहीं चलेगा।

पुलिसकर्मियों के आवास की व्यवस्था के बारे में सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। यह देखा जाता है, कई बार अत्यन्त आवश्यक काम के लिए जब इकट्ठा करना पड़ता है तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने के कारण से उनको इकट्ठा करना तुरन्त सुलभ नहीं होता है इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी से, कि कृपया पुलिसकर्मियों के आवास की व्यवस्था की जाय, यह नितान्त आवश्यक है। इसके कारण से पुलिसकर्मियों को कभी-कभी आवश्यक काम पर बुलाने के लिए तुरन्त बुलाया जा सकेगा, इसके लिए उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक और बात जहां हम देखते हैं, गरीब और निर्बल व्यक्ति, असहाय व्यक्ति जब थाने पर, चौकी पर अपनी कानून व व्यवस्था देखने के लिए अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने के लिए जाता है तो वहां महसूस किया जाता है कि उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है या अधिक से अधिक उनकी एप्लीकेशन लेकर उसमें विचार किया जाता है और भ्रष्टाचार उसके बाद में कैसे पनपे, उसकी व्यवस्था की जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण असहाय व्यक्ति या गरीब व्यक्ति जब कभी भी अपनी कठिनाइयों को लेकर अपने थाने या चौकी पर जाय तो उसकी समुचित सुनवाई कर व्यवस्था की जानी चाहिए, एफ. आई. आर. दर्ज करने की व्यवस्था होनी ही चाहिये। मैं एक और बात माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में गत एक वर्ष में चोरियां बड़ी तादाद में निरन्तर बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि पिछला रिकार्ड यदि देखा जाय तो एक वर्ष में जो चोरियां हुई है वह शायद पिछले वर्षों में कभी भी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इस ओर गम्भीरता से बात लेनी चाहिए। थाने के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस भी थाने के अन्तर्गत चोरी होती है या तो थानेदार को निलम्बित करना चाहिए या उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। कि कुछ दिनों के अन्दर चोरी का माल बरामद हो तो ठीक अन्यथा उनको दण्डित किया जाना चाहिए। यह सख्त से सख्त

(श्री हरीश भ्रामनानी)

कदम उठाये जाने चाहियें, इसकी सख्त व्यवस्था होनी चाहिये।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को सम्मानित करना चाहिये, उनका अभिनन्दन करना चाहिए ताकि बाकी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी उनसे प्रेरणा लें, उनसे उत्साह लें और साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो कर्मचारी या पुलिस अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, उदासीनता बरतते हैं उनको प्रताड़ित करना चाहिए, उनको दण्डित करना चाहिये और उस क्षेत्र से हटाकर के जहां पब्लिक डीलिंग का काम है, वहां से हटा कर उनको लाइन हाजिर करने की व्यवस्था करना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत नितान्त आवश्यक है। राजस्थान में कई राजनैतिक मुकदमें राजनैतिक दृष्टिकोण से लेकर के कई बार राजनीतिक प्रदर्शन करने के कारण, कई बार घरने देने के कारण से बने हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस ओर गम्भीरता से ध्यान करके, यह संवेदनशील सरकार है, यदि इस प्रकार के मुकदमे इस राज्य सरकार में है और जो निर्दोष व्यक्ति है उनकी जांच करवाइये, निर्दोष व्यक्ति इन मुकदमों के कारण ख्वामख्वाह ही परेशानी भुगत रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा—अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में कुछ महीने पूर्व इस प्रकार के केस बनाये गये थे। अनायास ही उसमें टाडा जोड़ा गया था। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, वहां के मण्डल अध्यक्ष थे उनको हथकड़ियां पहना कर घुमाया गया था अनायास। बड़े दुःख से कहना पड़ता है, न तो किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया गया था, न किसी व्यक्ति को चोट पायी गयी थी फिर भी उन पर टाडा लगाया गया था और उनको परेशान किया गया था। इस प्रकार दोषी व्यक्तियों को, दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए और इस प्रकार के जो नाजायज केस है उनको हटाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है वह पुलिस विभाग से अलग होना चाहिए। यह दोनों एक साथ होने से बड़े असमंजस की स्थिति होती है। कई बार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी सामान्य पुलिस में आ जाते हैं, कई बार पुलिस के अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आते हैं। इसलिए देखने को मिलता है कि कभी भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पुलिस अधिकारी को किसी को भी कभी दण्डित नहीं किया है, कभी उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के विभाग को अलग करना चाहिए। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज भी राजस्थान में कई पुलिस चौकियां टेंटों में लगी हुई हैं या ऐसा देखा जाता है कि सामान्य से अस्थाई कमरे में, अस्थाई दुकान में, केबिनों में इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं

(श्री हरीश भामनानी)

ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसकी समुचित व्यवस्था करने की व्यवस्था करें। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि थानों और जो पुलिस की चौकियां हैं उनकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति हो रही है, उनके पुनंरथान की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी सामान्य रिपेयर होने की व्यवस्था होकर उनकी रंगाई-पुताई करने की व्यवस्था हो, यह अत्यन्त आवश्यक है। एक और देखा जाता है, बार-बार सदन में भी कहा जाता है कि पुलिसकर्मी शराब पीते हैं। यह बहुत गम्भीर आरोप लगता है पुलिस के ऊपर, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो और बिल्कुल दण्डित किया जाना चाहिए इस प्रकार के अधिकारी को, चाहे वह पुलिसकर्मी हो, जो शराब पीकर अपने पद पर रहते हुए इस प्रकार का कार्य करता है, उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियां राजस्थान में नहीं के बराबर है पर फिर भी उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि वह नहीं फैले, उनका विकास न हो, बढ़े नहीं, क्योंकि यदि आतंकवादी गतिविधियां राज्य में फैलती है तो राज्य की सामान्य व्यवस्था को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुःख होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का एक सैल निर्मित करना चाहिए राज्य को, जो इस आतंकवाद की गतिविधियों पर अंकुश पा सके। एक और निवेदन करना चाहूंगा कि स्कॉट फोर्स राजस्थान में केवल जयपुर और कोटा में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्भागीय स्थानों पर, सम्भागीय क्षेत्र जहां भी है और विशेषकर अजमेर जिले में टास्क फोर्स की नितान्त आवश्यकता है इसलिए वह भी अजमेर में निर्मित होना चाहिए। मोबाइल पार्टी अजमेर में केवल एक है, 24 घंटे में उसकी व्यवस्था हो, तीन शिफ्ट में इस प्रकार का कार्य करे.... इसलिए मोबाइल पार्टियां अजमेर में 3 हों। 2 की अतिरिक्त आवश्यकता है। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। एक और आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पूर्व में तय किया था कि प्रत्येक थाने में एक इन्स्पेक्टर की व्यवस्था होगी। कम से कम जो जिला स्तर के थाने हैं उन पर इन्स्पेक्टरों की व्यवस्था हो जायेगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अजमेर के 8 थानों पर केवल दो इन्स्पेक्टरों की ड्यूटी है, दो इन्स्पेक्टर पद-स्थापित हैं बाकी 6 थानों में इन्स्पेक्टर नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां छोटे-छोटे थानों पर जैसलमेर, झुंझुनूं, बूंदी, छोटे-छोटे थानों पर भी इन्स्पेक्टर हैं तो अजमेर में भी बाकी जो थाने हैं उन पर भी पद-स्थापित करके इन्स्पेक्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं। एडिशनल एस. पी. अजमेर में केवल एक ही है जो एस. पी. के साथ रह कर कार्य करता है। मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी को कि दो एडिशन एस. पी. की व्यवस्था हो। एक शहर के लिए और एक ग्रामीण व्यवस्था के लिए ताकि वहां की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसलिए एडिशनल एस. पी. की नितान्त आवश्यकता है। एक अंतिम बात कह करके

(श्री हरीश भामनानी)

बात समाप्त करूंगा। गृह समिति, एक परामर्शदात्री समिति माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा ने निर्मित की हुई है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समिति के तीन-चार बैठकें हुई हैं, तिथि तय तो हुई है लेकिन बैठक एक भी नहीं हुई है। मैं आज इस समिति के, परामर्शदात्री समिति के चेयरमैन माननीय गृह मंत्रीजी हैं उन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया भविष्य में इस प्रकार की समिति की बारबार बैठक हो ताकि हम विस्तार से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विधान सभा की समितियों के बारे में यहां चर्चा नहीं करें।

श्री हरीश भामनानी : आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग की जो आज मांग चल रही है उसमें कुछ बिंदुओं पर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में खास तौर से जहां राजस्थान के विकास की चर्चायें होती हैं उसके मुकाबले में पुलिस विभाग की चर्चाओं में इस सदन का अधिकांश समय आता है। मेरा यह मानना है कि जहां मैं यह कहूं कि पुलिस विभाग कोई अकर्मण्य हो गया है, यह मैं नहीं कह सकता। जहां तक पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है यह भी बात सही है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में यहां की पुलिस प्रशासन का एक अपने आप में महत्व रहा है और उन्होंने कई कामों में बड़ी मुस्तैदी दिखाई है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बिंदुओं की ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना

(6.14 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चाहूंगा कि क्या कारण है कि जिन कारणों से पुलिस थानों में मुकदमें दर्ज होने के बाद उसका निपटारा नहीं हो पाता? कितनी ही डकैतियां हो गयी हैं और अब तक उनका सुराग नहीं मिला। कई जगह हत्यायें हो गयी, लूट-खसोट की घटनाओं की कमी नहीं हैं और इतनी घटनाओं के बाद कई जगह पुलिस काफी असफल रही है। मैं कुछ बिंदुओं पर, राजस्थान के सारे थानों पर बड़े-बड़े मामले सब जगह हर क्षेत्र से आने वाले लोग समझते हैं लेकिन कुछ बिंदू जो कि सही मायने में हम लोगों के सामने आये हैं और खास तौर से जनता के सामने उजागर हुए हैं और इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रजी ने, गृह मंत्रीजी ने कई बार घोषणायें की हैं कि हम इसमें मुस्तेदी से काम कर रहे हैं और समय आने पर जल्दी इसकी कार्यवाही होगी। मुझे याद आता है इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं सदन में इस बात की घोषणा करना नहीं चाहता कि क्या सुराग हैं और कहां पकड़ा जा रहा है? आज पंकज सिंघवी का मामला 4-9-91 को हुआ था, आज तक मुजरिम गिरफ्तार

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

नहीं हुआ। 4-9-91 का मुकदमा नम्बर 216 है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंकज सिंघवी जैसा मामला जो पूरे राजस्थान में उजागर हुआ था, आज तक उसके कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आया और न अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता मिली है। इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर थाने में मुकदमा नम्बर 162/92 27-2-92 को पूनम नाम की हरिजन बालिका का पहले रैप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया लेकिन आज तक पुलिस उसके बारे में कोई आदमी गिरफ्तार नहीं कर पाई न इसमें आज तक कोई प्रगति हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारे लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया राम गणेश मीणा का इसलिए इसमें मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, देवाराम कुम्हार जिसका मुकदमा जोधपुर के केस नम्बर 463 दिनांक 30-12-91 को हुआ और आज तक इंवेस्टीगेशन में इसमें अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सुशीला नाम की महिला जिसको सही मायने में लोगों ने उसको जला दिया और उसके बाद आज तक उसका इंवेस्टीगेशन 4-11-91 के बाद आज तक पेंडिग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक मामला थाना गंगापुर का केस नम्बर 164/87 20-6-87 से पेंडिग है और आज तक इसकी इंवेस्टीगेशन में, जिसके ससुराल वालों ने औरत को जला दिया, आज तक मुजरिमों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार महन्तजी की हत्या थाना वजीरपुर में, सवाई माधोपुर जिले में हुई, आज तक उनके मुजरिमों का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई फिर कैसे इसकी उपलब्धियों की बात करें हम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरसागर में सीता देवी के ससुराल वालों ने उसे जला दिया, एक तरफ हम सिद्धान्तों की बात करते हैं लेकिन आज तक सूरसागर थाने में यह इंवेस्टीगेशन पेंडिग है और आज तक इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं की। यहां उपलब्धियों की बात करते हैं, झोटवाड़ा का मामला अभी-अभी इन्होंने रखा था इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी को मैंने 3 मामलों में जालौर जिले के मामले उनके रखे थे। मैंने तीन-चार चिट्ठियां भी लिखी हैं। थाना सांइला के अन्तर्गत देता ग्राम सहकारी समिति के सेल्समैन बहादुर सिंह को दिनांक 22-6-91 को जिन्दा जला दिया गया। माननीय गृह मंत्रीजी के पत्र आते रहे कि मैं डी. आई. जी. से इन्वेस्टीगेशन करा रहा हूं, कभी और से करा रहा हूं लेकिन आज तक उनने मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया न कोई इन्वेस्टीगेशन पूरी कर पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जालौर थाना औद्योगिक थाना के अन्तर्गत चन्दन सिंह की पत्थरों से मार-मारकर के हत्या कर दी गयी, आज तक उसका भी कोई मुजरिम सामने नहीं आया न कोई इन्वेस्टीगेशन हुई। इसी प्रकार जालोर जिले का तीसरा हत्याकाण्ड 11-8-91 को वोदरा ग्राम अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्म-

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

चारी ज्ञान कंवर की हत्या का हुआ उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा लेकिन आज तक भी पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और न मुजरिमों को पकड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी बहुत साफ है कि थानों में लोगों की पिटाई से 13 लोग थानों में हिरासत में मारे गये हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर कारण क्या है? कहीं न कहीं मुख्य मंत्रीजी को, गृह मंत्रीजी को इस बात को गम्भीरता से लेना होगा। कभी मेरा इस बात का आरोप नहीं कि मुख्य मंत्रीजी या गृह मंत्रीजी किसी मामले को दबाना चाहते हों या कोई उनकी नीयत हो कि ऐसे मुजरिमों को बचाना चाहते हों लेकिन कोई न कोई कारण जरूर है, चाहे हम जैसे लोगों के कारण, चाहे आपकी पार्टी के कुछ लोगों के दबाव का कारण हों या जो अधिकारी बैठे हैं उसमें किसी न किसी के रिश्तेदार का कारण हो, आप को इसकी असली जड़ में पहुंचना पड़ेगा बिना पहुंचे यह सारे मामले निपटेंगे नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी ताजा-ताजा एक मामला है थाना झोटवाड़ा के अन्तर्गत का मामला है। मामला मेरे सामने आया, मेरे पास उस क्षेत्र के लोग आये तो मालूम पड़ा कि थाना झोटवाड़ा में एक ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया जिसका केस बनाया गया 3 फरवरी को एक केस बनाया गया एक कैलाश नाम के व्यक्ति का। उस केस में क्या हुआ कि जो असली मालिक था वह टेडीचन्द था। उस नौकर को थानेदार ने बुलाकर के यह कहा कि आप इस तरह का मुकदमा दर्ज करा दो। थाने में वह मालिक आया और उसने कहा कि साहब, मेरा बयान ले लो। इस केस में मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा नाम गलती से लिखाया जा रहा है। मेरे बयान ले लीजिए लेकिन उसके बाद भी पुलिस थाने में उसका, मालूम नहीं क्या व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता थाने में बैठने वाले लोग चाहे वह झोटवाड़ा थाने का मामला है, चाहे दूसरे क्षेत्र के थाने के लोग हों, आपसी रंजिशों को लेकर भी कई बार ऐसे अत्याचार कर डालते हैं उसके नतीजे उल्टे हो जाते हैं। इसी मामले के अन्दर एक माननीय सदस्य आकर चपलोत साहब, स्टेट मिनिस्टर से मिले। चपलोत साहब ने उसमें इन्वे-स्टीगेशन के लिये कहा कि सी. आई. डी. को भेज दिया जाय इस केस को। चार तारीख को इन्वेस्टीगेशन के लिये चपलोत साहब लिख रहे हैं, 6 मार्च को होम मिनिस्टर साहब कहते हैं, इन्वेस्टीगेशन किसी डी. वाई. एस. पी. लेवल के आदमी से करा लिया जाय। एक तरफ होम डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री किसी अधिकारी को आदेश देते हैं, इनके आई. जी. वायरलैस देते हैं उसके बाद थाने में बैठने वाला एस. एच. ओ. लेवल का आदमी की यह हिम्मत हो जाय उसका चालान कर दे नाजायज तौर पर और उस चालान के जाते ही मजिस्ट्रेट ने उसको खारिज कर दिया और उसकी जमानत ले ली और उसमें एफ. आर. मजिस्ट्रेट को देनी पड़ी। तो मैं सोचता हूं, एक तरफ ऐसे गंभीर मामले हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी क्या कमियां हैं या कोंडिशन नहीं है या इनके विभाग के अधिकारी इनकी मानते नहीं हैं या उस थाने पर कोई ऐस

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

व्यक्ति बैठा है जो होम मिनिस्टर से और डिपार्टमेंट से बड़ा आदमी है, यह समझ में नहीं आता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को कह रहा हूं, मैं सोचता हूं, गृह मंत्रीजी इसको गंभीरता से लेंगे। मैं कोई बहुत इसके लम्बे विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदर थाने के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और बेकवर्ड क्लास के लोगों पर कुछ लोगों ने हमला किया। जिनके हाथ तोड़ दिये गये, न्यूरो सर्जरी के अन्दर धन्नालाल कुमावत, जिसको शायद मंत्रिमंडल में बैठने वाले सारे लोग जानते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. में कर्मचारी है, सब के पर्दे बना बना कर आपके घरों पर लगाये हैं। वह आदमी आज 15 दिन से न्यूरी सर्जरी में भर्ती है। लेकिन मेरे थानेदार को कहने के बाद, डी. वाई. एस. पी. को कहने के बाद भी आज तक पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने गृह मंत्रीजी को कल कहा था, शायद कुछ हो गया हो तो बात दूसरी है। तो मैं सोचता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी यूनियन का नेता है, जो रेस्पेक्टेड आदमी है, प्रेशर वालों का या कुछ असरदार लोगों का असर है जिसके कारण ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ मुद्दों पर कुछ मामले आपके सामने रखे हैं। ऐसे मामले, मैं सोचता हूं, हजारों हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, कुछ चुनिन्दा मुद्दे आपके सामने रखे हैं जो मेरी नजर में थे। मैं सोचता हूं, आपकी मशीनरी को इस ढंग से आप गियरअप करेंगे ताकि एक सरकार की जो नीयत है, मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्रीजी की मंशा के ऊपर मैं शंका नहीं करता कि वह करना नहीं चाहते लेकिन मशीनरी को इस ढंग से गियर अप करें कि आपके आदेशों की क्रियान्विति तो करे। आज हालात यह हो गये कि आप कोई आदेश करें और आपका विभाग आपको माने नहीं तो मैं सोचता हूं उसकी छवि का असर राजस्थान सरकार पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। आज आदमी को राहत पहुंचाने के लिये और जिनाइन कामों को पूरा करने के लिये जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिये, जो लोग ऐसे हैं जिनका कि धंधा ही यह है वह काम करते हैं उस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। माननीय महा मंत्रीजी ने एक मीटिंग ली जिसमें सारे अधिकारियों को बुलाया और यह कहा कि जमीनों के धंधे करने वाले लोग जो नाजायज कब्जे करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं निश्चित तौर से उनका यह निर्णय है उसका स्वागता करता हूं। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। आज हालत यह हो गयी, जयपुर दिल्ली के बाद एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां पर आज मकान बनाने के लिये भी नाजायज ठेके हो रहे हैं, मकान बनाने के लिये भी ठेके हो रहे हैं। गुण्डों को इट्ठा करके उनको सप्लाई का काम भी जयपुर में आजकल होने लग गया है। मैं सोचता हूं, किसी न किसी प्रकार का प्रोटक्शन या तो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बड़े अधिकारियों का है या हम जैसे राजनीतिज्ञों का है और किसी न किसी प्रकार इसे संरक्षण मिलता है और उससे यह सारे मामले बढ़ते हैं। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, इसके अन्दर भी आपको दोहरी दृष्टि से चलना पड़ेगा। एक तरफ आप सख्ती बरतिये लेकिन दूसरी तरफ आपके इशारे के कारण पुलिस विभाग के कई लोगों ने यह काम कर लिया कि जमीन का काम करने वाले कोई जिनाइन आदमी हैं, पट्टा लेकर बैठा है और सारा उसके पास कब्जा है और मकान बीस साल पहले बन चुका है उसका भी हर्रासमेंट करने लग गये। तो आपको दोनों बातें देखनी पड़ेगी। किसी गलत आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिये और काम ऐसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिये, इसके अन्दर आपको इस दृष्टिकोण को रखना पड़ेगा नहीं तो इसका दुरुपयोग करने लग गये। कुछ तो दूसरे ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ दूसरे ढंग से दुरुपयोग कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ बिन्दुओं को आपके सामने रखा है इसके अलावा मैं एक मामला खास तौर से और आपके बीच में रखना चाहूंगा क्योंकि पुलिस प्रशासन के मामले में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। टाडा एक्ट का जिस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है इसको भी जरा गम्भीरता से आपको लेना चाहिये। मैं कई क्षेत्रों के अन्दर, जयपुर में भी गया, मुझे यह मालूम पड़ा कि सारे मुस्लिम सम्प्रदाय में खास तौर से इस बात का रोष है। बल्कि, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको आगाह करा देना चाहता हूं, आज मस्जिदों के अन्दर इस बात की बात हो रही है, ईद मनाने के समय भी आपको कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिये आप इसको सोचकर जरा गम्भीरता से लें क्योंकि साम्प्रदायिक सद्भाव जयपुर में बना रहे, जो परम्परा जयपुर की रही है, वह कायम रहे। टाडा एक्ट के तहत कई नाजायज लोग भी फंस गये हैं। कई बूढ़े-बूढ़े लोग जो कि 60-60, 70-70 साल की उम्र के हैं, जिनके हाथ-पैर नहीं चलते उनको टाडा एक्ट में गिरफ्तार कर रहे हैं। टाडा एक्ट में ऐसे लोग आप छंटनी कर लीजिये। कई लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम उस काम में नहीं हो सकते, उसका एक इन्वेस्टीगेशन कराकर जो ऐसे लोग हैं उनको आप रिलीफ दीजिये और जो वाकई में मुजरिम हैं उनके ऊपर टाडा एक्ट लगाइये, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अन्त में और कह कर समाप्त कर रहा हूं। इसी सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने खास तौर से बीलवाड़ी के मामले में एक स्टेटमेंट दिया था। गृह मंत्रीजी ने एक स्टेटमेण्ट दिया था। यह दिया था कि केवल आईदान शर्मा जिन्होंने गोली चलायी थी बीलवाड़ी कांड में, केवल मात्र वही व्यक्ति दोषी है, इसके अलावा कोई व्यक्ति इस केस में दोषी नहीं है। आपके इसी सदन में यह बयान थे और प्रोसिडिंग्स उठाकर आप देख लीजिये, इन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी का इसमें दोष नहीं है, न एस. पी. महर्षि का दोष है, न डीवाई. एस. पी. बलवन्त सिंह का दोष है। बल्कि सही मायने में डी. जी. ने स्वयं ने इस बात

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

का जल्दी में फैसला किया कि भाई, अब ठीक है इसको निलम्बित कर दीजिये। यह सारे मामले आपके सामने फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स के बाद में आपने इस सदन में कहा था, मुझे समझ में नहीं आता, चार-पांच महीने बाद कैसे सपना आ गया सरकार को, जब मामला सी. बी. आई. को दे दिया अपन ने, उसके बाद दोहरा इन्वेस्टीगेशन मुख्य मंत्रीजी ने राजभवन में बैठकर कुछ उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायी और उच्च अधिकारियों की मीटिंग में बुलाकर टेप रिकार्डर रखकर कुछ बयान लिये गये और बयान लेकर बाद में उसको सस्पेण्ड कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों सरकारी अधिकारियों का मनोबल गिराना चाहते हैं। इससे मैं सोचता हूं, पुलिस प्रशासन के दिमाग में एक वातावरण बना है, कोई मुख्य मंत्रीजी को सही बात अब बतायेगा ही नहीं क्योंकि सबको यह मालूम पड़ गया, मुख्य मंत्रीजी जेब में टेप रिकार्डर रख सकते हैं, अपने कमरे में भी टेप रिकार्डर रख सकते हैं। तो मैं सोचता हूं यह सही मायने में आप जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है, इसलिये, मुख्य मंत्रीजी, मैं सोचता हूं, इस मामले में अब भी आप गंभीरता से लेकर न्यायिक जांच कराइये, अगर कोई इसमें दोषी हो तो उन लोगों को करिये क्योंकि मामला बहुत बड़ा है इसलिये बहुत लम्बी बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो अन्तिम सारांश रूप में कह रहा हूं, यह मामला सदन में कई बार चर्चा में आ चुका, इसलिए इसके ऊपर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं सोचता हूं एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है और सारे सरकारी अधिकारियों के अन्दर इस बात की शंका बन चुकी है, मुख्य मंत्रीजी को अब सच्ची बात बताने में हर आदमी डरेगा। इसलिये मैं सोचता हूं, एक गम्भीर मामला है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप कम से कम एक काम तो करो। एक टेप रिकार्डर तो भेज देओ। मेरे पास तो वह भी नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने डी. ओ. पी. के जो पी. ए. हैं मिस्टर पारीक, उससे आपने मंगवाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप डी. ओ. पी. सैल का जो उसके अन्दर पी.ए. है मिस्टर पारीक, फोन करके उसी समय मंगवाया, यह भी मुझे मालूम है और आपने टेप रिकार्डर रखा। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, यह बड़ी फाइल सिर्फ बीलवाड़ी कांड की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ठीक है, फैक्ट्स नहीं हैं। अगर फैक्ट्स ही आपके पास हैं तो बता दीजिए आप क्या बोले थे उस समय ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उस दिन मैं क्या बोला था वह बात भी प्रोसिडिंग्स में है। मुख्य मंत्रीजी, वह भी प्रोसिडिंग्स में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बता देओ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वह भी प्रोसिडिंग्स में है। लेकिन मैं सोचता हूं, यह आपके ऊपर काफी प्रेशर रहा, लेकिन मैं सोचता हूं, एक आई. ए. एस.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी कह देओ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आई.पी.एस. अधिकारी के ऊपर आपने बहुत बड़ी सजा दे दी। जो आदमी इतना ईमानदार अधिकारी रहा, हास्पिटल के अन्दर इसी सदमे की वजह से उसको आज हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसलिये मैं सोचता हूं, इस मामले में कई जगह गंभीरता से आप लेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के तहत माननीय गृह मंत्रीजी को दिया था, मैं पहले उसके बारे में उनसे निवेदन करना चाहूंगा। जमवा रामगढ़ थाने के ग्राम भावनी में कोड़ों की ढाणी में एक अध्यापक की पत्नी श्रीमती कानी, जिसकी 24-12-90 को दिन के दस बजे गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी और उसके दोनों हाथ पांव काटकर सरसों के खेत में उस अध्यापक की पत्नी के दोनों कड़े निकालकर ले गया और जो व्यक्ति कालू बावरिया जो हत्या करने वाला था, घटना के आधा घंटे पहले गांव वालों ने उसको घटनास्थल पर देखा था और देखने के बाद भी उसका नाम नहीं लिया गया और उसको पकड़कर पुलिस ने जमवा रामगढ़ थाने और चंदवाजी में लगभग तीन महीने तक रखा लेकिन उसके कबूल करने के बावजूद भी उसको निर्दोष साबित कर छोड़ दिया गया और 25-12-90 से लेकर आज तक उस हत्याकांड के बारे में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि जो दोषी व्यक्ति था, जिसे दण्ड मिलना था, उस कालू बावरिया को पुलिस ने वहीं बरी कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हत्यारा है, जिसको पकड़ा गया है, इसकी निष्पक्ष जांच उच्च अधिकारियों से करवायी जावे जिससे उस अध्यापक की पत्नी, जिसके दोनों हाथ-पांव काटकर सरसों के खेत में उसको मार कर डाला गया, जो हत्या करने वाला था गांव वालों ने सामूहिक रूप से कहा कि यह व्यक्ति हत्यारा है, यह कालू बावरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको निर्दोष साबित कर दिया गया तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायी जाये और उस अध्यापक की पत्नी के हत्यारों को पकड़ा जाये। साथ ही मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अभी अक्टूबर, 1991 को इसी प्रकार से एक पति-पत्नी ग्राम बिहारीपुरा जो बस्सी थाने से करीब एक किलोमीटर दूर है। नेशनल हाइवे रोड पर उन दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गयी और पत्नी के दोनों हाथ-पांव काटकर

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

कड़े और वहां पर रखा जेवरात करीब सवा लाख रुपये का लेकर चले गये, उसके बाद पुलिस स्थानीय गांव वालों को एक महीने तक लगातार परेशान करती रही। गांव वालों को एक महीने तक लगातार परेशान करती रही। गांव में कभी 10 आदमी को लाकर बिठा दे, कभी 20 को लाकर बिठा दे, कभी पांच को लाकर बिठा दे, लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि आज तक इस मामले में किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिहारीपुरा हत्याकांड एक बहुत ही जघन्य हत्याकांड है और इसमें बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गयी है। इस प्रकार के जो कांड हुए हैं, आज तक उसके किसी हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। इसी प्रकार का एक मामला मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा. ग्राम जटवाड़ा में एक महिला की हत्या हाथ-पांव काटकर की गयी। उसके हत्यारों को ग्राम जटवाड़ा के लोगों ने बड़वा में जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस को सुपुर्द करवा दिया। हत्यारों के कपड़ों पर खून के निशान लगे थे जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि साहब यह जो छींटे लगे हुए हैं, यह तो खरगोश के खून के हैं और उनकी जब जांच की गयी तो उनका ब्लड ग्रुप भी मिल गया लेकिन उसके बावजूद भी उन हत्यारों को जो कंजर जाति के हैं उनको और सब गांव वालों के बीच में उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया था। एक व्यक्ति उनमें से जो कंजर था, मैं पढ़कर सुनाऊं कि ग्राम जटवाड़ा तहसील बस्सी थाना, जिला जयपुर में गत 10 दिसम्बर, 1989 को प्रताप, कालू, बंशी वगैरह कंजरों ने पैर काटकर उसके चांदी के जेवर व एक हजार रुपया नकदी ले गये। यह वाकया रात्रि का है। 10-12-89 को सुबह करीब छह बजे पुलिस चौकी जटवाड़ा पर सूचना दी गयी और प्रातः 8 बजे वृद्धा के गहने लेकर बस्सी थाने पहुंचा। वृद्धा के दोनों हाथ पैर काटे गये थे लेकिन तब तक जिंदा थी। जब बस्सी थाने में उसका पुत्र लेकर गया तो जाकर उसने बयान दिलवाना चाहा कि इंचार्ज साहब इनके बयान ले लें, हालत खराब हो रही है, लेकिन उन्होंने बयान लेने से मना कर दिया। उसके बाद थाना प्रभारी उसको लेकर एस. एम. एस. पहुंचा। एस. एम. एस. जब पहुंचा तो थोड़ी देर इलाज होने के बाद और बयान लेने से पूर्व ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये, तब तक भी उन्होंने बयान नहीं लिये। उसके बाद गांव वालों ने इकट्ठे होकर और पास में बड़वा गांव था, जिसमें कंजरों के पांव के निशान गये, वहां जाकर उनको पकड़कर लाये, पकड़कर लाने के बाद उन कंजरों ने कहा कि उनमें से एक कंजर जो सिरसा नाम का था, वह वहां से भाग गया और गहना उसके पास है। एक हजार रुपया वहीं गांव वालों के सामने बरामद कर लिये गये, लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि आज तक उस हत्या के विषय में उन व्यक्तियों को बिठाये रखा महीने भर तक, लेकिन उनको निर्दोष साबित करके उनको हटवा दिया गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के हत्याकांड जिनमें हाथ-पांव काटकर, कड़े ले जाते हैं, ऐसी घटनाएं अकेले बस्सी थाने में बिहारीपुरा के अन्दर एक औरत और एक मर्द के साथ हुआ,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इसी प्रकार का कांड जटवाड़ा में हुआ और इसी प्रकार से लालगढ़ गांव के अन्दर रॉयल एनफील्ड मोटर साइकिल पर आये और वहां दिन दहाड़े छुरा लगाकर एक औरत की खुंगाली छीनकर हत्यारे लेकर भाग गये। किसी को भी आज तक नहीं पकड़ा गया जबकि मोटर साइकिल का नम्बर बता दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच करवायी जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में विधान सभा क्षेत्र चाकसू थाने से शिवदासपुरा और बस्सी में जो चोरियां हुई हैं, उसमें से गिला की नांगल, बांसखो में जैन मन्दिर की 13 मूर्तियों की चोरी, खेड़ी स्टैंड पर खड़े ट्रक से टायर खोल ले जाना और खलासी को पेड़ से बाँधकर ट्रक के टायर ले गये और झरन में शादी का सामान जेवरात वगैरह चोरी कर ले गये, बैनाड़ा में करीब 2 लाख रुपये का कपड़ा ट्रक में भर कर ले गये। उनमें से आज तक एक भी चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। गांव वालों ने एक अटैची कहा, एक अटैची जो टोल टैक्स कानोता के पास में, जिसमें काफी सोना, जैसा लोगों ने कहा नोट भरे हुए थे, वह अटैची बस में से गिरी, लोगों ने उठाया। उसको सांसियों ने उतारा। सांसी उसको लेकर चले गये। जिन लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, तो उस अटैची को ले जाकर गायब कर दिया। उसके बाद मैं स्वयं गांव वालों के साथ में आई. जी. के पास गया और आई. जी. को सारी घटना से अवगत कराया, जब डी. आई. जी. को इसकी सूचना दी गयी उन्होंने कहा इसकी जांच करवायी जायेगी लेकिन आज तक उस अटैची का क्या हुआ। उसको बरामद जरूर बता दी गयी कि यह अटैची बरामद हो गयी है और उसमें करीब 10 हजार या 15 हजार के करीब, मेरे ख्याल से पैसा बताया गया है जबकि उसमें करीब लाखों रुपये का सोना था, उस अटैची को गायब कर दिया गया तो इस अटैची कांड की भी जांच करवायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, मीणा साहब। माननीय फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसी प्रकार की कई घटनाएं मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई। बगराना और अपरेडा गांव में गांव वालों ने चोर को पकड लिया लेकिन चोर ने इस शर्त पर कि पुलिस को इत्तला नहीं देंगे, इस शर्त पर उन्होंने सारा माल दे दिया। बगराना गांव में एक लाख रुपये की चोरी हुई थी। इसी प्रकार अपरेड़ा में हुई थी और वहां पर चोर ने शर्त रखी कि हम आपको माल दे सकते हैं लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दें। उसका भी सारा सामान, सारा गहना, पुलिस वाले लेकर आ गये। पुलिस वालों को उसकी भी मैंने सूचना दी लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। और रह गया क्या ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे भी मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। लोग तो आधा-आधा घण्टे तक बोलते हैं। तूंगा के अन्दर 36 व्यक्तियों के खिलाफ एक + + + केस बनाया गया। शंकर भगवान के मन्दिर के मामले को लेकर + + + मुकदमा लोगों के खिलाफ लगाया गया, वह रंजिश से लगाया गया। वहां पर....

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + + शब्द असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष : मुकदमा + + + है। मुकदमा + + + लगाया गया है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक मन्दिर का रूप उसको दे दिया गया और उस क्षेत्र में जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो गलत मुकदमे लगाये गये हैं उनको विथड्रा किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : असत्य मुकदमा लगाया गया, क्या यह बोला जायेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुकदमे के लिए कह रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सी. आर. पी. सी. की 161 धारा अपने आप में एक ऐसी धारा है जिसके अन्दर किसी भी गवाह के बयान लिये जाते हैं उस बयान को पुलिस वाले या इन्चार्ज या जो भी इन्वेस्टीगेट करता है वह चाहे तो बदल देता है। जब गवाह कोर्ट में उपस्थित होता है और जब बयानों को देखता है तो वह असमंजस में पड़ जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 161 को रद्दोबदल किया जायगा जो गवाह होते हैं कम से कम उसके हस्ताक्षर होने चाहिये ऐसा प्रावधान उसमें और होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये, मीणा साहब।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन थाने हैं उसमें बस्सी, चाकसू थानों में जितनी चोरियां हुयी और पिछले दो साल में एक भी चोरी बरामद नहीं हुयी है बल्कि गांव वालों ने चोरियां बरामद की है। इसमें एक थाना शिवदासपुरा लगता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा वहां का जो इन्चार्ज पहले भाटी था। इस प्रकार का जो भी ईमानदार अफसर वहां पर आता है या थानेदार आता है उनको तुरन्त हटा लिया जाता है। शिवदासपुरा का इन्चार्ज भाटी जिसने, वहां 13 पंचायतें लगती है और 13 पंचायतों में जहां हमेशा आये दिन एक केस दर्ज होता था और उसके आते ही वहां पर एक भी मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। ऐसे जो ईमानदार अधिकारी होते हैं उनको हटा लिया जाता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाय और जो ईमानदार

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अफसर हैं जिनको लाइन हाजिर कर रखा है उनको थानों में लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर विचार हो रहा है। वैसे पुलिस विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसका सम्बन्ध हमारी शांति व्यवस्था और सुरक्षा के महत्व से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की पुलिस की बहबूदी और उसकी वीरता व शौर्यता में कहीं कोई शक नहीं है। उन्होंने पिछले वर्षों में शांति व्यवस्था करने में, साम्प्रदायिक दंगों में काफी कमी करने में और अन्य उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों को पकड़ने में एक मुस्तैदी से काम किया लेकिन इन सब बातों से हमको सन्तोष नहीं करना चाहिये। आज भी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, बहुत सारी खामियां हैं जिनके कारण से कई मामलों में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से अपनी बात को शुरू करूंगा। मैने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था आज से 15 रोज पहले। गृह राज्य मंत्रीजी ध्यान देंगे, राज्य में विभिन्न स्थानों पर विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में। आज राजस्थान में अनेक स्थानों में ऐसी विस्फोटक सामग्री बरामद हुयी है और यहां से काफी मात्रा में जम्मू कश्मीर, पंजाब और आसाम में विस्फोटक सामग्री गयी है और विशेष कर जयपुर में जब डी. पी. गुप्ता को पकड़ा तो उससे भारी मात्रा में जो सामान पकड़ा गया उससे साफ जाहिर हुआ कि कितना विस्फोटक पदार्थ यहां राजस्थान से बाहर जा रहा है तस्करी के रूप में और कुछ तथ्य सामने आये उनकी ओर मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। डी. पी. गुप्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उनके पास केवल सेफ्टी फ्यूल का लाइसेंस था। उन्होंने जिलेटिन और अन्य जो विस्फोटक सामग्री बिना लाइसेंस के कुछ कम्पनियों से खरीदी। जयपुर एक्सप्लोजिव, ब्यावर एक्सप्लोजिव और अन्य जो कम्पनियां थी उनसे खरीदा। उन्होंने एक जगह तो अपने बयानों में साफ जाहिर किया है कि मैंने जयपुर एक्सप्लोजिव के मालिक श्री गोपाल मोदी से यह मान करके सामान खरीदा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है और इन सब के होते हुए भी उन्होंने वह सामान लिया और उसी के तहत में अपनी बात को कुछ ही शब्दों में मेरे पास एफ. आई. आर. रिपोर्ट, गोपाल मोदी के बयानों की नकल है। मैं 3–4 लाइन पढ़ रहा हूं। गोपाल मोदी पुत्र श्री मोहनलाल मोदी उम्र 35 साल, उसने यह स्वीकार किया है कि मैं जयपुर एक्सप्लोजिव का प्रोपराइटर हूं, मेरे पास एक्सप्लोजिव रखने और बेचने का लाइसेंस है। एक्सप्लोजिव सामान मैं जुगलपुरा नाम का एक स्थान है वहां रखता हूं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि एक्सप्लोजिव और डिटोनेटर और अन्य जो सामान है वह मैंने मुल्जिम डी पी. गुप्ता को दिया है, मैं डी. पी. गुप्ता को जानता हूं। मैंने डी. पी गुप्ता को केवल सेफ्टी फ्यूल जिलेटिन और डिटोनेटर भी दिये हैं। मेरा माल मार्केट में सप्लाई कम

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

होता है और सरकारी साधनों में ही ज्यादा होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुल्जिम डी. पी. गुप्ता को अपना लाइसेंस रिन्युअल के लिये पूछा गया था उन्होंने बताया कि डिप्टी चीफ कन्ट्रोल को एप्लाई किया हुआ है और मुझे विश्वास हो गया कि इसका लाइसेंस रिन्युअल हो जायेगा। इसलिये बिना लाइसेंस ही मैंने सामान दिया है। यह कोई घटना कम नहीं थी कि उन्होंने केवल विश्वास के नाम पर ही उसको दिया। इसके बावजूद, इतनी भयंकर घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने जांच की है उसमें जयपुर एक्सप्लोजिव के मालिक को केवल मात्र बयान लेकर के कि उन्होंने बिना लाइसेंस होते हुए भी सामान दिया। उसको मुक्त किया गया। यह बहुत ही गम्भीर मामला था। इस सारे मामले की गहन जांच होनी चाहिये और यहां से जो सामान बिना लाइसेंस पार्टी के पास गया है केवल मात्र उनके बयान लेकर उनको छोड़ा गया है। यह गम्भीर मामला है इसलिये मैं आपकी मार्फत गृह राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 275/90 का केस है मोती डूंगरी थाने में उसकी दुबारा से तफ्तीश करायी जाय उसमें दोषी गोपाल मेरदी जिनके यहां से जयपुर एक्सप्लोजिव से बिना लाइसेंस पार्टी को माल दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जिससे इस तरह के के मामले दुबारा न हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस के बारे में काफी बातें आयी। मैं एक बात जरूर मानता हूं कि आज भी पुलिस में ऐसी कई खामियां है। मैं दो उदाहरण सीकर के आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। शिकायतों पर कितनी कार्यवाही होती है, कितनी जांच होती है, शिकायत करने पर पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। एक उदाहरण तो हमारी एस्टीमेट कमेटी एक बार सीकर के दौरे पर गयी थी। वहां रानोली थाने की हालत देखी गयी तो उस थाने में न तो गेट पर संतरी था, न अन्दर कोई था और माल गोदाम जिसमें हथियार रखे थे उसके ताला नहीं था बिल्कुल थाना चौपट हो रहा था। हम वहां बीस मिनट तक खड़े रहे। बाहर से मालूम पड़ा, एक कान्स्टेबल को चाय की दुकान से बुलाया और उसने सारी बात बतायी कि थानेदार जो अपने क्वार्टर में है। उन्होंने कोई ट्रक पकड़ा है उसमें लेन-देन में कोई विवाद हो रहा है। इस कारण से दूसरे लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि सबके अकेले थानेदार माल खाता है। हैड कान्स्टेबल को एस. एच. ओ. को बुलाने के लिये भेजा और एस. एच. ओ. नहीं आये। तब हमने रोजमर्रा की रिपोर्ट थी, उसको देखा। उसको देखने यह बात और भी गम्भीर रूप से जाहिर हुयी कि 24 घंटे पहले का रोजनामा खाली पड़ा हुआ था। इससे साफ जाहिर हो गया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सारी जानकारी के लिये एस. पी. जो सीकर डाक बंगले में थे, बीस मिनट के बाद हमने उनके सामने सारी बात रखी। उन्होंने तुरन्त ही रोजनामा मंगवाकर उसमें नोट डाला कि यह गम्भीर मामला है, 24 घंटे पहले यह खाली था और ड्यूटी पर सन्तरी नहीं था और जो भी बातें थी सारी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बातों को उन्होंने नोट डाल दिया लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। कार्यवाही होनी तो दूर रही। हमने डी. जी. साहब के सामने, कमेटी के सामने यह मामला रखा कि यह इतना गम्भीर मामला है उसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी और उसी थाने में वहीं का वहीं काम हो रहा है। इस घटना के 4–5 महीने बाद में अब बड़ी मुश्किल से उस थानेदार को लाइन हाजिर किया है। यह एक उदाहरण तो मैंने आपको बताया है।

मैं एक दूसरा उदाहरण आपको भीलवाड़ा में माण्डल में गोपाल राम नाम का एक थानेदार था जिन्होंने मिमड़ियावास की एक राजपूत महिला की हत्या पर जांच की। हत्या पर उन्होंने एफ. आर. लगा दी और एफ. आर. लगने पर उस महिला के मां-बाप ने उसकी शिकायत की और उन्होंने पुनः जांच की मांग की और पुनः जांच डिप्टी एस. पी., भीलवाड़ा ने की। दुबारा जांच में उनको उस हत्या के मामले में जो दोषी लोग थे उनका 302 में चालान किया गया और 302 में चालान में सैशन कोर्ट ने उनको आजीवन सजा दी। इतना गम्भीर मामला होने के बावजूद आज तक वह थानेदार वहीं पर कायम हैं। उस हत्या के मामले में एफ. आर. लगाने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। यह एक शिकायत का मैंने उदाहरण बताया है। इस प्रकार से आज थानों में इतनी बुरी अव्यवस्था है। उनकी शिकायत भी कौन करें। एक कमेटी की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो आम जनता की शिकायत, एक साधारण आदमी की शिकायत पर उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही होगी।

मैं आपका ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज कुछ परेशानियां यह मानते हैं कि थानों की व्यवस्थाओं में कमियां हैं बहुत सारे थानों में जीपें नहीं हैं। मैं अपने नीमकाथाना में पाटन थाने का उदाहरण दूं। दूर-दराज

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

का थाना है। सीमा के ऊपर है जिसका एरिया भी बहुत लम्बा चौड़ा है लेकिन आज वहां न जीप, न मोटर साइकिल, न कोई और साधन है। ऐसे ही हैं जैसे किसी के पास हथियार नहीं हो और थाने में बैठा रहे रात को दो बजे कोई डकैती पड़ जाय तो? हमारे थाने में दो-तीन डकैतियां पड़ी भी हैं परन्तु पुलिस का यही बहाना रहा कि थाने में जीप नहीं थी। यह भयंकर अव्यवस्था है। इसके साथ-साथ मैं एक और मांग करूंगा आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से थानों की व्यवस्था में हमें एक बात देखनी चाहिए कि जिस थाने के अधिकारी की शिकायत हो और उसका ट्रान्सफर वहां से किया जाय और उनको दो महीने के बाद ही पुनः उसी थाने में बैठाया जाय इससे व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और बिगड़ जाती है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए। थानेदार को दूसरी जगह भेजा गया वहां पर वह सस्पेण्ड हुआ उसकी वहां पर भी शिकायत हुई और पुनः वहीं भेज दिया। नीम का थाना के पास का

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

उदाहरण बताऊं। तो इस तरह की कार्यवाही हुई है। इस तरह से कुछ चौकियां— जैसे बता रहे थे कई पुलिस चौकियां हैं जिनके पास भवन नहीं है तो वह या तो टैण्ट में हैं या फिर उसी थाने में वह सारा स्टाफ काम करता है। इसलिए हमारे यहां पर भी दो-तीन चौकियां हैं किशोरपुरा चौकी और डावरा चौकी है जिनमें यह व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी मांग करूंगा कि वेतन विसंगतियां हैं और मैस भत्ता भी बहुत कम है। इससे भी इनका मनोबल बहुत कम होता है। आज आठ दस रुपया मैस भत्ता है यह बहुत कम है। मैं एक बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जो मैंने अभी यह मामला उठाया है गोपाल गुप्ता का गृह मंत्रीजी एफ. आई आर. नं. 275/90 है उसकी पूरी जांच करके कि अगर दोषी व्यक्ति है तो सख्त कार्यवाही करें। अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे थानों की व्यवस्था बिगड़ रही है। दूर की बात छोड़ें लेकिन हमारे यहां परिसर में ही, विधान सभा परिसर में ही हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं जो जब तक चाहे रात को दो बजे तक जब तक हम रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं उनके लिए जैसी मेरे को जानकारी मिली है कि उनके पिछले बजट सत्र के टी. ए. थे वह आज तक बचे पड़े हैं। एक-एक साल तक उनके टी. ए बिल का भुगतान नहीं हो तो फिर कोई आदमी मुस्तैदी से काम नहीं करेगा। इसलिए हम को पुलिस की व्यवस्था को सुधारना चाहिए और जहां कहीं कमियां नजर आ रही हैं उनको दूर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रोफेसर केदार नाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : अब तो जवाब करा दें साहब सब थक गये हैं। मान्यवर, मैंने जो माननीय सदस्य डिबेट में बोले हैं उनके भाषण को सुना है सबकी एक ही थीम है कि करप्शन काफी है या इनएफीसिएयंशी काफी बढ़ गयी है। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं। मैं एक सलाह देना चाहता हूं दोस्त को क्योंकि गृह मंत्री भी काफी दिनों से हैं और एम.एल. ए. भी काफी दिनों से हैं। जहां कहीं भी कम्यूनल राइट्स हों आप मौके पर जायें। इसमें क्या होगा सारे अफसर अलर्ट हो जायेंगे जो उनके ऊपर लेप्सेज हुए हैं। जिसके कारण राइट्स हुए वह आयन्दा रिपीट नहीं होंगे। कुछ एम. एल. एज. को कान्फीडेंस में ले लीजिए तो आयन्दा के लिए रिपीट नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि यह मैं आपको सलाह दे रहा हूं। जहां-जहां पर बहुत एट्रोसिटीज हों, बहुत बड़ी घटनायें हों आपके स्वयं जाने से काफी इम्प्रूवमेण्ट आयन्दा के लिए हो जायेगा, यह मैं आपको सलाह देता हूं। कभी-कभी डिवीजनल बेसिस पर एम. एल. ए. और एम. पीज. और आफिसर्स की मीटिंग करके लॉ एण्ड आॅर्डर को कैसे सुधारा जाय? सिस्टम में क्या खराबियां आ गयी हैं, नया ट्रेण्ड क्या पनप रहा है नयी फोर्सेज क्या कर रही है? कहां माफिया है इनके बारे में चर्चा कर लेंगे तो कुछ सुधार इसमें कर लेंगे।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

मान्यवर, अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा में रिवोल्ट हुआ था अनरेस्ट हुआ था, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वह स्ट्राइक फैल हो गयी मगर जो कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसमें उन्होंने दो कारण बताये बाकी छोड़ दीजिये इण्टरनल सिस्टम में क्या खराबी है उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैंने दो कारण बताये कि क्यों हरनेस्ट पैदा हुई। एक तो करप्शन और एक पोलिटिकल इण्टरफियरेन्स। राजनैतिक दखल। नेक्ड। खुले आम। करप्शन अब अपने आप थानेदार करप्ट बन जायेगा यह मैं नहीं करता हूं। मान्यवर, करप्शन तो कोई ओवर नाइट भी नहीं है जो आपके समय का ही हो यह तो काफी समय से चलता रहा है और व्यवस्था के साथ जुड़ गया। बड़ा मुश्किल है कि स्टेट लेवल पर होम मिनिस्टर अकेला बैठकर वीड आउट कर दे। यह मैं नहीं कह सकता कितना ही काम्पीटेण्ट हो यह हो सकता है।

इधर पंजाब की रिपोर्ट आयी है एक नहीं तीन-तीन कमीशन की रिपोर्ट आ गयी। उसको आप पढकर अंदाजा लगाइये कि जिस पंजाब की पुलिस का बड़ा रूआब था, क्रेडिटीबिलिटी थी, टेरर था, नॉर्दन इंडिया में बड़ी मोबिलिटी मोटीवेशन बहुत था, मोबिलिटी थी आज वह सबसे ज्यादा डीमोरेलाइज है और सबसे ज्यादा बदनाम है नार्दन इण्डिया में पंजाब की पुलिस। भी रिपोर्ट आप पढ़िये। मान्यवर, वहां पर आहिस्ता-आहिस्ता मिलिटेण्ट्स ने, मैं बड़ा सोचकर कह रहा हूं। बड़ी पढ़ने की बात है मिलिटेण्ट्स ने वहां पुलिस का जो इण्टरनल सिस्टम था उसके अन्दर उन्होंने दखल दिया। इण्टरनल सिस्टम में प्रवेश कर गये। सारे का सारा सिस्टम स्मेश कर दिया। सिस्टम समाप्त, मोरल उनका नहीं, मोटीवेशन समाप्त, एफीसिएंशी समाप्त, आपस में सीनियर आफिसर का विश्वास समाप्त कोर्डिनेशन समाप्त। तो बताइये मिलिटेण्ट आउटफील्ड को कौन काबू कर पायेगा और उधर उनकी जो स्ट्राइकिंग पावर की सुप्रिमेसी है उसको डेमेज, डिसमेण्टल करने की कोई ताकत नहीं है पुलिस की नहीं, पेरा मिलिट्री फोर्सज फैल हो गयी है। आज आपको 6 डिवीजन मिलिट्री की डिप्लॉय करनी पड़ी। अब बताइये क्या ट्रेण्ड बना है।

कश्मीर की हालत पोलिटिकल सिस्टम समाप्त, पोलिटिकल पार्टीज इररिलेवेण्ट मासेज का बिल्कुल पाकिस्तान की ओर झुकाव, यह वहां सिस्टम है। आस-पास यू. पी. का इलाका बचा है, तराई में आप देख लीजिए। हमारा खुद का जो पोलिटिकल और सोशल सिस्टम है उसमें गृह मंत्रीजी ऐसी फोर्सेज एण्टर कर रही है, इमर्ज कर रही है, इसको आप माफिया कहो, बूटलेकर्स कहो, मसलमैन कहो या मनी पावर कहो, कुछ भी कहो। आज ऐसी फोर्सेज पैदा हो गयीं जो सारे सिस्टम को डेस्ट्रोय कर रही है इसमें क्या स्टेप्स लेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है। अब पंजाब की पेरा मिलिट्री फोर्सेज—इन पांच-सात सालों में वहां स्टाइल क्या विल करती है? उनकी ट्रेनिंग, उनका ऐम, बिल्कुल फासेस्ट है स्ट्राइकिंग पावर है और स्कॉट फ्री जाते हैं आज तक सिंगल केस नहीं जो आपने स्पॉट पर किसी मिलिटेण्ट को किड-

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नेप कर लिया हो पकड़ लिया हो। यह हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सारे देश के परसपेक्टिव में बहुत बड़ा चैलेंज है। राजस्थान भी आज तो बचा हुआ है मगर अगर यह ट्रेण्ड बढ़ता रहा, पंजाब, कश्मीर, यू. पी., हरियाणा का तो आप देख रहे हैं यह आप पर भी आयेगा इसलिए आपको बहुत बड़ी होशियारी के साथ छोटे-मोटे केस नहीं पकड़ा वह हो गया, बलात्कार का यह केस है, सारी एनर्जी सारे मेम्बर ने यही कहा वहां मर्डर हो गया यह ट्रेस नहीं हुआ, पर नेशनल परसपेक्टिव में देखिये क्या हो रहा है। एक नयी फोर्सेज पैदा हो रही है। मैं इतना निवेदन आपसे कर दूं अगर यह हालात आप काबू में नहीं कर पाये, आपके जो टॉप आफिसर हैं वह ईमानदार हैं, यह एक बहुत बड़ा सिल्वर पाइंट है। एफीशियण्ट हैं, कोम्पीटेण्ट हैं, अपने जोब को जानते हैं उनका इम्प्रेशन है, इनकी इमेज है यह बहुत बड़ी खुशी की बात है मगर जो लोअर लेबल है उसको हमने बिगाड़ा है, उसमें हम भी शामिल हैं कि इस ढंग से बिगड़ गया कि उनमें कतई रेसपोंसिबिनेस नहीं है। उनमें अच्छे आदमी भी हैं लेकिन आमतौर पर जैसा कहते हैं हवा बिगड़ गयी। सारा सिस्टम बिगड़ गया अब कैसे आइसोलेट करके, कैसे इम्प्रूवमेण्ट लायेंगे मैं हमेशा यह कहा करता हूं आप जो करप्शन है उसको कण्टेन कर दें, आपकी बहादुरी हो जायेगी। इन एफीशियेंसी को कण्टेन कर दें, बढ़ावा मत दें तो राजस्थान भाग्यशाली होगा क्योंकि चारों तरफ ऐसा वातावरण है। मान्यवर, इस शहर में ही नहीं सारे शहरों में ऐसा गैंग है। लाओ आपका कंवरजन करा देते हैं, लाओ साहब आपको इजाजत दिला देते हैं। ट्रान्सफर करा देते हैं। ऐसा गैंग-रेकेट पैदा हो गया है जिनकी अच्छी कोठी है, अच्छी कार है, तीन-तीन टेलीफोन और पता नहीं क्या-क्या होता है। उसके अन्दर बैठकर कौन-सी चीज होती है इवैल इन दी रॉट जिनके बारे में कह नहीं सकता आप अंदाजा ही लगा सकते है। ऐसा माफिया गैंग हर शहर के अन्दर पैदा हो गया। हमारी पोलिटिकल लाइफ हम इनके बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ईमानदारी की बात है। 90 प्रतिशत हम लोग आज इनके गुलाम हो गये हैं।

इसलिये मैंने आपके सामने सारी एक प्रासपैक्टिव सीनरियो पेश की है। मान्यवर, मैं कोई लम्बी बात यहां पर नहीं कहूंगा। जो आपके कामुनल राइट्स हुए हैं, यह ठीक है पिछले साल कम हुए, होते आ रहे हैं। आपने बैठकर कुछ सोचा तो होगा कि इसका कारण क्या है। मामूली सा सलाइट प्रापोगेशन होता है, फ्लेअर अप हो जाता है। आज तक क्या आपने कमेटी बनाकर, राजस्थान की हमारी धरती पर कौनसे ऐसे एलीमेन्ट्स हैं, कौन से कॉजेज हैं, जो कामुनल राइट्स बार-बार रिपीट करते हैं, कोई कमेटी आपने बनाई है, बना नहीं पाये। केवल बातें छोड़ दीजिये कि फण्डामेंटलिस्ट्स पैदा हो रहे हैं, हिन्दुत्व की भावना है, यहां पर गरीबी है, बेकारी है, भूख है, और लोग क्राइम की ओर जा रहे हैं। पढ़ा-लिखा तबका, 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है यह अलग कारण है मगर आपके लैप्स के कारण कौन सा कामुनल राइट होता है, इसके

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बारे में आपने क्या किया। आपके लैप्स के कारण कौन सा कामुनल राइट रिपीट हुआ है, यह तो आपको देखना पड़ेगा। पहले हमारा लैप्स हो गया तो पाली में कामुनल राइट हो गया, ब्यावर में हो गया, नागौर में हो गया। आइन्दा न हो, उन लैप्सेस को आप, लूप होल्स को आप बन्द कर सकते हैं, यह तो आपके हाथ में है। अपनी ओर से जो लैप्सेस हैं उनको आप बन्द कर सकते हैं। अब आप एक रैपिड एक्शन फोर्स पैदा कर दो। कामुनल राइट जहां पर हो, कुछ ऐसे लोग ट्रेंड कर दीजिये जिनका माइण्ड सैकुलर हो, नं. 1, जिनके अच्छे कंविक्शन्स हों। कान्फीडेंस हो, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो और उनकी तन्ख्वाहें अच्छी हों। उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हों, अच्छे व्हीकल्स हों ताकि मौके पर जाकर बड़े पेशंस के साथ रेस्ट्रेण्डट्स के साथ काबू पा जायें, वहां की स्थिति पर काबू पा जायें। यह रैपिड एक्शन फोर्स आप एक साल में तैयार करें, उनकी अलग ट्रेनिंग होनी चाहिये और वह कम्पोजिट करेक्टर होता है मान्यवर, उसमें हर कास्ट के लोग शामिल करने पड़ेंगे आपको। जो चीजें आज हमारे सामने आयी हैं कि पुलिस में भी कास्ट वायरस, कामुनल वायरस जिसे पायजन कहते हैं यह पुलिस स्टेण्डर्ड में आहिस्ता-आहिस्ता पेनीट्रेट कर रहा है, इसलिये कम्पोजिट फोर्स हो आपके पास। अब आप देखिये पांच-दस साल में जितने भी रायट्स हुए हैं एक भी आदमी को आप कन्विक्ट नहीं करवा पाये। आज पकड़े गये, तीन दिन में जमानत हो गई, केस वापस हो गये, केस खत्म हो गये और उनकी आदत वैसी की वैसी रही। फोर्सेस वैसी की वैसी कायम है। वह फोर्सेस इनटेक्ट है। आप क्रिमिनल कायम करके इससे कम ऐसे आदमियों को आइडेंटीफाई करके, जिन्होंने ऐसी वारदातें की है, आइंदा स्ट्रांग कन्विक्शन मिल जाये ताकि आन्इदा ऐसा न हो। तीसरी बात, जो मारे गये, उनके बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी स्टेट की है। लाख रुपये की कोई कीमत नहीं, 50 हजार रुपये की कोई कीमत नहीं है जब तक आपकी गवर्नमेंट यह तय न कर दे कि उनके बच्चों की हालत जो हमारे कारण हुई है, हमारे लैप्सेस के कारण यह लोग मरे हैं राइट्स में, उनकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, यह आपको तय करना करना पड़ेगा। चौथी बात, जिनका प्रापर्टी का नुकसान हुआ है, दुकान का नुकसान हुआ है उनको पूरा मुआवजा दीजिये चाहे आप कलेक्टिव फाइट कीजिये। अगर आप यह बातें कर दोगे तो इस धरती पर कामुनल राइट्स बहुत कम होंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जब माननीय राजीव जी प्रधान मंत्री थे उन्होंने एक कानून बनाया शैड्यूल्ड कास्ट एट्रासिटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसको लागू कर दिया। बहुत अच्छा आब्जेक्टिव है क्योंकि बिहार में, यू. पी. में गैंग रैप होते थे, घरों में लोगों को जिन्दा जलाया जाता था। एक फिलास्फी इन्वाल्व हुई, एक ऐसा एक्ट बना दिया जाये जिसके तहत यह वारदातें बन्द हो जायें। इसमें सैक्शन 1 से 12 तक बहुत हार्ड हैं उसमें एन्टीसीपेटरी बेल भी नहीं होती, सिवाय हाईकोर्ट के कोई बेल ले नहीं सकता। यह ठीक है, फिर आपने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, दो गवाह पेश कर दिये तो पुलिस उसके अन्दर इन्वेस्टीगेट नहीं कर पायेगी। उसके पास कोई रास्ता

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नहीं है सिवाय चालान करने के । इनोसेंट आदमी हैं, पुलिस के सामने आपने फ्लड गेट खोल दिये पैसे के, जो आदमी बेइमान नहीं था वह बेइमान हो गया । नहीं साहब, इसमें चालान तो होगा, जमानत नहीं हो सकती, कोई रास्ता नहीं है सिवाय चालान करने के, मजबूर होकर वह आपको पैसा देगा । उसके क्या विगोरस इफेक्ट्स हैं । यह मन्शा न इधर की है न आप लोगों की है इसके विगोरस इफेक्ट्स इनोसेंट आदमी को इम्प्लीकेट करेंगे, पैसे के गेट खुल गये, मकसद सारा निगेट हो जाये, ऐसी मन्शा तो किसी माननीय सदस्य की नहीं है । इस प्रिन्सीपल एक्ट को लागू कर दिया । यह ठीक है कि डी. जी. ने पुलिस आफिसर्स को बुलाकर हिदायत दी है । आप देखिये ऐसे केसेज जिनमें एफ. आई. आर. हो गई, चालान 5 पर्सेण्ट हुए, एक्वीटल फाईव के फाईव हुए, यह फेट है आपके इस एक्ट का । मैं सारे लोगों के भाषण सुनता रहा, कुछ तो तथ्य की बातें आ जायें ताकि सरकार का जवाब तो आये । तीसरा बोर्डर की बात । हमारा इन्टरनेशनल बार्डर है 1000, 1200 किलोमीटर का, सेन्टर ने पैसा दिया । आपने उसके लिए कोई एक्शन प्लान भी बनाया, 13 करोड़ का बनाया, कुछ आपने पैसा खर्च भी किया है, 50-60 लाख रुपया खर्च करने की बात भी की है । आपने दो बटेलियन भी शायद रेज की हैं और हमारे जिले में कारपोरेशन एस. पी. भी कायम कर दिया । वह काफी नहीं है । हमारे जिले में न तो आपने एक बुलेट प्रूफ कार दी है । चारों बोर्डर जिलों में बुलेट प्रूफ कार भी नहीं है और राईफल्स कौन सी हैं मान्यवर ? उनके पास ए. के. 47 है और चाइना की और निकल गई है 56 और हमारे पास कौन सी हैं ? उससे आप मुकाबला कर लोगे ? और व्हीकल्स कौन से हैं, आपने कहा तीन-चार लाख किलोमीटर चलने के बाद व्हीकल्स बदलेंगी, कई बार कहते हैं 7 लाख किलोमीटर चली । गृह मंत्रीजी, मेरी बात सुन लीजिये, 7 लाख किलोमीटर चलने के बाद वह व्हीकल उनके साथ कोप कर पायेगा जिनके पास नई-नई व्हीकल्स हैं । उनकी राइफल्स, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्प्रिट, उनका स्टाईक करने का तरीका, उनके एक भी डिजाइन को आप आज तक इन्टरसेप्ट नहीं कर पाये । आपकी सारी सी. आई. डी, सारा आपके इन्टेलीजेंस, नैटवर्क उनमें आप इन्टरसैप्ट नहीं कर पाये । जो आप डी. जी. आफिस में फैसले करते हो, एस. पी. के आफिस में आप फैसले करते हो, उनको इतला फौरन मिल जाती है । देखिये आप का कितना फर्क है । उनके एक्शन की एडवांस खबर आपको मिलती नहीं है तो कैसे मुकाबला होगा आपका । तो आपको सारा सोचकर के, इन्टेलीजेंस का कामुनीकेशन्स कैसे हो और यह तो मशीनरी है, परसानेल है, यह कैसे हो, कैसे अच्छे व्हीकल्स दीजिये आप, उनको आप आर्म्स एमीन्यूशन दीजिये, अच्छी ट्रेनिंग दीजिये आप, और कुछ आप इन्सेन्टिव दीजिये । पंजाब में उन्होंने इन्सेन्टिव दे दिया, अगर एक आईटम पकड़ते है, एक राइफल पकड़ते हैं तो वह पांच हजार रुपये देते हैं । हमारे यहां जखीरा पकड़ो तो पांच हजार देते हैं । पंजाब के बराबर तो आप कर दीजिये । हर एक आइटम पर पांच हजार रुपये देते हैं, दस हजार, पन्द्रह हजार रुपये देते हैं ।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आपने यहां पकड़ लिया, एन्काऊंटर पर मार दिया फिर भी आप दस-पन्द्रह हजार से ज्यादा नहीं देते हैं। पंजाब ने इन्सेन्टिव का जो फार्मूला बनाया है वह आप भी बोर्डर पर काम करने वालों के लिए एलान कीजिये। तीसरी बात जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे यहां आम तौर पर शाम के वक्त कम से कम बीकानेर, चूरू, गंगानगर और आसपास और जयपुर के सारे पुलिस स्टेशन, पैट्रोलिंग तो आप करते हो पर शराब पीने की जो आदत है यह काफी बढ़ गयी है। यह क्लब में पैदा हुई या आफीशियल्स में पैदा हुई या मन्त्रियों से सीखा उन्होंने, यह मैं नहीं कह सकता। मैं किसी को लाइबल या ब्लेम करने के लिए नहीं आया पर आम तौर पर इस फोर्स में रात को शराब पीने का आहिस्ता-आहिस्ता रिवाज, झुकाव बढ़ रहा है। यह बहुत खतरनाक है। रात में आपको वाच करना पड़ेगा, रात को पैट्रोलिंग करनी पड़ेंगी, रात को नैब करना पड़ेगा, रात को एनकाउण्टर करना पड़ेगा। शराब पीकर वैसे हो रहे हो आप जैसे सारी दुनिया अमन-चैन से सो रही है। मैं सब की बात नहीं कर रहा कि सब ही ऐसे हैं। पर कुछ आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जब कभी आप रात को 10-15 बजे जाते हैं, कभी किसी पुलिस स्टेशन पर सरप्राइज विजिट करो आप। आपको एक महीने में एक करनी चाहिए कि आज इस जेल में चले गये एट रैण्डम, बिना इत्तला दिये। आपको सारा उनका रात का जो वर्किंग है, बिहेवियर है, उनका रैस्पांस है मालूम पड़ जाएगा और कुछ आप सुधार कर पाओगे। अफसरों की ड्यूटी भी लगाइये। आपके डी. जी., आई. जी., एस. पी.,—इनकी ड्यूटी लगाइये कम से कम। सूचना देकर जितनी करो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरप्राइज विजिट अगर आपने तय कर लिये डी. जी. की मार्फत तो मेरा ख्याल है कि इनकी एफीसिएंसी में इम्प्रूवमैण्ट होगा। यह मैंने अपने अनुभव की बात आप से निवेदन की।

मान्यवर, यह ठीक है कि जहां मैं कण्डैम कर रहा हूं वहीं शाबाशी भी दे रहा हूं। 1989 में 21 पकड़े गये मिलिटैण्ट, आउटफिट्स जिसे कहते हैं। मरे नहीं। 6 मुकद्मे दर्ज हुए। 1990 में 42 पकड़े गये और 6 एनकाउण्टर में मारे गये और 1991 में आपकी गिरफ्तारी और बढ़ गयी तो उनको शाबाशी देता हूं क्योंकि किन एडवर्स कण्डीशन में ये कोप–एस. आई., ए. एस. आई. और डी. एस. पी. लेवल के लोग जाकर अपनी जिन्दगी को जोखिम में डालकर एनकाउण्टर में पकड़ते हैं, मारते हैं। उनको, मान्यवर, आप कुछ इनाम दीजिए। 5-10 हजार कुछ नहीं, उनको एक रैंक का प्रमोशन दीजिए ताकि यह इन्सेन्टिव दूसरों में प्रेरणा पैदा करे, मोरल बूस्टिंग होगा।

हमारे यहां वायरिंग कर दिया आपने। फ्लड लाइट भी लगा दी आपने और कुछ चौकियां भी बना दीं। मगर स्ट्रैन्थ उनकी बहुत कम है। मेरा जिला सबसे बड़ा जिला है, 30 लाख का जिला है। वहां की कोतवाली में 50 आदमी हैं, मान्यवर। आस-पास पंजाब का देखते हैं, अबोहर का, फाजिल्का का, तो वहां 150–200, 150–

(श्री केदारनाथ शर्मा)

200 आदमी है स्ट्रेटेजिक पोजिशन पर। फिर फीड बैंक भी होता है उसके पीछे। वायरलैस हुआ फीड बैंक हो जाएगा, री-एनफोर्समैण्ट हो जाएगा। इण्टेंसिव कैम्पेन के लिए सारी उनके पास ताकत है, सारे मीस हैं, सारे मैथड्स हैं। यह गैप है, इस गैप को आप पूरा करेंगे जहां बार्डर का एरिया है।

मैं, ज्यादा नहीं, आप से यही निवेदन करता हूं कि कभी मैस का भी इन्तजाम देख लो जाकर। जब मैं गृह-मंत्री था तो मैं अचानक चला गया मैस को देखने, बैरक्स को देखने। जो चूजे होते हैं उनके इतने होल्स थे वहां पर कि उनकी डाइट का आधा हिस्सा तो वे ही ले जाते थे। जहां भोजन बनता है क्या कहते है, चूल्हा। टूटे हुए चूल्हे थे। मैंने उनको बुलाकर पूछा कि बताओ, कितने परमानेंण्ट हो आप ? 10 साल में 100 में से 5 आदमी परमानेंण्ट बनते थे, बाकी परमानेंण्ट बनते नहीं। मैस अलाउन्स कितना मिलता है? उस समय बहुत थोड़ा था। रहने की कण्डीशन उनकी बड़ी खराब। और उससे आप सोचते हो कि वह कोप कर लेगा, क्राइम का मुकाबला कर लेगा ? जब तक कोप में इण्डिवीजुअलिटी पैदा नहीं होती, आत्म-विश्वास पैदा नहीं होता तब तक वह क्राइम को कोप करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए उनमें कुछ इण्डिवीजुअलिटी पैदा कीजिए आप। कुछ प्रेरणा दो कि आपको पांच साल में प्रमोशन मिल जाएगा, दस साल में प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन की एवेन्यूज क्रिएट कीजिए। और नहीं हो तो एक रैंक दीजिए, मगर एक प्रमोशन दीजिए। 50 हजार कोप है आपकी। उसमें जब तक मोटिवेशन पैदा नहीं होगा, ऊपर के अफसर कितने ईमानदार हों, क्या कर लेंगे ? बेस तो आपका यह है। इस बेस को थोड़ा-सा आप सुधारिये।

मान्यवर, जेल की बात कहना चाहूंगा। जेल का काफी अनुभव है–बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, गंगानगर तो है ही। हमारे वक्त में हमने कुछ तो सैनीटेशन के लिहाज से, क्रास वेण्टिलेशन के लिहाज से पंखे भी लगवाए। सुबह, चाय का भी इन्तजाम कर दिया। मगर डाइट में आपने कह दिया कि 8 रुपए पर डाइट है। मान्यवर बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात ? कहते हैं, 8 रुपए पर डाइट कर दिया। यह बेसिकली तीन रुपए हैं डाइट के। यह कीमत बढ़ गयी अनाज की, चावल की, खाण्ड की, चाय की। बेसिक तो तीन रुपए हैं। जो आदमी हार्ड क्रिमिनल हो, आप सोचते हो कि जेल में बैठकर वह सुधर जाएगा, आइन्दा बाहर जाकर आपने बच्चों के साथ मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा, बच्चों का पालन-पोषण करेगा, तीन रुपए डाइट में कर लेगा क्या वह ? इसलिए कम से कम मेहरबानी करो आप, ये आठ रुपए सही-आठ रुपए दो। इसकी क्वाण्टिटी बढ़ाइये। हार्ड क्रिमिनल हमारी तो मालिश भी करते रहे। भंवर जी जानते हैं। उसका वेट कम न हो इसलिए वे क्या करते हैं कुक की रोटी उथल-पुथल की और कच्ची रोटी दे दी। अब पेट का रोग किसी के किसी के किडनी का रोग, किसी के लीवर का रोग। इन सारे रोगों से बचाओ इनको

(श्री केदारनाथ शर्मा)

आप। जेल मंत्रीजी साहब, थोड़ा बताओ इनको आप।

जेल मैनुअल तो बहुत पुराना है। मेरा ख्याल है, 57 का है, अंग्रेजों के वक्त का। एक-आध अमेण्डमैण्ट आपने किया है शायद। थोड़ा खेलने का इन्तजाम, मुलाकात का इन्तजाम, आप चैक कीजिए। कुछ खाने-पीने का सामान आ जाय आपस में। कहीं लैट्रिन की व्यवस्था फ्लश की। फ्लश नहीं हो तो वैसे ही बना दो। पानी का सिस्टम आ जाय, कुछ घूमने-फिरने का वहां हो, कुछ खेलने का हो ताकि एक नयी लाइफ उनमें पैदा हो जाय और वे बाहर मेन स्ट्रीम में शामिल हो जायं। यह जेल की बात मैं आपसे कह रहा हूं।

यहां पर टाडा की बात चली। एक बात, मान्यवर, मैं भूल जाऊंगा, जिस केस की तफ्तीश एस. पी. कर ले स्पाट पर जाकर, आप भी वकील रहे हैं, मान्यवर, गृह मंत्रीजी, आप सी. आई. डी. में देते हो और डी. एस. पी. की तफ्तीश करवा देते हो। एस. पी. की तफ्तीश के ऊपर डी. एस. पी., सी. आई. डी. तफ्तीश कर रहा है, उस केस का पेट क्या होगा? सी. आई. डी. को ट्रांसफर करने का अधिकार आपको है, डी. जी. को है, यह बात ठीक है। मगर बैल्ट में देखिये आप कि इसकी तफ्तीश की स्टेजेज कौन सी हैं। अगर एस. पी., डी. आई. जी. तक पहुंच गया है वह तब खुदा के वास्ते कोई चेंज मत करो, वर्ना डीमारलाइज हो जाएगा। एस. पी. सोचता है, डी. एस. पी. बैठा है यहां पर। कौन है? लियाकत अली। सब केसेज वहीं जाते हैं। वहीं जाते हैं चाहे एस. पी. करे चाहे डी. आई. जी. करे। वहीं भेज दोगे आप। वह कहता है नहीं, इन्होंने गलत किया है। ये निकाल दिये दूसरे फंसा दिये। मेहरबानी करो। फिर जहां 326 के केसेज हों, 302 के केसेज हों. जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठे तब तक कभी 326 और 302 में चालान मत करो आप। यह मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। स्ट्रांग वार्निग दीजिए।

आगे टाडा की बात। मान्यवर, पांच साल की मैक्सिमम पनिशमैण्ट है कन्विक्शन पर। वह होता नहीं कभी। कोर्ट में ट्रायल हो, तो मेरा ख्याल है ढाई साल से ज्यादा कभी नहीं रखते। जितने केसेज मैंने सारी स्टेट्स के देखे हैं। अब इनको तीन साल तो हो गये। बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं। इनमें से कुछ हो सकता है हार्ड क्रिमिनल हो। किसी ने बम बनाया हो या जिनके क्रीडेंशल ठीक नहीं हों। पर तीन साल का पीरियड भी काफी हो गया। जैसे हालात हैं, राजस्थान के, एक बार उनको एमनेस्टी दे दीजिए। क्या बात है! फिर आपके हाथ में है, आपके हाथ बड़े लम्बे-चौड़े हैं, जब मर्जी आप पकड़ लें अगर ऐसी बात करते हैं वे। एक बार उदारता दिखला दीजिए। उसका असर पड़ेगा सारी कम्युनल एमिटी पैदा करने में, वातावरण को बदलने में।

ये कुछ बातें मैंने आपसे कहीं। हमारी गंगानगर जेल भी शहर के अन्दर आ गयी, बीकानेर जेल भी शहर के अन्दर आ गयी। अलग-अलग उसके हालात बन गये, बहुत

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ही काम्प्लीकेशंस पैदा हो गये। आपको पैसा मिल जाएगा और हम आपको कभी जाने का मौका मिले तो अच्छी जगह मिलेगी, खुली हवा मिलेगी। कुछ जेलें बना दीं, उनको ट्रांसफर नहीं कर रहे आप, शिफ्ट नहीं कर रहे। हनुमानगढ़ की जेल तो ऐसी है, मान्यवर, हेतराम जी तो कई बार गये हैं, मैं भी एक-दो बार गया हूं, कि उसमें तो, मेरा ख्याल है जो सवा किलो घी खाता है वह भी आठ घण्टे से बाद बेहोश हो जाएगा वहां जाकर। ऐसी जेल बनायी। पता नहीं कहां लाये ढूंढ कर। एक झुन्झुनू में भी ऐसी जेल थी पहले। मैं वहां गया हूं। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा सुधार करो। इन्सानियत है आप में। ये मेरे दोस्त, चीफ मिनिस्टर की छवि बढ़ी है, ऐसी बातें कहा करो। छवि, ठीक हैं, और बढ़े, हमें कोई ऐतराज नहीं, भैरोंसिंह जी की छवि खुब बढ़े, तीन साल राज करें, कोई ऐतराज नहीं है मगर ऐसी बातें कुछ कहा तो करो। यहां यह फोरम ऐसा नहीं है, आप तारीफ के साथ कमजोरियां भी बताओ। वोट तो हमको भी देना है, डिमाण्ड हमको भी पास करनी है, उसमें दोराय नहीं है मगर ऐसी बात कहोगे तो इसका असर पड़ेगा।

अब, मान्यवर, आखिरी बात कहता हूं। मैंने डी. जी. साहब से, गृह मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से कहा कि हमारे ए. एस. पी. (ट्रेनिंग) की जगह खाली हुई। मैंने कहा कि जो आदमी अच्छा, ट्रेण्ड हो, एजेड हो, एक्सपीरियेंस्ड हो, हमारी भाषा बोले, क्राइम की क्रिमिनोलोजी में कुछ विश्वास रखता हो, उसको आप भेज देना। मेरे जैसा शख्स जो 30 साल से एम. एल. ए. है, दो बार मिनिस्टर रहा, मेरी बात नहीं मानी तो आपकी क्या मानेंगे। आपकी कौन मानेगा? अब वह न हमारी भाषा जाने। वह प्राइम मिनिस्टर गांव के हैं। न हिन्दी जाने, न ऊर्दू जाने, पंजाबी का वास्ता नहीं, न हमारे से मिल सके। टेक्सटाइल के जो हमारे सबसे बड़े बॉस है, उसके रैस्ट हाउस में जाकर ठहर गया और खाने-पीने लग गया। मैंने तीन बार कहा, आज बदलते हैं, कल बदलते हैं, रिजल्ट वह के वह। वह वहां बैठा है। तो मेहरबानी करके हमारे कहने से लगाओ मत, यह ठीक बात है, कोई मत लगाओ मगर जिसके बारे में हम कहें, डी. जी. उसके बारे में नहीं जानता, गृह मंत्रीजी नहीं जानते, मुख्य मंत्रीजी नहीं जानते, हम जानते हैं जो भुगतते हैं वहां पर। तो जिनके बारे में हम कहें बोर्डर में, आप यह ऐलान कर दीजिये, चाहे एम. पी. कहे, चाहे एम. एल. ए. कहे, चाहे आपके मंत्री कहे, बोर्डर पर आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कीजिये, हमारे कहने से मत कीजिये। अगर आप चाहते हो बोर्डर को बचाना तो मैंने जितनी बातें कहीं, मेरा ख्याल है, माननीय गृह मंत्रीजी मेरे दोस्त हैं, वे निश्चित रूप से जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बृजराज मीणा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री घासीराम चौपड़ा (अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लढ़्ढा (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री परसादीलाल मीणा : चौपड़ साहब का भी नाम है लेकिन पहले लढ़्ढा साहब का है।

श्री उपाध्यक्ष : हां बुला लूंगा। बैठिये आप।

श्रीमती रमा पायलट (अनुपस्थित)

श्री रामप्रसादजी लढ़्ढा।

श्री रामप्रसाद लढ़्ढा : कोई नहीं है तब फरमा रहे हो जबकि मेरा नाम चौथे नम्बर पर था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ छोटी-छोटी बातें रखूंगा मांग संख्या 16 और 17 पर जो जनता से जुड़ा हुआ मामला और सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष कुछ छोटी-छोटी बातें कहूंगा जो सरकार की उपलब्धि हैं। यह कौन सी सरकार है–संवेदनशील। संवेदनशील सरकार की भरतपुर जिले में उपलब्धि है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी कुछ दिन पहले रूपवास क्षेत्र के खानवा गांव में डकैती पड़ी। यह एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, नगर में डकैती हुई। तीसरी उपलब्धि डीग में हुई। एक साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र बैर में कई डकैतियां हुई। उनमें, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। यह संवेदनशील सरकार की उपलब्धि है। अफसरों से मिलते हैं कि डकैती के मामले में क्या हुआ तो कहते हैं कि कर रहे हैं, कार्यवाही हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब इधर बैठते थे तब बड़े जोर से बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इतनी डकैती तीन-चार महीने के अन्दर भरतपुर जिले में हुई। + + + गृह मंत्रीजी तो कहते हैं, टेलीफोन भी करते हैं, पर उनकी कोई सुनता नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय ने वहां रोक लगा दी है हर मामले में। भरतपुर जिले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : + + + शब्द को एक्सपंज कर दीजिये।

श्री रामप्रसाद लढ़्ढा : भरतपुर जिले में एक मामला बहुत जोर का चल रहा है सट्टा और जुआ का। जुआ और सट्टा के ठेकेदार पुलिस अधिकारियों ने बैठा रखे हैं। इस तरह के सट्टे के ठेकेदार हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। मैंने गृह मंत्रीजी से यह कहा था कि आप मेरे साथ चलिये साधारण कपड़ों में, आपको पूरा बाजार घुमाता हूं, पूरा भरतपुर शहर घुमाता हूं, बयाना घुमाता हूं। सट्टे के जो ठेकेदार हैं, वे सट्टा चौड़े में खुले आम चला रहे हैं। आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। पिछले साल मैंने एक प्रस्ताव दिया था, उसमें यह लिखा, मैंने उनकी शिकायत की तो रामप्रसाद लढ़्ढा ही सट्टा करवा रहा है! उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

की घटनाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार ने बयाना में जाकर....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जरूर कहा था सट्टा के बारे में। आपने यह कहा था कि मैं कहूं उस डी. वाई. एस. पी. को लगा दो तो वहां सब ठीक हो जायेगा। मैंने वह लगा भी दिया इनके कहने से।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं, क्यों नहीं हुआ। इसका कारण माननीय मंत्रीजी को पता होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सट्टे के मामले में कह रहा था कि अगर किसी आदमी की शिकायत करते हैं कि फलाना आदमी सट्टा ले रहा है, उसके पहले पुलिस का आदमी वहां पहुंच जायेगा कि तेरी शिकायत की है फलाना एम. एल. ए. ने। वहां जाकर पहले उनको रिपोर्ट मिल जाती है। पुलिस के लोग वहां जाकर के वहां जो ठेकेदार बने हुए हैं, सट्टा ले रहे हैं, उनसे पुलिस के आदमी जाकर के कि कितने पैसे देने हैं, मैं आपको, सदन को बताना चाह रहा हूं कि जो संवेदनशील सरकार है, लाखों रुपये का रोजाना का धन्धा होता है। गांवों में सट्टे की कोई चर्चा नहीं थी। रिक्शे से गांव से आते हैं और सट्टा लगाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है। यह कई ऐसे मामले हैं, कोई छोटा आदमी जा रहा है बाजार से सौदा लेने को, उसको पकड़ लिया और उसकी जेब में पर्ची रख दी, सट्टा खेल रहा है, झट ले जाकर बन्द कर दिया और यह दिखा दिया कि हमने इतने केस सट्टे के पकड़े। जो ठेकेदार हैं, उनको आज तक नहीं पकड़ा, जो ये सट्टा ले रहे हैं, उनको आज तक नहीं पकड़ा, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनको आज तक नहीं पकड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा कह रहा हूं, भरतपुर का यह ठेकेदार है, वह सट्टे ले रहा है, भरतपुर में भी सट्टे खेल रहा है, उसकी ठेकेदारी चल रही है, उसकी दुकानें चल रही है। नदबई में चल रही है, सुख-चैन में चल रही है। इस तरह के ठेके चला रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात, इसी सट्टे के मसले में जो सरकार ने कानून बना रखा है, जब चालान होता है तो 50 रुपये जमा करा देते हैं और उनको छूट हो जाती है। इसमें, गृह मंत्री महोदय, कड़ा कानून बनाया जाय। इसमें मेरा सुझाव है, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिये और कम से कम 15 दिन तक बन्द रखना चाहिये थाने में, उनकी पिटाई होनी चाहिये जिससे सट्टा बन्द हो। इस तरह गरीबों का शोषण हो रहा है।

दूसरी बात, मैंने कई बार डकैती के मामले में कहा है। बयाना में अभी-अभी कई मसले आये। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, गृह मंत्रीजी, अच्छे घर के हैं, अच्छे परिवार के हैं लेकिन खराब पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि बयाना में एक साल के अन्दर कई घटनाएं हो गई, कई मर्डर हो गये लेकिन आज तक उनके

(श्री रामप्रसाद लढ़्ढा)

ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी-अभी कुछ दिन पहले बयाना में गोली चली थी। पता नहीं, किसकी चली, किसकी नहीं चली, जिसकी नहीं चली। आज तक इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सरकार इस तरह की बातों पर पाबन्दी लगाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुबह भी बोला था, चाहे इस पक्ष के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हों, चाहे उस पक्ष के हों, मैं यह कहना चाहता हूं अनुसूचित जाति के लोग हों दबंगता के साथ कहना चाहता हूं और जनजाति के लोगों से भी कहना चाहता हूं, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, यह सरकार शिड्युल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ है। आज जो घटनाएं घट रही हैं, यह शिड्युल्ड कास्ट के लोगों के साथ क्यों घटती सुबह जब मैं बोल रहा था उस समय भरतपुर जिले के नूरोल गांव और चितौकड़ी गांव की बात मैंने बताई थी पर मुख्य मंत्रीजी इस सदन में नहीं आ रहे हैं। इधर जब विपक्ष में बैठते थे तब तो बार-बार उछल-उछल कर बोलते थे। शिड्यूल्ड कास्ट का मसला आया, उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा भी जवाब नहीं दिया और जैन का मसला, जिनकी एक करोड़ की आबादी है, एक-दो सदस्य उधर से बोल गए उस पर मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। पर मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की घटनाएं भरतपुर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ हो रही हैं और मुख्य मंत्रीजी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। सरकार यह कहती है कि अच्छा काम कर रही है सरकार को जवाब देना चाहिए था।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

मुझे थोड़ी बात और कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग डकैती पकड़ते हैं, उनमें छोटे लोग जाते हैं वह उनको पकड़ते हैं और वही पकड़ कर लाते हैं, डकैतों को मारते हैं और बड़े अफसरों का प्रमोशन हो जाता है और छोटे लोगों का प्रमोशन नहीं होता है। वह लोग, उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि हमारा तो प्रमोशन ही नहीं होता है। हमारे जिले में सबसे ज्यादा डकैतियों का मामला होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटे-छोटे सिपाही होते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि बड़े-बड़े आफिसर्स जो पुलिस आफिसेज में बैठते हैं वह तो फ्रीज में रखा खाना खाते हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाहें उन्हें मिलती हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक सिपाही जो बन्दूक लेकर 12 घंटे की ड्यूटी देता है उनको कितनी तनख्वाह मिलती है। उन्हें तनख्वाह मिलती है। 1200-1400 और जो लोग घरों और बंगलों में बैठते हैं उनकी तनख्वाह मिलती है 5000 से 7000। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे सिपाहियों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाय, उनके खाने की अच्छी व्यवस्था की जाय और उनकी जो साधारण वर्दी मिलती है उसके स्थान पर उन्हें टेरीकोट की वर्दी मिलनी चाहिए, उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कान्स्टेबल को 5 से 7 हजार और अधिकारियों को 1200 रुपये मिलने चाहिए। यह ये चाह रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जो मामले उठाये हैं उनके बारे में गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले में रोज इस तरह के जो काण्ड हो रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी तो + + + जवाब देंगे ही लेकिन खास तौर से भरतपुर जिले के मामले में हमारे सदन के नेता अन्य दुबक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : + + + शब्द को एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह सदन के सामने क्यों नहीं आते हैं, छोटे लोगों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? सदन में उनको जवाब देना चाहिए और ऐसी बातों पर सरकार को पाबन्दी लगानी चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 और 17 पर विचार एवं पारण की स्थिति है। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैंने जेल की व्यवस्था के सम्बन्ध में पिछले दिनों प्रश्न पूछे थे। मैंने बन्दी पुरीलाल और लालचन्द के बारे में प्रश्न पूछा था उसका मुझे गलत उत्तर दिया गया। यह कहा गया कि जेल में अव्यवस्था के कारण से उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई। मान्यवर, जेल के सारे नियमों को ताक में रखकर उन बन्दियों को टाइम पर दवाई नहीं दी गई, गार्ड के साथ भेजा नहीं गया इस प्रकार से उनकी मृत्यु कारित की गई। मैंने प्रश्न के सन्दर्भ में और जांच चाही और वह जांच हुई। वह रिपोर्ट मेरे पास है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस संदर्भ में में कुछ विवरण आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी।

मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि केन्द्रीय कारागार, जयपुर में हुई बंदियों की मृत्यु के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। मान्यवर, यहां पर जांच रिपोर्ट के कुछ पैराज हैं वह मैं बताना चाहूंगी कि अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक इतना-इतना जो भेजा गया था, वास्तविक स्थिति छिपा कर कारागार नियम-15 1991 के पैरा 25 सैक्शन (5) नियम 162 का पार्ट 25 सैक्शन 9 के नियम 333 की अनुशंसा में कार्य नहीं किया गया, राज्य सरकार को भ्रमित किया गया जिससे कि विधान सभा में भी राज्य सरकार द्वारा सही उत्तर न भेजना सम्भव प्रतीत होता है। इस प्रकार से जेल में अपराधियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है मैं समझती हूं कि अच्छा

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है। इस रिपोर्ट के बारे में पिछली बार राज्य सरकार को कहा गया और मुझे यहां पर आश्वस्त किया गया कि हम जो भी दोषी हैं उनको दंडित करेंगे। लेकिन उनको दंडित नहीं किया गया बल्कि इतने धीरे-धीरे मामले को सरकाया गया कि उनमें से कई तो रिटायर हो गए। महानिरीक्षक कारागार व तत्कालीन अधीक्षक जेल आप उसके ऊपर अब क्या कार्यवाही करने वाले हैं और इन दोषियों को सैक्रेटैरिएट में बैठकर बचाते हैं उनके प्रति आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं ? कृपया इस सम्बन्ध में अपने उत्तर में मुझे बतायें।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगी कि उपभोक्ता संघ के बारे में जेल में नियम है कि जो भी सामान की खरीद की जाय वह उपभोक्ता संघ के माध्यम से की जाय लेकिन हुआ यह है कि वहां के अधिकारियों ने....(व्यवधान)।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। मान्यवर चीफ व्हीप जिस तरह से आकर आपसे बात करते हैं सीधे यह गलत है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अण्डर वाट रूल्स ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप भी आ जायं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं। यह गलत है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप उन्हें प्रताड़ित क्यों नहीं करते है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्ला साहब, भविष्य में यह ध्यान रखेंगे। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : क्या गलत है ?

श्री टीकमचन्द कांत : आप भी गए हैं कई बार ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कभी नहीं गया, आपको गलतफहमी है।

श्री टीकमचन्द कांत : जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन गए थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह एक अलग बात थी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वह चेयर पर आकर आपसे सम्पर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह कहीं रोक नहीं है, कौन से ऐसे नियम है, कृपया नियम देखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन बोलने वाले के बीच में व्यवधान होता है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : It is provided in the rules.

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, व्यासजी।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : कल्ला साहब को गलतफहमी है। इनको हमेशा व्यवधान लगता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : Please quote the rules.

इन दोनों ने नियमों की बहुत स्टडी कर रखी है। कृपया नियम इतने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि He must talk quoting the rules.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कम से कम दसों बार देख चुका हूं कि पार्टी के चीफ व्हीप आकर सीधे इस तरह से बात करते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह चीफ व्हीप रहे हैं इनको पुराने नियम याद हैं। इनको नये नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुप्ताजी विराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इस सम्बन्ध में फैसला करिए कि इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : you can not bound. आप तो उपाध्यक्ष महोदय को आदेश दे रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप व्यवस्था तो दें कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप कौन से नियम कोट कर रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : नियम तो नियम हैं, पुराने और नये नियम क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस सदन का हर सदस्य आसन को सम्बोधित करके ही अपनी बात कह सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : श्री हरिसिंहजी एक मिनट।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और आसन की निगाह अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अपनी बात आसन को सम्बोधित करके कहते हैं। इस प्रकार से आसन और बोलने वाले के बीच में व्यवधान होता है वह नहीं होना चाहिए। आपके बिल्कुल सामने माननीय सदस्या बोल रही हैं.... (व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात शुरू करु।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट। प्रोफेसर साहब।

श्री केदारनाथ शर्मा : इतना ही निवेदन है कि चेयर की आंखों के सामने कोई रुकावट नहीं हो यह इतनी सी बात है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : रुकावट कहां हुई?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोल रही थी ना।

डा. चन्द्रभान : रुकावट यह बोल रही थी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सदस्या बोल रही हैं उनको तो कोई ऐतराज नहीं है। माननीय सदस्य मुझे देख रहे हैं ना कि उपाध्यक्ष महोदय की तरफ देख रहे हैं, ना ही माननीय सदस्या के विचार ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और पता नहीं इनका ध्यान कहां पर जा रहा है ?

श्री टीकमचन्द कांत : यह तो दोनों के साइड में थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री टीकम चन्दजी। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि नियमों में कहीं भी हार्ड एण्ड फास्ट नहीं है। परम्परा के अनुसार जब श्री कल्ला साहब सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक रहे हैं तो कई दफा यहां पर आकर बात करते रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कभी नहीं गया। (व्यवधान)।

श्री दिग्विजय सिंह : सुरेन्द्र जी, आप तो थे ही नहीं हाउस में उस वक्त आपको तो मालूम ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इनको सिखाइए कि इस तरह से जाकर के हाथ रखकर के स्पीकर के सामने खड़े होते हैं यह..... (व्यवधान).... यह सदन की अवमानना है। स्पीकर की कुर्सी के आगे जाकर के खड़े होकर के इस तरह से बात करें और माननीय सदस्या बोल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, यह परम्परा है कि सदन का माननीय सदस्य आसन तक भी आ सकता है। आसन के बीच में नहीं आ सकता। अब विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी चाहिए कि ऐसा कभी नही होना चाहिए....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक गम्भीर विषय है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह लोग आकर के आपसे इस तरह से बात करते हैं, यह बहुत गलत बात है।

श्री टीकमचन्द कांत : जब कोई बोलता है, आसन के बीच के अन्दर उन दोनों को क्रास करता हुआ नहीं आए, यह नियम है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिए इस सम्बन्ध में। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप। मैं इस पाइन्ट को रिजर्व रखता हूं और इस बारे में व्यवस्था दे दी जायगी....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एम. एल. ए. का कम्युनिकेशन स्पीकर से होता ही नहीं है। हम सिर्फ भाषण के अन्दर आपको सम्बोधित करते हैं अन्यथा आसन से सीधा सम्पर्क ही नहीं होता एम. एल. एज. का। इनको समझना चाहिए कि हम चिट्ठी लिखते हैं तो सचिव, राजस्थान विधान सभा लिखते हैं। जो स्पीकर को बात लिखनी होती है सचिव को एड्रेस करते हैं और आप नए आदमी हैं। स्पीकर साहब ट्रेनिंग कैम्प लगाते हैं, और समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाती हूं.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा विवरण यहां दिया था, उपभोक्ता संघ के माध्यम से सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए सामान की खरीद जेलों में जो की जाती है उसके माध्यम से की जाए, बजाए उसके वहां के जो महानिरीक्षक थे उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो सात करोड़ का माल खरीदा गया चार साल में हमने ग्रोसरी को क्राकरी पढ़ लिया, आप स्पेलिंग देखिए जी. आर. ओ. सी. ई. आर. आई. ई. एस., अब क्राकरी कहां मिलती है सी. आर. ओ. टी. के. ई आर. वाई. अब ऐसे निरीक्षक महोदय को आपने बरसों बरस रखा। मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने उत्तर में यह कहा आपने बरसों-बरस रखा। मैं यह कहना चाहती कि उन्होंने उत्तर में यह कहा कि हमने जो माल ठेकेदार से खरीदा, इतने दिनों से उससे सरकार को कोई हानि नहीं हुई। अब सरकार नियम तो बनाती है सहकारिता के माध्यम से सामान खरीदने का और वह उसकी अवज्ञा करके सामान खरीदते हैं ठेकेदार से, ठेकेदार से सामान खरीदने के पीछे उनका क्या लक्ष्य रहा होगा, उन्होंने कितनी रिश्वत ली होगी, आप सोच सकते हैं। कितना माल खराब होगा, इसका भी आप अनुमान कर सकते हैं।

एक दूसरे उदाहरण में उन्होंने आदेश की अवहेलना करते हुए गलत कार्य किया मैंने आपके सामने बताया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जेल में कुछ भर्ती खुली और भर्ती के बारे में यहां मामला आया। उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट को काटकर पिछली डेट में बनाते हुए और एक मामले में यह कहा कि इसमें पदनाम लिफाफे पर नहीं लिखा हुआ था इसलिए उस मामले में उन्होंने दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वह वहां मामला लाए और सारा मामला स्थगित हुआ।

तीसरा उदाहरण, जेल का गलत कार्य करने का है मैं आपको बताना चाहूंगी यह लोग क्या कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी श्रीवास्तव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेल में लोगों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। तो जेल में नशा जाता कहां से है, स्मेक जाएगी, भांग जाएगी, गांजा जाएगा, जब गेट पर इतना सख्त पहरा है कि वहां अन्दर कोई घुस नहीं सकता, तलाशी के बगैर जा नहीं सकता तो मैं पूछना चाहती हूं कि या तो श्री वास्तव साहब गलत कहते हैं या जेल के अधिकारी शरारत करते हैं। पैसा लेते हैं और उनको नशे की आदत का शिकार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बनाते हैं। तो फिर ऐसे मामले में उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या करने जा रही है, यह मैं आपसे जानना चाहूंगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, जेल में पिछले दो वर्षों में सूद का मामला सामने आया। गलत रूप से सरकार को नुकसान पहुंचाया गया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जितने भी मामले यहां पर आए, दंगा पीड़ित लोगों को जो वहां पर परेशानी की हालत में, कोई दोषी और कोई निर्दोष जो पकड़ा गया उनको पीटा गया, उनको खाना नहीं दिया गया, उनकी बुरी हालत की गई। उनको दवाई के लिए, जो नियम है, नियम यह है कि जो बीमार होगा उसको सुबह ही अस्पताल भेजा जायगा, गार्ड के साथ भेजा जाएगा लेकिन उनको नहीं भेजा गया। उनकी बुरी हालत की गई। ऐसे मामलों में जेल के अधिकारी ऐसा कार्य कर रहे हैं और सरकार उस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले रही है।

कुछ लोग तो वास्तव में जैसा मैंने आपको कहा कि रिटायर हो चुके हैं अब उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, निश्चित रूप से आप मुझे बताएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कई मामले ऐसे और भी मेरे सामने हैं मैं उन मामलों को बाद में बताऊंगी। मैं कहना चाहती हूं कि जो अधिकारी हैं वह लोग कर ही रहे हैं जो निर्दोष हैं उनको फंसा रहे हैं उनकी इज्जत से उनको कोई मतलब नहीं, उनके खिलाफ कोई गलती नहीं। कुछ लोगों को तो ऐसा फंसाया जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचाने के लिए यह पैसा लेकर बचाने की कार्यवाही कर रहे हैं और उनसे कहते हैं निर्दोष लोगों से कि इतने दिन में आप कोर्ट में जाओगे, आपके दस हजार रुपए खर्च होंगे। मिस्टर जैन, मिस्टर चौपड़ा, यह क्या मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और जो रिटायर हो गए हैं उनके खिलाफ चालान प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि जेलमें अगर इस तरह के मामले होते रहे तो बरदाश्त काबिल बात नहीं रहेगी। वह तो मरे हुए लोग हैं....अच्छा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह रहता कि जेल मैन्युअल में कोई सुविधा उत्पन्न की होती, उनके खाने में, उनके रहन-सहन में सुधार किया होता पर इतनी फुरसत ही किसको है। जब ऐसी आपा-धापी में लोग पड़े हुए हैं तब फिर कैसे मामला होगा। रामानन्द शर्मा रहे, मिस्टर अंसारी रहे, जिनकी रिपोर्ट आप कहें तो मैं सदन में प्रस्तुत करूं, उनके खिलाफ कार्यवाही की, सदन का आश्वासन पूरा नहीं किया गया तो मैं यह जानना चाहूंगी कि आगे सरकार क्या करने वाली है, निश्चित रूप मे बताए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी पुलिस के बारे में, यहां 1976 के बाद में पुलिस में भर्ती नहीं हुई। जितनी जनसंख्या बढ़ी है अपराध भी बढ़े हैं, एरिया भी पुलिस का बढ़ा है तो कुछ पुलिस की भर्ती और हो, कुछ चौकियां और खुले, कुछ चौकियां और खुले, कुछ थानों में नफरी बढ़े, इसकी सरकार को चिन्ता करनी चाहिए कि जब तक नहीं बढ़ाएगें तब तक कार्य क्षमता

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कार्य कुशलता कैसे बढ़ पाएगी। मैं जानना चाहूंगी कि मंत्री महोदय जब बताएं। तब बतायें मैं चाहूंगी कि जो अन्वेषण ब्यूरो खोला गया है उसको समर्थ बनाया जावे। बिना समर्थता के कार्य नहीं हो पाएगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि उनके भत्ते, और लोगों के भत्ते बढ़ जाए, वह आन्दोलन करते हैं पुलिस वाले आन्दोलन नहीं करते, उनके वेतन और उनके भत्तों में बढ़ोतरी के लिए सरकार को चिन्तन करना होगा। उनके रहने की व्यवस्था के लिए सरकार को चिन्तन करना होगा कि वह उनको फ्री एकमोडेशन दे और नजदीक में दे जिससे उनकी कार्य कुशलता बढ़े। सरकार को निर्णय लेना है। जब इन्सपैक्टर, ए. एस. आई. होता है तो उसको 150 रुपए का नुकसान हो जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मैस भत्ता 200 रुपया है और हमारे यहां बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए।

हमारे गांवों में जीपों की व्यवस्था बहुत कम है। मेरे यहां 6 थाने लगते हैं। किसी को बस्सी जाना पड़ता है, किसी को जमवा रामगढ़, किसी को आमेर, यह माणक चौक तो शहर की बात है। मैं जानना चाहती हूं कि इन सारे थानों के आदमी जमवा रामगढ़ तक के इलाके में आकर किस प्रकार अपनी एफिशियंसी को सामने दिखा सकते हैं जब उनके पास जाने को न जीप है। आपने मेहरबानी करके जो मोटर साइकिल दी हुई है उनको आपने 75 रुपया पैट्रोल का दिया हुआ है जब 3.15 पैसे लीटर पैट्रोल का भाव हुआ करता था उस समय, आज बीस रुपया है आप इसको बढ़ाएगें? मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से बताएगें कि आप इसको बढ़ाने जा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे जमवा रामगढ़ में, यह बात कहते हुए भी मुझे कई दिन हो गए, जब यहां पर एशियाड हुआ था थाने में फोन लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर कोई बात करनी है तो वहां एकदम उठकर न जाया जाए। थानेदार को भी दिक्कत होती है। अधिकारी भी कहीं बात कर सकते हैं। अब जमवा रामगढ़ में वहां टेलीफ़ोन एक्सचेन्ज भी खुल गया लेकिन जो तीन लाख का मामला है, न तो पुलिस, न विभाग इसको सुलटाता है, न पर्यटन विभाग सुलटाता है। अन्य थानों में फोन हैं। एक जमवा रामगढ़ ही ऐसा अभागा थाना है जहां पर वहां फोन दुबारा चालू नहीं हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी कि वहां के कार्य की क्षमता बढ़ाने के लिए वहां टेलीफोन की नए रूप से व्यवस्था कराए और इसके लिए निश्चित रूप से पैसा दें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस वाले....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। पूरा कीजिए आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगी 2-3 बातें और कहने दें। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रकार से जो पुलिस वाले सुबह से शाम तक करते हैं, यहां पर ड्यूटी लगती है, मैं चाहती हूं कि उनको हार्ड

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ड्यूटी अलाउन्स दिया जाये। इसी प्रकार आपने होम गार्डस को लगा रखा है रात में, जो कि रात को गश्त करते हैं उनको भी आपको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देना चाहिए और इस सम्बन्ध में सिविल डिफेन्स के जो लोग हैं इसके बारे में भी आपको विनिश्चय करना चाहिए। 65 में दिल्ली के नियमानुसार उनको जो वेतन-भत्ते पुराने हैं वही तनख्वाह, भत्ते दे रहे हैं। वह कोर्ट से ले करके आये हैं कुछ लोग और कुछ लोग रह गये हैं तो निश्चित रूप से आप इसके सम्बन्ध में भी जब उत्तर देंगे तो कोई निश्चय करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पुलिस वालों में कुछ एब भी है। एक तो शराब पीने का एब जो बता रही थी कि बन्द कर दो, जितने अपराध है उनमें 99 प्रतिशत अपराध शराब पीने से क्रियेट होते हैं। एक्सीडेन्ट्स भी शराब पीने से होते हैं। समाज में पता नहीं क्या दुर्व्यवस्था पैदा की हुई है शराब ने और यह सरकार अपना मोह नहीं छोड़ रही है। मैं फिर आग्रह करूंगी कि शराब बन्द की जाये और जो शराब पीये ड्यूटी पर, उसके खिलाफ एक्शन लें। आप ऐसा कार्य करें। कुछ लोग हैं। मेरे इलाके में एक सज्जन रहते हैं वह मौहल्ला पोलटिक्स में भाग लेते हैं। उन्होंने एक आदमी को थाना आदर्श नगर में मार भी दिया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब मैंने प्रश्न पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं, जुलूस निकालता है हमारे खिलाफ, मन्त्रियों के पेट में घुसा रहता है रामजस। मैं निवेदन करना चाहूंगी उसके खिलाफ, केवल 50 रुपये उसके काटे जा रहे हैं। मैंने लिख कर दिया है। ऐसे मोहल्ला पोलिटिक्स में भाग लेने वालों का आप प्रमोशन करते हैं, हद है। पांच-छः महीने में एक महीने काम करता है, फिर जमीन बेचता है और ड्यूटी पर आता नहीं और आप उसको प्रमोशन पर प्रमोशन किये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री रामकरणसिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, महिला उत्पीड़न के मामले में मेरा यह अनुभव है कि पुलिस आत्महत्या का केस बनाती है हत्या के मामले में। जो पुलिस अधिकारी है निश्चित रूप से अपने सामने उपस्थित करके, अपने अधिकारी, कर्मचारियों को जो थाने में सीधे-सीधे हैं उनको समझायेंगे कि यह भी किसी के घर की बहन-बेटियां हैं। इन पर जो अत्याचार है, अगर अत्याचार करने वालों को दण्ड नहीं मिला तो समाज में अव्यवस्था होगी। आप कृपया इस तरह का डिसीजन लें कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। यही मेरी बात कहनी हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांगों पर विचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मेरे कोटपूतली क्षेत्र में अभी इन्हीं दस

(श्री रामकरण सिंह)

दिनों में वहां की स्थानीय पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय काम किया और वह काम है कि जिसकी मारूति कार चोरी गयी थी उसे कुछ मालूम नहीं लेकिन मेरे यहां की स्थानीय पुलिस ने उस कार के चुराने वाले को पकड़ा और उसमें 10-15 कार और चोरी हुई वह बरामद करने की जानकारी दी। अभी तीन-चार दिन में एक ट्रक सिगरेट का फरार किया गया लेकिन स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ लिया, बरामद कर लिया। इसके लिए आपके माध्यम से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी, आप और आपके उच्च अधिकारी इन छोटे लोगों का होसला बुलन्द करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। ऐसे मामले तो बहुत हैं कि सिपाही ने काम किया तो थानेदार ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और सिपाही को धोखा दिया। थानेदार ने काम किया तो डी. वाई.एस. पी. ने यह कोशिश की है। जैसे करोली का मामला है। जनता ने लोगों को मारा, डाकू को मारा और क्रेडिट ले रहे हैं एडीशनल एस. पी. और उसका आप साथ दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट शब्दों में कि मेरे यहां कोटपूतली के उन कर्मचारियों का और स्थानीय अधिकारियों का, जो पुलिस ने ऐसे प्रशन्सनीय काम किये हैं उनका हौसला बुलन्द करने के लिए आप और आपके उच्च अधिकारी उनका प्रमोशन करें और उन्हें इनाम दें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की कार्यवाही करें। इसके अलावा एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि 14 हजार की एक डकैती दो साल पहले हुई। मेरे स्थानीय पुलिस के एस. एच. ओ. ने भी, डी. एस. पी. ने भी, एस. पी. ने भी और डी. आई. जी. साहब ने भी उसे जायज माना और सही तथ्य सामने रहते हुये कि चार लड़कों को, एक सरपंच ने जिसका नाम अनवारी लाल है गोर्धनपुरा चौकी में कमरे में बन्द करके मजबूर कर दिया और उनको बुरी तरह से, और वहां फिरौती के रूप में जैसे सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में होता है, उससे 14 हजार रुपये लिये गये। उसकी डकैती, सब चीजें डी. आई. जी. तक ने मान ली उसके बाद में बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सी. बी. आई. में उसे ट्रान्सफर करने के बाद में एक मामूली डी. एस. पी. स्तर के व्यक्ति ने उस पर एफ. आर. दे दी। यह क्या आपकी व्यवस्था है। क्या यह डी. आई. जी. से बड़ा है, एस. पी. से भी बड़ा है आपका एक सर्किल इन्सपेक्टर जो सी. बी. आई. का था, उसने फाइनल रिपोर्ट दे दी। इसके पहले भी मैंने कहा है, कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसको आप सुधारिये। इसके अलावा कोटपूतली एक ऐसी जगह है देहली से आवागमन, यू. पी. से आवागमन, हरियाणा नजदीक पड़ता है और कोटपूतली उप खण्ड में पंचायत समिति है इसलिए कृपया एडीशनल एस. पी. का पद सृजित करके वहां लगवायें ताकि उधर से आने वाले जैसे तिब्बत में अपने मज़बूती से काम करते हैं तो कोटपूतली हमारा तिब्बत है राजस्थान का, उधर से आने वाले आताताइयों को वहां रोका जा सके। इसलिए आप एडीशनल एस. पी. का ऑफिस वहां जरूर दीजिए। एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह विशेष चीज

(श्री रामकरण सिंह)

है कि कुछेक मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके लिए आप पुलिस तेज कीजिए। जितने कत्ल हुये हैं अगर कोई अधिकारी उनकी तलाश नहीं कर सके या जितने केस कत्ल के हैं, बरामद ना कर सके उन लोगों को तो ऐसे केसेज में उन आदमियों के लिए कुछ दंड निश्चित कीजिए ताकि यह हो सके कि कत्ल उनको लाजमी तलाश करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 90 दिन में कत्ल के मामलों को, 90 दिन हटा करके उसके बाद में चालान करते हैं जिससे उनको जमानत के लिए फायदा मिल जाता है तो इसके लिये भी आप व्यवस्था कीजिये। इसके अलावा जितनी यह जेबकटी होती है, जेबकटी हजार की हो, दो हजार की यह मामला नहीं, 90 हजार की जेबकटी अभी सिन्धी कैम्प में हुई और उस थेले को लेकर भाग रहा है और पीछे-पीछे पुलिस जा रही है और उसके बाद में 90 हजार की जो जेबकटी हुई है. मैं तो डाका मानता हूं। ऐसी व्यवस्था, मंत्रीजी, आपके जयपुर में हो जाये, आप नाकाबन्दी, एक मामूली स्कूटर के लिये नाकाबन्दी कर सकते हैं लेकिन 90 हजार की डकैती के लिए आपकी सिन्धी कैम्प में वहां चौकी है, वहां थाने वाले देखते रहे और उसके बाद में आप उसकी कोई व्यवस्था ना करें.... इसलिए जेबकटी के बारे में आप व्यवस्था देंगे कि जिस थाना के क्षेत्र में जेबकटी हुई है, बरामद नहीं हुई है, उनके प्रमोशन और इन्क्रीमेंट रोक दीजिये, यह मेरी राय है।

इसके अलावा, मैं करौली के बारे में कह रहा था। आपको ताज्जुब होगा कि वहां पर डाकुओं को दो ग्रामीणों ने मारा और उनको मारने के बाद में वहां कुछ आदमी आये और सुबह 4 बजे इत्तला देते हैं कि एडीशनल एस. पी. साहब वहां जाते हैं और जाने के बाद में रिकार्ड बदल देते हैं। उनका जो सिपाही था, उनका जो ड्राइवर था उस ड्राइवर ने लोकबुक बदलने से इन्कार किया तो वह प्रकाश नाम का ड्राइवर आज बेघर डोल रहा है और वह गरीब उन डाकुओं को गरणपत धोबी और गोपाल सुनार को जो मार गये हैं, उसके लिए वहां के एस. पी. ने जब जांच चालू की, शिकायत की गांव वालों ने तो एस. पी. साहब का ट्रांसफर कर दिया और वहां एक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। जिन लोगों ने उन्हें मारा, उन्हें मारा गया कि यह कहो कि एडीशनल एस. पी. और उनके साथियों ने मारा है, उनको गिरफ्तार किया गया, यातनाएं दी गई, सताया गया। यह आपका निष्पक्ष रूप से बहुत ही बुरा व्यवहार पुलिस का है, इसलिए इसे अमेण्ड कीजिये। मैं सब अधिकारियों के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन चंद अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए आपको बदनाम करते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं और पुलिस विभाग को बदनाम करते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे गांवों में एक कहावत है कि "भैंस की सी छाती कर्या बैठ्यो थो" अब आपसे बहुत सम्मान के साथ कहना पड़ रहा है कि घंटी को आप थोड़ा कम बजाइये।

31 मार्च, 1991 को यहां मोतीडूंगरी के पास में एक गुर्जर छात्रावास है। वहां

(श्री रामकरण सिंह)

जिस तरह से अभी एक माफिया गेंग की बात माननीय सुमित्रा जी ने कही, वहां वो का वो हाल है। हमारे राठौड़ साहब उसके लिए चोंके....

श्री उपाध्यक्ष : आप चेयर को एड्रेस कीजिये।

(8.00 रात्रि)

श्री रामकरण सिंह : राठौड़ साहब चौंके, मेरा भी नाम सिंह से लगता है लेकिन जितने माफिया गेंग इस समय हैं चाहे झोटवाड़ा को देखो चाहे मोती डूंगरी को देखो। इनमें सिंहों की भरमार है। माननीय गृह मंत्रीजी, यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, यहां माफिया गेंग में सिंह चाहे कोई भी ले लो, ये सोचते हैं कि राजपूत हैं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी भी राजपूत हैं और गृह मंत्री जी भी राजपूत है इसलिए राजपूतो ने ही यह काम अपना लिया है और जमीनों से बेदखल करना, ये इसी वर्ग को करना पड़ रहा है। माननीय सुमित्रा जी ने भी अभी तीन नाम गिनाये, तीनों राठौड़ ही थे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : वे भी सिंह, आप भी सिंह हैं।

श्री रामकरण सिंह : हां, मैं तो अपने आपको शामिल कर रहा हूं साहब बहादुर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस इस समय जयपुर में जमीनों का कारोबार कर रही है, इसको आप रोकिये। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप चाहें तो डिटेल्स दे दूं। चाहे झोटवाड़ा थाना हो चाहे विश्वकर्मा हो चाहे मालवीय नगर हो, आपका चाहे और कोई थाना हो, वहां लोगों का काम क्या है कि जमीनों से बेदखल कराने का माध्यम पुलिस बन रही है और एक-एक व्यक्ति जो थाना इंचार्ज है या सी. ओ. है, उनके पास में मैं आपको बता दूं कि उनके पूरे परिवार के नाबालिग बच्चों के नाम से प्लाट ले रखे हैं। अगर आप चाहे और जांच करके कुछ करना चाहें तो मैं आपको लिस्ट दे दूं और अनाप-शनाप इस धंधे में आपकी पुलिस फंसी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर की जो पुलिस है उसने इस समय केवल गृह निर्माण सहकारी समितियों का काम शुरू कर दिया है। आप पुलिस को यदि बचाना चाहते हैं तो पुलिस को इस बुराई से बचाइये।

अभी-अभी मैं निवेदन करूं, अभी-अभी सूचना मिली है माननीय डाक्टर साहब के इशारे से कि अटरू के अन्दर बारां जिले में करजूना में एक राम नारायण नाम का व्यक्ति मारा गया और मारने वाला द्वारका लाल ठाकड़ था जो वहां पर कृषि के लिए मजदूरी करता था, वह राम नारायण उसको मार दिया गया लेकिन स्थानीय पुलिस ने उसको आज तक गिरफ़तार नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उसे मारकर बोरी में डालकर दूसरे गांव में पहुंचा आये।

श्री हेमराज मीणा :....हमें भी एक सूचना मिली है कि आप जो कह रहे हो, उसमें कार्यवाही भी बराबर हो रही है और आपसी झगड़ा था और उसको आप

(श्री हेमराज मीणा)

हाउस में जबरदस्ती बिगाड़ रहे हो उस केस को।

श्री रामकरण सिंह : चलो, आपने नई सूचना दी कि आपसी झगड़ा हुआ था लेकिन कत्ल तो हुआ ना।

श्री हेमराज मीणा : कत्ल की कार्यवाही जारी है।

श्री रामकरण सिंह : यह माना है माननीय सदस्य ने, इसलिए मैं मानता हूं कि कातिल चाहे कोई भी हो, उसको सजा होनी चाहिये. गिरफ्तार होना चाहिये, केस रजिस्टर होना चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य ने भी यह माना है कि कत्ल तो हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण जी, समाप्त कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : अटरू के बारे में तो बोलने वाले हम ही बहुत हैं। अटरू बारां के लिए तो हम ही बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशना राम नाई।

श्री रामकरण सिंह : दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप 10 मिनट तक कागज देखें और हाउस आपके लिए वैट करें। आप एक मिनट में बात पूरी करिये।

श्री रामकरण सिंह : दिनांक 17.08.1988 को अरविंद नाम के व्यक्ति का कत्ल हुआ और उस कत्ल को वहां की स्थानीय पुलिस ने रेल एक्सीडेंट में बदल दिया। उसके बाद में थानवी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वास्तविकता की जांच कर उसे 302 में केस रजिस्टर कराया। मुलजिम को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिये, पोस्ट मार्टम भी बिल्कुल क्लीयर हो गया, जो डाक्टर्स का बोर्ड बैठा, आश्चर्य है आज 2 वर्ष हो गये उस केस को, किसी के इशारे पर बहुत ऊंचे आदमी के इशारे पर उसे लटका रखा है और उसका चालान नहीं कर रहे हैं और मुलजिम के गिरफ्तार करने के आदेश के बावजूद उसे अब पकड़ लेने के बाद में भी वापस छोड़ा है इसलिए माननीय गृह मंत्री जी इस कत्ल को जो बिल्कुल आपके सामने रखा है, कातिल मौजूद है, उसका चालान कीजिये, उसको गिरफ्तार कराइये। इसमें बहुत अन्याय हो रहा है, आप गरीब ब्राह्मण को जो उसका इकलौता बेटा था, उसके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय किशनाराम जी। बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : एक मिनट और लूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज चैयर को कोपरेट कीजिये। कोई एंड नहीं है आपका.... (व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : बूंदी जिले में वहां के एस. पी. साहब, डी. एस. पी. नैनवा और बूंदी के एस. पी. तीनों जा रहे थे

(श्री रामकरण सिंह)

रास्ते में रोडवेज डीलक्स की बस आई तो वे खड़े थे, छींटे लग गये पानी के, उस कंडक्टर को तलाश किया गया कि कौन है और उसके बाद में वहां पर मालूम पड़ा कि देवा का भाई है और देवा के घर में घुसकर औरतों को मारा और गांव जाकर उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी जांच कर रहे हैं इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज की बस से छींटों के कारण उस कंडक्टर के परिवार को आप तंग नहीं करें और बुरी तरह बेहाली से उनके पीछे पड़कर एक मूंछ का बाल बना रखा है आपके एस. पी. और डी. एस. पी. ने और आपके दोनों डी. एस. पी. ने, वहां पर अनिता चांदना नाम की औरत है, उसको लात और घूंसों से मरा है, शिवजी राम है, उसको लात और घूंसों से मारा है, शोभाराम को मारा है बुरी तरह से उनको तंग कर रखा है, इसलिए आप इस चीज की व्यवस्था कीजिये। अब एक निवेदन और कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिए। श्री किशनाराम जी नाई।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 50 के तहत....

श्री उपाध्यक्ष : नोट मत कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज सहयोग कीजिए। आपका नोट नहीं हो रहा है। प्लीज सहयोग कीजिए। आपको पूरा मौका मिल गया। अब एक मिनट भी नहीं मिलेगा। माननीय किशनाराम जी आप बोलिए। कृपया सहयोग कीजिए। माननीय रामकरण सिंह जी प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 व 17 का समर्थन करते हुए विभाग की समस्याओं की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंहजी, आप सहयोग कीजिए। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री किशनाराम नाई : सरकार से निवेदन करता हूं 13 करोड़ की लागत से जो नई बटालियन का गठन किया है वे एक बहुत ही सराहनीय कदम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंह जी, सहयोग कीजिए। आप इनका नोट मत कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनट कहकर तीन बार

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री किशनाराम नाई)

मुझे खड़ा कर लिया गया है। यह व्यवस्था है आपकी। इनको बैठाइये आप।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकरण सिंहजी, बिराजिये आप। आपका नोट नहीं हो रहा है। प्लीज सहयोग कीजिये। मैं आपको नहीं कहने दूंगा।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कृपया सहयोग कीजिये।

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, बैठाइये इनको।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप ? क्या चाह रहे हैं आप ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय रामकरण सिंह जी ने चेयर को सम्बोधित करके आपके ऊपर आरोप लगाये हैं कि गुर्जरों के खिलाफ हैं। इसलिए इसको कार्यवाही से निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है। आप बिराजिये।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हाउस व्यवस्था के तहत चलता है। आप व्यवस्था को मानते नहीं हैं इसलिए इनका कोई नोट नहीं किया जायेगा।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था है ही नहीं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बोलने ही नहीं देते। यह कौनसा तरीका है। मारते हैं और रोने भी नहीं देते हो।

श्री कालीचरण सराफ : 50 मिनट हो गये हैं इनको बोलते।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को 10 बार कह चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री किशनारामजी।

श्री किशनाराम नाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग संख्या 16 व 17 पर मैं अपने विचार और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सर्वप्रथम सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 11 करोड़ की

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री किशनाराम नाई)

लागत से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंककारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो दो बटालियनों का गठन किया गया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है परन्तु पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब की हालत को देखते हुए यदि कम से कम दो क्षेत्रीय बटालियनों की स्वीकृति दे दी जाय और आधुनिक हथियारों से इनको ट्रेनिंग देकर यदि हथियार दिये जायें तो यह बड़ा उत्तम होगा।

1992-93 हेतु जो ग्रामीण क्षेत्र के थाने हैं उनके लिए 80 जीपों की व्यवस्था की गई है, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी झलक आयेगी और ग्रामीण लोग भी यह समझेंगे कि सरकार ने आज यह व्यवस्था की है। पिछले काफी वर्षों से यह मांग चली आ रही थी जिसकी व्यवस्था काफी हद तक पूरी हो जायेगी। क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो राज्य की कानून व्यवस्था बनाये रखने की शक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। अतः इस विभाग की समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में पुलिस की नफरी को देखते हुए पुलिस के क्राइम के मुकदमों को देखते हुए बहुत कम है जो बढ़ाई जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि थानों के अन्दर स्टेशनरी की बहुत कमी है, कुर्सियां नहीं हैं, बैंचें तक नहीं हैं। कोई आदमी, प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र लेकर जाता है तो उसको बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है और स्टेशनरी के लिये कागज के दस्ते भी प्रार्थी से मंगाये जाते हैं। इसलिए इन थानों में स्टेशनरी वगैरह के बजट की व्यवस्था होना अत्यावश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में यह ध्यान में आया है कि कई ऐसे थाने हैं जिनमें पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाये जाते हैं जो कि ड्यूटी पर होते हुए भी शराब के नशे में धुत्त होते हैं इसलिए इसके समाधान के लिये कोई उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र के मोमासर, सूरसर, बापेऊ चौकियां हैं उनके अधीन असामाजिक तत्व गुण्डागर्दी करते हैं तथा शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। पुलिस की निष्क्रियता की वजह से माहौल बिगड़ता जा रहा है, कई पुलिसकर्मी शराब पीकर गड़बड़ियां भी कर रहे हैं। मान्यवर, पिछले सत्र में नियम 295 के तहत श्रीमती मुन्नी देवी दरीवा बीदासर की निवासी है और छापर जिला चूरू में मुकदमा नं. 111/91 धारा 457, 354 विभाग द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, चूरू द्वारा अनुसन्धान प्रारम्भ कर दोषी व्यक्ति को सजा देने का आश्वासन दिया गया था।

मगर आज तक मामले में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध चालान नहीं हुआ है। जनता में काफी आक्रोश फैला हुआ है। पता चला है कि इस प्रकरण में आई. जी. (क्राइम) ने भी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये थे लेकिन आज तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मान्यवर, 24 अक्टूबर, 1990 को मुकदमा नम्बर 223 से 225/90 तथा 243 से 244/90 अनुसार चूरू प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमें बनाकर निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ

(श्री किशनाराम नाई)

कार्यवाही चल रही है। अत: इन मुकदमों को तत्काल निरस्त किया जाय तथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, एफ. आई. आर. नं. 141/91 दिनांक 14-9-91 रतनगढ़ के प्रकरण जिसमें 9-9-91 को संगीता अग्रवाल को, जो एक नाबालिग लड़की थी....

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनाराम जी।

श्री टीकमचन्द कांत : नाम और नंबर देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये मत इसको।

श्री किशनाराम नाई : मैं नाम और नम्बर देख रहा हूं, आपको आब्जेक्शन हो तो वह भी नहीं देखूंगा। मुझे नहीं देखना है।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, नाम-नम्बर देख सकते हैं। अब बोलिये आप।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पढ़े-लिखे आदमी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप देख लीजिये लेकिन पढ़िये मत, आप देख लीजिये। देखने का मतलब वह पाइण्ट देख सकते हैं।

श्री किशनाराम नाई : नाम और एफ. आई. आर. नम्बर तो देख लूं। नाम और नम्बर देख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री किशनाराम नाई : रतनगढ़ के प्रकरण, जिसमें 9-9-1991 को संगीता अग्रवाल जो एक नाबालिग लड़की थी, 9-9-1991 को उसके सगे फूफा ने फुसला कर उसको जबरदस्ती अपनी जीप में डाल कर राजलदेसर ले गये और उसके बाद जयपुर लाया गया और जयपुर लाने के बाद आर्य समाज में उसकी जबरदस्ती शादी की गई और यहां एक डाक्टर के घर रही। मैं कहूंगा तो बड़े शर्म की बात है कि उसमें कांग्रेस का हमारे राजलदेसर का अध्यक्ष भी शामिल है, आज तक उस प्रकरण की कार्यवाही नहीं हुई। उसके साथ जबरदस्ती शादी हुई, उसके साथ जबरदस्त कुकर्म हुआ लेकिन आज तक उनका कोई चालान नहीं हुआ है। न्यायालय सेशन जज में उनके साथी थे उनकी जमानत भी अस्वीकार हो गई है। यह एक बड़ी चर्चा का विषय है और रतनगढ़ में बहुत ही बुरा हाल है।

श्री हरिसिंह : कांग्रेस वाला अपराधी होता तो राज भारतीय जनता पार्टी का है, कभी माफ नहीं करते, तभी पकड़ लेते।

श्रीमती तारा भण्डारी : गिनाने बैठ जाये तो रात पूरी हो जाय।

श्री किशनाराम नाई : चालीस वर्षों में आपने जो आदत डाल रखी है उन अधिकारियों में, वह दो वर्ष में नहीं सुधरेगी, थोड़ा टाइम और लगेगा, उसमें सुधार कर रहे हैं। फिक्र मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनाराम जी, भाषण चालू रखिये आपका।

श्री किशनाराम नाई : भाषण नहीं श्रीमन्, मैं दो मिनट और ले रहा हूं। श्री काशीराम पुत्र सुलतानाराम हरिजन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी तारानगर ने मुकदमा नं 107/88 अन्तर्गत राजगढ़, डकैती में 24-25 मई, 1988 की रात्रि को अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी चतुराई और होशियारी के साथ कर्तव्य का पालन किया, उन्होंने एक डकैत को पकड़ कर बड़े साहस का कार्य किया है इसके लिए मैं चाहूंगा कि उसको पदक से सम्मानित किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी कुछ निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री रामेश्वरदयाल जी यादव।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर विचार इस पवित्र सदन में हो रहा है जिसमें पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य शैली में गिरावट के बारे में काफी चर्चा हो रही है।

(8:25 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

हम किसी की गिरावट या कार्य शैली में अनियमितता के बारे में कोई चर्चा करें, उसके पहले निश्चित तौर से हमें इस पवित्र सदन की परम्पराओं का भी ध्यान रखना चाहिये। मेरी मान्यता है कि इस पवित्र सदन के अन्दर अगर हम इन्डीवीजुअल केसेज को डील विद् करें, अगर इस पवित्र सदन में हम धारा 161 के बयानों को पढ़ें तो क्या इनवेस्टीगेशन, इन्ट्रोगेशन प्रभावित नहीं हो रहा है। हर मुकदमे की एफ. आई. आर. की कापी चौबीस घंटे में ज्यूडिशियल कोर्ट में पेश होती है। चालान के पहले और चालान के बाद में भी हम इस पवित्र सदन में चर्चा करें तो क्या यह मैटर सब-ज्यूडिस नहीं बन जाता है। क्या हम इस तरह की चर्चा करके इन्डीवीजुअल केसेज की गहराई तक जाकर इस पवित्र सदन के के अन्दर हम इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर को क्या दिशा-निर्देश देना चाहते हैं। यह सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सब के सामने हैं और मेरी मान्यता है कि हमें इस पवित्र सदन के अन्दर इन्वेस्टीगेशन को, इन्ट्रोगेशन को और ज्यूडिशियल कोर्ट्स को निश्चित तौर से बाहर रखना चाहिये। एक जनरल अगर कोई डिस्कशन हो, कोई मास पोपुलेशन से सम्बन्धित मामला हो, निश्चित तौर से हमें उसका उल्लेख करना चाहिये।

श्री जगतसिंह दायमा : यहां नहीं करें तो कहां करें ? पहले नहीं करें तो कब करें ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं समझता हूं आप माननीय मंत्री हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वह भी सही थीम से बोल रहे हैं. आप उनको प्रवोक कर रहे हैं। ठीक से बोल रहे हैं, सुनिये आप।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : जहां पुलिस के बारे में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य पहले धन्यवाद देते हैं, फिर केस नम्बर दर्ज करते हैं, फिर एस.

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

आई. और डीवाई. एस. पी. की शिकायत करते हैं। गृह मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं अगर उनकी समस्याओं का निराकरण आप महीने में एक बार, दो बार कर दें तो मेरा ख्याल है कि शायद सदन में आपको इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख इसलिये करना चाहता हूं कि जहां वर्ष 1990 के रिकार्ड के अनुसार हत्या के मामले 44 दर्ज हुए वहीं सन् 1991 के अन्दर हत्या के मामले 53 दर्ज हुए। जहां गम्भीर चोट के मामले 216 दर्ज हुए वहीं 1991 के अन्दर 212 दर्ज हुए। बलात्कार के मामले 1990 में जहां 120 हुए वहीं 1991 में 131 दर्ज हुए। अन्य जो मुकदमे हैं वह 1990 में 1591 दर्ज हुए वहीं 1991 में 2132 दर्ज हुए। हर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते वक्त निश्चित तौर से एस. सी., एस. टी. के मामलों को इंगित करती है और इसमें भी आपने जो उल्लेखनीय कदम प्राप्त किया है, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 में जहां गत वर्ष 1012 मुकदमे दर्ज हुये, आपने 1991 में 2733 मुकदमे दर्ज किये और जब हम यह उल्लेख करते हैं कि इनमें आपने जो चालान पेश किये वह जिस प्रतिशत में आपने पेश किये, समझता हूं कि वह भी आपका कोई अच्छा उल्लेख नहीं है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आंकड़े तो बताओ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : हां, मैं वह बता रहा हूं। वह मैं इसलिये कह रहा हूं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह पचा गये आप।

डा. चन्द्रभान : वह पहले कथन में ही आ गई थी बात।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सन् 1990 के अन्दर जहां 3260 मुकदमे दर्ज हुए, आपने 1706 मुकदमों के चालान किये और जहां 1991 में 5477 मुकदमे दर्ज हुये, आपने मात्र 1801 मुकदमों का चालान किया कहने का मतलब कि जितने मुकदमे दर्ज हुये उसका तकरीबन 1/3 आपने चालान किये। मैं यह उल्लेख इसलिये करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि क्या सरकार अपने वर्क का मानिटरिंग करती है? इससे ऐसा लगता है कि अपने वर्क का, सरकार में जो लोग बैठे हैं, वह अपने डिपार्टमेंट-वाइज और खास तौर से गृह मंत्री जी ने अपने वर्क को मानिटरिंग करने के लिये न तो कोई सैल नियुक्त कर रखा है और न उन्होंने कभी इस पर ध्यान दिया है। जहां जन हित के मामले सरकार के सामने आते हैं तो निश्चित तौर से हर सरकार को संवेदनशील बनना चाहिये।

अभी कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य जहां गूजर छात्रावास की चर्चा कर थे और जिससे राजस्थान के गूजर समाज में कोई असन्तोष व्याप्त है तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में प्रायोरिटी पर निश्चित तौर से लेना चाहिये। पंकज सिंघवी हत्या-काण्ड भी आपके और हमारे सामने है। क्या इस हत्या काण्ड में अगर कोई मुल्जिम

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

बरामद नहीं होते हैं तो क्या अधिकारियों में, आइ. ए. एस. और आई. पी. एस. और आर. ए. एस. आफिसर्स में इसके कारण कोई असन्तोष व्याप्त नहीं होगा ? मैं समझता हूं निश्चित तौर से अधिकारी वर्ग में इस तरह का असंतोष है, उसको दूर करना चाहिये। कृष्णा यादव हत्याकाण्ड का जहां प्रश्न है, मैं इसका भी उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। कृष्णा यादव के पति आर. के. यादव जो राजस्थान के पिछड़ी जातियों के कई संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं और जो एक अच्छे लीडिंग एडवोकेट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हैं, राजस्थान में पिछड़ी जातियों के चाहे सामाजिक न्याय का मामला हो, चाहे पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मामला हो इसमें अगुवाई के रूप में उन्होंने काम किया है अगर उनकी पत्नि के हत्याकाण्ड में कोई मुल्जिम बरामद नहीं होता है तो निश्चित तौर से राजस्थान का पिछड़ा वर्ग ने इस सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। तो मैं इसलिये आपसे यह कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से ऐसे जनहित के, जो मामले हैं उनमें आपको निश्चित तौर से कदम उठाना चाहिये।

मैं बीलवाड़ी कांण्ड पर भी बिना बोले नहीं रह सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारा दायित्व है कि कोई भी माननीय सदस्य, जो इस पवित्र सदन का सदस्य है अगर कोई भी बात रखता है तो निश्चित तौर से यह माना जाता है कि उसमें कोई न कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं निश्चित तौर से खुद के ऊपर ही लेकर कहता हूं कि अगर मैं इस पवित्र सदन में कोई बात रखता हूं तो निश्चित तौर से मुझे चाहे कितने ही प्रभावित लोग प्रभाव में लाने की कोशिश करें लेकिन कम से कम मुझे अपना जो भाषण है, जो मेरा पक्ष है उसको पवित्र सदन में रखने के बाद मुझे उससे मुकरना नहीं चाहिये। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं बीलवाड़ी काण्ड में अगर आपके पास पूरी जांच आ गई है अगर कोई निर्दोष व्यक्तियों को आपने इसमें शामिल किया है तो निश्चित तौर से उनको उससे बाहर निकालना चाहिये और अगर निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं, आपकी पत्रावली जांच के आधार पर अगर कोई दोषी पाये जाते हैं तो निश्चित तौर से आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी अवसर पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि आप अपने वर्क की मानीटरिंग करें। इसमें निश्चित तौर से यह देखें कि एफ.आई. आर. जो लाज होती है वह एक सीधी होती है एक 156,(3) में होती है। कुछ एफ. आई. आर. ऐसी होती हैं जहां आई. ए. एस. और आर.ए.एस. आफिसर्स के द्वारा जांच होती है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कोई रिपोर्ट दर्ज होती है और ऐसी रिपोर्ट जिसमें आई. ए. एस. अधिकारी जांच करे और फिर एक पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर कैडर का व्यक्ति उसमें एफ आर. लगा दे, इसके मायने निश्चित तौर से आप अपने वर्क को मानीटरिंग नहीं कर रहे हैं। मैं जयपुर जिले के बारे में यह कहना चाहूंगा कि क्या जयपुर जिले में इस तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें किसी आई.ए.एस. अधिकारी

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

ने जांच की और जो कोई फर्जी मामलात के बारे में दर्ज हुआ हो और फिर उसमें सब-इन्स्पेक्टर के लेबल के व्यक्ति ने उसमें एफ. आर. लगा दी तो उससे क्या अधिकारी में डिमोरलाइजेशन पैदा नहीं होगा ?

टाडा के बारे में भी निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब 200 लोग टाडा में बंद हैं। आज भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से जनता दल के राष्ट्रीय महा सचिव की अगुवाई में एक डेपुटेशन मिला था और रोजाना और भी चर्चाएं इस पवित्र सदन में होती हैं और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार भी इसमें निश्चित तौर से कर रही होगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि टाडा बंदियों में, इसको हम पंजाब और कश्मीर से नहीं जोड़ें। केन्द्र सरकार से इस तरह की बात करनी हो तो निश्चित तौर से राजस्थान सरकार को बात करनी चाहिये। राजस्थान के जो लोग टाडा में बंद हैं उनके कुछ दूसरे तरीके के मामलात हैं। असम में, पंजाब में और कश्मीर में जो मामले हैं वह दूसरी तरह के हैं। केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाय कि राजस्थान के मामलों में अलहदा तौर से डिलीट किया जाकर जो लोग रिहा होने वाले हैं उनके केसेज विथड्रा किये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि क्लास फाइटिंग के मामले में अगर किसी अधिकारी के कोई चार्ज लगा तो निश्चित तौर से आपको वर्क मानीटरिंग करके देखना चाहिये कि ऐसे अधिकारियों को वापस उन जिलों में या उन पुलिस स्टेशन में पद-स्थापन्न आपको नहीं करना चाहिये। मैं जयपुर जिले का हवाला भी निश्चित तौर से देना चाहूंगा। जयपुर जिले में पिछली एक साल में जितनी चोरियां हुई उन में बरामदगी नहीं हो रही है तो क्या हम यह मानें कि जयपुर जिले का—जो पुलिस प्रशासन है वह नाकामयाब है। मैं समझता हूं कि जयपुर जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वह अच्छे अधिकारी हैं। बरामदगी क्यों नहीं हो रही है ? मैं इसलिये कह रहा हूं कई चोरियों के ऐसे मामले हैं जिनमें एक व्यक्ति नहीं आम जनता प्रभावित है। मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र में चौमू थाने में ग्राम टांकरडा में 500 वर्ष पुरानी रघुनाथजी के मंदिर की एक पुरानी मूर्ति चोरी हुई है। उसमें लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात भी गये। वहां लोगों ने अनशन किये, भूख-हड़ताल की। पुलिस और प्रशासन की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वह तोड़ी और आपको जानकारी के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लोहरवाड़ा ग्राम का अर्जुनलाल अग्रवाल जिस रोज से उस मंदिर की मूर्ती चोरी हुई है आज तक उसने अन्न का त्याग कर रखा है और ऐसे जो सवालात, जो आम जनता से जुड़े हुये हैं आप उसकी मानीटरिंग क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : दूध पीता है क्या, दूध तो पीता होगा कि नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं अन्न की बात कर रहा हूं। अगर इसी तरह के कई मामलात हैं तो उनको हम प्रायोरिटी

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

पर क्यों नहीं लेते ? मेरा आपसे यह भी प्रश्न है कि क्या यह सच है कि अजमेर जिले में किसी मंदिर में इस तरह का कोई चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, मूर्ति के आभूषणों के मामले में और क्या जयपुर के मार्केट में वह चोरियां बरामद हो गयीं ? मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में जहां चोरी बरामद हो गयी, जहां मुल्जिम का पता चल गया और फिर उस मंदिर के चोरी के मामले में आपके पुलिस के अधिकारियों ने अगर कोई एफ. आर. लगाई है तो निश्चित तौर से यह माना जायेगा कि गृह मंत्रीजी, आप अपने विभाग के वर्क को मानीटरिंग नहीं कर रहे हैं। मेरी आप से सलाह है कि आप अपने वर्क को मानीटरिंग निश्चित तौर से कीजिये।

अन्त में मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ और चर्चा करना चाहता हूं कि गत वर्ष भी डिमाण्ड्स के समय आपने बाद में दूसरे दिन मेरे को बताया था कि अगर आप यह स्ट्रेस करते तो आपके सी. ओ. आफिस तो चौमू खोलने के लिये निश्चित तौर से कह देता। मैं समझता था गृह मंत्री जी ने मुंह से कहा है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ तो कर रहे होंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक एक साल व्यतीत होने के बाद मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो सी. ओ. नोट का आफिस जयपुर में है, आपके यहां मकानों की कमी है। आप मेहरबानी करके उसका प्रस्ताव भी चौमू में है आप निश्चित तौर से वहां लगाइये। खेजरोली में स्थाई पुलिस चौकी कायम कीजिये आप।

पिछले दिनों पहले रोज एक मकान का ताला टूटा। पुलिस को सूचना होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे दिन 9 या 10 दुकानों के ताले टूटे और आज तक उन चोरियों का कोई माल बरामद नहीं हो रहा है। इन सारे सवालात के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे निश्चित तौर से हमारे द्वारा जो प्रस्ताव और सुझाव दिये गये हैं उन पर गौर करके निश्चित तौर से कोई कार्यवाही करेंगे। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिये अब मेरे पास कुल लिस्ट है 43 लोगों की। 23 बोले हैं....

श्री किशनाराम नाई : मेरे पास कुछ डाक्यूमेण्ट्स हैं संगीता काण्ड रतनगढ़ के।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को दे देना।

श्री किशनाराम नाई : मंत्रीजी ने कहा टेबिल पर रख दो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी को दे दो। टेबिल पर रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय जब चेयर पर आसीन थे उस समय मैंने एक पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया था उसकी रूलिंग उन्होंने रिजर्व रखी थी।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे ही बता दीजिये क्या था, पाइण्ट आफ आर्डर क्या था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा था कि सरकारी मुख्य सचेतक स्पीकर साहब की टेबल के आगे....

श्री अध्यक्ष : समझ गया, समझ गया। मैं समझ गया, बिराजिये। मैं देख रहा हूं। देखिये इस समय अलग-अलग सदनों की अलग-अलग परम्पराएं हैं और इस सदन की परम्परा यह है कि सीधे अध्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिये, यह इस सदन की परम्परा है इसलिये इस परम्परा को रखना चाहिये। मैं जब से आया हूं मुझे यह ही बताया गया है और मैंने भी देखा है कि यह परम्परा, अब कभी ऐसा मामला होता है, कभी मैं भी अनजाने से एक दिन ऊपर आ गया था तो मुझे मेरी पार्टी के लोगों ने कहा कि यह परम्परा नहीं है। राज्य सभा में है यह, राज्य सभा में ऊपर डेस्क पर चढ़ कर के चेयरमैन से बात कर लेते हैं मगर यह परम्परा लोक सभा में नहीं है। यहां भी यह परम्परा नहीं है। इस परम्परा का पालन करना चाहिये अच्छा श्री मोहन लाल चौहान (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित)

श्री बालचन्द आर्यवीर (अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (अनुपस्थित)

श्री अर्जुनदास मदान (अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

अब आप समय का ध्यान रखिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मेरे आज तीन काल अटेंशन आपने रखे थे इसलिये उस हिसाब से समय दें।

श्री अध्यक्ष : हां, आप उन्हीं पर बोलिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस मांग के संबंध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। जिस हिसाब से प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसके अनुपात के अन्दर पुलिस बल की संख्या कम है। आज हमारे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की जो व्यवस्था है और पुलिस की जो संख्या है उसमें और बढ़ोतरी की आवश्यकता है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होने कम संख्या होने के कारण दो बटालियन आर. ए. सी. की 92–93 में सृजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इनका स्वागत योग्य है। 91–92 के अन्दर राजस्थान सरकार के सफल प्रयास के कारण और पुलिस अधिकारियो की दूरदर्शिता के कारण सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, तस्करी, मादक पदार्थ, आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन, जिस प्रकार की भी तस्करी हो, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे अफीम का मामला हो, चाहे चांदी की तस्करी हो, 38 करोड़ रुपये का जो इन्होंने तस्करी का माल बरामद किया इसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सोजत तक सीमित होना चाहूंगा। सोजत विधान सभा क्षेत्र पाली के पश्चात् सबसे बड़ा कस्बा चालीस हजार की

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आबादी का है। जिस हिसाब से मुकदमों का पंजीकरण हो रहा है, संख्या के आधार पर या ट्रैफिक के मामले में जिस हिसाब से पंजीकरण हो रहा है इसलिये सोजत थाने को क्रमोन्नत कर इंस्पेक्टर रैंक, सी. ओ. रैंक का थाना होना नितान्त आवश्यक है। दूसरा, जो सोजत रोड पुलिस चौकी है इसके आसपास में रेलवे स्टेशन है, ग्रामीण क्षेत्र में आसपास में कोई पुलिस थाना नहीं है इसलिये पुलिस थाना वहां पर भी होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप काल अटेंशन पर बोल जाइये तीनों पर। रामकरणसिंह जी। ने भी यही किया, पहले टाइम पूरा ले लिया। इसलिये पहले काल अटेंशन पर बोल जाइये आप। इस पर बाद में बोलना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं प्रश्न रखकर अपने काल अटेंशन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक एट्रोसिटीज का मुकदमा, अत्याचार निरोधक अधिनियम का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 302 के जैसे गम्भीर अपराध, जिसके अन्दर फांसी की सजा या आजीवन कारावास का मामला है, के लिये भी सी. आर. पी. सी. में अग्रिम जमानत का प्रोविजन दिया हुआ है. वहां इस अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत का किसी प्रकार का सी. आर. पी. सी. में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, यह एक बहुत ही बड़ा लेकूना रखा गया है। आज एट्रोसिटीज के केस रजिस्टर होते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में अत्याचारी है, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के बन्धुओं के साथ अत्याचार करता है, सी. आर. पी. सी. में प्रोविजन नहीं होने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय में कई मामले लम्बित हैं। इसलिये मेरा माननीय गृह मंत्रीजी और राज्य सरकार से निवेदन है कि केन्द्र को यहां की भावना से आगाह करें कि इसके अन्दर संशोधन करके, सी. आर. पी. सी. में अमेंडमेंट करके अग्रिम जमानत का प्रावधान रखें ताकि इनोसेंट पर्सन अगर कोई है, जिसके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज हुआ है उसके लिये वह अग्रिम जमानत के लिये न्यायालय के दरवाजे खटखटा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम दायनाना कला, तहसील देसूरी, पुलिस थाना खिवाड़ा में कन्या वाइफ आफ करमा राम चौधरी को परिवार नियोजन के तहत नर्स अनिता बोहरा नाडोल अस्पताल ले गयी। वहां पर अबार्शन और परिवार नियोजन के लिये उसको प्रेरित किया। परन्तु ढाई महीने, तीन महीने का गर्भ होने के कारण डाक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद उक्त नर्स व छैलबिहारी कम्पाउण्डर, जो नाडोल का रहने वाला है. जिसका प्रिवियस कंडक्ट भी इसी प्रकार से अबार्शन करने के बारे में है, जो निलम्बित है, उसके कारण इस प्रकार से अबार्शन करने में कई महिलाओं की जान गयी, इन दोनों ने कांस्प्रेसी करके इस महिला का गलत तरीके से अबार्शन किया। इसके बहुत ही ज्यादा गम्भीर परिणाम निकले। अस्पताल में भर्ती हुई, उसके बाद इस महिला की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के बाद उसको दफना दिया गया। दूसरे दिन पुलिस

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

में मुकदमा दर्ज हुआ। इस महिला के साथ जिस प्रकार का घृणित कार्य किया गया, पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् मुलजिमान छैल बिहारी और जो वह ए. एन. एम. नर्स है, जिनका प्रोफेशनल ऐसा ही धन्धा है, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिये मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर उन्हें दण्डित कराने की व्यवस्था करायी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर विमला डाक्टर आफ रतनलाल व्यास जो महिला थी, उस बच्ची की शादी 15·2·90 को ललितकुमार पुत्र भंवरलाल जी पारीक, चौपासनी, जोधपुर के साथ सम्पन्न हुई थी। 13·12·90 को इस औरत के एक पुत्री हुई। इस औरत के ससुराल जाने के पश्चात् ससुराल वाले इसके साथ मारपीट करते थे, दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे। इसने अपने पिता और अपने परिवार के सदस्यों को कई अन्तर्देशीय पत्र, जिनकी जानकारी मैं गृह मंत्री जी को उपलब्ध करवाऊंगा, देकर बारबार अपने पीहर वालों से निवेदन किया कि मेरे को प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिये मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16·2·92 को ललित कुमार और उसके पिता और देवर प्रमोद और सास कमला इत्यादि ने भुजियों, पकौड़ों के अन्दर जहर मिला कर इसको बेहोश कर दिया, फिर गले के अन्दर कपड़ा ठूंस कर इसकी हत्या कर दी गयी और ऐसा नाटक रचा गया, उसके बाद केरोसीन डालकर इसको जला दिया गया। पति ललितकुमार ने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी कि इसने आत्म हत्या की। वास्तव में आत्म हत्या नहीं थी। एफ. आई. आर. रजिस्टर होने के बाद इन चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे दहेज हत्याकांड का जो मामला है, ऐसे मुलजिमों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर उनके खिलाफ चालान पेश किया जाय ताकि यह दहेज हत्याकांड, जो इस प्रकार के घृणित कृत्य और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर प्रतिबन्ध लगे। मेरा निवेदन है कि यह चालान तत्काल पेश किया जाय ताकि अन्य घटनाएं इस प्रकार दहेज के मामले में नहीं होवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24·12·91 को रातानाड़ा चौराहा, सैनिक टाइम्स घड़ियों की दुकान में चोरी होने की सूचना पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। उसके पश्चात् 25 तारीख को उदयमन्दिर थाने के चार व्यक्ति जिप्सी लेकर आये। देवाराम कुम्हार जो गोरधन कालोनी, रातानाड़ा में रहता था, उसकी उम्र 24 वर्ष थी, घर में घुस कर जिस वक्त खाना खा रहा था, पुलिस वाले जिप्सी में आये और उसके साथ मारपीट करते हुए ले गये। जब परिवार वालों ने इसका एतराज किया कि इसको किस आफेन्स में आप ले जा रहे हैं तो उनके साथ भी मारपीट की गयी। उसको थाने ले गये। 25 तारीख से लगाकर 29 तारीख तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको इस बेरहमी के साट पीटा गया, इतनी जबरदस्त मारपीट की गयी कि कि 29 तारीख को इस व्यक्ति की वहां मृत्यु हो गयी। माननीय

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस ने 25 से लगाकर 29 तक इसके साथ मारपीट की उसके कन्धों के ऊपर, जांघों के ऊपर, चमड़ी के अन्दर, इतनी जबरदस्त मारपीट की गयी कि 29 तारीख को उसकी हत्या हो गयी। जब हत्या के मामले को पुलिस के एस. एच. ओ. और वहां के पुलिस के अधिकारियों ने रफा-दफा करने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने वहां पर आन्दोलन किया, समाज के लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम किया गया। मेरे को बड़ा खेद हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के दबाव के कारण उनका पोस्टमार्टम रात को साढ़े दस बजे किया गया जब कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। गांव वालों की और इनके समाज वालों की मांग थी कि 30 तारीख को इसका पोस्टमार्टम किया जाय। अगर पुलिस वालों ने अपनी लापरवाही और जो इन्होंने यह हत्या की है उसको दबाने के लिये रात को साढ़े दस बजे पोस्टमार्टम करा दिया। आज तक ऐसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई होगी जिसके अन्दर काज ऑफ डैथ की, घटना के बारे में जानकारी नहीं है। यह एक स्पेशल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसके बाद इसके अन्दर चौदह चोटें बतायी गयीं। राज्य सरकार द्वारा, गृह मंत्रीजी, आपके विभाग द्वारा जो रिप्लाई प्राप्त हुआ है उसके अन्दर यह बताया गया है कि यह चौदह चोटें सात से दस दिन के पूर्व की चोटें हैं। जो व्यक्ति मृतक है वह घर के अन्दर पुताई कर रहा था, वह पुताई के अन्दर नीचे गिर गया उसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका ड्यूरेशन विदिन अब व 6 टू 7 आवर का बताया हुआ है। काज आफ डैथ के बारे में नहीं बताया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा जघन्य हत्याकांड है, मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस का कोई भी एस. एच. ओ. हो, ऐसे व्यक्ति हत्या करते हैं तो उसे कण्डेम किया जाना चाहिये। इससे पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज्य सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ऐसे फोटो बताना चाहता हूं जो यह बताते है कि 7 और 10 दिन पहले पुताई करने से हत्या हुई। इस प्रकार बेरहमी से देवाराम को मारा गया। यह बता रहे हैं कि 7 और 10 दिन पहले इसकी हत्या हुई, ऐसे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो उन व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं, मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को आज तक मुकद्दमा दर्ज होने के बाद जो रामबल्लभ ए. एस. आई. और गोखरू और करनीदान जो व्यक्ति थे, जिन्होंने उसको बेरहमी से मारा, उनके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उन मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया और इस हत्या के प्रकरण में मात्र एक एफ. आई. आर. लोज हुई और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर लीपापोती की जा रही है। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी आप साहस दिखाकर ऐसे व्यक्तियों को कण्डेम करके उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करके 302 में उनको गिरफ्तार कर लीजिए, यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं और यह जो फोटो हैं, मैं सदन के पटल

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

पर रखना चाहता हूं और मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कोई चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे पुलिस का कांसटेबल हो, उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाये और मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने साढ़े 10 बजे रात को कानून की अवहेलना करके पोस्टमार्टम किया और जो ड्यूरेशन था, मेंशन नहीं किया गया और इसमें लीपापोती करने की कोशिश की गई। जो जवाब आया, यह है के. सी. चौधरी सर्जन और दूसरा डी. आर. माथुर पेथोलोजी, इसलिए चिकित्सा मंत्री जी मुझे विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे चिकित्साधिकारी, जो मेडिकल बोर्ड में बैठे हैं। उन बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, उनको आप दंडित करें, ताकि मृतक का परिवार जिसकी सात माह पहले शादी हुई थी और उसकी बूढ़ी मां है, उनको राहत पहुंचाये। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिसकी हत्या हुई है, उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, 10, 15 रोज पहले सफेदी करते समय सीढ़ी से गिर जाने के कारण साक्षीकरण के बयानात दिनांक 4.2.92 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या के समय कलमबद्ध कराये गये। दोनों गवाहों ने 31.1.92 को परिवादी लालाराम, उसकी मां श्रीमती मोहनी देवी ने मुद्रित रिपोर्ट, दोनों के हस्ताक्षर पुलिस अधीक्षक जोधपुर के समक्ष पेश की। उसके साथ परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया और उससे पुनः 31.1.92 को ऐसी रिपोर्ट लिखवायी गई कि मानसिक दबाव के कारण और लोगों के कहने के कारण मैंने इस प्रकार की रिपोर्ट दी। मुझे भय से मजबूर किया गया। गवाहों को होस्टाइल करने की कोशिश की गई और इसी प्रकार दिनांक 27.2.92 की रात्रि को इन्दिरा नाम की महिला जिसका तीन वर्ष पूर्व कानाराम निवासी अठपुड़ा के साथ विवाह हुआ था। कानाराम एयरफोर्स में सर्विस करता था और कानाराम रात को सर्विस से आने के बाद रात को किसी अन्य महिला के साथ रात बितायी, वहां शराब पी और अपनी औरत के साथ उसकी आंखें निकालकर, जीभ निकाल दी, उसके गुप्तांगों में जिस प्रकार से जो वीभत्स कांड करना था, उसने किया और सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रवाना हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाये, परन्तु जहां पर जिस महिला के साथ वह रात रहा था, नर्बदा नाम कि जो महिला है, जिसने वहां कान्सपाईरेसी की थी। वहां कान्सपाईरेसी करने के बाद वहां जाकर अपनी औरत इन्दिरा की ग्राम अठपुड़ा में हत्या कर दी गई और वह महिला जो षडयन्त्र करने वाली है, उसको आज तक पुलिस वाले बचा रहे हैं। गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे जघन्य कांड जिसकी आंखें निकाल दी गई, आंखें उस मुलजिम ने हाथों से मसल दी, जीभ काट दी गई, ऐसे वीभत्स कांड में जो महिला है, जिसने ऐसा कांड किया है, गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस महिला को तत्काल गिरफ्तार किया जाये....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मात्र पुलिस के अधिकारियों ने उसको 151

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

के अन्दर गिरफ्तार किया। ऐसे जघन्य कांड के बाद जो 302 की मुलजिम थी, 109 के अन्दर उसके खिलाफ चालान पेश होना था, 120 बी के अन्दर होना था, मात्र 151 के अन्दर उसको गिरफ्तार करके उसको रिलीज कर दिया गया और बताया यह गया था कि वह गवाहों को टेम्पर विथ करती है। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ऐसे जघन्य कांड में कांसपाईरेशन में जो महिला शामिल थी, जिसकी एक्टिविटीज हमेशा से संदिग्ध थी, जिसका चरित्र संदिग्ध है, ऐसी महिला को तत्काल अरेस्ट करने की व्यवस्था की जाये। गांव के अन्दर भयंकर रूप से असन्तोष है। गांव अठपुड़ा में इससे पहले तीन मर्डर और हो चुके हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और गवाही डर के कारण नहीं दे रहे हैं, इसलिए गृह मंत्रीजी आप अपने साहस का प्रदर्शन करते करते हुए उस महिला को अरेस्ट करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस और जेल विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है और मेरा एक स्थगन प्रस्ताव भी है।

श्री अध्यक्ष : दोनों पर पहले बोल लीजिए।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आसीन्द तहसील के नयाखाड़ा गांव का किस्सा है। 8 दिसम्बर, 1991 को साढ़े 10 बजे रात्रि, उस गांव के एस. सी. के आदमी के घर डकैती हुई। 6 डाकू थे और उत्तर प्रदेश के थे। जब जब डकैती हुई और वहां जब औरतों के साथ मारपीट हो रही थी तो पड़ौस का प्रेमदास हाथ में लट्ठ लेकर आया और उसने उन डाकुओं का मुकाबला किया और उनको मारकर वहां से भगाया। उस झगड़े में प्रेमदास को टार्च के निशान से उन डाकुओं ने उसके ऊपर गोली मारी और वह घायल हो गया, वहां गिर पड़ा। उसके बाद यह डाकू 6 किलोमीटर दूर जाकर एक माइक्रोवेव टावर है, वहां पर एक चौकीदार था, जो उसका रिश्तेदार था, उसके यहां जाकर छिप गये। उसी उक्त प्रेमदास को रायला ले जाया गया हास्पिटल में और वहां जाकर पुलिस की सूचना पर एस. एच. ओ. आसीन्द मौके पर पहुंचा, एक घण्टे के अन्दर। साढ़े तीन बजे उसको सूचना हुई, साढ़े 4 बजे वह मौके पर पहुंच गया, 33 किलोमीटर की दूरी पर और उसके साथ ही साथ डी. एस. पी. गुलाबपुरा और शाहपुरा भी वहां अपनी फोर्स लेकर पहुंच गये। रात के टाइम में पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से सारी जांच की और सुबह इन पैरों के निशान निशान के आधार पर अपराधियों को पकड़ भी लिया। इस घटना में प्रेमदास घायल हो गया था, उसको भीलवाड़ा हास्पिटल में एडमिट किया, 15 तारीख को उसकी हास्पिटल में मृत्यु हो गई। 8 तारीख से 15 तक वह जीवन मरण के बीच में

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

जूझता रहा। वह गरीब आदमी था, पूरी तरह से उसकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो सकी, इसलिए उसका जीवन नहीं बच सका। इस घटना में प्रेमदास का बहुत सराहनीय काम था और 26 जनवरी को जिला प्रशासन ने भी मरणोपरांत उसकी विधवा को प्रशंसा पत्र दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि रात्रि में अंधेरे में लाठी लेकर एक आदमी 6 सशस्त्रधारी आदमियों से मुकाबला करे, बड़ी हिम्मत से उनको वहां से भगा दे, वह आदमी घायल होकर 6–7 दिन तक इस तरह से जीवन से जूझता रहे और इसके बाद उसको मरणोपरांत केवल एक प्रशंसा-पत्र दे दें, तो यह एस. सी. का मामला हो, या किसी का भी मामला हो, साधारण नागरिक में भी कौन अगले टाइम हिम्मत करेगा किसी को बचाने की। यह बहुत अहम् मसला है, यह नीति विषयक है। गृह मंत्रीजी अभी 29 तारीख को मीटिंग थी, कोई प्रशासन से राहत नहीं मिली तो मैंने इस मामले को जिला प्रशासन के सामने उठाया और 6 मार्च को उसको 5 हजार रुपये मुख्यमंत्री कोष से सहायता दी गई। इस सम्बन्ध में मेरे दो ही प्रश्न हैं। एक तो यह कि ऐसे आदमी जिसने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, उसको पांच हजार रुपये की सहायता, वह भी 7–8 दिन तक उस गरीब आदमी का जीवन बचाने के लिए कितने पैसे उसको अपनी दवाई वगैरह में लगाने पड़े होंगे, तो क्या यह उसके लिए पर्याप्त है। यहां पर कोई आदमी एक्सीडेंट में मारा जाता है, या किसी और तरह से मर जाता है, सामान्य तौर पर हम उसको 50 हजार, एक लाख रुपये तक की सहायता देते हैं, पुलिस के आदमी भी ड्यूटी के ऊपर मर जाते हैं, 15 हजार या 20 हजार रुपये की सहायता देते हैं। एक साधारण आदमी जो इस हिम्मत के साथ डाकुओं से जाकर मुकाबल करें और शैड्यूल्ड कास्ट के लिये सवर्ण आदमी जाकर के इस तरह की उनकी मदद करे तो उसके लिये मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले में आप आज ही घोषणा करें कि उसको आप क्या राहत दे रहे हैं।

(9·00 रात्रि)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि इस कारगुजारी में डकैती हुयी और उसके अन्दर पुलिस कर्मियों ने प्रशंसनीय काम किया, पैरों के निशान से सुबह जाकर उन डाकुओं को पकड़ लिया तो उनके अन्दर पुलिस वालों का भी प्रशंसनीय काम रहा। लेकिन पुलिस में, जैसी कहावत है, कि काम कोई करें और उसका श्रेय किसी और को मिले। यह एक बहुत अहम मसला है। इस मामले में माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले में देखें कि जो प्रशंसा के पात्र है उनका यहां पर जो सूची भेजी है, उसके अन्दर आपने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, उसमें उन आदमियों का नाम ही नहीं है जिन्होंने सराहनीय काम किया है। जो आपके पास रिकमण्ड करके सूची भेजी है उसमें उन आदमियों का नाम ही नहीं है जिनको वास्तव में प्रशंसा पत्र मिलना चाहिये। एक एच. एस. ओ. जो आई. ओ. था, जांच उसने की,

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

पैरों के निशान के ऊपर अपराधियों को पकड़ा वह रात में साढ़े तीन बजे किराये की गाड़ी लेकर, एस. एच. ओ. के पास गाड़ी नहीं थी, उसने दूसरे आदमी को उठाया, किराये की गाड़ी ली और उसके बाद वह लेकर के अंधेरे में वहां पहुंचा और उनसे पहले पहुंच गया। उस आदमी का नाम सूची में नहीं है और तारीफ कोई दूसरा ही ले रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अगर विभाग में काम कोई करें प्रशंसा किसी और को मिले, अगर ऐसा होगा तो प्रशासन में निश्चित रूप से उनका मोरल या आत्मबल गिरेगा। इसलिय मैं इन दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जहां पुलिस के अच्छे कामों का सवाल है और जहां पुलिस के सुधार की आवश्यकता है उन दोनों बिन्दुओं पर एक-एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं एस. एच. ओ., भीलवाड़ा का जिसने महेन्द्र सिंह जाट को रात को बाजार में जाते हुये को पुलिस की गाड़ी में बैठा कर अपने यहां थाने में रखा, उसको खूब पीटा और फर्द गिरफ्तारी भी बनायी। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, रात भर उसको मारा पीटा। उसके यहां से 528·84 पैसे बरामदगी में हैं वह रख लिये, दूसरे दिन उससे 1500 रुपये और लेकर के छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : यह आपने जांच की ?

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : जी, हां। मेरे पास कागज हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने जांच की है ?

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : जी, हां। मेरे पास में आथेन्टिक····

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि इसमें आप और जांच करें मैंने स्वयं ने इसमें जांच की है। यह महेन्द्र कुमार वहां के कृषि उपज मण्डी के सचिव का बेटा है। उसका बाप उसको ले गया। वह शराब पीकर आप को मार पीट करता था, परेशान करता था। इसलिये बाप ने ले जाकर कहा कि इसको डराओ ताकि यह परेशान न करें। बात यह है।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। इसमें चाहे कैसे भी हो अगर सुधार की दृष्टि से इतने रेस्पोन्सिबल पुलिस वाले हो गये, सुधार करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि इसकी फर्द गिरफ्तारी····

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था चाहता हूं। सुधार के लिये डरा-धमका सकते हैं क्या ? पुलिस के माध्यम से किसी में सुधार लाने के लिये····

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह बाप बेटे का मामला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बाप अपने बेटे को सुधारने के लिये पुलिस पुलिस का दुरुपयोग कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी डांट खानी पड़ी होगी। बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप खुद तो डांटते····

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर सुधार की दृष्टि से कुछ किया भी हो लेकिन बिना मुकदमे के उस आदमी को गिरफ्तार किया गया, मेरे पास फर्द गिरफ्तारी है जिसमें एस. एच. ओ. के दस्तखत है। अगर पुलिस की कोई कान्फीडेन्शल डायरी होती है तो उसने अगर इस तरह की बात की है तो कोई रेकार्ड में बात नहीं होनी चाहिये····

श्री अध्यक्ष : यह भी सही नही है, फर्द गिरफ्तारी सही नहीं है।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : मैं अर्ज कर कर रहा हूं, मेरे पास फर्द गिरफ्तारी का कागज है और 528 रुपये, उसने रिपोर्ट दी है मुख्य मंत्री को, गृह मंत्री को और इन सबको उस महेन्द्र सिंह ने कि उसके पास से 528 रुपये····

श्री अध्यक्ष : जो मैंने तथ्य बतायें उनकी जांच कर लीजिये और फिर बात दुबारा उठायें। आप उनकी और जांच कर लीजिये और आप सन्तुष्ठ हो जायं कि आपका कहना ठीक है तो दुबारा उठाइये। देखिये, मैं अपने पर्सनल नालेज से कह रहा हूं। मुझे जब पता लगा तो मैंने पता लगाया और जांच आप कर लीजिये।

श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मै इसको मान लेता हूं लेकिन यह फर्द गिरफ्तारी है इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं।

दूसरी सुधार की बातें, माननीय अध्यक्ष, महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस का कर्त्तव्य और सेवा बहुत ही ऊंची है लेकिन हमारा सर तब नीचे झुक जाता है जब हम यह सुनते हैं या हमारे सामने यह आता है कि पुलिस थाने के अन्दर सिपाही ने बलात्कार किया। पुलिस थानों के अन्दर जब किसी निरपराध आदमी को मार दिया जाता है पुलिस थानों पर जब भ्रष्टाचार होता है, रिश्वत ली जाती है तब हमारा सर नीचे झुक जाता है।

मैं अर्ज करता हूं, अध्यक्ष महोदय, पुलिस का एस एच. ओ बहुत ही जिम्मेदार आदमी होता है और वह सारे प्रशासन की कड़ी भी है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, उसको अनुशासन भी बनाये रखना पड़ता है। अगर थाने के अन्दर कोई शराब पीता है तो एच एस. ओ. की जानकारी में नहीं हो ऐसी बात नहीं है। उसकी जानकारी में होता है। पुलिस के अन्दर कोई भी आदमी किस केस में पैसा लेता है तो वह एच. एस. ओ. की जानकारी में होता है, पुलिस के अन्दर किसी तरह की कोई मारपीट होती है, कोई आदमी मर जाता है तो एच. एस. ओ. या पुलिस के जितने भी आदमी हैं उनकी जानकारी में होता है, पुलिस के अन्दर कोई बलात्कार होता है तो एस. एच. ओ. को मालूम होता है कि उसका कौन सा सिपाही किस तरह के आचरण का है। मैं अर्ज करता हूं, अगर अनुशासन की बात है, गृह मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिपाहियों की और थानेदार की जाइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होनी चाहिये। अगर थाने के अन्दर कोई एक आदमी किसी तरह की कोई घटना करता है तो उसके लिये लाइबल पुलिस का एस. एच. ओ.

(श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर)

भी होना चाहिये। पुलिस के अन्दर एच. एस. ओ. का कहना पुलिस वाले नहीं मानते हैं तो एस. पी. या डी. आई. जी. को कहता है और उनके आदेश से अगर वह सिपाही नहीं बदलता है तो प्रशासन सही ढंग से नहीं चल सकता। इसलिये इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये। प्रशासन में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उसके लिये सबको जिम्मेदार ठहराया जाय तभी जाकर इसके ऊपर चैक हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के कुछ कल्याणकारी काम हैं जैसे पुलिस कल्याण कोष है जिसके अन्दर छोटे से लेकर बड़े तक का कन्ट्रीब्यूशन होता है। राजस्थान में 50 लाख का इस तरह के कन्ट्रीब्यूशन से फण्ड में आता है। हर साल इस फण्ड से छात्रों को छात्रवृत्ति या जरूरतमन्द आदमियों को सहायता दी जाती है लेकिन आज वह छात्रवृत्ति वगैरह रोक दी गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का जो कल्याणकारी कोष है उसमें से इन आदमियों के लिये, कर्मियों के लिये वापस छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये।

इसी तरह से पुलिस के मैस का सवाल है, इन लोगों को भत्ता बहुत कम दिया जाता है। इनके भत्ते में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिये।

इसी तरह से पुलिस के सुविधाओं का सवाल है। आज सभी जगह जहां पंचायतें हैं उनमें पी. सी. ओ. लग गये हैं। आज राजस्थान में कई ऐसे थाने हैं जहां टेलीफोन नहीं है, गाड़ी नहीं है। पुलिस का काम तत्परता से अगर हम चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से टेलीफोन, वायरलैस और एक जीप हर पुलिस थाने में आप प्रोवाइड करायें तब जाकर उसमें कार्य कुशलता आयेगी, नहीं तो करप्शन होगा क्योंकि उनको गाड़ी चाहिये, उस वक्त गाड़ी दूसरे से ले जाते हैं या जोर जबर्दस्ती से ले जाते हैं या जिस की गाड़ी ले जाते हैं उनको ओब्लाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप उनको डिपेण्डेण्ड रखते हैं तो इससे निश्चित रूप से कार्य क्षमता में फर्क पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह खारड़ा के मृतक के लिये आज ही घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री नन्दकिशोर।

श्री नन्दकिशोर (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का और राज का सम्बन्ध है। बिना पुलिस के राज हो ही नहीं सकता। निर्दोष को भय नहीं हो और दोषी को सजा मिले यह काम राज का है। चाहे और काम सरकार करे या न करे लेकिन प्रशासन स्वच्छ हो, समाज भयमुक्त हो, कोई भी सच्चा आदमी····

श्री अध्यक्ष : आपका कोई कॉल अटेंशन मोशन है क्या ?

श्री नन्दकिशोर : नहीं है।

अपने काम में किसी भी अपराधी से नहीं डरे यह भी राज की पहली जिम्मेदारी

(श्री नन्दकिशोर)

है । राज स्वच्छ प्रशासन दे वह काम अब पुलिस कर रही है । आज के युग में कहीं भी प्रदर्शन हो तो पुलिस, हड़ताल हो तो पुलिस, बन्द हो तो पुलिस, कहीं चुनाव हो तो पुलिस, नेता आये तो पुलिस, मंत्री आये तो पुलिस । कहीं प्रदेश में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो तो पुलिस और उसमें कोई मर जाये तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, और यदि गोली चलायी तो क्यों चला दी । मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे छबड़ा में तीन थाने थे, आज 9 हो गये । संख्या बहुद बढ़ गयी, अपराध भी इतने बढ़ गये । फिर हर चीज में पुलिस की जरूरत होती है । त्यौहार हो तो पुलिस की जरूरत है, मेला लग रहा है तो पुलिस है, कहने को सब कह देते हैं इसकी जांच नहीं की । उनके पास इतने तो सिपाही हैं । कहीं दंगा हो गया तो पुलिस की जरूरत, और यह सारे काम पेण्डिग होते चले जायेंगे । हमें यह देखना पड़ेगा कि पुलिस के पास साधन कितने हैं । मैं अपने क्षेत्र की बताता हूं बादशाह थाने में 104 गांव हैं लेकिन जीप की व्यवस्था नहीं है । ऐसे थाने में जीप की व्यवस्था करनी चाहिए । कई गांव तो चालीस किलोमीटर दूर हैं । छबड़ा थाने आने के लिए ट्रेन में बैठकर रिपोर्ट कराने जाते है । तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस कोई बाहर से थोड़े ही आती है ? हमारे समाज के भाई के लड़के पुलिस में भर्ती होते हैं और सारे अपराध पुलिस के नाम कर दो । पुलिस ने जो किया वह भी सराहनीय है । प्रदेश में हमारी सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है, वहां तस्करी होती है । इसमें कई बातें हैं जो हमारे भाइयों ने बतायी । लेकिन यह बात हमें सोचनी पड़ेगी कि हम सारे काम पुलिस से लेना चाहते हैं तो उनको सुविधायें देनी पड़ेगी । इनकी संख्या है वह निश्चित बढ़ानी पड़ेगी चाहे और किसी मद में कटौती करनी पड़े । बस जा रही है तो उसमें पुलिस, और ट्रेन जायेगी तो डिब्बे गार्ड होंगे, तो पुलिस की इतनी मांग करते हैं तो इसके लिए सुविधा और संख्या बढ़ानी पड़ेगी ।

मेरा सुझाव है कि होम गार्ड प्रत्येक गांव में से चयन करना चाहिए । प्रत्येक पंचायत से पांच-पांच होम गार्ड लेने चाहिए । हम स्वास्थ्य शिक्षक, आंगनबाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा सब में पैसा लगाकर व्यवस्था करते हैं, लेकिन पुलिस होम गार्ड में ऐसा लड़का लें जो स्वास्थ्य से भी ठीक हो क्योंकि संसार में डण्डे का राज है । मैं भी सोचता था कि पढ़ने के बाद, शिक्षा प्राप्त करेगा तो डण्डे का राज समाप्त हो जायेगा । पुलिस के पास डण्डा है । अच्छे आदमी के पास डण्डा होगा तो अच्छे आदमी की रक्षा कर लेगा । यदि बुरे आदमी के हाथ में डण्डा है तो अच्छे को पीट लेगा । देवी शक्ति को असुर शक्ति पर विजय करने में मदद होगी । हमें प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच आदमी होम गार्ड के रखने चाहिये । एक-एक ड्रेस दे दें तो उसमें ही खुश होगा । अच्छा जवान बच्चा निकलेगा और उनकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां काम करेगा । और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता है वह कार्य भी उनके द्वारा किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र

(श्री नन्दकिशोर)

के सारथल और बाली दो थाने होने चाहिए। पुलिस की जितनी भी सुविधाएं आदि है, वेतन से लेकर, वह भी बढ़नी चाहिए। पुलिस की ड्यूटी है कि अच्छे काम करे। एक बार ठीक व्यवस्था कर दी जाय तो हमको लगे कि मैं इनके पास आया हूं तो मुझे जरूर संरक्षण मिलेगा, न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं लगे कि गांव में कहते हैं कि थाने के आगे और मंदिर के पीछे होके नहीं जाना चाहिए ऐसी बात दूर करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, बिराजिए।

श्री किशनगोपाल कोगटा (अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र गहलोत (अनुपस्थित)

श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 व 17 जिन पर विचार चल रहा है, उस पर निवेदन करूंगा। इसके साथ-साथ मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसके बारे में अभी जिक्र भी हुआ था, माननीय लक्ष्मीलालजी ने और आपने बताया कि उसकी जांच नहीं की, महेन्द्रसिंह को उसका पिता थाने में ले गया और जो मैंने ध्यानाकर्षण दिया है उसके पक्ष में अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास फर्द गिरफ्तार है और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी को डराने के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और थाने के अन्दर ले जाकर 24 घण्टे बैठकर उसको पीटा जा सकता है और क्या उसको डराने के लिए फर्जी गिरफ्तारी बतायी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह शराब पीये हुए था और पिताजी थाने में ले गये तो डरा धमकाकर निकाला जा सकता है यह बात समझ में आने वाली है, लेकिन बाकायदा उसको गिरफ्तार किया गया और फर्द गिरफ्तारी बनायी, उसके अन्दर किसी तरह का मुकदमा नं. नहीं लिखा है। लिखा है रुबरू मोतबिरान फर्द गिरफ्तारी बाबू सन आफ महेन्द्रसिंह ...यह फलां... रुबरु मुतबिरान.... कमलेश कुमार परमानन्द फुलिया वगैरह मुकदमा नम्बर नहीं है। उससे 428 रु. 25 पैसे और एक घड़ी पुलिस ने ले ली।

श्री अध्यक्ष : यह नकल सर्टिफाइड कापी है? किसने लाकर दी।

श्री बिरधाराम चौधरी : लड़के ने लाकर दी। सर्टिफाइड नहीं है। इसमें थाने की सील है और उनके दस्तखत हैं। और आप बता रहे हैं कि यह वाक्य वास्तव में सही है। बाप थाने ले गया तो उसको 107 में गिरफ्तार करते, 151 में गिरफ्तार करते, दारू पीकर रोला कर रहा था तो 34, पुलिस एक्ट, में करते लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। थाने डरा धमका दिया और फर्द गिरफ्तारी दिखा दी और और उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद उस लड़के ने शिकायत की है पुलिस अधीक्षक, नागौर और श्रीमान् महानिदेशक, जयपुर, और अलग-अलग जगह लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसी हरकत हैं आज वास्तव में मुकदमें दर्ज नहीं किये जाते हैं। इसके

(श्री बिरधाराम)

साथ-साथ एक डीडवाना थाने का बताऊं, सावित्री शर्मा है जो आंगनबाड़ी में सहायक अधिकारी थी, उसके साथ में बलात्कार का हादसा हुआ और ग्रामवासियों ने शिकायत की। एस. डी. ओ. के पास जांच आयी। एस. डी. ओ. ने शिकायत की जांच की पर उसमें भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब तक उस महिला से आप नहीं मिले उस पर यह आरोप मत लगाइये वह महिला कहती है कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ। महिला कहती है नहीं हुआ, आप कहते हैं जांच करायें। सदन में कोई सवाल उठाते हैं तो Please enpuire about it. आप उस लड़के के बाप से मिलते आप महिला से मिलते then you would have got the full information. Now. please go on.

श्री बिरधाराम : लड़का खुद बालिग है। लड़के से मैंने बात की है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं कि बिना जांच किये बिना अपने आप को संतुष्ट किये, महज इसलिये आप बोल सकते हैं you are privileged here, ऐसा मत करिए। Better you meet the father of the boy.

You meet the woman.

श्री बिरधाराम : लड़का खुद कह रहा है।

श्री अध्यक्ष : औरत से तो मिलते।

श्री बिरधाराम : औरत वाली बात ठीक है।

श्री अध्यक्ष : क्या ठीक है ?

आप उठा रहे हैं ठीक है? उठाने नहीं दूंगा। बता देता हूं। जिस बात को मैं जानता हूं I know that you have not enquired about it, आप केवल के बोलने लिए बोल रहे हैं। Now you take your another point.

आप दूसरा लीजिए।

श्री बिरधाराम दूसरा मैं निवेदन करुं कि मैंने यहां पर एक मुद्दा उठाया था घूपलगढ़ थाने के अन्दर एफ. आई. आर. नं. 119/87 और यह नियम 295 के तहत भी मैंने यहां रखा था। अध्यक्ष महोदय, रूपनगढ़ के अन्दर सांसी जाति की तीन औरतें थीं उनके साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने एफ. आई. आर. लाज करवाई और यहां सदन में चर्चा हुई। उसमें यहां सदन के अन्दर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये और सदन के आदेश के अनुसार उन औरतों के बयान करवाये गये 164 मैं और तीनों औरतों ने उसके अन्दर नामजद मुल्जिम बताये। लेकिन मेरे पास जवाब आया है कि गवाहों के बयानों से बलात्कार साबित नहीं हुआ। यह तीनों औरतें स्पष्ट कहती हैं कि बलात्कार हुआ

(श्री बिरधाराम)

है। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें जो एफ. आर. लगा दी है उसकी पुनः जांच करवायें और उसको दिलावें।

मैंने दो तीन बातें और रखी है जो मेरे कटौती प्रस्ताव में हैं। अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह कहा जाता है कि पुलिस तत्काल मौके पर नहीं जाती, पुलिस कार्यवाही नहीं करती। उसके संबंध में यह निवेदन करूं कि आज एक थाने का जो क्षेत्रफल है या थाने के क्षेत्र की जो दूरी है 50 किलो मीटर है, 40 किलोमीटर है। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में गच्छीपुरा है, वहां जीप अवेलेबल है। आज 50 किलोमीटर पर कोई वारदात हो गई तो उसकी जाकर एफ. आई. आर. दर्ज करवाते हैं तो पहले जाकर जीप ले आओ। एक गरीब आदमी है वह 500 रुपये तो जीप के देगा। यह विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, मैंने कटौती प्रस्ताव भी दिया है। जो सिटीज के थाने हैं उन पर तो जीप अवेलेबल है लेकिन जिनका 50-50 किलोमीटर का एरिया है वहां पर जीप नहीं है, वहां पर जीप की व्यवस्था की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मकराना है। यातायात के हिसाब से व्हीकल्स काफी हैं और यातायात पुलिस नहीं रहने से वहां बहुत अव्यवस्था रहती है और दो-दो ढाई घंटे तक ट्रेफिक जाम रहता है। वहां पर हमने बात की है और एक अस्थाई व्यवस्था की है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि मकराना के अन्दर विशेष रूप से यातायात पुलिस चौकी की व्यवस्था की जावे और यातायात पुलिस की वहां पर अलग से व्यवस्था हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहूंगा जो यह साम्प्रदायिकता की बात आती है, साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। मकराना में पहले एक दंगा भी हो चुका है और उसके बाद लोग चाहते हैं कि वहां पर शांति रहे, अमन चैन रहे। हर महीने डेढ महीने में मीटिंग भी करते हैं लेकिन मकराना की जनसंख्या काफी बढ़ी है और पास में एक बोरावड़ कस्बा पड़ता है। बोरावड़ कस्बे की आबादी भी आज 20 हजार से ऊपर पहुंच गई है। वह थोड़ा सा दूर है। तो मेरा एक निवेदन है कि इसी तरह से बोरावड़ में चौकी कायम की जावे, ताकि इसको रोका जा सके।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षिप्त में बात कहूंगा और न आपको बोर करूंगा और न सदन को बोर होने दूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप भी थक गये होंगे।

श्री टीकमचन्द कांत : दो सौ करोड़ से ऊपर की मांग गुलाम भारत से लगाकर जाबता फौजदारी जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, पुरानी जेल मैन्युअल,

(श्री टीकमचन्द कांत)

मांग संख्या 16 और 17 उस पर आज हम विचार कर रहे हैं। करीब-करीब 60 हजार की संख्या पुलिस विभाग की है और इतना हमारे पास में बजट हैं। अब दया करें पुलिस पर तब तो इतनी दया करो कि इसके अन्दर जितनी नफरी नहीं है उतनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, जन संख्या का विस्फोट हो गया है, अपराध बढ़ गये हैं. इसी कारण से पुलिस क्या करे दूसरा पहलू यह है कि अगर इस देश की, प्रदेश की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था का किसी के ऊपर भार है तो पुलिस पर है। इसी कारण से यह भी हमको माना पड़ेगा कि इस क्षेत्र की और इस प्रदेश की शांति और व्यवस्था के लिए पुलिस को सक्रिय होना चाहिये और जितने भी उसके पास अब साधन हैं उन साधनों के रहते हुए हमको इस प्रदेश में शांति और सुरक्षा चाहिये। अध्यक्ष महोदय, वहां तक साम्प्रदायिक स्थिति का सवाल है, 1987 और 1988 का अगर हम ग्राफ देखने जायें तो निरन्तर साम्प्रदायिक स्थिति के अन्दर घटनाओं का बढ़ना है अगर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति देखें तो भी वह ग्राफ 1987-1988 और 1989 बढ़ा है। अगर घटना देखें तो 3, 4 और 18 हुई हैं और अगर तनाव की स्थिति देखें तो 40, 60 और 140 हैं। 1990-91 के अन्दर यह ग्राफ वापिस नीचे आया है। अध्यक्ष महोदय, वहां साम्प्रदायिक स्थिति 14 आती है और 1991 के अन्दर सिर्फ 4 आती है और जो साम्प्रदायिक तनाव हैं वह 1990 के अन्दर 36 हैं और 1991 में 34 एक प्रकार से देखा जाये तो साम्प्रदायिकता की स्थिति से प्रशासन उस मामले में सुधरा है। अब पुलिस ने अपने हिसाब से देखा है। पुलिस ने यह कहा है कि यह हमारी एक उपलब्धि है, हमने साम्प्रदायिक स्थितियों को रोका है. तनाव को रोका है साम्प्रदायिकता के लिए बार-बार चिल्लाकर सरकार के ऊपर आरोप लगाने की बात, इस सारी चीज को पुलिस को वास्तव में संभालना चाहिये यह बात सत्य है लेकिन जाकर जाकर देखने की बात कोई राजनैतिक दल और विशेषकर कांग्रेस परवाह नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश का बंटवारा नहीं होता, अगर पाकिस्तान का वजूद नहीं आया होता, इस अखण्ड भारत में साम्प्रदायिक स्थिति समाप्त हो जाती, उस चीज को स्वीकार ने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद के अन्दर तुष्टीकरण की नीति इसके लिए में सीधा आरोप लगाऊंगा कि आज तक जो तुष्टीकरण की नीति चली वह सबसे बड़ा साम्प्रदायिकता का कारण है। और तुष्टीकरण के बाद में जहां तक हिन्दुओं पर आरोप का सवाल है, उस तुष्टीकरण नीति के कारण हिन्दुओं में एक असंतोष पैदा हो गया है और उस असंतोष के कारण आज हमको साम्प्रदायिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पूरा देश इस स्थिति का सामना कर रहा है। आज हमको मिल बैठकर कम से कम इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जब तक यह भावनाएं समाप्त नहीं होगीं तब तक ऐसा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस पुलिस प्रतिवेदन के अन्दर कहा गया है कि सामाजिक तनाव और सामाजिक संघर्ष झगड़ों

(श्री टीकमचन्द कांत)

के लिए जलूसों का मार्ग और धार्मिक कट्टरता पूर्वक दिये गये भाषण जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, वह राजमार्ग है किसी मोहल्ले का मार्ग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह राजमार्ग है किसी मोहल्ले का मार्ग नहीं है, किसी जाति विशेष का मार्ग नहीं है किसी धर्म विशेष का मार्ग नहीं है परम्परा से गुजरता हुआ ताजिया या परम्पराओं से गुजरती हुई रथ यात्रा आज हम खड़ा होकर कहें कि यह मुसलमानों का मोहल्ला है इसमें रथ यात्रा नहीं निकल सकती, या यह हिन्दुओं का मोहल्ला है, यह राजपथ है इसमें ताजिया नहीं निकल सकती. अध्यक्ष महोदय, इन स्थितियों को तो पुलिस को दबाना पड़ेगा और सरकार को भी यह तय करना पड़ेगा। कैसी भी इस प्रकार की या है चाहे वह ताजिया की हो, चाहे रामरथ यात्रा हो, चाहे कोई धार्मिक यात्रा हो वह जब तक इनके अन्दर का अहम नहीं टूटेगा तब तक साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति खड़ी रहेगी। लोग बहाना ढूंढते हैं कि किस प्रकार से कोई साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करें। राजनीतिक रोटियां सेंकने की बात चलती है।

अध्यक्ष महोदय, चोरी गये माल की रिकवरी 70 प्रतिशत हुई है। यह ठीक आंकड़ा है, लेकिन उसके साथ जोड़ता हूं सरूपगंज को, सरूपगंज के अन्दर तिहरा हत्या काण्ड हुआ, तीन लोग एक साथ मारे गये पिता, पुत्र और उसकी माता। लाख-दो लाख का माल ले जाया गया। उस सरूपगंज को याद करके पूरा सिरोही जिला आज भी एक प्रश्नचिन्ह लिये खड़ा है कि अपराधियों को कौन ढूंढेगा. यह घटना सिरोही में हुई क्यों, आज से पूर्व ऐसी घटना सिरोही में नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, डी. जी. साहब जाकर आ गये हैं उस जगह, डी. आई जी. साहब भी जाकर आ गये हैं। सारा सब कुछ होने के बाद हमको आश्वासन मिलता रहा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों यह हत्या काण्ड खुल जाएगा, अपराधी पकड़ लिये जाएंगे। लेकिन आज तक भी उसकी प्रगति जीरो है।

अध्यक्ष महोदय, 109 जाब्ता फौजदारी के तहत हर साल बढ़ते चले जाते हैं, गुण्डा एक्ट के तहत हर साल बढ़ते चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 109 और 110 के लक्ष्य दिये जाते हों कि इस साल के अन्त तक 109 और 110 की संख्या इतनी पहुंच जानी चाहिए? आवश्यक हो या नहीं हो तब भी 109 और 110 के तहत ये नम्बर बढ़ते हों कि ऐसा करना ही है? इस आदत को छोड़ा जाय तो क्या इससे कानून और व्यवस्था में कोई अन्तर पड़ जाएगा? या कोई इसमें नुकसान हो जाएगा? इस तरफ भी हमको देखना पड़ेगा।

एक बात मैं कहूं, अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई बुरा न माने, आज मैं नाम लूंगा। मुझे मालूम है गृह मंत्री जी ने एक बार डी. जी. साहब को कहा। मैं मानसिकता की बात करता हूं, मुझे किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। जन प्रतिनिधियों के साथ सम्भागवार हम बैठते हैं। डी. जी. साहब ने कहा, नहीं। यह मानसिकता सबसे खतरनाक है पब्लिक रिप्रेजेण्टे-

(श्री टीकमचन्द कांत)

टिव के साथ बैठने से कतराना, उस पब्लिक रिप्रजैण्टेटिव को तिरस्कृत भाव से देखना। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन इससे दूर रहने की बात से आप समझते हैं कि कानून और व्यवस्था सुधरेगी? कोई शान्ति स्थापित होगी? नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं, जैसा अभी प्रोफेसर केदार जी ने सुझाव दिया, उसके मुताबिक गृह मंत्री जी, डी. जी. साहब, एस. पी. साहब महीने-दो महीने-पन्द्रह दिन में तय कर लें, जन प्रतिनिधियों के साथ अपने क्षेत्र के अन्दर बैठें और बैठकर कोई न कोई हल निकालें वहां की समस्याएं सुनें, कुछ करें। तब जाकर उसमें से ठीक रिजल्ट निकल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिलकुल थोड़ा बोल रहे थे, 10 मिनट निकाल दिये। पैमाना क्या है आपका थोड़े का?

श्री टीकमचन्द कांत : थोड़ा-सा और बोलूंगा।

मेरे क्षेत्र में आबू सदर थाना है। 35 गांव है उसमें। उसमें टेलीफोन नहीं है। मण्डा गुजरात की सीमा पर आया हुआ है। दारू की तस्करी होती है। चोर-चोरी करके भाग जाते हैं, जीप नहीं है। गिरवर की चौकी आबू सदन के अन्दर ही कार्य कर रही है जब कि गिरवर गांव मौजूद है। एक पूरा सरकारी भवन भी वहां पर है। अगर चाहें तो वह चौकी स्थानान्तरित की जा सकती है।

दूसरा यह था, अध्यक्ष महोदय, कि नियम 131 के तहत मैंने एक नोटिस आपको दिया था कि अजमेर रोड, कालवाड़ा गांव निवासी श्रीमती सुशीला की 4-11-1991 को हत्या हो गयी। उसके पिता ने यही एफ. आई. आर. दर्ज करवायी कि उसकी पुत्री की हत्या हो गयी है, जिसमें उन्होंने कारण दिये। मेरे पास नियम 131 का जवाब आया है। अध्यक्ष महोदय, उस 131 के जवाब से ऐसा मालूम पड़ता है, और 4 महीने हुए उस लड़की के पिता ने शक भी जाहिर किया था कि 10 हजार रुपए उससे मांगे उसने दिये। इस प्रकार की बात की, तो लड़के के माता-पिता को या उनमें से किसी को या उसमें से किसी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरे दिन बताया उन्होंने कि पेट की सफाई। पेट की सफाई से मतलब डी. एन. सी. से था। क्या उन्होंने देखा कि डी. एन. सी. के कारण कोई इन्फैक्शन हुआ था? इस कारण से उसकी मौत हुई? अध्यक्ष महोदय, एक मैंने उसमें प्रश्न पूछा था कि क्या लड़की की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने की जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को नियमों निहित प्रावधानों के अनुसार भिजवायी गयी? उसका जवाब मुझे आया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, इसको देख रहे हैं हम कि किया था कि ऐसा नहीं किया था। इस प्रकार से 4-4 महीने हों दहेज के केस में और प्रतिवेदन में कहें कि हमने अलग प्रकोष्ठ बनाया है, हम इसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, हम उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही कर रहे हैं। जिसकी शादी हुई उसकी सात साल के अन्दर मृत्यु हो जाय तो जांच

(श्री टीकमचन्द कांत)

करते हैं। लेकिन इस मामले को देखते हुए ऐसा लगता है...

श्री अध्यक्ष : तो 50 साल की शादी वाले भी कह सकते हैं कि दहेज की वजह से मार दिया। 50 साल जिसकी शादी को हो गये और उनकी पत्नी और घर वालों के जंच जाय और मर जाय तो कह देंगे कि दहेज की वजह से मार दिया। तो मार दिया तो क्या करोगे अब आप ? अब आप बैठिये।

श्री टीकमचन्द कांत : जोधपुर की सुशीला की मृत्यु....

श्री अध्यक्ष : हो गया न आपका तो।

श्री टीकमचन्द कांत : जोधपुर की मृत्यु, शिवगंज में रहने वाली लड़की....

श्री अध्यक्ष : हो गया, वह तो बोल गये न आप।

श्री टीकमचन्द कांत : नहीं, वह दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : तो अब तक आप क्या बोल रहे थे ?

श्री टीकमचन्द कांत : वह दूसरा मामला था, यह दूसरा है। दो मिनट में कम्प्लीट करता हूं।

शिवगंज की 19 वर्ष की लड़की, डेढ़ साल पूर्व जिसकी शादी जोधपुर में की गई सोहन लाल जी दिनकर के लड़के श्री जुगल किशोर के साथ जो कि अरूणाचल में सब इंस्पेक्टर है। उस लड़की की मृत्यु 9 तारीख को हुई। डेढ़ बजे करीब उस लड़की का देवर कमल किशोर एक अकेला, गाडी के अन्दर या रिक्शे के अन्दर ले जाकर उसको चद्दर में बांध कर हास्पिटल जाता है। जाने से पूर्व एक टेलीफोन नम्बर सामने अलताफ मोहम्मद, जिसने अपने बयान लिखकर दिये है, उसको देता है कि इस पर फोन करके मातेश्वरी सोनी श्रीमती हैं या सुश्री वह मैं नहीं पूछ सका, लेकिन मातेश्वरी सोनी जो नागरिक सुरक्षा में कार्य करती हैं, शायद अनुदेशक हैं, उनको सूचना दे देना कि काम हो गया। वह लड़का हास्पिटल ले जाकर उस मंजू को हास्पिटल में देता है कि वह तो जल गयी, अपने आप जल गयी। डाक्टर जब देखता है तो इस बुरी तरह से उसको जलाया गया कि पूरी गरम सलाखें उसकी छाती पर डाली गयीं सीधी, मुझे नहीं कहना चाहिए, गुप्तांगों के अन्दर सलाखें डाली गयीं। उस लड़के कमल किशोर के विरूद्ध एक चिट्ठी प्राप्त हुई, जिसमें उस लड़की मंजू ने यह कहा अपने पति को चिट्ठी लिखते हुए कि यह लड़का मेरे साथ छेड़-छाड़ करता है और कुछ ऐसी बातें जो कि मैं कह नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, आज उसके माता-पिता इस संशय और शक में पड़े हुए हैं कि उस लड़की के सास-ससुर....

श्री अध्यक्ष : हुआ क्या उसमें ? आपकी शिकायत क्या है ? कुछ नहीं हुआ उसमें, यही है न ?

श्री टीकमचन्द कांत : मेरी शिकायत यह है अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस को इस

(श्री टीकमचन्द कांत)

जांच को तुरन्त चेंज करवाकर किसी उपयुक्त अधिकारी को देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अब बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री टीकमचन्द कांत : नहीं तो इसका मामला रह जाएगा। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अब आखरी में तो नम्बर आया है....

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत लोग हैं, आखिर में नहीं, अभी बहुत हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : आपका भी कोई काल अटेंशन वगैरह है?

श्री रामस्वरूप मीणा : नियम 131 के तहत मेरे दो हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले उसी पर बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले मैं उन्हीं पर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादोती की केतरी गांव के विक्रम सिंह की हत्या के बारे में। पहले भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, निवेदन किया था, मामला बहुत गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गम्भीर मामले में कम से कम सदन में इस बात की जानकारी देंगे कि उन व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है।

विक्रम सिंह की हत्या 31-3-91 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुर्जर छात्रावास में हुई थी। आज उसको एक साल होने को आया लेकिन बड़े दुख की बात है....

श्री अध्यक्ष : क्या मीणा गुर्जर एक हो गये?

श्री रामस्वरूप मीणा : मीणा और गुर्जर हमेशा एक थे। कभी दो नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है। शुभ लक्षण है।

श्री रामस्वरूप मीणा : 31-3-91 को विक्रम सिंह की हत्या हुई राजस्थान की राजधानी में और उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और 19-4-91 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर, जैसा आपने जवाब में लिखा में लिखा है, "थाना मोती डूंगरी, जयपुर शहर में दर्ज हुए दिनांक 19-4-91 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के 2500-3000 व्यक्तियों की एक भीड़ कलेक्ट्रेट जयपुर पर पहुंची जिसमें सर्वश्री माननीय विधायक श्री रामेश्वर यादव, डा. चन्द्रभान, श्रीमती रमा पायलट,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

श्री हरिसिंहजी, गोविन्दसिंह गुर्जर, मोतीरामजी, रामकरण सिंहजी, लक्ष्मीलाल, विधायक आदि उसमें सम्मिलित हुए और अपनी गिरफ्तारी दी।" कम से कम 10 तो विधायकों ने गिरफ्तारी दी और राजस्थान के कोने-कोने से आये गुर्जर समाज और अन्य समाज के विधायक गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों के साथ यहां राजस्थान की राजधानी में इकट्ठें हों, और उस मामले में आज तक अभियुक्तों की पूर्ण गिरफ्तारी नहीं हो सके, इससे बड़ी हमारे लिये शर्म की बात और क्या हो सकती है? एक ही विधायक बहुत मायने रखता है, लाखों लोगों के द्वारा चुनकर आता है। लेकिन जहां 10 विधायक मिलकर के इतने जघन्य अपराध, जो राजस्थान की राजधानी में हुआ हो, के विरोध में अपनी गिरफ्तारी दें और राजस्थान की सरकार उस पर मूक बैठी रहे और आज तक गिरफ्तारी नहीं हो, उससे बड़ी दुख की बात नहीं है। इसलिये जो व्यक्ति और रह गये हैं, आपने जवाब में लिखा है कि दो की गिरफ्तारी वारण्ट अदालत से जारी हो गये हैं लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का विक्रम सिंह की नौजवान विधवा के बारे में, जो आज दरदर की ठोकर खाने को मजबूर कर दी गई हो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। इस प्रकार राजस्थान की राजधानी में हत्या हो और उस विधवा के लिये आज तक आपने दो शब्द भी नहीं कहे सदन के अन्दर। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों ने इतना बड़ा अपराध किया हो, जिन्होंने हत्या की हो, उनकी तुरन्त गिरफ्तारी की आप सदन में घोषणा करावें कि आप कब तक उनको गिरफ्तार करेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मेरा दूसरा जो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है नियम 131 के अन्दर, वह है मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नगलेवाली धूनी के बारे में जहां लाखों श्रद्धालू आते हैं। वहां नगेश्वर बाबा होते थे बहुत पहले जिनकी धूनी पर बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं। वहां एक महन्तजी थे, श्री रामकरण दासजी, उनकी 28 तारीख को हत्या हुई। रात्रि में हत्यारे वहां पर आये और आकर के वहां रात्रि में गला घोट के हत्या कर दी। इससे पहले एक काण्ड और हिण्डौन के अन्दर हुआ था डकैती का। वह 27 तारीख को हुआ था और यह 28 तारीख का मामला है। 27 तारीख को हिण्डौन के हरदेवजी के मंदिर में, जो 400 साल पुराना है, हरदेवजी की मूर्ति जिसमें बहुमूल्य हीरा जो उनकी ठोडी में लगा हुआ था, उनके सारे गहने जो पेटी में रखे हुए थे, डकैत रात में आकर के सारे गहनों को ले गये। बड़े दुख की बात है कि 3-3 घण्टे तक पुलिस वहां नहीं पहुंच पाये जबकि वहां पर पुलिस मौजूद हो, डी. वाई. एस. पी. जहां रहता हो, इतना इन्तजाम जहां हो और 3 घण्टे बाद वहां तफ्तीश की जाय इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। इसी का परिणाम था कि दूसरे दिन सारे दिन बाजार बन्द रहा, हजारों व्यक्तियों का

(श्री रामस्वरुप मीणा)

जुलूस निकाला, भूख हड़ताल शुरू हुई 3 दिन तक बाजार बन्द रहे। गृह मंत्रीजी, उस समय भी मैंने आपसे निवेदन किया था। आपने कहा था कि मैं स्वयं मौके पर जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी सदन में इस बात के लिये जवाब दें कि आप वहां मौके पर गये या नहीं गये, कितने दिन के बाद वह धरना टूटा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। इतनी बड़ी डकैती शहर के बीच में बहुमूल्य हीरा चला जाय जिसके अन्दर और बाजार तीन दिन तक बन्द रहे और आज तक उसके कोई भी परिणाम सामने नहीं आये हैं। आज कितने दिन हो चुके है 27 तारीख को और एक भी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है उसके अन्दर। उसी का परिणाम है, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नगला की धूनी में 28 तारीख को हत्या हुई। आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को पकड़ा है, जैसे मुझे अभी जवाब में बताया गया कि कुछ व्यक्ति आपने जानकारी के लिये पकड़े थे, कोई निर्दोष व्यक्ति या अभियुक्त हमने नहीं पकड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया हूं, मैंने व्यक्तिगत जानकारी ली है, मैंने वहां के लोगों से हर्फलना भी लिये हैं। वहां की पुलिस ने वहां के बहुत बड़े विद्वान को पकड़ा। जो लोग वहां धूनी पर आते थे, एक महात्मा जो हमेशा धूनी पर रहता था, वह उस दिन मौजूद था वह उस दिन मौजूद था रात्रि को वहां लेकिन कम से कम 100 फीट की दूरी पर ठहरा हुआ था। उस महात्मा को भी आपने पकड़ा हैं। और रामस्वरूप पंडित जी, भागवत के जो पंडितजी हैं केमला गांव के, वे बड़े माने हुए हैं, जिनकी उम्र कम से कम 70 साल की होगी, उस भागवत के पंडितजी को आपने पकड़ा और कम से कम 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस दिन की थी। लेकिन आपने इसमें लिखा है कि आपने जानकारी के लिये उन लोगों को पकड़ा था। मैंने स्वयं ने जानकारी की है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वजीरपुर थाना इसकी तफ्तीश कर रहा है। उन पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ा है। यह ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं पुलिस में, अच्छे-अच्छे भी हैं, बड़े-बड़े अफसर अच्छे हैं, लेकिन कुछ उसमें बदमाश भी हैं। जिन व्यक्तियों को पकड़ा है पुलिस ने मैं सच कहता हूं कि रामस्वरूप जी को पकडा है, उनसे 3 हजार के नोट लेकर छोडा गया है। जो महन्त मरा है, उसकी औरत जो हिण्डौन में रहती है, उस औरत को गिरफ्तार किया गया था, बाहर उसको रखा गया था, अन्दर उसकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं थी, उसको भी दो हजार रुपये लेकर छोडा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जिस संत को पकडा गया था उसको 4 रोज तक पकड़े रहे, मारपीट की दारू पी-पीकर उस सन्त की। वह सन्त जिसने रात को हल्ला मचाया, कोई आया था, कोई मार गया उनको, गांव वालों को बुला के लाया, उस सन्त को पकडकर उसकी वह मरम्मत की कि उसकी चमडी ऊंची कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जानकारी के बहाने से इस प्रकार निर्दोष व्यक्तियों को पकडकर पुलिस

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मारती है। मैं सत्य कहता हूं सदन के बीच में, उस महात्मा को आपके सामने पेश कर सकता हूं, उन लोगों के हलफनामे मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। यह हकीकत है बहुत बुरा वजीरपुर थाने के अन्दर हुआ है। मैं हकीकत निवेदन कर रहा हूं आपको। आज तक कोई डकैती का पता नहीं लगे, हत्यारों की एक भी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा सके और उसके बाद निर्दोष के साथ इस प्रकार कार्यवाही की जाय, यह बड़े शर्म की बात है। यहां डी.जी. साहब, डी. आई. जी. साहब, माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, अगर कोई हकीकत है तो हकीकत को स्वीकार भी करना चाहिये।

मैं मानता हूं कि बहुत से बड़ी वीरता के काम भी करते हैं, अच्छे-अच्छे अपनी तरक्की के काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि उसके लिये, उन लोगों को इनाम दिया जाय, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जो दारू पी-पीकर रात में निर्दोष व्यक्तियों की मरम्मत करते हैं और डकैत-चोर एक को भी नहीं पकड सकते, कम से कम इस सदन के अन्दर यह घोषणा करायें कि उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी। निर्दोष व्यक्तियों की जो पिटाई की गई है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने हलफनामे दिये है उन व्यक्तियों को बुलाकर गृह मंत्रीजी स्वयं उनसे मिलें निर्दोष लोगों के, जिनके साथ यह मारपीट हुई है, उनके बच्चों को मुआवजा दिलायें और उनके परिवार को सान्त्वना दें आप जाकर। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दो ध्यानाकर्षणों के अलावा मेरे कुछ सुझाव भी हैं क्योंकि मेरा कटौती प्रस्ताव भी था। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज जो पुलिस की व्यवस्था है, हम सारा दोषारोपण पुलिस पर ही नहीं कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। अपराधियों के तरीके बदल गये, डकैत पकड़ में नहीं आते। इसके क्या हैं? डकैतों ने अपने तरीके बदल लिये। वे डकैत आते हैं मारूति कारों में बैठकर। मारूति कारों की रफ्तार बहुत तेज होती है। आपने गाड़ी रखी है थानों के अन्दर इंजिन की गाड़ी। इन गाड़ियों को स्टार्ट करने के पहले इसमें हीटर लगाना पड़ता है। यह गाड़ी 15-20 मिनट तक हीटर खाती है। हीटर की जब तक गरमाई आती है तब तक पुलिस वालों की गरमाई निकल चुकी होती है और डकैत कहीं भाग चुके होते हैं। अगर आप डकैत पकड़ना चाहते हैं तो इनको आप पेट्रोलिंग के लिये मारूति गाड़ी दीजिये जिनकी रफ्तार उन डकैतों की रफ्तार से तेज हो। समय के अनुसार, गृह मंत्रीजी, बदलना पड़ेगा। इसलिये मैं गृह मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि आप मारूति गाड़िया दीजिये। यह पहला मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि वायरलैस सैट जो थानों के अन्दर लगा रखे है, जगह-जगह चौकियों पर वायरलैस सैट लगा रखे है, थानों से वायरलैस मैसेज जाता है और उसका जवाब नहीं आता। खराब हो जाते है। बैटरी सही नहीं है वायरलैस सैट की। आप जो कुछ खर्च करते है, वह पैसा अपर्याप्त है। उसको बढ़ाया जाय।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

ताकि वायरलेस सैट्स बढ़िया उपलब्ध करवायें। वरना क्या होता है कि चोर चले जाते हैं, उसके 3 घंटे बाद आपका वायरलैस सैट बोलता है कि चोरी हो चुकी है फिर आपका एस. पी. रवाना होते हैं हैड क्वार्टर से। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छे वायरलेस सैट्स, जो कीमती हों, जो खराब नहीं होते

(9.51 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष पदासीन)

हों, अच्छी बैटरियां हों उनकी व्यवस्था करवायें ताकि वह 24 घंटे चालू रह सकें।

तीसरा मेरा सुझाव है कि माननीय गृह मंत्रीजी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कटौती प्रस्तावों पर बोलना शुरू ही किया है और आपने घंटी बजा दी। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। रात्रि के 10 बजे मैं बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को सुझाव दे रहा हूं कि आपने जो वेतनमान आज पुलिस अधिकारियों और थानों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों को दे रखे हैं, उनको जो भत्ते दे रखे हैं वह बहुत अपर्याप्त हैं। मैं सही कहता हूं कि जो पुलिस में आज भ्रष्टाचार फैला है उसका कारण आप हैं। आप बढ़ती हुई महंगाई के साथ-साथ भत्ते बढ़ाते जायं, पैसा दें उनको। आज महंगाई कहां पहुंच चुकी है, कितने गृहस्थी के खर्चे पहुंच चुके हैं। वह बाल-बच्चों को छोड़कर दूर-दराज के थानों में पड़े रहते हैं। उनके लिए कोई मनोरंजन के साधन भी नहीं होते हैं। मजबूरी में उन लोगों को शराब पीनी पड़ती है। अगर आप इस बुराई को दूर करना चाहते हैं, अपराधियों को पकड़ना चाहते हैं तो इनकी आप तनख्वाह बढ़ाइये, इनके भत्ते बढ़ाइये, और कुछ समय मनोरंजन के लिये निर्धारित किया जाय जिसमें कि वह मनोरंजन कर सकें। आप रात्रि के अन्दर टोडाभीम के अन्दर देख लीजिये 10 बजे पुलिस वाले शराब पीकर नाली में पड़े रहते हैं। यह हालत है। जबसे उन बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करें इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पैसा इतना ही मिलता है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है इसलिये गम को दूर करने और मिटाने का दूसरा और क्या उपाय हो सकता है। अगर आप इनका गम मिटाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप इनकी तनख्वाह बढ़ाइये, इनके भत्ते बढ़ाइये, इनके बच्चों और औरतों वगैरह के लिये विशेष तौर से सुविधा बढ़ायें ताकि यह लोग अपने घर की चिन्ता नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मीणा साहब संक्षिप्त कीजिये। टाइम का भी ध्यान रखिये। हाउस में और माननीय सदस्य भी बैठे हैं। मुझे पता है कि आप कब से बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं हकीकत निवेदन कर रहा हूं। आप मेरा ध्यान नहीं हटाएं तो और भी जल्दी समाप्त कर सकता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि जो मैं सदन के सामने नहीं कह सकता हूं लेकिन फिर भी कुछ इशारा मैं करना चाहता हूं। थानों के अन्दर बलात्कार की घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं और रोजाना अखबारों में भी आता है, लेकिन आज तक सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की घोषणा नहीं की गई जिन व्यक्तियों ने बलात्कार किया उन व्यक्तियों को दण्डित किया गया हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको सरेआम इनाम दीजिये लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किये थानों के अन्दर, थानों को जिन्होंने बदनाम किया है उनको सरे आम दण्डित करने की भी घोषणा की जाय।

एक आखिरी और सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी आप कम से कम महीने में एक दिन जिले के लिए दीजिये और वह आप किसी को भी बिना सूचना दिये जाय, कोई सूचना करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नेता को कहने की आवश्यकता नहीं है। नेताओं के अन्दर भी बहुत से सही नहीं है। बहुत से हम में भी बिगड़े हुए हैं। हम ही उन लोगों को सूचना दे देंगे। इसलिये आप बिना सूचना दिये जिले के अन्दर निकल जायं और हर मुख्य-मुख्य थाने में जाकर जांच कीजिये शाम की टाइम में। क्या हालत आपको थानों के अन्दर देखने को मिलेगी। भगवान राम भी रात्रि के समय में घूमते थे तो आप भगवान राम से बड़े नहीं हैं। राम की बात तो कर सकते हैं लेकिन उनके आदर्श को भी अपनायें। वक्त आया है, आप आज गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपकी लापरवाही की वजह से डकैतियां पड़ती हैं, आपकी लापरवाही से बलात्कार की घटनाएं होती हैं, आपकी लापरवाही की वजह से चोरियां होती हैं। अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी। आप तेज रफ्तार की गाड़ियां लीजिये और माननीय मंत्रीजी, जो आपके पास में बैठे हैं, उनको साथ में लीजिये और बिना प्रोग्राम के जायं। आई. जी., डी. आई. जी., और एस. पी. साहिबान हैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले भी घोषणा की थी कि थानों में जायेंगे लेकिन एक दिन भी एस. पी. थाने के अन्दर नहीं गये आज तक। इसलिये उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी बिना सूचना दिये, बिना प्रोग्राम दिये जायें। पहले सूचना देने से थानेदार आपकी खातेदारी में पहले से तैयार कर लेता है, थाने में झाड़ू लगवा लेता है। वरना एक-एक महीने तक थानों में झाड़ू नहीं लगती है, पता नहीं क्या-क्या कुकर्म होते हैं थानों के अन्दर। आप मेरे टोडाभीम में आ जायं, मैं दिखा दूंगा आपको। इसलिये आई. जी., डी. आई. जी. और एस. पी. साहिबान और बड़े-बड़े अधिकारी यहां पर विराजमान हैं, अगर आप आना शुरू कर दें तो यह सारे अन्याय बन्द हो जायेंगे और थाने आदर्श थाने बनने लग जायेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आई.जी., डी. आई. जी. साहब, जो यहां पर अधिकारी दीर्घा में बिराजे हुए हैं, उनको देख कर अपनी बात कह रहे हैं, उनको सम्बोधित न करके....

श्री परसादीलाल मीणा : चेयर को कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय गृह मंत्रीजी को सम्बोधित करें। आपको सम्बोधित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप चेयर को ही कर रहे हैं। माननीय श्री मीणा साहब, पूरा कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं और जो मेरे 131 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं उनका आप जवाब इस सदन में मुझे देंगे। मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और मुझे इस बात का विश्वास है कि माननीय गृह मंत्रीजी मुझे जवाब देंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं और बुरे कर्म न हों।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमृत परमार।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय को जो मैंने जवाब दिया है उसी में से तो आप बोले हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब आपका अपर्याप्त है। मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके बारे में आप कम से कम जवाब दें।

श्री दिग्विजय सिंह : जवाब तो 131 में मैंने दे दिया है और उसी में से आप पढ़कर बोल रहे थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो जवाब दिया है वह अपर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्रीजी मेरे सुझावों का जरूर जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमृत परमार।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया काफी इंतजार के बाद। मुझे यह चिन्ता थी कि गृह मंत्रीजी मेरे कथन की चपेट में नहीं आ जायं इसलिये अमृत परमार नहीं बोले। फिर भी आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए तो धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किये जा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा। इस सरकार के बनने के बाद जितनी तस्करी का काम राजस्थान में होता

(श्री अमृतलाल परमार)

था उसमें कमी आई है, करोड़ों रुपयों का सोना पकड़ा गया, करोड़ों रुपये की हेरोइन पकड़ी गई, अवैध धंधे जो होते थे उनकी कमी आई है और राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में जो गायों का पलायन होता था उसमें भी कमी आई है, पाकिस्तान द्वारा जो जासूसी कराई जाती थी उसमें कमी आई है, घुसपैठिये पाकिस्तान से आते थे उसमें भी कमी आई है, उस उस पर काबू पाया गया है और राजस्थान के अन्दर पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में जितने साम्प्रदायिक दंगे होते थे उसके अनुपात के अन्दर कमी आई है। और जो दंगे हुए हैं उन पर तुरन्त काबू पाया गया है, यह कहना पड़ेगा।

इसके बावजूद भी मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र जो बनवासी क्षेत्र है की तरफ दिलाना चाहूंगा। मैं परसों ही बिजापुर गांव गया था। वहां पर एक मीटिंग थी, उसमें काफी बनवासी भाई आये। बनवासी क्षेत्र के अन्दर थाना लगता है नाला। उस थाना क्षेत्र में काफी तादाद में चोरियां हुई हैं और अभी तक उनका पता नहीं लगाया जा रहा है। वहां पर पुलिस कुछ भी काम नहीं कर रही है, सोई हुई है, थानेदार भी आराम कर रहे हैं और जो पुलिस कर्मचारी थाने में लगे हुए हैं वह शराब में धुत रहते हैं, और डीवाई. एस. पी. इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इसी प्रकार से 4 महीने पहले फालना के अन्दर एक हादसा हुआ था जिसके अन्दर दो कांड हुए थे—एक घोखा काण्ड और दूसरा ईश्वरसिंह काण्ड। उन काण्डों के सिलसिले में बन्धु भाईयों की दो बसें भरकर जयपुर आई थी। उस काण्ड का मुझे मालूम है कि जो वास्तव में दोषी नहीं था उनको दोषी बनाया गया। जिनकी जमीन थी वास्तव में, जिनका कब्जा था उनको दुकान के अन्दर जाकर पीटा गया। यह बिल्कुल सही है। उसका नतीजा यह हुआ कि बाली एरिया की जो पुलिस थी, जिनका हाथ उसके अन्दर रंगा हुआ था, जो डीवाई. एस. पी. थे और जो सही थानेदार बाली के अन्दर उस हादसे में नहीं था, जो ईमानदार आफिसर था और पाली में लगा हुआ है, एडिशनल आफिसर, उनको हटाया गया। इसलिये मैं मांग करूंगा इस प्रकरण की सी. बी. आई. से जांच करवाई जाय और जो वास्तव में दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जिस ईमानदार अफसर को हटाया गया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी शिकायत पर हटाया या....(व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार : मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो ईमानदार आफिसर हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए। यह नहीं हुआ है। जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी से काम किया है और जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही की, और उनको हटाया गया है। आज फालना के अन्दर अवैध धन्धे हो रहे हैं। जिनकी जमीनें हैं वह बाम्बे बैठे हैं, जिनके 15-15, 20-20 साल से कब्जे हैं, उनके पट्टे हैं उन पर अवैध कब्जे किये जा रहे हैं और उनको खाली करवाने

(श्री अमृतलाल परमार)

के लिए 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार की मांग होती है। घाणदा के निवासी गणपतराम हैं, वह मेरे सम्बन्धी हैं उनसे भी 55 हजार रुपये लिये गये तब वह जमीन खाली की गई। इस प्रकार का वहां गिरोह पैदा हुआ है और उस गिरोह को संरक्षण किसका मिला है, हमारे बाली के जो अफसर हैं उनका उनको संरक्षण मिल रहा है, उनका भाई भतीजावाद चल रहा है। उनका वहां सम्बन्ध है इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जो बाली थानेदार हैं, बेड़ा के अन्दर जो मुंशी हैं, सेवाडी का मुंशी है, बीजापुर का मुंशी है उनको अविलम्ब हटाया जाए। एक शौकत नाम का मुंशी है जो साम्प्रदायिक दंगा फैलाता है, उसके अन्दर उसका हाथ है उसको अविलम्ब हटाया जाए। मैं पूर्व में भी यह मांग कर चुका हूं अभी तक वहां बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इनको अविलम्ब हटाया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार हमारे बाली क्षेत्र को दो भाग में बांटा गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने गांव हैं कुछ गांव ऐसे हैं जिनको दिया है देसूरी थाने के अन्दर नहीं सहाडी थाने के अन्दर तो जो केस होते हैं तो सहाडी आना पड़ता है लोगों को। मेरी मांग है कि जो सहाडी के अन्दर, जो हमारे बाली के गांव हैं उनको बाली थाने में दिये जाये, यह हमारी मांग है। दूसरी मांग यह है कि पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मीनारायणजी दवे ने कहा सोजत एरिया पुराना है उसी प्रकार बाली एरिया उससे भी पुराना है उस एरिये के अन्दर भी एडिशनल डी.वाई. एस. पी. की मांग होनी चाहिए। मेरी मांग है कि यह आफिस भी खोला जाय। जिस प्रकार सोजत की मांग की है, मैं बाली क्षेत्र के अन्दर भी यह मांग करता हूं कि वहां आफिस होना चाहिए ताकि वहां अपराध कम होंगे, अपराधों पर काबू हो जायगा, और इस प्रकार की जो चोरियां होती हैं उन पर रुकावट होगी। मैं यह भी कहता हूं कि बाली क्षेत्र के अन्दर, बाली प्रोपर के अन्दर पुलिस की बहुत कमी है। एक थाने के अन्दर 6 आदमी हैं, कहां-कहां जायेंगे वह। झगड़े होते हैं, हमारे बाली एरिया के अन्दर साल, दो साल में कभी न कभी किसी बात को लेकर दंगे होते हैं और कांग्रेस वाले कहते यह हैं कि यह साम्प्रदायिक दंगा हुआ, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वहां पर वास्तव में दंगे करवाये जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा साम्प्रदायिक दंगे करवाये जाते हैं और बदनाम किसको करते हैं, हिन्दू समाज को बदनाम किया जाता है। यह बात गलत है। यह दंगे योजनापूर्वक करवाये जाते हैं और उनमें कांग्रेसियों का हाथ है। आप कहो तो मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं इस प्रकार यह दंगे होते हैं....(व्यवधान) मैं पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि बाली थाने के अन्दर पुलिस बढ़ाई जाय।

इसी प्रकार फालना मार्ग पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहां पर ट्रैफिक पुलिस अभी तक लगी नहीं है। मैं पांच साल से मांग कर रहा हूं कि वहां ट्रैफिक पुलिस लगाई जावे। अभी तक वहां व्यवस्था नहीं की है तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस लगाई जावे। आपने मुझे समय दिया, इसलिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में निवारु और बोयथावालाज, जयपुर तहसील के दो गांव हैं जहां पर 930 बीघा जमीन काश्तकारों ने स्थल सेना की फुल फायरिंग रेंज की जो जमीन एक्वायर की गई थी सन् 1983 में मुआवजा तय किया गया बारानी जमीन के लिए 1500 रुपये बीघा, बंजर जमीन के लिए एक हजार रुपये बीघा और चाही जमीन के लिए दो हजार रुपये बीघा का मुआवजा तय किया गया। वर्तमान में वहां पर जमीन की कीमत एक लाख रुपये बीघा से भी अधिक है और मुआवजे के रूप में मात्र चार काश्तकारों को आज तक मुआवजा दिया गया और बाकी काश्तकारों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया इसका कारण, तो न्यायालय में उसका मामला विचाराधीन है। लेकिन आज की वहां की जो कीमतें हैं उनको देखते हुए काश्तकार का जो मुख्य धन्धा है, काश्तकार की जो आर्थिक स्थिति पूर्णतया कृषि पर निर्भर है उन लोगों के लिए आज वहां से करीब बीस-बीस किलोमीटर के एरिये में भी वह दो हजार रुपये बीघा में जमीन नहीं खरीद सकते। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वहां के काश्तकारों को या तो समुचित मुआवजा दिया जाय, ताकि कहीं पर वह जमीन खरीद सकें या उनको भूमि के बदले में भूमि दी जाय तो काश्तकार अपने परिवार को पाल सकता है। इसी तरह से आमेर तहसील के मूडता गांव में अभी वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का मामला जारी है। वहां पर भी 284 बीघा जमीन काश्तकारों की एक्वायर की जा रही है और मेरे को जवाब में यह बताया गया कि वह जमीन बारानी जमीन है जबकि उस जमीन में 15 कुएं बने हुए हैं, सबमें बिजली लगी हुई है और आज की तारीख में भी वहां पर बहुत अच्छी गेहूं की फसल खड़ी हुई है उस भूमि के साथ में लगती हुई और अन्य बारानी भूमि भी है जो इस कार्य के लिए एक्वायर की जा सकती है। लेकिन बार-बार मेरे सुझाव देने के पश्चात् भी जो अच्छी खेती की जमीन है उस जमीन को एक्वायर किया जा रहा है और बारानी जमीन को उसके लिए छोड़ा जा रहा है। जबकि उस बारानी जमीन के मालिक पांच-पांच बीघा जमीन एक-एक व्यक्ति की पड़ती है और एस. टी., एस. सी. के लोग हैं खास तौर से वह लोग इन्ट्रेस्टेड भी हैं कि यह जमीन एक्वायर की जाए क्योंकि पहाड़ी एरिया होने के नाते, उबड़-खाबड़ होने के नाते वह लोग, उनमें न तो कुआ बना सकते हैं, और न उसमें खेती कर सकते हैं, तो मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जिन काश्तकारों की भूमि एक्वायर की जा रही है उनको या तो समुचित मुआवजा दिया जाय जिससे वह जाकर के कहीं दूसरी जगह जमीन खरीद सकें और उनके मकान, पम्पसैट, कुएं आदि का भी समुचित मुआवजा दिया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोपीरामजी, किस पर बोल रहे हैं आप....

श्री गोपीराम जाट : यह मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और मुझे यह कहा गया था कि....

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना, काहे का ध्यानाकर्षण था, पुलिस के बारे में बोलिये, यह क्या कह रहे हैं ?

श्री गोपीराम जाट : मेरे को ध्यानाकर्षण के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था। आज है, मेरे पास जवाब आया है।

श्री उपाध्यक्ष : सारे ध्यानाकर्षण आज नहीं है। आज पुलिस डिपार्टमेंट वाला है और कोई नहीं है। पुलिस, गृह विभाग के जो काल अटेन्शन मोशन हैं, आप बिराजिये, यह नहीं है, यह गलत दे दिया, यह नहीं है।

श्री गोपीराम जाट : पुलिस पर बोल रहा हूं। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान पुलिस विभाग की दो-तीन जो मेरे क्षेत्र की समस्याएं उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बगरू थाने के अन्दर कालवाड़ एक पुलिस चौकी है और उस कालवाड़ पुलिस चौकी के बीस-बीस किलोमीटर के एरिये में बल्कि तीस किलोमीटर के एरिये में कोई थाना नहीं पड़ता और बगरू से कालवाड़ का कोई सीधा सड़क मार्ग भी नहीं बना हुआ है तो वहा से किसी भी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने जाना होता है तो उनको जयपुर से होकर के फिर अजमेर रोड़ से बगरू जाना होता है। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि कालवाड़ पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर उसको थाना बनाया जाय।

इसी के साथ में कोटपूतली सब डिवीजन में शाहपुरा एक काफी महत्वपूर्ण कस्बा है, यहां पर काफी वारदातें होती रहती हैं, वहां का जो थाना है उसको सी. आई. रेंज में कन्वर्ट किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि शाहपुरा के पास में एक एग्रीकल्चर कालेज है और उसके अलावा भी पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि वहां पर काफी 302 के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं तो इस दृष्टि से उस थाने को क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है।

इसी के साथ मैं कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य जो एक मामला ध्यान में लिये थे, अरविन्द कुमार की हत्या 17 अगस्त, 1988 में हुई और दिसम्बर के महीने में सी. आई. डी. की जांच होने के पश्चात् जब यह तय कर लिया गया कि यह वास्तव में हत्या है, उसका मुकदमा दर्ज किया गया और आज की तारीख तक उसका चालान पेश नहीं हुआ। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की उसमें दखलअन्दाजी होने के वजह से उस मामले को दबाने के लिए मेडिकल बोर्ड बैठाया गया और अब ऐसा जानकारी में आया है कि लाई डिटेक्टर पर ले जाकर मुल्जिमों को बचाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है तो मेरा गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि इतना लम्बित मामला होने के बावजूद भी आज तक इस केस में चालान नहीं हुआ। मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर आप आदेश फरमा कर तुरन्त चालान इसमें करवाने के आदेश फरमायें। इतना ही निवेदन करते हुये मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की और जेल विभाग

(श्री हरिसिंह)

की मांगों के सम्बन्ध में इस सदन में विचार किया जा रहा है और उस विचार के दौरान पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही तरफ से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है फर्क सिर्फ इतना-सा है कि जहां प्रतिपक्ष प्रारम्भ से ही विभाग की कमजोरियों को ध्यान में ला रहा है और दिला रहा है वहां सत्ता पक्ष के लोक किन्हीं कारणोंवश, उनको चूंकि प्रशंसा भी करनी है राज की तो एक दो सेन्टेन्स में तो निश्चित रूप से उन्होंने प्रशंसा की है बाकी बोलते-बोलते बात वहीं आ जाती है और फिर वही पुलिस की विफलता भ्रष्टाचार और न जाने क्या-क्या आरोप, पूरा सदन इस बात से सहमत है कि हमारे पुलिस की कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी खामी है और निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा विचार का बिन्दु है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि कई बार यहां कांग्रेस वालों ने यह किया, उसने यह किया, वह किया, इस ढंग की बातें तो बहुत सारी होती हैं। हम भी सुनते रहते हैं लेकिन निश्चित रूप से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस वालों से कोई भूल हुई और भूल हुई तो जनता ने उधर बैठने के बजाय इधर बैठा दिया। क्या आप भी उन भूलों को दोहरा रहे हैं? हमें कोसने के बावजूद भी उन भूलों को दुगुनी गति से दोहरा रहे हैं और आपकी व्यवस्था में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेष नहीं जाकर मैं अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हिण्डौन कस्बे में भगवान हरिदेवजी के मन्दिर में चोरी की वारदात हुई। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करूं कि भगवान हरिदेवजी का मन्दिर हिण्डौन कस्बे में ही नहीं बल्कि आस-पास के लोग जो चार-चार, पांच-पांच, आठ-आठ, दस-दस किलोमीटर दूर से लोग वहां मंगला की आरती के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस मूर्ति के प्रति बड़ी आस्था है और वहां पर भगवान के आभूषणों की चोरी हो गई। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उपाध्यक्ष महोदय, 5 तारीख को मैंने दिया था, व्यवस्था है आपकी, सदन में वह नहीं लग पाया। बहुमूल्य हीरा चोरी हुआ। मैंने वहां के इन्चार्ज एस. एच. ओ. से बात की तो उन्होंने कहा कि शंका की सूई महन्तजी के परिवार की तरफ जा रही है। मैंने खुद ने अनुरोध किया, उपाध्यक्ष महोदय कि यहां महन्त के परिवार या पब्लिक के किसी व्यक्ति या और किसी व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की आस्था का सवाल है। मुल्जिम कोई हो आप तुरन्त उसको गिरफ्तार करिये। लेकिन उस पर भी यह इसी महीने की 6-7 तारीख की बात है इतने दिन निकल गये आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह सिलसिला लम्बे समय से चला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूं कि मैंने पिछले 6 महीने में हिण्डौन कस्बे में चोरी की 132 वारदातें होने का आरोप लगाया था। आपके जवाब में आपने 45 वारदातें कबूल की हैं। बल्कि यह संख्या ज्यादा है उसको कुछ लुका-छिपी कर गये और अफसोस इस

(श्री हरिसिंह)

बात का है, चलो आपके कहने के मुताबिक 45 को ही सही मान लें, अनेक वारदातें छोटी-मोटी ऐसी हैं जिनके लिये पब्लिक की यह धारणा बन गई है कि पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने का कोई अर्थ नहीं निकलता बल्कि स्वयं हमें परेशानी पैदा होती है। पचास बातें पूछी जाती हैं जिस घर में चोरी होती है उसके परिजनों को पुलिस परेशान करती है इसलिए धारणा बन गई और विशेष रूप से वहां पब्लिक की छोटी-सी मांग थी, आन्दोलन हुये, जनता ने आन्दोलन किये, बाजार बन्द रहे, कोर्ट कचहरी बन्द रहे, धरने पर लोग बैठे थे और उनकी मांग सिर्फ यह थी कि जिस थानेदार के सेवाकाल में अगर 50 और 55 वारदातें चोरी की हों तो आप उसको हटा दीजिये। पता नहीं आपके ऊपर कौनसा दबाव था, आपके अधिकारियों के ऊपर कौनसा दबाव था, मैं हटाने वाली बात नहीं कर रहा मैं तो यह कह रहा हूं कि जांच करवायें कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा ? उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से मैं थोड़ा-सा एक अनुरोध करना चाहूंगा। हिण्डौन कस्बे में दिसम्बर 1991 में जो चोरी हुई है उनके एफ. आई. आर. नम्बर 567, 574, 577, 578, 582, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 600, 603, 605, 607, दुर्भाग्य की बात यह है कि क्रमिक रूप से एक के बाद एक एफ. आई. आर. चोरी की दर्ज हुई और दूसरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद में भी, उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी के पास इसकी शिकायत की गई, एक महीने का हाल सुनाया है, हर महीने की यही स्थिति है। एक चोरी के बाद में दूसरी चोरी की एफ. आई. आर. है उसका एक कोमूलेटिव इफेक्ट आया है और अब जन आन्दोलन के रूप में उभर करके सामने आयेगा। उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि तीन वारदातें आपने खोल ली। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उनमें से एक वारदात में आपके थानेदार ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की। सरेआम कालेज से बच्चे का अपहरण करके ले गये, यह घटना है 12 जुलाई, 1991 की। स्कूल वालों ने वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट दर्ज नहीं की थाने में। लड़के का नाम है वीरेन्द्र शर्मा, उसके गार्जियन जब रिपोर्ट दर्ज करवाने गये तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एस. पी. साहब को टेलीफोन किया, एस पी साहब ने कहा मैंने टेलीफोन पर निर्देश दे दिये। रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उसके बाद में उस लड़के के पिताजी जयपुर आये मेरे पास। मैं डी. जी. साहब की सेवा में पेश हुआ और तीन दिन बाद में एफ. आई. आर. दर्ज हुई और यह वाकया सच्चा पाया गया उस लड़के को बरामद किया, मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। डी. जी. साहब ने उसमें लिखा था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास दी जाये। एडीशनल एस. पी. करौली से रिपोर्ट मांगी थी। मैं नहीं जानता कि तथ्यात्मक रिपोर्ट आई या नहीं आई। यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन जो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई और एडीशनल एस पी. और डी. जी. के हस्तक्षेप

(श्री हरिसिंह)

से जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई और वह भी वाकया सच्चा पाया गया तो क्यों नहीं उस थानेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही की गई? यह एक थाने का वाकया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे महुआ में पिछले दो महीने में 34 वारदातें चोरी की हुई हैं जिनमें संगीन चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये की चोरियां हुई हैं। इस सदन में मैंने अनुरोध किया था कि जो सत्ता के दलाल हैं जो हर सत्ता में रहते हैं, वह कांग्रेस के टाइम में भी थे, वह आज भी हैं उन लोगों की सिर्फ टोपियां बदलती हैं, उन लोगों के दिल कभी नहीं बदलते और वही जन प्रतिनिधियों को घेरे रहते हैं, वही प्रशासन को घेरे रहते हैं। उन्हीं के चक्कर में आकर पिछली बार जो बहुत बढ़िया काम करने वाला थानेदार था उसको आपने हटाया और अब हाल ही में जो थानेदार लगा रखा है दो महीने में उसकी तरक्की यह है कि 34 वारदातें चोरी की हुई हैं और एक भी पेश नहीं हुई। हिण्डौन थाने पर तो दुर्गति और इससे ज्यादा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सात हत्या के मामले आये जिसमें से सिर्फ एक पकड़ा गया। तीन में तो अदम पते में एफ. आई. आर. दे दी। मुल्जिम की शिनाख्त नहीं कर पायी पुलिस, इससे ज्यादा और जघन्य स्थिति क्या बन सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील में रामसिंह उर्फ रामस्वरूप एक गुर्जर डकैत है उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह मीणा जाति के किसी परस्पर झगड़े को लेकर वह डकैत बना और डकैत बनने के बाद में आज खण्डार में जो थानेदार लगा हुआ है और जो डी.वाई. एस. पी. वहां लगा हुआ है। वहां के लोगों की दुर्गति यह है कि बंदूक की नोक पर डकैत किसी के यहां पानी पी गया तो उसको मुल्जिम बना दिया, किसी से रोटी छीनकर खा गया तो उसको मुल्जिम बना दिया और वहां चौथ वसूली की जा रही है फर्जी लोगों को, तुम रामसिंह से मिले हुए हो, तुम अमुक आदमी से मिले हुए हो और वहां पर रामसिंह डकैत चूंकि गुर्जर है, इसलिये पूरे गुर्जरों पर पुलिस जघन्य अत्याचार कर रही है, निरपराधी लोगों को बन्द कर रही है, रिश्वत लेकर दूसरे लोगों को छोड़ रही है। आप इस तरफ ध्यान दें। इससे दूसरा एक नतीजा और निकल रहा है कि वहां पर पुलिस की साजिश से वहां पर मीणा और गुर्जर, जिनमें आज तक भावात्मक एकता बनी हुई है उसको विखण्डित करने की साजिश वहां पर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और वो वहां के लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें ले रहे हैं। मैं इतना ही अनुरोध करने के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज इनका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। होना तो यह चाहिये था कि जोधपुर संभाग में महिलाओं की निरन्तर हो रही हत्या और उत्पीड़न के बारे में यह जो मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था—इसमें सदन में अलग से चर्चा कराई जाती और मैं यह चाहती थी कि सदन इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लेता लेकिन चूंकि आसन की तरफ से यह व्यवस्था है और ध्यानाकर्षण को इस डिमान्ड के साथ जोड़ दिया गया है....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप गम्भीर नहीं हो और सदन भी गंभीर नहीं है। महिलाओं की हत्या और उत्पीड़न का मामला है और आप हंस रहे हो और फिर कहते हो गम्भीर हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप खुद हंस रही हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बहुसंख्यक महिलाएं आपके भाषण के समय अनुपस्थित हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जरा व्यवस्था बनाने में सहयोग के लिए कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।........ (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब भी नहीं आया था अभी, उस बीच में कितने ही हत्याकांड और हो गये। सोजत की इंदिरा देवी की आंख निकाल दी, जीभ काटकर हत्या कर दी। मेरे क्षेत्र शिवगंज की ऐसी मासूम, खूबसूरत लड़की जिसका हमने पिछले वर्ष कन्यादान किया था, उसको इस बुरी तरह से मारा है कि वर्णन करना मुश्किल है। पहले तो उसको जहर देकर, नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया, उसके बाद उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर से जला-जलाकर उसको मारा। उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय उसकी लाश सिरोही में लाई गई, मेरा तो कहना मुश्किल है, उस लड़की को देख नहीं सके हम, इतनी बुरी तरह से उसको जलाया गया, उसको प्रताड़ित किया गया था और पुलिस इनको संरक्षण दे रही है। जिस अपराधी ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके आई. पी. सी. की धारा 376 नहीं लगाई गई और इतनी जल्दी उसके सास-ससुर को जेल भिजवा दिया। उनको रिमाण्ड पर लेते, उनकी ठुकाई करते और उनसे सच बुलवाते कि 19 वर्षीय लड़की को, जिसकी शादी हुए 14 महीने हुए हैं ऐसी लड़की को किस तरह से और क्यों मारा गया? वह एक गरीब पत्रकार की लड़की थी। अभी कल के दिन तो उसे स्कूल से पढ़कर ससुराल भेजा गया। ऐसा गरीब, अनुसूचित जाति के यशवंतलाल पत्रकार की बेटी को जोधपुर के अन्दर मार डाला गया।

इसके अलावा मुझे जवाब दिया है सीतादेवी हत्याकाण्ड का, मैं कहना चाहूंगी कि जो संख्या बताई है गृह मंत्री महोदय ने कि 1990 में महिलाओं के साथ हत्या के कुल मामले 1476 दर्ज हुए....

श्री हेतराम बेनीवाल : पिछले राज से भी गंदा राज है यह।

श्रीमती तारा भण्डारी : और 1991 में कुल 1896 अभियोग दर्ज हुए और जोधपुर संभाग में 1990 में 104 और 1991 में 162 अभियोग पंजीबद्ध हुए। इन अभियोगों में आंशिक वृद्धि, उपाध्यक्ष महोदय, इसको आंशिक वृद्धि माना है। महिला उत्पीड़न किये जाने वाले इन अभियोगों में आंशिक वृद्धि, महिला उत्पीड़न किये जाने के निरोधात्मक कानून की जन साधारण को अधिक जानकारी होने के कारण स्वच्छंद गति से अभियोग दर्ज कराये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है। क्या गृह विभाग नहीं चाहता कि महिलाओं का संरक्षण बढ़े या उन्हें कानूनी संरक्षण मिले, जो इस तरह के जवाब दिये जाते हैं। सीतादेवी हत्याकांड के मामले में जवाब दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय. पुलिस ने यह तो मान लिया कि सूरसागर निवासी सीतादेवी की हत्या में प्रथम दृष्टया उसके ससुराल वाले अपराधी हैं लेकिन पुलिस ने जो कार्यवाही की और उसमें जो सवाल खड़े हुए हैं, मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि इन प्रश्नों में क्या कोई पुलिस की संदिग्ध भूमिका साबित होती है? मैं पूछना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि सीता देवी हत्याकाण्ड की जांच एक ईमानदार पुलिस अफसर श्री मेहताब सिंह कर रहे थे किन्तु अपराधियों के लिखित-आवेदन पर जांच बदलवा दी?

दूसरा, जांच बदलने का सिलसिला बढ़ता ही गया और अपराधियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर 5-5 बार जांच बदलवाई है जो आन रिकार्ड है, अपराधियों की एप्लीकेशन पर ये जांच बदलवाई गई। तीसरा सवाल यह है कि श्री मेहताब सिंह जो कि एक सीनियर आफिसर थे उनसे जांच बदल कर जिस आफिसर को दी गई, वे उनसे कनिष्ठ अधिकारी थे, क्या यह उचित था, इससे पुलिस का मोरल डिमोरलाइज नहीं हुआ? एक बात और पूछना चाहूंगी कि इस प्रकार बार-बार जांच बदलने का कारण क्या था, गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सीतादेवी की हत्या 11 अगस्त, 1991 को हुई थी किन्तु बार-बार जांच अधिकारी बदलने से जांच में विलम्ब हो रहा है तथा अपराधियों को साक्ष्य मिटाने की खुली छूट मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि सीतादेवी हत्याकांड की जांच या तो पूर्व में जो जांच अधिकारी श्री मेहताब सिंह जी थे, उन्हें ही सौंपी जावे और यदि यह सम्भव नहीं है तो बार-बार जांच नहीं बदली जावे और इस हत्या काण्ड के पूरे मामले की शीघ्र जांच करके चालान पेश किये जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अकेली सीता देवी नहीं, सुशीलादेवी का भी जवाब दिया है हमारे गृह विभाग ने कि इसके बारे में श्रीमती सूर्यकान्ताजी ने खबर दी थी और हमने उनकी अच्छी व्यवस्था कर दी है और उसके साथ मारपीट नहीं हो, उसके लिये कांस्टेबिल लगाये गये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कल का ही किस्सा बता देती हूं, होली के दिन, उससे दूसरे दिन, तीसरे दिन निरन्तर सुशीला परिहार को पीटा गया, उसकी बच्ची को दूध भी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उपलब्ध नहीं कराया गया, उसका पति उसके बच्चों की फीस नहीं भरता। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से जो आपसे गुहार कर रही है, जो आपसे संरक्षण मांग रही है, उस मामले में भी लीपापोती हो रही है यानि वो भी मर जाय, मामला दफन हो जाय, उसके बाद पुलिस कोई कार्यवाही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बालोतरा निवासी पुष्पा सालेचा को मारा गया। उसको उसके पति ने सिगरेटों से दाग-दाग कर बरसों यातनाएं दीं, जैसी सीतादेवी को बरसों तक यातनाएं दी, फिर उसके जेवर खोलकर उसके दियासलाई लगा दी। इसको मारने का दूसरा तरीका निकाला। उपाध्यक्ष महोदय, पुष्पा सालेचा को शराब उड़ेल कर दियासलाई लगाकर जलाया, फिर वो पूरी नहीं जली तो उसको रसोई घर में फेंक दिया, उस पर केरोसीन डालकर और जलाया, तब भी नहीं मरी तो उसे बालोतरा के हास्पिटल में न ले जाकर चुपचाप जोधपुर ले जाकर भर्ती किया। पुलिस और डाक्टरों के मुंह रुपयों से भर दिये, किसी प्रकार के कोई बयान नहीं हुए, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई और आज भी अपराधी खुले आम घूम रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कैसा राज है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस्तीफा फिर भी नहीं दिया आपने।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं तो इस्तीफा दिलवा कर देऊंगी। इनसे व्यवस्था बनाये रखने का सहयोग करने के लिये कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया में बात नहीं करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि महिलाओं के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और यह सदन इस मामले में थोड़ा गम्भीर बनें, यह मैंने पहले भी निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : तारा जी बोलिये। आप अपनी बात कहिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, पुष्पा सालेचा का हत्याकाण्ड अखबारों में विस्तृत रूप से आया है। डी. आई. जी. साहब जोधपुर बिराजते हैं। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि क्या अखबारों में पढ़कर भी पुलिस इस पर कार्यवाही नहीं कर सकती थी? इस प्रकार अपराधियों को खुली छूट देना और महिलाओं के साथ अत्याचार आदि मामलों में मैं चाहूंगी कि सदन भी सहयोग करे और जो इस प्रकार के मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और इन मामलों की पुनरावृत्ति न हो उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जितने भी महिलाओं सम्बन्धी हत्याकाण्ड, उनका शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार जो भी होते हैं इनकी निगरानी के लिये एक आई. जी. रेंक के पुलिस अधिकारी की व्यवस्था की जाय जो इसकी मानिटरिंग करते रहें। अन्यथा किसी न किसी प्रभाव से मामले बहुत लम्बित हो

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाते हैं, वर्षों तक जांच नहीं होती, चालान पेश नहीं होते और किसी न किसी प्रकार गवाहों को होस्टाइल करके अपराधी बरी हो करके दूसरी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरा एक और सुझाव है कि जो-जो महिलाएं जहर देकर या किसी अन्य तरीके से खिला-पिलाकर मारी जाती हैं उनकी बिसरा आदि टेस्ट में 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं और इतने लम्बे समय में अपराधी छूट जाते हैं, वे गवाहों को प्रभावित करते हैं और जो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिये वह मिलता नहीं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस विसरा आदि के टेस्ट के मामले में भी पूरा ध्यान देकर इस यूनिट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

को एक्टिव बनाकर जांच जल्दी हो जाय, ऐसी व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजा दी, मैंने 10:30 बजे तक इन्तजार किया है। अभी 5 मिनट ही नहीं हुए और आपने घण्टी बजा दी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये न।

श्रीमती तारा भण्डारी : सारे मामले छोड़कर मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, साथ में मेरा कट मोशन भी है। मैंने बहुत धैर्य से सब को सुना है अतः मुझे भी धैर्य से इन को सुनना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे शॉर्ट करके अपने जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

मेरे जिले में आबू पर्वत पर पिछले दिनों पुलिस के एक अधिकारी ने हथियारों का एक जखीरा पकड़ा था और वह हथियारों का जखीरा पकड़ने के बाद रातों-रात पैसों का लेन-देन हुआ और जिसके यहां से वो हथियार पकड़े गये थे उस मुलिजम को हटाकर उसकी जगह एक गरीब ठेले वाले को मुलिजम बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आबू में ही बड़े हुए हैं, हमने कभी किसी ठेले में इतने हथियार बिकते देखे नहीं, न किसी ठेले में आज तक कोई हथियार बिके हैं। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाले का जब पुलिस अधिकारियों को पता लगा तो उस थाने के अधिकारी को निलम्बित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, थानाधिकारी को निलम्बित भी कर दिया गया और 4 दिन बाद ही उसको बहाल भी कर दिया। समझ में नहीं आता कि किस कारण से उस थानाधिकारी को निलम्बित किया और किस कारण से उसको पुनः बहाल किया। इसी तरह से हमारे यहां कुछ वर्षों पहले जिले की जो बन्दूकें थीं वो प्रशासन ने जमा करवा ली थी। आज स्थिति यह है कि बन्दूकें सारी जिला प्रशासन के पास जमा है और जिले में चोरियों की वारदातें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, किसानों के खेत में उनको बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि बंदूकों के बिना वे पटाखे चला करके नील गायों को नहीं भगा सकते। बार-बार आवेदन करने के उपरान्त भी हमारे जिले के लोगों को वे बंदूकें नहीं लौटाई जा रही हैं और इतनी अधिक चोरियां होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक गरीब विधवा के घर उसकी लड़की की शादी थी और रात को वह सोई हुई थी।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

रात को उसके घर में चोरी हो गई और गरीब लड़की के दहेज का सारा सामान, 10 हजार रुपये नकद और सारा सोना चोर ले गये। उस चोरी का राज आज तक नहीं खुला। वो गरीब विधवा आज मरने के लायक हो गई। इस प्रकार की अनेकों चोरियां हुई लेकिन इस प्रकार की चोरियां खुलती नहीं हैं इससे भी बड़ा असन्तोष है।

मेरे यहां का एक अन्य थानेदार का मामला है। दीवाली के दिन वीराराम नाम के भील कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई। लोग उसे मारने को आये और उन लोगों ने अपने बचाव में मारपीट की। मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन उस थानेदार ने उल्टे उस वीरा राम की चमड़ी उधेड़ी, उसे बुरी तरह से मारा और उनके घर की औरतों के सामने मारा और कहा कि इसको मारना मैं तब बंद करूंगा जब तुम 5 हजार रुपया लाकर दोगे। घर की औरतों ने गहना बेचा और 5 हजार रुपया लाकर उस थानाधिकारी को दिया। उस थानाधिकारी की शिकायत सारे स्थानों पर हम कर चुके हैं लेकिन उसका तो बाल बांका नहीं हुआ अलबत्ता वीराराम रोज मार खा रहा है। एक और मामला हमारे यहां का है। हमारे यहां एक गैस कम्पनी है। सिरोही गैस कम्पनी के मालिक कुछ औरतों को बरगला कर सिरोही ले आये, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और वे लड़कियां भागकर एक कालोनी में गई और अपने बचाव की गुहार की। कालोनी के एक सख्श ने थाने में टेलीफोन किया तो उन सबको थाने ले जाया गया लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, थाने में जाने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन महिलाओं को बिना किसी तरह की रपट दर्ज किये हुये ऐसे ही छोड़ दिया गया। न तो उस गैस कम्पनी के मालिक का कुछ बिगड़ा न उन महिलाओं को छोड़ने का कुछ बिगड़ा। बिगड़ा यह जरूर कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसमें हमारी प्रतिष्ठा में कमी आई लेकिन किसी के साथ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अब एक मिनट भी नहीं लूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक मिनट में बोल जाइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां एक थाना मंजूर हुआ है हाइवे पालड़ी के नाम से। मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है कि पालड़ी में थाने की आवश्यकता नहीं है अतः इस थाने को चाहें तो कैलाश नगर में मेरे ही क्षेत्र में या चाहें तो पोसालिया में स्थानान्तरित कर दें लेकिन पालड़ी में इसकी आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें और इसका स्थानान्तरण कैलाश नगर अथवा पोसालिया में करें। मेरे यहां पर दो पुलिस चौकी है, उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पुलिस वालों की सिफारिश कर रही हू। उन चौकियों के लिए भवन नहीं है, कैलाश नगर में भी पुलिस चौकी के लिए भवन नहीं है और कृष्णगंज में भी पुलिस चौकी के लिये भवन नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्रोन ए पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्रध्यक्ष महोदय द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये हैं 1950 से 1977 तक, उसके पेज 225 का ग्रवलोकन करें जिसमें यह लिखा है कि सदन में कार्यवाही के समय किसी को ग्रध्यक्ष ग्रथवा बोलने वाले सदस्य के बीच में होकर नहीं जाना चाहिये। ग्रभी थोड़ी देर पहले माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ग्रापके ग्रौर माननीय सदस्या जो बोल रही थीं उसके बीच में ग्राये ग्रौर ग्रभी-ग्रभी टोंक से ग्राने वाले माननीय सदस्य उठकर गये हैं। मैं सदन में ग्राज इसलिए बार-बार ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो लोग ग्रपने ग्रापको ग्रनुशासित पार्टी का कहते हैं लेकिन सदन में ग्रनुशासन का बिलकुल ध्यान नहीं रखते इसलिये मेहरबानी करके ग्राप रूलिंग दें कि जिस तरीके से वे सदन में ग्रापके ग्रौर माननीय सदस्य के बीच में बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं ग्रौर यह स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये कि सदन में बोलते समय ग्रापके ग्रौर माननीय सदस्य के बीच में कोई भी व्यक्ति इन्टरफियरेंस न करें, ग्रावाज ग्राये, यह बंद होना चाहिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रपनी बात समाप्त करती हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ग्राप रूलिंग दें मैं ग्रापको कोट करके बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, प्लीज। वास्तव में सदन की परम्परा रही है कि कोई भी सदस्य ग्रापस में एक-दूसरे की जगह नहीं बैठे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं ग्रापको सुनाता हूं, 17 ग्रप्रेल, 1952 को ग्रध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त विषय पर कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने जो कहा है इसे मना कौन कर रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो ग्राप रूलिंग दीजिये ना। मैं रूलिंग कोट करता हूं। "हाउस में जब कोई सदस्य बोलते हैं तो कई बार माननीय सदस्य उनके बीच में होकर ग्रावाजाही करते हैं इसके बारे में जानकारी के लिये सर्कुलर भी परिचालित किया गया था। मैं ग्राशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार की बातों को ग्रवोइड करने की कोशिश करेंगे ग्रौर ग्राइन्दा नहीं करेंगे।" ग्राप रूलिंग दीजिये नहीं तो यह गलत परम्परा बन जायेगी हाउस में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, जो सदन की परम्परा रही है उसे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं परम्परा है ग्रौर मैंने उस तरफ ध्यान दिया नहीं ग्राप ध्यान दिला रहे हैं। मैं दूसरी तरफ देख रहा था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे झुक कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रौर जैसी जानकारी मिली है कि वे बिलकुल बीच में नहीं ग्राये, झुककर गये हैं ग्रौर भविष्य में ऐसा नहीं हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये इनके बीच में से उठकर गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये झुककर गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर सर। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह पाइण्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक पाइन्ट ऑफ आर्डर के ऊपर दूसरा पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं हो सकता। मेरे पाइन्ट ऑफ आर्डर के पश्चात् दूसरा पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पाइन्ट ऑफ आर्डर पर पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइन्ट ऑफ आर्डर पर पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं आ सकता। मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से कि जब भी कोई सदस्य बोले, उनके बीच में होकर आना-जाना नहीं करें और जैसा पूर्व में भी है, इस प्रकार की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने थोड़ी देर पहले दी थी कि चेयर तक भी नहीं आए। माननीय ताराजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कॉ-आपरेट मी। प्लीज, जैन साहब। कृपया मुझे सहयोग कीजिए। माननीय ताराजी, पूरा कीजिए प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर तो सुनें।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की जो आज की मांग है उनका समर्थन करते हुए मैं सुझाव देना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में कृष्णागंज और कैलाश नगर में पुलिस चौकी के लिए भवन नहीं है। वह अपने को जो बजट मिले उसमें से कुछ मेरी तरफ भी भेजें। साथ ही आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए मैं पुनः आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को, सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की बराबर जांच हो सके, अपराधी दण्डित हो सकें और उनकी बराबर मानिटरिंग हो, इसके लिए एक आई. जी. रैंक के ऑफिसर की नियुक्ति की जाय। आपने मुझे समय दिया, उसका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय गृह मंत्रीजी।

मांग संख्या 16 व 17 का पारण

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर करीब 265 कटौती प्रस्ताव आये हैं और आज की इस बहस में करीब 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय सदस्यों ने भाग लेते समय अपने जो विचार व्यक्त किये और उन विचारों के माध्यम से एक तरफ पुलिस के अन्दर जो कुछ कमियां हैं

(श्री दिग्विजय सिंह)

उनकी ओर भी ध्यान दिलाया और उसके साथ-साथ पुलिस द्वारा जो कुछ अब तक कार्यवाही की गई उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बी-चौड़ी बातें आपसे नहीं निवेदन करना चाहूंगा, एक बात आपको जरूर निवेदन करना चाहूंगा और यह आशा भी करता हूं कि पुलिस का जो आज का कार्य है और जो दायित्व है वह बहुत बढ़ गया है। पुलिस की जिम्मेदारी आज से पचास साल या साठ साल पहले जितनी सीमित थी उसके मुकाबले आज कहीं ज्यादा, कई गुना अधिक हो गई। जैसे अभी पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि अगर प्रदर्शन कहीं निकले तो पुलिस जाये और गांवों के अन्दर कोई जरा सा सीमा विवाद का झगड़ा हो जाय या कहीं भूमि का कब्जा देना हो तो भी पुलिस को जाना पड़ता है। तो स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो आज कर्तव्य है और जो उसका एक उद्देश्य रहा है कि शांति व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था प्रदेश में कायम रखे उसके लिए मल्टी फेयरीज एक्टिविटीज के अन्दर भी उसका ध्यान बढ़ गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस अनुपात के अन्दर जनसंख्या की वृद्धि हुई उस अनुपात में हमारी पुलिस की नफरी हम नहीं बढ़ा सके और 1976 में पहली बार इसमें थोड़ा-बहुत पुनर्गठन हुआ उसके बाद में आज तक कोई पुनर्गठन के ऊपर विचार नहीं किया गया। यह अब के इस वक्त पहला मौका है जबकि हमने पुनर्गठन के ऊपर भी विचार किया है और जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के ऊपर यह संकेत इसमें दिया कि इस वर्ष पुनर्गठन के ऊपर हम करीब ग्यारह करोड़ रुपये खर्च करने जायेंगे। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गये वर्ष 91-92 में जो हमारा बजट था उसके अलावा भी हमको 1 करोड़ 75 लाख रुपये अलग से दिये और यह पहली बार इसलिए दिये कि हमको आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकता थी जिसके अन्दर हमने काफी आधुनिकीकरण की चीजें उपलब्ध कराई हैं। जीपें भी उसमें खरीदी हैं, वायरलेस सैट्स भी लिये हैं और जो दूसरे उपकरण हैं उनको भी हमने प्राप्त किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न यहां पर निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, निस्संदेह अपराधों के अन्दर वृद्धि हुई है और अपराधों में वृद्धि होगी, सारा सोशियल स्ट्रक्चर और सोशियल आसपेक्ट जिस तरह का आज अब चल रहा है, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा था, मैं उससे बिलकुल सहमत हूं कि हम एक चोरी हो जाय या कोई एक चीज चली गई उसके ऊपर ज्यादा तवज्जोह देते हैं बजाय इसके कि हमको आज की दृष्टि से सोसियल आसपैक्ट की साइड को देखते हुए पुलिस को किस प्रकार से नियंत्रित और ट्रेंड किया जाना चाहिए, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इस वृद्धि के साथ-साथ हमारी उपलब्धि भी हुई। ऐसी बात नहीं है कि यह वृद्धि हुई है और उसके साथ-साथ कोई हमारी उपलब्धि नहीं हुई हो। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वृद्धि के अन्दर जो हमारा चालान प्रतिशत

(श्री दिग्विजय सिंह)

है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो 1991 में पुलिस द्वारा लगभग 91 प्रतिशत अभियोगों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 1990 से अधिक था तथा 89 के प्रतिशत के बराबर रहा और आल इण्डिया का जो प्रतिशत रहा वह 52 प्रतिशत रहा है। उसके मुकाबले हमारे यहां पर जो क्राइम डिटेक्शन होकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये हैं वह आल इण्डिया बेसिस से भी अधिक रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बरामदगी का जो प्रतिशत है वह हमारा आल इण्डिया के मुकाबले में जहां आल इण्डिया का 28.9 प्रतिशत है वहीं हमारा 1991 में 69.1 प्रतिशत रहा है जो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि पुलिस अपने कर्तव्यों के अन्दर कोई कोताही नहीं बरत रही और अपना कार्य सुदृढ़ ढंग से कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से एक बात निवेदन करना चाहूंगा और खास तौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जहां पर कि राजस्थान का हमारा जो बोर्डर है वह बोर्डर इन्टरनेशनल बोर्डर से भी लगा हुआ है और दूसरे प्रांत से भी लगा है और इस बोर्डर के ऊपर हमारी काफी सतर्कता रही है और मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस बोर्डर के ऊपर तस्करियों के सम्बन्ध के अन्दर जो हमारी फोर्स ने वहां काम किया और काम करने के साथ-साथ जिन तस्करियों का माल वहां पकड़ा वह करीब 36 करोड़ 33 लाख 9 हजार 342 रुपये की कीमत का रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बोर्डर के ऊपर जहां पर कि हमारे लिए सीमा सुरक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है वहां पर हमको जितना डिप्लायमेंट मिलना चाहिए, वह डिप्लायमेंट पूरा का पूरा जो होना चाहिए सेन्टर की तरफ से, वह कभी-कभी नहीं करती है और उसको अचानक विद्-ड्रा कर लेती है। तो जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि यह सेन्सेटिव पाइंट्स हैं और निश्चित ही हम इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और केन्द्र सरकार को भी इस सम्बन्ध में हमने बार-बार लिखा है कि कम से कम जो हमारा बोर्डर है उस बोर्डर के ऊपर हमको अधिक डिप्लायमेंट दिया जाय और पंजाब एक्शन प्लान के अन्तर्गत जो हमको 11 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे उसके अगेंस्ट में कुल हमको करीब 34 लाख ही मिले हैं और यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जब गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार ने एक बैठक बुलाई थी दिल्ली में टेरेरिस्ट्स के सम्बन्ध में, उस समय यह उल्लेख वहां भी किया था और माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन किया था....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय गृह मंत्रीजी, भैरोंसिंहजी की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करें, भैरोंसिंहजी तो भारत सरकार को जो कुछ कहते हैं वह अपने आप ही कर देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : भैरोंसिंहजी का जिक्र, मुख्य मंत्रीजी का जिक्र तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी साथ गया था।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको इसमें उपलब्धि नहीं मिली मतलब।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, मैं भी साथ गया था और 14 करोड़....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपलब्धि इसलिए नहीं मिली कि आपने यह फैसला कराया था और इसको लागू नहीं करवा सके टाइम पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस अनुपात में हम को पंजाब एक्शन प्लान के अन्तर्गत अगर हम को पैसा मिल जाता तो निश्चित तौर से हमारी फोर्स को और खास तौर से बोर्डर एरिया की हम और भी अच्छी तरह से व्यवस्था करते।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने खास तौर से महिला अत्याचार के सम्बन्ध में काफी चर्चा की है। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं कि महिला अत्याचार और महिला अत्याचारों के प्रकरणों में वृद्धि हुई है वह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इसके लिए हम एक अलग से, हमारे यहां जो रेपुटेटेड आई. जी. तो हैं ही उसके अलावा एक और भी सुदृढ़ीकृत करने के लिए एक सतर्कता सैल अलग से और स्थापित कर देंगे ताकि निश्चित रूप से महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके रैपर्ट और उसके ऊपर निगरानी रख सकें और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना और चाहूंगा कि हरिजन अत्याचार खास तौर से डाबरी वाले जो मामले होते हैं यह कभी-कभी इस प्रकार की गुत्थी के होते हैं कि पुलिस कितनी ही कोशिश कर ले वे सामने नहीं आते और नहीं आते तो कभी-कभी, जैसा माननीय सदस्या कह रही थीं कि उसके अभाव में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पुलिस के ऊपर एक इल्जाम भी लग जाता है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया और नहीं करने की वजह से सारा मामला रफा-दफा हो गया और इसमें कोई शक नहीं कि अगर डिले होगी तो डिले होने से जस्टिस डिफीट होती है तो आपने जो बात कही कि एफ. एस. एल. की विसरा की रिपोर्ट और इसमें जो देर लगती है इनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायी जाय ताकि जो मुलजिम हैं और जो चालान पेश किया जा रहा है उसके सारे तथ्य हैं उनके ऊपर जल्दी न्याय हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम कि एफ. एस. एल. के माध्यम से जो रिपोर्ट में देरी होती है उसकी एक सीमा निर्धारण हम उनको दे रहे हैं ताकि उस निश्चित सीमा में वह रिपोर्ट वापस उस थाने में पहुंच जाय और पहुंचने के बाद में उस पर, जो भी प्रक्रिया अदालत में हो रही है उस पर कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, थानों में जो डैथ हुई है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि निश्चित रूप से यह एक चिन्ता का विषय है और मैं इसको गम्भीर रूप से लेता हूं कि थानों में अगर इस प्रकार की डैथ हो और खास तौर से जबकि थाना एक जीवन रक्षा के लिए, सोशियल समाज के लिए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए है और थाने में अगर किसी की डैथ होती है तो निश्चित रूप से वह चिन्ता का विषय है और यह जो डैथ हुई है उनके अलग-अलग कारण रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन सब पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं अलग से कार्यवाही, उनकी जानकारी करके और जो दोषी अधिकारी उसमें रहा है, जो डाइरेक्टली इन्वाल्व इस प्रकार का रहा है कि उसने निश्चित रूपसे कोई प्रताड़ना इस प्रकार की दी है कि जिसकी वजह से उसकी डैथ हुई तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस वर्ष नई हाई-वे पैट्रोलिंग की भी व्यवस्था की है। जब ट्रैफिक के सम्बन्ध में आप जिक्र कर रहे थे तो ट्रैफिक सुविधा के लिए हमने इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर अहमदाबाद-दिल्ली और राजमार्ग नम्बर 11 पर बीकानेर-आगरा पर हाई-वे पैट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था आरम्भ की है। इस हेतु 11 जिप्सी गाड़ियां, जिनमें वायरलैस, प्राथमिक उपचार की सुविधा, लाउड स्पीकर, स्पीड राउण्डर ब्रेकर एनेलाइजर की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष के लिए भी हम 3 और नई स्क्वाइस ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां साम्प्रदायिक व्यवस्था के बारे में भी जिक्र हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक घटनाएं, मैं यह नहीं कहता कि हमने बिल्कुल कण्ट्रोल कर लिया पर निश्चित रूप से आप भी इसको तो मानेंगे कि गत वर्षों में जितनी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई उसके मुकाबले में इस वर्ष हमने इसमें काफी नियंत्रण रखा है, यह भी आपको आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पर्सेण्टेज तो बता दो, जो आल इंडिया का, राजस्थान का जो पर्सेण्टेज बता रहे थे। यह भी बता दो पिछले साल के मुकाबले में अब कितना पर्सेण्टेज है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 88-89 में जब आपका राज था उस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए, तनाव हुए उसके मुकाबले में इस वर्ष केवल 5 प्रतिशत है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप तो पिछले साल के अनुपात में ही बता दो सर....(व्यवधान)....आप तो ऐसा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका बता रहा हूं, 89 में जितने आदमी मरे हैं उसके मुकाबले में....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 88 की बात की, 78 की नहीं की है आपने। आप 78 की कर लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 89 में 42 के करीब मरे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जयपुर में अकेले में 100 से अधिक आदमी मर गये (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। हेमराजजी, बिराजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : वर्ष 91 में 4 साम्प्रदायिक घटना घटितएं हुई तथा 34 साम्प्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा हुई जब कि वर्ष 90 में 14 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई तथा 80 साम्प्रदायिक तनाव के मामले हुए और वर्ष 89 में 18 साम्प्रदायिक

(श्री दिग्विजय सिंह)

घटनाएं हुई और 140 साम्प्रदायिक तनाव के मामले हुए। यह मैं आपको बता रहा हूं....(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानबूझकर के उस पुरानी परिपाटी में नहीं जाना चाहता था कि आपके टाइम में क्या हुआ और हमारे टाइम में क्या हुआ? मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम को मिल कर के इस साम्प्रदायिकता के जहर को, जो आज देश में फैल रहा है और उसको हम कैसे कम करें, इस पर हमको ज्यादा चिन्ता करनी चाहिए बजाय इसके कि इस प्रकार का हम मुकाबला करने बैठें। आपने कहा तो मैंने आपको फीगर्स भी दे दिये।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था री-ऑर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में। सरकार ने इस री-ऑर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में एक निर्णय अभी लिया है और उस निर्णय के अनुसार हमने अभी वर्ष 91-92 में व 92-93 के लिए क्रमशः 1 करोड़ 75 लाख और 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है जिसमें डेढ़ करोड़ रुपए वाहनों की खरीद के लिए खर्च किये गये। 15 जीपें जिप्सियां ली गयीं, एक कार, 14 मोटर साइकिलें 5 मीडियम वाहन कुल लिये गये। इस प्रकार 70 वाहन की खरीद डेढ़ करोड़ रुपए में हुई। डेढ़ करोड़ रुपए नये टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए खर्च किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बेइमानी नहीं हुई।

श्री दिग्विजय सिंह : वर्ष 92-93 में जो 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किये जा रहे हैं उसके फलस्वरूप विभिन्न जिलों में 33 नये पुलिस थाने व 18 पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव है और 20 नये वृत्त अधिकारी कार्यालय खोले जायेंगे और 4 जिलों में पुलिस कण्ट्रोल रूम व 6 जिलों में उड़न दस्ते, फलाइंग स्क्वाड्स स्थापित किये जा रहे हैं इसके अलावा 6 अपर पुलिस अधीक्षक व 20 पुलिस निरीक्षकों के पद विभिन्न जिलों में स्वीकृत किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की थी कि सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच को भी सुदृढ़ करने के लिए अजमेर रेंज में एक अपर पुलिस अधीक्षक सी. आई. डी. सी. बी. का नया कार्यालय खोला जायेगा और अपराध शाखा के पुनर्गठन के अन्तर्गत 2 अपर पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस उप-अधीक्षक, 7 निरीक्षक और 5 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 11 हैड कांस्टेबल और 40 कांस्टेबलों के नये पद सृजित किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी आई डी इंटेलिजेंस का भी विस्तार किया जा रहा है और इसमें हमने जो निर्णय लिया है वह यह है कि इंटेलिजेंस को सुदृढ़ बनाने के लिए और खास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में हम नई-चौकियों की स्थापना करने जा रहे हैं और इसके तहत 3 नये इंटेलिजेंस सेण्टर स्थापित किये जा रहे हैं। गंगानगर एवं जयपुर में 2 नये डाग्स फोर्स स्थापित किये जा रहे हैं। सी. आई. डी. में 2 निरीक्षक, 16 उप निरीक्षक, 11 सहायक निरीक्षक, 17 हैड

(श्री दिग्विजयसिंह)

कांस्टेबल और 17 कांस्टेबल के पद सृजित किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पुलिस के री-आर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में हम चिंतित हैं और यह पहली दफा है कि इस प्रकार से एक मास्टर प्लान एक सुनियोजित तरीके से हमने सारे प्लान को बनाया है और बनाकर के इस पुलिस फोर्स को री-आर्गेनाइज करने के लिए यह कदम उठाया है। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, थानों में, जो आज बड़ी चिन्ता दर्शायी गयी कि वाहन उपलब्ध नहीं हैं। वाहन नहीं होने की वजह से वहां के थाने वालों को और थानेदार को काफी कठिनाई होती है तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1993-94 तक राज्य के सभी थानों पर वाहन उपलब्ध करा दिये जायेंगे और वर्ष 1991-92 में 60 थानों को वाहन उपलब्ध कराये गये हैं और 92-93 में 80 थानों को और वाहन उपलब्ध करा दिये जायेंगे। कुल थानों की संख्या 637 है, इस में जी आर. पी. के 25 थाने हैं। इस प्रकार 1993-94 में सभी थानों में व्हीकल उपलब्ध हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद के सम्बन्ध में आपने कही, जो मैंने आपको भी बतलाया। उसके अन्दर राज्य सरकार की ओर से हम भी प्रयास कर रहे हैं और प्रोफेसर केदार साहब ने जो बात कही वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलीजेंस का को-आर्डिनेशन जब तक हमारा प्रापर नहीं होगा, कई दफा इस कमी की वजह से आतंकवादी उधर से आते हैं यहां, चुपचाप आकर निकल जाते हैं, उसके अन्दर हमारा को-आर्डिनेशन होना आवश्यक है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इंटेलीजेंस ब्यूरो को काफी सुदृढ करने के लिये हम कार्यवाही कर रहे है, इस इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट को सुदृढ़ किस प्रकार से किया जाय उसका भी हम अपने स्तर पर बैठकर उन एजेन्सीज के अ्. जो इंटेलीजेंस की है, जो सेन्टर की बी. एस. एफ. की है, दोनों, उनसे कोआर्डिनेशन हो, उसकी चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पुलिस विभाग के लिये हमने ए. के. 47 राइफल्स कुछ मात्रा में खरीदने के लिये भी भारत सरकार से निवेदन किया है। जो माननीय प्रोफेसर साहब अभी फरमा भी रहे थे, हम थ्री नाट थ्री से मुकाबला करते हैं उन टेरेरिस्ट्स से जो कि ए. के. 47, ए. के. 56 ले करके आते हैं। तो हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कुछ हमको ए के. 47 राइफल्स उपलब्ध करायी जाय। जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ तो है, हमारे पास, सौ तो हैं, उसके अलावा कुछ और हम उपलब्ध करने जा रहे हैं भारत सरकार से और जैसी मेरी जानकारी....

श्री यदुनाथ सिंह : आपको पता नहीं है, सी. एम. साहब बता रहे हैं तो पता लग रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, सौ तो आलरेडी हैं, और उसके अलावा और हमने

(श्री दिग्विजय सिंह)

भारत सरकार से निवेदन किया है। शीघ्र ही हमको और उपलब्ध हो जायेंगी ताकि कम से कम बोर्डर एरिया में....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सौ राउण्ड फिगर तो नहीं है। यह वैसे ही सौ राउण्ड फिगर दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, प्लीज। कहिये.... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सौ है, मैं कहना भूल गया था।

एक माननीय सदस्य : यह गलत फिगर दे दिया आपको।

श्री दिग्विजय सिंह : सौ तो है, सौ के अलावा और मांगी है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तस्करी के सम्बन्ध में और यह जो हमारे आतंकवादी उधर से आये, वहां पर जो हमारी पुलिस तैनात थी, जो फोर्स थी उसको टोटली आप इस प्रकार कण्डेम करें कि उसने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं, उस मुठभेड़ में हमारी वहां पर जो फोर्स थी उसने ए. के 56 राइफल 104 उनसे जब्त की। ए. के. 47 राइफल दो की, एल. एम. जी. एक, एम. जी.-13, डी. बी. एम. जी., एस. पी. एम. जी-3, पिस्तौल रिवाल्वर-45, मैगजीन एवं ए. के. 56 मैगजीन ए. के. 47-55 एण्ड 34. उसके अलावा रिमोर्ट कण्ट्रोल से डिवाइस राकेट और मोर्टार भी हमने उनसे बरामद किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जैसलमेर जिले के खूंखार तस्कर रहीम पुत्र रतनबख्श को गिरफ्तार कर सवा करोड़ रुपये का सोना बरामद करने के सम्बन्ध में.... (व्यवधान) तत्काल रिपोर्ट हमने की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस प्रकार से जो कुछ उपलब्धियां पुलिस विभाग ने और आज की इन परिस्थितियों में जब कि हमारे पास सीमित साधन हैं उसके होते हुए भी पुलिस विभाग जिस कार्यवाही के अन्दर सफल रहा है, निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि पहले के मुकाबले में पुलिस बेड़े ने अबके अच्छा कार्य किया है। पर मैं फिर भी मानता हूं कि अभी हमको इसमें सुधार लाने के लिये कई प्रयास करने होंगे और मैं आपका सबका सहयोग चाहूंगा, इस सम्बन्ध में आप जितना सहयोग देंगे, सुझाव देंगे, निश्चित रूप से उस ओर कार्यवाही की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपको भी मालूम है कि एलबर्ट हाल, म्यूजियम की चोरी हुई वह चोरी इस प्रकार की थी, एलबर्ट हाल म्यूजियम वालों को खुद को भी मालूम नहीं था कितना माल था, क्या-क्या था पर एक-एक माल, पूरा माल वह करोड़ों रुपयों का जो माल था, वह पुलिस ने बरामद कर लिया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार डकैती उन्मूलन में भी हमारी पुलिस फोर्स ने काफी

350

(श्री दिग्विजयसिंह)

सफलता प्राप्त की है। डिटेल के अन्दर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं पर आपको भी जानकारी है, डकैती उन्मूलन में हमने काफी उपलब्धि प्राप्त की हैं।

जहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, भर्ती का प्रश्न है, इस वर्ष हमने पुलिस फोर्स में भर्ती भी की है, खास तौर से जो वेकेन्सी थी उन वेकेन्सीज को हमने फिल किया है। 91-92 में हमने राजस्थान होम गार्डस, होम कांस्टेबुलरी में दो नयी बटालियन का गठन किया। इसमें 1312 नये पद सृजित किये गये थे जिसमें से 1244 पद भर दिये गये हैं। इसके अलावा 90-91 में पुलिस की भर्ती के दौरान 2784 पदों पर भर्ती की गयी। इस बार दो नयी बटालियन और गठित किये जाने का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। हमारे पास प्रस्ताव है कि हम आई. आर. जिसके अन्दर भारत सरकार का पचास प्रतिशत अनुदान होगा और पचास प्रतिशत लोन होगा, उस पर हम विचार कर रहे हैं। वह अगर हमको मिला तो निश्चित रूप से इस वर्ष भी हम इसके ऊपर विचार करेंगे। इसी प्रकार से हम एक नया फोर्स, जैसा प्रोफेसर केदार साहब ने कहा, इस प्रकार का भी क्रियेट करना चाहते हैं ताकि तस्करों का मुकाबला और आतंकवादियों का मुकाबला भी हमारी स्टेट अपने स्तर पर कर सके। तो हम कमाण्डो कम्पनी के बारे में भी सोच रहे हैं, एक कमाण्डो कम्पनी इस प्रकार की तैयार की जाय, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय कि वह इस प्रकार गतिविधियों को वहां सैक्टर में रह करके जब भी इस प्रकार की नौबत आये तो वहां पहुंचे और पहुंचकर उनका मुकाबला करे। सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राज्य के अन्दर जो पुलिस कल्याण कोष है, कल्याण कोष के लिये गत वर्ष हमने जो पुलिस कर्मियों को विश्वास दिलाया था उसके फलस्वरूप पुलिसकर्मियों को यह विश्वास होना आवश्यक हो गया था कि अप्रत्याशित घटना होने पर राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था की जायगी तथा उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दृष्टि से राज्य सरकार के अन्य राज्य कर्मचारियों के लिये चालू बीमा योजना तथा आश्रित कर्मचारियों को नौकरी के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के लिये 16 मई, 91 से सामूहिक बीमा प्रारम्भ की गयी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 13 लाख 50,353 रुपये की राशि दी ओरियन्टल इण्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेड को प्रीमियम के रूप में भुगतान कर दी गयी। इस सुविधा के फलस्वरुप कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को एक लाख रुपया, सहायक निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक के आश्रितों को दो लाख रुपया, पुलिस महानिरीक्षक तक के अधिकारियों के आश्रितों को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायगी। इस योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग के कांस्टेबल से

(श्री दिग्विजयसिंह)

महानिरीक्षक स्तर तक के सभी कर्मियों को लाभ मिलेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में पुलिस कर्मियों से कुछ अंशदान प्राप्त कर उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता दुगुनी किये जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में अभी 11 पुलिस कर्मियों की मृत्यु पर 11 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा पांच अन्य का भुगतान किया जाना शेष है इस प्रकार इस अंशदान के मिलने के बाद जो राशि गत वर्ष थी उससे अब दुगुनी राशि इसके अन्दर हम मिला लेंगे और उनको अधिक लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी हैं और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको भी हमने पदोन्नति करने की, अब भी की है, शेष कार्यों के लिये वर्ष 91 में कुल मिलाकर 1,92,565 रुपये के पुरस्कार हमने उनको दिये हैं। उसके अन्दर उनको उन सेवाओं के लिये दिये हैं जैसे कि उन्होंने डकैतों को पकड़ा है, कहीं उन्होंने इण्टरसेप्ट करके टेरेरिस्ट्स को भी पकड़ा है। जैसा आपको मालूम है वह बस लुट गयी थी अपने यहां शाहपुरा और कोटपूतली के पास में अलवर के अन्दर, 12 घंटे के अन्दर ही उन सबको पकड़ लिया। ऐसे जो उन्होंने कार्य किये हैं उपलब्धि के, उसके फलस्वरूप उनको यह धनराशि दी गयी।

(11.10 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

इसके अन्दर पुलिस उपमहानिरीक्षक-एक, पुलिस अधीक्षक-दो, अवर पुलिस अधीक्षक-11, पुलिस उप अधीक्षक-10, पुलिस निरीक्षक-26, पुलिस उप निरीक्षक-46, पुलिस सहायक निरीक्षक-26, हैड कांस्टेबल-26 और कांस्टेबल-144।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत उत्कृष्ट एवं साहसिक कार्यों के लिये 132 पुलिसकर्मियों को धारा 28 (ए) एवं 28 (बी) के तहत पदोन्नति दी गयी है, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक हैं पांच, प्लाटून कमाण्डर हैं एक, हैड कांस्टेबल और सहायक उप निरीक्षक हैं 43 और कांस्टेबल हैं 83.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में एक निवेदन करना चाह रहा हूं और वह यह है कि पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था, इस पर काफी चर्चा की गई और निश्चित रूप से अगर पुलिस कांस्टेबल के रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो आगे अपनी ड्यूटी देने के लिए वह भी कोताही बरतता है। राज्य सरकार ने इसके ऊपर विचार किया है और हम इस वर्ष कुछ इस प्रकार की योजना बनाने जा रहे हैं कि कम से कम पुलिस काटेज में, या पुलिस लाइन्स में जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनके रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके, उसके लिए कोई हाउसिंग कारपोरेशन या कुछ बनाने की बात सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी मदद की जा सके। क्योंकि राज्य सरकार के तो सीमित साधन हैं, उनके माध्यम से इसे करना संभव नहीं

(श्री दिग्विजयसिंह)

है और हम क्रमशः इसको किस प्रकार से करें, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यहां पर यह बात कही गई कि अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में वैसे तो प्रकोष्ठ अपनी जगह बने हुए हैं ही। यही निर्णय हमने लिया है और इसके निर्देश हम सब जिला पुलिस अधीक्षकों को देने जा रहे हैं कि हमारी जिला सतर्कता समितियां बनी हुई हैं, उन जिला सतर्कता समितियों में प्रति महीने जो बैठक होती है, उस हर महीने में इन दोनों मामलों पर जो भी रिपोर्ट उनके थाने में उस जिले में दर्ज हुई हो उसकी रिपोर्ट सतर्कता समिति में करेंगे ताकि माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी रहे और उनको आप भी बता सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बाकी की जो कुछ बातें आपने कही हैं और कटमोशन्स आपने दिये हैं, उनके जवाब मैं आप सबको निश्चित रूप से भिजवा दूंगा खास तौर से एक मांग आयी, थानों और चौकियों की, अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी प्रस्ताव नीचे से आये हैं, डी. आई. जी. और पी. एच. क्यू. के अन्दर यहां पर हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर विचार किया जायेगा और इसके अलावा जो सुझाव आपने भी दिये हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर निर्णय लेंगे, मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं, पर प्राथमिकता हम उसको देंगे जैसे कि हमारा बोर्डर एरिया है, जहां पर वलनरेबल पाइंट्स हैं जिनमें कि होना आवश्यक है इसलिए पहले उन जगहों को प्राथमिकता देते हुए उसके बाद हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कुछ जो बात यहां कही गई कि पुलिस-कर्मियों के लिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अलग-अलग जवाब देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एडजोर्नमेण्ट मोशन की कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वही दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : जवाब लिखित में आ जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में और 131 का जो आपने निर्देश दिया उसके जवाब मैं दे चुका हूं और आप चाहे तो मैं सबके जवाब पढ़कर इनको और सुना दूं। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि जिन जिन मामलों में आपने 131 में ध्यान आकर्षित किया और जिससे आप संतुष्ट नहीं रहे हैं उनके यदि आप मुझे लिखकर देंगे निश्चित रूप से उसके ऊपर मैं आगे कार्यवाही करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था भीलवाड़ा के सम्बन्ध में कि वहां पर 12 मार्च को

(श्री दिग्विजय सिंह)

शहीद दिवस मनाया गया और शहीद दिवस के ऊपर वहां के पुलिस अधीक्षक उसमें शामिल हुए और उसकी जानकारी के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके इसके बाद ही इसके ऊपर कार्यवाही की जा सकेगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

डा. चन्द्रभान : जानकारी तो आपके पास आ गई।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं आयी होगी तो आपके पास आयी होगी, मेरे पास अभी नहीं आयी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेण्ट मोशन जो था, उसका जवाब भी आपके पास आ गया।

श्री दिग्विजय सिंह : तो मैंने आपको कहा कि आपने मुझे जो बताया, उसके बारे में जानकारी करके उसका जवाब ले लिया जायेगा, उसके बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, हम करेंगे।

डा. चन्द्रभान : यह बड़ा ग्रास इनडिसीप्लेन का मामला है। आपके कथन को ही आपके एस पी. साहब झुठला रहे हैं। सरकार के कथन के विरोध में वह बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है पर आखिर उसको एक्यूज को, उसको पूछा तो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आपने मेरी व्यवस्था नहीं सुनी, इसका जवाब नहीं आया है इसलिए आज जवाब नहीं देंगे। इसका जवाब नहीं आया आपका जो एडजोर्नमेण्ट भीलवाड़ा का है उसका जवाब नहीं आया है। हमारे पास भी नहीं आया है।

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य भीलवाड़ा हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह उस सम्मेलन में उपस्थित थे और उन्होंने पब्लिक स्टेटमेण्ट यह दिया कि निर्दोष लोग छोड़े जायेंगे लेकिन उन्होंने उस घटना को गलत बताया था जो पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसको आपने और मुख्य मंत्रीजी सही बताया था। यह भीलवाड़ा के के माननीय सदस्य ने खुद ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : उनके पास जवाब आता तो हमारे पास भी आता।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा था, मैं यहां मौजूद था। उन्होंने इतनी बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था वह उपस्थित थे और जितनी बात आपने कही, उन्होंने कहा उन्होंने इंकार किया, उन्होंने यही कहा था कि जो निर्दोष होंगे तो हम उनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे। बाकी सारे दूसरे मामले में उनसे जवाब चाहा जा रहा है, जवाब आने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

डा. चन्द्रभान : नहीं वह उस सम्मेलन में शामिल थे। उन्होंने पब्लिक स्पीच दी, यही ग्रास इनडिसीप्लेन है कि कोई एस. पी. एक किसी पार्टी के सम्मेलन में शामिल होकर पब्लिक स्पीच देता है, यह ग्रास इनडिसीप्लेन है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप एक बात तो सोचें किसी को आप एक्यूज्ड बनाते हैं तो उसको आप सुनवाई का मौका तो देंगे । उसकी सुनवाई हो जाय, जवाब आ जाय, उसके बाद कार्य-वाही होगी । आपने कह दिया मैंने सुन लिया, उसको भी तो सुनें । अध्यक्ष महोदय अंत में जो आपकी बात थी और आपने चिन्ता व्यक्त की पुलिसकर्मियों के बारे में कि इनका मैस अलाऊंस, भत्ता वगैरह बढ़ाना चाहिए । इस वर्ष हमने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिये हैं जिससे उस कांस्टेबल और सिपाही को जो कि थाने में रहता है और दिन भर कार्य करके आता है, आने के बाद उसको वहां रोटी नहीं मिल सकती, वह कहीं न कहीं से व्यवस्था करता है तो वहां पर हमने लंगरियों की व्यवस्था करने के लिए एक निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस में पुलिसकर्मियों हेतु पुलिस लाइन, थानों आदि में भोजन बनाने हेतु 395 पद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतन श्रृंखला में स्वीकृत हैं । 903 पद अंशकालीन रसोइयों के हैं । जिन्हें डेढ़ सौ रुपये से ढाई सौ रुपये प्रति माह वर्तमान में दिया जाता है । 339 पद और कम पड़ते हैं अतः इन अंशकालीन रसोइयों को वर्तमान में देय अंशकालीन भत्ते में सौ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है जिसका वार्षिक अनुमानित व्यय 10 लाख 83 हजार 600 रुपये होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो बता दिया होगा जनार्दन सिंहजी, आपके कान में । आप पुलिस के बारे में बोल रहे हो, पुलिस को रोटी बनाने वाले नहीं दिये थे ।

श्री दिग्विजय सिंह : रोटी बनाने वाले कोई उस वक्त वहां थे ही नहीं । वह चने चबाकर अपना काम चलाते थे । रसोइयों की कमी पूर्ति के लिए 339 पद अंशकालीन रसोइयों के लिए ढाई सौ रुपये प्रतिमाह की दर से सृजित किये जाने का प्रस्ताव है जिसका कुल भार 10 लाख 17 हजार रुपये होगा । इसी प्रकार पुलिस मैस के रसोइयों पर होने वाला अतिरिक्त व्यय 21 लाख रुपये होगा । राजस्थान पुलिस बेनीवोलेंट फंड, जो आप चर्चा कर रहे थे, उसके लिए हमने निर्णय लिया है राजस्थान पुलिस बेनीवोलेंट फंड में राज्य सरकार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का अनुदान देती है । पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान के रूप में लगभग 17 लाख 17 हजार रुपये प्राप्त होते हैं । राज्य सरकार के इस अंशदान में 10 लाख रुपये की वृद्धि की जाकर अंशदान की राशि 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष किये जाने का प्रस्ताव है । पुलिस में अधिकृत कर्मचारियों को देय मैस भत्ते में 15 रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाती है जिसका अनुमानित व्यय भार 88 लाख 38 हजार रुपये होगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 15 रुपये तो बहुत कम है ।

श्री अध्यक्ष : यह बढ़ा रहे हैं, घटा थोड़ी रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं बढ़ा रहा हूं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कम से कम यू. पी. ने जितना बढ़ा रखा है, उतना तो करें । वहां भी अपना ही राज है, यू. पी., हरियाणा मध्य प्रदेश, इतना तो करें ।

डा. चन्द्रभान : तो 50 पैसे रोज का होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यू. पी. में कितना है, जरा बता दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 200, आपके यहां 120 है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं 200 मैस भत्ता है। तनख्वाह और बाकी का पैसा मिला कर कितना होता है ?

डा. चन्द्रभान : यू. पी. में आपकी सरकार ही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आपके पास सारी जानकारियां हैं, इसलिए में आपसे कह रही हूं कि आप उन जानकारियों के आधार पर इतना तो करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो बताओ ना एक कांस्टेबल को कितनी तनख्वाह मिलती है मैस अलाउंस के साथ ?

श्री अध्यक्ष : कुछ भी बोल दो आप तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, राजस्थान से ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पता तो है नहीं।

डा. चन्द्रभान : यह तो 50 पैसे रोज के हुए, एक रुपया रोज तो करो कम से कम।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वृद्धि गये वर्ष से भी अधिक है और आपके लास्ट के थ्री ईयर से भी ज्यादा है। पुलिस में अधिकृत कर्मचारियों को देय मैस भत्ते का बता दिया आपको। 50 गैस कनेक्शन करने से वित्तीय भार साढ़े 12 लाख रुपये, पुलिस कल्याण निधि में 10 लाख रुपये अनुदान, पुलिस फोर्स फंड के लिए 3 लाख रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित है। पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं सहायक निरीक्षक के पद के अधिकारियों को जिनके पास स्वयं की मोटर साइकिल उपलब्ध है, को द्रुत गति अनुसंधान कार्य एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी प्रकरणों के अनुसंधान हेतु 75/–रुपये प्रतिमाह की दर से मोटर साइकिल भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। यह भत्ता 123 पुलिस निरीक्षक, 140 उप निरीक्षक एवं 125 सहायक उप निरीक्षकों को इस वर्ष दिया जाना प्रस्तावित है जिसका वित्तीय भार लगभग 3·50 लाख रुपये होगा।

इस प्रकार कुल अतिरिक्त वित्तीय भार 148·38 लाख रुपये आने का अनुमान है।

नागरिक सुरक्षा एवं रक्षा गृह विभाग

पुलिस कर्मचारियों की भांति नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के स्वयं सेवकों को भी आतंककारियों से मुठभेड़ में मृत्यु होने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 268 एच. एच. एच. के अन्तर्गत देय दया मूलक सहायता एक लाख रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवक प्रशिक्षण भत्ते को 3·50 रुपये से बढ़ाकर 7·00 रुपये

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है जिसका आधा व्यय भारत सरकार वहन करेगी और इस प्रकार राज्य सरकार पर अनुमानतः 20 67 लाख रुपये का भार आयेगा।

ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण भत्ते में 3 रुपये से वृद्धि की जाकर उन्हें 5/– रुपये प्रतिदिन दिया जाना प्रस्तावित है जिसका अतिरिक्त वित्तीय भार 2,34,300/-रुपये होगा। इसका भी आधा भार भारत सरकार वहन करेगी और इस प्रकार राज्य सरकार पर 1,17,150/-रुपये का भार आने का अनुमान है।

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के परेड भत्ते को 5/- रुपये प्रतिदिन से बढ़ा कर 7/- रुपये प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है जिसका वित्तीय भार 1,70,800/-रुपये आने का अनुमान है। इस राशि में से भी आधा व्यय भारत सरकार वहन करेगी अतः राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार 85,400/- रुपये आयेगा। इस प्रकार प्रशिक्षण भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार पर 22,69,550/- रुपये का अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष आने का अनुमान है।

गृह रक्षा आरक्षी कर्मचारियों के मैस भत्ते में पुलिस कर्मचारियों की भांति 15/- रुपये प्रति माह की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है जिसका अनुमानतः भार 6 40 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा।

इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा कल्याण कोष में दो लाख रुपये, अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा ही किया जा रहा है कि नागरिक सुरक्षा कोष में भी कल्याण कोष की स्थापना में 2 लाख रुपये तथा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा खेलकूद निधि में एक लाख रुपये अंशदान दिया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रस्तावों का राज्य सरकार पर वित्तीय भार 32,09,550/- रुपये का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो अपने कटौती प्रस्ताव रखे और पुलिस के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये हैं मैं उनका इसके लिये आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस मांग को आप सर्व सम्मति से स्वीकार करेंगे एवं पारित करेंगे।

श्री हेमराज (किशनगंज) : फर्यादियों से स्टेशनरी मंगवायी जाती है। कार्बन, कागज, पैन, आदि, इसमें बजट देवेंगे तो जरा पब्लिक को राहत मिलेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्वेश्चन माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। बाड़मेर और जैसलमेर में तस्करी के अन्दर जिन पुलिस कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उनको आपने कोई प्रमोशन दिया है या उनकी पदोन्नति की है या कोई आपने उनको आर्थिक सहयोग दिया है? ऐसे कितने मामले आज तक विचाराधीन हैं? मुझे यह जानकरी है कि बाड़मेर में जिन्होंने तस्करी के अन्दर माल बरामद किया उनके आज तक पुलिस विभाग में कई ऐसे ल

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

के मामले लम्बित हैं जिनको आज तक कोई प्रशंसा पत्र नहीं दिया गया है और न उनको आज तक कोई पदोन्नति दी गयी है। ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि आपने कहा कि डकैतों के मामलों में जिन्होंने डकैतों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उन पुलिसकर्मियों की आपने पदोन्नति की, ऐसे कई मामले मेरी जानकारी में है। बनेसिंह डकैत को पकड़ने वाले दो पुलिसकर्मियों को आज तक आपका विभाग पदोन्नति नहीं दे रहा और डी. आई. जी. और डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस के बीच में वह पत्रावली पिछले छह महीने से लम्बित है उस में कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, म्यूजियम के अन्दर जिन पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उनको आपने क्या बेनीफिट दिये? इन दो-तीन बातों का आप जवाब दें।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द): मैंने निवेदन किया था कि खारड़ा में जो आदमी डकैतों का मुकाबला करते हुये मारा गया और उसके लिये सहायता के लिये मैंने निवेदन किया और माननीय गृह मंत्रीजी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस बारे में क्या करने जा रहे हैं, यह बता दीजियेगा?

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): मेरा एक सवाल है। राज्य सरकार के एन्टी-करेप्शन डिपार्टमेंट में जिस मामले में चालान पेश कर दिया आपने उस केस को किस आधार पर विद्ड्रा किया। एक बहुत सीनियर गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ केस था और आपने उनकी राय के खिलाफ सरकार ने केस विद्ड्रा किया। वह किस आधार पर किया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उनका आप नाम बता दें।

श्री हेतराम बेनीवाल: ओम प्रकाश गुप्ता, एम. डी., गंगानगर, सहकारी बैंक। आई. जी. पी. ने उसकी सैंक्शन दी, चालान हो गया। इसका जवाब दें।

श्री जुबेर खां (रामगढ़): टोडारायसिंह में साम्प्रदायिक दंगा होने से उसमें जो नुकसान हुआ था, 9 आदमियों की दुकानें जली हैं।

एक माननीय सदस्य: उनको राहत मिली है।

श्री जुबेर खां: जैसा कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सहायता मिली है। जो नुकसान हुआ है उनके लिये मुआवजा देने का मानस सरकार रखती है या नहीं? क्योंकि उस टाइम आसन से व्यवस्था हुयी थी कि गृह मंत्रीजी रिप्लाई में इस चीज का जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): क्या?

श्री हेतराम बेनीवाल: आप बैठें साहब, जवाब तो वो ही देंगे, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरे जवाब से आपको चिढ़ क्यों हो रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय जनार्दन सिंहजी ने प्रश्न किया डकैत के सम्बन्ध में कि डकैती के अन्दर और इनको पकड़ने में जिन पुलिसकर्मियों ने उल्लेखनीय काम किया उनकी आज तक प्रमोशन की फाइल या उनके प्रमोशन का केस अभी तक पी. एच. क्यू. में पड़ा हुआ है। कुछ मेरे भी ध्यान में आया है और मैंने इस सम्बन्ध में खुद ने पर्सनल लिखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस प्रकार के जितने केसेज होंगे बार्डर के, इन दोनों केसेजों को विद्न श्री मन्थ हम डिस्पोज आफ करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अल्बर्ट हाल के सम्बन्ध में आपने जो बात कही....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तुरन्त डायरेक्टर जनरल पुलिस के आदेश रसोइया या डी. आई. जी. मान लेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इनको दो बार लिखने के बाद भी आज तक उनका प्रमोशन नहीं हो सका और इन्टेन्शनली उस पत्रावली को रोका है।

श्री दिग्विजय सिंह : हां, तो वह फाइल मेरे पास आयेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्या नाराजगी है किसी के प्रति।

श्री दिग्विजय सिंह : कोई नाराजगी नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपकी क्या व्यवस्था है, आप तक क्या पहुंचता है और क्या नहीं पहुंचता है।

श्री दिग्विजय सिंह : दिखवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, अल्बर्ट हाल के सम्बन्ध में तत्काल हमने 25 हजार रुपये की उनको सहायता देने की घोषणा की थी और 25 हजार रुपये उनको दे दिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह के बारे में जो आपने कहा कि नुकसान हुआ है। वहां से कलक्टर की रिपोर्ट आने के ऊपर निश्चित रूप से भारत सरकार के जो पैरा-मीटर्स हैं, जो मापदण्ड हैं उनके अनुसार उनको मुआवजा दिया जायेगा।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया कि किसी डकैत को पकड़ने में एक ग्रामीण ने वीरता दिखायी। इस सम्बन्ध के अन्दर कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये। यह एक नीतिगत मामला है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। इस वक्त कहना मेरे लिये बहुत सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : झुन्झुनूं में एडीशनल एस पी. की पोस्ट।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने कहा कि एडीशनल एस. पी. की पोस्ट क्रियेट कर रहे हैं उसके बारे में वो प्रस्ताव आया है (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कल्याण कोष से पुलिसकर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी वह बन्द कर दी गयी है। वह कब तक दी जायेगी?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न का हेतराम जी माननीय सदस्य

(श्री दिग्विजय सिंह)

जिक्र कर रहे थे। माननीय सहकारिता मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया था। मैं नहीं समझता हूं कि उनको दुबारा जवाब देऊं, आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दे दिया वही पर्याप्त है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने उत्तर नहीं दिया था वह तो नाराज हुए थे। राज्य सरकार ने किस आधार पर लिया, वह बता दो।

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी आपने अपनी बात कह दी, बहुत जोरदार शब्दों में रख दी। अब उनके दिमाग में जो डाउट था वह उन्होने भी रख दिया। उनके दिमाग में यह डाउट है कि इसको फसाया जा रहा है, उसको घेरा जा रहा है, उसको ट्रेप किया जा रहा है। This is the doubt. Let it the cleared. आप तो क्लियर नहीं कर पायेंगे। आप कहेंगे वही सरकार माने, यह जरूरी नहीं। स्वतन्त्र जांच होगी। दोनों बातें सामने आ गयी हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्य, सही बात कहेंगे उसको भी सरकार नहीं मानेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच होगी। आपने अपने व्यू पाइन्ट रख दिया। उन्होंने डाउट रख दिया। सही कौन है ? जांच हो जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जांच नहीं हुयी यही तो कह रहा हूं। सरकार ने जांच नहीं की।

श्री अध्यक्ष : यह फोरम केवल इसलिए है कि आप अपनी बात सरकार के सामने ले आयें ताकि सरकार निर्णय लेते समय, इस बात को ध्यान में रखें। आप कह दें कि यही निर्णय होना चाहिए, यह कोई बात नहीं है।

मांग संख्या- 16 पुलिस

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,15,06,81,000/– दो अरब पन्द्रह करोड़ छः लाख इक्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय मंत्रीजी।

अनेक माननीय सदस्य : इनकी तो ऐसे ही पास कर दो।

मांग संख्या–17 कारागार

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,79,43,000/– (ग्यारह करोड़ उन्यासी लाख तियालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 मार्च, 1992 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर विधान सभा की बैठक रात्रि 11 बजकर 33 मिनट पर मंगलवार, 24 मार्च, 1992 के म. पू. 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

360

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 479 का विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1989, 90, 91 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार सम्बन्धी पंजीकृत अभियोगों की विवरण तालिका

वर्ष 1989

क्र.सं.	शीर्षक अपराध	पंजीकृत अपराध	चालान	अंतिम प्रतिवेदन	अन्वेषणाधीन
1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	45	30	6	9
2.	गम्भीर चोट	180	150	9	21
3.	बलात्कार	121	82	29	10
4.	गम्भीर क्षति	64	29	29	6
5.	ना. अ. सं. अवि. 1955	275	136	122	17
6.	अन्य भा. द. सं.	1658	702	948	8
	योग :	2343	1129	1143	71

वर्ष 1990

1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	44	33	5	6
2.	गम्भीर चोट	216	160	8	48
3.	बलात्कार	120	68	34	18
4.	गम्भीर क्षति	70	20	35	15
5.	ना. अ. सं. अधि. 1955	207	85	94	28
6.	अन्य भा. द. स. (अपराध)	1591	917	661	13
7.	अनु. जाति/जनजाति अत्या. नि. अधि. 1989	1012	423	577	12
	योग :	3260	1706	1414	140

वर्ष 1991

1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	53	18	1	34
2.	गम्भीर चोट	212	77	4	131
3.	बलात्कार	131	38	22	71
4.	गम्भीर क्षति	109	17	26	66
5.	ना. अ. सं. अधि. 1955	107	17	51	39
6.	अन्य भा. द. स.	2132	870	357	905
7.	अनु. जाति/जनजाति अत्या. नि. अधि. 1989	2733	764	1093	874
	योग :	5477	1801	1556	2120

परिशिष्ट "ख"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर घटित अपराधों का विवरण वर्ष 1990–91

वर्ष 1990

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज अपराध	चालान	अन्तिम प्रतिवेदन	अन्वेषणाधीन
1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	44	33	5	6
2.	गम्भीर चोट	216	160	8	48
3.	बलात्कार	120	68	34	18
4.	गम्भीर क्षति	70	20	35	15
5.	नागरिक संरक्षण अधिकार अधि. 1955	207	85	94	28
6.	अन्य भा. द. सं.	1501	917	661	13
7.	अनु. जाति/जनजाति अत्या. निवारण अधि. 1989	1012	423	577	12
	योग :	3260	1706	1414	140

वर्ष 1991

1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	53	18	1	34
2.	गम्भीर चोट	212	77	4	131
3.	बलात्कार	131	38	22	71
4.	गम्भीर क्षति	109	17	26	66
5.	नागरिक संरक्षण अधिकार अधि. 1955	107	17	51	39
6.	अन्य भा. द. सं.	2132	870	357	905
7.	अनु. जाति/जनजाति अत्या. निवारण अधिनियम, 1989	2733	764	1095	874
	योग :	5477	1801	1556	2120

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 485 की सूची

चित्तौड़ जिले में खादी की कार्यरत संस्थाओं की सूची

1. चित्तौड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन
2. जन सेवा मण्डल, पहूंना
3. सर्वोदय साधना संघ, चन्दरिया

ग्रामोद्योग में कार्यरत संस्थाओं की सूची

1. जवाहर सेवा सदन पहूंना (अनाज, दाल)
2. ताड़गुड सेवा संस्थान, गणेशपुरा (ताड़ गुड)

चित्तौड़ जिले में कार्यरत संस्थाओं को वर्ष 1989–91 तक खादी एवं ग्रामोद्योग में दिये गये अनुदान का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	खादी		ग्रामोद्योग	
		मद	राशि	मद	राशि
1.	चित्तौड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन	पूंजी वृद्धि सहायता	0.40	—	—
2.	जन सेवा मण्डल, पहूंना	,,	0.24	—	—
3.	ताड़गुड सेवा संस्थान, गणेशपुरा	—	—	पूंजीगत सहायता	0.73

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

श्री गंगानगर जिले में डोडा पोस्त के ठेके

493. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरियां): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में डोडा पोस्त के कितने ठेके स्थापित किये गये हैं और उनमें पिछले पांच वर्षों में 1987 से 1991 तक प्रति वर्ष खपत क्या रही है ? कितनी मात्रा में चूरी डोडा पोस्त की बिक्री इन ठेकों पर की गई ? इसका वितरण किस आधार पर लोगों को किया जाता है ?

(2) सन् 1987 में जिले की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने डोडा पोस्त सेवन करने वाले पोस्ती रजिस्टर्ड कार्ड होल्डर थे उनको पहले वर्ष में जितना पोस्त सेवन करने को दिया गया था, क्या उसको बाद में घटाने का कार्यक्रम था ? यदि हां, तो प्रथम वर्ष कार्ड बनाते समय कितनी मात्रा में पोस्त दिया जाना स्वीकृत किया गया और बाद में इसे घटाकर कितना किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि पड़ौसी राज्य पंजाब में डोडा पोस्त की बिक्री पर प्रतिबंध होने से वहां के निवासी इसके सेवन के लिए गंगानगर जिले में आते हैं और कई लोग यहां इसीलिए स्थायी रूप से बस गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस जिले में डोडा पोस्त के सेवन करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है ?

(5) क्या सरकार डोडा पोस्त सेवन करने वाले लोगों की संख्या कम करने या इसे छुड़ाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में डोडा पोस्त के 2 समूह है, जिनकी 4 थोक तथा 11 खुदरा दुकानें हैं। 1987 से 1991 तक इन दुकानों पर डोडा पोस्त की खपत/बिक्री का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	खपत क्वि. में
1987–88	4714.00
1988–89	6054.00
1989–90	5570.80

(आबकारी मंत्री)

1990–91	3430.36
1991–92	2602.28
(31 जनवरी, 92 तक)	
	22371.44

दुकानों पर डोडा पोस्त का वितरण परमिटधारियों को उनके परमिट में चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अंकित मात्रा की सीमा तक किया जाता है।

(2) वर्ष 1987 में श्री गंगानगर जिले में कुल 15715 डोडा पोस्त परमिटधारी 11994.40 क्वि. डोडा पोस्त की मात्रा के लिये रजिस्टर्ड थे। इन सभी परमिटधारियों को इस प्रथम वर्ष (1987) में परमिट में वर्णित 11994.40 क्वि. मात्रा के अनुरूप डोडा पोस्त सेवन करने को दिया गया।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-4-1987 द्वारा 1/8 की कटौती प्रत्येक निर्धारित परमिट मात्रा पर प्रति वर्ष की गई। इसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30-8-90 द्वारा डोडा पोस्त की निर्धारित मात्रा में प्रति वर्ष की जाने वाली कटौती बन्द कर दी गई है। परमिट आबकारी जिलावार जारी किये गये हैं, तहसीलवार नहीं।

(3) पड़ौसी राज्य पंजाब से गंगानगर जिले में कई लोगों की स्थाई रूप से बसने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(4) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

(5) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये उपरोक्त आदेशों की पालना के अतिरिक्त लायन्स क्लब गंगानगर द्वारा हाल ही में कैम्प लगा कर डोडा पोस्त की खपत में कटौती करने के प्रयास किये गये हैं।

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 5 मार्च, 1992)

गन्ने का निर्धारित मूल्य

157. श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में शुगर फैक्ट्रीज गन्ने का निर्धारित मूल्य चुका रही है अथवा नहीं ?

(2) सरकार ने इस वर्ष गन्ने की प्रति क्विटल क्या दर निर्धारित की है ?

(3) क्या सरकार द्वारा भूपालसागर शुगर फैक्ट्री को गन्ने का निर्धारित मूल्य चुकाने के कोई निर्देश दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गन्ने का निर्धारित मूल्य बढ़ाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में स्थित तीन शुगर फैक्ट्रियों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है।

(368)

(उद्योग मंत्री)

(2) भारत सरकार द्वारा तीनों शुगर फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम मूल्य के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) मेवाड़ शुगर मिल, भूपालसागर द्वारा निर्धारित मूल्य 27.84 रुपये से अधिक 40.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।

(4) गन्ने का न्यूनतम मूल्य शुगर केन कंट्रोल आर्डर, 1966 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य में वृद्धि किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे भी तीनों शुगर फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य दिया जा रहा है।

भारत सरकार खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 26 (ई) ई.एल.एम. कोम/शुगर केन दिनांक 4 जनवरी, 1992 के अन्तर्गत राजस्थान में स्थित तीनों शुगर फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में गन्ने का न्यूनतम मूल्य वर्ष 1991–92 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

1.	मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्री गंगानगर	—	26.00 रुपये प्रति क्विंटल
2.	मैसर्स श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन (बून्दी)	—	26.61 ,,
3.	मैसर्स मेवाड शुगर मिल्स लि. भूपालसागर	—	27.84 ,,

जिला झालावाड़ के पर्यटन स्थल

494. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में कोलवी की गुफाएं—रेन बसेरा गागरोन का किला, क्यासरा महादेव मन्दिर, बिन्नायगा की गुफाएं पर्यटन स्थल हैं ?

(2) उक्त पर्यटन स्थलों को और सुन्दर बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये तथा सन् 1980 से अभी तक इनके लिए कितना बजट दिया गया है ?

उत्तर

(1) अभी तक पर्यटकों का कोई विशेष रूझान नहीं पाया गया ।

(2) वार्षिक योजना 1992–93 में गागरोन के किले में रास्ते तथा जल सप्लाई हेतु 4.00 लाख रुपये तथा इसी किले की फ्लड लाइटिंग के लिए 6.00 लाख रुपयों का प्रावधान किया है । स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करवाना संभव होगा ।

इन्जीनियरिंग कालेज, कोटा के प्राचार्य के विरुद्ध शिकायतें

495. श्री मदन दिलावर (अटरु) : क्या प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा इन्जीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से कोई शिकायत मिली थी ? यदि हां, तो क्या प्राचार्य के खिलाफ आरोप सिद्ध हुये ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) यदि प्राचार्य दोषी पाये गये तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जी, हां । संस्थान के छात्रों को शिकायतें इससे पूर्व प्राप्त होने पर इसकी जांच करवाई गई है । जांच रिपोर्ट विचाराधीन हैं ।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार दिनांक 9 मार्च, 1992)

पिछड़ों को सस्ता न्याय की व्यवस्था

230. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से कोई आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ?

(2) इस आर्थिक सहायता पर विभिन्न जिलों में कितने-कितने रुपये विगत 5 वर्षों में व्यय किये गये ?

(3) गत दो वर्षों में जिला गंगानगर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के लिये गये ? इन मामलों के सरकार ने कितनी एवं क्या आर्थिक सहायता प्रदान की ?

(4) क्या सरकार उक्त वर्गों के लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिले इस दृष्टि से कोई विशेष सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हां, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में मुकदमा लड़ने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता तथा मुकदमा खर्चा उपलब्ध कराती है एवं विधिक जानकारी प्रदान करती है।

(2) इस आर्थिक सहायता पर विभिन्न जिलों में 5 वर्षों में जो राशि व्यय हुई उसका जिला क्रम से विवरण संलग्न है।

(3) गत 2 वर्षों में जिला श्री गंगानगर से अनुसूचित जाति/जनजाति के 9 मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील के लिये गये। उक्त मामलों में राज्य सरकार के पास आर्थिक सहायता का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) उक्त वर्गों के लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय देने हेतु राजस्थान विधिक सहायता कार्यक्रम में पहले से ही व्यवस्था है।

(371)

राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान राज्य विधिक सहायता बोर्ड ने जो आर्थिक सहायता विभिन्न जिलों में पिछले 5 (पांच) वर्षों में उपलब्ध कराई है का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	जिला विधिक सहायता समिति/ विधिक सहायता समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 1986–87 से 1990–91 के दौरान खर्च की गई राशि का योग
1	2	3
1.	अजमेर	42,250
2.	अलवर	9,747
3.	बारां	1,200
4.	बांसवाड़ा	3,05,600
5.	बालोतरा	1,31,045
6.	बीकानेर	7,840
7.	भीलवाड़ा	77,900
8.	भरतपुर	2,20,621
9.	बूंदी	1,16,213
10.	चूरू	40,668
11.	चित्तौड़गढ	1,37,200
12.	दौसा	शून्य यह जिला जयपुर के साथ था
13.	धौलपुर	10,950
14.	डूंगरपुर	42,375
15.	श्री गंगानगर	1,02,350
16.	जयपुर शहर	69,200
17.	जयपुर जिला	9,578

1	2	3	
18.	जैसलमेर	शून्य	यह जिला जोधपुर के साथ था
19.	जोधपुर	11,100	
20.	झालावाड़	60,641	
21.	झुन्झुनू	9,400	
22.	कोटा	5,311	
23.	नागौर	41,540	
24.	पाली	35,895	
25.	राजसमन्द	शून्य	यह जिला उदयपुर के साथ था
26.	सीकर	1,11,162	
27.	सवाई माधोपुर	84,300	
28.	सिरोही	2,90,400	
29.	टौंक	75,000	
30.	उदयपुर	32,100	
31.	जालौर	16,327	
32.	राजस्व मण्डल, अजमेर	8,292	
33.	मोटर वाहन दुर्घटना न्याधिकरण, जयपुर	शून्य	
34.	श्रम न्यायालय, बीकानेर	,,	
35.	,, ,, कोटा	6,030	
36.	,, ,, जयपुर	17,050	
37.	,, ,, जोधपुर	शून्य	
38.	,, ,, उदयपुर	,,	
39.	राज. उच्च न्यायालय, जयपुर	14,484	
	योग :	21,43,769	

373

मैनेजिंग डायरेक्टर, आर. एस. एम. एम. उदयपुर की यात्राएँ

496. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम. उदयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर जोधपुर के उम्मेद पैलेस होटल में मई व जून, 91 में ठहरे थे ? यदि हां, तो कितने दिन ठहरे और उसका कितना-कितना भुगतान किस कार्यालय (उदयपुर-जोधपुर) से किया गया ? बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि आर. एस. एम. एम उदयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली या बम्बई यात्रा पर जाने पर पांच सितारा होटल में ठहरते हैं। यदि हां, तो वर्तमान एम. डी. से पहले भी कौन-कौन से एम. डी. पांच सितारा होटल में ठहरे ? सन् 1986 से अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर की यात्राओं पर हुये व्यय का विवरण सदन की मेज-पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मई 1991 के प्रथम सप्ताह में आर. एस. एम. एम.. उदयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लेक पैलेस, उदयपुर में बोट पार्टी दी थी ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च आया और इस पार्टी में कौन-कौन आमंत्रित थे ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम., उदयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर का उदयपुर स्थित मकान अतिथि गृह के नाम पर रखा जाकर 3000/- रुपये मासिक का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अतिथि गृह में गत दो वर्षों में कौन-कौन अधिकारी ठहरे ?

(5) क्या यह सही है कि मैनेजिंग डायरेक्टर आर. एस. एम. एम. उदयपुर, बम्बई प्रवास के दौरान होटल लीला फैंटा में रुकते हैं ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में इस होटल को कितना भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रबन्ध निदेशक 4 दिन उम्मेद पैलेस होटल, जोधपुर में ठहरे। रुपये 8137–12 का भुगतान जोधपुर कार्यालय से किया गया। बिलों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान प्रबन्ध निदेशक पहले भी श्री आई. जी. भिंगरन पांच सितारा होटल में ठहरे हैं। वर्ष 1986 से अब तक प्रबन्ध निदेशक की यात्राओं पर किराये सहित हुए व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रुपये
1986–87	60,221–54
1987–88	78,532–32
1988–89	91,457–28
1989–90	1,06,300–42
1990–91	1,23,756–19
1991–92	1,03,690-06 (दिसम्बर, 91 तक)

(खनिज राज्य मंत्री)

(3) जी हां। इस पर रुपये 24,420/- खर्च आया। यह पार्टी कम्पनी के अध्यक्ष महोदय के उदयपुर आगमन के समय दी गई थी। इस पार्टी में प्रबन्ध निदेशक सहित कम्पनी के विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा कम्पनी के विभिन्न कार्यकलापों से सम्बन्धित सरकारी और अन्य संस्थाओं के उच्च अधिकारियों को आमन्त्रित किया गया था। क्योंकि विभागाध्यक्षों ने भी आमन्त्रित दिये थे, अतः कोई सूची उपलब्ध नहीं हैं।

(4) जी हां। यह अतिथि गृह अभी तक पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं हो सका। अतः यहां पर कोई अतिथि नहीं ठहरा परन्तु प्रबन्ध निदेशक अपनी स्वयं की इच्छा से पूर्णरूपेण सुसज्जित नहीं होने पर भी जब भी वे यहां दौरे पर रहे तब इसी में ठहरे।

(5) जी नहीं। वर्तमान प्रबन्ध निदेशक महोदय कभी लीला फैंटा में नहीं ठहरे। अतः कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की प्राथमिक शालाएं

497. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाएं कार्यरत हैं, कितने-कितने शिक्षक उसमें कार्यरत हैं?

(2) क्या इन शालाओं में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक लगा रखे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी प्राथमिक शालाओं में शाला भवन उपलब्ध नहीं है? कब तक भवन बनाने का सरकार इरादा रखती है? शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में 135 प्राथमिक विद्यालय तथा 12 शिक्षाकर्मी विद्यालय हैं इस प्रकार कुल 147 विद्यालय कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 334 तथा शिक्षाकर्मी शालाओं में 24 इस प्रकार कुल 358 अध्यापक तथा शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं।

(2) 66 प्राथमिक विद्यालयों में तथा 12 शिक्षाकर्मी शालाओं में विद्यार्थियों के अनुपात में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही अध्यापक कार्यरत हैं। 48 प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से कम तथा 21 शालाओं में छात्राओं के निर्धारित अनुपात से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं। पंचायत समितिवार तथा शालावार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) केवल पंचायत समिति सपोटरा के 10 प्राथमिक शालाओं में वर्तमान में भवन उपलब्ध नहीं है किन्तु उपरोक्त 10 विद्यालयों में से 4 विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं शालावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खण्डार में मुन्सिफ न्यायालय

498. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में मुन्सिफ न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। खण्डार में मुन्सिफ कोर्ट खोलने बाबत अभी से कोई निर्णय लिया हुआ नहीं हैं। आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय से यदि पूर्ण औचित्य के साथ ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उस पर तदनुसार विचार करना सम्भव हो सकता है।

बारां जिले के पुलिस थाने एवं चौकियों में स्टाफ

499. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बारां जिले में पुलिस कांस्टेबलों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) किशनगंज व शाहबाद में कितनी पुलिस व आर. ए. सी. की चौकियां हैं ? कितने-कितने कांस्टेबल व हैड कांस्टेबल तैनात हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि किशनगंज व शाहबाद मध्यप्रदेश सीमा से लगा होने के कारण अपराध व चोरियों की वारदातें लगातार होती रहती हैं। यदि हां, तो इनको रोकने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में ऐसे पुलिसकर्मी तैनात हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले में 35 कांस्टेबलो की कमी।

(2) किशनगंज व शाहबाद में पुलिस की 7 व आर. ए. सी. की 1 चौकी है, जिन पर तैनात कांस्टेबलों व हैड कांस्टेबलें की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। अपेक्षाकृत यह क्षेत्र शांत है और कम अपराध होते हैं।

(4) किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में तैनात किसी भी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

किशनगंज व शाहबाद में पुलिस चौकियों व हैड कांस्टेबलों व कांस्टेबलों की तैनाती के सम्बन्ध में।

क्र. सं.	चौकी का नाम	स्वीकृत है. का.	नफरी कांस्टेबल	मौजूदा है का	नफरी कांस्टेबल
	किशनगंज				
1.	जलवाड़ा	1	4	1	4
2.	रामगढ़	1	4	1	3
	शाहबाद				
3.	सांदड़ी	1	4	1	3
4.	खण्डेला	1	4	1	3
5.	आगर	1	4	1	2
6.	देवरी	1	4	1	2
7.	समराणिया	1	4	1	1
	आर. ए. सी.				
8.	शाहबाद	–	–	1	7

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों का चयन

500. डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल कितने जिलों का चयन किया गया है ? तथा चयन किये जाने के आधार एवं मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में झुन्झुनू जिले को सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किये जाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच साक्षरता का अन्तर कम होने की बजाय ज्यादा हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) चार जिलों—अजमेर, भरतपुर, सीकर एवं डूंगरपुर का चयन किया गया है । चयन किये जाने के आधार एवं मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

1. कार्यक्रम संचालन करने की जिले की प्रशासनिक क्षमता ।

2. रेगिस्तानी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को प्राथमिकता ।

3. ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति ।

4. गैर सरकारी संस्थाओं एवं कार्यकर्त्ताओं द्वारा इस कार्यक्रम में सहभागिता ।

(2) जी नहीं । वर्ष 92-93 में नये जिलों के लिये अभी कोई प्रावधान नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के खराब हैण्ड पम्प

501. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? उन्हें कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

(2) क्या इस वर्ष नये हैण्ड पम्प लगेंगे ? यदि हां, तो कितने और कहां ?

(3) छबड़ा क्षेत्र की नल योजनायें कितनी स्वीकृत हैं ? और यह कब तक पूरी होंगी ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में स्थापित 942 हैण्डपम्पों में से अठारहवें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में अभी तक 275 हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । इनमें से 132 अस्थाई रूप से खराब

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

एवं 8 परिव्यक्त हैं। 111 हैण्डपम्पों को ठीक कर दिया गया है। मरम्मत योग्य सभी हैण्डपम्पों को ठीक किया जा रहा है।

(2) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 91-92 में 45 हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान है, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इनमें से 19 हैण्डपम्प अब तक लगाये जा चुके हैं।

(3) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में 2 नई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन धन उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

"वर्ष 1991-92 में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले छबड़ा एवं छीपाबड़ौद तहसीलों में लगाए जाने वाले नये हैण्डपम्पों की सूची"

क्र. सं	तहसील	ग्राम का नाम	कोड नं.	इस वर्ष में	
				लगाये जाने वाले है. प. की संख्या	लगाये जा चुके है. प. की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	छीपाबड़ौद	राजपुरा	9	1	1
2.	,,	रामपुरिया	38	1	–
3.	,,	भगवतपुरा	57	1	–
4.	,,	रावां	60	2	–
5.	,,	माधोपुर	62	1	1
6.	,,	उतावली	67	1	1
7.	,,	मोहम्मदपुर	72	2	2
8.	,,	राजपुरा जागीर	80	1	–
9.	,,	देवरीजोध	82	1	–

(379)

1	2	3	4	5	6
10.	,,	कुण्डीखेडा	84	1	–
11.	,,	करनी	110	2	2
12.	,,	मूण्डलाघटा	112	1	–
13.	,,	डाबरी	113	2	2
14.	,,	खेड़ी	139	1	–
15.	,,	सूरजपुराखुर्द	164	1	1
16.	छबड़ा	बीलखेड़ा	7	1	–
17.	,,	भीवाड़ा ऊंचा	48	1	–
18.	,,	बड़ाय	67	1	–
19.	,,	कउयानोहर	70	1	–
20.	रूपा	रूपारेल	82	1	–
21.	,,	नियमतपुरा	99	2	2
22.	,,	झरखेड़ी	101	1	–
23.	,,	केलखेडी	111	1	–
24.	,,	खरखेड़ा गुसाई	118	1	1
25.	,,	पटना	120	2	–
26.	छबड़ा	मूण्डक्या	121	3	–
27.	,,	अमीनपुरा	123	1	–
28.	,,	युसुफपुरा	126	1	–
29.	,,	मवासारोला	129	1	1
30.	छबड़ा	खेरखेड़ा भोरा	148	2	2
31.	,,	रसूलपुरा	152	1	–
32.	,,	इस्लामपुरा उर्फ पटपड़ी	154	1	–
33.	,,	बिशनखेड़ा	155	1	–

1	2	3	4	5	6
34.	,,	सुमानपुरा उर्फ हरिपुरा	157	2	2
35.	,,	पीपलखेडी कुलीन्जरा	189	1	1
		योग :—		45	19

आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय

502. श्री सम्पत्त सिंह (नगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्तमान वर्ष में प्रान्त में कितने आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालय शुरू किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चालू वर्ष 1991–92 में 21 आयुर्वेदिक एवं एक यूनानी औषधालय खोलने की स्वीकृति जारी की गयी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

381

चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में खोले गये औषधालयों की सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	तहसील/पं.स.	जिला
	(1) आयुर्वेद पद्धति		
1.	राजभवन	जयपुर	जयपुर
2.	सोंथलिया	झुंझुनू	झुंझुनू
3.	बरलूट	सिरोही	सिरोही
4.	शंखवाली	आहौर	जालौर
5.	अलोढ	रामगंजमण्डी	कोटा
6.	डाबला भोज	पिडावा	झालावाड
7.	तखतगढ़	सुमेरपुर	पाली
8.	गोगाथला	रेलमगरा	उदयपुर
9.	रामसनीबाला	सोजत	पाली
10.	सायला	—	जालौर
11.	रामपुरा	सिलधर	सिरोही
12.	कैलारा	दांतारामगढ़	सीकर
13.	जासासर	—	चूरू
14.	आमथला	—	सिरोही
15.	आबडसर	—	चूरू
16.	कोटडी	सिवाना	बाडमेर
17.	उनियारा	—	टोंक
18.	जांम्बूडापाल	सराडा	उदयपुर
19.	रायपुर	अरनोद	चित्तौड़
20.	पालगलन्दर	बीछीवाडा	डूंगरपुर
21.	सेनावास	पाटोल	बांसवाडा
	(2) यूनानी पद्धति		
22.	पोकरण	—	जैसलमेर
	(3) होम्योपेथी पद्धति		
23.	सिलेगढ़	डग	झालावाड
24.	कुसुम्बी	—	नागौर
	(4) प्राकृतिक पद्धति		
25.	जाडन	—	पाली

जयपुर शहर में आवारा पशु

503. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मण-गढ़):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में आवारा मवेशियान की भर-मार है और ये मवेशियान बे-रोकटोक हर गली में व शहर की मुख्य सभी सड़कों पर विचरण करती रहती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भीड़भाड़ भरे इस शहर में इन आवारा मवेशियान के कारण हर समय भारी दुर्घटनाओं का अन्देशा बना रहता है और हर रोज ऐसी दुर्घटनायें घटती भी रहती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिंक सिटी में आने-जाने वाले विदेशी पर्यटक की भरमार रहती है और वे स्वतन्त्रता पूर्वक शहर में भीड़ भाड़ के चित्र खींचते रहते हैं जिनमें उन आवारा मवेशियान के चित्र भी आना स्वाभाविक है, ये चित्र विदेश में ले जाये जाते हैं जिससे इस शहर की छवि पर विपरीत असर पड़ता है ?

(4) इन आवारा मवेशियान से उत्पन्न स्थिति के बारे में इनसे मुक्ति पाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में आवारा मवेशी बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं।

(2) यह सही है कि दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है पर ऐसी किसी दुर्घटना की सूचना परिषद के पास नहीं है।

(3) यह सही है कि जयपुर में काफी पर्यटक आते हैं तथा वे विभिन्न स्थानों के चित्र खींचते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवारा मवेशियान का चित्र आना भी स्वाभाविक ही है, जिससे शहर की छवि पर प्रतिकूल असर पडने की सम्भावना है।

(4) इस समस्या के समाधान हेतु नगरपरिषद जयपुर अपने नियमों के अन्तर्गत आवारा पशुओं को पकड़ती है, कायन हाउस भेजती है, जुर्माना लगाती है तथा आवश्यक कार्यवाही करती है। नगरपरिषद द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु अपने उप नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है तथा अपनी व्यवस्था को सुदृढ बनाया जावेगा।

राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालय

504. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरी-सिंहपुर)एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला**(बीकानेर)–क्या प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग महाविद्यालय कहां-कहां प्रारम्भ किये जायेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हैं ? राज्य में

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे इंजीनियरिंग शिक्षा के अवसर कितने व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार अजमेर एवं बीकानेर सम्भाग मुख्यालयों पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक पोलीटैक्निक महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) अन्य प्रदेशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। राज्य में प्रतिलाख व्यक्तियों पर 3 व्यक्तियों को इंजीनियरिंग शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

जिला सीकर में लोह अयस्क की खानें

505. श्री फूलचन्द (नीम का थाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बागोली तहसील नीमकाथाना व ग्राम थोई तहसील श्री माधोपुर के निकट लौह अयस्क की खाने काफी समय से बन्द पड़ी हैं ? सीकर जिले में और कितनी लौह अयस्क की खानें बन्द पड़ी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन खानों को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा चलवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) इन खानों पर खोदा हुआ हजारों टन खनिज नीलामी द्वारा विक्रय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम बागोली के समीप लौह अयस्क हेतु एक खनन पट्टा स्वीकृत था जिसके 1962 में खण्डित होने के पश्चात् कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से पुनः आवंटन नहीं किया गया ग्राम थोई, तहसील श्रीमाधोपुर के निकट भी एक खनन पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिये वर्ष 1985 में स्वीकृत किया गया था जो अप्रेल, 1990 में खण्डित किया गया। पट्टा खण्डित किये जाने के आदेशों के विरूद्ध पार्टी द्वारा केन्द्रीय सरकार के समक्ष रिवीजन प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जो भारत सरकार के विचाराधीन है। तथापि, चूंकि पट्टा खण्डित किये जाने के पश्चात् क्षेत्र का कब्जा विभाग द्वारा ले लिया गया था अतः खनन कार्य बन्द है। सीकर जिले में लौह अयस्क के तीन और खनन पट्टे नीमकाथाना तहसील में स्वीकृत

(खनिज राज्य मंत्री)

हैं। इनमें से एक में जो नरेडा ग्राम के निकट सर्वश्री मोदी लेवीगेटेह के पक्ष में वर्ष 1974 में स्वीकृत किया गया था तथा एक खनन पट्टे में भी जो ग्राम नानगवास के समीप श्री बनवारी लाल अग्रवाल के पक्ष में वर्ष 1984 में स्वीकृत किया गया था खनन कार्य बन्द है। कार्य लम्बे समय से बन्द रखें जाने के कारण पट्टाधारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) खनन पट्टों के खण्डित होने के पश्चात् क्षेत्र को नियमानुसार रिक्त घोषित किया जायेगा एवं यदि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम इन क्षेत्रों को लेने में इच्छुक होगा तो खनन पट्टे उनके पक्ष में स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(3) ग्राम बागोली के समीप पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में लगभग 900 टन लौह अयस्क पड़ा है। इस खनिज की नीलामी की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति/जन जाति के पद

506. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) एवं

श्री अमीन खां (शिव)–: क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों व जिला परिषदों में मंत्रालयिक स्टाफ में अनुसूचित जाति व जन जाति की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्यों?

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में जिला परिषदों व पंचायत समितियों में मंत्रालयिक स्टाफ में अनुसूचित जाति व जन जाति की संख्या कितनी है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन-जिन पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत पूरा नहीं है, उसको कब तक भर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में मंत्रालयिक स्टाफ में अनुसूचित जाति व जन जाति की संख्या कम है। पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा के लिए कर्मचारियों की भर्ती वर्ष 1959 से 1986 तक राजस्थान पंचायत सेवा आयोग द्वारा की जाती रही है। वर्ष 1951 से मंत्रालियक सेवा में 12।। प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जाति व जन जाति के अभ्यार्थियों का कोटा निर्धारित किया हुआ है। आयोग द्वारा उस समय उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों में से इन पदों को पूर्ति की गई थी। अब ये नियुक्तियां जिला स्तर पर की जाती है जिसमें बैकलोग की पूर्ति की कोशिश की जा रही।

(2) केवल जिला बाड़मेर में अनुसूचित जाति के श्री शिवलाल रेगर पंचायत समिति, सिणधरी में कार्यरत हैं।

(पंचायत राज मंत्री)

(3) भविष्य में मंत्रालायिक कर्मचारियों की भर्ती होने पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

वर्ष 1991-92 में रीको एवं आर. एफ. सी. द्वारा ऋण वितरण

507. श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क):–क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1991-92 में रीको तथा आर. एफ. सी. द्वारा कितनी राशि के ऋण स्वीकृत हुए तथा कितना वितरण हुआ ?

(2) उपरोक्त ऋणों में कितने लघु उद्योग और कितने मध्यम उद्योग थे।

(3) उपरोक्त वर्ष में क्या राजस्थान में कोई बड़ा उद्योग भी लगा है ? यदि हां तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1991-92 में स्वीकृत एवं वितरित ऋणों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जितने लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण दिये गये उनकी श्रेणी वार संख्या प्रश्न भाग एक के उत्तर में दी गई सूची में अंकित है।

(3) वर्ष 1991-92 में 11 बड़े उद्योगों को लगाने में रीको के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। ये सभी इकाईयां क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है :–

कोटा	–	2
भिवाड़ी	–	2
शाहजहांपुर	–	2
जयपुर	–	3
बूंदी	–	2
कुल :		11

वर्ष 1991-92 में उद्योगों को रीको/राज. वित्त निगम द्वारा
स्वीकृत एवं वितरित ऋण

रीको

1991-92
(रुपये लाखों में)

1. सावधि ऋण

	स्वीकृत	वितरित
(1-4-91 से 22-2-92 तक)	4411.88 लाख (57 इकाईयां)	2134.80 (53 इकाइयां)

राजस्थान वित्त निगम

1. ऋण	स्वीकृत	वितरित
	(रुपये करोडों में)	
1-4-91 से 31-1-92 तक	109.28	77.91

ऋण स्वीकृत की जाने वाली उद्योगों की श्रेणी

	संख्या	
	रीको	राजस्थान वित्त निगम
1. मध्यम श्रेणी	33	4
2. लघु	24	2096
3. परिवहन व वाहन हेतु ऋण	—	395

भीलवाड़ा जिले में हत्यायें

508. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाडा जिले में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पुलिस थानों के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों की हत्यायें हुई ? कितनों के मामले दर्ज हुए, कितने अपराधी पकड़े गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाडा जिले में पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पुलिस थानों के अन्तर्गत 99 व्यक्तियों की हत्याएँ हुई। 94 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिनमें 227 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वर्षवार व जिले के थानेवार पंजीबद्ध अभियोगों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 1992)

जिला बाड़मेर के उच्च प्राथमिक विद्यालय

244. श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में उद्योग विषय के अध्यापक भी लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो उद्योग विषय के अध्यापक के कितने पद इन विद्यालयों में स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने रिक्त हैं रिक्त पदों को कब तक सरकार भरने का विचार रखती है ?

(2) राज्य के किन-किन जिलों में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में उद्योग अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ? सूची सदन की की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में कितने उद्योग अध्यापक बेरोजगार बैठे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बाड़मेर जिले के बेरोजगार उद्योग अध्यापकों को सरकार नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में कुल 264 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। नए पाठ्यक्रम में उद्योग विषय नहीं हैं। इन विद्यालयों में उद्योग अध्यापक पद नाम से कोई नया पद स्वीकृत नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) 1989-90 व 1990-91 में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उद्योग शिक्षक पद पर नयी नियुक्ति नहीं दी गई हैं।

(3) बाड़मेर जिले में बेरोजगार प्रशिक्षित उद्योग शिक्षक जिला नियोजन कार्यालय में पंजीकृत नहीं है।

(4) जी नहीं।

राजकीय पोलीटैकनिक महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर में साक्षात्कार

509. श्री मोतीलाल (सवाई-माधोपुर) : क्या प्रावैधिक शिक्षा राज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या दिनांक 30-1-92 को राजकीय पोलीटैकनिक महाविद्यालय सवाई माधोपुर में कुछ पदों हेतु साक्षात्कार की तिथि तय की गयी थी ? क्या 30-1-92 को साक्षात्कार लिये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या साक्षात्कार में उक्त पदों का चयन करते समय किसी तरह का पक्षपात किया गया ? यदि नहीं तो किस-किस जाति के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पोलीटैकनिक महाविद्यालय सवाई माधोपुर के प्राचार्य द्वारा विगत तीन-चार वर्षों से चारागाह भूमि या महाविद्यालय को आवंटित भूमि पर सरसों फसल करवायी जाती रही है ? यदि हां, तो उसकी वर्ष वार आमद कितनी कितनी राशि की रही ?

उत्तर

(1) जी, हाँ । संस्थान के प्रिंसीपल की माताजी के अचानक अस्वस्थता का समाचार प्राप्त होने पर उक्त तिथि को कोई साक्षात्कार नहीं लिये गये ।

(2) साक्षात्कार में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया । जिन अभ्यार्थियों का चयन किया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जिलाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 18-10-90 को भूमि आवंटित की गई थी । जिले एक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, शेष खाली पड़ी भूमि के कुछ भाग में सरसों की बुवाई इस वर्ष की गई है । फसल अभी खड़ी है अतः आय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

चयनित अभ्यार्थियों की सूची:–

क्र. सं.	नाम अभ्यार्थी व पिता का नाम	वर्ग	रोजगार पंजीयन संख्या	निवास स्थान (ग्राम)	पद
1.	श्री रामावतार जाट, पुत्र श्री हजारी लाल जाट	सामान्य	4810/89	जटवाड़ा खुर्द	प्रयोगशाला परिचायक

1	2	3	4	5
2.	श्री राजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री लड्डू राम	सामान्य	5467/90	कुतलापुरा जाटान पो॰ मानटाउन / प्रयोग शाला परिचायक
3.	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभू दयाल	सामान्य	568/87	सिवाड़ / बुक लिफ्टर
4.	श्री ओमप्रकाश मीणा, पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	अनुसूचित जनजाति	780/92	नांगल (पहाड़ी) / फर्राश

विधान सभा क्षेत्र फागी के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

510. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन औषधालयों ये स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस स्तर के कर्मचारियों की कमी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) स्टाफ की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में केवल आयुर्वेद औषधालय कुंडली में आयुर्वेद चिकित्सक का एक पद रिक्त है।

(3) आयुर्वेद चिकित्सक का रिक्त पद जून, 92 तक भर दिया जावेगा।

जयपुर जिले के फागी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान औषधालय		
1.	किशोरपुरा	11.	माधोराजपुरा
2.	बीची	12.	मन्डोर
3.	चकवाड़ा	13.	कुडंली
4.	चान्दमाकलाँ	14.	खेजड़ी बुजुर्ग
5.	चितोडा	15.	चाकसू
6.	नरेडा	16.	निमोदिया
7.	नीरेडा	17.	तीतरिया
8.	मेहन्दवास	18.	टूटोली
9.	रेनवाल मांजी	19.	कोथून
10.	हरसूलिया		

पंचायत समिति लालसोट के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध गबन के विचाराधीन मामलें

511. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लालसोट में किन-किन पूर्व सरपंचों के खिलाफ पंचायत कोष की बकाया राशि तथा गबन की राशि को वसूल करने की कार्यवाही तहसील स्तर पर तथा पंचायत समिति स्तर पर विचाराधीन है ?

(2) जिन पूर्व सरपंचों पर बकाया राशि है उसकी वसूली विचाराधीन होने पर वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वसूली की कार्यवाही जारी है ।

(391)

तहसील स्तर पर विचाराधीन:—

1. श्री महादेव बारेठ, पूर्व सरपंच, सलेमपुरा	975.00
2. रामसहाय मीणा, पूर्व सरपंच सोनड	1280.00
3. श्री घनसिंह, पूर्व सरपंच डोब	2050.00
4. श्री रामेश्वर प्रसाद, पूर्व सरपंच रामगढ़ पचवारा	497.00
5. सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावरी	193.36
6. श्री गंगासहाय पूर्व सरपंच, बिदरखा	1560.00
7. सरपंच, ग्राम पंचायत लालसोट	2173.75

पंचायत समिति स्तर पर विचाराधीन:—

(1) श्री हरिनारायण, पूर्व सरपंच, मिर्जापुर	5478.40
(2) श्री तेजराम मीणा, पूर्व सरपंच मिर्जापुर	1673.00
(3) श्री महादेव प्रसाद मीणा, पूर्व सरपंच सोनड	12910.00
(4) श्री रामजीलाल मीणा, पूर्व सरपंच महारिया	3535.00

तारांकित प्रश्न संख्या 512
(स्थगित)

थाना सांचौर जिला जालौर में डी. डी. पी. टांका व जीवन-धारा की योजना के तहत मुकदमे दर्ज

513. **श्री लक्ष्मी चन्द मेहता** (सांचौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पुलिस थाना सांचौर जिला जालौर में डी. डी. पी. टांका व जीवनधारा की योजना के तहत पंचायत समिति सांचौर में रक़म के गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई किन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया व कौन-दोषी पाये गये हैं?

उत्तर

जी हां। डी. डी. पी. टांका व जीवन-धारा की योजना के तहत पंचायत समिति सांचौर में रकम के गबन करने के सम्बन्ध में दिनांक 20-4-90 को विकास अधिकारी श्री दरियापुरी की रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 41/90 दि. 20-4-90 को धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता में थाना सांचौर पर पंजीबद्ध किया गया तथा दि. 22-2-91 को श्री मुसिफ अली, विकास अधिकारी सांचौर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर मु. न. 29/91 दिनांक 22-2-91 को धारा 409, 420, 467, 468, 471, भा. द. सं. के तहत थाना सांचौर पर पंजीबद्ध किया गया।

(गृह मंत्री)

मुकदमा नं. 41/90 श्री शहादत अली तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक पंचायत समिति सांचौर के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया तथा मुकदमा नं. 29/91 क्रमशः तत्कालीन परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विभाग श्री जी. खान तथा छगनलाल व दरियापुरी विकास अधिकारी, रमेश कुमार व शहादत अली कनिष्ठ लिपिक, मालाराम पर्यवेक्षक एवं बुद्धपालसिंह, बाबूलाल चौधरी व पदमसिंह ग्राम सेवक पंचायत समिति सांचोर के विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ है।

मुकदमा नं. 41/90 व 29/91 थाना सांचौर अभी तक अन्वेणाधीन है। अतः अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् ही अभिक्त-गण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मूण्डवा पंचायत समिति के ग्राम रूण माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत

514. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मूण्डवा पंचायत समिति के ग्राम रूण माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव के बावजूद भी सरकार ने क्रमोन्नत क्यों नहीं किया ?

(2) सरकार अब कब तक इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीमित वित्तीय साधनों एवं निर्धारित मानदण्ड के आधार पर पंचायत समिति मूण्डवा के ग्राम रूण माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया जा सका इस वित्तीय वर्ष में जितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाना था वे क्रमोन्नत हो चुके हैं।

(2) वर्तमान में इस विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की कोई समयावधि निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 704 का विवरण

नगर पालिका सोजत को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, 1991 से अब तक आवंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	कार्य का विवरण		व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
					कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निर्बन्ध योजना	95,000.00	95,000.00	7.1.91 व	नाली मोचियों का बास	12000.00	9402.20	पूर्ण
				26.3.91	नाली सरगरा कुआ	22000.00	21117.95	,,
		21780.00	10,890.00	18.11.91	नाली सरगरा बास	25000.00	17365.25	,,
					टैंक गांधी कालोनी	24000.00	23961.05	,,
					वाटर टैंक हरिजन बस्ती	12000.00	12000.00	,,
					नाला जोधपुरिया दरवाजा से पाली दरवाजा	21780.00	22645.00	,,
					कसल मेघवालों की गली	11155.00	—	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	नेहरू रोजगार योजना	1,69,000.00	1,68,000.00	19.1.91	बीटी रोड से जटियों का बास	121500.00	92122.67	पूर्ण
					नाली मोचीवाड़ा से बिलाड़िया गेट	47500.00	47397.15	,,
3.	नाली निर्माण अनुदान	50,000.00	50,000.00	30.7.91	नाली सिंघवियों का बास	50000.00	13960.00	पूर्ण
					ढाल की गली नाली		3206.60	,,
					नाली बड़ा खुरमिया		10774.41	,,
					भाटों की गली नाली		04503.80	,,
					नाली पाली दरवाजा		1941.30	,,
					नाला मैला चौक		7567.50	,,
							41947.61	
4.	पेस फेरी की राशि जो जिला कलक्टर महोदय से सड़क निर्माण हेतु प्राप्त हुई।	95,080.00	95,080.00	4.7.91	महावीर सर्किल से सब्जी मंडी	190160 00	15817.00	पूर्ण
		95,080.00	95,080.00	7.11.91	सब्जी मण्डी से जुमा मस्जिद		853213.30	,,
					बस स्टेण्ड		31719.25	,,
							93144.00	,,
							193893.55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मिनी ट्रक	2,00,000.00	2,00,000.00	11.2.91	मिनी ट्रक	200000.00	200000.00	पूर्ण
6.	स्वरोजगार	1,40,000.00	1,40,000.00	—	स्वरोजगार	140000.00	140000.00	बैंक में स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों पर अनुदान राशि देने हेतु स्थानांतरण कर दी गई। बैंक से वार्तानुसार माह स्वीकृत कर दिया जावेगा।
7.	वैतनिक रोजगार	2,20,000.00	2,20,000.00	—	वैतनिक रोजगार	220000.00	—	वैतनिक योजना के अन्तर्गत काम चालू है।
8.	प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन व्यय	38,163.00	38,163.00	—	प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन व्यय	38163.00	21525.00	जे. ई. एन. को दैनिक वेतन पर भुगतान व्यय किया गया।
		1112213.00				843377.43		

ह०/–
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका, सोजत

नगरपालिका सोजत द्वारा जनवरी, 1991 से आज तक सड़क, नाली, रोड लाइट पर व्यय की गई राशि का विवरण

1.	सड़क निर्माण	2,86,016.22
2.	नाली निर्माण	1,59,878.16
3.	बिजली	3,42,365.58

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 705 की सूची व विवरण

कार्यालय नगर पालिका झुन्झुनूं (राज.)

इन्दिरा नगर में दिनांक 12-2-92 से 13-2-92 तक नीलाम किये गये भूखण्डों की सूची

क्र सं.	भूखण्ड संख्या		दिनांक
1.	सी–42, इन्दिरा नगर		12-2-92
2.	सी–29,	,,	,,
3.	सी–30,	,,	,,
4.	सी–35,	,,	,,
5.	सी–27,	,,	13-2-92
6.	सी–40,	,,	,,
7.	सी–41,	,,	13-2-92
8.	सी–42,	,,	,,
9.	सी–44,	,,	13-2-92
10.	सी–45,	,,	,,

ह० /–
अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका, झुन्झुनूं

392

नगर पालिका झुन्झुनू

फर्म नीलाम

इन्दिरा नगर योजना रोड नं० 1 के सहारे

भूखण्ड स. जी-10	साइज 30' × 64' वर्ग फुट	3274/- रिजर्व प्राइस

राजस्थान नगरपालिका : दिसोतल श्राम बाबत लैण्ड रूल्स 1974 के नियम 4, 7 एवं एग्रीकलचर ए. रूल 14 के अनुसार नगर पालिका द्वारा मौके पर टंगी हुई लिखित शर्तों को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अतः शर्तों पर निम्न नीलामी कार्यवाही सम्पादित की गई।

दिनांक : 10-5-77

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम	राशि	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	श्री इकबाल हुसेन पुत्र सुलेमान जरिये मकबुल	3285/-	मकबुल
2.	श्रीमती मेवादेवी पत्नी नारायण जरिये नारायण	3300/-	द: नारायण
3.	श्री मोहम्मद यासीन पुत्र नत्थू जरिये मकबुल	3320/-	मकबुल
4.	श्री बोदनराम पुत्र तुलाराम	3340/-	बोदनराम
5.	श्री लेखराज पुत्र मालाराम	3351/-	लेखराज
6.	श्री भंवरलाल पुत्र कुरड़ाराम	3380/-	भंवरलाल
7.	श्रीमती मेवादेवी पत्नी नारायण जरिये नारायण	3400/-	द: नारायण
8.	श्री इकबाल हुसेन पुत्र सुलेमान	3425/-	मकबुल

1	2	3	4
	बोली कम प्रतीत होती है अतः कल पुनः लगाई जावे ।		
	दिनांक 11-5-77		
9.	श्री बशीर पुत्र बरकत	3475/-	बशीर बरकत
10.	श्री मोहम्मद इलियास पुत्र हाजी बदरुद्दीन	3501/-	मो. इलियास
11.	श्री बशीर पुत्र बरकत	3525/-	बशीर बरकत
12.	इकबात हुसेन पुत्र सुलेमान	3571/-	मकबुल
13.	बशीर पुत्र बरकत	3601/-	बशीर बरकत
14.	श्री मकबूल पुत्र नूरमोहम्मद	3625/-	मकबुल नूरमो.
15.	श्री इकबाल हुसेन पुत्र सुलेमान जरिये मकबुल	3651/-	मकबुल

मैं मकबुल पुत्र नूरमोहम्मद रु. 3625/- से आगे बोली नहीं लगाना चाहता हूं ।

मकबुल नूरमोहम्मद

रु. 3651/- के लिए स्वीकृत ।

ह०/–
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, झुन्झुनूं

399

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 706 का विवरण

1960 से निम्नलिखित अधिकारियों के वेतनमानों का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	पद एवं वेतनमान			
	राजस्व अधिकारी (द्वितीय)	तहसीलदार	सहायक लेखाधिकारी	सहायक वाणिज्यिक अधिकारी
1	2	3	4	5
		1-4-1991		
1.4.60	150-10-300-ई.बी.-15-435-25-485	155-10-285-15-435-25-485	155-10-285-15-435-25-485	
1.9.68	180-10-220-15-385-20-425	275-20-375-25-600	275-20-375-25-650	275-20-375-25-650
1.9.76	470-10-490-20-830	620-20-760-25-1010-30-1100	620-20-760-25-1010-30-1100	620-20-750-25-1010-30-1100

1	2	3	4	5
1.9.81	640-20-900-25-1000 -30-1180	1000-30-1300-40-1500-50-1800-60-1860	1000-30-1300-40-1500-50-1800-60-1880	1000-30-1300-40-1500-50-1800-60-1860
1.9.86	1160-20-1200-25-1400-30-1640-40-2000-50-2300-60-2360	1550-30-1640-40-2000-50-2300-60-2600-75-3050-100-3250	1550-30-1640-40-2000-50-2300-60-2600-75-3050-100-3250	1550-30-1650-40-2000-50-2300-60-2600-75-2300-100-3250
1.9.88	1400-40-1800-50-2300-60-2360	2000-60-2300-75-3200	2000-60-2300-75-3200	2000-60-2300-75-3200

(401)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 708 की सूची

भंग नगरपालिका सिवाना के सरप्लस कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद		भंग नगरपालिका का नाम	समायोजित नगरपालिका का नाम
1	2		3	4
1.	श्री मांगीलाल	सफाई कर्मचारी	सिवाना	नगर परिषद, बाड़मेर
2.	,, गोखाराम	,,	,,	,,
3.	श्रीमती अण्डी	,,	,,	,,
4.	श्री सांवरमल	,,	,,	,,
5.	,, बाबूलाल	,,	,,	,,
6.	,, लालाराम	सब नाकेदार	,,	,,
7.	श्रीमती बबली	सफाई कर्मचारी	,,	,,
8.	श्री पारसमल	,,	,,	,,
9.	श्री कुंभाराम	,,	,,	,,
10.	श्रीमती शायरी	,,	,,	,,
11.	श्री नत्था राम	,,	,,	,,
12.	,, जोगा राम	,,	,,	,,
13.	श्रीमती बादामी	,,	,,	,,
14.	,, मागुदेवी	,,	,,	,,
15.	,, राधादेवी	,,	,,	,,
16.	श्री साबाराम	,,	,,	,,
17.	,, पदमा राम	,,	,,	,,
18.	,, सुगर मल	,,	,,	,,
19.	,, मोहन लाल	,,	,,	,,

1	2		3	4
20.	श्री छगना राम	सफाई कर्मचारी	सिवाना	नगर परिषद, बाड़मेर
21.	,, पूनमा राम	,,	,,	,,
22.	,, श्याम लाल	,,	,,	,,
23.	,, लालाराम	,,	,,	,,
24.	,, मादाराम	,,	,,	,,
25.	,, भैंरूराम	,,	,,	,,
26.	,, पुखराज	,,	,,	,,
27.	,, बालाराम	च.श्रे. कर्मचारी	,,	न. पा. फालना
28.	,, पारसमल	,,	,,	,,
29.	,, चिमना राम	सब नाकेदार	,,	,,
30.	,, मुमताज अली	क. लिपिक	,,	न. पा. आबू रोड
31.	,, पोलाराम	सब नाकेदार	,,	न. पा. जालौर
32.	,, सूजा राम	स. कर्मचारी	,,	,,
33.	,, रतन सिंह	सब नाकेदार	,,	,,
34.	,, हेमाराम	चौकीदार	,,	न.पा. पिण्डवाड़ा
35.	,, श्री करणाराम	च.श्रे. कर्मचारी	,,	,,
36.	,, भंवरलाल दवे	व. लि.	,,	न. पा. बालोतरा
37.	,, पीरुराम	सब नाकेदार	,,	,,
38.	,, ओमप्रकाश चारण	रा. नि.	,,	,,
39.	,, खंगाराम	च. लि.	,,	,,
40.	,, फोजाराम	बागवान	,,	न. पा. तख्तगढ़
41.	,, मगाराम	नाकागार्ड	,,	न. पा. बालोतरा
42.	,, सूजाराम	,,	,,	,,
43.	,, मोहनलाल	नाकेदार	,,	न. पा. सांचौर
44.	,, पदम सिंह	सब नाकेदार	,,	,,
45.	,, हरीराम रायल	च. श्रे. कर्मचारी	,,	न. पा. खेतड़ी

भंग नगरपालिका समदड़ी के सरप्लस कर्मचारियों के समायोजन की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी एवं पद		भंग नगरपालिका का नाम	समायोजित नगरपालिक का नाम
1	2		3	4
1.	श्री मदनलाल रामावत	नाकागार्ड	समदड़ी	न. पा. सुमेरपुर
2.	,, सायरमल	,,	,,	,,
3.	,, महेन्द्र सिंह	,,	,,	,,
4.	,, विजय राज	च. श्रे. क.	,,	
5.	,, बाबूलाल दवे	व. लि.	,,	न. पा. बाड़मेर
6.	,, श्यामलाल	नाकागार्ड	,,	न. पा. आबू पर्वत
7.	,, द्वारकाप्रसाद	,,	,,	,,
8.	,, भंवरदान चारण	,,	,,	,,
9.	,, कानसिंह	नाकेदार	,,	,,
10.	,, गंगाराम	बागवान	,,	न. पा. आबू रोड
11.	,, लच्छाराम	चौकीदार	,,	,,
12.	,, महिपाल सिंह	नाकागार्ड	,,	,,
13.	,, पूनमचन्द	नाकागार्ड	,,	,,
14.	,, मूलाराम	स. कर्मचारी	,,	न. पा. शिवगंज
15.	श्रीमती सुशीला	,,	,,	,,
16.	श्री लक्ष्माराम	,,	,,	,,
17.	,, चुनाराम	,,	,,	,,
18.	,, डूंगर राम	,,	,,	,,
19.	,, भंवरलाल	,,	,,	न. पा. जालौर
20.	,, चम्पालाल	सब नाकेदार	,,	,,
21.	,, खेतसिंह	नाकेदार	,,	,,

1		2	3	4
22.	श्री तुलसीदास	सब नाकेदार	समदड़ी	न. पा. जालौर
23.	,, बाबूलाल	सब नाकेदार	,,	,,
24.	,, अचलाराम	च.श्रे.क.	,,	न. पा. बालोतरा
25.	,, गजेन्द्र व्यास	स.रा. निरीक्षक	,,	,,
26.	,, चुन्नीलाल	जमादार	,,	न. पा. पिण्डवाड़ा
27.	,, छोटूराम	स. कर्म.	,,	,,
28.	,, मांगीलाल	,,	,,	,,
29.	श्रीमती सीतादेवी	,,	,,	,,
30.	श्री सोनाराम	,,	,,	,,
31.	श्री राजेन्द्र गहलोत	स.रा. निरीक्षक	,,	न. प. जोधपुर
32.	श्री चिमनाराम	सब नाकेदार	,,	न. पा. भीनमाल
33.	श्री नरसिंह दास	सब नाकेदार	,,	न. पा. सुमेरपुरा

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 709 की प्रति

कार्यालय उप-निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर

क्रमांक : स्था. नि. जो./जांच-91/2708 दिनांक : 16/7/91

श्रीमान शासन उप सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—श्री केसरीमल पुत्र श्री देवकरण अग्रवाल, नि. भीनमाल द्वारा आवासीय भूमि व्यवसायिक उपयोग लेने व दुकानों का हस्तान्तरण करने बाबत।

प्रसंग :—आपका पत्र सं. एफ. 22/6/
एल. एस. जी./91/477 दिनांक : 24–2–91

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण की मौके पर जाकर जांच करने पर पाया गया कि केसरीमल पुत्र श्री देवकरण को राजकीय आदेश संख्या एफ-2 अपील एल.एस.जी./78/लिट/192 दि. 8-12-78 द्वारा 5344 वर्ग गज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नियमित की गई थी परन्तु मौके पर तथा अधिशाषी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नियमन शुदा से अधिक 5581 वर्ग गज भू-भाग पर रहवास के साथ-साथ 18 दुकानें बनी हुई है। उक्त दुकान मय आवास श्री केसरीमल के निम्न वारिसों द्वारा नगरपालिका से इजाजत प्राप्त कर बनाई गई है—

1.	श्रीमती विमलादेवी पत्नी गुलाबचन्द	4 दुकानें
2.	श्री मोहनलाल पुत्र छगनलाल जी	4 दुकानें
3.	श्री भंवरलाल पुत्र गुलाबचन्द	4 दुकानें
4·	श्री धनराज पुत्र केसरीमल	8 दुकानें

406

इसके अलावा सर्वश्री मोहनलाल, चिरंजीलाल व हरिनारायण द्वारा नगर पालिका की इजाजत से सिर्फ आवास का निर्माण किया गया है।

पालिका के वर्तमान अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि श्री केसरीमल के वारिसानों द्वारा पालिका के अधिदर्शक की रिपोर्ट अनुसार 237 वर्ग गज अधिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है।

आवासीय भूमि में 1030-05 वर्ग गज पर पालिका के निम्न तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा आवास के साथ-साथ दुकानें (वाणिज्यिक) निर्माण की इजाजत दी गई है :—

1. श्री मोहनलाल पुत्र छगनलाल—आवास के साथ 4 दुकानों के निर्माण की इजाजत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर द्वारा दिनांक 16-4-82 को दी गई।

2. श्री भंवरलाल पुत्र गुलाबचन्द—दिनांक 16-4-82 को तत्कालीन अधिशाषी श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर द्वारा आवास के साथ दो दुकानों के निर्माण की इजाजत दी गई।

3. श्री गुलाबचन्द अग्रवाल—दिनांक 6-2-82 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर द्वारा आवास के साथ चार दुकानों के निर्माण की इजाजत दी।

4. श्री धनराज केसरीमल—दिनांक 16-4-82 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर द्वारा आवास के साथ आठ दुकानें निर्माण की इजाजत दी गई।

उक्त प्रकार समस्त 18 दुकानों के निर्माण की इजाजत तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर द्वारा बिना रूपान्तरण राशि जमा कराये दी गई है।

श्री केसरीमल के पुत्र श्री गुलाबचन्द द्वारा पालिका में पत्रावली संख्या 28/78–79 के नक्शे के अनुसार चार दुकानों सहित आवास के निर्माण की इजाजत मांगी थी। जो उसे दिनांक 6-2-82 को दी गई। श्री गुलाबचन्द ने एक इकरार नाम दिनांक 2-12-80 का प्रस्तुत किया है जिसमें इन दुकानों को अपनी पत्नी श्रीमती विमला देवी को बकसीस की है पालिका के रेकार्ड में यह सम्पत्ति श्रीमती विमला देवी के नाम दर्ज होना वर्तमान अधिशाषी अधिकारी ने बताया है तथा

जो दो दुकान व आवास अपने पुत्र के नाम करने का बताया गया है उसका कोई दस्तावेज नहीं पत्रावली है में गुलाबचन्द के पुत्र श्री भंवरलाल ने स्वयं ने दो दुकानें मय आवास निर्माण की इजाजत मांगी थी जो दिनांक 6-2-82 को पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा दी गई है। इस तरह अपनी पत्नी के नाम दुकानों के हस्तान्तरण की कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम 1959 के नियमानुसार होनी प्रतीत नहीं होती।

इस प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड पर बिना रूपान्तरण राशि जमा कराये वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानों के निर्माण की इजाजत देकर श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा भारी अनियमितता की गई है। अतः इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

जहां तक नियमित आवासीय भूखण्ड 5344 वर्ग गज की जगह 5581 वर्ग गज पर अनाधिकृत निर्माण किया गया है उस हेतु अधिशाषी अधिकारी को लिखा गया है कि वो श्री केसरीमल के वारिसों से जिन्हें पालिका द्वारा अलग-अलग इजाजत दी गई हैं का नाप मौके पर उनके सामने करवाये तथा नक्शा पेश करे साथ ही पता चल सके कि किस-किस के द्वारा कितना अनाधिकृत कब्जा आवासीय तथा वाणिज्यिक किया है। ताकि नियमानुसार उस समय की प्रचलित दर से राशि वसूली की कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त प्रकार से जांच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ व अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय

ह०/-

उप-निदेशक (क्षेत्रीय)

स्थानीय निकाय विभाग,

जोधपुर।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 710 की सूची

नगर पालिका बगरू में
सफाई कर्मचारियों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सूची

क्र. सं	व्यक्ति का नाम मय पिता	जाति	नियुक्ति दिनांक
1.	श्री चिरजी लाल पुत्र श्री बोदू	हरिजन	4-3-89
2.	,, श्योजी राम पुत्र श्री लादू	,,	,,
3.	,, सीताराम पुत्र श्री जमना प्रसाद	,,	10-3-89
4.	,, जगदीश पुत्र श्री छीतर मल	,,	,,
5.	,, नोरतन पुत्र श्री हनुमान सहाय	,,	,,
6.	,, गणेश पुत्र श्री मोला	,,	,,
7.	,, छीतर पुत्र श्री मोहन	,,	,,
8.	,, ग्यारसी लाल पुत्र श्री लीलाराम	,,	,,
9.	श्रीमती भंवर पत्नि श्री मोहन	,,	4-3-89
10.	,, गेंदी पत्नि श्री सीताराम	,,	,,
11.	,, शांति पत्नि श्री छीतरमल	,,	10-3-89
12.	,, विद्या देवी पत्नि श्री कन्हैयालाल	,,	,,
13.	,, सोडा पत्नि श्री मंगल	,,	,,
14.	श्री बद्री पुत्र श्री नारायण	,,	10-3-89
15.	श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि श्री रामचन्द्र रेगर	,,	10-3-89

409

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 716 की सूची

बड़ी खराबी वाले हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	पंचायत	ग्राम	हैण्डपम्प का स्थान	खराबी का विवरण
1	2	3	4	5
1.	आमेसर	आमेसर	कामरूदीन	पेडेस्टल में खराबी है
2.	,,	,,	बस स्टेण्ड पर	हैड में खराबी है
3.	ईरास	ईरास	पंचायत भवन	जी. आई. पाइप खराब है
4.	बदनोर	बदनोर	आमण	केसिंग पाइप में रूकावट
5.	बदनोर	बदनोर	उपतहसील	जी. आई. पाइप खराब है
6.	बदनोर	बदनोर	रेगर बस्ती	जी. आई. पाइप खराब है
7.	बदनोर	बदनोर	मिडिल स्कूल	जी. आई. पाइप खराब है
8.	जगपुरा	जगपुरा	गढ के पास	जी. आई. पाइप खराब है
9.	जगपुरा	जगपुरा	बस स्टेण्ड के पास	केसिंग पाइप खराब है
10.	जगपुरा	जगपुरा	बैरवा मोहल्ला	जी. आई. पाइप खराब है
11.	जगपुरा	जीवार	आमण	केसिंग पाइप में रूकावट
12.	जगपुरा	इन्द्रपुरा	माता जी के पास	जी. आई. पाइप खराब है
13.	शम्भूगढ़	शम्भूगढ़	पटवार घर	जी. आई. पाइप खराब है
14.	गांगलास	मोल का खेड़ा	शिव जी का स्थान	बियरिंग खराब है
15.	ओझियाणा	ओझियाणा	बस स्टेण्ड पर	बोर गिरा हुआ है
16.	ओझियाणा	लक्ष्मीपुर	रोड पर	जी.आई. पाइप/रोड खराब है
17.	चतरपुरा	चतरपुरा	स्कूल के पास	,,

1	2	3	4	5
18.	नेगडिया	साबदड़ा	हनुमान जी का स्थान	बोर गिरा हुआ है
19.	नेगडिया	नेगडिया	बलाई बस्ती	जी. आई. पाइप खराब है
20.	जालरियां	मोहरा	चार भुजा मन्दिर	,,
21.	जालरिया	मेरवड़ा	रामदेव जी का मन्दिर	,,
22.	रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा	रेगर बस्ती	हैंड/पाइप/रोड़ खराब है
23.	,,	,,	पेमा जी बलाई	केसिंग पाइप में रूकावट
24.	,,	बगता का खेडा	स्कूल के पास	,,
25.	तिलोली	तिलोली	गढ के सामने	पेडेस्टल खराब है
26.	,,	,,	भण्डा के पास	जी.आई. पाइप/रोड खराब है
27.	,,	,,	भील बस्ती	जी. आई. पाइप/ पेडेस्टल खराब है
28.	,,	करणगढ़	चार भुजा मन्दिर	सिलेण्डर खराब है/जी.आई पाइप/रोड खराब है
29.	,,	,,	पथवारी के पास	जी. आई. पाइप/रोड खराब है
30.	पालडी	पालडी	स. म.	जी. आई. पाइप खराब है
31.	,,	,,	बस स्टेण्ड पर	,,
32.	मोतीपुर	जबरकिया	रामदेवजी के पास	,,
33.	,,	,,	स्कूल के पास	,,
34.	,,	घोली	गढ के साम	,,
35.	बराणा	बराणा	बड के पास ढाणी	केसिंग पाइप में रूकावट
36.	बराणा	दूदिया	गोकल सुथमर	बोर गिरा हुआ है
37.	कांवलास	कांवलास	सीताराम जी शर्मा	जी. आई. पाइप खराब है
38.	कांवलास	कांवलास	हजारीजी ब्राह्मण	केसिंग पाइप में रूकावट
39.	कांवलास	मोखमपुरा	डेयरी के पास	सिलेण्डर खराब है
40.	लाछुडा	लाछुडा	स्कूल के पास	जी. आई. पाइप खराब है
41.	लाछुडा	लाछुडा	गुर्जर बस्ती	जी. आई. पाइप/रोड़ . खराब है

1	2	3	4	5
42.	परामोली	परामोली	खोह की निम्बड़ी	जी. आई. पाइप खराब है
43.	रतनपुरा(ला)	रतनपुरा	कुम्हीर मोह	जी. आई. पाइप/रोड खराब है
44.	,,	जोरावरपुरा	गुर्जर बस्ती	केसिंग पाइप में रूकावट
45.	चैनपुरा	सुंराज	शिवजी का मंदिर	,,
46.	परा	परा	गुर्जर बस्ती	जी. आई. पाइप खराब है
47.	,,	,,	कुम्हार बस्ती	,,
48.	,,	,,	पनघट की कुई	बोर में खराबी है
49.	,,	कुरडु काखेडा	गुर्जर बस्ती	,,
50.	आकडमाडा	आकडमाडा	प्याल के पास	हैड खराब है
51.	,,	,,	खटीक बस्ती	बोर में खराबी है।
52.	,,	गोपालपुरा	भील बस्ती	जी. आई. पाइप खराब है
53.	दडावर	केरिया खेड़ा	माताजी के पास	पेडेस्टऊ/हैड/पाइप/रोड खराब है
54.	,,	हथाड़ा	कुम्हार बस्ती	पेडेस्टल/हैड/पाइप/रोड खराब है
55.	बोरेला	प्रतापपुरा	खानाजी कुमावत	जी. आई. पाईप खराब है
56.	,,		नन्दा जी तेली	
57.	,,	दूंदिया सड की बाईया	मांगू जी गुर्जर	जी. आई. पाइप खराब है
58.	दौलतगढ़	दौलतगढ़	जोगियों की छतरी	पाइप खराब है
59.	,,	,,	मीणों वाली	
60.	,,	,,	पोस्ट आफिस	,,
61.	भोजपुरा	भोजपुरा	कलाल बस्ती	बोर में खराबी है
72.	,,	कोलपुरा	रावत बस्ती	हैड खराब है
63.	,,	,,	रोड़ पर	बोर में खराबी है
64.	,,	गोवलीया	कजोड बलाई	जी. आई. पाइप खराब है
65.	,,	बारणी	रामदेव जी का मन्दिर	जी. आई. पाइप खराब है

1	2	3	4	5
66.	भोजपुरा	रूपपुरा	स्कूल के पास	जी. आई. पाइप बढ़ाना है
67.	पाटन	पाटन	बलाई बस्ती	हैड खराब है
68.	रामपुरा	रामपुरा	बाजार में	जी. आई. पाइप खराब है
69.	,,	सौपोला	भील बस्ती	,,
70.	,,	,,	बाजार में	,,
71.	,,	गैनपुरा	तेजाजी का स्थान	,,
72.	,,	,,	चार भुजा मन्दिर	,,
73.	,,	जोधगढ़	खाती के मकान के पास	,,
74.	जालरिया	नुवालिया	जवारा/नाथु	जी. आई. पाइप बढ़ाना है
75.	रतनपुरा(मा)	खेड़ला	हनुमान जी	जी. आई. पाइप बढ़ाना है
76.	,,	,,	भील बस्ती माताजी के पास	जी. आई. पाइप/रोड़ खराब है
77.	,,	बडाद	घीसा मानसिह	,,
78.	रूपपुरा	कुराडों का खेड़ा	छोगा खाती	केसिंग पाइप में रूकावट
79	,,	बैरवा	घनगिरी	रोड़ खराब है
80.	,,	बागमोली	स्कूल के पास	नया सिलेण्डर लगाना है व जी. आई. पाइप खराब है
81.	,,	हदग्रों का खेड़ा	बलाई बस्ती	पेडेस्टल खराब है

413

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 718 का विवरण

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट मेन्यूअल 1991 के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने की मात्रा के निर्धारित मापदण्ड इस प्रकार हैं:—

(अ)	20,000 तक जन संख्या वाले समुदाय	70–100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(ब)	20,000 से 1,00,000 तक जनसंख्या वाले समुदाय	100–150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(स)	1,00,000 से अधिक जन संख्या वाले समुदाय	150–150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

वर्तमान में निम्नानुसार मात्रा वितरित की जा रही है।

(1) जयपुर 130 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत
(2) जोधपुर 103 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत
(3) कोटा 270 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत
(4) अजमेर 81 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत

परिशिष्ट "ख"

अजमेर शहर की नल योजना से अलाभान्वित बस्तियों व कोलोनियों की सूची

1. सांसी बस्ती, साधु बस्ती, हरिजन बस्ती, भगवान गंज, घनश्याम वेल्डिंग गली, कन्हैया गली, जमनाबाई के मकान के पास, भगवानगंज।
2. बेलदार गली, त्यागी गली व डी. ए. वी. कालेज के टैंक के पीछे गोविन्दनगर।
3. गणेश नगर।
4. साकेत नगर।
5. राजीव कालोनी, सुभाष नगर।
6. खानपुरा।
7. दोराई घडा।
8. हटुण्डी।
9. माइक्रोवेव कालोनी।
10. संगम विहार कालोनी जोन्सगंज।
11. इन्द्रा कालोनी जोन्सगंज।
12. विजयसिंह पथिक नगर घोलाभाटा।
13. केसरी नगर, आदर्श नगर।
14. जगदम्बा कालोनी।
15. नया घर गुलाब बाडी।
16. नई बस्ती गुलाब बाड़ी।
17. शक्तिनगर नाकामदार।
18. विष्णु, हिल टाउन अ, ब, स।
19. घुघरा घाटी।

UY

20. इन्द्रा कालोनी मीरशाहग्रली।

21. चुंगी नाका मीरशाहग्रली।

22. पीली रूपपन लोहा खान।

23. दाता नगर रेम्बल रोड़।

24. राजीव नगर ग्रासेंड।

25. दयानन्द कालोनी रामनगर।

26. गीता नगर रामनगर।

27. कृष्णानगर रामनगर।

28. फाईसागर रोड़ (प्रेम नगर से फाईसागर रोड़)।

29. रिजनल कालेज रोड़।

30. वड वाव इन्दर कोट।

31. गरीब नवाज, गली इन्दर कोट।

32. हरिजन बस्ती, रामगंज।

33. हरिजन बस्ती, ग्रादर्श नगर।

34. प्रेम नगर।

35. शिव नगर।

36. नायब बस्ती, पहाड़ गंज।

37. 13 क्वाटर पहाड़गंज।

38. कृष्ण कन्हैया कालोनी, मलुसर रोड़।

39. सांखला कालोनी, राबड़िया मोहल्ला, ग्रादर्श नगर।

40. संजय नगर, पोस्टमेन रोड़, हवा महल रोड़ व नागफणी क्षेत्र।

41. जादूगर बस्ती, श्रीनगर रोड़।

42. ग्रशोक नगर भट्टा।

43. जवाहर नगर।

44. विद्या नगर।

45. कपूर की बगीची ।
46. परबतपुरा ।
47. माखुपुरा ।
48. शान्तिपुरा विकास समिति ।
49. ओमनगर ।
50. आनन्दपुरी ।
51. नयी बस्ती सोफिया कालेज के पीछे ।
52. सर्वोदय कालोनी ।
53. चन्दन नगर विकास नगर व न्यू चन्द्र नगर कालोनी ।
54. कुन्दन नगर ।
55. ब्यावर रोड़ नयी बस्ती ।
56. कल्याणीपुरा ।
57. घालोभाटा गांव ।
58. रेगर मोहल्ला नरसिंग पुरा ।
59. पहाड़गंज गुर्जर बस्ती ।
60. पहाड़गंज जनता कालोनी ।
61. पहाड़गंज जटिया कालोनी ।
62. मीणा बस्ती भगवानगंज के पास ।
63. सन्त नामदेव कालोनी पांचू नगर ।
64. अशोक बिहार नारीशाला के पीछे ।
65. नयी बस्ती गढी मालियान ।
66. गढी रोड़ पुलिया के पास ।
67. पीर रोड़, पुलिया के पास ।
68. विवेकानन्द कालोनी अजय नगर ।
69. शिवाजी कालोनी सुभाष नगर ।
70. कंजरों की गंगा सुभाष नगर ।

71. बालुपुरा रोड़ आदर्श नगर।

72. देशवाली मुस्लिम गली लोहाखान।

नगर सुधार न्यास से सम्बन्धित कालोनियों/बस्तियों की सूचि

73. चारण शोध संस्थान।

74. घोलामाटा विस्तार योजना।

75. "बी" ब्लाक वैशाली नगर।

76. एल. एम. एच. ब्लाक वैशाली नगर।

77. नाका मदार कालोनी।

78. अर्जुनलाल सेठी नगर।

79. खनिज नगर आदर्श नगर।

80. "ए" ब्लाक वैशाली नगर।

81. रति डांग।

82. चोरसियां वास।

(M18)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 719 की सूची

सुजानगढ़ क्षेत्र की उन योजनाओं की सूची जिन्हें 40-70 लीटर के आधार पर पुर्नगठन करना शेष है

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1.	सेठों की ढाणी भाग प्रथम	योजनाएं बनाई जा रही हैं।
2.	मगलूना शोभासर	,, ,, ,,
3.	मगलूना भाग द्वितीय	,, ,, ,,
4.	मालासी मारोलिया	,, ,, ,,
5.	सेठों की ढाणी भाग द्वितीय	योजनाएं बनाई जानी शेष हैं।
6.	गोपालपुरा चाड़वास	,, ,, ,,
7.	मगलूना लोडसर	,, ,, ,,

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 726 का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	गांव का नाम	कोड नं.	आबादी 1981
1	2	3	4	5
1.	कोटडा	कोटड़ा	73	1812
		बाड़िया मोटा	68	175
		सिलीबरी	72	166
		बोड़िया अजबा	69	178
		बाड़िया गेना	70	277
		बाड़िया तेजा	71	59
				2667
2.	राजियावास	राजियावास	166	1831
		कालींजर	162	1398
				3229
3	बराखन	बराखन	122	659
		नेगड़िया	128	431
		गोगेला	123	284
		घोलादांता	124	246
		रोडियाना	125	317
		मेडियाखेड़ा कलां	126	1024
				2961

1	2	3	4	5
4.	बड़ा खेड़ा	बड़ा खेड़ा	134	2647
		अमरपुरा (कालादांता)	152	194
				2841
5.	तारागढ़	तारागढ़	135	197
		दादोला	111	1374
		रूदाना	136	707
		नया खेड़ा	110	526
				2804
6.	सूरजपुरा	सूरजपुरा	106	742
		बाडिया भाउ	104	438
		बनारखेड़ा	144	110
		कालिया II पीथावास	105	388
		,, II बांसरूपा	103	346
		,, II बांस दुर्गा	107	237
		,, II आंसलाला	102	99
				2360
7.	लोटियाना	लोटियाना	139	1247
		सोनियाना	138	843
		बिहार रतनपुरा	140	891
				2781

(421)

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या-728 का विवरण एवं सूची

ORGANISATION OF URBAN WATER SUPPLY SCHEME, SIROHI

GENERAL ABSTRACT OF COST

S.No.	PARTICULARS	COST (Rs. in lacs)
1.	Provision for source	6.68
2.	Provision for Pumping Machineries	3.23
3.	Provision for Rising Hains	54.56
4.	Provision for Distribution Lines	13.29
5.	Provision for Service Reservoir	16.35
6.	Provision for Pump House and Switch Room	1.80
7.	Provision for Power Councetion	1.50
8.	Provision for Land Acquisition	1.03
9.	Provision for Civil Works	4.85
10.	Provision for Tools & Plants	0.50
		103.66
	Add : 4% for W. C. Establishment and contingencies	4.66
	Add : 11% Pro-rata charges	11.40
		119.72

Rs. : 119.72 lacs only

Assistant Engineer
P. H. E. D. Subdh, Sirohi

Executive Engineer
P. H. E. D. D. N., Sirohi

सिरोही जिले की अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियां जिन्हें पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

क्र.सं.	तहसील	अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती का नाम	गांव/कस्बे का नाम	कोड नं.	आबादी (1981) की जनगणनानुसार	
					अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.	सिरोही	मेघवालवास	मांडवा	28	78	150
2.	„	मेघवालवास नईबस्ती	अणोर	22	140	20
3.	„	भीलों का बास	करजाल		100	—
4.	„	मेघवाल बस्ती	माडिया	46	125	—
5.	शिवगंज	भीलों का बास	केसरपुरा	39	—	100
6.	„	कुकरी खेड़ा पुराने हैण्डपम्प के पास	कुकरी खेड़ा	44	56	—
7.	सिरोही	मेघवालवास	जामोतरा	5	190	—
8.	„	हीरागर वास	गोईली	27	170	—

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 732 की सूची

विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं से तहसीलवार लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	योजना का प्रकार	तहसीलवार लाभान्वित ग्रामों की संख्या										
		डूंगला	प्रतापगढ़	छोटी सादड़ी	बड़ी सादडी	बेगूं	निम्बाहेड़ा	राशमी	चित्तोडगढ़	गंगरार	कपासन	भदेसर
1.	पाईप्ड जल प्रदाय योजना	5	4	—	3	3	3	6	5	4	7	3
2.	पनघट ,, ,,	—	—	2	—	—	4	—	—	4	—	—
3.	क्षेत्रीय ,, ,,	—	3	1	1	—	1	1	—	—	1	2
4.	हैण्ड पम्प	94	466	131	129	338	141	64	176	149	172	125

शहरी जल प्रदाय योजनाएँ

1. चित्तोड़गढ़
2. बेगूं
3. कपासन
4. प्रतापगढ़
5. निम्बाहेड़ा
6. छोटी सादड़ी
7. बड़ी सादड़ी

विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं से तहसीलवार लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं. तहसील का नाम	लाभान्वित ग्राम का नाम	योजना का प्रकार
1. डूंगला	1. छिकारडा	पाईप्ड योजना
	2. मंगलवाड़	,,
	3. मोरबन	,,
	4. डूंगला	,,
	5. पालोद	,,
2. प्रतापगढ़	1. अरनोद	,,
	2. दलोट	,,
	3. निनोर	,,
3. छोटी सादडी	1. गोमाना	पनघट योजना
	2. केसुन्दा	,,
4. बडी सादडी	1. बांसी	पाइप्ड योजना
	2. बोहडा	,,
	3. निकूम	,,
5. बेगूं	1. मीचोर	,,
	2. पारसोली	,,
	3. भैंसरोडगढ़	,,
6. निम्बाहेडा	1. बडोली माधोसिंह	पनघट योजना
	2. मांगरोल	,,
	3. लसडावन	,,
	4. संतखण्डा	,,
	5. कनेरा	पाइप्ड योजना
	6. अरनोदा	,,
	7. बिनोता	,,

1	2	3	4
7.	राशमी	1. राशमी	पाइप्ड योजना
		2. पहुना	,,
		3. डिडोली	,,
		4. आरती	,,
		5. भीमगढ	,,
		6. रूप	,,
8.	चित्तौडगढ़	1. विजयपुर	,,
		2. विजयपुर	,,
		3. गिलूण्ड	,,
		4. चिटियावाली	,,
		5. सावा	,,
9.	गंगरार	1. साडास	,,
		2. गंगरार	,,
		3. सुतियाणा	,,
		4. पुठोली	,,
10.	कपासन	1. मुगाना	,,
		2. सिंहपुर	,,
		3. थमाना	,,
		4. ताणा	,,
		5. जाशमा	,,
		6. आकोला	,,
		7. भोपालसागर	,,
11.	भदेसर	1. भदेसर	,,
		2. मादसोडा	,,
		3. मन्डफिया	,,

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 734 की सूची

क्र. सं.	कस्बे का नाम	योजना का प्रकार	योजना स्वीकृति का वर्ष
1.	लाखेरी	नगरीय पाईप्ड योजना	1970-71
2.	,,	पुर्नगठित पाईप योजना	1981-82
3.	,,	पुर्नगठित योजना (योजना)	1984-85
4.	केशवरायपाटन	नगरीय पाइप्ड योजना	1968-69
5.	कापरेन	ग्रामीण पाईप्ड योजना	1975-76

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न वर्षों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत लाखेरी कस्बे में अब तक 1 नलकूप तथा 49 हैण्ड पम्प, केशवरायपाटन कस्बे में 11 हैण्ड पम्प व कापरेन कस्बे में एक नलकूप व 13 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाकर लगाये हैं।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 741 की सूची

8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में सहकारिता क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में लगने वाले सम्भावित उद्योग

क्षेत्र	इकाई एवं स्थान	अनुमानित लागत	अनुमानित रोजगार (संख्या)
1	2	3	4
सहकारिता क्षेत्र			
1.	दौसा, सीकर, टोंक एवं चित्तौड़गढ़ में तेल मिलें	50.00 करोड़ रु.	—

1	2	3	4
2.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में तिलहन एवं कपास पर आधारित मिलें इनकी परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार होनी शेष है, अतः कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, बताया जाना सम्भव नहीं है।	40.00 करोड़ रु.	—
सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	मै. इन्स्ट्रयूमेंटेशन लि. जयपुर (अनइन्टरेप्टेड पावर सप्लाई)	700 लाख रु.	150
2.	मै. इन्स्ट्रयूमेंटेशन लि. जयपुर (इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज)	2000 लाख रु.	200
3.	डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रोनिक्स भारत सरकार, जयपुर (कम्प्यूटर साफ्टवेयर पार्क)	600 लाख रु.	120
संयुक्त क्षेत्र			
	शून्य	—	—

नोट :—8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अप्रेल 1992 से मार्च 1997 है। अतः उक्त अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली औद्योगिक इकाईयों की स्थापना विषयक कार्यवाही की जावेगी।

गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु किये गये प्रयासों व उनके परिणाम सम्बन्धी विवरण

(1) इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम हेतु तीसरी इकाई जो कि लगभग 200 करोड़ रुपये के केन्द्रीय विनियोजन से सार्वजनिक क्षेत्र में 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है, को राजस्थान में लगाने हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डवलपमेन्ट कार्पोरेशन की वी. सी. आर. एवं वी. सी. पी. परियोजना जिसकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपये की थी, की राज्य में स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की कमी व अन्य कारणों से उक्त परियोजना का परित्याग कर दिया गया।

(3) गैस आधारित रसायनिक/अमोनिया आधारित काम्पलेक्स की राजस्थान में स्थापना हेतु केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय से अनुरोध किया गया। प्रकरण अभी भारत सरकार के विचाराधीन है व इस सम्बन्ध में उनके अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

(4) मथुरा रिफाइनरी से प्रति वर्ष 2.00 लाख टन नेफ्ता प्रस्तावित औद्योगिक काम्पलेक्स हेतु उपलब्ध कराने बाबत केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया। भारत सरकार के इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

(5) कम्प्यूटर साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की जयपुर में स्थापना करने हेतु, केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स विभाग से अनुरोध किया। डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स, भारत सरकार ने वित्तीय व अन्य कारणों से उक्त परियोजना को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में फिलहाल शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की है। केन्द्र सरकार के सुझाव पर यह परियोजना राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टेसन लि. द्वारा कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में लगायी जा रही है। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर उपरोक्त परियोजना का केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स विभाग (डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स) द्वारा अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

(6) निर्यात प्रोसेसिंग जोन/फ्री ट्रेड जोन की जयपुर में स्थापना करने हेतु केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालय से अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर में वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने अवगत कराया है कि निकट भविष्य में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन/फ्री ट्रेड जोन स्थापित किये जाने का कोई विचार नहीं है तथापि जब भी अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करना होगा तब राजस्थान की दावेदारी पर भी पर्याप्त विचार किया जायेगा।

(7) केन्द्र सरकार से इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान में लगाने का आग्रह किया गया था। मैसर्स इन्स्ट्रयूमेन्टेशन लि. के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज परियोजना, सीतापुरा, जयपुर में स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही अनइन्टरप्टेड पॉवर सप्लाई परियोजना हेतु भारत सरकार से किये गये अनुरोध के फलस्वरूप मैसर्स इन्स्ट्रयूमेन्टेशन लि. द्वारा उक्त परियोजना जयपुर में स्थापित की जा रही है।

(8) नेशनल इन्स्टीट्यूट फार ज्वेलरी डिजाइन एण्ड डवलपमेण्ट, की जयपुर में स्थापना करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उक्त इन्स्टीट्यूट हेतु भूमि आवंटन व कतिपय अन्य सुविधाएँ राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त करने का अनुरोध किया गया। जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(9) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, मद्रास द्वारा अन्य शहरों की भांति जयपुर में प्लास्टिक औद्योगिक इकाईयों हेतु प्रशिक्षण एवं नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विस्तार केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने उक्त विस्तार केन्द्र हेतु भूमि एवं भवन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया परन्तु भारत सरकार द्वारा ये सूचित किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त विस्तार केन्द्र खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

(10) टूल रूप-कम-ट्रेनिंग सेन्टर की जयपुर में स्थापना करने हेतु राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया था। उक्त सेन्टर हेतु भूमि राज्य

सरकार द्वारा प्रदत्त की जानी थी। उक्त सेन्टर की लागत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लगभग 562.00 लाख रुपये अनुमानित की गई है इसमें से 225.00 लाख रुपये का हिस्सा राज्य सरकार एवं 337.00 लाख रुपये यू. एन. डी. पी. से आर्थिक सहायता के रूप में लिया जाना प्रस्तावित हुआ। परन्तु राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया कि उक्त 225.00 लाख रुपये की राशि भारत सरकार ऋण के रूप में प्रदान करे, क्योंकि राज्य के आर्थिक स्त्रोत सीमित हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को संशोधित योजना बनाकर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। संशोधित रिपोर्ट तकनीकी परामर्श से बनाने की कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 743 की सूची

राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची

जिला–भरतपुर

क्र. सं	स्मारक/स्थान/वस्तु का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	किला (कमरा खास, पुराना किला, किशोरी महल, किले के अन्दर का भाग) शहर की कच्ची चहार दीवारी	भरतपुर	भरतपुर
2.	चौबुर्जा अथवा गबी खेमकरण	,,	,,

1	2	3	4
3.	प्राचीन प्रसाद	कुम्हेर	,,
4.	जलमहल	,,	,,
5.	होल्कर की छतरी	गंगोर सोती	,,
6.	किला	डीग	,,
7.	छत्ता प्राचीन प्रसाद	,,	,,
8.	प्राचीन प्रासाद	कामां	,,
9.	लाल दरवाजा	,,	,,
10.	अकबर के कोस चिन्ह	,,	,,
11.	अकबर के कोस चिन्ह	,,	,,
12.	कामेश्वर महादेव का मन्दिर	,,	,,
13.	प्राचीन कुआँ	,,	,,
14.	धर्मराज का कुआँ	,,	,,
15.	सूरज का मन्दिर	सतवास	,,
16.	मुस्लिम कब्रें तथा सहले खां की कब्र	सहसान	,,
17.	किला	वैर	,,
18.	प्रसाद तथा वाटिका	वैर	,,
19.	बलदेव जी के मन्दिर में पत्थर काट कर बनवाई गई प्रतिमा	रूपवास	,,
20.	काले खां का मकबरा	बयाना	,,
21.	बारह खम्भों की छतरी	,,	,,
22.	विजय मन्दिर गढ़ के मार्ग में चतरियां	,,	,,
23.	मुहम्मद गौरी के सेनापति की छतरी	नदबई	,,

M32

भरतपुर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों/प्राचीन अवशेष स्थलों की सूची

1. अकबर की छतरी, बयाना
2. प्राचीन किला व स्मारक, बयाना
3. ब्रह्म्माबाद, ईदगाह, बयाना
4. लालशाह दरवाजा, बयाना
5. जहांगीर दरवाजा, बयाना
6. झांझरी, बयाना
7. सूरज सादुल्ला, बयाना
8. उषा मन्दिर, बयाना
9. भरतपुर किले के बाहर, दिल्ली दरवाजा, भरतपुर
10. अनाह दरवाजे के पास फतह बुर्ज, भरतपुर
11. भरतपुर किले के अन्दर जवाहर बुर्ज व अष्टधातु दरवाजा
12. डीग भवन (महल) डीग
13. लूट से मिली तोप, डीग
14. सफेद संगमरमर का झूला, डीग
15. कच्चा बाग, डीग
16. चौरासी खम्भा मन्दिर, कामां
17. प्राचीन अवशेष स्थल, मलाह
18. प्राचीन अवशेष स्थल, नोह
19. यक्ष प्रतिमा, नोह
20. लाल महल, रूपवास
21. भरतपुर किले की परिखा, भरतपुर
22. लोदी की मीनार

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 748 की सूची

सोडाला क्षेत्र में अवैध भांग की खेती में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आबकारी अभियोग का विवरण

क्र. सं.	वृत का नाम	अभियोग संख्या	अभियोग दिनांक	अभियुक्त का नाम	पिता का नाम, जाति	सकूनत	पकड़ी गई भांग की मात्रा
1	2	3		4	5	6	7
1.	सागानेर	12	31-5-79	1 श्री भगवान	श्री राम माली	सीवेज फार्म	57 पौधे भांग के
				2 श्री खेमचन्द	श्री राम माली	सीवेज फार्म	
				3 श्री प्रकाश	श्री चन्दालाल माली	सीवेज फार्म	
2.	सागानेर	13	31-5-89	1 श्री दुर्गालाल	श्री विजयपाल माली	सीवेज फार्म	120 पौधे भांग के
				2 श्री मोरीलाल	श्री विजयपाल माली	सीवेज फार्म	
3.	जयपुर पश्चिम	3	31-5-89	1 श्री गणेश नारायण	श्री गोपीराम माली	सीवेज फार्म	45 पौधे भांग के
4.	जयपुर उत्तर	8	31-5-89	1 श्री मोती खां	श्री साबिर हुसैन मुसलमान	सोडाला, मुर्गी खाने के पीछे	18 बोरी भांग पत्ती सूखी

1	3	3	4	5	6	7
			2 श्री चौथमल	श्री कालू मेहरा	सुशीलपुरा, सोडाला	
			3 श्री बद्री	श्री मौरीलाल दरोगा	नोरंगपुरा (टोंक)	
			4 श्री गोपाल	श्री नारायण गूर्जर	बारेड़ा, किशनगढ़	
					केकड़ी, पी. एस. सरवाड़	
5. सांगानेर	14	1-6-89	1 श्री ओमप्रकाश उर्फ पप्पू	श्री हेमचन्द माली	19, मगतवाटिका के पीछे सिविल लाइन्स	35 पौधे भांग के
6. जयपुर	4	1-6-89	1 श्री मूलचन्द	श्री लक्ष्मीनारायण माली	18, मगतवाटिका के पीछे सिविल लाइन्स	64 पौधे भांग के
7. प्रहराधिकारी जयपुर दक्षिण	16	1-6-89	1 श्री ललित शरण	श्री सुआलाल ब्राह्मण	सीवेज फार्म खसरा नं. 22 से 27	300 पौधे भांग के
			2 श्री राम शरण	,, ,,	,,	
			3 श्री महेश शरण	,, ,,	,,	
			4 श्री श्याम शरण	,, ,,	,,	
8. जयपुर दक्षिण	17	2-6-89	1 श्री देवीलाल	श्री मांगीलाल कुमायत	सीवेज फार्म के पास	25 पौधे भांग के
			2 श्री श्योराज	श्री लादू माली	,,	

1	2	3		4	5	6	7
9.	जयपुर उत्तर	9	2-6-89	श्री उम्मेद सिंह	श्री रामगोपाल गूर्जर	मोहन नगर कच्ची बस्ती ब्रह्मपुरी	300 पौधे मांग के
10.	जयपुर पूर्व	11	3-6-89	श्री बुद्धि प्रकाश	श्री पांचूलाल माली दत्तक पुत्र श्री मांगीलाल	63, मंगला मार्ग ब्रह्मपुरी	730 पौधे मांग के
11.	जयपुर दक्षिण	18	3-6-89	श्री सत्यनारायण	श्री नाथूलाल सैनी	खण्डेलवाल स्कूल के आगे, सीताराम कालोनी जयपुर	76 पौधे मांग के

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 749 का विवरण

संगरिया विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालयों से वर्ष 1991 में लाभान्वित रोगियों की कुल एवं औसत संख्या का विवरण :—

क्र.सं.	स्थान औषधालय	वर्ष 1991 की लाभान्वित रोगी संख्या	
		वार्षिक	मासिक औसत
1.	नूरपूर ढाण	4673	389
2.	खेरुवाला	4624	385
3.	बनवाली	6187	516
4.	सादूलशहर	12467	1039
5.	लालग-जाटान	12726	1061
6.	मन्नीवाली	6617	551
7.	ताखडा वाली (77 के डब्लू)	2833	236
8.	अमरपुरा जालू	10529	877
9.	कीकरवाली	7891	658
10.	नगराना	7591	624
11.	कालवासिया	4772	398
12.	हरिपुरा	5192	433
13.	दूलपुरा	2536	211
14.	हरिणावाली	8683	724

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 750 की सूची

बाड़मेर जिले में संचालित/स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान औषधालय	क्र.सं.	स्थान औषधालय
1	2	1	2
'अ' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय			
1.	बाड़मेर	2.	बालोतरा
3.	सिवाना	4.	उमरलाई
5.	जसोल	6.	पाटौदी
7.	चौहटन	8.	पचपदरा
9.	गूढामालानी	10.	धोरी मन्ना
11.	बायतू (भीम जी)	12.	समदड़ी
13.	मोकलसर	14.	करमावास
15.	खण्डप	16.	हरसाणी
"बी" श्रेणी औषधालय			
1.	साजीयाली रूपजी	2.	आसोतरा
3.	अलाडा	4.	टापरा
5.	कालेवा	6.	समरकिया पुरोहितान
7.	परालिया	8.	शिवनगर
9.	तिमरखिया (बायतू)	10.	बाछराऊ
11.	गंगाला	12.	विशाला
13.	सज्जन का पार	14.	सेतराऊ

1	2	4	2
15.	जसई	16.	भूरटिया
17.	पाण्डी का पार	18.	संगेरा
19.	उण्डरवा	20.	नवातला जेठमालोतान
21.	बावड़ी कलां	22.	बीसासर
23.	बिजराड	24.	स्वरूप कातला
25.	कोनरा	26.	जानपालिया
27.	अरनियाली	28.	धूंधू
29.	सिन्धसवाहरनिया	30.	भूणिया
31.	बामडला	32.	भड़ांणा
33.	बामनोर	34.	सेमनीयाला
35.	गंगासरा	36.	सणाया
37.	रतनपुरा	38.	सुदाबेरी
39.	रावतसर	40.	नोखडा
41.	होडू	42.	सिणधरी (चौसिरा)
43.	दाखा	44.	जूनामीठा खेड़ा
45.	महलू	46.	खुडाला
47.	कोशल	48.	सवाईपदम सिंह
49.	बोखरा	50.	भाडरवा
51.	स्टेशन कबास उर्फ ढूढा	52.	पादरू
53.	राखी	54.	जेठन्तरी
55	रानीदेशीपुरा	56.	बामसिन
57.	सेवाली	58.	कुण्डल
59.	बिठोडा	60.	नीम्बला
61.	गिराब	62.	कोटडा
63.	खानियानी	64.	जयसिंहपुर
65.	उण्डू	66.	खुडीन बड़ी
67.	शहदाद का पार	68.	आरावा दुधावतान
69.	खेडपन्दिर	70.	कोटड़ी

1. चल चिकित्सालय इकाई, बाड़मेर

बाडमेर जिले में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के नवीन स्वीकृत "बी" श्रेणी औषधालयों की सूची

क्र.सं.	स्थान औषधालय	जिला	चिकित्सा पद्धति
वर्ष 1989-90			
1.	सुदावेरी	बाडमेर	आयुर्वेद
2.	मिठोडा	,,	,,
3.	कोराल	,,	,,
4.	रोडमन्दिर (बालोतरा)	,,	,,
वर्ष 1990-91			
1.	अरावादुधावतान	बाडमेर	आयुर्वेद

जिला बाड़मेर में कोई भी औषधालय गत दो वर्षो में क्रमोन्नत नहीं किया गया।

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 751 का विवरण

आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथ चिकित्सकों/नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारकों के दिनांक 3 मार्च, 1990 को रिक्त पद गत दो वर्षों में दी गई नियुक्ति तथा वर्तमान में नियुक्ति हेतु स्पष्ट रिक्त पदों का विवरण :—

क्र.सं.	नाम पद	3-3-90 को रिक्त पद	गत दो वर्षों में नियुक्ति संख्या	वर्तमान में नियुक्ति हेतु रिक्त पद संख्या
1.	आयुर्वेद चिकित्सक	261	414	35
2.	यूनानी ,,	26	24	05
3.	होम्योपैथ ,,	23	1	30
4.	नर्स/कम्पाउण्डर	50	294	32
5.	परिचारक	372	293	287

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न संख्या 752 की सूची

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : प्रति-6/कम्पा. नर्स/डी.पी.सी./86/23185 दिनांक : 30-7-1986

कार्यालय–आदेश

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24(2) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ कम्पाउण्डर/नर्स को वरिष्ठ नर्स/कम्पाउण्डर के पद पर "वरिष्ठता एवं योग्यता" (सीनियरिटी कम मेरिट) के आधार पर चयन कर अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिये तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है ।

क.सं.	नाम कम्पा. नर्स/पिता-पति	जन्म दिनांक
1	2	3
1.	श्री तुलसीदास वैष्णव/गोपालदास	29-10-35
2.	,, छगनलाल जोशी/भगवानदास	29-1-34
3.	,, मदनगोपाल/जमनालाल	18-3-33
4.	,, हरिप्रसाद शर्मा/घनश्याम	15-6-42
5.	,, शिवकुमार चतुर्वेदी/भगवतीलाल	22-2-33
6.	,, जगदीशलाल पालीवाल/गणेशलाल	11-10-35
7.	,, रामरख शर्मा/संगराम	28-3-35
8.	,, मारुतीनन्दन शर्मा/राधाकृष्ण	1-8-32
9.	,, मोहनलाल जोशी/कन्हैयालाल	31-12-33

1	2	3
10.	श्री भंवरलाल/गोरधनलाल	5-4-35
11.	,, चतुरसिंह झाला/बालकिशन	7-5-36
12.	,, सुखदेव सिंह/शंकरलाल	21-7-39
13.	,, गौरीशंकर जोशी/नारायणदत्त	13-12-33
14.	,, राधेश्याम शर्मा/रूपनारायण	10-3-36
15.	श्रीमती प्रभावती दोषी/नानालाल	11-3-38
16.	श्री मनोहरलाल मंडावत/कालूराम	5-4-36
17.	,, रामकिशोर/रूपनारायण	3-4-39
18.	,, नारायणलाल श्रीमाली/रामलाल	1-6-36
19.	,, तमरसिंह झाला/तख्तसिंह	17-9-38
20.	,, दामोदरलाल सुखवाल/नारायणलाल	27-10-36
21.	,, मदनमोहन शर्मा/दुर्गाप्रसाद	20-7-37
22.	,, प्रभूदयाल वर्मा/मदनलाल	1-1-36
23.	,, तीर्थराम/चिमनलाल	1-2-40
24.	,, ताराचन्द सैनी/टेकचन्द	13-8-40
25.	,, चौथमल शर्मा/गिर्राजप्रसाद	1-11-37
26.	,, हरिप्रसाद पाराशर/रामस्वरूप	7-10-40
27.	,, हेमराम कुमावत/औंकारमल	6-12-39
28.	,, पन्नालाल नाहर/रांकीलाल	1-7-37
29.	,, दामोहरलाल तिवाड़ी/चिरंजीलाल	15-1-36
30.	,, महेशचन्द शर्मा/मखनलाल	5-5-39
31.	,, मोहनलाल शर्मा/बालाजी	26-9-35
32.	,, प्रेमराज शर्मा/बद्रीलाल	1-7-36
33.	,, चन्द्रशेखर नागेदा/हरिबल्लभ	6-6-30
34.	,, शिवशंकर शर्मा/कल्याण सहाय	4-12-37
35.	,, लादूराम महात्मा/फौजमल	26-11-31

1	2	3
36.	श्री घनश्यामलाल शर्मा/गंगासहाय	15-10-40
37.	,, मोमनराम शर्मा/खेतराम	25-8-33
38.	,, श्यामसुन्दर भट्ट/मोतीलाल	25-9-34
39.	,, प्रभूदयाल/मूलचन्द	8-1-38
40.	,, रामचन्द्र शर्मा/उदयलाल	7-7-37
41.	,, रामदेवसिंह/कुशालराम	9-1-39
42.	,, राधेश्याम शर्मा/रामकृष्ण	3-2-36
43.	,, कृष्णलाल गर्ग/गंगाराम	1-7-38
44.	श्रीमती सावित्रीदेवी व्यास/रामगोपाल	13-8-34
45	श्री रामनारायण आचार्य/पृथ्वीराज	5-6-39
46.	श्रीमती विमलादेवी जैन/नाथूराम	5-8-40
47.	श्री महेशचन्द व्यास/लक्ष्मीनारायण	5-4-36
48.	,, ईश्वरप्रसाद सनाढ्य/चुन्नीलाल	28-11-39
49.	,, रामचन्द्र सुखलाल/पुरुषोत्तम	10-2-39
50.	,, रूपकिशोर गुप्ता/गिर्राजप्रसाद	23-12-39
51.	,, लादूलाल व्यास/देवीलाल	3-11-40
52.	,, गंगाधर व्यास/चन्द्रशेखर	8-5-39
53.	,, दीनदयाल शर्मा/मालीराम	5-6-34
54.	,, रतनलाल पालीवाल/भंवरलाल	5-4-38
55.	,, ललितमोहन दवे/विष्णुबल्लभ	13-12-43
56.	,, श्रीनिवास शर्मा/दीनानाथ।	20-10-36
57.	,, पुरुषोत्तमलाल सुखलाल/मोतीलाल	15-7-39
58.	,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा/अख्ताराम	25-9-37
59.	,, नारायणदास बैरागी/मनसुखदास	11-11-31
60.	,, दीनदयाल शर्मा/जगदम्बा प्रसाद	19-12-37
61.	,, कन्हैयालाल छीपा/नारायणलाल	27-7-35

1	2	3
62.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा/जयनारायण	6-8-37
63.	,, राधेश्याम शर्मा/मस्तराम	16-7-38
64.	,, कांतीलाल पाण्डेय/जयशंकर	8-7-35
65.	,, दुर्गाप्रसाद पोखरा/प्यारचन्द	30-11-36
66.	,, पन्नालाल उपाध्याय/बालाबक्स	8-7-38
67.	,, दीपचन्द यादव/हरचन्द	11-5-35
68.	,, कैलाशचन्द शर्मा/भूरजीमल	15-4-35
69.	,, सदाशिव दशोरा/सोहनलाल	9-3-41
70.	,, बद्रीलाल शर्मा/पुरुषोत्तमलाल	13-3-36
71.	,, रामनिवास शर्मा/ददीमत	11-2-39
72.	,, रामस्वरूप शर्मा/मुरलीधर	5-3-32
73.	,, हरिराम गौड़/ओंकारमल	19-4-37
74.	,, पुरुषोत्तम शर्मा/श्यामसुन्दर	15-5-35
75.	,, किशनलाल गुप्ता/भौंरीलाल	3-5-37
76.	,, विशम्भरदयाल/रामजीलाल	26-7-32
77.	" भंवरलाल मिश्र/सूरजमल	18-7-36
78.	श्रीमती चन्द्रकला देवी/लालाराम शर्मा	28-10-40
79.	श्री किशनलाल जोशी/चम्पालाल	19-9-35
80.	" भंवरलाल पारीक/नानूराम	10-11-37
81.	" रघुवीरसिंह चौहान/मोहनसिंह	7-12-35
82.	" ताराचन्द शर्मा/नाथूराम	7-9-37
83.	" नक्षत्रीलाल/हीरालाल	—
84.	" खूबीलाल जैन/पन्नालाल	17-8-39
85.	" पूर्णचन्द जोशी/उदयराम	2-9-36
86.	" रमाकान्त जोशी/मुरलीधर	27-2-37
87.	" रामस्वरूप शर्मा/श्रीनारायण	1-1-42
88.	" बंशीलाल/ललिताशंकर	9-5-4[illegible]

(445)

1	2	3
89.	श्री गंगासहाय शर्मा/नत्थीलाल	1-8-32
90.	" धाराशंकर आचार्य/गोविन्दराम	2-2-39
91.	" भैरूसिंह/शक्तिसिंह	2-2-38
92.	श्रीमती रामप्यारी देवी/द्वारकादास	13-4-33
93.	श्री भैरूलाल सैन/सीताराम	3-10-36
94.	" शिवदयाल गहलोत/गिगाराम	24-7-41
95.	" नाथूलाल शर्मा/द्वारकाप्रसाद	15-9-38
96.	" जयदेव शर्मा/श्रीचन्द	20-12-30
97.	" हरद्वारीलाल/लक्ष्मीनारायण	7-5-33
98.	" बालमुकुन्द शर्मा/हरिवल्लभ	6-10-42
99.	" छोटूलाल माली/हरदेव	20-7-35
100.	" केसरमल वर्मा/पूसाराम	13-4-37
101.	" रघुनाथ स्वामी/सूंडाराम	7-2-33
102.	" केशवदेव शर्मा/शिवनारायण	11-7-37
103.	" भूखेसिंह वर्मा/मन्नालाल मौर्य	3-7-41
104.	" रामस्वरूप शर्मा/नारायण सहाय	10-7-39
105.	" देवीचन्द शर्मा/ईश्वरलाल	28-8-36
106.	" सत्यनारायण शर्मा/रामचन्द्र	13-2-36
107.	" लक्ष्मीनारायण शर्मा/मनफूल	27-11-39
108.	" जयकृष्ण/नाथूलाल	6-19-32
109.	" दामोदरलाल शर्मा/माधोलाल	5-3-38
110.	" रामप्रसाद चौहान/नाथूलाल (एस.सी.)	8-5-41
111.	" नाथूराम हरिजन/गाहड़राम (एस.सी.)	19-11-41
112.	" मोहनलाल चौहान/नाथूलाल (एस.सी.)	2-6-43
113.	" जीवनराम मरोत/रामजी (एस.टी.)	7-6-53
114.	" मवासीराम/रूपाराम (एस.सी.)	1-6-43

1	2	3
115.	श्री गिलूराम हरिजन/नानूराम (एस.सी.)	20-5-46
116.	" छोटेलाल मीणा/किशनलाल (एस.टी.)	5-1-43
117.	" मदनलाल/प्रभातीलाल (एस.सी.)	7-9-45
118.	" सुन्दरलाल रैगर/लादूराम (एस.सी.)	26-5-45
119.	" तुलसीराम मीणा/परसादीलाल (एस.टी.)	1-8-52
120.	" रतिराम हरिजन/जूतरमल (एस.सी.)	5-5-46
121.	" दरीबाराम/थावरमल (एस.सी.)	4-4-49
122.	" हरिसिंह आर्य/छीतरमल (एस.सी.)	5-8-51
123.	" मामराज नायक/नारायणसिंह (एस.सी.)	1-1-53
124.	" जयराम मीणा/अमरा पटेल (एस.टी.)	10-2-49 प्रोविजनल
125.	" श्रवणलाल मीणा/भोपालराम (एस.टी.)	1-7-51
126.	" प्रहलाद मीणा/रामनारायण (एस.टी.)	1-2-52
127.	" घनश्यामदास/गंगाराम (एस.सी.)	11-12-49
128.	" रूपचन्द मीणा/रेवड़राम (एस.टी)	5-12-51
129.	" खुशीराम जाटव/सोनाराम (एस.सी.)	30-6-48
130.	" बादामसिंह/मंगलराम (एस.सी.)	1-8-51

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 753 की सूची

सम्पादक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदकों का विवरण

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	योग्यता
1.	श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता	23-6-27	एम. ए. अंग्रेजी—तृतीय पी. जी. डिप्लोमा पत्रकारिता
2.	श्री रामवल्लभ सोमानी	56 वर्ष	बी. ए. साहित्य रत्न
3.	श्री दिनेश कुमार सिंघल	24-7-64	बी. काम. बी. जे. एम. सी.
4.	कुमारी आशा शर्मा	4-4-62	एम. ए. अंग्रेजी—द्वितीय एम. फिल. अंग्रेजी—द्वितीय
5.	डा. सीता सक्सेना	1-8-28	एम. ए. हिन्दी स्वर्ण पदक (अनुपस्थित)
6.	श्री आनन्द कुमार अग्रवाल	58 वर्ष	
7.	श्री महेश दत्त शर्मा	21-4-64	एम. ए. हिन्दी पत्रकारिता में एक वर्ष का डिप्लोमा (अनुपस्थित)

परिशिष्ट-25

अतारांकित प्रश्न संख्या 758 की सूची

प्रान्त में पिछले तीन वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई तथा उसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए व कितनों की मृत्यु हुई थी वर्षवार सूची

वर्ष	दुर्घटनाएं	हताहत	मृत्यु
1989	9593	10681	3023
1990	10456	11554	3465
1991	11046	12550	3736
योग :	31095	34785	10224

(449)

परिशष्टि–26

अतारांकित प्रश्न संख्या 761 की सूचियां

अभियोग संख्या 89/91 दिनांक 31-10-91 धारा 379, 411, 414, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना समदड़ी जिला बाड़मेर के सम्बन्ध में अभियुक्तों से बरामद वाहनों की सूची

क्र.सं.	रजिस्ट्रेशन	किस्म वाहन	निस्तारण वाहन
1	2	3	4
1.	केवल नम्बर 1155 लगे हुए हैं।	महेन्द्रा कमाण्डो डीजल जीप	अदालत के आदेश से मालिक को सुपुर्द की।
2.	आर. पी. ए. 8562 यह फर्जी नम्बर है।	महेन्द्रा डीजल जीप	"
3.	जी. जे. एन. 7382 फर्जी नम्बर लगे हुये हैं।	"	"
4.	जी. बी. आर. 7484 फर्जी नम्बर है।	"	"
5.	आर. एस. एल. 5650 फर्जी नम्बर है।	"	अदालत के आदेश से भंवर लाल को सुपुर्द की।
6.	बिना नम्बरी महेन्द्रा जीप	महेन्द्रा कमाण्डर डीजल जीप	अदालत के आदेश से मालिक को सुपुर्द की गई।
7.	महेन्द्रा जीप बिना नम्बरी	महेन्द्रा डीजल जीप	"

1	2	3	4
8.	आर. जे. आई. 3240 फर्जी नम्बर थे।	अम्बेसेडर डीजल कार	मालिक का पता न चलने से थाना में गया है।
9.	अम्बेसेडर डीजल कार बिना नम्बरी	,,	अदालत के आदेश से सुपुर्द की गई।
10.	अम्बेसेडर कार की बॉडी	अम्बेसेडर कार की बॉडी	थाने में जमा है।
11.	आर. जे. 19-सी 2142	महेन्द्रा डीजल जीप	थाना में जमा है। गुजरात पुलिस द्वारा शनाख्त की जा चुकी है।
12.	आर. एस. क्यू. 8448 फर्जी नम्बर थे	महेन्द्रा डीजल पीपोट इन्जन जीप	थाना में जमा है। मालिक का पता नहीं चला।
13.	बिना आर. सी. नम्बर के	महेन्द्रा डीजल जीप	,,
14.	बिना आर. सी. नम्बर की जीप	,,	थाना में जमा है। मालिक का पता नहीं चला।

अभियोग सं. 89/91 दिनांक 31-10-91 धारा 379, 411, 414, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता थाना पुलिस समदड़ी जिला बाड़मेर में बरामद वाहनों की सूची

1. बी. एम. सी.—इंग्लैण्ड कार का इंजन नम्बर आर. एल. 295–48 जी–340
2. मेटाडोर का इंजन नं. डी–292007
3. इंटर जीप डीजल का इंजन नम्बर घिसे हुए है।
4. पीजोड डीजल इंजन जीप का

पुलिस कर्मचारियों के नाम जो अपराध संख्या 89/91 दिनांक 31-10-91 धारा 379, 411, 414, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना समदड़ी जिला बाड़मेर में लिप्त पाये गये हैं, निम्न प्रकार है :—

1.	श्री सुख सिंह	सहायक उप निरीक्षक
2.	श्री दरिया सिंह	कांस्टेबल नंबर 410
3.	श्री विक्रम सिंह	,, ,, 760
4.	श्री फगलू राम	,, ,, 305
5.	श्री पन्ने सिंह	,, ,, 143
6.	श्री नरपत सिंह	,, ,, 633

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 765 की सूची

बस्सी क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, जयपर (प्रथम) द्वारा विद्यालयवार किया गया विवरण

क्र. सं.	वर्ष	नाम विद्यालय	निरीक्षण दिनांक
1.	1990-91	राजकीय सी. उ. मा. विद्यालय, जटवाडा	2-1-91
2.	,,	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बडवा	2-1-91
3.	,,	राजकीय उ. मा. विद्यालय, बस्सी	24-9-91
4.	,,	राजकीय मा. विद्यालय, तूंगा	13-9-91
5.	,,	रा. मा. वि. देवगांव, बस्सी	19-12-91
6.	,,	रा. उ. मा. वि., तूंगा	18-1-92
7.	,,	रा. उ. मा. विद्यालय, जटवाडा	29-1-92
8.	,,	राजकीय माध्यमिक, कानौता	29-1-92

परिशिष्ट–28

अतारांकित प्रश्न संख्या 766 का विवरण

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	बकाया मुगतान की किस्म	राशि	अवधि
1.	श्रीमती मीना झां वरिष्ठ लिपिक रा. मा. वि. निवाना (जय.)	यात्रा भत्ता बिल	1872/-	2/84 से 8/84 तक

453

परिशिष्ट–29

अतरांकित प्रश्न संख्या 772 की सूची

पंचायत समिति गढ़ी बांसवाड़ा

शिक्षाकर्मी प्रायोजना के अन्तर्गत शिक्षाकर्मी विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	शिक्षाकर्मी विद्यालय	नाम शिक्षाकर्मी
1.	प्रा. वि. बिजलिया	1. श्री विजयपाल खाँट
		2. श्री नारायण लाल पादगी
2.	प्रा. वि. कुंआडिया	1. श्री कान्तीलाल पटेल
		2. श्री कान्तीलाल/श्री हमजी
3.	प्रा. वि. पनासी बड़ी	1. श्री रूपलाल पटेल
		2. श्री भीमाशंकर
4.	प्रा. वि. लालपुरा	1. श्री नगेन्द्र खाँट
		2. श्री मूजीलाल खाँट
5.	प्रा. वि. सहारनपुर	1. श्री गणेशलाल रोत
		2. श्रीमती विमला रोता
6.	प्रा. वि. मरकाडिया पाड़ा	1. श्रीमती राधा
		2. श्री रामलाल
7.	प्रा. वि. चिकनपाडा	1. गणेशलाल
		2. श्री कमल कान्त
8.	प्रा. वि. नालपाडा	1. श्रीमती सविता
		2. श्री लाल शंकर
9.	प्रा. गोविन्दपुरा	1. श्री रमणलाल
		2. श्रीमती लक्ष्मी देवी
10.	प्रा. वि. रोहाल	1. श्री जगदीश चन्द्र
		2. श्री भेम जी

1	2	3
11.	प्रा. वि. नाडियादा छोटा	1. श्री मदनसिंह 2. श्रीमती मोहनी
12.	प्रा. वि. पोछियापाडा	1. श्री रमणलाल 2. श्री वीरजी

पंचायत समिति आनन्दपुरी जिला-बाँसवाडा
शिक्षाकर्मी प्रायोजना के अन्तर्गत शिक्षकर्मी विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	शिक्षाकर्मी विद्यालय	नाम शिक्षाकर्मी
1.	प्रा. वि. पीछावाडा	1. श्री तेजपाल 2. श्री हरलाल
2.	प्रा. वि. पुछियावाडा	1. श्री हरक चन्द खाँट 2. श्री कलिराम खाँट
3.	प्रा. वि. भलेर चमना	1. चेतनलाल निमामा 2. श्री धनपाल निमामा 3. श्री गौरी शंकर
4.	प्रा. वि. परवाली	1. श्री लवजी डामौर 2. श्री लक्ष्मण लाल डामौर
5.	प्रा. वि. अम्बा	1. श्री रूपलाल ताबियाडा 2. श्री रूपचन्द्र कटारा
6.	प्रा. वि. टेमरन	1. श्री लक्ष्मणसिंह पारगी 2. श्री जसवन्तसिंह पारगी
7.	प्रा. वि. डिफोर	1. श्री रूपलाल पारगी 2. श्री भरतलाल पारगी।

455

परिशिष्ट–30

अतारांकित प्रश्न संख्या 773 की सूचियां

वर्ष 90-91 में जिला अलवर में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के सामान क्रय करने वाली शाला की सूची:– प्रत्येक विद्यालय को रू. 10,000/- राशि आवंटित की गई।

क्र. सं.	नाम विद्यालय		गांव का नाम
1.	प्रधानाध्यापक, रा. मा. विधालय, नोगांवा (अलवर)		
2.	,,	,,	गढीसवाईराय (अलवर)
3.	,,	,,	शाहबाद (अलवर)
4.	,,	,,	कायला (अलवर)
5.	,,	,,	हरसीरा (अलवर)
6.	,,	,,	गांधीपन काला (अलवर)
7.	,,	,,	अलावडा (अलवर)
8.	,,	,,	तसई (अलवर)
9.	,,	,,	इस्लामपुर इस्माई लपुर (अल)
10.	,,	,,	बडोदाकान (अलवर)
11.	,,	,,	वामनवास (अलवर)
12.	,,	,,	नीमचाना (अलवर)
13.	,,	,,	दासोद (अलवर)
14.	,,	,,	खोह (अलवर)
15.	,,	,,	बम्बोली (अलवर)
16.	,,	,,	छापर (अलवर)
17.	,,	,,	कोहराना (,,)
18.	,,	,,	पेहल (,,)
19.	,,	,,	मानका (,,)

1	2	3	4
20.	प्रधानाध्यापक	रा. मा. विद्यालय	तापुर (अलवर)
21.	,,	,,	ततारपुर (,,)
22.	,,	,,	नागलखाडिया (अल.)
23.	,,	,,	मोजपुर (,,)
24.	,,	,,	गढीवाल (,,)
25.	,,	,,	भिवाडी (अल.)
26.	,,	,,	255. हल्दीना (,,)
27.	,,	,,	खानपुरभवना (,,)
28.	,,	,,	रेल्वे स्टेशन (अल.)
29.	,,	,,	मगची (,,)
30.	,,	,,	पृथ्वीपुरा (अल.)
31.	,,	,,	जोनायवाकला (,,)
32.	,,	,,	वारामंडकोला (,,)
33.	,,	,,	दरबारपर (,,)
34.	,,	,,	भौंकार (अल.)
35.	,,	,,	रिवाली (,,)
36.	प्रधानाध्यापक,	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	अकबरपुरा (अलवर)
37.	,,	,,	भिवाना (,,)
38.	,,	,,	उमरेण (,,)
39.	,,	,,	बुटोली (,,)
40.	,,	,,	अबनपुरा (,,)
41.	,,	,,	बारोना (,,)
42.	,,	,,	मांडण (,,)
43.	,,	,,	बहादुरपुर (,,)
44.	,,	,,	माचोडी (,,)

1	2	3	4
45.	प्रधानाध्यापक	रा. मा. विद्यालय	हमीरपुर (,,)
46.	,,	,,	तसींग (,,)
47.	,,	,,	गोलकावास (,,)
48.	,,	,,	गन्ताशाहपुर (,,)
49.	,,	,,	गारू (,,)
50.	,,	,,	दरीबाप्रोजेक्ट (,,)
51.	,,	,,	जाटबहरोड (,,)
52.	,,	,,	जिन्दोली (,,)
53.	,,	,,	शाहडोली (,,)
54.	,,	,,	पीपली (,,)
55.	,,	,,	करणीकोट (,,)
56.	,,	,,	तालाब (,,)
57.	"	"	अंगारी (")
58.	"	"	धनेटा (")
59.	"	"	बिचगांव (")
60.	"	"	मनोर्त (")
61.	"	"	डूमरोली (")
62.	"	"	गुडाला (")
63.	"	"	खानपुरअहीर (")
64.	"	"	करानी (")
65.	"	"	मनोखर (")
66.	"	"	जावली (")
67.	"	"	सोखेरी (")
68.	"	"	गुन्ती (")
69.	"	"	शाहपेराडहरा (")
70.	"	"	वरखेडा (")

1	2	3	4
71.	प्रधानाध्यापक	रा. मा. विद्यालय	किशोरी (अलवर)
72.	"	"	पाटन (रेणी) (अलवर)
73.	"	"	राजपराबड़ा (अलवर)
74.	"	"	ढ़िगावड़ा (")
75.	"	"	काल्हड़का (")
76.	"	"	रानीगायान (")
77.	"	"	गोलिया (")
78.	प्रधानाध्यापिका,	रा. बा. मा. विद्यालय	
79.	"	"	बहरोड़ (")
80.	"	"	तिजारा (")
81.	"	"	रामगढ़ (")
82.	"	"	शाहजपुरा (")
83.	"	"	स्कीम न. 2 अलवर
84.	"	"	गोविन्दगढ (")
85.	"	"	खेडली (")
86.	"	"	किशनगढवास (")
87.	"	"	रायपर (")
88.	"	"	मालाखेड (")
89.	"	"	लक्ष्मणगढ (")
90.	"	"	हरसौली (")
91.	"	"	थानागाजी (")
92.	"	"	कठूमर (")
93.	"	"	टपूकडा (")
94.	"	"	बहादुरपुर (")
95.	"	"	टेहला (")
96.	"	"	बनीसर (")

1	2	3	4
97.	"	"	मनीकाबड़ (")
98.	"	"	मंडावर (")
99.	"	"	रैणी (")
100.	"	"	नीमरीना (")
101.	"	,,	कोटकासिम (,,)
102.	,, रा. बा. सी. उ. मा. विद्यालय राजगढ़ (")		
103.	प्रधानाध्यापक, रा. सी. उ. मा. विद्यालय		बड़ोदादेव (")
104.	राज. न्यू. हायर सैकण्डरी स्कूल अलवर		
105.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलदीना (")		
106.	"	"	टीटपुरी (")
107.	"	"	बूढ़ीबावल (")
108.	"	"	खैरथल (,,)

कुल आवंटित राशि (108 × 10.000) 10.8 लाख रुपये ।

वर्ष 1990-91 में जिला अलवर में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के सामान क्रय करने वाली शाला की सूची :–

1. प्रधानाचार्य, राज. बालिका सी. उच्च माध्यमिक राजगढ़ (अलवर)
2. प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा (अलवर)
3. प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
4. प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कोटकासिम
5. प्रधानाचार्य, राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर
6. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलदीना (अलवर)
7. प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदामेव (अलवर)

५६७

1	2	3
8.	प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय	दरबारपुर (अलवर)
9.	,, ,,	रिवाली ,,
10.	,, ,,	टीटपुर ,,
11.	,, ,,	बुढीबावल ,,
12.	,, ,,	बडोदाकान ,,
13.	,, ,,	मौकर ,,
14.	,, ,,	दौसोद ,,
15.	,, ,,	खैरथल ,,
16.	,, ,,	तालाब ,,
17.	,, ,,	शाहबाद ,,
18.	,, ,,	ततारपुर ,,
19.	,, ,,	गाऊ ,,
20.	,, ,,	बहरोड़ ,,

परिशिष्ट–31

अतारांकित प्रश्न संख्या 774 का विवरण

कोटा शहर के बालिका विद्यालयों में कार्यरत अधिशेष अध्यापकों का विवरण

क.सं.	नाम अध्यापिका	ग्रेड	विषय	किस विद्यालय में कार्यरत	वेतन किस विद्यालय से उठाया जा रहा है	कब से उठाया जा रहा है
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती लीला शर्मा	II ग्रेड	सामान्य	रा. बा. मा. वि., टिपटा	रा. बा उ. मा. वि., रामगंज मंडी	नवम्बर, 91
2.	,, विमला मदान	,,	अंग्रेजी	,, ,, टिपटा	,, ,, ,, ,,	नवम्बर 91
3.	,, प्रकाश गुप्ता	,,	सामान्य	,, ,, टिपटा	,, ,, ,, ,,	नवम्बर, 91
4.	,, चन्द्रावती राव	,,	अंग्रेजी	,, ,, विनयपुरा	बांगरा बा. मा. वि., सुकेत	फरवरी, 92
5.	,, शान्ति देवी शर्मा	,,	सामान्य	,, ,, विनयापुरा	,, ,, रामगंज मंडी	फरवरी, 92
6.	,, विद्या तिवाड़ी	,,	सामान्य	,, ,, विनयापुरा	,, ,, ,, ,,	फरवरी, 92
7.	,, अरुण भट्ट	,,	,,	,, ,, दादाबाड़ी	,, ,, चेचट	अगस्त, 91
8.	,, राजेश भटनागर	,,	,,	,, ,, दादाबाड़ी	,, ,, चेचट	अगस्त, 91
9.	,, सरोज शर्मा	,,	जीव विज्ञान	,, ,, दादाबाड़ी	,, ,, चेचट	अगस्त, 91

461

462

1	2	3	4	5	6	7
10.	श्रीमती मोहनी खन्ना	,,	सामान्य	रा.बा.मा.वि., छावनी	रा.बा.उ.मा.वि., रामपुरा	जुलाई, 91
11.	,, प्रमिला सनाढ्य	,,	,,	रा.बा.मा.वि., छावनी	रा.बा.उ.मा.वि., रामपुरा	जुलाई, 91
12.	,, निर्मला पंवार	अध्यापक	,,	रा.बा.मा.वि., टिपटा	रा.बा.उ.प्रा.वि., लाडपुरा	नवम्बर, 91
13.	,, सुधा शर्मा	,,	,,	रा.बा.मा.वि., टिपटा	रा.बा.प्रा.वि., रामपुरा मढ़	नवम्बर, 91
14.	,, शौल चौपड़ा	,,	,,	रा.बा.मा.वि., दादाबाड़ी	रा.बा.प्रा.वि., दडवाड़ा	अगस्त, 91
15.	,, उर्मिला गौतम	,,	,,	रा.बा.मा.वि., दादाबाड़ी	रा.बा.प्रा.वि., विज्ञान नगर	अगस्त, 91
16.	,, पदमा शर्मा	,,	,,	रा.बा.मा.वि., दादाबाड़ी	रा.बा.प्रा.वि., विज्ञान नगर	अगस्त, 91
17.	,, उमा सनाढ्य	,,	,,	रा.बा.मा.वि., दादाबाड़ी 7	रा.बा.प्रा वि., दडवाड़ा	अगस्त, 91
18.	श्री पुरुषोतम लाल गन्धर्व	तबला वादक	,,	रा.बा.उ.मा.वि., श्रीपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., पावर कलां	फरवरी, 92
19.	श्री लक्ष्मीकान्त कुमावत	,,	,,	रा.बा उ.मा.वि., रामपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., गेन्ता	फरवरी, 92
20.	श्रीमती चन्दा जोशी	अ.स.	,,	रा.उ.प्रा.वि., केशवपुरा	रा.उ.प्रा.वि., कसार	दिसम्बर, 91
21.	,, सरोज	,,	,,	रा.उ.प्रा.वि., केशवपुरा	रा.उ.पा.वि., नगपुरा	जनवरी, 92

1	2	3		4	6	7
22.	श्रीमती प्रमिला दीक्षित	तबला वादन	,,	रा.उ.प्रा.वि., राम नगर	रा.उ.प्रा.वि., मोडक गांव	जनवरी, 92
23.	,, उषा सक्सेना	व.अ.	,,	रा.प्रा.वि., नयापुरा	रा.मा.वि. ताथेड़	जनवरी, 92
24.	,, सुनीता कुमारी	तृ.अ.	,,	रा.प्रा.वि., मीम मंडी	रा.उ.प्रा.वि., बारखंडी	मार्च, 92
25.	,, कविता सक्सेना	व.अ.	विज्ञान	रा.उ.मा.वि., गुमानपुरा	रा.मा.वि., ताथेड़	
26.	,, बन्दा दाधीच	,,	,,	रा.मा.वि., दादाबाड़ी	रा.उ.मा.वि., कैथू	
27.	,, कमला शर्मा	,,	सामान्य	रा.उ.मा.वि., मीम मंडी	रा.मा.वि., कनवास	

परिशिष्ट–32

अतारांकित प्रश्न संख्या 775 की सूची

1. जयनारायण व्यास शिक्षण संथान, जोधपुर
2. रफीकुल अवास उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर
3. बालवाड़ी विद्यालय, जोधपुर ।
4. शान्ति मन्दिर, बीठड़ी (जोधपुर)
5. शिव ओम शक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर ।
6. श्री उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर ।
7. कोनार्क उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर ।
8. इस्हाकिबा माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर ।
9. जय जयन्ती देवी मेमोरियल कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर ।
10. लाल बहादुर शास्त्री सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर ।
11. श्री लादूराम अगरचन्द गोलेच्छा महाविद्यालय, जोधपुर ।
12. ब्राइट चिल्डन ऐकेडमी, जोधपुर ।
13. कमला नेहरू बाल मन्दिर, जोधपुर ।
14. अन्जुमन प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर ।
15. ओंकारमल सोमानी कॉलेज, जोधपुर ।
16. नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर ।
17. सेन्ट पेट्रिक्स विद्या भवन सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर ।
18. जोधपुर बधिरकल्याण समिति, जोधपुर ।

465

परिशिष्ट–33

अतारांकित प्रश्न संख्या 779 की सूची

वर्ष 1989–90 में स्वीकृत इकाइयां पंचायत समिति अटरू

क्र. सं.	नाम कारगार/पिता	जाति	ग्राम	उद्योग	राशि ऋण	राशि सहायता
1	2	3	4	5	6	
1.	श्री कल्याण/गोरधन	चमार	मोतीपुरा	चर्मजता	2250/–	250/–
2.	,, माधोला/किशनलाल	रेगर	गोरड़ी	,,	2250/–	250/–
3.	,, बिरधीलाल/किशनलाल	,,	,,	,,	2250/–	250/–
4.	,, नन्दा/माधो	,,	मोतीपुरा,	,,	2250/–	250/–
5.	,, रामभरोस/गोपाल	,,	भैरमाचाहु	,,	2250/–	250/–

1	2	3	4	5	6	
6.	श्री रामनारायण/जगन्नाथ	रेगर	झारखण्ड	चर्मजता	2255/–	250/–
7.	,, ग्यारसीराम/रामा	,,	मोतीपुरा	,,	2250/–	250/–
8.	,, मोहनलाल/रतनलाल	,,	कवाई	,,	2250/–	250/–
9.	,, अमरलाल/मोड़ूलाल	,,	हाथीदीसोद	,,	2250/–	230/–
10.	,, प्रेम/रघुनाथ	,,	कुण्डी	,,	2250/–	250/–
11.	,, जानकीलाल/कुणाल	,,	हाथीदीसोद	,,	2250/–	250/–
12.	,, रमेशचन्द/रामलाल	,,	,,	,,	2250/–	250/–
13.	,, घनश्याम/लक्ष्मण	,,	,,	,,	2250/–	250/–
14.	,, रामनाथ/रामलाल	,,	,,	,,	2250/–	250/–
15.	,, धूलीलाल/मोड़ूलाल	,,	,,	,,	2250/–	250/–
16.	,, बिरमा/रामलाल	,,	,,	,,	2250/–	250/–
17.	,, रामचरण/रघुनाथ	,,	कुण्डी	,,	2250/–	250/–
18.	,, कैलाश/नन्नूलाल	हरिजन	पटना	बासबेत	1050/–	150/–
19.	,, मातालाल/मदनलाल	,,	,,	,,	1050/–	150/–

1	2	3	4	5	6	
20.	श्री जगदीश/बिरधीलाल	हरिजन	खेडलीगज	बासबेत	1050/–	150/–
21.	,, मोतीलाल/जगन्नाथ	,,	,,	,,	1050/–	150/–
22.	,, बाबुलाल/हीरालाल	खाती	अड़न्दि	सुथारी कार्यकारी	3000/–	—
23.	,, द्वारिकालाल/चतुर्भुज	नाई	अटरू	दोना मशीन	4270/–	—

वर्ष 90–91 में स्वीकृत इकाइयां पंचायत समिति अटरू

क्र. सं.	नाम कारगर/पिता	जाति	ग्राम	उद्योग	ऋण	सहा.	योग
1.	श्री केदार/रघुनाथ	चमार	कुन्डी	चर्मजूता	2250	250	2500
2.	,, द्वारिकालाल/लटूर	,,	,,	,,	2250	250	2500
3.	,, दुलीचन्द/शंकरलाल	,,	कवाई	,,	2250	250	2500
4.	श्रीमती सावित्रीदेवी/भगवानदास	ब्राह्मण	अटरू	टेलरिंग	8900	–	890
5.	श्री रामप्रसाद/कजोड़ीलाल	कुम्हार	ठेहलीगांग	कुम्हारी	9100	–	9100

467

परिशिष्ट–34

अतारांकित प्रश्न संख्या 786 की सूची

अवधि (7/3/90 से 6/3/90) तक

श्री अब्दुल गनी, ख. पट्टा चूना पत्थर नि. ग्राम बोयल, तहसील सोजत द्वारा प्रस्तुत मासिक आंकड़ों के आधार पर विवरण

क्र. सं.	माह	प्रा. स्टाक टन	उत्पादन टन	योग टन	निर्गम टन	अन्तिम स्टाक टन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7-3-90 से 31-3-90	–	–	–	–	–	नोट :—(1) माह नवम्बर, 90 का अन्तिम स्टॉक 137 टन एर्टोनी द्वारा मासिक आंकड़ों में बताया गया माह दिसम्बर, 90 में प्रा. स्टॉक 137 टन के स्थान पर एर्टोनी द्वारा 252 टन बताया गया जिसका अन्तर 115 टन है जो प्रारम्भिक स्टॉक में अधिक बताया
2.	अप्रेल, 90	–	20	20	13	7	
3.	मई, 90	7	50	57	निल	57	
4.	जून. 90	57	25	82	45	37	

469

1	2	3	4	5	6	7
5.	जुलाई, 90	37	200	237	226	11
6.	अगस्त, 90	11	115	126	88	38
7.	सितम्बर, 90	38	200	238	178	60
8.	अक्टूबर, 90	60	200	260	230	30
9.	नवम्बर, 90	30	350	380	243	137
10.	दिसम्बर, 90	252	200	452	189	263
11.	जनवरी, 90	263	280	543	378	165
12.	फरवरी, 91	165	891	1056	873	183
13.	6 मार्च, 91 तक	183	—	—	—	183
		—	2531 टन	2531 टन	2463 टन	68 टन

8

गया है। जिसका प्रभाव माह मार्च, 91 में 6/3/91 की अन्तिम स्टॉक 183 टन पट्टेधारी द्वारा बताया गया जबकि यह मात्र 68 टन (183-115) 68 ही गणना अनुसार रहता है।

(2) पट्टेधारी के एर्टोनी द्वारा दिनांक 26/4/91 को फरवरी, 91 का रिर्टन दिया गया जिसमें 5823 टन निर्गम एक ही माह में बताया गया तथा दिनांक 22/10/91 को इसी माह का संशोधित (रिवाईज) रिर्टन्स पट्टेधारी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें 873 एम. टी. बताया गया उपरोक्त विवरण से वर्ष में अधिकतम निर्गम रिवाईज रिर्टन्स प्रस्तुत करने से पूर्व अधिकतम निर्गम 378 एम. टी. माह जनवरी, 91 का बताया है। अतः विवरण में 873 एम. टी. संशोधित को ही माना गया है। एवं इतना ही अन्तिम तथा अधिशुल्क निर्धारण के समय माना गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पट्टेधारी द्वारा एर्टोनी श्री कृष्ण मुरारी कुमावत की एर्टोनी पावर दिनांक

470

1	2	3	4	5	6	7	8
							13/2/91 को ही समाप्त किया जाकर इसकी सूचना कार्यालय में दी गई। फिर भी दिनांक 26/4/91 को एटौनी द्वारा दिनांक 26/4/91 को उक्त फरवरी, 91 का रिर्टन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका संशोधित रिर्टन पट्टाधारी स्वयं द्वारा (माह फरवरी 91) दिनांक 22/10/91 को कार्यालय में दिया गया है।

परिशिष्ट–35

अतारांकित प्रश्न संख्या 795 की सूची

List of injured persons in case No. 70/91 U/S 147/148/149/302/336/307 IPC, PS–Moti Doongri (Jaipur City)

S.No.	Name of injured	Type of weapon	Nature of injury	Part of body on which injuries inflicted	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Vikram Singh Gujar	Projectile weapn	Iacerated Purctured wound	Chest.	Daed
2.	Samai Singh Gujar	–do–	–do–	Front of Rt Ear on Rt. Thigh in upper calf Left.	
3.	Mahendra Gujar	–do–	–do–	4th Toe Left foot.	
4.	Raju Gujar	–do–	–do–	Knee joint, Thigh just above knee, leg.	

1	2	3	4	5	6
5.	Nathu Lal Gujar	–do–	–do–	Left side of chest.	
6.	Jaipal Gujar	–do–	–do–	Scalp.	
7.	Chhotu Ram Gujar	–do–	–do–	Rt. Leg & Left Thigh	
8.	Jagdish Gujar	Stab wound	Abrasion Stab wound	Left side of Forehead.	

FIR No. 71/91 U/S 147/148/149/307/336/435 IPC, PS–Moti Doongi (Jaipur-City)

1.	Ashvini Kumar	Blunt object	Opinion after X-Ray	Lacerated wound or parietal area Lacerated wound on Rt. Pariter eccipital region. Lacerated wound obliquely or Left side eccipital.	

472